vol 4

2780

सहीह मुस्लिम

हदीस नं. 3800

صحیح مسلم

تالیف : امام مسلم بن حجاج نیشاپوری رحمہ اللہ

सहीह मुस्लिम

तालीफ़

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

उर्दू तर्जुमा

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

तख़रीज

मौलाना अदनान दुर्वेश

तक़रीज़

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

तौफिक बुक डिपो, 2241/41 कुचा चैलान,
दरियागंज, नई दिल्ली 98732-96944

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड,
शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर
(राज.) 82091-64214

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस,
जोधपुर (राज.) 93143-66303

अल कौसर ट्रेडर्स,
जोधपुर 94141-920119

मकतबा अस्सुन्नह,
मुम्बई 08097-44448

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन,
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 82918-33897

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

शैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

शैख सुहैल सल्फ़ी,
मकतबा सलफिया, वारणासी 094519-15874

आई.आई.सी.
नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा
(गुजरात) 094291-17111

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी)
0547-2222013

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फुट वियर, 87 बोधा
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-10271

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

صحیح مسلم

تالیف: امام مسلم بن حجاج نیشاپوری رحمہ اللہ

सहीह मुस्लिम

<u>तालीफ़</u>

इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)

<u>उर्दू तर्जुमा</u>

फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अ़ज़ीज़ अ़ल्वी

<u>तख़रीज</u>

मौलाना अदनान दुर्वेश

<u>तक़रीज़</u>

मौलाना इरशादुल हक़ असरी

ज़िल्द नम्बर

4

हदीस नं. 2780 से 3800 तक

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सहीह मुस्लिम जिल्द - 4**	
तालीफ़	**इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज नीशापुरी (रह.)**	
उर्दू तर्जुमा	**फ़ज़ीलतुश्शैख़ मौलाना अब्दुल अज़ीज़ अल्वी**	
हिन्दी तर्जुमा	**दावत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत** **जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज़.)**	
तख़रीज	**मौलाना अबलाल दुर्वेश**	
तक़रीज़	**मौलाना इरशादुल हक़ असरी**	
तस्हीह व नज़रे सानी	**मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878)**	
लेज़र टाइपसेटिंग	**मुहम्मद गुफ़रान अन्सारी**	
मेनेजिग डायरेक्टर	**अली हम्ज़ा, (82338-55857)**	
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सैन्टर, जोधपुर 92144-85741**	
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस, यादगार मास्टर जहुरुद्दीन साहब** **मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615**	
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	जमादिल आख़िर 1441 हिजरी (जनवरी 2020 इस्वी)	
तादादा कॉपी : 500	तादाद पेज: 680	क़ीमत: रु. 600/- जिल्द (रु. 4500 आठ जिल्द सेट)

प्रकाशक	**मर्कज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
जेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

फेहरिस्ते-मज़ामीन

किताबुल ऐतिकाफ़ (ऐतिकाफ़ का बयान)	
इस किताब के कुल 04 बाब और 11 हदीसें हैं।	15
हदीस नम्बर 2780 से 2790 तक	
ऐतिकाफ़ का मानी व मफ़्हूम और अहकाम व मसाइल	16
15. ऐतिकाफ़ का बयान	17
बाब : 1 रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ बैठना	17
बाब : 2 जो ऐतिकाफ़ करना चाहता हो, वो अपने हुज्रे में कब दाख़िल हो?	19
बाब : 3 रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में जद्दो-जहद करना	21
बाब : 4 ज़िलहिज्जा के दस दिनों के रोज़े	22
किताबुल हज्ज (हज का बयान)	
इस किताब के कुल बाब 102 और 607 अहादीस हैं।	23
हज की अहमियत, फ़ज़ीलत, अक़साम और तआरुफ़	24
बाब : 1 हज और उम्रह का एहराम बांधने के लिये क्या पहनना जाइज़ है और क्या जाइज़ नहीं है और उसके लिये ख़ुश्बू का इस्तेमाल हराम है	28
बाब 2 : हज और उम्रह के मीक़ात	36
बाब 3 : तल्बिया, उसकी कैफ़ियत और उसका वक़्त	42
बाब 4 : अहले मदीना को हुक्म है कि वो एहराम ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद से बांधें	47
बाब 5 : तल्बिया उस वक़्त कहा जायेगा जिस वक़्त सवारी खड़ी होगी (हिन्दुस्तानी नुस्ख़े में बाब इस तरह है, बेहतर ये है कि तल्बिया उस वक़्त कहे जब उसकी सवारी उसको लेकर मक्का की तरफ़ चल पड़े, दो रकअ़त नमाज़ के बाद तल्बिया न कहे)	48
बाब 6 : ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना	52
बाब 7 : मुहरिम का एहराम के वक़्त ख़ुश्बू लगाना	52
बाब 8 : मुहरिम के लिये शिकार की हुरमत (हिन्दुस्तानी नुस्ख़े, हज या उम्रह या दोनों का एहराम बांधने वालों के लिये ख़ुश्की का खाया जाने वाला जानवर शिकार करना हराम है)	60
बाब 9 : मुहरिम और ग़ैर मुहरिम के लिये हिल्ल और हरम में जिन जानवरों को क़त्ल करना मन्दूब है	71

बाब 10 : अगर मुहरिम को तकलीफ़ हो तो उसके लिये सर मुण्डवाना जाइज़ है और सर मूण्डने की बिना पर उस पर फ़िद्या लाज़िम है और उसकी मिक़्दार का बयान	77
बाब 11 : मुहरिम के लिये सेंगी (हिजामा) लगाना जाइज़ है	83
बाब 12 : मुहरिम के लिये आँखों में दवा डालना जाइज़ है	83
बाब 13 : मुहरिम के लिये बदन और सर धोना जाइज़ है	85
बाब 14 : मुहरिम के मरने की सूरत में क्या किया जायेगा	87
बाब 15 : मुहरिम के लिये जाइज़ है कि वो ये शर्त लगा ले कि वो बीमारी वग़ैरह के उज़्र से एहराम खोल देगा	92
बाब 16 : निफ़ास वाली औरतों का एहराम बांधना और उनके लिये एहराम के लिये गुस्ल करना मुस्तहब है, हाइज़ा का भी यही हुक्म है	94
बाब 17 : एहराम की सूरतें (और इंसान के लिये हज्जे इफ़राद, तमत्तोअ और क़िरान जाइज़ है और ये भी जाइज़ है कि उम्रह का एहराम बांधने के बाद उसके साथ हज की निय्यत कर ले और क़ारिन, अफ़आले हज से कब हलाल होगा)	96
बाब 18 : हज और उम्रह से मुतमत्तेअ होना	127
बाब 19 : नबी (ﷺ) का हज	129
बाब 20 : अरफ़ात का हर हिस्सा मौक़िफ़ (ठहरने की जगह) है	146
बाब 21 : वुक़ूफ़ करना और अल्लाह तआला का फ़रमान, 'फिर तुम लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं'	147
बाब 22 : एहराम से निकलना मन्सूख़ है, एहराम को पूरा करना होगा	149
बाब 23 : हज्जे तमत्तोअ का जाइज़ होना	153
बाब 24 : मुतमत्तेअ पर क़ुर्बानी करना (ख़ून बहाना) लाज़िम है और अगर उसकी ताक़त न हो तो उस पर लाज़िम है कि तीन रोज़े हज के दिनों में रखे और सात रोज़े घर लौटकर रखे	161
बाब 25: हज्जे क़िरान करने वाला उस वक़्त हलाल होगा जिस वक़्त हज्जे इफ़राद करने वाला हलाल होता है	164
बाब 26 : इहसार की सूरत में एहराम खोलना जाइज़ है और क़िरान करना भी जाइज़ है	166
बाब 27 : हज्जे इफ़राद और हज्जे क़िरान	170
बाब 28 : हज का एहराम बांधने वाले के लिये मक्का पहुँचकर तवाफ़ और सई लाज़िम है (हिन्दुस्तानी नुस्ख़ा है, हाजी के लिये तवाफ़े क़ुदूम और उसके बाद सई मुस्तहब है)	172
बाब 29 : उम्रह का तवाफ़ एहराम बांधने वाला सई से पहले तवाफ़ करके हलाल नहीं होगा और हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़े क़ुदूम से हलाल नहीं होगा, इसी तरह हज्जे क़िरान वाला है	174

बाब 30 : हज्जे तमत्तोअ़ का बयान	180
बाब 31 : हज के महीनों में उ़म्रह करना जाइज़ है	181
बाब 32 : एहराम के वक़्त कुर्बानी के गले में क़लादा डालना और कोहान के दायें तरफ़ ज़ख़्म लगाना	185
बाब 33 : इब्ने अ़ब्बास से ये कहा, ये क्या फ़तवा है जो दिलों में बैठ गया है या लोगों को परेशान कर दिया है या इन्तिशार में डाल दिया है	186
बाब 34 : उ़म्रह में बाल छोटे करवाना	188
बाब 35 : हज्जे तमत्तोअ़ और हज्जे क़िरान का जवाज़	189
बाब 36 : नबी (ﷺ) का एहराम बांधना और हदी साथ लेना	191
बाब 37 : नबी (ﷺ) के उ़म्रों की तादाद और उनका ज़माना (वक़्त)	193
बाब 38 : माहे रमज़ान में उ़म्रह करने की फ़ज़ीलत	196
बाब 39 : पसन्दीदा तरीक़ा ये है कि मक्का मुकर्रमा में बालाई हिस्से से दाख़िल हो और नशीबी (निचले) हिस्से से निकले (ताकि आना-जाना अलग-अलग रास्तों से हो)	197
बाब 40 : मक्का में दाख़िले के वक़्त बेहतर है रात ज़ी तवा में गुज़ारी जाये और दिन को दाख़िल होते वक़्त गुस्ल किया जाये	199
बाब 41 : उ़म्रह के तवाफ़ और हज के पहले तवाफ़ में रमल करना मुस्तहब (बेहतर पसन्दीदा) है	201
बाब 42 : तवाफ़ में दोनों यमानी रुक्नों का इस्तिलाम मुस्तहब बाक़ी दोनों का नहीं	206
बाब 43 : तवाफ़ में दो यमानी रुक्नों का इस्तिलाम मुस्तहब है	207
बाब 44 : तवाफ़ में हज्रे अस्वद को बोसा देना मुस्तहब है	209
बाब 45 : सवारी (ऊँट वग़ैरह) पर सवार होकर तवाफ़ करना जाइज़ है और सवार छड़ी वग़ैरह से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करेगा	213
बाब 46 : सफ़ा और मरवह की सई हज का रुक्न है, इसके बग़ैर हज नहीं हो सकता	215
बाब 47 : सई में तकरार नहीं है	221
बाब 48 : बेहतर ये है कि हज करने वाला जम्र-ए-अ़क़बा की रमी शुरू करने तक तल्बिया जारी रखे, यानी कुर्बानी के दिन तक	221
बाब 49 : अ़रफ़ा के दिन मिना से अ़रफ़ात जाते हुए तल्बिया और तकबीर कहना	226
बाब 50 : अ़रफ़ात से मुज़्दलिफ़ा आकर उस रात मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ें जमा करके मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना मुस्तहब है	228
बाब 51 : मुज़्दलिफ़ा में कुर्बानी के दिन, सुबह के यक़ीनी तुलूअ़ के बाद ग़लस (अन्धेरे) में मुबालग़ा करते हुए सुबह की नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा है	235

बाब 52 : कमज़ोर औरतों और बच्चों को रात के आख़िरी हिस्से में भीड़ से पहले मुज़्दलिफ़ा से मिना भेजना मुस्तहब है और बाक़ी के लिये यही बेहतर है कि वो वहीं ठहरें और सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ें	236
बाब 53 : जम्रा-ए-अक़बा पर कंकरियाँ वादी के अंदर से मारी जायेंगी, मक्का बायें तरफ़ होगा और हर कंकरी के साथ तकबीर कहनी होगी	241
बाब 54 : क़ुर्बानी के दिन सवार होकर जम्रा-ए-अक़बा की रमी करना बेहतर है और नबी (ﷺ) का फ़रमान है, 'मुझसे अपने हज के अहकाम सीख लो।'	245
बाब 55 : बेहतर ये है कि जम्रह फेंकने की कंकर, चुटकी से फेंके जाने वाली कंकरी के बराबर हो	247
बाब 56 : कंकरियाँ मारने का बेहतर वक़्त	247
बाब 57 : हर जम्रह पर कंकरियाँ सात मारनी होंगी	248
बाब 58 : सर मुण्डवाना, बाल कटाने से अफ़ज़ल है और बाल कटवाना जाइज़ है	249
बाब 59 : क़ुर्बानी के दिन सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले जम्रा-ए-अक़बा पर रमी करे फिर क़ुर्बानी करे, फिर सर मुण्डवाये और सर मुण्डवाने वाले के सर को दायें तरफ़ से मुण्डना शुरू किया जाये	252
बाब 60 : जिसने क़ुर्बानी से पहले सर मुण्डवा लिया या कंकरियाँ मारने से पहले क़ुर्बानी कर दी	255
बाब 61 : तवाफ़े इफ़ाज़ा, क़ुर्बानी के दिन (10 ज़िल्हिज्जा) करना बेहतर है	259
बाब 62 : कूच के दिन मुहस्सब में पड़ाव करना और नमाज़ वहीं अदा करना बेहतर है	261
बाब 63 : अय्यामे तशरीक़ की रातें, मिना में गुज़ारना फ़र्ज़ है और पानी पिलाने वालों को इस पर अमल न करने की रुख़्सत है	264
बाब 64 : पानी पिलाने की ख़िदमत सर अन्जाम देने की फ़ज़ीलत और ये काम करने वालों की तारीफ़ और उसके पीने का पसन्दीदा होना	265
बाब 65 : हदी के गोश्त, चमड़े और झूल का सदक़ा करना	266
बाब 66 : क़ुर्बानी में शराकत और गाय और ऊँट के सात हिस्से करना (गाय और ऊँट का सात के लिये काफ़ी होना)	269
बाब 67 : ऊँट को एक पाँव बाँधकर खड़ा करके नहर करना पसन्दीदा है	272
बाब 68 : जो इंसान ख़ुद नहीं जाना चाहता, उसके लिये बेहतर है हरम में हदी, हार बट कर और हार डालकर भेजे और हदी भेजने के सबब वो मुहरिम नहीं होगा और न ही उससे कोई चीज़ मम्नूअ होगी	272
बाब 69 : ज़रूरत के वक़्त हदी के ऊँट पर सवार होना जाइज़ है	277
बाब 70 : क़ुर्बानी जब रास्ते में हलाक हो जाये तो क्या किया जायेगा	280
बाब 71 : तवाफ़े वदाअ का वुजूब और हैज़ वाली औरत से इसका साक़ित होना	282

बाब 72 : हाजी वग़ैरह के लिये बेहतर है कि वो कअबा में दाख़िल होकर नमाज़ पढ़े और इसकी तमाम अतराफ़ में दुआ माँगे	287
बाब 73 : कअबा को तोड़कर तामीर करना	293
बाब 74 : कअबा की दीवार और उसका दरवाज़ा	302
बाब 75 : दायमी बीमारी, बुढ़ापे वग़ैरह के सबब आजिज़ व बेबस होने वाले और मय्यित की तरफ़ से हज करना	303
बाब 76 : बच्चे का हज सहीह है और उसका हज करवाने वाले के लिये सवाब है	304
बाब 77 : उम्र में हज एक बार फ़र्ज़ है	306
बाब 78 : हज वग़ैरह का सफ़र महरम के साथ करना चाहिये	307
बाब 79 : हज वग़ैरह के सफ़र पर रवाना होने वाला कौनसी दुआ पढ़े	313
बाब 80 : हज वग़ैरह के सफ़र से वापसी पर क्या दुआ पढ़े	316
बाब 81 : हज और उम्रह से वापसी पर ज़ुल्हुलैफ़ा में रात गुज़ारना (पड़ाव करना) और वहाँ नमाज़ पढ़ना	318
बाब 82 : मुश्रिक बैतुल्लाह का हज न करे और कोई बरहना (नंगा) होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे और हज्जे अकबर के दिन की वज़ाहत	320
बाब 83 : अरफ़ा, हज, उम्रह और अरफ़ा के दिन की फ़ज़ीलत	322
बाब 84 : हज और उम्रह की फ़ज़ीलत	322
बाब 85 : हाजी का मक्का मुकर्रमा में उतरना और मक्का के घरों की विरासत का मसला	325
बाब 86 : मक्का से हिजरत कर जाने वाले के लिये हज और उम्रह से फ़राग़त के बाद तीन दिन तक ठहरना जाइज़ है, इससे ज़्यादा ठहरना दुरुस्त नहीं है	327
बाब 87 : मक्का हरम है, इसमें शिकार करना, घास काटना, दरख़्त काटना या हमेशा ऐलान करने की निय्यत के सिवा वहाँ से गिरी पड़ी चीज़ उठाना जाइज़ नहीं है	329
बाब 88 : मक्का मुकर्रमा में बिला ज़रूरत हथियार उठाना मना है	338
बाब 89 : बग़ैर एहराम के मक्का में दाख़िल होना जाइज़ है	339
बाब 90 : मदीना की फ़ज़ीलत और नबी (ﷺ) का इसके लिये बरकत की दुआ करना और इसकी हुरमत व अज़मत का बयान, इसके शिकार और दरख़्तों की हुरमत और इसके हरम की हुदूद का बयान	341
बाब 91 : मदीना में रिहाइश रखने और उसकी तकलीफ़ों व मुसीबतों पर सब्र करने की तरग़ीब	353
बाब 92 : मदीना में ताऊन और दज्जाल के दाख़िल होने से हिफ़ाज़त	362
बाब 93 : मदीना भट्टी की तरह अपने शहरों को छांट देगा और इसका नाम ताबा और तैबा है	363

बाब 94 : अहले मदीना के लिये जो बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह उसको पिघला देगा	366
बाब 95 : फ़ुतूहात के दौर में मदीना मुनव्वरा में रहने की तरग़ीब	369
बाब 96 : वो वक़्त जब मदीना के बाशिन्दे उसके बेहतरीन हालात में उसको छोड़ जायेंगे	371
बाब 97 : क़ब्र और मिम्बर की दरम्यानी जगह जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है	372
बाब 98 : उहुद पहाड़ हमसे मुहब्बत करता और हमें उससे मुहब्बत है	374
बाब 99 : मक्का और मदीना की मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत	375
बाब 100 : सफ़र सिर्फ़ तीन मस्जिदों के लिये इख़्तियार किया जाये (तीन मस्जिदों की फ़ज़ीलत)	382
बाब 101 : वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी है वो मस्जिद मदीना की मस्जिदे नबवी है	383
बाब 102 : मस्जिदे क़ुबा की फ़ज़ीलत, उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत और उसकी ज़ियारत के लिये जाना	384
किताबुन्निकाह (निकाह का बयान)	
इस किताब के कुल बाब 24 और 170 हदीसें हैं।	388
हदीस नम्बर 3398 से 3567 तक	
तआरुफ़ किताबुन्निकाह	389
17. निकाह का बयान	391
बाब 1 : जिस शख़्स का दिल चाहता हो और खाना-पीना मयस्सर हो उसके लिये निकाह करना मुस्तहब है और जो शख़्स खाना-पीना मुहैया करने से क़ासिर हो वो रोज़ों में मशग़ूल रहे	391
बाब 2 : पसन्दीदा अमल ये है कि अगर किसी औरत पर नज़र पड़ जाये और उस पर दिल रीझ जाये या वो दिल में जम जाये तो वो अपनी बीवी या अपनी लौण्डी से ख़्वाहिश पूरी कर ले	397
बाब 3 : निकाहे मुत्अह, वो मुबाह था, इसकी एबाहत मन्सूख़ हो गई, फिर ज़रूरत के तहत मुबाह ठहरा, फिर ये एबाहत क़यामत तक के लिये यानी हमेशा के लिये मन्सूख़ कर दी गई	399
बाब 4 : औरत को उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह में जमा नहीं किया जा सकता	414
बाब 5 : मुहरिम का निकाह करना या मंगनी का पैग़ाम देना (मुहरिम के लिये निकाह करना हराम है और पैग़ामे निकाह मकरूह है)	417
बाब 6 : भाई की मंगनी पर मंगनी करना नाजाइज़ है इल्ला (मगर) ये कि वो इजाज़त दे दे या छोड़ दे	421
बाब 7 : निकाहे शिग़ार की हुरमत और उसका बातिल होना	425
बाब 8 : निकाह में मुक़र्रर करदा शर्तों को पूरा करना	427
बाब 9 : शौहर दीदा (शादीशुदा) से निकाह की इजाज़त बोलकर और कुंवारी से सुकूत (ख़ामोशी) का काफ़ी होने का बयान	428

बाब 10 : बाप का नाबालिग़ा दोशेज़ा का निकाह कर देना	432
बाब 11 : शादी करवाना और शादी करना, शव्वाल में बेहतर है और इसमें रुख़्सती पसन्दीदा है	435
बाब 12 : जो किसी औरत से शादी का इरादा करे, तो उसके लिये उसके चेहरे और हथेलियों पर नज़र डाल लेना पसन्दीदा है	436
बाब 13 : मेहर का बयान और वो कुरआन की तालीम, लोहे की अंगूठी और उनके सिवा कमो-बेश हो सकता है और अगर ख़ाविन्द की इस्तिताअत से बाहर या उसकी बर्बादी का बाइस न हो तो पाँच सौ दिरहम बेहतर है	438
बाब 14 : लौण्डी को आज़ाद करके उससे शादी करने की फ़ज़ीलत	444
बाब 15 : ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से शादी पर्दे का नुज़ूल और शादी के वलीमे का सुबूत	453
बाब 16 : दावत देने वाले की दावत कुबूल करने का हुक्म	464
बाब 17 : जिस औरत को तीन तलाक़ें मिल चुकी हो, वो तलाक़ देने वाले के लिये उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी जब तक और (दूसरे) ख़ाविन्द से शादी करके उससे ताल्लुक़ात क़ायम न करे और फिर वो उसे अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे और उसकी इद्दत गुज़र जाये	469
बाब 18 : ताल्लुक़ात (हम बिस्तरी) के वक़्त कौनसी दुआ करना पसन्दीदा है (जिमाअ के वक़्त की पसन्दीदा दुआ)	473
बाब 19 : बीवी से ताल्लुक़ात कुबुल में क़ायम किये जायेंगे, आगे से करे या पीछे से, दुबुर से तअर्रुज़ (छेड़छाड़) नहीं किया जायेगा (बीवी की शर्मगाह में हर जहत (जानिब) से ताल्लुक़ात क़ायम करना जाइज़ है)	474
बाब 20 : औरत के लिये अपने ख़ाविन्द के बिस्तर पर आने से रुकना नाजाइज़ है	476
बाब 21 : औरत से मुबाशिरत का राज़ ज़ाहिर करना हराम है	478
बाब 22 : अज़्ल का हुक्म (इन्ज़ाल के वक़्त बीवी को अलग करके मनी (पानी) बाहर ख़ारिज करना ताकि हमल न ठहरे)	479
बाब 23 : हामिला क़ैदी औरत से मुबाशिरत मना है	487
बाब 24 : ग़ीलत यानी दूध पिलाने वाली औरत से मुजामिअत (हम बिस्तरी) जाइज़ है और अज़्ल नापसन्दीदा है	488
किताबुर्रिज़ाअ (दूध पिलाना) इस किताब के कुल बाब 20 और 84 हदीसें हैं। (हदीस नम्बर 3568 से 3651 तक)	492
किताबुर्रिज़ाअ का तआरुफ़	493
18. दूध पिलाना	494

बाब 1 : रज़ाअत से विलादत की तरह रिश्ते हराम हो जाते हैं	494
बाब 2 : हुरमते रज़ाअत में नर (शौहर) के नुत्फ़े का दख़ल है	496
बाब 3 : रज़ाई भाई की बेटी हराम है	501
बाब 4 : रबीबह (बीवी की बच्ची) और बीवी की बहन से निकाह नहीं हो सकता	504
बाब 5 : एक-दो बार पिस्तान चूसना	506
बाब 6 : हुरमत पाँच रज़आत से साबित होती है	510
बाब 7 : रज़ाअते कबीर (बालिग़ को औरत का दूध पीना)	511
बाब 8 : रज़ाअत वही मोतबर है जो भूख के अरसे में हो	516
बाब 9 : इस्तिबराए रहम के बाद बान्दी से ताल्लुके ज़न व शौहर (मियाँ-बीवी का रिश्ता) क़ायम करना जाइज़ है। अगर उसका ख़ाविन्द मौजूद हो तो लौण्डी बनने से उसका निकाह टूट जायेगा	518
बाब 10 : बच्चा साहिबे फ़िराश का है और शुब्हात से बचना चाहिये	520
बाब 11 : क़ायफ़ा शनास का बच्चे का नसब किसी से साबित करना क़ाबिले अमल या मोतबर है	523
बाब 12: शबे ज़फ़ाफ़(रुख़सती) के बाद बाकिरह(कुँवारी) और बेवा दुल्हन के पास ख़ाविन्द किस क़द्र ठहरेगा	525
बाब 13 : बीवियों के दरम्यान तक़सीम, सुन्नत ये है कि हर बीवी को एक रात, दिन दे	528
बाब 14 : अपनी बारी अपनी सौकन को देना जाइज़ है	530
बाब 15 : दीनदार से निकाह करना मुस्तहब है	534
बाब 16 : कुँवारी दोशेज़ा से निकाह करना मुस्तहब है	535
बाब 17 : औरतों के बारे में ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी की तल्क़ीन	542
बाब 18 : अगर हव्वा नहीं होती तो कभी औरत अपने ख़ाविन्द से ख़यानत न करती	544
बाब 19 : दुनियाँ का बेहतरीन सामान नेक औरत है	546
बाब 20 : औरतों के बारे में तल्क़ीन	546
किताबुत्तलाक़ (तलाक़ का बयान) इस किताब के कुल बाब 9 और 90 हदीसें हैं। हदीस नम्बर 3652 से 3742 तक	548
तआरुफ़ किताबुत्तलाक़	549
19. तलाक़ का बयान	561
बाब 1 : हाइज़ा औरत को उसकी रज़ामन्दी के बग़ैर तलाक़ देना हराम है, अगर वो मुख़ालिफ़त करे तो देने की सूरत में वाक़ेअ हो जायेगी और ख़ाविन्द को रुजूअ करने का हुक्म दिया जायेगा	561

बाब 2 : तीन तलाक़ें	564
बाब 3 : जो शख़्स अपनी बीवी को अपने लिये हराम क़रार देता है लेकिन तलाक़ की निय्यत नहीं करता, उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब होगा	576
बाब 4 : निय्यत के बग़ैर सिर्फ़ बीवी को इख़्तियार देने से तलाक़ वाक़ेअ नहीं होगी	582
बाब 5 : ईला और औरतों से अलग होकर उनको इख़्तियार देना और अल्लाह तआला का फ़रमान, 'अगर तुम दोनों उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाओगी'	588
बाब 6 : जिसे तीन तलाक़ें मिल चुकी हों, उसको नान व नफ़्क़ा नहीं मिलेगा	607
बाब 7 : तलाक़े बाइन की इद्दत और शौहर की वफ़ात की सूरत में औरत ज़रूरत के तहत दिन को घर से निकल सकती है	621
बाब 8 : हामिला की इद्दत, इद्दते वफ़ात हो या इद्दते तलाक़, वज़ओ हमल है	622
बाब 9 : इद्दते वफ़ात में सोग ज़रूरी है और उसके सिवा तीन दिन के सिवा नाजाइज़ है	626
किताबुल्लिआन (लिआन के बारे में)	
इस किताब की कुल 27 हदीसें हैं।	636
हदीस नम्बर 3743 से 3769 तक	
तआरुफ़ किताबुल्लिआन	637
20. लिआन के बारे में	640
किताबुल इत्क़ (आज़ादी और हुर्रियत)	
इस किताब के कुल बाब 7 और 31 हदीसें हैं।	660
हदीस नम्बर 3730 से 3800 तक	
तआरुफ़ किताबुल इत्क़	661
21. आज़ादी और हुर्रियत	662
बाब 1 : जिसने किसी गुलाम की मिल्कियत में से अपना हिस्सा आज़ाद किया	662
बाब 2 : गुलाम से मेहनत व मज़दूरी करवाना	664
बाब 3 : वला आज़ादी देने वाले को मिलेगी	666
बाब 4 : वला को बेचना और किसी को हिबा करना नाजाइज़ है	674
बाब 5 : आज़ादशुदा गुलाम के लिये ये जाइज़ नहीं कि वो अपने आज़ाद करने वाले के सिवा किसी और की तरफ़ अपनी निस्बत करे	675
बाब 6 : आज़ाद करने की फ़ज़ीलत	678
बाब 7 : अपने बाप को आज़ाद करने की फ़ज़ीलत	680

इस किताब के कुल 04 बाब और 11 हदीसें हैं।

15

كتاب الاعتكاف

किताबुल ऐतिकाफ़

ऐतिकाफ़ का बयान

हदीस नम्बर 2780 से 2790 तक

ऐतिकाफ़ का मानी व मफ़्हूम और अहकाम व मसाइल

अल्लाह तआला की इबादत के लिये हर तरफ़ से बे ताल्लुक़ होकर मस्जिद में गोशा नशीनी एक क़दीम इबादत है, इसे इकूफ़ या ऐतिकाफ़ कहते हैं। जब अल्लाह का पहला घर बना, तो इबादत के दूसरे तरीक़ों के अलावा ये ऐतिकाफ़ का भी मर्कज़ था। ऐतिकाफ़ रमज़ान और ग़ैर रमज़ान किसी भी वक़्त किया जा सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ज़रूर ऐतिकाफ़ किया करते थे। ऐतिकाफ़ करने वाला बीसवें रोज़े के दिन ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले मस्जिद में दाख़िल होगा और रमज़ान के आख़िरी दिन के ग़ुरूब से उसका ऐतिकाफ़ ख़त्म हो जायेगा। ऐतिकाफ़ का मक़सद अल्लाह तआला की इबादत और ज़िक्र व फ़िक्र के लिये तन्हाई इख़्तियार करना है। लिहाज़ा दौराने ऐतिकाफ़ फ़िज़ूल मसरूफ़ियतों, दुनियवी कामों और बे मतलब बातों से बचना ज़रूरी है। ऐतिकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद ही में किया जा सकता है। औरत भी ऐतिकाफ़ कर सकती है। उसके लिये अपने ख़ाविन्द या वली की इजाज़त के साथ-साथ ऐसी जामेअ मस्जिद ज़रूरी है जहाँ पर्दा, अमन व तहफ़्फ़ुज़ और ज़रूरियात के लिये आसानी मुयस्सर हो। मुस्तहाज़ा औरत भी ऐतिकाफ़ कर सकती है। अल्बत्ता अगर औरत को दौराने ऐतिकाफ़ अय्याम शुरू हो जायें तो वो अपना ऐतिकाफ़ ख़त्म कर देगी। ऐतिकाफ़ के लिये रोज़ा शर्त नहीं है, जो शख़्स शरई वजूह की बिना पर रोज़ा न रख सकता हो, वो भी ऐतिकाफ़ की इबादत से फ़ैज़याब हो सकता है। दौराने ऐतिकाफ़ इंसान के घर वालों को उससे मिलने और हालत पूछने की इजाज़त है। किसी ज़रूरत के पेशे नज़र मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर भी जा सकता है। जैसे क़ज़ाए हाजत के लिये, सहरी व इफ़्तारी या ज़रूरी इलाज के लिये बशर्तेकि इन चीज़ों की तरसील मस्जिद में मुम्किन न हो। रास्ते में आते-जाते, चलते-चलते अहबाब की ख़ैर-ख़ेरियत और बीमार पुर्सी भी की जा सकती है। नीचे दी गई चीज़ों से ऐतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है :

(1) बग़ैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर निकल जाना।

(2) अज़्दवाजी ताल्लुक़ात क़ायम करना।

(3) औरत के (माहवारी के) दिन या निफ़ास शुरू हो जाना।

كتاب الاعتكاف

15. ऐतिकाफ़ का बयान

बाब : 1 रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ बैठना

بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

(2780) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ करते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ‏.‏

(2781) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ करते थे। नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने मुझे मस्जिद में वो जगह भी दिखाई जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐतिकाफ़ किया करते थे।
(सहीह बुख़ारी : 2025, अबू दाऊद : 2465, इब्ने माजह : 1773)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ‏.‏ قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه - الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ ‏.‏

(2782) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे।

وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .

(2783) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे।
(सहीह मुस्लिम : 16789, 16999, 17222)

फ़वाइद :- (1) ऐतिकाफ़ का लुग़्वी मानी रुकना, ठहरना और पाबंदी करना है, लेकिन शरई तौर पर इंसान का, मख़्सूस अन्दाज़ में इबादत के लिये मस्जिद में ठहरना, ऐतिकाफ़ कहलाता है और ये बिल्इत्तिफ़ाक़ सुन्नत है और रमज़ान के आख़िरी अशरे में होगा और फ़िक़्ही तौर पर कुछ वक़्त के लिये इबादत की निय्यत से मस्जिद में बैठना भी ऐतिकाफ़ है, ज़ाहिर है आपसे दस दिन से कम ऐतिकाफ़ साबित नहीं है। (2) इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ऐतिकाफ़ के लिये रोज़ा शर्त है और ज़ाहिर है अगर ऐतिकाफ़ रमज़ान में है तो रोज़ा रखना होगा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ऐतिकाफ़ के लिये रोज़ा शर्त नहीं है, क्योंकि ऐतिकाफ़ के लिये रमज़ान शर्त नहीं है, आपने शव्वाल में ऐतिकाफ़ किया था और हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक दिन के ऐतिकाफ़ की नज़्र मानी थी। (3) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम दाऊद (रह.) और जुम्हूर के नज़दीक ऐतिकाफ़ के लिये मर्द और औरत के लिये मस्जिद शर्त है और अहनाफ़ के नज़दीक औरत घर की मस्जिद में ऐतिकाफ़ करेगी, हालांकि अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) मस्जिद में ही ऐतिकाफ़ बैठती थीं, घर में ऐतिकाफ़ करना उनसे साबित नहीं है। ताहम इसके लिये ज़रूरी है कि औरत सिर्फ़ इस सूरत में मस्जिद में ऐतिकाफ़ करेगी, जबकि उसके लिये पर्दे का सहीह इन्तिज़ाम हो और औरतों और मर्दों के इख़्तिलात का अन्देशा न हो और उसकी अस्मत व पाकमदानी के लिये किसी क़िस्म का ख़तरा न हो और ये किसी बदनिय्यती पर मबनी न हो।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ :

(2784) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में ऐतिकाफ़ करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनकी रूह क़ब्ज़ कर ली, आप (ﷺ) के बाद आपकी अज़्वाज (रज़ि.) (बीवियाँ) ऐतिकाफ़ बैठती थीं।
(सहीह बुख़ारी : 2026 अबू दाऊद : 2462)

باب مَتَى يَدْخُلُ مَنْ أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِي مُعْتَكَفِهِ

बाब : 2 जो ऐतिकाफ़ करना चाहता हो, वो अपने हुजरे में कब दाख़िल हो?

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ " آلْبِرَّ تُرِدْنَ " . فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ

(2785) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब ऐतिकाफ़ करने का इरादा फ़रमाते तो सुबह की नमाज़ पढ़ते, फिर अपनी ऐतिकाफ़गाह में दाख़िल होते। एक बार आप(ﷺ) ने अपना ख़ैमा लगाने का हुक्म दिया और लगा दिया गया क्योंकि आपने रमज़ान के आख़िरी अशरे के ऐतिकाफ़ का इरादा फ़रमाया था, इस पर हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने अपना ख़ैमा नसब करने का हुक्म दिया, वो भी लगा दिया गया और बीवियों ने भी अपने ख़ैमे लगाने का हुक्म दिया, उनके लिये भी ख़ैमे नसब कर दिये गये। तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ पढ़कर देखा तो बहुत से ख़ैमे नज़र आये। तो आपने फ़रमाया, 'क्या उनका इरादा नेकी है?' तो आपने अपना ख़ैमा उखाड़ने का हुक्म दिया और उसे खोल दिया गया। आपने रमज़ान का

الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ .

ऐतिकाफ़ छोड़ दिया और शव्वाल के पहले दस दिनों का ऐतिकाफ़ किया।
(सहीह बुख़ारी : 2033, 2034, 2041, 2045, अबू दाऊद : 2464, तिर्मिज़ी : 791, नसाई : 2/44, 45, इब्ने माजह : 1771)

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ، وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ، سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ - رضى الله عنهن - أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلاِعْتِكَافِ .

(2786) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से यही रिवायत नक़ल करते हैं जो मज़्कूरा बाला अबू मुआविया की हदीस के हम मानी है और इब्ने उयय्ना, अम्र बिन हारिस और इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में ऐतिकाफ़ के लिये ख़ैमे लगवाने वाली अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) के नाम आइशा, हफ़्सा और ज़ैनब (रज़ि.) ज़िक्र किये गये हैं।

फ़वाइद : (1) इस हदीस से साबित होता है कि एक काम देखादेखी किया जाये तो उसमें सिर्फ़ इताअत व नेकी की बजाय कम्पिटिशन और ग़ैरत का एहतिमाल है, औरत मस्जिद में ऐतिकाफ़ बैठ सकती है और मर्द किसी सबब से उसे ऐतिकाफ़ से रोक सकता है और ऐतिकाफ़ की क़ज़ाई, रमज़ान के सिवा दूसरे महीने में भी हो सकती है। **(2)** इमाम औज़ाई, सौरी और लैस (रह.) के नज़दीक ऐतिकाफ़गाह में सुबह की नमाज़ के बाद दाख़िल होगा, गोया ऐतिकाफ़ की शुरूआत सुबह से करेगा, लेकिन अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक मस्जिद में बीस रमज़ान को सूरज के ग़ुरूब से पहले-पहले दाख़िल होगा और ऐतिकाफ़गाह में इक्कीस की सुबह को दाख़िल होगा, क्योंकि आख़िरी अशरे की

पहली रात इक्कीसवीं है, जिसमें लैलतुल क़द्र का एहतिमाल है और इसके बग़ैर अशरा नाक़िस होगा। क़ाज़ी अबू यअ़ला के नज़दीक आप (ﷺ) बीस रमज़ान की सुबह को ऐतिकाफ़गाह में दाख़िल होते थे, अ़ल्लामा सिन्धी ने इसको तरजीह दी है, क्योंकि हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, जब आप ऐतिकाफ़ की निय्यत करते तो सुबह की नमाज़ पढ़कर ऐतिकाफ़गाह में दाख़िल हो जाते।

बाब : 3 रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में जद्दो-जहद करना

باب الاِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

(2787) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रमज़ान का आख़िरी अशरा शुरू हो जाता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) शब बेदारी (रात जागना) फ़रमाते, घर वालों को जगाते और ख़ूब कोशिश करते और कमरे हिम्मत कस लेते।

(सहीह बुख़ारी : 2024, अबू दाऊद : 1376, नसाई : 3/218, इब्ने माजह : 1768)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ ‏.‏

फ़ायदा : रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ फ़रमाते, रात का अक्सर हिस्सा जागकर गुज़ारते और उन रातों में पहले की निस्बत ज़्यादा वक़्त इबादत में गुज़ारते और अज़्वाजे मुतह्हरात को भी शब बेदारी के लिये उठाते, इस तरह इबादत के लिये ख़ूब एहतिमाम करते, शद्दा मिअज़रह का लफ़्ज़ अरबी उस्लूब और मुहावरे के लिहाज़ से दो मानों में इस्तेमाल होता है (1) औरतों से अलग-थलग रहना, जैसाकि अरबी का एक शाइर कहता है : वो ऐसे जंगजू और बहादुर लोग हैं कि लड़ाई के दिनों में औरतों से तहबंद बांध लेते हैं यानी अलग-थलग रहते हैं अगरचे वो हैज़ व निफ़ास से पाक हों। (2) इबादत के लिये कमरे हिम्मत कस लेना और इबादत का ख़ूब एहतिमाम करना।

(2788) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में इस क़द्र जद्दो-जहद और

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ،

قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

सई व कोशिश करते कि बाक़ी दिनों में इस क़द्र मेहनत और कोशिश न करते।
(तिर्मिज़ी : 796, इब्ने माजह : 1767)

باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

बाब : 4 ज़िल्हिज्जा के दस दिनों के रोज़े

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ

(2789) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कभी अशरे ज़िल्हिज्जा के रोज़े रखते नहीं देखा।
(अबू दाऊद : 2439, तिर्मिज़ी : 756)

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ .

(2790) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अशरे ज़िल्हिज्जा के रोज़े नहीं रखे।

फ़ायदा : अशरे ज़िल्हिज्जा से ज़िल्हिज्जा के शुरू 9 दिन मुराद हैं, क्योंकि दस तारीख़ को तो ईदुल अज़्हा होती है। आप (ﷺ) ने किसी सबब से इसके रोज़े छोड़े होंगे वरना इस अशरे में नेक अमल करने की बहुत फ़ज़ीलत है। क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रमाया है कि इन दिनों के मुक़ाबले में दूसरे कोई दिन या अशरा ऐसा नहीं है जिनमें नेक अमल अल्लाह को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हों। (बुख़ारी) और अमले सालेह का लफ़्ज़ आम है, इसमें हर अच्छा और नेक अमल दाख़िल है, वो रोज़ा हो या नमाज़ और ज़िक्र व अज़्कार, तिलावते क़ुरआन हो या सदक़ा व ख़ैरात और पीछे नौ ज़िल्हिज्जा के बारे में रिवायत गुज़र चुकी है कि वो गुज़िश्ता और आइन्दा साल के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाता है और सुनन अबी दाऊद में आप (ﷺ) के नौ ज़िल्हिज्जा को रोज़ा रखने का तज़्किरा मौजूद है। सुनन नसाई में हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) से रिवायत है कि चार काम ऐसे हैं कि नबी (ﷺ) उन्हें छोड़ते नहीं थे, (1) आशूरा (इस दिन) का रोज़ा (2) अशरे ज़िल्हिज्जा का रोज़ा (3) हर माह तीन रोज़े (4) नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअतें।

इस किताब के कुल बाब 102 और 607 अहादीस़ हैं।

16

كتاب الحج

किताबुल हज्ज
हज का बयान

हदीस़ नम्बर 2791 से 3397 तक

हज की अहमियत, फ़ज़ीलत, अक़साम और तआरुफ़

हज इस्लाम का एक रुक्न है। इसकी शुरूआत हज़रत इब्राहीम (अलै.) और हज़रत इस्माईल (अलै.) के हाथों बैतुल्लाह की तामीर के फ़ौरन बाद हो गया था। इरशादे बारी तआला है, 'और ज़ब हमने इब्राहीम के लिये बैतुल्लाह की जगह मुक़र्रर कर दी (और उसे हुक्म दिया) कि तुम मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करो और तवाफ़ करने वालों और क़ियाम करने वालों और रुकूअ और सज्दे करने वालों के लिये मेरा घर पाक रखो और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास हर दूर-दराज़ रास्ते से पैदल (चलकर) और दुबले-पतले ऊँटों पर (सवार होकर) आयेंगे।' (सूरह बक़रह 22 : 26-27)

अल्लाह तआला की इबादत का ये तरीक़ा उस वक़्त से जारी है।

हज किसी एक उम्मत के लिये नहीं था। अल्लाह तआला का इरशाद, 'और लोगों में हज का ऐलान कर दे।' इस बात पर दलालत करता है कि दीने हनीफ़ और इसके मनासिक पूरी इंसानियत के लिये थे। अम्बिया-ए-किराम भी अपने-अपने ज़माने में हज करते रहे। जाहिली दौर में इसमें बहुत सी मुहर्रमात और बिदआत की आमेज़िश (मिलावट) कर दी गई लेकिन किसी न किसी शक्ल में हज क़ायम रहा। जब 9 हिजरी में आप (ﷺ) पर हज फ़र्ज़ हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दीन के बाक़ी उमूर की तरह इसको हक़ीक़ी शक्ल में क़ायम फ़रमाया और इसकी तक्मील के साथ-साथ इसकी तस्हील का भी एहतिमाम किया। इब्राहीम (अलै.) के ज़माने से लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की बिअसत (नबी होने) तक इसके तसलसुल में बहुत सी हिक्मतें पोशीदा हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने अपने आख़िरी रसूल ही के जरिये से सारी इंसानियत के लिये दीने हनीफ़ की तक्मील और तरवीज मुक़द्दर की थी।

अल्लाह तआला के ख़ास इन्तिजाम से बैतुल्लाह और मक्का की हुरमत क़ायम व दायम रही। हज के महीने अशहुरे हुरुम के तौर पर राइज रहे। पूरे अरब में क़ुरैश का एहतिराम मौजूद रहा। जाहिली दौर में महीनों की तक़्दीम व ताख़ीर के ज़रिये से जो ख़राबी डाली गई थी रसूलुल्लाह (ﷺ) की बिअसत के वक़्त ज़माने की गर्दिश इस तरह मुकम्मल हुई कि वो अपनी असली हैयत पर आ गया और उसी पर क़ायम कर दिया गया। (सहीह बुख़ारी : 3197)

हज इस लिहाज़ से इस्लाम का अज़ीमतरीन रुक्न है कि इसमें अल्लाह वह्दहू ला शरीक की इबादत के अलग-अलग तरीक़े इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक अल्लाह के घर में हाज़िरी के लिये सफ़र से शुरू होता है। इसमें नमाज़, एहराम, तवाफ़, सई, वुक़ूफ़, जुह्दे मुसलसल, ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार, दुआ, शैतान और उसकी दावत से बराअत और क़ुर्बानी या रोज़े गोया फ़र्ज़ इबादात के बेश्तर तरीक़े इकट्ठे हो

जाते हैं। इसका अज्र भी इसी हिसाब से बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अल्लाह के लिये हज किया, इसमें न कोई शहवानी हरकत की और न कोई गुनाह किया, वो उसी तरह पाक-साफ़ होकर लौटेगा जिस तरह उस दिन (गुनाहों से पाक) था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था।' (सहीह बुख़ारी : 1521) इसी तरह आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हज्जे मबरूर का सिला जन्नत ही है।' (सहीह बुख़ारी : 1773) हज को हज्जे मबरूर बनाने के लिये कुरआन की तालीमात इस तरह हैं, 'बचते रहो बुतों की गन्दगी से और बचते रहो झूठी बात से, एक अल्लाह के होकर उसके साथ किसी भी तरह का शिर्क न करते हुए और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से गिरा, पस उसको उचकते हैं उड़ने वाले जानदार या उसको हवा किसी दूर के (बदतरीन) मकान में ले जाती है। ये (सब करना बहुत ज़रूरी है) और जो कोई अल्लाह के नाम लगी चीज़ों की तअ़ज़ीम करता है तो ये दिलों के तक़वा में से है।' (सूरह हज 22 : 30-32)

'हज के (लिये आने के) मालूम महीने हैं, फिर जिसने इनमें (अपने लिये) हज लाज़िम कर लिया तो हज के दौरान में न कोई शहवानी हरकत करें, न गुनाह करें न झगड़ा और तुम जो नेक काम करते हो अल्लाह उसे जानता है और ज़ादे राह लिया करो, ज़ादे राह में से बेहतरीन (हिस्सा) तक़वा है। ऐ अक़्ले सलीम रखने वालों! मेरा ही तक़वा इख़्तियार करो।' (सूरह बक़रह 2 : 197)

हज के तीन तरीक़े हैं :

(1) हज्जे तमत्तोअ़ का ज़िक्र कुरआन मजीद में इस तरह हैं, 'जो हज के साथ उ़म्रह मिला कर तमत्तोअ़ करे' (सूरह बक़रह 2 : 196) इसकी सूरत ये है कि हज करने वाला हज के महीनों में सफ़र करे। पहले सिर्फ़ उ़म्रे का एहराम बांधे और मक्का मुकर्रमा आकर तवाफ़ और सई के बाद बाल मुण्डवाये और एहराम खोल दे, फिर हज के मौक़े पर हज के लिये दोबारा एहराम बांधे। इस सूरत में उसे क़ुर्बानी करना होगी। अगर इस्तिताअ़त न हो तो तीन रोज़े हज के दिनों में रखे और सात बाद में।

तमत्तोअ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) का सबसे पसन्दीदा तरीक़-ए-हज है। हज्जतुल वदाअ़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़रे हज के दौरान में उन साथियों को, जो क़ुर्बानी के जानवर अपने साथ नहीं ला रहे थे, तमत्तोअ़ को मुन्तख़ब करने का मशवरा दिया बल्कि पहले हज के एहराम को तब्दील कर के उ़म्रे के एहराम की तल्क़ीन फ़रमाई। (सहीह बुख़ारी : 1691, सहीह मुस्लिम : 2922) मक्का पहुँचकर आपने उन सबको जिनके पास क़ुर्बानी के जानवर न थे, तवाफ़ व सई के बाद एहराम खोल देने (उ़म्रे को हज से अलग अदा कर लेने) का हुक्म दिया। (सहीह मुस्लिम : 2950) कुछ लोगों को ये बात क़ुबूल करने में तरद्दुद हुआ तो आपने इसकी फिर से ताकीद फ़रमाई और इस सिलसिले में बाक़ाइदा ख़ुत्बा भी

इरशाद फ़रमाया। नबी (ﷺ) हमारे दरम्यान खड़े हुए और फ़रमाया, 'तुम जानते हो मैं तुम सबसे बढ़कर अल्लाह का तक़्वा रखने वाला हूँ, तुम सबसे ज़्यादा सच्चा हूँ और नेकी में तुम सबसे बढ़कर हूँ। अगर मेरे (साथ) क़ुर्बानी के जानवर न होते तो मैं भी तुम्हारी तरह एहराम खोल देता। अपने मामले में अगर मैं पहले वही बात देख लेता जो बाद में देखी है तो क़ुर्बानी के जानवर न लाता, इसलिये तुम एहराम खोल दो। (सहीह मुस्लिम : 2943)

आपने इसका फ़ायदा बताते हुए ये भी फ़रमाया, 'अपने हज को उम्रे से अलग कर दो, इससे तुम्हारे हज की भी ज़्यादा तक्मील होती है और तुम्हारे उम्रे की भी।' (सहीह मुस्लिम : 2948)

(2) हज्जे क़िरान ये है कि उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांध कर दोनों को एक साथ अदा करे (दोनों के दरम्यान एहराम न खोले) इसकी दूसरी सूरत ये भी है कि उम्रे का एहराम बांधा जाये लेकिन उम्रे के तवाफ़ से पहले, इसी एहराम से हज का इरादा कर लिया जाये और दोनों को एक साथ अदा किया जाये। कई बार ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, जैसे : एक औरत जिसने तमत्तोअ की सूरत में उम्रे का एहराम बांधा लेकिन तवाफ़ से पहले हैज़ या निफ़ास से दोचार हो गई और वुक़ूफ़े अरफ़ात से पहले उसका पाक होना मुम्किन न हो तो वो अपने एहराम को हज का एहराम बनाते हुए हज्जे क़िरान कर ले, हज के बाक़ी मनासिक अदा करे अल्बत्ता तवाफ़ और सई पाक होने के बाद करे।

इसी तरह वो शख़्स जिसने तमत्तोअ की निय्यत से एहराम बांधा लेकिन किसी वजह से वक़्त पर मक्का में दाख़िल ही न हो सका, वो उसी उम्रे के एहराम में हज को शामिल करके उसे क़िरान की सूरत दे दे। हज्जे क़िरान में वो एहराम की हालत में आते वक़्त या अगर ताख़ीर हो तो बाद में एक ही बार तवाफ़ और सई करके एहराम खोल दे। वो ये भी कर सकता है, ख़ुसूसन उस वक़्त जब हज के फ़ौत होने का ख़तरा हो कि तवाफ़े क़ुदूम की सई, तवाफ़े हज (तवाफ़े इफ़ाज़ा) के बाद तक मुअख़्ख़र कर दे (अगर पहले कर चुका हो तो तवाफ़े इफ़ाज़ा के साथ दोबारा सई करना लाज़िमी नहीं)।

(3) हज्जे इफ़राद (मुफ़रद) : हज का इरादा करने वाला सिर्फ़ हज का एहराम बांधे, मक्का पहुँचकर तवाफ़े क़ुदूम करे, हज की सई करे, एहराम ही में रहे और ईद के दिन एहराम खोल दे। हज्जे क़िरान और हज्जे इफ़राद (मुफ़रद) दोनों में, क़ुर्बानी के सिवा बाक़ी तमाम मनासिक एक जैसे हैं। क़िरान करने वाले के लिये क़ुर्बानी हर हाल में ज़रूरी है जबकि इफ़राद करने वाले के लिये नहीं है।

कुछ हज़रात ने क़ुर्बानी के जानवर साथ न लाने वाले के लिये तमत्तोअ को और अगर उसने क़िरान या इफ़राद के लिये एहराम बांधा है तो उसे फ़स्ख़ करके उम्रह करने और उसके बाद एहराम खोलने को वाजिब क़रार दिया है। इनमें कुछ मुहद्दिसीन, इब्ने हज़्म व दीगर ज़ाहिरिया और शीया शामिल हैं।

जबकि कुछ ने इसे सिरे से मकरूह क़रार दिया है। जुम्हूर सहाबा, अइम्म-ए-अरबआ और दीगर अहले इल्म तमत्तोअ, क़िरान और इफ़राद तीनों के जवाज़ के क़ाइल हैं। अल्बत्ता बनू हाशिम, उलमाए अहले मक्का, उलमाए हदीस तमत्तोअ को ज़्यादा पसन्दीदा (मुस्तहब) कहते हैं। (मज्मूअ फ़तावा लिइब्ने तैमिया : 26/49-52)

जो शख़्स कुर्बानी का जानवर (हदी) लेकर आये उसके लिये क़िरान अफ़ज़ल है। रसूलुल्लाह ने (हदी की वजह से) ख़ुद हज्जे क़िरान किया। हज़रत अबू बकर (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) दोनों ने तमत्तोअ का इल्तिज़ाम नहीं किया। बल्कि उमर (रज़ि.) ने सिर्फ़ इफ़राद का हुक्म दिया था और कुछ लोगों के नज़दीक उन्होंने तमत्तोअ को मम्नूअ (मना) क़रार दिया था। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपने वालिद के इस हुक्म पर अमल करने की बजाय तमत्तोअ ही किया। वो हज़रत उमर (रज़ि.) के मक़सूद को वाज़ेह करते हुए फ़रमाते थे, हज़रत उमर (रज़ि.) की बात का वो मफ़्हूम नहीं जो तुम बयान करते हो, उन्होंने तो ये कहा है, उम्रे को हज से अलग अदा करने में इसकी ज़्यादा तक्मील है या उनकी मुराद ये है कि हज के महीनों में उम्रह करना है तो उसके साथ कुर्बानी करने में उसकी ज़्यादा तक्मील है या फिर उनका मतलब ये है कि हज के महीनों के अलावा भी बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिये लोग आते रहें। तुम लोगों ने उसे हराम समझ लिया और तमत्तोअ करने वालों की सरज़निश शुरू कर दी, हालांकि अल्लाह तआला ने उसे (हज्जे तमत्तोअ को) हलाल किया है और अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इस पर अमल किया है (लोगों से इस पर अमल कराया है)। (मज्मूअ फ़तावा लिइब्ने तैमिया : 26/50)

इमाम मुस्लिम (रह.) ने हज पर तक़रीबन सवा पाँच सौ हदीसें (तादाद सनदों के लिहाज़ से) जमा की हैं। कुछ हदीसों में वो मुतफ़र्रिद (तन्हा) हैं। उनको ख़ूबसूरत तर्तीब देकर उन्होंने हज व उम्रे और इनसे ताल्लुक़ रखने वाले उमूर में रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रामीन और सुनन को बयान किया है।

كتاب الحج

16. हज का बयान

बाब : 1 हज और उम्रह का एहराम बांधने के लिये क्या पहनना जाइज़ है और क्या जाइज़ नहीं है और उसके लिये ख़ुश्बू का इस्तेमाल हराम है

باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ

(2791) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि मुहरिम कौनसे कपड़े पहन सकता है? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'न कुर्ता-क़मीस पहनो और न (सर पर) पगड़ियाँ बांधो, न शलवार या पायजामा पहनो और न बारानी पहनो और न मोज़े पहनो, अगर किसी को जूता मुयस्सर न हो तो वो मोज़े पहन ले और उन्हें टख़्नों से नीचे काट ले और कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे ज़अफ़रान या वर्स लगा हो।'

(सहीह बुख़ारी : 1542, 5803, अबू दाऊद : 1824, नसाई : 5/133, 5/132, इब्ने माजह : 2932)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **मुहरिम :** बैतुल्लाह की हाज़िरी के लिये हज या उम्रह की ख़ातिर, मीक़ात से फ़क़ीराना लिबास पहनकर जाने वाला। (2) **क़ुमुस :** क़मीस की जमा है, अमाइम : अमामह की जमा है पगड़ी। (3) **सरावीलात :** सरावील की जमा है और ये सिरवाल की जमा है, शलवार, पाजामा और इनसे मुराद जिस्मानी साख़्त और वज़अ के मुताबिक़ सिले हुए कपड़े हैं, वो क़मीस, कुर्ता, सदरी, कोट हो या शलवार, पाजामा और पेंट या पतलून। (4) **बरानिस :** बुरनुस की जमा है, वो कोट जिसके

सर पर रखने की टोपी भी सिली हो, बराण्डी या ओवर कोट, अमाइम और बरानिस से इशारा है कि सर पर कोई चीज़ ढांपा नहीं जा सकता, मोज़े या जुराबें पहनना दुरुस्त नहीं है, हाँ अगर जूता और चप्पल वग़ैरह मुयस्सर न हो तो फिर उसको टख़्नों के नीचे से काट कर पहना जा सकता है। **(6) ज़अफ़रान :** मअरूफ़ चीज़ है और वर्स एक ख़ुश्बूदार, ज़र्द बूटी है, मक़सूद ये है कि हालते एहराम में ख़ुश्बू इस्तेमाल नहीं की जा सकती और न खुश्बूदार कपड़ा या तेल इस्तेमाल किया जा सकता है।

फ़ायदा : सवाल करने वाले ने उन कपड़ों के बारे में सवाल किया था जो मुहरिम पहन सकता है, लेकिन आप (ﷺ) ने जवाब ये दिया कि फ़लाँ-फ़लाँ कपड़े न पहने। तो इस तरह आपने जवाब में इस तरफ़ इशारा किया कि पूछने की बात ये नहीं कि मुहरिम कौनसे कपड़े पहने, बल्कि ये पूछना चाहिये था कि किस क़िस्म के कपड़े नहीं पहनने चाहिये। क्योंकि मम्नूअ कपड़े कुछ ही हैं और जो पहने जा सकते हैं, वो बेशुमार हैं। सिले हुए कपड़े मर्दों के लिये जाइज़ नहीं हैं, लेकिन औरतों के लिये उनकी मुमानिअत नहीं है, हाँ ख़ुश्बू की मुमानिअत है। वो मोज़े पहन सकती है लेकिन दस्तिाने इस्तेमाल नहीं कर सकती और न मुँह पर नक़ाब डाल सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अजनबी मर्दों के सामने खुले चेहरे फिरती रहे। जैसाकि आज-कल ये फेशन बन चुका है, अजनबी मर्दों का सामना हो तो वो अपनी चादर से या किसी और चीज़ से ओट कर ले जैसाकि सुनन अबी दाऊद में हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है कि 'जब हमारे सामने से मर्द गुज़रते तो हम अपनी चादर सर के ऊपर से लटका लेती थीं और इस तरह पर्दा करती थीं और जब मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थीं।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ " لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " .

(2792) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप (इब्ने उमर रज़ि.) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) से पूछा गया, मुहरिम किस क़िस्म का लिबास पहन सकता है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुहरिम क़मीस न पहने, अमामा न बांधे, न बरानी (बरसाती) पहने न शलवार-पाजामा पहने और न ऐसा कपड़ा पहने जिसे वर्स या ज़अफ़रान लगा हो और न मोज़े पहने, अगर वो जूते न पाये तो मोज़े पहन ले और उन्हें टख़्नों के नीचे से काट ले।'

(सहीह बुख़ारी : 2806, अबू दाऊद : 1823, नसाई : 5/129)

(2793) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहरिम को ज़अफ़रान और उससे रंगे हुए कपड़े पहनने से मना फ़रमाया और फ़रमाया, 'जिसके पास जूते न हों तो मोज़े पहन ले और उन्हें टख़नों के नीचे से काट ले।'
(सहीह बुख़ारी : 5852, नसाई : 5/129, इब्ने माजह : 2932)

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

(2794) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, वो ख़ुत्बा देते हुए फ़रमा रहे थे, 'शलवार या पाजामा उसके लिये है जिसे तहबंद न मिले और मोज़े उसके लिये हैं जिसे जूते मुयस्सर न हों।' यानी जब वो मुहरिम हो।
(सहीह बुख़ारी : 1841, 1843, 5804, 5853, तिर्मिज़ी : 834, नसाई : 8/205, 206, 5/135, इब्ने माजह : 2931)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ " السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ " . يَعْنِي الْمُحْرِمَ .

(2795) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से अम्र बिन दीनार ही की सनद से बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (ﷺ) से अरफ़ात के ख़ुत्बे में ये बातें सुनी थीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ . فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ .

(2796) इमाम साहब अपने पाँच और उस्तादों से अम्र बिन दीनार ही की सनद से बयान करते हैं, शोबा के सिवा किसी ने भी अरफ़ात के ख़ुत्बे का तज़्किरा नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ . غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ .

(2797) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके पास जूते न हों वो मोज़े पहन ले और जिस शख़्स के पास चादर न हो तो वो शलवार पहन ले।'

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ " .

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हदीस में मोज़े काटने का ज़िक्र नहीं है, इसलिये इमाम अहमद के नज़दीक मोज़े काटना दुरुस्त नहीं है बल्कि माल का ज़ाया करना है लेकिन बाक़ी अइम्मा और मुहद्दिसीन के नज़दीक काटने की वज़ाहत इब्ने उमर की रिवायत में मौजूद है। इसलिये इब्ने अब्बास और जाबिर (रज़ि.) बिला क़ैद (मुत्लक़) हदीस, इब्ने उमर (रज़ि.), की क़ैद वाली हदीस पर अमल (महमूल) होगी और शरई हुक्म माल का ज़ाया नहीं है, लेकिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत सुनन नसाई में मौजूद है और उसमें काटने का हुक्म है और इसी तरह औसत लित्तबरानी में हज़रत जाबिर की रिवायत में भी काटने का हुक्म है लिहाज़ा तमाम रिवायात में काटने का तज़्किरा मौजूद है इसलिये इब्ने उमर की रिवायत को मन्सूख़ क़रार देना दुरुस्त नहीं है। जो शख़्स बग़ैर काटे मोज़े पहनेगा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसको फ़िद्या देना होगा और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक उसका फ़िद्या नहीं है। इसी तरह अगर तहबंद न मिले तो शलवार सिलाकर के चादर की तरह बनाना होगा, वरना इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक दम लाज़िम आयेगा। इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक फ़िद्या नहीं है।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ، بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، -رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ - أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْىُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ - قَالَ - فَقَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - كَغَطِيطِ الْبَكْرِ - قَالَ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ " .

(2798) हज़रत सफ़वान बिन लैला बिन उमय्या अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास एक आदमी आया, जबकि आप (ﷺ) जिअराना में थे, वो एक जुब्बा (लम्बा कोट) पहने हुए था। जिस पर एक मख़्लूत ख़ुश्बू लगी हुई थी या उस पर ज़र्दी का असर था, तो उसने आपसे पूछा, आप मुझे मेरे उम्रे में क्या करने का हुक्म देते हैं? रावी कहते हैं, आप पर वह्य का नुज़ूल होने लगा और आपको एक कपड़े से ढांप दिया गया और यअ़ला (रज़ि.) कहते हैं, मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं नबी (ﷺ) को इस हाल में देखूं कि आप पर वह्य नाज़िल हो रही हो। यअ़ला कहते हैं, उमर (रज़ि.) ने कहा, क्या तुझे ये पसंद है कि तू नबी (ﷺ) को देखे जबकि आप पर वह्य उतर रही हो? फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कपड़े का किनारा उठाया तो मैंने आपको देखा, आप ख़र्राटे ले रहे थे। सफ़वान कहते हैं, मेरा ख़याल है उन्होंने कहा, जैसे जवान ऊँट ख़र्राटे लेता है, जब आपकी ये कैफ़ियत दूर हुई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उम्रह के बारे में पूछने वाला कहाँ है? अपने से ज़र्दी की छाप दूर कर दे या ख़लूक़ मख़्लूत ख़ुश्बू का असर ज़ाइल कर दे और अपना जुब्बा उतार दे और अपने उम्रे में इस तरह करे जिस तरह अपने हज में करते हो।'

(सहीह बुख़ारी : 1536, 1789, 4329, 4985, 1847, अबू दाऊद : 1819, 1820, 1821, 1822, तिर्मिज़ी : 836, नसाई : 5/130, 142, 143)

फ़वाइद : (1) इस हदीस से इमाम शाफ़ेई, इमाम इस्हाक़ और इमाम दाऊद (रह.) ने ये इस्तिदलाल किया है कि अगर कोई इंसान जहालत व नावाक़िफ़ियत से या भूलकर ख़ुश्बूदार कपड़ा पहन ले तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं है, इल्म होते ही उसे फ़ौरन ऐसा कपड़ा उतार देना चाहिये, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक उस पर फ़िद्या है और इमाम अहमद से दोनों अक़्वाल मन्क़ूल हैं, इमाम इब्ने क़ुदामा ने अद्मे कफ़्फ़ारा के क़ौल को तरजीह दी है, ख़लूक़ उस ख़ुश्बू को कहते हैं जिसमें ज़अफ़रान वग़ैरह की आमेज़िश हो। (2) इस हदीस से साबित होता है कि आप (ﷺ) पर वह्य क़ुरआन के अलावा भी उतरती थी जो सुन्नत में महफ़ूज़ है। फ़र्क़ ये है कि अगर आप पर अल्फ़ाज़ और मआनी दोनों का नुज़ूल होता तो उस वह्य को क़ुरआन की सूरत में महफ़ूज़ किया जाता था और ये वह्य मतलू कहलाती है क्योंकि इसको नमाज़ में पढ़ा जाता है, अगर सिर्फ़ मआनी और मफ़ाहीम व मतालिब का नुज़ूल होता या अल्फ़ाज़ का नुज़ूल होता लेकिन उनकी तिलावत का हुक्म न होता और न कि क़ुरआनी शक्ल मिलती तो वह्य ग़ैर मतलू कहलाती और हदीसे नबवी या हदीसे क़ुदसी की शक्ल में महफ़ूज़ की जाती। जिअराना में आप ग़ज़्व-ए-ताइफ़ से वापसी के वक़्त ठहरे हुए थे ये आठ हिजरी ज़िल्क़अदा का वाक़िया है।

(2799) हज़रत सफ़वान बिन यअला अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास जबकि आप (ﷺ) जिअराना में थे, एक आदमी आया और मैं नबी (ﷺ) के पास हाज़िर था, वो सिले हुए कपड़े यानी जुब्बा पहने हुए था और वो ख़लूक़ से लत-पत था तो उसने कहा, मैंने उम्रह का एहराम बांधा है और मैंने उसे पहना हुआ है और मैं ख़ुश्बू से बसा हुआ हूँ। तो नबी (ﷺ) ने इसे फ़रमाया, 'तुम हज में क्या करते' उसने कहा, मैं इन कपड़ों को उतार देता और अपने आपसे उस ख़ुश्बू (ख़लूक़) को धो डालता तो नबी (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'जो कुछ तुम हज की हालत में करते हो वही अपने उम्रह के लिये करो।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ، يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ - يَعْنِي جُبَّةً - وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَىَّ هَذَا وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ " . قَالَ أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मुक़त्तआत : काटकर, अलग-अलग करके, जिस्म के मुताबिक़ सिले हुए। (2) मुतज़म्मिख़ : लतपत, कसरत से इस्तेमाल किये हुए।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि वो इंसान हज के आदाब व अहकाम से वाक़िफ़ था, इसलिये उसको इतना बताना ही काफ़ी था कि उस तरह करो जिस तरह हज में करते हो।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ . فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْىُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَالَ . فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى

(2800) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं कि सफ़वान बिन यअ़ला बिन उमय्या ने अ़ता को बताया कि यअ़ला (रज़ि.) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से कहते थे कि काश मैं अल्लाह के नबी (ﷺ) को उस वक़्त देखूं जब आप (ﷺ) पर वह्य नाज़िल हो रही हो। तो जब नबी (ﷺ) जिइ़राना में थे, और नबी (ﷺ) को एक कपड़े का साया किया गया था और आपके कुछ साथी आपके साथ थे, जिनमें उ़मर (रज़ि.) भी थे। अचानक आपके पास एक आदमी आया, जो जुब्बा पहने हुए था और ख़ुश्बू से लतपत था। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपका उस इंसान के बारे में क्या इरशाद है, जिसने उ़म्रह का एहराम एक जुब्बे में ख़ुश्बू से मुअ़त्तर होकर बांधा? कुछ वक़्त आप (ﷺ) ने उसे देखा, फिर ख़ामोश हो गये और आप पर वह्य का नुज़ूल शुरू हो गया। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अपने हाथ से यअ़ला बिन उमय्या (रज़ि.) को इशारे से कहा, आओ। तो यअ़ला (रज़ि.) आ गये और अपना सर (कपड़े के) अंदर दाख़िल कर दिया। नागहाँ नबी (ﷺ) का चेहरा सुर्ख़ (लाल) था, कुछ वक़्त तक आप खर्राटे लेते

الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ " أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا " . فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ" .

रहे फिर ये कैफ़ियत दूर हो गई तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कहाँ है वो जिसने अभी मुझसे उम्रह के बारे में पूछा था?' उस आदमी को तलाश करके लाया गया तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो ख़ुश्बू जो तेरे जिस्म पर है, उसको तीन बार धो डालो और जुब्बे को उतार दो, फिर अपने उम्रह में वही काम करो जो अपने हज में करते हो।'

وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، -وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَيْسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ، يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى . فَقَالَ " انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ " .

(2801) सफ़वान बिन यअ़ला बिन उमय्या (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक आदमी आपके पास आया, जबकि आप जिअ़राना में थे। उसने उम्रह का एहराम बांधा हुआ था, उसके दाढ़ी और सर के बाल ज़र्द रंग से रंगे हुए थे और वो जुब्बा पहने हुए था। उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उम्रह का एहराम बांधा है और आप (ﷺ) मेरी हालत देख रहे हैं। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपना जुब्बा उतार दो और अपने से ज़र्दी को धो डालो और जो कुछ तुम अपने हज में करते, तो वही अपने उम्रह में करो।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً،

(2802) सफ़वान बिन यअ़ला बिन उमय्या (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे तो आपके पास एक आदमी जुब्बा पहने हुए आया, जिस पर

قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ يُظِلُّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ - رضى الله عنه - إِنِّي أُحِبُّ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ ‏.‏ فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ - رضى الله عنه - بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ ‏"‏ أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ ‏"‏ انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجِّكَ ‏"‏ ‏.‏

ख़लूक़ का असर था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उम्रह का एहराम बांधा है तो मैं कैसे करूँ? आप (ﷺ) इससे ख़ामोश हो गये और उसे कोई जवाब न दिया और जब आप पर वह्य उतरती तो हज़रत उमर (रज़ि.) आपको ओट करते, आप पर साया करते। तो मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा, मैं चाहता हूँ, जब आप (ﷺ) पर वह्य का नुज़ूल हो तो मैं आपके साथ कपड़े में अपना सर दाख़िल करूँ। तो जब आप पर वह्य का नुज़ूल शुरू हुआ, हज़रत उमर (रज़ि.) ने कपड़े से आपको ढांप दिया। मैं आपके पास आया और आपके साथ कपड़े में अपना सर दाख़िल कर दिया और मैंने आपको देखा, जब आपसे ये कैफ़ियत ज़ाइल (ख़त्म) हो गई तो आपने फ़रमाया, 'अभी उम्रह के बारे में सवाल करने वाला कहाँ है?' आपके पास वो आदमी आया, इस पर आपने फ़रमाया, 'अपना जुब्बा अपने से उतार दो और तुझ पर जो ख़लुक़ का असर (निशान) है उसको धो डालो और अपने उम्रह में वही काम करो जो तुम अपने हज में करते हो।'

باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

बाब 2 : हज और उम्रह के मीक़ात

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ

(2803) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले मदीना के लिये ज़ुल्हुलैफ़ा मीक़ात मुक़र्रर किया और अहले शाम के लिये जुहफ़ा,

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ولأَهْلِ نجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ . قال " فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا " .

अहले नजद के लिये कर्ने मनाज़िल, अहले यमन के लिये यलम्लम। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये चारों मीक़ात उन इलाक़ों के रहने वालों के लिये हैं और उन सब लोगों के लिये जो दूसरे इलाक़ों से इन मक़ामात से गुज़रें, जिनका इरादा हज या उम्रह का हो, पस जो लोग इन मक़ामात के अंदर हों तो वो अपने घर ही से एहराम बांधेंगे और ये क़ाइदा इस तरह चलेगा, यहाँ तक कि अहले मक्का, मक्का ही से एहराम बांधेंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 1526, 1529, अबू दाऊद : 1738, नसाई : 5/126)

फ़ायदा : तौक़ीत का मानी मुक़र्रर करना या तअयीन व तहदीद करना है और शरीअत ने हज के लिये दो क़िस्म के मीक़ात मुक़र्रर किये हैं। (1) मीक़ाते ज़मानी : वो महीने जिनसे पहले हज के लिये एहराम बांधना बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ नहीं है, शव्वाल, ज़िल्क़अदा और ज़िल्हिज्जा इनको अशहुरुल हज्ज कहा जाता है। (2) मीक़ाते मकानी : वो मक़ामात जहाँ से हज और उम्रह के लिये एहराम बांधे बग़ैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन उनसे पहले जुम्हूर के नज़दीक एहराम बांधना जाइज़ है। इमाम इस्हाक़ और दाऊद के नज़दीक जाइज़ नहीं। कुछ अहनाफ़ व शवाफ़ेअ के नज़दीक ये बेहतर है और इमाम मालिक के नज़दीक उनसे पहले एहराम बांधना मकरूह है और ये मीक़ात बिल्इत्तिफ़ाक़ पाँच हैं। (1) ज़ुल्हुलैफ़ा : जो मक्का से सबसे ज़्यादा दूर मीक़ात है और मदीना से सिर्फ़ दस किलोमीटर के फ़ासले पर है और अब मदीना की आबादी यहाँ तक पहुँच चुकी है। (2) जुहफ़ा : जो बहरे अहमर से दस किलोमीटर दूर है और बेआबाद जगह है और वादी जमूम के राह से मक्का मुकर्रमा से 186 किलोमीटर दूर जगह है। अब लोग राबिग़ जो एक बहुत बड़ा शहर है, से एहराम बांधते हैं। अहले लबनान, अहले शाम, उर्दुन, फ़िलिस्तीन, मिस्र, सूडान, अफ़्रीक़ा के लोग यहीं से एहराम बांधते हैं। (3) क़र्ने मनाज़िल : जो मक्का मुकर्रमा से सबसे क़रीबी मीक़ात है और तक़रीबन 30 मील के फ़ासले पर है या 45 किलोमीटर है। (4) यलम्लम : जो मक्का के जुनूब में तिहामा की एक पहाड़ी है और मक्का से चालीस मील के फ़ासले पर है। (5) ज़ाते इर्क़ : मक्का मुअज़्ज़मा से शिमाल मश्रिक़ में इराक़ से जाने वाले रास्ते पर 50 मील के फ़ासले पर है।

ये पाँचों मीक़ात उन इलाक़ों के बाशिन्दों के लिये हैं और उनके अलावा दूसरे तमाम इलाक़ों के उन लोगों के लिये हैं जो हज और उम्रह के लिये उनसे गुज़रें और जो लोग उनसे दूर से गुज़रें, वो

उनके महाज़ात (मुक़ाबले) में जहाँ से गुज़रे हैं, एहराम बांधें और जिन लोगों का घर, मीक़ात के अंदर वाक़ेअ है उनका मीक़ात उनका घर ही है यहाँ तक कि अहले मक्का अपने घर ही से एहराम बांधेंगे।

जुम्हूर के नज़दीक हज के लिये जाने वाला अगर एहराम बांधे बग़ैर उन मक़ामात से गुज़र जाये और एहराम बांधने के लिये वापस न आये तो उस पर दम लाज़िम है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तल्बिया कहते हुए वापस आयेगा, इमाम मालिक के नज़दीक क़रीब हो तो वापस आयेगा और इमाम अहमद के नज़दीक वापस आने की सूरत में भी दम देना होगा, इमाम इब्ने हज़म के नज़दीक एहराम के बग़ैर गुज़रने वाले का हज नहीं होगा। जो लोग मीक़ात और मक्का के दरम्यान रहते हैं, उनके लिये अपने घर से एहराम बांधना ज़रूरी है, ताख़ीर की सूरत में दम देना पड़ेगा, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक हरम से पहले-पहले एहराम बांधना किफ़ायत कर जायेगा, इस तरह अहले मक्का के लिये मक्का से एहराम बांधना लाज़िम है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक आख़िर हिल्ल तक ताख़ीर जाइज़ है और ये बात सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर एक मीक़ात वाला, दूसरे मीक़ात के इलाक़े में चला जाये तो उसको उस मीक़ात से एहराम बांधना चाहिये, अपने मीक़ात तक मुअख़्ख़र नहीं करना चाहिये। जैसे शामी आदमी मदीना आ गया है तो उसे ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधना होगा, जुहफ़ा तक मुअख़्ख़र नहीं कर सकता। अगर ताख़ीर करेगा तो जुम्हूर के नज़दीक गुनाहगार होगा और दम पड़ेगा, अगरचे कुछ अइम्मा के नज़दीक ताख़ीर ख़िलाफ़े अफ़ज़ल है, लेकिन जाइज़ है और अहले मक्का को उम्रह के लिये एहराम के लिये अइम्मए अरबआ के नज़दीक हरम से हिल्ल में निकलना होगा और बक़ौले अल्लामा सिन्धी इमाम बुख़ारी के नज़दीक हिल्ल में निकलने की ज़रूरत नहीं है, हज और उम्रह दोनों के लिये मीक़ात मक्का ही है।

(2804) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अहले मदीना के लिये ज़ुल्हुलैफ़ा को, अहले शाम के लिये जुहफ़ा को, अहले नजद के लिये क़र्ने मनाज़िल को और अहले यमन के लिये यलम्लम को मीक़ात मुक़र्रर किया और आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये मक़ामात उन इलाक़ों के बाशिन्दों के लिये हैं और उन लोगों के लिये भी हैं जो हज और उम्रह के इरादे से दूसरी जगहों से इन मक़ामात पर आयें और जो लोग उन मवाक़ीत के अंदर हैं तो वो

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ " .

जहाँ से चलें एहराम बांध लें यहाँ तक कि मक्का के बाशिन्दे मक्का से एहराम बांधेंगे।' (सहीह बुख़ारी : 1524, 1530, 1845, नसाई : 5/123, 5/126)

फ़ायदा : इमाम शाफ़ेई (रह.) ने मिम्मन अरादल हज्ज वल्उम्रह जो हज और उ़म्रह का इरादा करे, से ये इस्तिदलाल किया है कि जो शख़्स हज या उ़म्रह के इरादे के बग़ैर इन मक़ामात से गुज़रता है, जैसे किसी ज़रूरत या तिजारत या किसी से मुलाक़ात के लिये मक्का जाना चाहता है तो उसके लिये एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। इमाम इब्ने हज़्म और इब्ने तैमिया ने भी इसी मौक़िफ़ को इख़्तियार किया है। इमाम अहमद का एक क़ौल यही है और बक़ौले साहिबे तैसीरुल अ़ल्लाम जो लोग हिल्ल से मक्का में बार-बार आते-जाते हैं, जैसे लकड़हारे, सब्ज़ी और फल बेचने वाले, मुलाज़िम और मज़दूर उनके लिये इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा तमाम अइम्मा के नज़दीक एहराम बांधे बग़ैर आना-जाना जाइज़ है। सही बात यही मालूम होती है कि जो लोग मवाक़ीत के अंदर रहते हैं और उन्हें हर रोज़ मक्का में आना-जाना होता है उनके लिये एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है लेकिन जो लोग मवाक़ीत से बाहर से आते हैं और उन्हें कभी-कभार उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें बग़ैर एहराम बांधे उन मक़ामात से नहीं गुज़रना चाहिये। जिस तरह अहले मक्का अगर अपनी ज़रूरियात के लिये मक्का से बाहर जायें और फिर एहराम बांधे बग़ैर मक्का में दाख़िल हों तो ये बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है, इसी तरह ज़रूरतमन्द अगर मक्का में दाख़िल हों तो उन पर भी बिल्इत्तिफ़ाक़ एहराम की पाबंदी नहीं होनी चाहिये। अ़ल्लामा सरख़ंसी के बयान से मालूम होता है, अहनाफ़ का भी यही मौक़िफ़ है। इसलिये इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ मवाक़ीत से बाहर से आने वालों के लिये है, इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक और अहमद के नज़दीक मीक़ात से बाहर के लोग किसी सूरत में एहराम बांधे बग़ैर उन मक़ामात से गुज़र नहीं सकते और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ये पाबंदी सिर्फ़ उन लोगों के लिये है जो हज या उ़म्रह करना चाहते हैं, दूसरों के लिये ये पाबंदी नहीं है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، -رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ

(2805) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले मदीना ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधें, शाम वाले जुहफ़ा से और नजद के लोग कर्न मनाज़िल से।' हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का क़ौल है कि मुझे दूसरों से मालूम हुआ कि

مِنْ قَرْنٍ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले यमन एहराम यलम्लम से बांधें।'

(सहीह बुखारी : 1525, अबू दाऊद : 1737, नसाई : 5/122, इब्ने माजह : 2914)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عمر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

(2806) हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना के लोग ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधें, अहले शाम जुहफ़ा से एहराम बांधें और अहले नजद क़र्ने मनाज़िल से एहराम बांधें।' हज़रत इब्ने उमर (रज़ि:) कहते हैं, मुझे बताया गया और मैंने ख़ुद नहीं सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले यमन यलम्लम से एहराम बांधें।'

(सहीह बुख़ारी : 1528)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ - قَالَ " وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ " .

(2807) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले मदीना के लिये एहराम बांधने की जगह ज़ुल्हुलैफ़ा है, अहले शाम के लिये एहरामगाह महयआ यानी जुहफ़ा है और अहले नजद के लिये एहरामगाह क़र्ने है।' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया जबकि मैंने आप (ﷺ) से नहीं सुना, 'अहले यमन के लिये मीक़ात यलम्लम है।'

(2808) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया, अहले मदीना ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधें, अहले शाम जुहफ़ा से और अहले नजद क़र्न से। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, मुझे बताया गया कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले यमन एहराम यलम्लम से बांधें।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " .

(2809) अबू ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उनसे एहरामगाह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने सुना है, फिर अबू ज़ुबैर रुक कर कहने लगा, मेरा ख़याल है जाबिर (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से सुना।
(सहीह बुख़ारी : 1527, नसाई : 5/125)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ سَمِعْتُ - ثُمَّ، انْتَهَى فَقَالَ أُرَاهُ يَعْنِي - النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

(2810) अबू ज़ुबैर कहते हैं, मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उनसे एहरामगाह के बारे में पूछा गया, मेरा गुमान है जाबिर ने उसकी निस्बत नबी (ﷺ) की तरफ़ की कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अहले मदीना के लिये एहराम बांधने की जगह ज़ुल्हुलैफ़ा है और दूसरा रास्ता जुहफ़ा है और अहले इराक़

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، - قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، -أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ، فَقَالَ

سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ، رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ " مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ والطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " .

के लिये एहराम बांधने की जगह ज़ाते इर्क़ है और अहले नजद के लिये एहरामगाह क़र्न मनाज़िल है और अहले यमन के लिये एहरामगाह यलम्लम है।'

फ़ायदा : अत्तरीक़ुल आख़िर से मुराद कुछ हज़रात के नज़दीक ये है कि अहले मदीना अगर दूसरे रास्ते से मक्का मुअ़ज़्ज़मा जायें तो वो जुहफ़ा से एहराम बांध सकते हैं और कुछ शारेहीन का ख़याल है इससे मुराद दूसरे रास्ते वाले हैं यानी अहले शाम जिनका मीक़ात जुहफ़ा है जबकि दूसरी रिवायात में गुज़र चुका है।

तम्बीह : ज़ाते इर्क़ के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि ये मीक़ात अहले इराक़ के लिये नबी (ﷺ) ने मुक़र्रर फ़रमाया है या इसकी तअ़यीन अहले इराक़ के पूछने पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने इज्तिहाद से की थी, अइम्मा दोनों तरफ़ गये हैं।

باب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

बाब 3 : तल्बिया, उसकी कैफ़ियत और उसका वक़्त

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ تَلْبِيَةَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

(2811) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इस तरह तल्बिया कहते थे, लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल् हम्द वन्निअ़्म-त लक वल्मुल्क ला शरीक लक 'मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, सारी हम्द व तारीफ़ का हक़दार तू ही है और सारी नेमतें तेरी ही हैं और सारी कायनात पर फ़रमां रवाई भी तेरी ही है, तेरा कोई शरीक व सहीम नहीं।' और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर

(रज़ि.) इस तल्बिया में इन कलिमात का इज़ाफ़ा करते थे, मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरी इताअत के लिये तैयार हूँ, हर क़िस्म की ख़ैर तेरे हाथों में है, मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, मैं तेरी ही तरफ़ राग़िब हूँ और अमल तेरी ही तौफ़ीक़ से तेरी ही ख़ुश्नूदी के लिये है।

(सहीह बुख़ारी : 1549, अबू दाऊद : 1812, नसाई : 5/160)

मुफ़रदातुल हदीस़ : लब्बैक और सअ़्दैक : तकरार और कस़रत के लिये इस्तेमाल होते हैं, मक़सद ये है कि तेरी इताअत व इबादत के लिये हर वक़्त तैयार और हाज़िर हूँ।

फ़वाइद : (1) शारेहीने हदीस़ के क़ौल के मुताबिक़, अल्लाह तआला ने अपने ख़लील इब्राहीम (अलै.) के ज़रिये अपने बन्दों को हज के लिये बुलावा दिलवाया था तो हज के लिये जाने वाला बन्दा जब एहराम बांध कर ये तल्बिया पढ़ता है तो गोया वो इब्राहीम (अलै.) की पुकार और अल्लाह तआला के बुलावे के जवाब में अ़र्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह! तूने अपने घर की हाज़िरी के लिये अपने ख़लील से निदा दिलवाई थी तो मैं हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ और इस हाज़िरी के लिये बार-बार तैयार हूँ। **(2)** जुम्हूर के नज़दीक तल्बिया के उन्हीं अल्फ़ाज़ पर किफ़ायत करना बेहतर है जो आपसे स़ाबित हैं, अगरचे उन पर दुआइया और तअ़ज़ीम के कलिमात का इज़ाफ़ा जाइज़ है क्योंकि आपके सामने कुछ कलिमात का इजाफ़ा किया गया तो आपने उन पर ऐतिराज़ नहीं किया, लेकिन ख़ुद उन कलिमात पर इज़ाफ़ा नहीं किया। **(3)** इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक तल्बिया कहना सुन्नत व फ़ज़ीलत वाला अ़मल है, इसके छोड़ देने से कुछ लाज़िम नहीं आता। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक तल्बिया वाजिब है, इसके छोड़ने से दम लाज़िम आयेगा, कुछ हज़रात के नज़दीक तल्बिया वाजिब है लेकिन अगर एहराम की निय्यत से तकबीर व तहलील और तस्बीह कह ले तो किफ़ायत हो जायेगी। इमाम स़ौरी, अहले ज़ाहिर और इमाम अबू हनीफ़ा के एक क़ौल की रू से तल्बिया एहराम का रुक्न है, जिस तरह तकबीरे तहरीमा नमाज़ का रुक्न है, इसके बग़ैर एहराम नहीं होगा।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ

(2812) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी जब मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा के पास आपको लेकर सीधी खड़ी होती तो आप (ﷺ)

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَنَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه - يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

इस तरह तल्बिया कहते, 'लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल् हम्द वन्निअ्म-त लक वल्मुल्क ला शरीक लक मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई साझी नहीं, मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, तमाम तारीफ़ात और हर क़िस्म की नेमतें तेरी ही हैं और इक़्तिदार और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं है।'

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) फ़रमाते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) का तल्बिया यही है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के शागिर्द नाफ़ेअ़ कहते हैं, अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) इन कलिमात पर ये इज़ाफ़ा करते थे, मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, मैं तेरी इताअ़त की सआ़दत के हुसूल के लिये हर वक़्त तैयार हूँ और हर क़िस्म की ख़ैर तेरे हाथों में है और मैं तेरा ही सवाली हूँ और अ़मल तेरी ही तौफ़ीक़ और तेरी ही रज़ा के लिये है।

(सहीह बुख़ारी : 1541, अबू दाऊद : 1771, तिर्मिज़ी : 818, नसाई : 5/163)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

(2813) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने तल्बिया रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान ही से सीखा है, आगे मज़्कूरा बाला हदीस है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : अहल्ल : चाँद देखकर बुलंद आवाज़ लगाने को एहलाल कहते हैं, इसी तरह बच्चे के रोने को भी एहलाल कहते हैं और ग़ैरुल्लाह के लिये कोई चीज़ नामज़द करने के लिये कहते हैं, अहल्ल लिग़ैरिल्लाह अल्लाह के सिवा के लिये इसको नामज़द किया और अहल्ल बिल्हज्ज का मानी होता है, हज के लिये तल्बिया कहना, चूंकि एहराम बांधने के वक़्त तल्बिया कहा जाता है, इसलिये एहराम बांधने को भी एहलाल से ताबीर कर देते हैं।

फ़ायदा : तल्बिया कहने के बारे में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ने के बाद मुत्तसिलन तल्बिया कहा, लेकिन इसका इल्म सिर्फ़ उन चंद लोगों को हो सका जो वहाँ आप (ﷺ) के क़रीब मौजूद थे, उसके बाद जब आप मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा के पास ऊँटनी पर सवार हुए और ऊँटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हुई तो आपने फिर दोबारा तल्बिया कहा, जिन लोगों ने आपका पहला तल्बिया नहीं सुना था तो उन्होंने समझा, आपने तल्बिया पहली बार नाक़ा (ऊँटनी) पर सवार होकर कहा, फिर जब नाक़ा चल पड़ी और मक़ामे बैदा पर पहुँची तो फिर आपने तीसरी बार तल्बिया पढ़ा, जिन लोगों ने पहला और दूसरा तल्बिया आपसे नहीं सुना था तो उन्होंने ये समझा कि आपने तल्बिया का आग़ाज़ मक़ामे बैदा पर पहुँच कर किया। असल हक़ीक़त ये है कि एहराम के बाद हर नये मोड़ और नये मरहले पर तल्बिया कहा जायेगा और उसके साथ सुबह व शाम और दूसरे मौक़ों पर मसनून दुआएँ और तकबीरात व तहमीदात भी पढ़ी जायेंगी। मर्द तल्बिया बुलंद आवाज़ से कहेंगे और औरतें आहिस्ता आवाज़ से। तल्बिया हर हालत में कहा जायेगा, तल्बिया कहने वाला पाक हो या नापाक।

(2814) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तल्बिया कहते हुए इस हाल में सुना कि आपके सर के बाल (गूंद वग़ैरह) से जमे हुए थे। आप फ़रमा रहे थे, 'मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई साझी नहीं, मैं हाज़िर हूँ, तमाम तारीफ़ात व सताइश, सब नेमतें और बादशाही तेरे ही लिये हैं, तेरा कोई शरीक नहीं।' हुज़ूर (ﷺ) इन कलिमात पर इज़ाफ़ा नहीं फ़रमाते थे और हज़रत

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ . وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुल्हुलैफ़ा में दो रकअत नमाज़ पढ़ते, फिर जब आप (ﷺ) की ऊँटनी, मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा के पास आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने इन कलिमात के साथ तल्बिया कहा और अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के तल्बिया के कलिमात से तल्बिया कहते थे और (बाद में) कहते मैं तेरे सामने हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ और तेरी इताअत की सआदत के लिये हाज़िर हूँ, सारी ख़ैर तेरे हाथों में है, मैं हाज़िर हूँ, रग़बत तेरी तरफ़ है और अमल तेरे ही लिये है।

(सहीह बुख़ारी : 1540, 5915, अबू दाऊद : 1747, नसाई : 5/159, इब्ने माजह : 3047)

الله عنهما - كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अपने बाप की इक़्तिदा में, आप (ﷺ) के तल्बिया पर कुछ कलिमात का इज़ाफ़ा करते थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) की रिवायत से मालूम हुआ कि हुज़ूर (ﷺ) मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा में दो रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद, वहीं अपनी नाक़ा (ऊँटनी) पर सवार होकर जब नाक़ा आप (ﷺ) को लेकर सीधी खड़ी हुई, तल्बिया कहा, गोया उस वक़्त से आप मुहरिम हुए, असल हक़ीक़त हम ऊपर बयान कर चुके हैं।

(2815) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मुश्रिकीने मक्का कहते थे, हम तेरे हुज़ूर हाज़िर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाते, 'तुम बर्बाद हो, यहीं रुक जाओ, बस करो।' लेकिन वो आगे कहते, मगर वो शरीक जो तेरा ही है तू ही उसका और उसकी मम्लूका चीज़ों का

وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لاَ

شريكَ لَكَ -قَالَ - فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ " . فَيَقُولُونَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ . يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ .

मालिक है या वो किसी चीज़ का मालिक नहीं है। ये कलिमात वो उस वक़्त कहते जब तवाफ़ कर रहे होते।

फ़ायदा : मा मलक में मा नाफ़िया बन सकता है, इस सूरत में मानी होगा तू ही उसका मालिक है, वो किसी चीज़ का मालिक नहीं है और मा मौसूला भी बन सकता है तो मानी होगा तू ही उसका और जिसका वो मालिक है, मालिक है। इस तल्बिया से साबित होता है वो किसी को भी अल्लाह के बराबर और शरीक क़रार नहीं देते थे, सिर्फ़ यही समझते थे कि कुछ चीज़ों का इख़्तियार अल्लाह तआला ने उन्हें बख़्श दिया है या वो उनकी सिफ़ारिश को रद्द नहीं करता और आज के नाम-निहाद मुसलमान तो इससे भी आगे गुज़र चुके हैं और कहते हैं अहद, अहमद के पर्दे में दुनिया में उतर आया है और उसके पास वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ लेना है, हम मुहम्मद से ले लेंगे। इसी तरह औलिया और बुज़ुर्गों को बहुत सी चीज़ों का इख़्तियार बख़्शते हैं।

باب أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

बाब 4 : अहले मदीना को हुक्म है कि वो एहराम ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद से बांधें

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، - رضى الله عنه - يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ .

(2816) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते थे कि ये बैदा तुम्हारा वो मक़ाम है कि जिसके बारे में तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बांधते हो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तल्बिया नहीं कहा मगर ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद के पास से। यानी आप (ﷺ) ने बैदा से नहीं, ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद से ही एहराम बांधा था।

(2817) सालिम (रह.) से रिवायत है कि जब इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा जाता एहराम बैदा से है तो वो कहते बैदा जिसके बारे में तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बांधते हो, सूलुल्लाह (ﷺ) ने एहराम नहीं बांधा मगर दरख़्त के पास से जब आप (ﷺ) की ऊँटनी आप (ﷺ) को लेकर खड़ी हुई।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ، عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا قِيلَ لَهُ الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تُكَذِّبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ ‏.‏

फ़ायदा : कुछ लोगों का ये कहना है कि आप (ﷺ) ने तल्बिया या एहराम मक़ामे बैदा से शुरू किया था चूंकि ख़िलाफ़े वाक़िया था आप (ﷺ) तल्बिया और एहराम का आग़ाज़, मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा से कर चुके थे। इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसको झूठ से ताबीर किया, लेकिन उन लोगों ने चूंकि आप (ﷺ) का तल्बिया बैदा में सुना था, इससे पहले नहीं सुना था, इसलिये वो बैदा का नाम लेते थे जैसाकि हम हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से इसकी तफ़्सील नक़ल कर चुके हैं।

बाब 5 : तल्बिया उस वक़्त कहा जायेगा जिस वक़्त सवारी खड़ी होगी (हिन्दुस्तानी नुस्ख़े में बाब इस तरह है, बेहतर ये है कि तल्बिया उस वक़्त कहे जब उसकी सवारी उसको लेकर मक्का की तरफ़ चल पड़े, दो रकअत नमाज़ के बाद तल्बिया न कहे)

باب الإِهْلاَلِ مِنْ حَيْثُ تَنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ

(2818) उबैद बिन जुरैज (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! मैंने आपको चार ऐसे काम करते देखा है जो मैंने आपके साथियों में से किसी और को करते नहीं देखा। उन्होंने पूछा, ऐ इब्ने जुरैज! वो कौनसे

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما يَا أَبَا عَبْدِ

الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

काम हैं? इब्ने जुरैज ने कहा, मैंने आपको देखा है कि आप (बैतुल्लाह) के (चार) अरकान में से सिर्फ़ दो यमानी रुक्नों को मस (छूना) करते हैं और मैंने आपको देखा है आप सबती जूते पहनते हैं और मैंने आपको देखा है, आप ज़र्द रंग से (बाल) रंगते हैं और मैंने आपको देखा है जब आप मक्का में होते हैं लोग तो चाँद देखकर एहराम बांध लेते हैं और आप आठ ज़िल्हिज्जा तक एहराम नहीं बांधते। तो अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया, रहा अरकान का मसला तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दो यमानी कोनों के सिवा (कोने) को मस करते (छूते) नहीं देखा, रहे सबती जूते तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे जूते पहनते देखा जो बालों के बग़ैर थे और उनमें वुज़ू करते थे, इसलिये मैं उनको पहनना पसंद करता हूँ, रहा ज़र्द रंग तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ज़र्द रंग इस्तेमाल करते देखा, इसलिये मैं उसके इस्तेमाल को पसंद करता हूँ और रहा एहराम का मसला तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को उस वक़्त तक एहराम बांधते नहीं देखा यहाँ तक कि आप (ﷺ) की सवारी आपको लेकर खड़ी होती।

(सहीह बुख़ारी : 166, 5851, अबू दाऊद : 1772, नसाई : 1/81, 5/163, 5/232, 8/186, इब्ने माजह : 3626)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) ला यमानियैन : बैतुल्लाह के चार कोने हैं, वो रुक्न (कोने) जिसमें हज्रे अस्वद है और उससे तवाफ़ की शुरूआत होती है उसको बोसा देना (चूमना) होता है, अगर बराहे रास्त बोसा देना मुम्किन न हो तो हाथ या छड़ी लगाकर उसको बोसा दिया जाता है, अगर ये भी मुम्किन न हो तो सिर्फ़ इशारा काफ़ी है और इशारे की सूरत में हाथ को बोसा नहीं दिया जायेगा, इससे

अगले दो कोने शामी और इराक़ी हैं, उनको तग़्लीबन शामियान कहा जाता है, चौथा रुक्न (कोना) जो हज्रे अस्वद से पहले है, यमानी है। क्योंकि वो यमन की जहत में है, उसको सिर्फ़ हाथ लगाया जाता है। रुक्न या हाथ को चूमा नहीं जाता, रुक्न हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी को एक के नाम को ग़ल्बा देकर यमानियैन कह दिया जाता है, जैसे माँ-बाप को अबवान, शम्स व क़मर को क़मरान और अबू बकर व उमर को उमरान कह दिया जाता है, ये दोनों कोने चूंकि इब्राहीमी बुनियादों पर हैं, इसलिये सिर्फ़ इन दोनों को मस (छू) लिया जाता है और इस पर अइम्म-ए-अरबआ और मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है। **(2) अन्निआलुस्सब्तिय्यह** : निआल, नअल की जमा है, चप्पल, जूता और सब्त मूण्डने को कहते हैं या रंगदार चमड़े को कहते हैं, इसकी तफ़्सीर ख़ुद हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कर दी है कि बिन बाल जूते और आप उनको पहन कर ही वुज़ू कर लेते थे। **(3) तस्बिग़ु बिस्सुफ़रह** : आप ज़र्द रंग इस्तेमाल करते हैं, ये रंग बालों और कपड़ों दोनों के लिये इस्तेमाल होता था।

फ़वाइद : (1) हदीस में मज़्कूरा चारों काम मज्मूई ऐतिबार से सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) किया करते थे या इब्ने जुरैज ने सिर्फ़ इब्ने उमर (रज़ि.) को ये चारों काम करते देखा क्योंकि कुछ सहाबा चारों कोनों को छूते थे, ख़ासकर उस वक़्त जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने कअबा की तामीर इब्राहीमी बुनियादों पर कर दी थी, इस तरह कुछ ताबेईन भी चारों कोनों को मस करते थे, लेकिन अब ये इख़्तिलाफ़ ख़त्म हो चुका है। (2) कुछ लोगों का ख़याल था कि एहराम और तल्बिया ज़िल्हिज्जा का चाँद देखते ही शुरू कर देना चाहिये लेकिन चूंकि हुज़ूर (ﷺ) ने एहराम और तल्बिया की शुरूआत उस वक़्त किया था जब आप (ﷺ) ज़ुल्हुलैफ़ा से हज के लिये चले थे और मक्का में अफ़आले हज का आग़ाज़ यौमुत्तरविय्यह (आठ ज़िल्हिज्जा) जिसमें लोग अपने जानवरों को उस दौर में पानी पिलाया करते थे को होता है, इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) मक्का में तल्बिया आठ ज़िल्हिज्जा को शुरू करते। इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (रह.) के नज़दीक अफ़ज़ल ये है कि तल्बिया की शुरूआत, मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा के पास सवार होकर शुरू किया जाये और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मस्जिद के अंदर दो रकअत पढ़ने के बाद तल्बिया शुरू कर दिया जाये। इसलिये इमाम नववी ने बाब, अपने मस्लक के मुताबिक़ इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीस की रोशनी में बांधा है कि तल्बिया का आग़ाज़ सवार होकर किया जायेगा। इसका ताल्लुक़ अपने मुल्क और इलाक़े से चलते वक़्त से है, मक्का में इमाम शाफ़ेई के नज़दीक तल्बिया और एहराम आठ ज़िल्हिज्जा से शुरू करना अफ़ज़ल है और अहनाफ़ के नज़दीक यकम ज़िल्हिज्जा से हुज़ूर (ﷺ) ने मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा में दो रकअत नमाज़े फ़ज्र पढ़ी और फिर मुसल्ले पर ही एहराम बांध कर सदाए लब्बैक बुलंद की।

(2819) उबैद बिन जुरैज (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ बारह मर्तबा हज

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ،

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنهما - بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلاَّ فِي قِصَّةِ الإِهْلاَلِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ .

और उम्रह किया। मैंने कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! मैंने आप में चार ख़स्लतें देखी हैं, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है लेकिन एहलाल वाला वाक़िया बयान नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ

(2820) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रिकाब में पाँव रखा और आप (ﷺ) की सवारी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने ज़ुल्हुलैफ़ा से तल्बिया शुरू कर दिया।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً .

(2821) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बताते थे कि जब नबी (ﷺ) की ऊँटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने तल्बिया कहना शुरू किया।
(सहीह बुख़ारी : 1552, नसाई : 5/163)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً .

(2822) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आप ज़ुल्हुलैफ़ा में अपनी सवारी पर सवार हुए, फिर जब वो आप (ﷺ) को लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आप (ﷺ) ने तल्बिया कहना शुरू किया।
(सहीह बुख़ारी : 1514, नसाई : 5/163)

बाब 6 : ज़ुल्हुलैफ़ा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना

باب الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا .

(2823) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़रे हज के शुरू में रात ज़ुल्हुलैफ़ा में गुज़ारी और उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी।

(नसाई : 5/127)

फ़ायदा : आप (ﷺ) हज के लिये मदीना मुनव्वरा से पच्चीस ज़िल्क़अ़दा को हफ़्ते के दिन ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले और अ़सर की नमाज़ ज़ुल्हुलैफ़ा में आकर अदा की, रात ज़ुल्हुलैफ़ा में बसर की और इतवार के दिन की नमाज़ ज़ुहर पढ़ने के बाद वहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिये रवाना हुए, महीना उन्तीस दिन का था, इसलिये आप (ﷺ) चार ज़िल्हिज्ज को इतवार के दिन मक्का मुअ़ज़्ज़मा पहुँच गये और नौ (9) ज़िल्हिज्जा अ़रफ़ा का दिन, जुम्आ मुबारक था।

बाब 7 : मुहरिम का एहराम के वक़्त ख़ुश्बू लगाना

باب الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

(2824) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एहराम बांधा तो मैंने आपके एहराम के लिये आप (ﷺ) को ख़ुश्बू लगाई और तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले जब आप (ﷺ) हलाल हुए, मैंने आपको ख़ुश्बू लगाई।

(नसाई : 5/137)

(2825) नबी (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपने हाथ से आप (ﷺ) के एहराम के वक़्त, एहराम के लिये ख़ुश्बू लगाई और आपके तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले हलाल होते वक़्त, हलाल होने के लिये भी ख़ुश्बू लगाई।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(2826) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एहराम बांधने से पहले, आप (ﷺ) के एहराम के लिये और तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले, आपके हलाल होने के लिये ख़ुश्बू लगाई।

(सहीह बुख़ारी : 1539, अबू दाऊद : 1745, नसाई : 5/137)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

(2827) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को एहराम खोलने और एहराम बांधने के लिये ख़ुश्बू लगाई।

(इब्ने माजह : 3042)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحِلِّهِ وَلِحِرْمِهِ.

(2828) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज्जतुल विदाअ में मैंने अपने हाथों से रसूलुल्लाह (ﷺ) को एहराम खोलते और एहराम बांधते वक़्त हिन्दुस्तान से आने वाली ख़ुश्बू (ज़रीरह) लगाई।

(सहीह बुख़ारी : 5930)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، وَالْقَاسِمَ، يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ، -

رضى الله عنها - قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - بِأَىِّ شَىْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حُرْمِهِ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.

(2829) उ़स्मान बिन उ़रवह (रज़ि.) अपने बाप से बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहराम बांधते वक़्त कौनसी ख़ुश्बू लगाई थी? उन्होंने जवाब दिया, सबसे बेहतर ख़ुश्बू।
(सहीह बुख़ारी : 5928, नसाई : 5/138)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ .

(2830) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को आप (ﷺ) के एहराम से पहले जो सबसे उ़म्दा ख़ुश्बू लगा सकती थी लगाती, फिर आप एहराम बांधते।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ .

(2831) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के एहराम के लिये जब एहराम बांधते और आपके तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले एहराम खोलने के लिये जो मुझे सबसे उ़म्दा ख़ुश्बू मुयस्सर होती, वो लगाती थी।

(2832) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं गोया कि मैं अभी रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग में ख़ुश्बू की चमक देख रही हूँ, हालांकि आप (ﷺ) एहराम बांधे हुए थे, ख़लफ़ की रिवायत में आपके मुहरिम होने का ज़िक्र नहीं है, ये लफ़्ज़ है कि वो आपके एहराम की ख़ुश्बू थी।
(सहीह बुख़ारी : 1538, नसाई : 5/139)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَقُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ .

(2833) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं गोया कि अब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग में तल्बिया कहते हुए ख़ुश्बू की चमक देख रही हूँ।
(नसाई : 5/140)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ.

(2834) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग में ख़ुश्बू की चमक देख रही हूँ और आप तल्बिया कह रहे हैं।
(इब्ने माजह : 2927)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُلَبِّي.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَعَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ .

(2835) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं गोया कि मैं वाक़ेई ये मन्ज़र देख रही हूँ, आगे मज़्कूरा बाला वकीअ की हदीस की तरह है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2836) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैं वाक़ेई रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग के हर हिस्से में ख़ुश्बू की चमक देखती जबकि आप हालते एहराम में होते।
(सहीह बुख़ारी : 271, 5918, नसाई : 5/140)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ .

(2837) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैं वाक़ेई रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग के पुर हिस्से में ख़ुश्बू की चमक देखती जबकि आप मुहरिम होते।
(सहीह बुख़ारी : 5923, नसाई : 5/140)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، - وَهُوَ السَّلُولِيُّ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي

(2838) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब एहराम बांधने का इरादा फ़रमाते तो जो बेहतरीन ख़ुश्बू आप (ﷺ) को मुयस्सर होती, इस्तेमाल

إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي، إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الأَسْوَدِ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ .

करते, फिर उसके बाद मैं आपके सर और आपकी दाढ़ी में तेल की चमक देखती।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ

(2839) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं गोया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की माँग में कस्तूरी की चमक देख रही हूँ और आप एहराम बांधे हुए हैं।

(अबू दाऊद : 1746, नसाई : 5/138)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(2840) मुसन्निफ़ अपने एक और उस्ताद से हसन बिन उबैद (रह.) की सनद ही से मज़्कूरा बाला रिवायत जैसी रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ .

(2841) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को एहराम बांधने से पहले और क़ुर्बानी के दिन, बैतुल्लाह के तवाफ़ से पहले ऐसी ख़ुश्बू लगाती थी, जिसमें कस्तूरी की आमेज़िश होती।

(तिर्मिज़ी : 917, नसाई : 5/138)

(2842) इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से ऐसे आदमी के बारे में पूछा जो ख़ुश्बू लगाकर एहराम बांधता है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं एहराम बांधूँ और मुझसे ख़ुश्बू फूट रही हो, ये काम करने से ज़्यादा मुझे ये पसंद है कि मैं तारकोल मल लूँ। फिर मैं आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उन्हें आगाह किया कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा है कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं एहराम बांधूँ और मुझसे ख़ुश्बू फूट रही हो, मैं तारकोल मल लूँ तो ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं ये काम करूँ। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया, ख़ुद मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आप (ﷺ) के एहराम बांधते वक़्त ख़ुश्बू लगाई थी, फिर आप अपनी बीवियों के पास गये, फिर आपने सुबह एहराम बांधा।

(सहीह बुख़ारी : 267, 270, नसाई : 1/203, 1/209, 5/141)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، - قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ الرَّجُلِ، يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا

मुफ़रदातुल हदीस : **(1) अन्ज़हु तीबन :** मुझसे ख़ुश्बू की महक फूटे रहा और हा अन्ज़ख़ु और अन्ज़हु दोनों हममानी हैं। **(2) लिअन अत्तलि-य बिक़तिरान :** मैं तारकोल या गन्धक से लतपत हूँ।

(2843) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुश्बू लगाती, फिर आप अपनी बीवियों के पास जाते और सुबह एहराम बांधते जबकि आप (ﷺ) से ख़ुश्बू फूट रही होती।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى

الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ، الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، -رضى الله عنهما - يَقُولُ لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا - قَالَ - فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا .

(2844) इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन मुन्तशिर अपने बाप से बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना, मैं तारकोल को मल लूँ मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं एहराम बांधूँ और मुझसे ख़ुश्बू फूट रही हो तो मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गया और उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) के क़ौल से आगाह किया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ुश्बू लगाई, फिर आप (ﷺ) अज़्वाजे मुतह्हरात के पास गये, फिर सुबह एहराम बांध लिया।

फ़वाइद : (1) हज़रत आइशा (रज़ि.) की अहादीस से साबित होता है कि एहराम बांधने से पहले और दस ज़िल्हिज्जा को रमी जिमार, क़ुर्बानी और तहलीक़ व तक़सीर के बाद तवाफ़े इफ़ाज़ा जिसको तवाफ़े रुक्न और तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं, उससे पहले इंसान ख़ुश्बू लगा सकता है और बक़ौले इमाम नववी एहराम बांधने से पहले ख़ुश्बू लगाना मुस्तहब है, अगरचे उस ख़ुश्बू का असर और निशान एहराम बांधने के बाद भी मौजूद रहे और इंसान से ख़ुश्बू फूटती रहे।

सहाबा और ताबेईन की अक्सरियत, जुम्हूर फ़ुक़्हा, मुहद्दिसीन और अइम्म-ए-अरबआ में से इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद का यही मौक़िफ़ है, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम दाऊद का भी यही नज़रिया है। लेकिन कुछ सहाबा और ताबेईन, इमाम मालिक, इमाम ज़ोहरी और इमाम मुहम्मद के नज़दीक एहराम से पहले ख़ुश्बू लगाना जाइज़ नहीं है। एहराम की हालत में बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ नहीं है, अगर मुहरिम एहराम की हालत में तीब (ख़ुश्बू) इस्तेमाल करेगा तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक उस पर कफ़्फ़ारा है। इमाम मालिक के नज़दीक ख़ुश्बू अगर फ़ौरन ज़ाइल (ख़त्म) कर दे तो कफ़्फ़ारा नहीं है, अगर ख़ुश्बू बरक़रार रहे तो कफ़्फ़ारा होगा। (2) वो ख़ुश्बू जिसका जर्म (शेष) एहराम के बाद भी क़ायम रहे, इमाम मालिक और इमाम मुहम्मद के नज़दीक बदन और कपड़ों दोनों में नाजाइज़ है और इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक दोनों में जाइज़ है।

इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक बदन में जाइज़ है, कपड़ों में जाइज़ नहीं है। (3) मुहरिम के लिये फूल सूंघना, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक जाइज़ नहीं है, अगर फूल सूंघ लेगा तो फ़िद्या नहीं है, इमाम अहमद हज़रत उसमान और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की इक़्तिदा में इसको जाइज क़रार देते हैं और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ यही है और बक़ौले अ़ल्लामा अ़ैनी, वो नबातात या फूल जिनकी महक को पसंद किया जाता है, उनकी तीन क़िस्में हैं (अ) वो नबातात और फूल जिनको ख़ुश्बू हासिल करने के लिये काश्त नहीं किया जाता और न ही उनसे ख़ुश्बू तैयार की जाती है, उनको सूंघना जाइज़ है (ब) वो नबातात जिनको ख़ुश्बू की ख़ातिर बोया जाता है, लेकिन उनसे ख़ुश्बू तैयार नहीं की जाती, जैसे नर्गिस, गेण्दा वग़ैरह। इमाम शाफ़ेई और अबू सौर के नज़दीक उनको सूंघना जाइज़ नहीं है, सूंघने पर फ़िद्या होगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक उनका सूंघना मक्रूह है, लेकिन उस पर फ़िद्या नहीं है। (स) वो फूल जो ख़ुश्बू के हुसूल के लिये लगाये जाते हैं और उनसे ख़ुश्बू तैयार की जाती है, गुलाब, चम्बेली वग़ैरह इन पर फ़िद्या होगा। (4) आप (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात की बारी लाज़िम न थी, लेकिन आप (ﷺ) ने अपने इख़्तियार से बारी की पाबंदी इख़्तियार की हुई थी, इसलिये सफ़र पर जाते वक़्त, सफ़र से वापसी के वक़्त या नये सिरे से बारी शुरू करते वक़्त, आप सबके पास तशरीफ़ ले जाते थे, इसलिये आप हज का एहराम बांधने से पहले, सबके पास तशरीफ़ ले गये, उसके बावजूद भी कि आपने उससे ख़ुश्बू इस्तेमाल की और बाद में ग़ुस्ल फ़रमाया, ख़ुश्बू का असर आपकी माँग में मौजूद रहा।

बाब 8 : मुहरिम के लिये शिकार की हुरमत (हिन्दुस्तानी नुस्ख़े, हज या उ़म्रह या दोनों का एहराम बांधने वाले के लिये ख़ुश्की का खाया जाने वाला जानवर शिकार करना हराम है)

باب تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ

(2845) हज़रत सअ़ब बिन जस्सामा लैसी (रज़ि.) बयान करते हैं कि उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जंगली गधा पेश किया, जबकि आप (ﷺ) मक़ामे अबवा या वद्दान में थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे वापस कर दिया, फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे चेहरे

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ

-أَوْ بِوَدَّانَ - فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ " .

की कैफ़ियत (मलाल) को देखा तो फ़रमाया, 'हमने सिर्फ़ इस बिना पर इसे तुझे वापस किया है कि हम मुहरिम हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 1825, 2573, 2596, तिर्मिज़ी : 849, नसाई : 5/184)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ . كَمَا قَالَ مَالِكٌ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ .

(2846) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से हज़रत सअ़ब (रज़ि.) की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि मैंने आप (ﷺ) को जंगली गधा पेश किया, आगे मज़्कूरा बाला वाक़िया है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ .

(2847) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उसमें है, मैंने आपको जंगली गधे का गोश्त पेश किया।

फ़ायदा : हज़रत सअ़ब बिन जस्सामा (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) के लिये जंगली गधा शिकार किया और आप (ﷺ) के सामने अबवा या वद्दान में पेश किया, ये दोनों मक़ाम क़रीब-क़रीब हैं, चूंकि गधा आपके लिये शिकार किया गया था, इसलिये आपने उसे क़ुबूल न किया। फिर उसने ज़िब्ह करके उसका कुछ गोश्त पेश किया तो फिर भी आपने रद्द कर दिया, क्योंकि जो शिकार मुहरिम के लिये किया जाये, वो ज़िन्दा हो या उसका गोश्त हो मुहरिम के लिये उसको खाना दुरुस्त नहीं है। जुम्हूर अइम्मा का यही मौक़िफ़ है और मुहद्दिसीन का नज़रिया भी यही है, जबकि इमाम मालिक के नज़दीक मुहरिम के लिये किया गया शिकार, हलाल के लिये भी जाइज़ नहीं है और अगर हलाल शिकार अपने लिये करे, मुहरिम का उसमें किसी क़िस्म का दख़ल इशारतन या किनायतन भी न हो और वो ख़ुद

मुहरिम को पेश करे तो जुम्हूर अइम्मा और मुहद्दिसीन के नज़दीक, मुहरिम के लिये उसका खाना जाइज़ है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों सूरतों में जाइज़ है, कुछ सहाबा, इमाम लैस़ और इमाम इस्हाक़ के नज़दीक किसी सूरत में जाइज़ नहीं है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ " لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ " .

(2848) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत सअ़ब बिन जस़्सामा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) को जंगली गधा बतौरे तोहफ़ा पेश किया, जबकि आप (ﷺ) मुहरिम थे तो आपने उसे वापस कर दिया और फ़रमाया, 'अगर हम मुहरिम न होते तो इसे क़ुबूल कर लेते।'

(नसाई : 5/185)

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ

(2849) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत अपने कई उस्तादों से पेश करते हैं, हकम से मन्सूर बयान करते हैं कि सअ़ब बिन जस़्सामा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) को जंगली गधे की टांग तोहफ़तन पेश की और शोबा कहते हैं, जंगली गधे का अ़जज़ (पिछला धड़) पेश किया, जिससे ख़ून बह रहा था और शोबा दूसरे उस्ताद हबीब से नक़ल करते हैं कि नबी (ﷺ) को जंगली गधे का आधा या एक पहलू पेश किया गया तो आप (ﷺ) ने रद्द कर दिया।

फ़ायदा : इन रिवायात में इख़्तिलाफ़ नहीं है, पहले जंगली गधा ज़िन्दा पेश किया, फिर उसका एक पहलू, यानी पिछली टांग जिसको पिछले धड़ से ताबीर किया गया है। आप (ﷺ) ने दोनों सूरतों में रद्द कर दिया, इसलिये हदीस में कोई इज़्तिराब और इख़्तिलाफ़ नहीं है, अहनाफ का इसको मुज़्तरिब कहकर रद्द करना भी महज़ सीना ज़ोरी है, इसी तरह इसको दूसरी रिवायात के मुख़ालिफ़ और मुआरिज़ क़रार देना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तत्बीक़ की सूरत मौजूद है कि जहाँ शिकार का गोश्त खाने की इजाज़त दी गई है, वो हलाल ने अपने लिये किया था और जहाँ रद्द किया गया है वो मुहरिम के लिये किया गया था।

(2850) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) तशरीफ़ लाये तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने उनसे याद्दाश्त के लिये पूछा, आपने मुझे शिकार के उस गोश्त के बारे में क्या बताया था, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुहरिम होने की हालत में हदियतन पेश किया गया था? उन्होंने जवाब दिया, आपको गोश्त का एक टुकड़ा या एक अज़्व (अंग) हदियतन पेश किया गया तो आप (ﷺ) ने उसे रद्द कर दिया और फ़रमाया, 'हम इसे खा नहीं सकते क्योंकि हम मुहरिम हैं।'

(नसाई : 5/184)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ . فَقَالَ " إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ " .

(2851) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले, यहाँ तक कि जब हम क़ाहा मक़ाम पर पहुँचे हममें से कुछ मुहरिम थे, कुछ ग़ैर मुहरिम थे, अचानक मैंने अपने साथियों को देखा, वो एक दूसरे को कोई चीज़ दिखा रहे हैं, मैंने देखा तो वो जंगली गधा था। मैंने अपने घोड़े पर काठी डाली और अपना नेज़ा लेकर मैं सवार हो गया तो मुझसे मेरा कोड़ा

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي، عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ

الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ . فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرِمِينَ نَاوِلُونِي السَّوْطَ . فَقَالُوا وَاللَّهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ . فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوهُ . وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ " هُوَ حَلاَلٌ فَكُلُوهُ " .

गिर गया, मैंने अपने साथियों से कहा और वो सब मुहरिम थे, मुझे मेरा कोड़ा पकड़ा दो, उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! शिकार के सिलसिले में हम तुम्हारी किसी क़िस्म की मदद नहीं करेंगे, तो उतरकर मैंने अपना कोड़ा उठाया और फिर सवार हो गया और मैंने पीछे से जंगली गधे को जा लिया और वो एक टीले के पीछे था, मैंने उसे नेज़े का निशाना बनाया और उसकी कूंचें काट डालीं (उसे शिकार कर लिया) और उसे लेकर अपने साथियों के पास आ गया। कुछ कहने लगे, इसे खा लो और कुछ ने कहा, न खाओ। और हुज़ूर (ﷺ) हमारे आगे थे, मैंने अपने घोड़े को ऐड़ लगाई और आप (ﷺ) को जा मिला, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो हलाल है, उसे खा लो।'

(सहीह बुख़ारी : 1823, 2914, 5491, 5492, अबू दाऊद : 1852, तिर्मिज़ी : 847, नसाई : 5/182)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى

(2852) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, यहाँ तक कि जब मक्का का कुछ रास्ता तय कर लिया तो वो अपने कुछ मुहरिम साथियों के साथ पीछे रह गये, जबकि वो ख़ुद मुहरिम नहीं थे तो उन्होंने एक जंगली गधा देखा और अपने घोड़े पर सवार हो गये और अपने साथियों से दरख़्वास्त की कि उसे उसका चाबुक पकड़ा दें, उन्होंने उससे इंकार कर दिया। उन्होंने उनसे अपना नेज़ा माँगा,

فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ " .

इससे भी उन्होंने इंकार कर दिया। उन्होंने उसे ख़ुद ही लिया फिर गधे पर हमला करके उसे क़त्ल कर डाला, नबी (ﷺ) के कुछ साथियों ने उससे खा लिया और कुछ ने (खाने से) इंकार कर दिया। फिर वो रसूलुल्लाह (ﷺ) को जा मिले और आप (ﷺ) से उसके बारे में पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये रिज़्क़ है है जो अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें इनायत फ़रमाया है।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، - رضى الله عنه - فِي حِمَارِ الْوَحْشِ . مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ "

(2853) मुसन्निफ़ यही रिवायत जंगली गधे के बारे में, ज़ैद बिन असलम से अबू नज़्र की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह बयान करते हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुम्हारे पास उसका कुछ गोश्त है।'
(सहीह बुख़ारी : 5491,2914, 5407, 2570, तिर्मिज़ी : 848)

وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ

(2854) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा (रह.) बयान करते हैं कि हुदैबिया वाले साल मेरे बाप रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ गये, उनके साथियों ने एहराम बांधा और उन्होंने एहराम न बांधा। रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताया गया कि दुश्मन ग़ैक़ह नामी जगह में घात में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) रवाना हो गये। अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं, इस दौरान मैं अपने साथियों के साथ था, वो एक-दूसरे को देखकर हँस रहे थे, नागहाँ (अचानक) मैंने देखा तो मेरी नज़र एक जंगली

أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ . فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْقَوْمِ " كُلُوا " . وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

गधे पर पड़ी। मैंने उस पर हमला कर दिया और उसे नेज़ा मारकर उसे हरकत करने से रोक दिया, मैंने उनसे मदद माँगी, उन्होंने मेरी मदद करने से इंकार कर दिया, हमने उसका गोश्त खाया और हमें ख़तरा महसूस हुआ, हमें आप (ﷺ) से अलग कर दिया जायेगा। तो मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलाश में निकला, कभी घोड़े को दौड़ाता और कभी आहिस्ता चलता तो आधी रात में बनू ग़िफ़ार के एक आदमी को मिला, मैंने पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) से तेरी मुलाक़ात कहाँ हुई थी? उसने जवाब दिया, मैंने आपको तिहिन नामी चश्मे पर छोड़ा है और आप सुक़्या मक़ाम पर जा कर क़ैलूला फ़रमायेंगे। जिसमें आपको जा मिला और मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपके साथी आपको सलाम और रहमत भेजते हैं और उन्हें ख़तरा है कि कहीं दुश्मन उन्हें आपसे अलग न कर डाले, आप उनका इन्तिज़ार फ़रमायें, आपने उनका इन्तिज़ार फ़रमाया। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने शिकार किया है और मेरे पास उसका कुछ बचा हुआ है। तो नबी (ﷺ) ने लोगों से कहा, 'इसे खा लो।' हालांकि वो सब मुहरिम थे।

(सहीह बुख़ारी : 1821, 1822, 4149, नसाई : 5/185, 186, इब्ने माजह : 3093)

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) की मक्का मुकर्रमा की तरफ़ रवानगी के बाद, अहले मदीना को पता चला कि दुश्मन आप (ﷺ) की घात में है, इसलिये हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) को आपके पीछे भेजा गया कि वो जाकर आपको इत्तिलाअ दें कि दुश्मन आप पर हमला करना चाहता है, वो आपसे मक़ामे रौहा से पहले जा मिले। आपने उन्हें एक जमाअत के साथ दुश्मन की ख़बरगीरी के लिये साहिले समुन्द्र की

तरफ़ भेज दिया, चूंकि हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) उम्रह की निय्यत से नहीं निकले थे, इसलिये वो ग़ैर मुहरिम थे और बाक़ी साथी मुहरिम थे। वो दोबारा आप (ﷺ) के साथ मक़ामे क़ाहा में जा मिले, वहाँ से आपने उन्हें सदक़े की वसूली के लिये भेजा, फिर वो वापस आकर आपके कुछ साथियों से जो पीछे रह गये, आ मिले और ये शिकार का मामला पेश आ गया, शिकार के सिलसिले में साथियों ने उनके साथ किसी क़िस्म का तआवुन नहीं किया था, इसलिये उन्होंने अपने लिये शिकार किया, बाद में साथियों को खाने की दावत दी, कुछ ने क़ुबूल कर ली और कुछ ने रद्द कर दी, क्योंकि वो समझते थे मुहरिम के लिये शिकार करना जाइज़ नहीं है तो शायद खाना भी जाइज़ न हो। बाद में ये मामला आप (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो आपने खाने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई और उनके इत्मीनान व तशफ़्फ़ी के लिये फ़रमाया, अगर कुछ बक़ाया है तो हमें भी पेश करो। जैसाकि आगे आ रहा है और फिर आप (ﷺ) ने भी तनावुल फ़रमाया।

(2855) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के क़सद व इरादे से निकले और हम भी आपके साथ निकले, आप (ﷺ) ने अपने कुछ साथियों को जिनमें अबू क़तादा (रज़ि.) भी थे, एक तरफ़ भेज दिया, आपने फ़रमाया, 'साहिले समुन्द्र के साथ-साथ चलो यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो।' उन्होंने साहिले समुन्द्र का रास्ता इख़्तियार किया, जब वो सब रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ फिरे तो अबू क़तादा (रज़ि.) के सिवा सबने एहराम बांध लिया। उन्होंने एहराम न बांधा। चलते-चलते उन्होंने जंगली गधे देखे। अबू क़तादा (रज़ि.) ने उन पर हमला किया और उनमें से एक गधी की कूंचें काट डालीं। साथियों ने पड़ाव किया और उसका गोश्त खा लिया और कहने लगे, हमने मुहरिम होने के बावजूद गोश्त खा लिया, अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, तो उन्होंने गधी का बाक़ी मान्दा गोश्त उठा

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ " خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي " . قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ . فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا -قَالَ - فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ - قَالَ - فَحَمَلُوا

مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ . فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا . فَقَالَ " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ " . قَالَ قَالُوا لاَ . قَالَ " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا " .

लिया, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास पहुँचे तो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! हम मुहरिम थे और अबू क़तादा (रज़ि.) मुहरिम न थे और हमने जंगली गधे देखे, अबू क़तादा (रज़ि.) ने उन पर हमला कर दिया और उनमें से एक गधी का शिकार कर लिया, हमने पड़ाव किया और उसमें से गोश्त खा लिया, फिर हमने कहा, हम शिकार का गोश्त खा रहे हैं, हालांकि हम मुहरिम हैं, तो हमने उसका बक़ाया गोश्त साथ ले लिया। आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुममें से किसी ने उसको मशवरा दिया था या किसी क़िस्म का उसकी तरफ़ इशारा किया था?' उन्होंने जवाब दिया, नहीं। आपने फ़रमाया, 'उसका बाक़ी मान्दा गोश्त भी खा लो।'

(सहीह बुख़ारी : 1824, नसाई : 5/186-187)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا " . وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ " أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ " . أَوْ " أَصَدْتُمْ " . قَالَ شُعْبَةُ لاَ أَدْرِي قَالَ " أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ " .

(2856) इमाम साहब यही रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं, शैबान की रिवायत में है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुममें से किसी ने उसको उन पर हमला करने का मशवरा दिया था या उसकी तरफ़ इशारा किया था?' शोबा की रिवायत में है, आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुमने इशारा किया या मदद की या शिकार किया? (शिकार का मशवरा दिया?)' शोबा कहते हैं, मुझे पता नहीं आपने अअन्तुम (तुमने मदद की) कहा या असदतुम तुमने शिकार किया कहा।

फ़वाइद : (1) रिवायत नम्बर 60 में हाज्जन का लफ़्ज़ आया है, हालांकि आप (ﷺ) उम्रह के लिये निकले थे, जैसाकि दूसरी रिवायत में सराहत मौजूद है, इसलिये हाज्जन अपने लुग़वी मानी में होगा, यानी बैतुल्लाह के क़सद और इरादे से निकले, हज का यहाँ इस्तिलाही मफ़्हूम मुराद नहीं है या बक़ौल इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ये लफ़्ज़ रावी का वहम है। **(2)** इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) मदीना से हुज़ूर (ﷺ) के साथ निकले थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ साथियों ने मीक़ात से एहराम नहीं बांधा था, इमाम शाफ़ेई (रह.) के मस्लक के मुताबिक़ इसमें कोई इश्काल नहीं है, क्योंकि उनके नज़दीक अगर कोई इंसान मक्का मुकर्रमा हज और उम्रह के इरादे से नहीं जाता तो उसके लिये एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाक़ी तीनों अइम्मा के नज़रिये के मुताबिक़, इसमें इश्काल पेश आता है, क्योंकि उनके नज़दीक कोई आदमी मीक़ात से एहराम बांधे बग़ैर मक्का मुकर्रमा नहीं जा सकता। इसलिये यहाँ तावील की ज़रूरत है, दूसरी रिवायात की रोशनी में मानी गोया, अबू क़तादा (रज़ि.) के सिवा सबने पहले से एहराम बांधा हुआ था, ये नहीं है कि उन्होंने अब जब साहिले समुन्द्र से नबी (ﷺ) को मिले तो एहराम बांध लिया, अबू क़तादा (रज़ि.) के एहराम न बांधने की वजह ऊपर बयान हो चुकी है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي - قَالَ - فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ كُلُوهُ ‏"‏ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ‏.‏

(2857) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं ग़ज़्व-ए-हुदैबिया में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ शरीक हुआ, मेरे सिवा सबने उम्रह का एहराम बांधा और मैंने जंगली गधे का शिकार किया और मैंने अपने मुहरिम साथियों को खिलाया, फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) को बतलाया कि हमारे पास इससे बचा हुआ गोश्त है। आपने फ़रमाया, 'उसे खा लो।' और मुख़ातब सब मुहरिम थे।

(2858) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले और वो सब अबू क़तादा (रज़ि.) के सिवा मुहरिम थे और वो ग़ैर मुहरिम थे और आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है और उसमें ये है, आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुम्हारे पास उसका कोई हिस्सा है?' उन्होंने जवाब दिया, उसकी टांग है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे लेकर खा लिया।
(सहीह बुख़ारी : 2570, 2854, 5406, 5407, नसाई : 7/205)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ " . قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ . قَالَ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا .

(2859) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) एक मुहरिम जमाअत के साथ थे और वो ग़ैर मुहरिम थे, फिर मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान की, उसमें है, आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुममें से किसी इंसान ने उन्हें इशारा किया था या किसी क़िस्म का मशवरा दिया था?' उन्होंने जवाब दिया, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो खा लो।'

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَإِسْحَاقُ، عَنْ جَرِيرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ " هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَىْءٍ " . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَكُلُوا " .

(2860) मुआज़ बिन अब्दुर्रहमान बिन उसमान तैमी (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि.) के साथ एहराम की हालत में थे, उन्हें परिन्दा तोहफ़तन पेश किया गया, जबकि वो सोये हुए थे। हममें से कुछ ने खा लिया और

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ

بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

कुछ ने परहेज़ किया। तो जब हज़रत तलहा (रज़ि.) बेदार हुए, उन्होंने खाने वालों से मुवाफ़िक़त की और कहा, हमने इसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ खाया था।

(नसाइ · 5/182)

फ़ायदा : ये शिकार चूंकि हलाल ने अपने लिये किया था और बाद में उसमें से हज़रत तलहा (रज़ि.) को हदियतन पेश कर दिया, इसलिये उन्होंने खाने वालों के मौक़िफ़ की ताईद की।

باب مَا يُنْدَبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

बाब 9 : मुहरिम और ग़ैर मुहरिम के लिये हिल्ल और हरम में जिन जानवरों को क़त्ल करना मन्दूब है

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا .

(2861) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'चार जानवर सबके सब फ़ासिक़ हैं, उनको हिल्ल और हरम में क़त्ल कर दिया जाये, चील, कव्वा, चूहा और बावला कुत्ता।' उबैदुल्लाह बिन मिक़्सम कहते हैं, मैंने क़ासिम से पूछा, साँप के बारे में बतलाइये? उसको उसकी ज़िल्लत व अहानत की बिना पर मारा जाये।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا

(2862) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच फ़ासिक़ जानवर, उन्हें हिल्ल और हरम में क़त्ल कर दिया जाये, साँप, चितकबरा कव्वा, चूहा,

شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ، بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا " .

काटने वाला कुत्ता या दरिन्दा और चील।'
(नसाई : 5/188-189, 5/208, इब्ने माजह : 3087)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) फ़वासिक़ : फ़ासिक़ की जमा है, फ़िस्क़ का मानी है निकलना, ख़ारिज होना और उन जानवरों को फ़ासिक़ कहने की वजह ये है, ये बाक़ी हैवानात के हुक्मे तहरीमे क़त्ल में उनसे ख़ारिज हैं या हलाल होने के हुक्म से ख़ारिज हैं या ये ईज़ा पहुँचाने और फ़साद व बिगाड़ फैलाने में और अ़दमे इन्तिफ़ाअ़ में दूसरों से ख़ारिज हैं। **(2) अल्कल्बुल अ़क़ूर :** अ़क़ूर का मानी है चीरने-फाड़ने वाला, ज़ख़्मी करने वाला। इसलिये जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक इससे मुराद तमाम दरिन्दे हैं चीता, भेड़िया और शेर वग़ैरह सब इसमें दाख़िल हैं और हन्फ़ियों के नज़दीक इससे मुराद काटने वाला कुत्ता है। **(3) अल्गुराबुल अब्क़अ़ :** जिसका पेट और पुश्त सफ़ेद हो।

फ़वाइद : (1) ख़म्स (पाँच) की क़ैद हस्र के लिये नहीं है, इसलिये कुछ रिवायात में चार हैं, कुछ में पाँच और कुछ में छः। यानी अ़क़रब बिच्छू का तज़्किरा और कुछ में अस्सबुउ़ल आ़दी हमला करने वाला दरिन्दा आया है। **(2)** इमाम मालिक के नज़दीक उन जानवरों के क़त्ल के हलाल होने की इ़ल्लत उनकी ईज़ा रसानी (तक़लीफ़ देना) और फ़साद है, इसलिये वो जानवर जो मूज़ी है, उसका क़त्ल जाइज़ है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक इ़ल्लत अ़दमे अक्ल है, उसका खाने के क़ाबिल न होना, इसलिये शवाफ़ेअ़ के नज़दीक हैवानात की तीन क़िस्में हैं (1) जिनका क़त्ल मुस्तहब हैं, ये वो जानवर हैं जो मूज़ी (तक़लीफ़देह) हैं (2) जिनका क़त्ल जाइज़ है, ये वो हैं जिनमें नफ़ा और ज़रर दोनों हैं या नफ़ा व नुक़सान कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका खाना जाइज़ नहीं है (3) जिनका खाना जाइज़ है, उनका क़त्ल जाइज़ नहीं है। अगर मुहरिम उनका शिकार करेगा तो उसको फ़िद्या देना पड़ेगा। हनाबिला के नज़दीक हर वो जानवर जो इंसान पर हमलावर हो या उसको ईज़ा दे, मुहरिम उसको क़त्ल कर सकता है। अ़ल्लामा इब्ने क़ुदामा (रह.) के नज़दीक कव्वे के साथ अब्क़अ़ की क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है, इसलिये हर कव्वा क़त्ल किया जायेगा।

अहनाफ़ के नज़दीक सिर्फ़ इन पाँच जानवरों का क़त्ल जाइज़ है, बाक़ी के क़त्ल पर फ़िद्या देना पड़ेगा और हन्फ़ियों के नज़दीक ज़ाग़, यानी गुराबे ज़रअ़ जो दाना खाता है, खाना जाइज़ है।

(2863) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच फ़ासिक़ जानदार उनको हरम में क़त्ल कर दिया जाये, बिच्छू, चूहा, चील, कव्वा और दरिन्दा या काटने वाला (बावला) कुत्ता।'
(नसाई : 5/211)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ، عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، -رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

(2864) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(2865) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच फ़ासिक़ जानदार उनको हरम में क़त्ल कर दिया जाये, चूहा, बिच्छू, कव्वा, चील, और दरिन्दा।'
(सहीह बुख़ारी : 3314, तिर्मिज़ी : 837, नसाई : 5/210)

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .

(2866) इमाम साहब ज़ोहरी की सनद से एक और उस्ताद से हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पाँच फ़ासिक़ जानदारों को हिल्ल व हरम में क़त्ल करने का हुक्म दिया, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ .

(2867) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच जानदार सबके सब फ़ासिक़ हैं, उनको हरम में क़त्ल कर दिया जाये, कव्वा, चील, बावला कुत्ता, बिच्छू और चूहा।'
(सहीह बुख़ारी : 1829, नसाई : 5/210)

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ " .

(2868) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच जानदार हैं, उनके क़त्ल करने वाले पर वो उनको हरम या एहराम की हालत में क़त्ल कर दे कोई गुनाह नहीं है, चूहा, बिच्छू, कव्वा, चील, और दरिन्दा या बावला कुत्ता।'
(अबू दाऊद : 1846, नसाई : 5/190-191)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ " فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ " .

(2869) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच जानदार, सबके सब फ़ासिक़ हैं, उनके क़त्ल करने वाले पर कोई तंगी गुनाह नहीं है, बिच्छू, कव्वा, चील, चूहा और काटने वाला कुत्ता या दरिन्दा।'
(सहीह बुख़ारी : 1828, नसाई : 5/210)

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(2870) ज़ैद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं, एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, मुहरिम कौनसे जानदार क़त्ल कर सकता है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की एक बीवी ने बताया, आप (ﷺ) ने हुक्म दिया था आप (ﷺ) को हुक्म दिया गया कि चूहा, बिच्छू, चील, दरिन्दा, और कव्वा क़त्ल कर दिया जाये।
(सहीह बुख़ारी : 1827)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ - أَوْ أُمِرَ - أَنْ تُقْتَلَ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ

(2871) ज़ैद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से सवाल किया, इंसान एहराम की हालत में कौनसे जानवर क़त्ल कर सकता है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे नबी (ﷺ) की एक बीवी ने बताया कि आप (ﷺ) दरिन्दे, चूहे, चील, कव्वे और साँप को क़त्ल करने का हुक्म देते थे और फ़रमाया नमाज़ में भी।

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ. قَالَ وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا.

(2872) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच जानवर हैं, मुहरिम पर उनके क़त्ल करने पर कोई गुनाह नहीं है, कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा और दरिन्दा।'
(सहीह बुख़ारी : 1826, नसाई : 5/188)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ" .

(2873) इब्ने जुरैज बयान करते हैं, मैंने नाफ़ेअ से पूछा, आपने इब्ने उमर (रज़ि.) से किन जानवरों को मुहरिम के लिये क़त्ल करने का हलाल होना सुना है? मुझे नाफ़ेअ ने जवाब दिया, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'पाँच जानदार हैं, उनके क़त्ल करने वाले पर, उनके क़त्ल करने में कोई तंगी (गुनाह) नहीं है, कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा और काटने वाला कुत्ता।'

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ، يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(2874) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने बहुत से उस्तादों से बयान करते हैं, जो सबके सब अन नाफ़ेअ, अन इब्ने उमर, अनिन्नबिय्य (ﷺ) कहते हैं, सिर्फ़ इब्ने जुरैज, अन नाफ़ेअ, अन इब्ने उमर (रज़ि.) समिअतुन्नबी (ﷺ) कहते हैं और इब्ने इस्हाक़, भी इब्ने जुरैज की मुताबिअत करते हैं गोया समिअतुन्नबी (ﷺ) की तसरीह सिर्फ़ इब्ने जुरैज और इब्ने इस्हाक़ करते हैं, बाक़ी सब अनिन्नबिय्य (ﷺ) कहते हैं।

(नसाई : 5/189, 8298, इब्ने माजह : 3088, 7946 नसाई : 5/190, 7543)

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ، بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ . إِلاَّ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ.

(2875) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने नबी (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'पाँच जानदार हैं, उनमें से किसी के हरम में क़त्ल करने पर कोई गुनाह नहीं है।' फिर मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ " . فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(2876) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पाँच जानवर, जो उनको मुहरिम होने की सूरत में क़त्ल कर देगा तो उस पर उनके बारे में कोई गुनाह नहीं है, बिच्छू, चूहा, काटने वाला कुत्ता, कव्वा और चील।'

وحدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ، اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا " . وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

फ़ायदा : आम रिवायात में गुराब का लफ़्ज़ बिला क़ैद है जिससे मालूम होता है कि हर क़िस्म के कव्वे का क़त्ल जाइज़ है।

बाब 10 : अगर मुहरिम को तकलीफ़ हो तो उसके लिये सर मुण्डवाना जाइज़ है और सर मूण्डने की बिना पर उस पर फ़िद्या लाज़िम है और उसकी मिक़्दार का बयान

باب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا

(2877) हज़रत कअ़ब बिन उजरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि सुलहे हुदैबिया के दौरान हुज़ूर (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये, जबकि मैं हण्डिया के नीचे आग जला रहा था और जूएँ मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। आप (ﷺ) ने पूछा,

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ أَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ - قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قِدْرٍ لِي . وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِي - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ " . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً " . قَالَ أَيُّوبُ فَلاَ أَدْرِي بِأَىِّ ذَلِكَ بَدَأَ .

'क्या तेरे सर की जूऐं तुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हैं?' मैंने कहा, हाँ। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सर मुण्डवा लीजिये और तीन दिन रोज़े रख लीजिये या छः मिस्कीनों को खाना खिला दें या एक क़ुर्बानी कर दीजिये।' अय्यूब (रह.) कहते हैं, मुझे मालूम नहीं आप(ﷺ) ने इन तीन चीज़ों में से पहले किसका नाम लिया, यानी आग़ाज़ किससे किया।

(सहीह बुख़ारी : 1814, 1815, 1817, 1818, 4159, 4190, 4191, 5665, 5703, 6708, अबू दाऊद : 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, तिर्मिज़ी : 953, 2973, 2974, नसाई : 5/195)

मुफ़रदातुल हदीस : क़िद्र और बुर्मह : दोनों का मानी हण्डिया के तलिये है।

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِمِثْلِهِ

(2878) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى]الآيَةُ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ " ادْنُهْ " . فَدَنَوْتُ {نُسُكٍ فَقَالَ " ادْنُهْ " . فَدَنَوْتُ . فَقَالَ صلى الله

(2879) हज़रत कअ़ब बिन उजरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ये आयते मुबारका मेरे बारे में उतरी है, 'तो तुममें से जो शख़्स बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो और वो सर मुण्डा ले तो वो फ़िद्ये के तौर पर रोज़े रखे या सदक़ा करे या क़ुर्बानी करे।' (सूरह बक़रह : 196) मैं आप(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने फ़रमाया, 'क़रीब हो जा।' मैं क़रीब हो गया। आपने फ़रमाया, 'क़रीब हो जा।' मैं क़रीब हो गया तो आपने पूछा, 'क्या जूऐं तुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हैं?' इब्ने औ़न

कहते हैं, मेरे ख़याल में कअब (रज़ि.) ने जवाब दिया, हाँ! कअब (रज़ि.) कहते हैं तो आपने मुझे बतौरे फ़िद्या हुक्म दिया कि रोज़े, सदक़ा और क़ुर्बानी में से जो आसान हो उस पर अमल करो।'

عليه وسلم " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ " . قَالَ ابْنُ عوْنٍ وَأَظُنُّهُ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : हवाम : हाम्मह की जमा है, हर ज़हरीली चीज़ को कहते हैं और इसका इत्लाक़ कीड़े-मकोड़ों पर भी हो जाता है।

(2880) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आकर उसके पास रुके इस हालत में कि उसके सर से जूऐं झड़ रही थीं। तो आपने पूछा, 'क्या तेरी जूऐं तेरे लिये तकलीफ़ का बाइस़ बन रही हैं?' मैंने कहा, हाँ। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपना सर मुण्डवा लो।' कअब (रज़ि.) कहते हैं, ये आयते मुबारका, 'तुममें से जो बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो जिसकी बिना पर वो सर मुण्डवा ले तो उस पर फ़िद्या है, रोज़े रखे या सदक़ा करे या क़ुर्बानी करे।' (सूरह बक़रह : 196) मेरे बारे में उतरी है तो आप (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'तीन रोज़े रख लो या एक फ़रक़ (तीन साअ) छः मिस्कीनों पर सदक़ा कर दो या जो क़ुर्बानी मुयस्सर हो कर डालो।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَيْفٌ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ، الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ " . قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ" .

(2881) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उसके पास से गुज़रे और वो मक्का में दाख़िल होने से पहले हुदैबिया में था और वो मुहरिम था, वो हण्डिया के नीचे आग जला रहा था और

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَأَيُّوبَ، وَحُمَيْدٍ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

जूऐं उसके चेहरे पर गिर रही थीं तो आपने पूछा, 'क्या तुझे ये ज़हरीले जानवर तकलीफ़ देते हैं?' उसने कहा, हाँ! आपने फ़रमाया, 'अपना सर मुण्डवा और छ: मिस्कीनों के दरम्यान एक फ़रक़ (तीन साअ) खाना तक़सीम कर या तीन रोज़े रख ले या एक क़ुर्बानी कर दे।' इब्ने नजीह कहते हैं, 'या एक बकरी ज़िब्ह कर दे।'

عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ - أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً " . قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ " أَوِ اذْبَحْ شَاةً " .

(2882) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हुदैबिया के ज़माने में उसके पास से गुज़रे और उससे पूछा, 'क्या तेरे सर की जूऐं तुम्हें तकलीफ़ पहुँचा रही हैं?' उसने कहा, हाँ। तो नबी (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'अपना सर मुण्डा लो, फिर एक बकरी की क़ुर्बानी कर दो या तीन रोज़े रख लो या तीन साअ खजूरें छ: मिस्कीनों को दे दो।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ " آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ " . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ " .

(2883) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मअक़िल बयान करते हैं कि मैं मस्जिद में हज़रत कअब (रज़ि.) के पास बैठा और उनसे इस आयत के बारे में पूछा, 'तो उस पर फ़िद्या है रोज़े या सदक़ा या क़ुर्बानी?' तो कअब (रज़ि.) ने कहा, (ये आयत) मेरे बारे में उतरी है। मेरे सर में तकलीफ़ थी तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास ले जाया गया, जबकि जूऐं मेरे चेहरे पर

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ - رضى الله عنه - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ ‏{‏ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

نُسُكٍ{ فَقَالَ كَعْبٌ رضى الله عنه نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ " مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً " . فَقُلْتُ لاَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ } فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ{ قَالَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ - قَالَ - فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْىَ لَكُمْ عَامَّةً .

झड़ रही थीं तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं नहीं समझता था कि तुझे तकलीफ़ इस हद तक पहुँच रही है, जो मैं देख रहा हूँ। क्या तेरे पास बकरी है?' मैंने कहा, नहीं। तो ये आयत उतरी, 'उस पर फ़िद्या है रोज़े या सदक़ा या क़ुर्बानी।' आप (ﷺ) ने बताया, रोज़े तीन हैं या छः मिस्कीनों का खाना, हर मिस्कीन के लिये आधा साअ़ खाना कहा। ख़ास तौर पर मेरे बारे में उतरी है और इसका हुक्म तुम सबके लिये है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلاَّقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ " هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ " . قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ . فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ{ ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً .

(2884) हज़रत कअ़ब बिन उजरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि वो एहराम बांधकर नबी (ﷺ) के साथ निकले और उनके सर और दाढ़ी में कसरत से जूऐं पड़ गईं। नबी (ﷺ) को इसकी ख़बर पहुँच गई। तो आप (ﷺ) ने उसकी तरफ़ पैग़ाम भेजा और एक सर मूण्डने वाले को बुलवाया, उसने उसका सर मुण्ड दिया। फिर आप (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'क्या तुझमें क़ुर्बानी की इस्तिताअ़त (ताक़त) है?' कअ़ब (रज़ि.) ने कहा, मुझमें इतनी इस्तिताअ़त नहीं है। तो आप (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया, तीन रोज़े रख लो या छः मसाकीन को खाना दे दो, हर दो मिस्कीनों को एक साअ़।' तो अल्लाह तआ़ला ने ये आयत ख़ास तौर पर इसके बारे में उतारी कि तुममें से जो बीमार है या उसके सर में तकलीफ़ हो।' लेकिन इसका हुक्म तमाम मुसलमानों के लिये आम है।

फ़वाइद : (1) सफ़रे हुदैबिया के दौरान हुज़ूर (ﷺ) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) के पास से गुज़रे। देखा कि वो हण्डिया के नीचे आग जला रहे हैं और उनके सर से जूऐं, उनके चेहरे पर गिर रही हैं तो आप (ﷺ) ने खड़े-खड़े पूरी तरह जायज़ा लिये बग़ैर उनसे पूछा कि क्या ये जूऐं तेरे लिये तकलीफ़ का बाइस बन रही हैं। हज़रत कअब (रज़ि.) ने हाँ में जवाब दिया। तो आप (ﷺ) ने उन्हें बता दिया कि सर मुण्डवा लो और जो फ़िद्या सहूलत व आसानी के साथ मुयस्सर हो दे दो, ये कहकर आप तशरीफ़ ले गये। बाद में किसी साथी ने हज़रत कअब (रज़ि.) की तकलीफ़ की शिद्दत का तज़्किरा किया तो आपने उन्हें बुलावा भेजा, तकलीफ़ की शिद्दत की बिना पर उन्हें उठाकर ले जाया गया तो आपने बहुत क़रीब से उनका जायज़ा लिया और तकलीफ़ की शिद्दत देखकर फ़रमाया, मैंने उस वक़्त जब तुम्हें पहले देखा था, इस क़द्र तकलीफ़ महसूस नहीं की थी, फिर आपने फ़ौरी सर मुण्डने वाले को बुलवाकर सर मुण्डवाया और उन्हें कफ़्फ़ारे की तल्क़ीन की। आपने पहले ये हुक्म वह्ये ख़फ़ी के ज़रिये दिया था। बाद में इसकी ताईद में क़ुरआनी सूरत में वह्ये जली का नुज़ूल हुआ। लेकिन इसमें कफ़्फ़ारे का बयान इज्माली अन्दाज़ में है, इसकी तफ़्सील व वज़ाहत वह्ये ख़फ़ी (हदीस़) में मौजूद है, जिससे साबित होता है क़ुरआन को आपकी हदीस़ की रोशनी में समझा जा सकता है, क़ुरआन में सिर्फ़ रोज़ों और सदक़े का तज़्किरा है, लेकिन कितने रोज़े रखे जायें और कितनी मिक़्दार में सदक़ा अदा किया जाये, इसकी तफ़्सील और वज़ाहत मौजूद नहीं है। इस तरह नसीका की वज़ाहत नहीं, उन चीज़ों की तफ़्सील और तफ़्सीर हदीस़ में मौजूद है। (2) अगर मुहरिम को सर की किसी तकलीफ़ की बिना पर, सर मुण्डवाने की ज़रूरत पेश आ जाये तो बिल्इत्तिफ़ाक़ सर मुण्डवा सकता है और उसका उसे फ़िद्या अदा करना होगा कि वो तीन रोज़े रख ले या छः मिस्कीनों को खाना खिला दे, यानी हर मिस्कीन को आधा साअ ख़ुराक मुहैया करे या बकरी की क़ुर्बानी करे। अइम्मा-ए-सलासा, इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक हर क़िस्म का ग़ल्ला व अनाज निस्फ़ साअ अदा करना होगा, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक गन्दुम का निस्फ़ साअ होगा और बाक़ी अज्नास (जिन्सों का) पूरा साअ देना होगी। हालांकि हदीस़ में खजूर के तीन साअ की सराहत मौजूद है। यानी हर एक मिस्कीन को आधा साअ खजूर दी जाये और अइम्मा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि क़ुर्बानी, सदक़े और रोज़े में तर्तीब ज़रूरी नहीं है कि अगर क़ुर्बानी न कर सकता हो तो फिर रोज़े रखे, रोज़े न रखता हो तो फिर सदक़ा करे। बल्कि इख़्तियार है तीन कामों में से जो चाहे कर ले।

बाब 11 : मुहरिम के लिये सेंगी (हिजामा) लगाना जाइज़ है

باب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

(2885) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने एहराम की हालत में सेंगी लगवाई।
(सहीह बुख़ारी : 1835, 5695, अबू दाऊद : 1835, तिर्मिज़ी : 839, नसाई : 5/193)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

(2886) हज़रत इब्ने बुहैनह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने मक्का के रास्ते में एहराम की हालत में सर के दरम्यान पछने लगवाये।
(सहीह बुख़ारी : 1836, 5698, नसाई : 5/194, इब्ने माजह : 3481)

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ .

फ़ायदा : ज़रूरत की बिना पर बिल्इत्तिफ़ाक़ मुहरिम सेंगी लगवा सकता है, अगर सेंगी लगवाने की सूरत में बाल कटवाने पड़ें तो उस पर बिल्इत्तिफ़ाक़ फ़िद्या है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दम है और साहिबैन के नज़दीक सदक़ा है, अगर बाल न टूटें तो फ़िद्या नहीं है, अगर बिला ज़रूरत पछने लगवाये और बाल न टूटें तो जुम्हूर के नज़दीक जाइज़ है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक मक्रूह है।

बाब 12 : मुहरिम के लिये आँखों में दवा डालना जाइज़ है

باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

(2887) नुबैह बिन वहब (रह.) बयान करते हैं कि हम अबान बिन उ़समान के साथ निकले, जब मलल नामी जगह पर पहुँचे तो उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह की आँखें दुखने लगीं और जब मक़ामे रौहा पर पहुँचे तो तकलीफ़ शिद्दत इख़ितयार कर गई तो उन्होंने मसला

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ، عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ

पूछने के लिये अबान बिन उ़समान के पास आदमी भेजा। उन्होंने पैग़ाम भेजा कि उन पर एलवे का लेप कर लो, क्योंकि हज़रत उ़समान (रज़ि.) ने उस आदमी के बारे में, जिसकी एहराम की हालत में आँखें दुखती थीं, नबी (ﷺ) से बयान किया कि आप (ﷺ) ने उन पर एलवे का लेप कराया।
(अबू दाऊद : 1838, 1839, तिर्मिज़ी : 952, नसाई : 5/143)

بْنِ وَهْبٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ

(2888) नुबैह बिन वहब बयान करते हैं कि उ़मर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़मर की आँखें दुखने लगीं तो उसने आँखों में सुरमा डालना चाहा, तो अबान बिन उ़समान ने उसे रोक दिया और उसे उन पर एलवे का लेप करने का हुक्म दिया और हज़रत उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) के वास्ते से नबी (ﷺ) से बयान किया कि आपने ऐसा करने के लिये फ़रमाया था।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا، فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ .

फ़ायदा : अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि इलाज-मुआल्जे के लिये मुहरिम के लिये ऐसी चीज़ से लेप करना जाइज़ है जिसमें ख़ुश्बू न हो और इस सूरत में फ़िद्या नहीं है, अगर ऐसी चीज़ के लेप करने की ज़रूरत हो जिसमें ख़ुश्बू हो तो फिर लेप करना जाइज़ होगा और फ़िद्या लाज़िम आयेगा, इस तरह ज़ेबो-ज़ीनत के लिये आँखों में सुरमा डालना, इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक नाजाइज़ है, अगर मामूली ख़ुश्बू हो तो सदक़ा है, अगर ख़ुश्बू ज़्यादा हो तो उस पर दम है, अगर बीमारी की वजह से ख़ुश्बूदार सुरमा इस्तेमाल करे तो उसे रोज़ों, सदक़े और क़ुर्बानी में से कोई एक कफ़्फ़ारा देना ज़रूरी है, यही सूरत ख़ुश्बूदार दवा पीने और ख़ुश्बूदार मरहम इस्तेमाल करने की है।

बाब 13 : मुहरिम के लिये बदन और सर धोना जाइज़ है

باب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

(2889) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) के दरम्यान मक़ामे अबवा में इख़्तिलाफ़ पैदा हो गया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा, मुहरिम अपना सर धो सकता है और मिस्वर (रज़ि.) ने कहा, मुहरिम अपना सर नहीं धो सकता। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन हुनैन को हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) के पास ये मसला पूछने के लिये भेजा, (अब्दुल्लाह कहते हैं) मैंने उन्हें कुँऐं की दो लकड़ियों के दरम्यान नहाते हुए पाया, जबकि उन्हें एक कपड़े से पर्दा किया गया था। मैंने उन्हें सलाम अर्ज़ किया, तो उन्होंने पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, मैं अब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ। मुझे आपके पास अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने भेजा है कि मैं आपसे पूछूँ, रसूलुल्लाह (ﷺ) एहराम की हालत में अपना सर कैसे धोते थे? तो हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) ने अपना हाथ कपड़े पर रखकर उसे नीचे किया, यहाँ तक कि मुझे उनका सर नज़र आने लगा (मुझ पर उनका सर ज़ाहिर हो गया) फिर उन्होंने पानी डालने वाले इंसान को कहा, पानी डाल, उसने उनके

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، -وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ . فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ - قَالَ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ - رضى الله عنه - يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي

رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ اصْبُبْ . فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ .

सर पर पानी डाला, फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से सर को हरकत दी, दोनों हाथों को आगे और पीछे ले गये फिर कहा, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे ही करते देखा है।
(सहीह बुख़ारी : 18400, अबू दाऊद : 1840, नसाई : 5/128-129, इब्ने माजह : 2934)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ لاَ أُمَارِيكَ أَبَدًا .

(2890) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं कि ज़ैद बिन असलम ने मज़्कूरा बाला सनद से बयान किया, अबू अय्यूब (रज़ि.) ने अपने दोनों हाथों को मुकम्मल तौर पर पूरे सर पर फेरा और दोनों को आगे और पीछे ले गये तो मिस्वर (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से कहा, मैं आपके साथ कभी बहस नहीं करूँगा।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ उलमा में किसी मसले के बारे में इख़्तिलाफ़ हो जाये तो ऐसी सूरत में, किसी तीसरे साहिबे इल्म से शरई नस के बारे में पूछा जायेगा और शरई नस के सामने आने पर अपने क़ियास व इज्तिहाद और अपने क़ौल व नज़रिये को छोड़ दिया जायेगा और फ़ैसलाकुन चीज़ शरई नस (किताबो-सुन्नत) ही है और बापर्दा होकर दूसरे इंसान की मदद से गुस्ल करना जाइज़ है और गुस्ल करने वाले को सलाम भी कहा जायेगा, नीज़ मुहरिम के लिये, तबरीद (ठण्डक का हुसूल) नज़ाफ़त और तहारत के लिये गुस्ल करना अइम्मा के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है, लेकिन बालों को टूटने से बचाया जायेगा और ख़ुश्बूदार साबुन इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ख़ुश्बूदार साबुन के इस्तेमाल पर दम वाजिब होगा, अगर किसी उज़्र और मजबूरी की बिना पर इस्तेमाल करेगा तो फिर तीन कफ़्फ़ारों में से कोई एक लाज़िम होगा।

बाब 14 : मुहरिम के मरने की सूरत में क्या किया जायेगा

باب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

(2891) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, एक आदमी अपने ऊँट से गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई तो वो मर गया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसको पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और इसे इसके दोनों कपड़ों का कफ़न दो और इसके सर को न ढांपो क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह इसे तल्बिया कहते हुए उठायेगा।'

(सहीह बुख़ारी : 1268, 1849, अबू दाऊद : 3238-3239, तिर्मिज़ी : 951, नसाई : 4/39, 5/145, 5/197, इब्ने माजह : 3084)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : वुक़िस : सवारी से गिर कर गर्दन का टूट जाना।

(2892) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि इसी असना (बीच) में एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ अरफ़ात में ठहरा हुआ था कि वो अचानक अपनी सवारी से गिर गया। अय्यूब की रिवायत में, उसे सवारी ने गिरा कर गर्दन तोड़ डाली या गिराकर मार डाला। अम्र ने फ़अक़्असत्हु कहा, गिराकर गर्दन तोड़ दी। इसका तज़्किरा नबी (ﷺ) के सामने किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और उसे दो कपड़ों में कफ़न दो, उसे ख़ुश्बू न लगाओ और उसका सर न ढांपो।' अय्यूब कहते हैं, 'क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे तल्बिया कहते हुए उठायेगा।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَيُّوبَ، عنْ سَعِيدِ، بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ فَأَوْقَصَتْهُ أَوْ قَال - فَأَقْعَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَوَقَصَتْهُ - فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ - قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ

अम्र कहते हैं, 'क्योंकि क़यामत वाले दिन अल्लाह तआला उसे उठायेगा, वो तल्बिया कह रहा होगा।'
(सहीह बुख़ारी : 1265, 1266, 1268, अबू दाऊद : 3239-3240, नसाई : 5/196)

اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَالَ عَمْرٌو - فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) वक़सत्हु और औ क़सत्हु दोनों का मानी है गिराकर गर्दन तोड़ दी और अक़्सअत्हु का मानी है, उसे फ़ौरन क़त्ल कर दिया। **(2) हुनूत :** उस ख़ुश्बू को कहते हैं जो ख़ास तौर पर मय्यित के लिये तैयार की जाती है।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायात से साबित होता है कि जब मुहरिम एहराम की हालत में फ़ौत हो जाये तो उसकी हालते एहराम बरक़रार रहेगी, इसलिये उसको एहराम के कपड़ों का कफ़न दिया जायेगा, उसका सर भी नहीं ढांपा जायेगा और न ही ख़ुश्बू लगाई जायेगी। इमाम अहमद, इमाम शाफ़ेई, इस्हाक़ और मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक उसका एहराम ख़त्म हो जायेगा, इसलिये उसे आ़म अम्वात की तरह कफ़न दिया जायेगा, उसको सिले हुए कपड़े पहनाना, सर ढांपना, ख़ुश्बू लगाना जाइज़ है। लेकिन ये सहीह हदीस़ के ख़िलाफ़ है और सिर्फ़ अपने वज़ई क़ाइदे के तहत, इस हदीस़ को उस आदमी के साथ ख़ास क़रार दिया गया है। बाक़ी रहा बेरी के पत्तों से गुस्ल देना तो ये ख़ुश्बू के लिये नहीं है, अगर बिल्फ़र्ज़ ख़ुश्बू हो भी तो हदीस़ में मौत की सूरत में उसका हुक्म मौजूद है।

(2893) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के साथ एहराम की हालत में वुक़ूफ़ (अरफ़ा में ठहरना) किये हुए था, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً، كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ . فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ .

(2894) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक मुहरिम आदमी नबी (ﷺ) के साथ आया और वो अपने ऊँट से गिर गया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वो फ़ौत हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया,

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ أَقْبَلَ

رَجُلٌ حَرامًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي "

'इसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और इसे इसके दोनों कपड़े पहनाओ और इसका सर न ढांपो, क्योंकि ये क़यामत के दिन तल्बिया कहते हुए आयेगा।'

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، -رضى الله عنهما - قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " . وَزَادَ لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ .

(2895) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी एहराम की हालत में नबी (ﷺ) के साथ आया, जैसाकि मज़्कूरा बाला रिवायत में है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है उसमें ये है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे क़यामत के दिन तल्बिया कहने वाला उठाया जायेगा।' और उसमें ये इज़ाफ़ा है कि सईद बिन जुबैर ने गिरने की जगह का नाम नहीं लिया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً، أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا " .

(2896) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी को उसकी सवारी ने गिराकर गर्दन तोड़ दी, जबकि वो मुहरिम था और वो मर गया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और इसके दोनों कपड़ों का कफ़न दो, इसके सर और चेहरे को न ढांपो, क्योंकि वो क़यामत के दिन तल्बिया कहने वाला उठाया जायेगा।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि मुहरिम के फ़ौत होने की सूरत में उसका चेहरा भी नहीं ढांपा जायेगा, इसलिये मुहरिम के लिये चेहरा ढांपने के बारे में अइम्मा में इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई,

अहमद के नज़दीक चेहरा ढांपना जाइज़ है। क्योंकि हज़रत उ़समान, अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़, ज़ैद बिन साबित और सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) वग़ैरह से इसका जवाज़ साबित है और इस हदीस़ में चेहरा ढांपने की मुमानिअ़त सर के खुला रखने की ख़ातिर है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक इस रिवायत की बिना पर मुहरिम के लिये ज़िन्दगी में चेहरा ढांपना जाइज़ नहीं है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما ح . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ، بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا "

(2897) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी एहराम की हालत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था, उसकी ऊँटनी ने गिराकर उसकी गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो मर गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और इसे इसके दोनों कपड़ों का कफ़न दो, इसे ख़ुश्बू न लगाना और इसका सर न ढांपना, क्योंकि ये क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा कि इसके बाल जमे हुए होंगे।'

(सहीह बुख़ारी : 1267, 1851, नसाई : 5/144-145, 5/195, 5/196, 5/197)

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَجُلاً، وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ يُمَسَّ طِيبًا وَلاَ يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا .

(2898) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी को उसकी ऊँटनी ने गिरा दिया और उसकी गर्दन तोड़ डाली, जबकि वो मुहरिम था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके बारे में हुक्म दिया कि 'उसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दिया जाये, उसे ख़ुश्बू न लगाई जाये और न उसका सर ढांपा जाये, क्योंकि वो क़यामत के दिन जमे हुए बालों की सूरत में उठाया जायेगा।'

(2899) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास एहराम की हालत में आया, वो अपनी ऊँटनी से गिर गया, उसने उसकी गर्दन तोड़ डाली तो नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया कि उसे पानी और बेरी के पत्तों से नहलाया जाये और उसे दो कपड़ों का कफ़न दिया जाये, उसको ख़ुश्बू न लगाई जाये और उसका सर कफ़न से बाहर हो।' शोबा कहते हैं, बाद में उस्ताद ने मुझे इस तरह रिवायत सुनाई कि उसका सर और चेहरा बाहर हो, क्योंकि वो क़यामत के दिन जमे हुए बालों के साथ उठाया जायेगा।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ يُمَسَّ طِيبًا خَارِجٌ رَأْسُهُ . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا .

(2900) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक आदमी था, उसकी ऊँटनी ने उसे गिराकर उसकी गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो मर गया। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे ग़ुस्ल दो, ख़ुश्बू इसके क़रीब न लाना और न इसका चेहरा ढांपना, क्योंकि क़यामत के दिन ये तल्बिया कहते हुए उठाया जायेगा।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - وَقَصَتْ رَجُلاً رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ - حَسِبْتُهُ قَالَ - وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ .

(2901) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक आदमी था, उसकी ऊँटनी ने उसे गिराकर उसकी गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो मर गया। तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इसे नहलाओ और

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اغْسِلُوهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلاَ تُغَطُّوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي

ख़ुश्बू इसके क़रीब न लाना और न इसका चेहरा ढांपना क्योंकि (क़यामत के दिन) इसे तल्बिया कहते हुए उठाया जायेगा।'

باب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ بِعُذْرِ الْمَرَضِ وَنَحْوِهِ

बाब 15 : मुहरिम के लिये जाइज़ है कि वो ये शर्त लगा ले कि वो बीमारी वग़ैरह के उ़ज़्र से एहराम खोल देगा

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا " أَرَدْتِ الْحَجَّ " . قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً . فَقَالَ لَهَا " حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي " . وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ .

(2902) हज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुबाअ़ह बिन्ते ज़ुबैर (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले गये और उससे पूछा, 'क्या तूने हज का इरादा किया है?' उसने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! मैं तो अपने आपको बीमार पाती हूँ, (मैं बीमार हूँ)। तो आप (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'हज का इरादा कर ले और शर्त लगा ले और यूँ कह ले, ऐ अल्लाह! मैं उस जगह हलाल हो जाऊँगी, जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' वो हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) के निकाह में थी।

(सहीह बुख़ारी : 5089)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि हज और उ़म्रह के लिये एहराम बांधने वाला ये शर्त लगा सकता है कि अगर मैं रास्ते में बीमार पड़ गया तो मैं जहाँ बीमार पड़ गया वहीं एहराम खोल दूँगा। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहद्दिस़ीन का यही नज़रिया है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक ये शर्त लगाना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये इजाज़त सिर्फ़ हज़रत ज़ुबाअ़ह (रज़ि.) के लिये मुख़्तस्स (ख़ास) थी, लेकिन इसकी तख़्सीस की कोई दलील मौजूद नहीं है। अ़ल्लामा सईदी का इस हदीस़ के बुख़ारी में होने का इंकार दुरुस्त नहीं है। ये हदीस़ किताबुन्निकाह बाबुल अक्फ़ाउ फ़िद्दीन में मौजूद है।

(2903) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ज़ुबाअह बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) के पास गये तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हज करना चाहती हूँ, जबकि मैं बीमार हूँ तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हज कर और ये शर्त लगा ले, मैं वहीं हलाल हो जाऊँगी (एहराम खोल दूँगी) जहाँ तू मुझे रोक लेगा।'

(नसाई : 5/168, 169)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي "

(2904) इमाम साहब यही हदीस़ अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - مِثْلَهُ .

(2905) इमाम साहब अपने कई उस्तादों से हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते हैं कि ज़ुबाअह बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, मैं बीमार रहने वाली औरत हूँ और मैं हज करना चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आप (ﷺ) ने फ़रमाया ,'हज का एहराम बांध ले और शर्त लगा ले, मैं वहीं एहराम खोल दूँगी जहाँ (ऐ अल्लाह) तू मुझे रोक लेगा।' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, उसको हज करने का मौक़ा मिल गया था।

(नसाई : 5/168, इब्ने माजह : 2938)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، وَعِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، - رضى الله عنها - أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ " أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي " . قَالَ فَأَدْرَكَتْ .

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما أَنَّ ضُبَاعَةَ، أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(2906) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, ज़ुबाअ़ह (रज़ि.) ने हज करने का इरादा किया तो नबी (ﷺ) ने उसे शर्त लगाने का हुक्म दिया तो उसने हुज़ूर (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ ऐसे ही किया।
(नसाई : 5/167)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ - عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ رضى الله عنها " حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي " . وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ

(2907) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ज़ुबाअ़ह (रज़ि.) से फ़रमाया, 'हज कर और शर्त लगा ले (ऐ अल्लाह!) मैं वहीं एहराम खोल दूँगी जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' इस्हाक़ की रिवायत में क़ाल लिज़ुबाअ़ह की बजाय अम-र ज़ुबाअ़ह है कि ज़ुबाअ़ह (रज़ि.) को हुक्म दिया।

باب إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضِ

बाब 16 : निफ़ास वाली औरतों का एहराम बांधना और उनके लिये एहराम के लिये गुस्ल करना मुस्तहब है, हाइज़ा का भी यही हुक्म है

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَةَ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

(2908) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) को शजरह के पास मुहम्मद बिन अबी बक्र की पैदाइश की बिना पर निफ़ास शुरू हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

अबू बक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया, 'इसे कहो कि वो गुस्ल कर ले और एहराम बांध ले।'
(अबू दाऊद : 1743, इब्ने माजह : 2911)

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ، سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

(2909) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) के बारे में बयान करते हैं, जब मक़ामे ज़ुल्हुलैफ़ा में उन्हें निफ़ास शुरू हो गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू बक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया तो उन्होंने उसे हुक्म दिया कि वो गुस्ल कर ले और एहराम बांध ले।
(नसाई : 1/122, 1/195, 5/164, इब्ने माजह : 2913)

तम्बीह : शजरह, ज़ुल्हुलैफ़ा के पास है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि निफ़ास वाली औरत हज का एहराम बांध सकती है और हाइज़ा का भी यही हुक्म है। जुम्हूर, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक एहराम के लिये गुस्ल करना मुस्तहब है और अहले ज़ाहिर के नज़दीक फ़र्ज़ है, हैज़ व निफ़ास वाली औरत हज और उम्रह के तमाम अरकान अदा करेगी, सिर्फ़ तवाफ़ नहीं कर सकेगी और इससे ये भी स़ाबित हुआ, एहराम के लिये दो रकअतें ज़रूरी नहीं हैं। हैज़ व निफ़ास वाली नमाज़ नहीं पढ़ सकती।

बाब 17 : एहराम की सूरतें (और इंसान के लिये हज्जे इफ़राद, तमत्तोअ और क़िरान जाइज़ है और ये भी जाइज़ है कि उम्रह का एहराम बांधने के बाद उसके साथ हज की निय्यत कर ले और क़ारिन, अफ़आले हज से कब हलाल होगा)

باب بَيَانِ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ

(2910) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज्जतुल वदाअ के साल हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले और हमने उम्रे का एहराम बांधा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके पास हदी (कुर्बानी का जानवर) है तो वो उम्रह के साथ हज के लिये भी तल्बिया कहे, फिर वो जब तक दोनों से हलाल न हो जाये, उस वक़्त तक एहराम न खोले।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैं मक्का, हैज़ की हालत में पहुँची। इसलिये बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी और न ही सफ़ा व मरवह की सई कर सकी। तो मैंने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह (ﷺ) से की तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने सर के बाल खोल दे और कंघी कर ले और हज का तल्बिया कह और उम्रह के अफ़आल छोड़ दे।' तो मैंने ऐसे ही किया। जब हम हज से फ़ारिग़ हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) के साथ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " . قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ " . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى

التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ " هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ " . فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

मक़ामे तन्ईम भेजा। मैंने उम्रह कर लिया, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये तुम्हारे उम्रे की जगह है।' तो जिन लोगों ने उम्रह का एहराम बांधा था, उन्होंने बैतुल्लाह, सफ़ा और मरवह के चक्कर लगाये, फिर एहराम खोल दिया। फिर जब वो मिना से वापस आये तो उन्होंने अपने हज के लिये दोबारा तवाफ़ किया, लेकिन जिन लोगों ने हज और उम्रह दोनों का एहराम बांधा था, उन्होंने एक ही तवाफ़ किया।

(सहीह बुख़ारी : 1556)

फ़वाइद : (1) हज कब फ़र्ज़ हुआ, इसके बारे में इख़्तिलाफ़ है। मशहूर क़ौल दो हैं 6 और 9 हिजरी। सहीह क़ौल यही मालूम होता है कि 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद। जब मक्का मुअज़्ज़मा पर मुसलमानों का इक़्तिदार (क़ब्ज़ा) हो गया तो 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ। लेकिन इस साल आपने ख़ुद हज नहीं किया। बल्कि हज़रत अबू बकर (रज़ि.) को अमीरे हज बनाकर भेजा और उस हज में चंद अहम ऐलानात करवाये गये ताकि जब आइन्दा साल आप ख़ुद हज फ़रमायें तो उसमें जाहिलिय्यत के गन्दे और मुश्रिकाना तौर-तरीक़ों की आमेज़िश (मिलावट) न हो और लोग आप (ﷺ) से हज करने के सहीह तौर-तरीक़े सीख लें। इसलिये आप (ﷺ) के हज की ख़ुसूसी एहतिमाम से तशहीर (ऐलान) करवाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस मुबारक सफ़र में आपके साथ रहकर मनासिके हज और दीन के दूसरे मसाइल और अहकाम सीख लें। इसलिये लोग आप (ﷺ) की रिफ़ाक़त की ख़ातिर जोक़-दर-जोक़ इस हज में शिरकत के लिये आये और रास्ते में भी रुफ़क़ाए सफ़र में इज़ाफ़ा होता रहा। **(2)** हज की क़िस्में : हज की तीन क़िस्में हैं (1) हज्जे इफ़राद : जिसके लिये मीक़ात से बाहर से जाने वाला, अपने मुक़र्ररह मीक़ात से सिर्फ़ हज का एहराम बांधता है और हज से फ़राग़त तक मुहरिम ही रहता है। (2) हज्जे तमत्तोअ : हज के लिये जाने वाला अपने मीक़ात से सिर्फ़ उम्रह के लिये एहराम बांधता है और ये एहराम हज के महीनों में बांधा जायेगा, फिर मक्का मुकर्रमा पहुँचकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है, उसके बाद सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करता है, फिर तहलीक़ या तक़सीर के बाद एहराम खोल देता है और आठ ज़िल्हिज्जा को नये सिरे से हज के लिये एहराम बांधता है और हज के तमाम काम नये सिरे से अदा करता है यानी दस ज़िल्हिज्जा को मिना से आकर, तवाफे

इफ़ाज़ा के बाद सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करता है और हज से फ़ारिग़ हो जाता है, तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले रमी, क़ुर्बानी और तहलीक़ या तक़सीर कर लेता है। (3) हज्जे क़िरान : जिसके लिये हाजी, मीक़ात से उ़म्रह और हज दोनों के लिये एहराम बांधता है और उ़म्रह करने के बाद एहराम नहीं खोलता, बल्कि हज से फ़राग़त के बाद हलाल होता है, यानी तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले एहराम खोलता है, जबकि वो क़ुर्बानी करने के बाद तहलीक़ या तक़सीर कर लेता है। **(3)** नबी (ﷺ) हफ़्ते के दिन 25 ज़िल्हिज्जा 10 हिजरी को नमाज़े ज़ुहर के बाद, मदीना मुनव्वरा से निकले हैं और रात ज़ुल्हुलैफ़ा में गुज़ारी है। अगले दिन इतवार को नमाज़े ज़ुहर के बाद मस्जिदे ज़ुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधा है। चूंकि अ़रबों का दस्तूर ये चला आ रहा था कि वो जब हज के लिये निकलते तो सिर्फ़ हज का एहराम बांधते थे। हज के साथ उ़म्रह नहीं करते थे, इसलिये मदीना मुनव्वरा से निकलते वक़्त सबका इरादा सिर्फ़ हज ही का था। लेकिन जब वादी अ़क़ीक़ में आप (ﷺ) को हज के साथ उ़म्रह करने का हुक्म दिया गया तो आपने लोगों को उ़म्रह का तल्बिया कहने का मशवरा दिया। इसलिये कुछ लोगों ने यहाँ से सिर्फ़ उ़म्रह का तल्बिया कहना शुरू किया। लेकिन आपके पास चूंकि हदी (क़ुर्बानी का जानवर) थी, इसलिये आपने हज के साथ उ़म्रह को भी मिला लिया और आप क़ारिन बन गये। अज़्वाजे मुतह्हरात ने भी उ़म्रह का तल्बिया कहना शुरू कर दिया और हज को फ़स्ख़ कर डाला, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ हज के एहराम पर क़ायम रहें। यहाँ तक कि आपने मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह के तवाफ़ से फ़राग़त के बाद उन तमाम लोगों को एहराम खोलने का हुक्म दिया, जिनके पास क़ुर्बानी नहीं थी, इस तरह ये सब लोग मुतमत्तेअ़ हो गये। अगरचे जब मदीना से चले थे तो सबका इरादा हज्जे इफ़राद का था। आप (ﷺ) ने अपने लिये ये उ़ज़्र पेश फ़रमाया, चूंकि मेरे पास हदी है, इसलिये मैं एहराम खोलकर मुतमत्तेअ़ (हज्जे तमत्तोअ़ करने वाले) नहीं बन सकता, अगर मेरे पास क़ुर्बानी न होती तो मैं भी तुम्हारी तरह उ़म्रह करने के बाद एहराम खोल देता। **(4)** हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने भी दूसरी अज़्वाजे मुतह्हरात की तरह पहले उ़म्रह करने की निय्यत कर ली थी, लेकिन चूंकि वो तवाफ़े बैतुल्लाह से पहले हाइज़ा हो गईं थीं, इसलिये वो पहले उ़म्रह न कर सकीं। इसलिये आप (ﷺ) ने उनको भी हज्जे क़िरान करने का हुक्म दिया। क्योंकि उसमें उ़म्रह के अफ़्आ़ल, हज के अफ़्आ़ल में दाख़िल हो जाते हैं, इसलिये जिन लोगों ने हज्जे क़िरान किया था, उन्होंने सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई सिर्फ़ एक बार की, जबकि हज्जे तमत्तोअ़ करने वालों ने तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद दोबारा सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई की। **(5)** हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने चूंकि हज्जे तमत्तोअ़ का इरादा कर लिया था, जिसमें उ़म्रह और हज अलग-अलग होते हैं, लेकिन वो हैज़ के उ़ज़्र की बिना पर अलग उ़म्रह न कर सकीं। जबकि बाक़ी अज़्वाजे मुतह्हरात ने अलग उ़म्रह कर लिया था। इसलिये उनकी

ख़्वाहिश थी कि मैं भी अलग उ़म्रह करूँगी, हालांकि हज्जे क़िरान के साथ उनका उ़म्रह हो चुका था। उनकी ख़्वाहिश के पेशे नज़र आप (ﷺ) ने हज से फ़राग़त के बाद उन्हें अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बकर (रज़ि.) के साथ, मक़ामे तन्ईम से जो हिल्ल में वाक़ेअ़ है, दोबारा उ़म्रह करवाया। (6) हज की तीनो क़िस्मों के जवाज़ में अइम्मा के दरम्यान कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक हज्जे इफ़राद अफ़ज़ल है। इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक, हज्जे तमत्तोअ़ और हज्जे क़िरान दोनों हज्जे इफ़राद से अफ़ज़ल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक हज्जे क़िरान अफ़ज़ल है और इमाम अहमद के नज़दीक हज्जे तमत्तोअ़ अफ़ज़ल है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम के नज़दीक मुतमत्तेअ़ से वो क़ारिन अफ़ज़ल है जो कुर्बानी साथ लाता है, अगर कुर्बानी नहीं लाता तो मुतमत्तेअ़ अफ़ज़ल है। (7) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक, क़ारिन के लिये भी दो तवाफ़ और दो सई लाज़िम हैं, लेकिन ये मौक़िफ़ सहीह हदीस के ख़िलाफ़ ज़ईफ़ अहादीस़ की बुनियाद पर है। जैसाकि हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआ़द में तफ़्सील से बयान किया है, ज़ादुल मआ़द जिल्द 2, पेज नं. 136-140, इमाम अहमद और कुछ दूसरे हज़रात का एक क़ौल ये है कि मुतमत्तेअ़ भी एक सई पर किफ़ायत कर सकता है, अगरचे अफ़ज़ल दो सई हैं।

(2911) **हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ़ के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो हममें से कुछ ने उ़म्रह का तल्बिया कहा और कुछ ने हज का, यहाँ तक कि हम मक्का पहुँच गये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने उ़म्रह का एहराम बांधा है और उसके पास क़ुर्बानी नहीं है, वो हलाल हो जाये। (तहलीक़ व तक़सीर कर ले) और जिसने उ़म्रह का एहराम बांधा है और क़ुर्बानी साथ लाया है तो वो उस वक़्त तक एहराम न खोले, जब तक हदी नहर (क़ुर्बानी ज़िब्ह) न कर ले और जिसने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा है, वो अपना हज पूरा कर ले।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझे हैज़ आने**

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ " . قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها -

فحضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ - قَالَتْ - فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا .

लगा और मैं अरफ़ा के दिन तक हाइज़ा ही रही और मैंने उम्रह का ही तल्बिया कहा था तो मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया कि मैं सर के बाल खोल लूँ और कंघी कर लूँ और हज का तल्बिया कहूँ और अफ़आले उम्रह छोड़ दूँ तो मैंने ऐसे ही किया, यहाँ तक कि जब मैं अपने हज से फ़ारिग़ हो गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे साथ अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) को भेजा और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने उम्रह की जगह, तन्ईम से उम्रह कर लूँ, जिससे मैं हज का दिन आने तक हलाल नहीं हो सकी थी।

(सहीह बुख़ारी : 319)

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज को मुकम्मल करने का हुक्म उस वक़्त दिया था जबकि आप (ﷺ) ने अभी उन तमाम लोगों के लिये हज फ़स्ख़ करके उम्रह का हुक्म नहीं दिया था जिनके पास हदी नहीं थी। लेकिन जब आप (ﷺ) मक्का पहुँच गये और आपने उन तमाम लोगों को एहराम खोलने का हुक्म दे दिया था, जिनके पास क़ुर्बानी नहीं थी और हज़रत आइशा (रज़ि.) को मक्का पहुँचने से पहले सरिफ़ मक़ाम पर हैज़ आना शुरू हो गया था, इसलिये वो तवाफ़े बैतुल्लाह नहीं कर सकती थीं और तवाफ़े बैतुल्लाह के बग़ैर सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई नहीं हो सकती, इसलिये वो उम्रह न कर सकीं और उम्रह के साथ ही हज का इरादा करके उसे क़िरान बना लिया, जैसाकि आगे इसकी सराहत आ जायेगी।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْىَ

(2912) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के साल नबी (ﷺ) के साथ निकले, मैंने उम्रह का एहराम बांधा और मैंने अपने साथ हदी नहीं ली थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके साथ हदी है वो अपने उम्रह के साथ हज का एहराम बांध ले, फिर वो उस वक़्त

فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا " . قَالَتْ فحِضْتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ يَ رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ " . قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَمْسَكْتُ عَنْهَا .

तक हलाल न हो जब तक दोनों से हलाल न हो जाये।' तो मुझे हैज़ शुरू हो गया तो जब अरफ़ा की रात आई, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने तो उम्रह का एहराम बांधा था तो मैं अपने हज के बारे में क्या करूँ? आपने फ़रमाया, 'अपने सर खोल दे, कंघी कर ले और उम्रह के अफ़आल से रुक जा और तल्बिया कह।' तो जब मैं अपने हज से फ़ारिग़ हो गई, आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया, उसने मुझे अपने पीछे सवार करके मेरे उस उम्रे की जगह जिसके अदा करने से मैं रुक गई थी, मुझे तन्ईम से उम्रह करवाया।

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عنِ الزُّهْرِيِّ، عنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ " . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ مَعهُ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَلَّ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ .

(2913) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम नबी (ﷺ) के साथ निकले तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो हज और उम्रह का एहराम बांधना चाहे, ऐसा कर ले और जो सिर्फ़ हज का एहराम बांधना चाहे, वो हज का एहराम बांध ले और जो उम्रह का एहराम बांधना चाहे, वो उसका एहराम बांध ले।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज का एहराम बांधा और कुछ लोगों ने भी आप (ﷺ) के साथ उसका एहराम बांधा और कुछ लोगों ने उम्रह और हज दोनों का एहराम बांधा और कुछ लोगों ने उम्रह का एहराम बांधा और मैं भी उन लोगों में थी, जिन्होंने उम्रह का एहराम बांधा।

फ़ायदा : लोगों की ये तक़सीम आग़ाज़े सफ़र के ऐतिबार से है, आप (ﷺ) ने पहले सिर्फ़ हज का एहराम बांधा था, आगे जाकर उसमें उम्रह को दाख़िल कर लिया, इसलिये आप (ﷺ) क़ारिन हो गये, क्योंकि आपके साथ हदी थी और हज़रत आइशा (रज़ि.) की पहली रिवायत में गुज़र चुका है कि आपने फ़रमाया था, 'जिसके साथ हदी है, वो हज के साथ उम्रह का एहराम बांध ले।' और आख़िरकार तमाम वो लोग जिनके साथ हदी नहीं थी, वो मुतमत्तेअ बन गये थे, ख़्वाह पहले उन्होंने सिर्फ़ उम्रह का एहराम बांधा था या सिर्फ़ हज का।

(2914) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर ज़िल्हिज्जा के चाँद के तुलूअ के क़रीबी दिनों में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (रास्ते में) फ़रमाया, 'तुममें से जो उम्रह का एहराम बांधना चाहे, वो उसका एहराम बांध ले, अगर मैं क़ुर्बानी साथ न लाता तो मैं भी उम्रह का एहराम बांधता।' तो लोगों में से कुछ ने उम्रह का एहराम बांध लिया और कुछ ने हज का एहराम बांध लिया और मैं उन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रह का एहराम बांधा। हम चलते-चलते मक्का पहुँच गये। मुझे अरफ़ा का दिन इस तरह आया कि मैं हाइज़ा थी और मैंने उम्रह का एहराम नहीं खोला था, मैंने इसकी शिकायत हुज़ूर (ﷺ) के सामने की तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उम्रह के अफ़आल छोड़ दो और अपना सर खोल दो और कंघी कर लो हज का तल्बिया कहो।' मैंने ऐसे ही किया, जब मुहस्सब की रात आ गई और अल्लाह ने हमारा हज पूरा कर दिया था, आप (ﷺ) ने मेरे साथ अब्दुर्रहमान बिन अबी

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ " . قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ - قَالَتْ - فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ " . قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ - وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا - أَرْسَلَ

مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ .

बक्र (रज़ि.) को भेजा, उसने मुझे पीछे सवार कर लिया और मुझे लेकर तन्ईम की तरफ़ निकल खड़े हुए मैंने उम्रह का एहराम बांधा, इस तरह अल्लाह तआला ने हमारा हज और अलग उम्रह पूरा कर दिया। (हिशाम कहते हैं) इस अलग उम्रह के लिये हदी, सदक़ा या रोज़े की ज़रूरत न पड़ी (आप(ﷺ) 25 ज़िल्हिज्जा को मदीने से निकले थे)।

(सहीह बुख़ारी : 1783, इब्ने माजह : 3000)

तम्बीह : अल्लामा सईदी ने गैर शऊरी तौर पर इम्सिकी अनिल उम्रह का तर्जुमा उम्रह के अफ़आल छोड़ दो किया है। शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज नं. 380, हालांकि हन्फ़ी मौक़िफ़ के मुताबिक़ उम्रह ख़त्म कर दिया गया था। ये तर्जुमा शाफ़ेई और मुहद्दिसीन के मौक़िफ़ के मुताबिक़ है कि उम्रह के अफ़आल अलग तौर पर अदा करने छोड़ दिये थे, उम्रह नहीं छोड़ा था, इसको हज में दाख़िल कर लिया था। जैसाकि आगे हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत आ रही है कि यसअकि तवाफ़ुकि लिहज्जिकि व उमरतिकि तेरा ये तवाफ़ तेरे हज और उम्रह दोनों के लिये काफ़ी है और अफ़आले उम्रह के तर्क के सबब किसी क़िस्म का कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं आया था, ये मक़सद नहीं है कि क़िरान का दम भी नहीं था।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ لاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةَ .

(2915) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम ज़िल्हिज्जा के चाँद के क़रीब दिनों में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले और हमारा ख़याल सिर्फ़ हज करने का था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो उम्रह का एहराम बांधना पसंद करे तो वो उम्रह का एहराम बांध ले।' आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

(2916) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम ज़िल्हिज्जा के चाँद के नज़र आने के क़रीबी दिनों में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ निकले, हममें से किसी ने उम्रह का एहराम बांधा और हममें से किसी ने हज और उम्रह दोनों का एहराम बांधा और हममें से कुछ ने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने उम्रह का एहराम बांधा। आगे मज़्कूरा बाला दोनों रिवायतों की तरह बयान किया और इस हदीस में ये भी है, उरवह ने उसके बारे में कहा, अल्लाह तआला आइशा (रज़ि.) का हज और उम्रह दोनों मुकम्मल कर दे और हिशाम कहते हैं, उम्रह को हज में दाख़िल करने की बिना पर क़ुर्बानी या रोज़े या सदक़ा लाज़िम नहीं आया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، -رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا . قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صِيَامٌ وَلاَ صَدَقَةٌ .

(2917) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो हममें से कुछ ने उम्रह का एहराम बांधा था। कुछ ने हज और उम्रह दोनों का एहराम बांधा और कुछ ने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज का एहराम बांधा। जिन लोगों ने सिर्फ़ उम्रह का एहराम बांधा था वो (उम्रे के अफ़आल अदा करने के बाद) हलाल हो गये, रहे वो लोग जिन्होंने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा था या हज और उम्रह का एहराम बांधा था, उन्होंने एहराम न खोला, यहाँ तक कि क़ुर्बानी का दिन आ गया।
(सहीह बुख़ारी: 1562,4408, अबू दाऊद : 1779-1780, नसाई : 5/145, इब्ने माजह : 2965)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ .

फ़ायदा : इस हदीस़ को मुन्कर क़रार दिया गया है, हालांकि इस हदीस़ का मतलब सिर्फ़ इतना है कि जब आपने अभी उन लोगों को जिनके पास क़ुर्बानी नहीं थी, हज को फ़स्ख़ करने का हुक्म नहीं दिया था तो उनके लिये ये हुक्म था कि वो दस ज़िल्हिज्जा से पहले एहराम न खोलें, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के बाद तो आपने सिर्फ़ उनको मुहरिम रहने की इजाज़त दी थी, जो घर से क़ुर्बानी साथ लाये थे, इसलिये अब सिर्फ़ हज करने वाला कोई नहीं रह गया था, क़ुर्बानी साथ लाने वाले क़ारिन थे और जिनके पास क़ुर्बानी नहीं थी, वो मुतमत्तेअ बन गये थे। हाँ अगर इस तौजीह को तस्लीम न किया जाये तो फिर ये हदीस़ दूसरी सहीह हदीसों के ख़िलाफ़ होगी।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ، عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " أَنَفِسْتِ " . يَعْنِي الْحَيْضَةَ . - قَالَتْ - قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " إِنَّ هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي " . قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

(2918) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम नबी (ﷺ) के साथ निकले और उस वक़्त हमारा ख़याल सिर्फ़ हज करने का था, यहाँ तक कि जब हम मक़ामे सरिफ़ पर पहुँचे या उसके क़रीब पहुँचे, मुझे माहवारी आ गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये, जबकि मैं रो रही थी। आपने पूछा, 'क्या तुझे निफ़ास यानी हैज़ आ गया है?' मैंने जवाब दिया, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'ये तो ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिये लाज़िम ठहराया है, (उनकी तबीअत व मिज़ाज का जुज़/हिस्सा है) जो काम हाजी करते हैं, वो करो, हाँ इतनी बात है कि पाकीज़गी के ग़ुस्ल से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' और आपने अज़्वाज की तरफ़ से गाय की।

(सहीह बुख़ारी : 294, 5548, 5559, नसाई : 1/154, 1/180, 5/156, 5/245-246, इब्ने माजह : 2963)

फ़ायदा : जब मदीना मुनव्वरा से निकले थे तो अरबों के दस्तूर के मुताबिक़ सबकी निय्यत हज करने की थी, तब्दीली आगे जाकर करनी पड़ी, जब अल्लाह तआला की तरफ़ से हज के साथ उम्रह करने का हुक्म वह्ये ख़फ़ी के ज़रिये नाज़िल हुआ।

(2919) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले, हमें सिर्फ़ हज पेशे नज़र था। यहाँ तक कि हम मक़ामे सरिफ़ पर पहुँचे तो मुझे हैज़ शुरू हो गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये जबकि मैं रो रही थी तो आप (ﷺ) ने पूछा, क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की क़सम! मेरी ख़्वाहिश है कि मैं इस साल हज के लिये न निकलती। आपने फ़रमाया, 'तुझे क्या हुआ? शायद तुम्हें हैज़ शुरू हो गया है?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फ़रमाया, 'ये तो ऐसा मामला है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों के लिये लाज़िम ठहराया है, जो काम हाजी करते हैं, तुम भी करो, सिर्फ़ इतनी बात है कि जब तक पाक न हो जाओ, बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' तो जब मैं मक्का पहुँची रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साथियों को हुक्म दिया, 'अपने हज को उम्रह बना डालो।' तो तमाम लोग उनके सिवा जिनके पास हदी थी, हलाल हो गये और हदी नबी (ﷺ), अबू बकर, उमर और अस्हाबे सरवत के पास थी, फिर जब वो मिना की तरफ़ चले तो उन्होंने एहराम बांध लिया तो जब क़ुर्बानी का दिन आ गया, मैं पाक हो गई (हैज़ आना बंद हो गया)। मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तवाफ़े इफ़ाज़ा का हुक्म दिया। फिर हमारे पास गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी अज़्वाजे

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو أَيُّوب الْغَيْلاَنِيُّ، حَدَّثَنَ أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ، بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكِ " . فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ " مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي " . قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " اجْعَلُوهَا عُمْرَةً " . فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ - قَالَتْ - فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا - قَالَتْ - فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَضْتُ - قَالَتْ - فَأُتِيَنَا بِلَحْمِ

بقرٍ . فقُلْتُ ما هٰذا فقالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ . فلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمَلِهِ - قَالَتْ - فَإِنِّي لأَذْكُرُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعُسُ فَتُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا .

मुतह्हरात की तरफ़ से हदी में गाय ज़िब्ह की है, जब मुहस्सब की रात हुई, मैंने अर्ज़ किया, लोग अलग हज और उम्रह करके लौटेंगे और मैं सिर्फ़ अलग हज करके लौटूंगी? तो आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया, उसने मुझे अपने ऊँट पर पीछे सवार कर लिया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नौउम्र लड़की थी, मुझे ऊँघ आ जाती तो मेरा चेहरा पालान की पिछली लकड़ी से टकराता, यहाँ तक कि हम तन्ईम पहुँच गये, मैंने वहाँ से उम्रह का एहराम बांधा जो लोगों के उस उम्रह की जगह था, जो उन्होंने किया था।

(सहीह बुख़ारी : 305)

फ़वाइद : (1) तवाफ़े इफ़ाज़ा जिसको तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े रुक्न भी कहा जाता है, इससे मुराद वो तवाफ़ जो दस ज़िल्हिज्जा को रमी जिमार, क़ुर्बानी और तहलीक़ या तक़सीर करने के बाद मिना से मक्का मुकर्रमा आकर किया जाता है। **(2)** जिन लोगों के पास हदी नहीं थी, आपने उन सबको हुक्म दिया कि वो अपने हज को फ़स्ख़ करके, उसको उम्रह बना लें, अब इसमें इख़्तिलाफ़ है कि क्या, हज के लिये एहराम बांधने वाला, मक्का पहुँचकर अपने हज को उम्रह में बदल सकता है या नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.), इमाम मालिक (रह.) और इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक हज का एहराम बांधकर उसे फ़स्ख़ करके उम्रह बना लेना, सहाबा किराम के साथ ख़ास था और अब इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन इमाम अहमद, इमाम दाऊद और इमाम इब्ने तैमिया व इब्ने क़य्यिम और मुहद्दिसीन के नज़दीक, जो इंसान हदी साथ लेकर नहीं गया, उसे हज को उम्रह से तब्दील करना होगा। **(3)** अगर इंसान मक्का मुकर्रमा पहुँचकर वहाँ से उम्रह करना चाहता है तो वो जुम्हूर उलमा के नज़दीक हरम से बाहर जाकर हिल्ल से एहराम बांधेगा, अगर हरम के अंदर से ही एहराम बांधकर उम्रह करेगा तो इमाम शाफ़ेई के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ उसका उम्रह सहीह होगा लेकिन तर्के मीक़ात की वजह से दम (क़ुर्बानी) लाज़िम आयेगा। दूसरा क़ौल ये है कि उसका ये उम्रह सहीह नहीं है, वो हरम से बाहर जाकर नये सिरे से एहराम बांधे और उम्रह करे। जुम्हूर के नज़दीक उम्रह सहीह है, लेकिन चूंकि ख़ारिजे हरम नहीं गया, इस तरह हिल्ल और हरम जमा नहीं हुए, इसलिये दम (ख़ून) लाज़िम है। इमाम मालिक के नज़दीक तन्ईम से उम्रह करना लाज़िम है, इसके बग़ैर उम्रह नहीं होगा। बाक़ी अइम्मा के नज़दीक हिल्ल के किसी मक़ाम से भी उम्रह कर सकता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं, उम्रह इस सूरत में है जब

इमान, बाहर से मक्का में दाख़िल हो, मक्का से बाहर निकलकर उम्रह करना, सिवाय हज़रत आइशा (रज़ि.) के (इस हज वाले उम्रह के) किसी सहाबी से साबित नहीं है, आप (ﷺ) के साथ हज में बेशुमार लोग थे, लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) के सिवा किसी ने भी हज से फ़रागत के बाद उम्रह नहीं किया और आपने साल में एक ही उम्रह किया, एक साल में दो उम्रह नहीं किये। इसलिये इमाम मालिक के नज़दीक साल में एक ही उम्रह करना चाहिये। लेकिन जुम्हूर के नज़दीक ज़्यादा उम्रे भी हो सकते हैं, लेकिन आज-कल जो रिवाज पड़ गया है कि रोज़ाना हरम से बाहर तन्ईम में आते हैं और उम्रह करते हैं और उसके लिये चंद बाल काट लेते हैं इसका तो कोई सुबूत नहीं है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ الْمَاجِشُونِ ‏.‏ غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ الْهَدْىُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا وَلاَ قَوْلُهَا وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ أَنْعَسُ فَتُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ ‏.‏

(2920) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, हमने हज का तल्बिया कहा, यहाँ तक कि जब हम सरिफ़ जगह पर पहुँचे तो मुझे हैज़ आने लगा, रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये जबकि मैं रो रही थी, उसके बाद ऊपर वाली माजिशून की रिवायत के मुताबिक़ है, हाँ इतनी बात हम्माद की इस रिवायत में ये नहीं है कि हदी नबी (ﷺ), अबू बकर, उमर और साहिबे सरवत हज़रात के पास थी, फिर जब मुतमत्तेअ मिना को चले तो उन्होंने एहराम बांधा और न ही उसमें हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये क़ौल है, मैं कम उम्र लड़की थी, मैं ऊँघने लगती तो मेरा चेहरा पालान की पिछली लकड़ी को लगता।

(अबू दाऊद : 1782)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي خَالِي، مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْرَدَ الْحَجَّ ‏.‏

(2921) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जे इफ़राद किया।

(अबू दाऊद : 1777, तिर्मिज़ी : 820, नसाई : 5/145, इब्ने माजह : 2964, 1560, 1788)

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की दूसरी रिवायात की रोशनी में इस हदीस का मफ़्हूम ये होगा कि आपने हज्जतुल वदाअ में, हज्जे तमत्तोअ करने वालों की तरह अलग उम्रह नहीं किया या इससे मुराद इब्तिदाई हालत को बयान करना है, जब आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرُمِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْىٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلاَ " . فَمِنْهُمُ الآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ وَمَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا يُبْكِيكِ " . قُلْتُ سَمِعْتُ كَلاَمَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ . قَالَ " وَمَا لَكِ " . قُلْتُ لاَ أُصَلِّي . قَالَ " فَلاَ يَضُرُّكِ فَكُونِي فِي حَجِّكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ

(2922) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज के महीनों में हज के औक़ात में और हज की रातों में, हज का एहराम बांधकर निकले, यहाँ तक कि हमने मक़ामे सरिफ़ पर पड़ाव किया तो आप (ﷺ) अपने साथियों के पास गये और फ़रमाया, 'तुममें से जिसके पास हदी नहीं है, वो इस हज के एहराम को उम्रह का एहराम बनाना चाहे तो वो ऐसा कर ले और जिसके पास हदी है, वो ऐसा नहीं कर सकता।' तो कुछ ने जिनके पास हदी न थी, उसको उम्रह बना लिया और कुछ ने रहने दिया, रहे रसूलुल्लाह (ﷺ) तो आप (ﷺ) के पास और आपके साहिबे इस्तिताअत कुछ साथियों के पास हदी थी, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये और मैं रो रही थी तो आपने पूछा, 'क्यों रोती हो?' मैंने अर्ज़ किया, आपने अपने साथियों से जो बातचीत फ़रमाई है, मैंने सुन ली है। मैंने उम्रह के बारे में भी सुन लिया है (और मैं उम्रह नहीं कर सकती) आप (ﷺ) ने पूछा, 'तुम्हें क्या हुआ?' मैंने अर्ज़ किया, मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती। आपने फ़रमाया, 'तो ये तेरे लिये नुक़सान का बाइस नहीं, हज का एहराम बरक़रार रखो, उम्मीद है अल्लाह तुम्हें उम्रह की तौफ़ीक़ भी देगा तू आदम (अलै.) की बेटियों से है, अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये

اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ " . قَالَتْ فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنًى فَتَطَهَّرْتُ ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ " اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لْتَطُفْ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أَنْتَظِرُكُمَا هَا هُنَا " . قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ " هَلْ فَرَغْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ .

वही लिखा है जो उनके लिये लिखा है।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैं अपने हज के एहराम में रही, यहाँ तक कि हमने मिना में पड़ाव किया तो मैंने ग़ुस्ल किया, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और रसूलुल्लाह (ﷺ) वादी-ए-मुहस्सब में उतरे तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र को बुलवाया और फ़रमाया, 'अपनी बहन को हरम से बाहर ले जाओ, ताकि वो उम्रह का एहराम बांधे, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और मैं तुम दोनों का यहीं इन्तिज़ार करूँगा।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम हरम से निकले और मैंने एहराम बांधकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरवह के चक्कर लगाये और हम आधी रात वापस आये और आप (ﷺ) अपनी जगह पर ही थे तो आपने पूछा, 'क्या फ़ारिग़ हो गई हो?' मैंने कहा, जी हाँ! फिर आपने साथियों में कूच का ऐलान कर दिया, वहाँ से चलकर बैतुल्लाह से गुज़रे और सुबह की नमाज़ से पहले उसका तवाफ़ किया, फिर मदीना की तरफ़ रख़्ते सफ़र बांध लिया।

(सहीह बुख़ारी, अल्हज्जु अशहुरुम्मअ़लूमात)

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ .

(2923) हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हममें से कुछ ने हज्जे इफ़राद का एहराम बांधा, कुछ ने क़िरान किया और कुछ ने तमत्तोअ़ किया।

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَّةً

(2924) क़ासिम बिन मुहम्मद बयान करते हैं, आइशा (रज़ि.) हज का एहराम बांधकर आई थीं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

(2925) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम ज़िल्क़अदा के पाँच दिन रहते हुए रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले और हमारा ख़याल यही था कि हज करना है, यहाँ तक कि जब हम मक्का के क़रीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया, जिसके पास हदी नहीं है, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मरवह की सई करने के बाद एहराम खोल दे, हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नहर के दिन हमारे पास गाय का गोश्त लाया गया तो मैंने पूछा, ये क्या है? तो बताया गया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से क़ुर्बानी की है। यहया कहते हैं, मैंने ये हदीस़ क़ासिम बिन मुहम्मद के सामने बयान की तो उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! उसने तुम्हें हदीस़ सहीह तौर पर बताई है।

(सहीह बुख़ारी : 1709, 1720, 2952, नसाई : 5/122, 5/178)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها ح .وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(2926) इमाम साहब ने यही हदीस़ अपने दो और उस्तादों से इसी तरह बयान की है।

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، ح وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ " انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ غَدًا - وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ - أَوْ قَالَ - نَفَقَتِكِ " .

(2927) हज़रत उम्मुल मोमिनीन (आइशा रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग दो (मुस्तक़िल) इबादतें करके वापस जायेंगे और मैं एक इबादत (मुस्तक़िल तौर पर) करके लौटूंगी? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इन्तिज़ार करो, जब तुम पाक हो जाओ तो तन्ईम की तरफ़ निकल जाना और वहाँ से एहराम बांध लेना और फिर हमें फ़लाँ-फ़लाँ जगह के क़रीब आ मिलना, (रावी कहते हैं, मेरा ख़याल है आप (ﷺ) ने फ़रमाया था कल) 'लेकिन इसका सवाब तुम्हारी मशक़्क़त या फ़रमाया, 'तुम्हारे ख़र्च के मुताबिक़ है।'

(सहीह बुख़ारी : 1787)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हज और उम्रह के अज्र व सवाब में, तकलीफ़ व मशक़्क़त और नफ़्क़ा व ख़र्च में कमी व बेशी के नतीजे में अज्र व सवाब में कमी व बेशी होती है, जो लोग दूर-दराज़ से जाकर, मेहनत व मशक़्क़त बर्दाश्त करके उम्रह करते हैं या हज करते हैं उनको अज्र व सवाब ज़्यादा मिलता है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَإِبْرَاهِيمَ، - قَالَ لاَ أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الآخَرِ - أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

(2928) इब्ने औन उम्मे क़ासिम और इब्राहीम से रिवायत करते हैं, लेकिन दोनों की हदीस में इम्तियाज़ नहीं कर सकते कि उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग दो इबादतें करके वापस जायेंगे, उसके बाद मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ،

(2929) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रवाना हुए और हमारा तसव्वुर यही था कि हम

إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ أَنْ يَحِلَّ - قَالَتْ - فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْىَ فَأَحْلَلْنَ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ - قَالَتْ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ " أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ " . قَالَتْ قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا " . قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ " عَقْرَى حَلْقَى أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ " . قَالَتْ بَلَى . قَالَ " لاَ

हज करेंगे, जब हम मक्का पहुँचे, हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्ही लोगों को जो हदी साथ नहीं लाये थे एहराम खोल देने का हुक्म दे दिया। वो बयान करती हैं कि जो लोग हदी साथ नहीं लाये थे, उन्होंने एहराम खोल दिया (हलाल हो गये) और आपकी बीवियाँ हदी नहीं लाई थीं, इसलिये वो भी हलाल हो गईं। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मुझे हैज़ शुरू हो गया। इसलिये मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी। तो जब मुहस्सब की तरफ़ आई, मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग उम्रह और हज करके लौटेंगे और मैं सिर्फ़ हज करके लौटूंगी? आपने फ़रमाया, 'क्या जिन रातों को हम मक्का पहुँचे थे तूने तवाफ़ नहीं किया था?' मैंने अर्ज़ किया, जी नहीं। आपने फ़रमाया, 'अपने भाई के साथ मक़ामे तन्ईम के पास जाओ और उम्रह का एहराम बांध लो, फिर फ़लाँ-फ़लाँ जगह आकर हमसे मिल जाना।' हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, मेरा ख़याल है, मैं आप हज़रात को (जाने से) रोक लूँगी। आपने फ़रमाया, 'ज़ख़मी, सर मुण्डी, क्या तुमने क़ुर्बानी के दिन तवाफ़ नहीं किया था?' सफ़िय्या (रज़ि.) ने जवाब दिया, क्यों नहीं। आपने फ़रमाया, 'कोई मुज़ायक़ा नहीं, चलो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे इस हाल में मिले

بَأْسَ انْفِرِي " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا . وَقَالَ إِسْحَاقُ مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ .

कि आप मक्का से फ़राज़ (बुलंदी) को चढ़ रहे थे और मैं, मक्का की तरफ़ उतर रही थी या मैं चढ़ रही थी और आप उसकी तरफ़ उतर रहे थे। इस्हाक़ ने मुन्हबिततुन और मुन्हबत की जगह मतहब्बततुन और मुतहब्बित कहा मानी एक ही है।

(सहीह बुख़ारी : 1561, 1762, अबू दाऊद : 1783, नसाई : 5/177-178)

मुफ़रदातुल हदीस़ : **अक़रा :** हलक़ी के लुग़्वी मानी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन अरब लोग ये अल्फ़ाज़ इस क़िस्म के मौक़ों पर लुग़्वी मआनी के ऐतिबार से इस्तेमाल नहीं करते, महज़ तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

फ़वाइद : (1) अगर किसी औरत को मक्का मुकर्रमा पहुँचने से पहले या तवाफ़ की शुरूआत करने से पहले, हैज़ शुरू हो जाये तो वो इब्तिदाई तवाफ़ (तवाफ़े क़ुदूम) नहीं करेगी और सफ़ा और मरवह की सई चूंकि बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद करनी होती है, इसलिये वो सई भी नहीं कर सकेगी, उनके अलावा हज के तमाम मनासिक (आमाल) बजा लायेगी, इसी तरह अगर औरत को तवाफ़े इफ़ाज़ा (जो दस ज़िल्हिज्जा को किया जाता है) के बाद हैज़ शुरू हो जाये तो उसे आख़िरी तवाफ़ (तवाफ़े वदाअ के लिये रुकना ज़रूरी नहीं है, वो अपने साथियों के साथ रवाना हो सकेगी। (2) सहीह सूरते हाल ये है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) उम्रह से फ़ारिग़ होकर मक्का से मुहस्सब की तरफ़ चढ़ रही थीं और आप मुहस्सब से मक्का की तरफ़ उतरने के लिये तैयार हो चुके थे, हज़रत आइशा (रज़ि.) के पहुँचने पर रवाना हो गये, जैसाकि हदीस़ नम्बर 123 में गुज़र चुका है।

وَحَدَّثَنَاهُ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُلَبِّي لاَ نَذْكُرُ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ .

(2930) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ तल्बिया कहते हुए चल पड़े, हज या उम्रह की तअयीन नहीं कर रहे थे, आगे मन्सूर की मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत की तरह है।

(नसाई : 5/146)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ ذَكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ وَهُوَ غَضْبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ . قَالَ " أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ - وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا " .

(2931) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हुज़ूर (ﷺ) चार या पाँच ज़िल्हिज्जा को मेरे पास गुस्से की हालत में तशरीफ़ लाये तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपको किसी ने नाराज़ किया है? अल्लाह तआला उसे जहन्नम में डाले। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें पता नहीं चला, मैंने लोगों को एक काम का (एहराम खोलने का) हुक्म दिया है तो वो उसकी तामील में पसो-पेश कर रहे हैं (हकम कहते हैं, मेरे ख़याल में आपने तरद्दुद के मानी पर दलालत करने वाला लफ़्ज़ बोला था) अगर मुझे जिस चीज़ का बाद में इल्म हुआ है, मुझे उसका पहले इल्म हो जाता तो मैं हदी साथ न लाता, यहाँ तक कि उसको यहाँ ख़रीद लेता, फिर मैं भी इनकी तरह हलाल हो जाता।'

फ़ायदा : लौ अन्नी इस्तक़बल्तु अल्अख़ का मक़सद ये है कि अगर मुझे मदीना मुनव्वरा से चलते वक़्त इस बात का इल्म हो जाता कि हज का एहराम फ़स्ख़ करके, उम्रह करना पड़ेगा तो मैं हदी साथ न लाता, (क्योंकि हदी साथ लाने की वजह से आपके लिये क़िरान ज़रूरी था) और तुम्हारी तरह उम्रह करके एहराम खोल देता और फिर आठ ज़िल्हिज्जा को नये सिरे से हज का एहराम बांधता और हज्जे तमत्तोअ की बिना पर कुर्बानी यहीं मक्का से ख़रीद लेता। क्योंकि सहाबा किराम को इस बिना पर, एहराम खोलने में तरद्दुद पैदा हो रहा था कि आप ख़ुद एहराम बांधे हुए थे और सहाबा किराम भी आपकी मुताबिअत करना चाहते थे और कुछ हज़रात ने इसका ये मानी लिया है कि अगर आग़ाज़ ही में मुझे तुम्हारे इस तरद्दुद और इज़्तिराब का पता चल जाता तो मैं भी कुर्बानी साथ न लाता और तुम्हारी तरह उम्रह करके एहराम खोल देता। लेकिन चूंकि मुझे तुम्हारे तरद्दुद और इज़्तिराब का पहले इल्म नहीं हो सका, इसलिये मैं कुर्बानी साथ लाया हूँ, इसलिये मैं उम्रह करके हलाल नहीं हो सकता, तुम्हारे पास हदी नहीं है, इसलिये तुम हलाल हो जाओ।

तम्बीह : हज्जतुल वदाअ का ताल्लुक़ आप (ﷺ) की ज़िन्दगी के आख़िरी चन्द महीनों से है और उसमें आप फ़रमा रहे हैं, मुझे पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था तो इससे ये बात साबित होती है कि आप आलिमुल ग़ैब न थे, बाक़ी रहा इसका ये मानी करना, 'लोगों! मैं तुम्हारे रंज व क़लक़ पर पहले मुतवज्जह हो जाता तो मैं हदी रवाना न करता।' तो ये मानवी तहरीफ़ है, इस तरह तो मोतज़िला जहमिय्या की तरह, हर जगह तावील करके अपना मतलब निकाला जा सकता है।

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَتَرَدَّدُونَ .

(2932) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) चार या पाँच ज़िल्हिज्जा को मक्का पहुँचे थे, आगे मुन्ज़िर की मज़्कूरा बाला हदीस की तरह है और इसमें यतरद्दून पसो-पेश कर रहे हैं के लफ़्ज़ के बारे में हुक्म के शक का ज़िक्र नहीं है।

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) चार ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुए थे।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، -رضى الله عنها - أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا . وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّفْرِ " يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ " . فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ .

(2933) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने (आइशा) ने उम्रह का एहराम बांधा था, वो मक्का आईं तो बैतुल्लाह के तवाफ़ से पहले ही हैज़ शुरू हो गया, उन्होंने तमाम अहकाम अदा किये, क्योंकि उन्होंने हज का एहराम बांध लिया था तो नबी (ﷺ) उन्हें कूच के दिन फ़रमाया, 'तेरा ये तवाफ़ तेरे हज और उम्रह के लिये काफ़ी है।' उन्होंने उस पर इक्तिफ़ा करने से इंकार कर दिया तो आपने उसके साथ अब्दुर्रहमान को तन्ईम भेजा तो उन्होंने हज के बाद उम्रह किया।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज्जे क़िरान किया था, इसलिये आप (ﷺ) ने ये फ़रमाया, 'तेरा तवाफ़ तेरे हज और उम्रह के लिये काफ़ी है और इससे ये भी साबित हुआ कि क़िरान के लिये एक ही तवाफ़ और सई काफ़ी है, हज और उम्रह के लिये अलग-अलग तवाफ़ और सई की ज़रूरत नहीं है और जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, जैसाकि गुज़र चुका है।

(2934) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्हें हैज़ मक़ामे सरिफ़ में शुरू हुआ और वो उससे अरफ़ा के दिन पाक हुई और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'तेरा सफ़ा और मरवह का तवाफ़ तुम्हें तुम्हारे हज और उम्रह के लिये किफ़ायत करेगा।'

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ " .

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) को मक़ामे सरिफ़ पर हैज़ शुरू हुआ, अरफ़ात में इन्तिहा को पहुँचा और दस ज़िल्हिज्जा को उन्होंने गुस्ल करके तवाफ़े इफ़ाज़ा किया और उसके बाद सफ़ा और मरवह की सई की, इस तवाफ़ और सई को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज और उम्रह दोनों के लिये काफ़ी क़रार दिया।

(2935) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या लोग दो सवाब लेकर लौटेंगे और मैं एक अज्र लेकर वापस जाऊँगी? तो आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया कि इसको लेकर तन्ईम जाओ, आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, तो उसने मुझे अपने ऊँट पर पीछे सवार कर लिया तो मैं अपनी गर्दन को नंगी करने के लिये अपने दुपट्टे को उठाने लगी तो वो सवारी के बहाने मेरे पाँव पर मारते (कि पर्दा क्यों नहीं करती हो) मैंने उससे कहा, तुझे कोई नज़र आ रहा है (जिससे पर्दा करूँ) मैंने उम्रह का एहराम बांधा, फिर हम आगे बढ़े यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास मुहस्सब में पहुँच गये।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ، قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْجِعُ النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرٍ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ . قَالَتْ فَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ - قَالَتْ - فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . قُلْتُ لَهُ وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ .

(2936) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि वो आइशा (रज़ि.) को पीछे सवार करके, उसे तन्ईम से उम्रह करवाये।

(सहीह बुख़ारी : 1784, 2985, तिर्मिज़ी : 934, इब्ने माजह : 2999)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، أَخْبَرَهُ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ ‏.‏

(2937) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जे इफ़राद का एहराम बांध कर चले और हज़रत आइशा (रज़ि.) उम्रह का एहराम बांधकर चलीं, यहाँ तक कि जब हम सरिफ़ मक़ाम पर पहुँच गये उन्हें हैज़ आना शुरू हो गया, यहाँ तक कि जब हम मक्का पहुँचे, हमने बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ कर लिया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि जिसके पास हदी नहीं है, वो एहराम खोल दे तो हमने पूछा, हलाल होने से क्या मुराद है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुकम्मल हिल्लत।' तो हम बीवियों के पास गये और ख़ुश्बू लगाई और अपने कपड़े पहन लिये, हमारे और अरफ़ा के दरम्यान चार दिन बाक़ी थे, फिर हमने तरविया के दिन (आठ ज़िल्हिज्जा को) एहराम बांधा, रसूलुल्लाह (ﷺ) आइशा (रज़ि.) के पास गये तो उन्हें रोते हुए पाया। आप (ﷺ) ने पूछा, 'तुम्हें क्या हुआ?' उन्होंने जवाब दिया, मेरी हालत ये है कि मैं हाइज़ा हूँ, लोग एहराम खोल चुके हैं और मैंने एहराम नहीं खोला और न मैंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है और लोग अब

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ - قَالَ - فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا قَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " ‏.‏ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله

عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ " مَا شَأْنُكِ " . قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ . فَقَالَ " إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ " . فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ " قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا " . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ . قَالَ " فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ " . وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ .

हज के लिये जा रहे हैं तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों की फ़ितरत में रख दी है, तुम गुस्ल करके हज का एहराम बांध लो।' तो मैंने ऐसे ही किया और तमाम मक़ामात पर वुक़ूफ़ किया (ठहरी), यहाँ तक कि जब पाक हो गई तो कअ़बा और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ किया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम अपने हज और उ़म्रह दोनों से हलाल हो गई हो।' तो उसने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने दिल में खटक महसूस कर रही हूँ कि मैं हज से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकी (हालांकि मैंने उ़म्रह का एहराम बांधा था) आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अ़ब्दुर्रहमान! इसे ले जाओ और इसे तन्ईम से उ़म्रह करवाओ।' और ये मुहस्सब की रात का वाक़िया है।

(अबू दाऊद : 2785, नसाई : 5/165)

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि जो लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचकर उ़म्रह का तवाफ़ करके एहराम खोल दें, वो मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाते हैं और उन पर एहराम की कोई पाबंदी बरक़रार नहीं रहती, यहाँ तक कि उनके लिये जिन्सी ताल्लुक़ात क़ायम करना भी जाइज़ हो जाता है और वो हज के लिये नये सिरे से एहराम आठ ज़िल्हिज्जा को बांधेंगे और उसके लिये बेहतर तरीक़ा यही है कि वो आठ तारीख़ को गुस्ल करके एहराम बांधें, अगर औरत हाइज़ा हो तो वो भी गुस्ल कर ले, नीज़ इस हदीस़ से भी ये साबित होता है कि हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने उ़म्रह पर हज का एहराम बांधा था, उ़म्रह को तर्क नहीं किया था, इसलिये आपका हज, हज्जे क़िरान था, हज्जे इफ़राद न था। इसलिये आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम अपने हज और उ़म्रह दोनों से हलाल हो गई हो।' और हज़रत आ़इशा (रज़ि.) ने तन्ईम से जो उ़म्रह किया, वो सिर्फ़ दिल के खटक और ख़ल्जान को दूर करने के लिये था, उ़म्रह तर्क नहीं किया था कि आप (ﷺ) ने उसकी क़ज़ाई दी हो और इस हदीस़ से ये भी साबित होता है कि हज्जे क़िरान के लिये एक तवाफ़ और एक सई काफ़ी है।

(2938) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आइशा (रज़ि.) के पास गये, जबकि वो रो रही थीं, आगे लैस की मज़्कूरा (ऊपर की) बाला रिवायत की तरह है, लेकिन इससे पहले का जो हिस्सा लैस ने बयान किया है, वो इस हदीस में नहीं है।
(अबू दाऊद : 1786)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - وَهِيَ تَبْكِي ‏.‏ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ ‏.‏

(2939) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के हज में, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उम्रे का एहराम बांधा था, आगे लैस की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह बयान किया और इस हदीस में ये इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) साथियों के लिये आसानी चाहते थे, (नर्म अख़्लाक़ के मालिक थे) जब हज़रत आइशा (रज़ि.) किसी चीज़ की ख़्वाहिश या फ़रमाइश करतीं तो आप (ﷺ) उसकी बात मान लेते। फ़रमाइश पूरी फ़रमा देते। इसलिये, उसके साथ अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र (रज़ि.) को भेज दिया और उसने (आइशा रज़ि.) ने तन्ईम से उम्रह का एहराम बांधा।

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتِ الشَّىْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ ‏.‏ قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

(2940) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज का एहराम बांधकर चले, हमारे साथ औरतें और बच्चे थे तो जब हम मक्का पहुँचे, हमने बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें फ़रमाया, 'जिसके पास हदी नहीं है, वो हलाल हो जाये।' हमने पूछा, किस क़िस्म का हिल्ल मुराद है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'पूरे तौर पर हलाल हो जाओ।' तो हम बीवियों के पास आये, हमने कपड़े (सिले हुए) पहन लिये और हमने ख़ुश्बू इस्तेमाल की तो जब तरविया का दिन (आठ ज़िल्हिज्जा) आया, हमने हज का एहराम बांध लिया और हमारे लिये सफ़ा और मरवह का पहला तवाफ़ ही काफ़ी हो गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम सात लोग ऊँट और गाय की क़ुर्बानी में शरीक हो जायें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - رضى الله عنه - ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، -وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ " . قَالَ قُلْنَا أَىُّ الْحِلِّ قَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " . قَالَ فَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطِّيبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكَفَانَا الطَّوَافُ الأَوَّلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ .

फ़वाइद : (1) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे साथ बच्चे भी थे, जिससे मालूम होता है बच्चों का हज करना सहीह है। अइम्म-ए-सलासा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, मुहद्दिसीन और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन के नज़दीक बच्चे को हज करवाना दुरुस्त और बाइसे अज्र व सवाब है, लेकिन अगर बुलूग़त के बाद उसे हज करने की ताक़त मुयस्सर हो तो उसे नये सिरे से हज करना होगा, बुलूग़त से पहले का हज उसके लिये काफ़ी नहीं होगा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक बच्चे का हज सिर्फ़ मश्क़ और तमरीन के लिये है, उसमें किसी क़िस्म का अज्र व सवाब नहीं है। (2) हज़रत जाबिर (रज़ि.) का ये कहना कि हमारे लिये सफ़ा और मरवह का पहला तवाफ़ काफ़ी हो गया, ये क़ारिन के ऐतिबार से है, मुतमत्तेअ को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद दोबारा सफ़ा और मरवह की सई करनी होगी। जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है। इमाम मालिक और इमाम इब्ने तैमिया (रह.) के नज़दीक मुतमत्तेअ के लिये भी एक तवाफ़ और एक सई काफ़ी है। (3) ऊँट और गाय की हदी (क़ुर्बानी) में सात लोग शरीक हो सकते हैं, यानी उनके सात हिस्से किये जा सकते हैं, अगर अकेला करना चाहे तो बेहतर है।

(2941) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हम हलाल हो गये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम जब मिना का रुख़ करें तो हज का एहराम बांध लें, तो हमने अब्तह से एहराम बांधा।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى . قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ .

फ़ायदा : सहाबा किराम अब्तह में ठहरे हुए थे, जो मुहस्सब के क़रीब कंकरीली ज़मीन थी, इसलिये आठ ज़िल्हिज्जा को मिना की तरफ़ जाते वक़्त वहीं से एहराम बांधा, इंसान मक्का में जहाँ क़ियाम किये हो, वहीं से हज के लिये एहराम बांध लेगा।

(2942) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके साथियों ने सफ़ा और मरवह के दरम्यान एक ही तवाफ़ किया था, मुहम्मद बिन बक्र की रिवायत में इज़ाफ़ा है, जो पहले कर चुके थे।
(अबू दाऊद : 1895, नसाई : 5/244)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ، بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ، بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا . زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ طَوَافَهُ الأَوَّلَ

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) के साथ जिन सहाबा किराम (रज़ि.) ने हज्जे क़िरान किया था, उन्हों ने तवाफ़े क़ुदूम के साथ ही सई कर ली थी, फिर तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद दोबारा सई नहीं की, अगर तवाफ़े क़ुदूम के साथ सई न हो सके तो फिर तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई करना होगी, जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) तवाफ़े क़ुदूम नहीं कर सकीं थीं तो उन्होंने सई तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद की थी, लेकिन जो हज़रात मुतमत्तेअ (हज्जे तमत्तोअ करने वाले) थे, उन्होंने दोबारा तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई की थी, हुज़ूर (ﷺ) और दूसरे अस्हाबे सरवत क़ारिन थे, इसलिये उन्होंने एक ही सई की थी, आपने तवाफ़ तीन किये थे, तवाफ़े क़ुदूम, तवाफ़े इफ़ाज़ा और तवाफ़े वदाअ लेकिन सई एक ही की थी।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ - قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ - فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ . قَالَ عَطَاءٌ قَالَ " حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ " . قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ . فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ . قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا - قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِينَا فَقَالَ " قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ فَحِلُّوا " . فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا .

(2943) हज़रत अता (रह.) बयान करते हैं कि मैंने कुछ साथियों के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उन्होंने बताया कि हमने यानी मुहम्मद (ﷺ) के साथियों ने सिर्फ़ ख़ालिस हज का एहराम बांधा और नबी (ﷺ) चार ज़िल्हिज्जा की सुबह मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो आपने हमें हलाल होने का हुक्म दिया। अता कहते हैं, आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हलाल हो जाओ और अपनी बीवियों से ताल्लुक़ात क़ायम करो।' अता कहते हैं, आपने ताल्लुक़ात क़ायम करना उनके लिये ज़रूरी क़रार न दिया लेकिन उनके लिये उन्हें जाइज़ क़रार दे दिया। हमने आपस में कहा, जब हमारे और अरफ़ा के दरम्यान सिर्फ़ पाँच दिन रह गये तो आप (ﷺ) ने हमें औरतों के पास जाने के लिये फ़रमा दिया है तो हम अरफ़ा जायेंगे और हमारे अज़्वे मख़सूस से मनी टपक रही होगी। यानी थोड़ा अरसा पहले हम ताल्लुक़ात क़ायम कर चुके होंगे। अता कहते हैं, हज़रत जाबिर (रज़ि.) अपने हाथ को हरकत दे रहे थे, गोया कि मैं आप (जाबिर) के हाथ को हरकत देते हुए देख रहा हूँ। जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें ख़िताब के लिये खड़े हुए और फ़रमाया, 'तुम ख़ूब जानते हो, मैं तुममें से ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम सबसे ज़्यादा सच्चा और सबसे ज़्यादा इताअतगुज़ार हूँ और अगर मेरे पास हदी न होती तो मैं भी तुम्हारी तरह हलाल हो जाता। अगर मुझे पहले उस चीज़ का पता

قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ " بِمَ أَهْلَلْتَ " . قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا " . قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ فَقَالَ " لأَبَدٍ " .

चल जाता, जिसका बाद में पता चला है तो मैं हदी साथ न लाता। इसलिये तुम एहराम खोल दो।' तो हमने बात सुनी और इताअ़त करते हुए एहराम खोल दिया। हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अ़ली (रज़ि.) अपने फ़राइज़ सर अन्जाम देकर आये तो आप (ﷺ) ने पूछा, 'तूने एहराम किस निय्यत से बांधा है?' उन्होंने जवाब दिया, जिस निय्यत से नबी (ﷺ) ने बांधा है तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'क़ुर्बानी कीजिये और मुहरिम ठहरिये।' हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, वो आपके लिये भी हदी लाये थे, हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअ़शुम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये हमारे इस साल के लिये है या हमेशा के लिये? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमेशा के लिये।' (सहीह बुख़ारी : 2505, नसाई : 5/202)

फ़ायदा : हज़रत अ़ली (रज़ि.) के अ़मल से मालूम हुआ कि इंसान मुब्हम निय्यत से एहराम बांध सकता है और बाद में तअ़यीन कर सकता है, मस्लन जैसा एहराम मेरे साथियों ने बांधा है, मेरा एहराम भी उसके मुताबिक़ है और बाद में साथियों से पूछकर तअ़यीन कर लेगा, इसी तरह आपने हज़रत सुराक़ा (रज़ि.) को जो जवाब दिया है, उससे मालूम होता है कि हज को फ़स्ख़ करके उ़म्रह की निय्यत कर लेना हमेशा के लिये जाइज़ है और जुम्हूर के नज़दीक जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई दाख़िल हैं, इसका मतलब ये है, हज के महीनों में उ़म्रह करने की इजाज़त हमेशा के लिये है, सिर्फ़ इस साल के साथ मख़्सूस नहीं है। क्योंकि जुम्हूर के नज़दीक अब हज को फ़स्ख़ करके उ़म्रह करना दुरुस्त नहीं है, जिस निय्यत से एहराम बांधा था, उस पर अ़मल किया जायेगा। लेकिन इमाम अहमद, इमाम दाऊद के नज़दीक अगर मुहरिम हदी साथ नहीं लाया तो फिर उसके लिये हज्जे तमत्तोअ़ करना लाज़िम है। इसलिये उसको हज का एहराम, उ़म्रह का एहराम बनाना पड़ेगा, हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इस पर ज़ादुल मआ़द जिल्द 2 पेज नं. 166-212 में तफ़्सीली बहस की है, कुछ हज़रात ने उसका मानी ये लिया है कि हज्जे क़िरान की इजाज़त उसी साल के लिये है या अफ़आ़ले उ़म्रह को अफ़आ़ले हज में दाख़िल करना क़यामत तक के लिये है।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَا نَدْرِي أَشَىْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَىْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلاَ الْهَدْىُ الَّذِي مَعِي فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ " . قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلاَلُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ .

(2944) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज का एहराम बांधा तो जब हम मक्का पहुँचे तो आप (ﷺ) ने हमें एहराम खोलने और हज को उ़म्रह क़रार देने का हुक्म दिया, तो ये चीज़ हमारे लिये इन्तिहाई नागवारी का बाइ़स बनी और उससे हमारे सीने में तंगी (घुटन) पैदा हुई। नबी (ﷺ) तक ये बात पहुँच गई। हमें इल्म नहीं है कि आप (ﷺ) को उसका इल्म आसमानी वह्य से हुआ या लोगों की तरफ़ से पहुँचा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! एहराम खोल दो, अगर मेरे साथ हदी न होती तो मैं भी तुम्हारी तरह एहराम खोल देता।' जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, इस पर हम हलाल हो गये, यहाँ तक कि औरतों से ताल्लुक़ात क़ायम किये और हलाल वाला हर काम किया, यहाँ तक कि जब तरविया का दिन आया और हम मक्का से रवाना हो गये तो हमने हज का एहराम बांधा।

(सहीह बुख़ारी : 3/506)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ، قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ

(2945) मूसा बिन नाफ़ेअ़ (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं उ़म्रह से फ़ायदा उठाने की निय्यत से एहराम बांधकर तरविया के दिन से चार दिन पहले मक्का पहुँचा तो लोगों ने कहा, अब तेरा हज मक्की होगा (यानी मीक़ात से हज का एहराम बांधने वाला सवाब नहीं मिलेगा) तो मैं अ़ता बिन अबी रिबाह के पास गया और उनसे

حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ سَاقَ الْهَدْىَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً " . قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ " افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ " . فَفَعَلُوا .

मसला पूछा, अता ने बताया, मुझे हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बताया, मैंने उस साल जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हदी साथ लेकर गये थे, आपके साथ हज किया, लोगों ने हज्जे मुफ़रद का एहराम बांधा था तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपना एहराम खोल दो, यानी हज की बजाए उ़म्रह क़रार दे लो, बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ करो, सर कतरवा लो और हलाल हो जाओ। जब तरविया का दिन आ जाये तो हज का एहराम बांध लेना और जिस हज का एहराम बांधा है, उसको हज्जे तमत्तोअ़ बना लो।' लोगों ने अ़र्ज़ किया, हम इसको तमत्तोअ़ कैसे बना लें जबकि हमने हज्जे (मुफ़रद) का एहराम बांधा है? आपने फ़रमाया, 'जो हुक्म मैं देता हूँ उस पर अ़मल करो और अगर मैं हदी साथ न लाया होता तो जिसका तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, मैं भी उसी तरह करता। लेकिन उस वक़्त तक एहराम नहीं खोल सकता, जब तक हदी अपने हलाल होने की जगह नहीं पहुँचती।' तो लोगों ने ऐसे ही किया।

(सहीह बुख़ारी : 1568)

फ़ायदा : हज़रत अ़ता का मक़सद ये है, अगर हज्जे तमत्तोअ़ में सवाब कम होता तो आप लोगों का हज फ़स्ख़ करवाकर, उन्हें उ़म्रह करने का हुक्म क्यों देते।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيٍّ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،

(2946) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज का एहराम बांधकर (मक्का) पहुँचे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें उसे उ़म्रह

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ - قَالَ - وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً .

क़रार देने का हुक्म दिया और इस बात का हुक्म दिया कि हम हलाल हो जायें और आपके पास चूंकि हदी थी, इसलिये आप उसे उम्रह क़रार न दे सके।

باب فِي الْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

बाब 18 : हज और उम्रह से मुतमत्तेअ होना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَىَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.

(2947) अबू नज़रह (रह.) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज्जे तमत्तोअ का हुक्म देते थे और इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) इससे मना करते थे, ये बात मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को बताई तो उन्होंने बताया, ये हदीस मेरे ज़रिये ही फैली है। हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जे तमत्तोअ किया, फिर जब हज़रत उमर (रज़ि.) ख़िलाफ़त के मन्सब पर फ़ाइज़ हुए तो उन्होंने कहा, अल्लाह तआला अपने रसूल के लिये जिस चीज़ को जैसे चाहता था हलाल कर देता था और क़ुरआन मजीद का हर हुक्म अपनी जगह ले चुका है, इसलिये तुम हज और उम्रह उस तरह पूरा करो, जैसे तुम्हें अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है और उन औरतों के निकाह को यक़ीनी और दायमी ठहराओ, फिर मेरे पास जो ऐसा आदमी लाया जायेगा जिसने एक मुक़र्ररह मुद्दत के लिये निकाह किया होगा तो मैं उसको रजम करके रहूँगा, पत्थरों से मार दूँगा।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ .

(2948) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं और उसमें ये है कि अपने हज को उम्रह से जुदा करो, क्योंकि इस तरह तुम्हारा हज अलग पूरा होगा और तुम्हारा उम्रह अलग पूरा होगा।

फ़ायदा : क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआ़ला ने हज्जे तमत्तोअ़ करने की इजाज़त दी है और तमत्तोअ़ की दो सूरतें हैं (1) हज के महीनों में है, हज से पहले उम्रह कर लिया जाये और फिर उस सफ़र में दोबारा हज का एहराम बांध कर हज किया जाये, इस्तिलाही तौर पर इसे हज्जे तमत्तोअ़ कहते हैं। (2) एक सफ़र से फ़ायदा उठाते हुए हज और उम्रह दोनों एक ही एहराम से कर लिये जायें, इस्तिलाही तौर पर इसको हज्जे क़िरान कहते हैं, लेकिन क़ुरआन की रू से ये दोनों हज्जे तमत्तोअ़ कहलाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत उमर (रज़ि.) इसी तरह हज़रत उ़समान किस तमत्तोअ़ से रोकते थे? सहीह बात ये है कि तमत्तोअ़ से रोकने की शुरूआत हज़रत उमर (रज़ि.) ने की, हज़रत उ़समान, अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) वग़ैरह ने हज़रत उमर (रज़ि.) की इक़्तिदा में रोका और मुतअ़ल हज की दो सूरतें जिनसे हज़रत उमर (रज़ि.) रोकते थे, ये हैं :

(1) हज के एहराम को फ़स्ख़ करके, उसकी जगह पहले उम्रह किया जाये और फिर आठ ज़िल्हिज्जा को हज का एहराम बांधकर हज किया जाये, जिसको मुतअ़ल फ़स्ख़ का नाम दिया जाता है। हज़रत उमर (रज़ि.) इसको हुज़ूर (ﷺ) के हज के साथ ख़ास समझते थे। जैसाकि जुम्हूर का मौक़िफ़ है। इसलिये मुतअ़तुल फ़स्ख़ करने वाले को मारते थे, लेकिन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का नज़रिया ये था, जिसके पास हदी न हो, यानी वो मीक़ात से हदी साथ लेकर न जाये, उसे अब भी मुतअ़तुल फ़स्ख़ पर अमलपैरा होना होगा। जैसाकि इमाम अहमद, इमाम इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम और इब्ने हज़म वग़ैरह का मौक़िफ़ है। (2) हज़रत उमर तमत्तोअ़ और क़िरान से इसलिये रोकते थे कि वो चाहते थे, हज और उम्रह अलग-अलग सफ़र में किये जायें, ताकि साल भर बैतुल्लाह का तवाफ़ होता रहे और लोग हज और उम्रह दो सफ़रों में करें, ताकि उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ व मशक़्क़त बर्दाश्त करनी पड़े और उनके अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा हो। इस तरह हज्जे मुफ़रद करना और फिर उम्रह करना, उनके नज़दीक अफ़ज़ल था। इसलिये वो फ़रमाते थे, इफ़्सलू हज्जकुम मिन उम्रतिकुम अपने हज को अपने उम्रह से अलग करो और हज और उम्रह की ये कैफ़ियत अइम्म-ए-अरबआ़ के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ अफ़ज़ल है। (ज़ादुल मआ़द, जिल्द 2, पेज नं. 193-194) इसलिये हज़रत उमर (रज़ि.) हज्जे तमत्तोअ़ और हज्जे क़िरान से हज्जे इफ़राद की तरग़ीब और तहरीज़ की ख़ातिर रोकते थे, इसको मना क़रार नहीं देते थे, इसलिये उनका रोकना एक हतमी नस की शक्ल इख़्तियार कर लेता था, निकाहे मुतआ़ के बारे में तफ़्सील निकाह के बाब में आयेगी।

وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، -قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ . فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً .

(2949) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आये और हम हज का तल्बिया कह रहे थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें उसे उम्रह क़रार देने का हुक्म दिया।
(सहीह बुख़ारी : 1570)

باب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

बाब 19 : नबी (ﷺ) का हज

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، -قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، -عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَىَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ . فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ

(2950) जअफ़र बिन मुहम्मद बाक़िर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम चंद साथी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, उन्होंने हमसे पूछा कि कौन-कौन हैं? (हर एक ने अपने बारे में बताया) यहाँ तक कि मेरी बारी आ गई तो मैंने बताया कि मैं मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन हूँ, (हज़रत जाबिर उस वक़्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे) तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सर पर रखा और मेरे कुर्ते का ऊपर वाला बटन खोला और फिर उससे नीचे का बटन खोला, फिर अपनी हथेली मेरे दोनों पिस्तानों के दरम्यान (मेरे सीने पर) रखी और मैं उन दिनों बिल्कुल नौजवान लड़का था और फ़रमाया, 'ऐ मेरे भतीजे! तुम्हें ख़ुश आमदीद कहता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे (बेतकल्लुफ़) पूछ सकते हो। मैंने उनसे पूछा, वो नाबीना हो चुके थे और

ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّ شِئْتَ . فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاَةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا

नमाज़ का वक़्त हो चुका था, तो वो एक चादर लपेटकर खड़े हो गये, वो जब उसे अपने कन्धों पर रखते तो उसके छोटे होने की वजह से, उसके किनारे उनकी तरफ़ लौट आते (नीचे गिर जाते)। हालांकि उनकी बड़ी चादर उनके पहलू में खूंटी या टेबल पर पड़ी हुई थी। मगर उन्होंने बड़ी चादर ओढ़कर नमाज़ पढ़ाना ज़रूरी ख़याल न किया। छोटी चादर को लपेटकर ही नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने हमें नमाज़ पढ़ाई (नमाज़ से फ़राग़त के बाद) मैंने पूछा, मुझे आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के हज के बारे में (तफ़्सीलन) बतायें। उन्होंने हाथ की उंगलियों से 9 की गिनती का इशारा करते हुए मुझे बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) 9 साल तक (मदीना में) रहे और कोई हज न किया। फिर आप (ﷺ) ने दसवें साल लोगों में ऐलान करवाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज के लिये जाने वाले हैं। इस इत्तिलाअ से बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीना आ गये, हर एक की आरज़ू और ख़्वाहिश ये थी कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तिदा करे और आप (ﷺ) के अमल जैसा अमल करे (आपकी पूरी-पूरी पैरवी करे)। हम सब लोग आपके साथ (मदीना से) रवाना हुए, यहाँ तक कि ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँच गये, तो यहाँ असमा बिन्ते उमैस (रज़ि.) के यहाँ मुहम्मद बिन अबी बक्र (रज़ि.) पैदा हुए। तो हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ पैग़ाम भेजा कि ऐसी हालत में क्या करूँ? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ग़ुस्ल कर लो और एक कपड़े का लंगोट

مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي " . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

बांधकर एहराम बांध लो।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में (ज़ुहर की) नमाज़ पढ़ी। फिर अपनी ऊँटनी क़सवा पर सवार हो गये, यहाँ तक कि जब आपकी ऊँटनी मक़ामे बैदा पर पहुँची तो मैंने अपनी हद्दे नज़र तक आपके आगे सवार और पैदल लोग देखे, आपके दायें तरफ़ भी यही कैफ़ियत थी और बायें तरफ़ भी यही हालत थी। (हद्दे नज़र तक हर तरफ़ आदमी ही आदमी सवार और पैदल नज़र आ रहे थे) और आपके पीछे भी यही सूरत थी और रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे दरम्यान थे। आप पर ही क़ुरआन नाज़िल होता था और आप ही उसकी हक़ीक़त (उसका सहीह मतलब व मुद्दआ) जानते थे। हमारा रवैया ये था कि जो कुछ आप करते थे, हम भी वही कुछ करते थे (हमने हर अमल में आपकी पैरवी की) आपने बुलंद आवाज़ से (बैदा पर) तौहीद का ये तल्बिया कहा, लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअ्म-त लक वल्मुल्क ला शरीक लक और लोगों ने वो तल्बिया पढ़ा जो अब पढ़ते हैं (जिसमें आपके तल्बिया पर कुछ अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा था) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके तल्बिया की तर्दीद और तग़लीत नहीं की और ख़ुद अपना तल्बिया ही पढ़ते रहे (अपने तल्बिया की पाबंदी की) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, हमारी निय्यत सिर्फ़ हज की थी, हम उम्रह को नहीं जानते थे (उम्रह हमारे ज़हन में नहीं था) यहाँ तक कि हम (सफ़र पूरा करके)

आपके साथ बैतुल्लाह पहुँच गये। तो आपने हज्रे अस्वद को बोसा दिया (और तवाफ़ शुरू कर दिया) आपने पहले तीन चक्करों में रमल किया (वो चाल चले जिससे क़ुव्वत व शुजाअत का इज़हार होता था) और बाक़ी चार चक्करों में मामूल के मुताबिक़ चले फिर आप मक़ामे इब्राहीम (अलै.) की तरफ़ बढ़े और ये आयत पढ़ी, 'वत्तख़िज़ू मिम्मक़ामि इब्राही-म मुसल्ला (सूरह बक़रह : 125) 'मक़ामे इब्राहीम को क़िब्ला बनाओ और मक़ामे इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ो।' और आप इस तरह खड़े हुए कि मक़ामे इब्राहीम आपके और बैतुल्लाह के दरम्यान था। मेरे बाप (मुहम्मद बाक़िर) बयान करते थे और मेरे इल्म के मुताबिक़ वो नबी (ﷺ) के बारे में ही बताते थे कि आपने दोगाना तवाफ़ में कुल याअय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। फिर आप रुक्न (हज्रे अस्वद) की तरफ़ वापस आये और उसे चूमा, (ये चूमना सई के लिये था) फिर आप बाबे सफ़ा से सफ़ा की तरफ़ चले गये, तो जब सफ़ा के क़रीब पहुँचे ये आयत पढ़ी, 'इन्नस्सफ़ा वल्मरव-त मिन शआइरिल्लाह (सूरह बक़रह : 158) बिला शुब्हा सफ़ा और मरवह अल्लाह के शआइर (निशानियों) में से हैं। मैं उस जगह से आग़ाज़ करता हूँ, जिसका ज़िक्र अल्लाह तआला ने पहले किया है।' तो सफ़ा से शुरूआत की और उस पर इस हद तक ऊपर चढ़े कि आपको बैतुल्लाह नज़र आने लगा, उस वक़्त आप

لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ " . وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ قَالَ جَابِرٌ - رضى الله عنه - لَسْنَا نَنْوِي إِلاَّ الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فَقَرَأَ } وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى{ فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلاَ أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ } قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{ وَ } قُلْ يَا أَيُّهَا

क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके खड़े हो गये, अल्लाह की तौहीद और किबरियाई बयान फ़रमाई और ये दुआ पढ़ी, ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू लहुल् मुल्कु व लहुल् हम्दु वहु-व अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू अन्जज़ वअ़्दहु व नस-र अ़ब्दहु व हज़मल् अहज़ाब वह्दहू अल्लाह के सिवा कोई इबादत व बन्दगी के लायक़ नहीं, वही तन्हा माबूद व मालिक है, उसका कोई शरीक-साझी नहीं, सारी कायनात पर उसकी फ़रमां रवाई है और हम्द व सताइश का हक़दार वही है वो हर चीज़ पर क़ादिर है, वही तन्हा मालिक व माबूद है। उसने (मक्का पर इक़्तिदार बख़्शने और अपने दीन को सर बुलंद करने का) अपना वादा पूरा फ़रमा दिया, अपने बन्दे की उसने (भरपूर) मदद फ़रमाई (कुफ़्र व शिर्क के लश्करों को) तन्हा उसने शिकस्त दी, आपने ये कलिमात तीन बार फ़रमाये और उनके दरम्यान दुआ माँगी, उसके बाद मरवह की तरफ़ (जाने के लिये) उतरे यहाँ तक कि जब आपके क़दम वादी के नशीब में पहुँचे तो आप दौड़ पड़े, यहाँ तक कि जब आपके कदम नशीब से ऊपर आ गये, तो आप आ़म रफ़्तार के मुताबिक़ चले, यहाँ तक कि मरवह पर आ गये और आपने यहाँ बिल्कुल वही कुछ किया जो सफ़ा पर किया था। यहाँ तक कि जब आप आख़िरी चक्कर पूरा करके मरवह पर पहुँचे तो आपने (साथियों को मुख़ातब करके) फ़रमाया, 'अगर पहले मेरे

الْكَافِرُونَ{ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ } إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ{ " أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى

दिल में वो बात आ जाती (मुझे उसका पहले पता चल जाता) जो बाद में मुझे मालूम हुई, तो मैं क़ुर्बानी के जानवर मदीना से साथ न लाता और इस तवाफ़ व सई को जो मैंने किया है उम्रह बना देता। इसलिये तुममें से जिनके साथ क़ुर्बानी के जानवर नहीं आये हैं, वो अपना एहराम ख़त्म कर दें और अपने तवाफ़ व सई को उम्रह बना दें।' इस पर सुराक़ा बिन मालिक बिन जुअशुम खड़े हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये हुक्म (कि हज के महीनों में उम्रह किया जाये) ख़ास हमारे इसी साल के लिये है या हमेशा के लिये यही हुक्म है? आपने अपने हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ की उंगलियों में दाख़िल करके फ़रमाया, 'उम्रह हज में दाख़िल हो गया, उम्रह हज में दाख़िल हो गया, ख़ास इसी साल के लिये नहीं बल्कि हमेशा-हमेशा के लिये।' और हज़रत अली (रज़ि.) यमन से रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानी के लिये (मज़ीद) जानवर लेकर आये, उन्होंने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को देखा कि वो एहराम ख़त्म करके हलाल हो चुकी हैं और रंगीन कपड़े पहने हुए हैं और सुरमा भी इस्तेमाल किया है, हज़रत अली ने इस पर, उन पर अपनी नागवारी का इज़हार किया (और उनके इस काम को ग़लत क़रार दिया) तो हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने कहा, मुझे मेरे वालिद ने इसका हुक्म दिया है। इमाम जअफ़र कहते हैं, हज़रत अली इराक़ में कहा करते थे, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास गया, ताकि उन्हें

الصَّفَ حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ " لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً " . فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخْرَى وَقَالَ " دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لاَ بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ " . وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . قَالَ فَكَانَ

عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ " صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ . قَالَ " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ فَلاَ تَحِلُّ " . قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْىِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةً - قَالَ - فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلاَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ

फ़ातिमा के ख़िलाफ़ भड़काऊँ कि उसने ये हरकत की है और आपसे वो बात पूछूँ जो फ़ातिमा ने आपके बारे में बयान की थी, तो मैंने आपको बताया कि मैंने उसकी इस हरकत पर ऐतिराज़ किया है। तो आपने फ़रमाया, 'उसने (फ़ातिमा ने) सच कहा है, उसने सच बताया है। तूने जब हज की नियत की थी तो क्या कहा था?' मैंने कहा, मैंने ये नियत की थी कि मैं उस चीज़ का एहराम बांधता हूँ, जिसका एहराम तेरे रसूल ने बांधा है। आपने फ़रमाया, 'मैं तो चूंकि क़ुर्बानी के जानवर साथ लाया हूँ (इसलिये मैं हज से पहले एहराम ख़त्म करके हलाल नहीं हो सकता और तुमने मेरे एहराम की नियत की है) इसलिये तुम हलाल नहीं हो सकते।' हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि क़ुर्बानी के जो जानवर रसूलुल्लाह (ﷺ) और जो अली (रज़ि.) यमन से लाये थे, उनकी मज्मूई तादाद सौ थी। हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और उनके सहाबा के सिवा जो क़ुर्बानी के जानवर साथ लाये थे, सब लोगों ने एहराम ख़त्म कर दिया और बाल तरशवा कर हलाल हो गये, फिर जब तरविया का दिन (आठ ज़िल्हिज्जा का दिन) हुआ, सब लोगों ने मिना का रुख़ किया (और एहराम ख़त्म करके हलाल होने वालों ने) हज का एहराम बांध लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नाक़ह (ऊँटनी) पर सवार हो गये (वहाँ पहुँचकर) आपने ज़ुहर, असर मग़रिब, इशा और फ़ज्र की

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ

नमाज़ें पढ़ीं। फिर थोड़ी देर ठहरे रहे यहाँ तक कि जब सूरज निकल आया (आप अरफ़ात की तरफ़ चल पड़े) और आपने हुक्म दिया, 'बालों से बने हुए ख़ैमे को आपके लिये मक़ामे नमिरह में गाड़ दिया जाये।' रसूलुल्लाह (ﷺ) चल पड़े और क़ुरैश को इस बारे में कोई शक व शुब्हा नहीं था कि आप मशअ़रे हराम के पास ठहरेंगे, जैसाकि क़ुरैश ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में किया करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) उससे आगे गुज़रकर अ़रफ़ात पहुँच गये और आपने देखा कि आपका ख़ैमा नमिरह में नसब कर दिया गया है। आप वहाँ उतर गये, यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने क़स्वा पर कजावा कसने का हुक्म दिया। आप सवार होकर वादी-ए-अ़रफ़ा के दरम्यान आ गये और लोगों को ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'लोगो! तुम्हारे ख़ून और तुम्हारे माल, तुम पर उसी तरह हराम हैं, जिस तरह कि आज अ़रफ़ा के दिन, इस मुबारक माह में, तुम्हारे इस मुक़द्दस व मोहतरम महीने में, ख़ूब ज़हन नशीन कर लो कि जाहिलिय्यत की सारी चीज़ें (तमाम रस्मो-रिवाज) मेरे दोनों क़दमों के नीचे पामाल हैं, (मैं उनके ख़ातमे और मन्सूख़ी का ऐलान करता हूँ) और जाहिलिय्यत (इस्लाम की रोशनी से पहले की तारीकी और गुमराही का ज़माना) के ख़ून भी पामाल हैं, (अब कोई आदमी ज़मान-ए-जाहिलिय्यत के किसी ख़ून का बदला नहीं ले सकेगा) और सबसे पहले मैं अपने घराने के ख़ून, रबीआ़ बिन हारिस के बेटे

الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ " .

के ख़ून को पामाल करता हूँ (उसका बदला नहीं लिया जायेगा) जो क़बीला बनू सअ़द के एक घर में दूध पीता था और उसे क़बीला हुज़ैल के लोगों ने क़त्ल कर दिया था और जाहिलिय्यत के दौर के सूदी मुताल्बात को पामाल करता हूँ (अब कोई मुसलमान किसी से अपना सूद वसूल नहीं कर सकेगा) और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान के सूद (अपने चाचा) अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब के सूद के बारे में ऐलान करता हूँ कि वो सबका सब ख़त्म कर दिया गया है (अब वो किसी से अपना सूद वसूल नहीं करेंगे) ऐ लोगो! औरतों के (हुक़ूक़ और उनके साथ बर्ताव के) बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के हुक्म व क़ानून (निकाह के कलिमात) से उनकी शर्मगाहों को अपने लिये हलाल कर लिया है, तुम्हारा उन पर हक़ है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख़्स को न बैठने दें (उसको तुम्हारे घर आने का मौक़ा न दें) जिसका आना तुम्हें नागवार हो, अगर वो ऐसा करें तो उन्हें ऐसी मार मारो जो शदीद न हो (तम्बीह और आइन्दा सद्दे बाब के लिये कुछ ख़फ़ीफ़ सज़ा दे सकते हो) और उनका तुम पर ये हक़ है कि दस्तूर और उ़र्फ़ के मुताबिक़ उनके खाने-पीने और पहनने का बन्दोबस्त करो और मैं तुम्हारे अंदर वो सामाने हिदायत छोड़ रहा हूँ कि अगर तुम उसको मज़बूती से पकड़े रखोगे (उसकी पैरवी करोगे) तो फिर हर्गिज़ गुमराह न

قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ " اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ

होगे, वो है अल्लाह की किताब (कुरआन, उसका क़ानून जो किताबो-सुन्नत की शक्ल में मौजूद है) (क़यामत के दिन) तुमसे मेरे बारे में पूछा जायेगा (कि मैंने तुम्हें अल्लाह की हिदायत और अहकाम पहुँचाये थे या नहीं) तो तुम क्या जवाब दोगे?' हाज़िरीन ने अर्ज़ किया, हम गवाही देंगे (अब भी देते हैं) कि आपने अल्लाह का पैग़ाम पहुँचा दिये (रहनुमाई और तब्लीग़ का) हक़ और फ़रीज़ा अदा कर दिया। नसीहत व ख़ैरख़्वाही में कोई दक़ीक़ा उठा न रखा। तो आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ़ उठाते हुए और लोगों के मजमओ की तरफ़ इशारा करते हुए तीन बार फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! गवाह हो जा! ऐ अल्लाह! गवाह रह!' फिर आपने अज़ान और इक़ामत कहलवाई और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। फिर इक़ामत कहलवाई और असर की नमाज़ पढ़ाई और दोनों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) सवार होकर (मैदाने अरफ़ात में) मक़ामे वुक़ूफ़ पर तशरीफ़ लाये और अपनी नाक़ह क़स्वा का रुख़ पत्थर की चट्टानों की तरफ़ कर दिया और पैदल चलने वाला मजमअ अपने सामने कर लिया और आप क़िब्ला रुख़ हो गये और आप यहाँ तक ठहरे रहे कि सूरज ग़ुरूब हो गया और कुछ ज़र्दी ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि जब सूरज की टिकिया ग़ायब हो गई तो आपने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को अपने पीछे सवार कर लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) मुज़्दलिफ़ा की

بِيَدِهِ الْيُمْنَى " أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ " . كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ

तरफ़ वापस चल पड़े। जबकि क़स्वा की महार इस क़द्र खींची हुई थी कि उसका सर पालान के अगले हिस्से से लग रहा था और आप अपने दायें हाथ के इशारे से कह रहे थे, 'ऐ लोगो! सकीनत व तमानियत इख़्तियार करो, सकीनत और नर्मी से चलो।' जब रास्ते के टीलों में से किसी टीले और पहाड़ी पर पहुँचते तो ऊँटनी की महार कुछ ढीली कर देते, ताकि वो ऊपर चढ़ सके यहाँ तक कि मुज़्दलिफ़ा को पहुँचे। तो वहाँ मग़रिब और इशा की नमाज़ एक अज़ान और दो तकबीरों से पढ़ी और दोनों के दरम्यान किसी क़िस्म की नफ़्ल नमाज़ नहीं पढ़ी। उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) लेट गये। यहाँ तक कि सुबह तुलूअ हो गई। तो जब सुबह अच्छी तरह आपके सामने वाज़ेह हो गई आपने एक अज़ान और इक़ामत के साथ फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी। फिर अपनी ऊँटनी क़स्वा पर सवार होकर मशअरे हराम पर पहुँचे (जो मुज़्दलिफ़ा के हुदूद में एक बुलंद टीला था) यहाँ आकर क़िब्ला रुख़ खड़े हो गये, अल्लाह से दुआ की, उसकी तकबीर, तहलील, व तमजीद और तौहीद के कलिमात कहते हुए खड़े रहे। यहाँ तक कि ख़ूब उजाला हो गया और अच्छी तरह रोशनी फैल गई। फिर सूरज निकलने से पहले ही मिना की तरफ़ लौटे और अपने पीछे फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) को सवार कर लिया, वो ख़ूबसूरत बालों वाले, सफ़ेद रंग और ख़ूबसूरत नौजवान थे। जब आप मिना को रवाना हुए तो आपके पास से औरतों की जमाअत चलती हुई गुज़री।

तो हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) उनको देखने लगे, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज़्ल (रज़ि.) के चेहरे पर अपना हाथ रख दिया। तो फ़ज़्ल (रज़ि.) अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेरकर देखने लगे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना हाथ दूसरी तरफ़ फेरकर फ़ज़्ल (रज़ि.) के चेहरे पर रख दिया। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेरकर देखने लगे यहाँ तक कि आप वादी मुहस्सिर के दरम्यान पहुँच गये और अपनी सवारी को कुछ तेज़ कर दिया। फिर दरम्यानी रास्ते पर चले, जो जम्र–ए–कुबरा (बड़ा जमरह) पर पहुँचता है, यहाँ तक कि उस जमरह पर आ गये जो दरख़्त के पास है (यही जम्रा–ए–कुबरा या जम्रा–ए–उक़्बा था) और उस पर सात कंकरियाँ मारीं, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे, ये संगरेज़े छोटे-छोटे थे। जैसे उंगलियों में रखकर फेंके जाते हैं (जो चने और मटर के दाने के बराबर होते हैं) आपने संगरेज़े नशीबी जगह से फेंके थे, फिर आप क़ुर्बानगाह की तरफ़ पलटे और 63 ऊँटों को अपने हाथ से नहर (ज़िब्ह) किया। फिर जो बाक़ी रह गये, वो हज़रत अली (रज़ि.) के हवाले कर दिये और उन्होंने उन्हें नहर (ज़िब्ह) कर दिया और आपने उन्हें अपनी क़ुर्बानी में शरीक कर लिया, फिर आपने हुक्म दिया कि क़ुर्बानी के हर ऊँट से एक गोश्त का एक टुकड़ा काट लिया जाये, ये सारे टुकड़े एक देग में डालकर पकाये गये, तो आप और हज़रत अली (रज़ि.) दोनों ने उस गोश्त से खाया और शोरबा पिया। फिर

يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلاً ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ

كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ " انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ " . فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ .

रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नाक़ह पर सवार होकर तवाफ़े इफ़ाज़ा (तवाफ़े ज़ियारत) के लिये बैतुल्लाह की तरफ़ रवाना हुए। तवाफ़ किया और आपने ज़ुहर की नमाज़ मक्का में अदा फ़रमाई। उसके बाद बनू अ़ब्दुल मुत्तलिब के पास आये, जो ज़मज़म से पानी खींच-खींच कर लोगों को पिला रहे थे तो आपने उनसे फ़रमाया, 'ऐ अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलाद! पानी खींचो, अगर ये ख़तरा न होता कि दूसरे लोग तुम्हारी पानी की ख़िदमत पर ग़ालिब आ जायेंगे (इसको मनासिके हज का हिस्सा समझकर तुमसे डोल छीन लेंगे) तो मैं भी तुम्हारे साथ डोल खींचता।' उन्होंने एक डोल भरकर आपको दिया और आपने उससे नौश फ़रमा लिया।

(अबू दाऊद : 1905, 1909, इब्ने माजह : 3074)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) सअल अनिल क़ौम : अपने पास आने वाले लोगों से पूछा, तुम कौन हो? क्योंकि वो उस वक़्त उम्र के आख़िरी हिस्से में अन्धे हो चुके थे। **(2) नज़अ ज़र्रिल अअ्ला :** मेरा ऊपर का बटन खोला, मक़सद उनका सीना नंगा करके प्यार व शफ़क़त से उस पर हाथ रखना था। **(3) निसाजह :** एक बुनी हुई छोटी चादर। **(4) मिशजब :** कपड़े रखने का स्टूल। **(5) इस्तस़फ़िरी :** लंगोटी बांध ले। **(6) अहल्ल बित्तौहीद :** तल्बिया कहना शुरू किया। **(7) इस्त-ल-मर्रुक्न :** हज्रे अस्वद को बोसा दिया, उसे चूमा। रुक्न का लफ़्ज़ जब बिला क़ैद आये तो उससे मुराद हज्रे अस्वद होता है। **(8) इन्सब्बत क़दमाह :** आपके क़दम नशीब में उतरे, आप नशीबी हिस्से में पहुँचे। **(9) मुहर्रिशा :** भड़काना, किसी के ख़िलाफ़ इश्तिआल दिलवाना, इस्मे फ़ाइल, भड़काने वाला। **(10) नमिरह :** अ़रफ़ात से मुत्तसिल वादी है जो अ़रफ़ात का हिस्सा नहीं है। **(11) अल्मश्अरिल हराम :** मुज़्दलिफ़ा की एक पहाड़ी है जिसको क़ुज़ह भी कहते हैं, क़ुरैश दौरे जाहिलिय्यत में यहीं रुक जाते थे, आगे अ़रफ़ात तक नहीं जाते थे, क्योंकि वो हुदूदे हरम से बाहर है और उनका तसव्वुर था, अहले हरम को हरम से नहीं निकलना चाहिये। **(12) बत्नल वादी :** इससे

मुराद वादी-ए-अरफ़ा है जो इमाम मालिकके सिवा बाक़ी अइम्मा के नज़दीक अरफ़ात में दाख़िल नहीं है। (13) **कहुरमति यौमिकुम हाज़ा :** जिस तरह इस दिन की हुरमत व तअज़ीम इन्तिहाई शदीद और ताकीदी है, इस तरह एक-दूसरे का ख़ून बहाना या माल लूटना इन्तिहाई क़बीह जुर्म और बहुत बड़ा गुनाह है। (14) **कलिमतल्लाह :** इससे मुराद अक़्दे निकाह, ईजाबो-क़ुबूल के कलिमात हैं। (15) **ज़रबन ग़ैर मुबर्रह :** वो मार जो सख़्त और शदीद न हो, क्योंकि बर्रह का मानी मशक़्क़त है। (16) **ला यूतिअ्न फ़ुरुशकुम अहदन तक्रहूनहू :** किसी ऐसे मर्द या औरत को अपना हो या ग़ैर, घर में दाख़िल होने और बैठने की इजाज़त न दें, जिसको ख़ाविन्द पसंद न करता हो। (17) **किताबल्लाह :** अल्लाह तआला का क़ानून और ज़ाबता, क़ुरआन में हो या सुन्नत में, जिस तरह कि (फ़ग़दि या उनैस) वाली हदीस़ में है और क़ुरआन मजीद मुराद लेना भी सहीह है क्योंकि असल ज़ाब्ता-ए-इलाही तो वो है, सुन्नत तो इसकी शारेअ और मुफ़स्सिर व मुबीन है। (18) **यन्कुतुहा इलन्नास :** लोगों की तरफ़ झुकाते थे, जिस तरह ज़मीन खोदने के लिये (उस) को नीचे किया जाता है, उस तरह अपनी उंगली से लोगों की तरफ़ इशारा फ़रमाते थे। (19) **सख़रात :** जबले रहमत के दामन में फैले हुए पत्थर, जबले रहमत, अरफ़ात के दरम्यान में है, जिसके पास खड़े होकर अरफ़ात में वुक़ूफ़ करना मुस्तहब है। (20) **हब्लल मुशात :** पैदल चलने वालों की जमा होने की जगह, अगर जबलल मुशात हो तो मुराद होगा, पैदल चलने वालों का रास्ता। (21) **शनक़ :** उसको अपनी तरफ़ खींचा, तंग किया। (22) **मौरिक रहलिही :** पालान का अगला हिस्सा। (23) **अरख़ा :** ढीला छोड़ दिया। (24) **वसीम :** ख़ूबसूरत, हसीन व जमील। (25) **वादी मुहस्सिर :** जिस वादी में आकर अस्हाबुल फ़ील के हाथी थक हार गये थे या बेदम और आजिज़ हो गये थे। (26) **जम्रतिल कुब्रा :** जमरह उक़बा जो उस वक़्त शजरह के पास था दस ज़िलहिज्जा को सिर्फ़ बड़े जमरह पर कंकर मारे जाते हैं। (27) **हसल ख़ज़्फ़ :** वो छोटे-छोटे संगरेज़े जो दो उंगलियों के दरम्यान रखकर फेंके जा सकते हैं। (28) **इन्ज़िअ़ :** डोल खींचकर पानी पिलाओ।

(2951) जअ़फ़र बिन मुहम्मद (रह.) बयान करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बताया, मैं जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के हज के बारे में पूछा। आगे हातिम बिन इस्माईल की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह बयान किया। इस हदीस़ में ये इज़ाफ़ा है कि

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ

إِسْمَاعِيل وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ . لَمْ تَشُكَّ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ .

अरबों का दस्तूर था, उन्हें एक अबू सय्यारह नामी आदमी गधे की नंगी पुश्त पर सवार होकर मुज़्दलिफ़ा से वापस मिना लाता था। तो जब रसूलुल्लाह(ﷺ) मुज़्दलिफ़ा से मशअरे हराम की तरफ़ बढ़ गये, तो क़ुरैश को यक़ीन था कि आप उस पर किफ़ायत करेंगे (मशअरे हराम से वुक़ूफ़ करेंगे) और यही आपकी मन्ज़िल या पड़ाव होगा, मगर आप इससे भी आगे गुज़र गये और इसकी तरफ़ तवज्जह न की, यहाँ तक कि अरफ़ात पहुँचकर उतरे।

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने हिज्रत के बाद सिर्फ़ एक ही हज 10 हिजरी में फ़रमाया है और अगले साल रबीउल अव्वल में इस जहाने फ़ानी को छोड़कर दारे बक़ा का सफ़र इख़्तियार किया और आपके हज के सफ़र की तफ़्सीली रूदाद हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने बयान फ़रमाई है। इसलिये हम इस रिवायत की रोशनी में मुख़्तसर तौर पर सिर्फ़ हज से मुताल्लिक़ा उमूर बयान करते हैं।

(1) इंसान जब हज या उम्रह की निय्यत से अपने मीक़ात पर पहुँचे तो एहराम बांधने के लिये ग़ुस्ल करे, औरत अगर हाइज़ा हो या निफ़ास वाली हो उसको भी ग़ुस्ल करना चाहिये और निफ़ास वाली औरत ख़ून से तहफ़्फ़ुज़ के लिये लंगोट बांध ले।

(2) एहराम बांधते वक़्त दो रकअत नमाज़ अदा करे, अगर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद एहराम बांध ले तो ये भी काफ़ी है क्योंकि हुज़ूर(ﷺ) ने नमाज़े ज़ुहर के बाद तल्बिया कहना शुरू कर दिया था। एहराम के लिये अलग दो रकअत नमाज़ नहीं पढ़ी थी।

(3) क़ुरआन का इल्म और अमल आप ही से सीखा जा सकता है, इसलिये तमाम सहाबा किराम ने आमाले हज में नबी(ﷺ) के तरीक़े और अमल को मश्अले राह बनाया।

(4) अपने मीक़ात से तल्बिया कहना शुरू कर दिया जायेगा, ज़ुल्हुलैफ़ा से तमाम हज़रात ने हज का तल्बिया कहा था, वादी अक़ीक़ में पहुँचकर आप(ﷺ) ने हज और उम्रह दोनों का तल्बिया कहा, इसलिये हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने आप(ﷺ) के एहराम को भी हज के लिये ही क़रार दिया है, क्योंकि शुरूआत इससे हुई थी।

(5) बेहतर ये है कि तल्बिया के उन्हीं कलिमात को काफ़ी समझा जाये, जिनकी आप(ﷺ) ने पाबंदी फ़रमाई थी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है, अगरचे उन अल्फ़ाज़ पर

इज़ाफ़ा जाइज़ है। क्योंकि आपके सामने कुछ अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा किया गया, लेकिन आपने उससे मना नहीं फ़रमाया।

(6) बैतुल्लाह पहुँचने के बाद सबसे पहले तवाफ़ किया जायेगा, जिसको तवाफ़े क़ुदूम कहते हैं, जिसका आग़ाज़ हज्रे अस्वद को चूमकर किया जायेगा, बैतुल्लाह के गिर्द मक़ामे हजर के ऊपर से सात चक्कर लगाये जायेंगे। हज्रे अस्वद से लकर हज्रे अस्वद तक एक चक्कर होगा। पहले तीन चक्करों में क़ुव्वत व ताक़त के इज़हार के लिये रमल किया जायेगा और बाक़ी चार चक्कर आम रफ़्तार से पूरे किये जायेंगे और रमल का ताल्लुक़ सिर्फ़ पहले तवाफ़ से है। बाक़ी तवाफ़ों में रमल नहीं है। इसी तरह दूसरी रिवायात की रोशनी में तवाफ़े क़ुदूम में इज़्तिबाअ होगा, जिसका मतलब है कि मुहरिम अपने ऊपर वाली चादर अपने दायें हाथ की बग़ल के नीचे से निकालकर बायें कन्धे पर डालेगा, गोया दायें कन्धे को नंगा रखेगा और बायें को ढांपेगा और ये काम सातों चक्करों में बरक़रार रहेगा। हर चक्कर के शुरू में हज्रे अस्वद को बोसा दिया जायेगा। अगर बोसा मुम्किन न हो तो हाथ लगाकर उसको चूम लिया जायेगा। ये भी मुम्किन न हो तो इशारा करना काफ़ी होगा और रुक्ने यमानी को हाथ लगाया जायेगा और उसे चूमने की ज़रूरत नहीं है।

(7) तवाफ़े क़ुदूम से फ़ारिग़ होकर, मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत अदा करना होंगी। पहली रकअत में सूरह काफ़िरून और दूसरी में सूरह इख़्लास की क़िरअत की जायेगी। उससे फ़राग़त के बाद, सफ़ा पर जाकर सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई का आग़ाज़ होगा और सफ़ा से अगर बैतुल्लाह पर नज़र डाली जा सके तो बेहतर है वरना खड़े होकर मसनून दुआयें की जायेंगी, फिर वहाँ से मरवह की तरफ़ चलेंगे और नशीबी जगह पर पहुँचकर जिसकी निशानदेही सब्ज़ लाइटों से कर दी गई है, तेज़ चलेंगे या आम अन्दाज़ से दौड़ेंगे और नशीब से गुज़रकर आम रफ़्तार से चलेंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। अगरचे ये हाजरा (अलै.) की सुन्नत है। मरवह पर पहुँचकर सफ़ा वाली दुआयें की जायेंगी और ये एक चक्कर हो जायेगा। इस तरह सातवाँ चक्कर मरवह पर जाकर मुकम्मल हो जायेगा। उसके बाद हज्जे तमत्तोअ करने वाला तक़सीर या तहलीक़ करके एहराम खोल देगा और हलाल हो जायेगा। आपने उन सहाबा किराम (रज़ि.) को जिनके पास क़ुर्बानी नहीं थी, एहराम खोलने का हुक्म दिया था और आपने हज़रत सुराक़ा बिन मालिक (रज़ि.) के सवाल के जवाब में फ़रमाया था कि अब उम्रह हमेशा के लिये हज में दाख़िल हो गया है, इसलिये हज के साथ उम्रह करने में कोई रुकावट नहीं है। इसके लिये हज के एहराम को उम्रह के एहराम से बदलना भी जाइज़ है। औरत बालों को आख़िर से एक पोर के बराबर काट लेगी।

(8) हज़रत अली (रज़ि.) यमन से आपके लिये मज़ीद क़ुर्बानियाँ लेकर आये थे, हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को जब एहराम खोलकर, हलाल होकर रंगदार कपड़े पहने हुए और सुरमा लगाये हुए देखा, तो अपनी नाराजी का इज़हार किया। क्योंकि वो समझते थे कि इंसान हज से फ़राग़त के बाद एहराम खोल

सकता है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने ये काम वालिदे मोहतरम के हुक्म पर किया है। तो हज़रत अली (रज़ि.) तस्दीक़ के लिये हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की शिकायत की। जिससे साबित हुआ, ख़ाविन्द को अपनी बीवी के अफ़आल पर नज़र रखनी चाहिये और शरीअत के ख़िलाफ़ काम करने पर उसका मुहासबा करना चाहिये और ज़रूरत हो तो उसके बाप से भी शिकायत करनी चाहिये और अपने हज के तल्बिया के बारे में अर्ज़ किया, मैंने हज के बारे में वही निय्यत की है, जिस निय्यत से आपने एहराम बांधा है। इससे मालूम हुआ, ज़रूरत के तहत बिला तअयीने नौइयते हज (इफ़राद, तमत्तोअ, क़िरान) एहराम बांधा जा सकता है और मक्का मुकर्रमा पहुँचकर तअयीन कर ली जायेगी।

(9) तरविया के दिन यानी आठ ज़िल्हिज्जा को मुतमत्तेअ नये सिरे से एहराम बांध कर मिना की तरफ़ रवाना होंगे, लेकिन जिन लोगों ने हज्जे इफ़राद और हज्जे क़िरान का एहराम बांधा था, यानी मुफ़रिद और क़ारिन चूंकि वो तवाफ़े क़ुदूम के बाद एहराम नहीं खोल सकते, इसलिये वो अपने उसी एहराम के साथ मिना का रुख़ करेंगे। ज़ुहर, असर, मग़्रिब, इशा और फ़ज्र पाँच नमाज़ें मिना में अदा करना होंगी और 9 ज़िल्हिज्जा को सूरज निकलने के बाद अरफ़ात की तरफ़ जाना होगा।

(10) अरफ़ात में दाख़िल होने से पहले वादीये नम्रा में उतरेंगे, बेहतर यही है और सूरज के ढलने के बाद इमाम वादीये अरफ़ा में ख़ुत्बा देगा और उमसें लोगों की इज्तिमाई ज़रूरत के मुताबिक़, मौक़ा व महल की मुनासिबत से मसाइल की तल्क़ीन करेगा, जैसाकि आपने जान व माल की हिफ़ाज़त, जाहिलिय्यत रस्मों की पामाली और औरतों के हुक़ूक़ के बारे में तल्क़ीन फ़रमाई, ख़ाविन्दों के हुक़ूक़ बयान किये और किताबुल्लाह के बारे में ताकीद फ़रमाई। ख़ुत्बे से फ़राग़त के बाद इमाम एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ ज़ुहर और असर की नमाज़ें जमा करेगा और उन दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं है। (11) नमाज़ों से फ़राग़त के बाद अरफ़ात में शाम तक बैतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करके वुक़ूफ़ (ठहरना) करना होगा और बेहतर ये है कि वुक़ूफ़ जबले रहमत जो मैदाने अरफ़ात के दरम्यान में है, के दामन में किया जायेगा और जब सूरज पूरी तरह ग़ुरूब हो जाये तो फिर अरफ़ात से नमाज़े मग़्रिब पढ़े बग़ैर मुज़्दलिफ़ा की तरफ़ वापसी होगी और मग़्रिब और इशा की नमाज़ को मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ा जायेगा और रात यहीं गुज़ारी जायेगी।

(12) जब 10 ज़िल्हिज्जा की फ़ज्र अच्छी तरह तुलूअ हो जायेगी तो सुबह की नमाज़ बाजमाअत अदा की जायेगी और नमाज़े फ़ज्र से फ़राग़त के बाद, मशअरे हराम के पास आकर इंसान दुआ, तहलील व तकबीर और तौहीद के कलिमात की अदायगी में मशग़ूल हो जायेगा और सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ़ रवानगी होगी।

(13) मिना पहुँचकर जम्र-ए-कुब्रा जिसे जमरह उक़बा भी कहा जाता है, पर सात छोटी-छोटी

कंकरियाँ मारनी होंगी और हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहा जायेगा, रमी जिमार से फ़राग़त के बाद क़ुर्बानगाह में आकर क़ुर्बानी की जायेगी, उसके बाद तहलीक़ या तक़सीर करना होगी।

(14) मिना के आमाल से फ़राग़त के बाद मक्का मुकर्रमा वापस आयेंगे और तवाफ़े इफ़ाज़ा करेंगे, तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद एहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एहराम तो मिना के अफ़आल से फ़राग़त के बाद खोल दिया जाता है, नहा धोकर और ख़ुश्बू लगाकर कपड़े बदल लिये जाते हैं, लेकिन तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद मियाँ-बीवी ताल्लुक़ात पर पाबंदी भी ख़त्म हो जाती है, जो तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले तक बरक़रार रहती है।

(15) तवाफ़े इफ़ाज़ा से फ़राग़त के बाद वापस मिना जाना होता है, ये ख़्याल रहे तवाफ़े इफ़ाज़ा में मुतमत्तेअ के लिये सफ़ा और मरवह की सई भी ज़रूरी है और मुफ़रिद और क़ारिन अगर तवाफ़े क़ुदूम के साथ सई कर चुके हैं, तो उनके लिये सई ज़रूरी नहीं है, अगर उन्होंने पहले सई नहीं की तो फिर उन्हें भी सई करना होगी।

बाब 20 : अरफ़ात का हर हिस्सा मौक़िफ़ (ठहरने की जगह) है

باب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ

(2952) हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हदीस में ये भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने यहाँ नहर (क़ुर्बानी) किया है और मिना का हर हिस्सा क़ुर्बानगाह है, अपने पड़ाव में नहर कर सकते हो और मैं यहाँ ठहरा हूँ और अरफ़ा पूरे का पूरा क़ियामगाह है और जमा (मुज़्दलिफ़ा) की हर जगह क़ियामगाह है और मैं यहाँ ठहरा हूँ।'

(अबूदाऊद: 1907-1908, नसाई : 5/256, 5/265)

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ " .

(2953) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाये तो आप (ﷺ) हज्रे अस्वद के पास आये और उसे बोसा दिया, फिर अपने दायें जानिब चले,

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ، مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لمَّ قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا .

तीन चक्करों में रमल किया और चार चक्कर आम चाल में लगाये।
(तिर्मिज़ी : 856, नसाई : 5/228-229)

باب فِي الْوُقُوفِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

बाब 21 : वुक़ूफ़ करना और अल्लाह तआला का फ़रमान, 'फिर तुम लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}

(2954) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि क़ुरैश और उनके तरीक़े पर चलने वाले मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे और ख़ुद को हुम्स (दीन में मज़बूत और पुख़्ता) कहते थे और बाक़ी अरब अरफ़ा में वुक़ूफ़ करते थे, जब इस्लाम का दौर आया, तो अल्लाह तआला ने अपने रसूल को अरफ़ात पहुँचकर वुक़ूफ़ करने का हुक्म दिया, फिर वहाँ से वापस लौटे, इसके बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'फिर वहाँ से लौटो, जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं।' (सूरह बक़रह : 199)
(सहीह बुख़ारी : 4520, अबू दाऊद : 1910, नसाई : 5/255)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلاَّ أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لاَ

(2955) हिशाम (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि अरब हुम्स क़ुरैश को छोड़कर, बैतुल्लाह का नंगे तवाफ़ करते थे और हुम्स से मुराद क़ुरैश और उनकी औलाद है। अरब उनके सिवा जिनको क़ुरैश कपड़े इनायत कर देते, बरहना तवाफ़ करते थे। मर्द, मर्दों को कपड़े देते और औरतें, औरतों को देतीं और हुम्स मुज़्दलिफ़ा से बाहर नहीं निकलते थे

يخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ عَرَفَاتٍ . قَالَ هِشَامٌ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِيضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لاَ نُفِيضُ إِلاَّ مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ { أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ

और बाक़ी सब लोग अरफ़ात पहुँचते थे। हिशाम कहते हैं, मुझे मेरे बाप ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया कि हुम्स ही के बारे में अल्लाह तआला ने ये हुक्म नाज़िल फ़रमाया, 'फिर वहाँ से वापस लौटो, जहाँ से लोग वापस लौटते हैं।' वो बयान फ़रमाती हैं कि सब लोग अरफ़ात से वापस लौटते और हुम्स मुज़्दलिफ़ा से वापस आ जाते थे। वो कहते थे, हम हरम ही से वापस लौट आयेंगे, तो जब ये आयत नाज़िल हुई, 'वहाँ से वापस लौटो, जहाँ से लोग वापस लौटते हैं।' तो वो अरफ़ात तक पहुँचकर लौटने लगे।

फ़ायदा : क़ुरैश हरम के बाशिन्दे थे, इसलिये उनका ये नज़रिया था कि हरम के बाशिन्दों को हुदूदे हरम से बाहर नहीं निकलना चाहिये और अरफ़ात हुदूदे हरम से बाहर वाक़ेअ है, इसलिये वो मुज़्दलिफ़ा में ही ठहर जाते थे, क़ुरआन ने इस नज़रिये की तर्दीद करके, क़ुरैश को भी अरफ़ात में वुक़ूफ़ करने का हुक्म दिया और वुक़ूफ़े अरफ़ात हज का अहम तरीन रुक्न है। अगर ये रह जाये तो हज नहीं होगा, किसी क़िस्म के फ़िद्ये से भी इसकी तलाफ़ी मुम्किन नहीं है। इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है और वुक़ूफ़े अरफ़ात का वक़्त 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाले आफ़ताब से शुरू हो जाता है और अगले दिन 10 ज़िलहिज्जा की सुबह तक रहता है। इसलिये जो शख़्स इस वक़्त के अंदर-अंदर अरफ़ात पहुँच गया उसका हज हो जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर उम्मत का यही नज़रिया है। सिर्फ़ इमाम अहमद के नज़दीक वुक़ूफ़े अरफ़ात का वक़्त अरफ़ा के दिन सुबह ही शुरू हो जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन के अमल के ख़िलाफ़ है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، -قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ

(2956) हज़रत जुबैर बिन मुत्इम (रज़ि.) बयान करते हैं, मेरा ऊँट गुम हो गया और मैं उसकी तलाश में अरफ़ा के दिन निकला, तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को लोगों के साथ अरफ़ात में ठहरे हुए देखा, मैंने दिल में कहा, अल्लाह की क़सम! ये तो हुम्स से हैं, तो वो

أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ .

इस जगह क्यों आ गये? क़ुरैश हुम्स में शुमार होते थे।
(सहीह बुख़ारी : 1664, नसाई : 5/255)

باب فِي نَسْخِ التَّحَلُّلِ مِنَ الإِحْرَامِ وَالأَمْرِ بِالتَّمَامِ

बाब 22 : एहराम से निकलना मन्सूख़ है, एहराम को पूरा करना होगा

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي " أَحَجَجْتَ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ " بِمَ أَهْلَلْتَ " . قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَقَدْ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَحِلَّ " . قَالَ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ . قَالَ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ فِي

(2957) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास उस वक़्त पहुँचा जबकि आप (ﷺ) बतहा में पड़ाव किये हुए थे। आपने मुझसे पूछा, 'क्या हज का एहराम बांधा है?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! तो आपने फ़रमाया, 'तूने कैसे तल्बिया कहा है?' मैंने कहा, हाज़िर हूँ (लब्बैक) उस एहलाल (एहराम) की निय्यत से जो रसूलुल्लाह (ﷺ) का एहराम है। आपने फ़रमाया, 'तूने अच्छा किया है, बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ करो और एहराम ख़त्म करके हलाल हो जाओ।' मैंने बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ किया, फिर (अपने क़बीले) बनू क़ैस की एक औरत के पास आया, उसने मेरे सर की जूऐं निकालीं, फिर मैंने हज का एहराम बांधा और मैं लोगों को इसका फ़तवा दिया करता था यहाँ तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त का दौर आ गया, तो मुझे एक आदमी ने कहा, ऐ अबू मूसा! या ऐ

خِلاَفَةِ عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ . فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فُتْيَا فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا . قَالَ فَقَدِمَ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

अब्दुल्लाह बिन क़ैस! अपने कुछ फ़तवों से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। तेरे बाद अमीरुल मोमिनीन ने हज के बारे में क्या नया फ़रमान जारी किया है। तो हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, ऐ लोगो! जिसे हमने फ़तवा दिया है वो ज़रा तवक़्क़ुफ़ करे, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, उन्हीं की इक़्तिदा करना (पैरवी करना), हज़रत उमर (रज़ि.) तशरीफ़ लाये तो मैंने उनसे इस वाक़िये का तज़्किरा किया तो उन्होंने फ़रमाया, अगर हम किताबुल्लाह पर अमल पैरा हों तो वो हमें (हज और उम्रह अलग-अलग)पूरा करने का हुक्म देती है और अगर हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत पर चलें तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त तक हलाल नहीं हुए जब तक हदी अपने महल पर नहीं पहुँच गई। यानी आप नहर (क़ुर्बानी ज़िब्ह) से पहले हलाल नहीं हुए।

(सहीह बुख़ारी : 1559, 1565, 1724, 1795, 4346, 4397, नसाई : 5/171, 5/156-157)

وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(2958) यही रिवायत इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، - رضى الله عنه - قَالَ

(2959) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप बतहाए मक्का में क़ियाम किए हुए थे। तो आप (ﷺ) ने पूछा, 'तूने किस तरह एहराम बांधा है?' मैंने जवाब

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ " بِمَ أَهْلَلْتَ " . قَالَ قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ " . فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ . فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَىْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَائْتَمُّوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ } وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْىَ .

दिया, मैंने नबी (ﷺ) के एहराम की तरह एहराम बांधा है। आपने पूछा, 'क्या हदी साथ लाये हो?' मैंने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'तो बैतुल्लाह, सफ़ा और मरवह का तवाफ़ करो, फिर हलाल हो जाओ।' मैंने बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ किया, फिर अपनी क़ौम की एक औरत के पास आया। उसने मेरे बालों में कंघी की और मेरा सर धोया। मैं लोगों को हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर (रज़ि.) के दौरे ख़िलाफ़त में इसके मुताबिक़ फ़तवा देता था (कि हज्जे तमत्तोअ करो) मैं हज के दिनों में खड़ा हुआ था कि अचानक एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं है अमीरुल मोमिनीन ने हज के बारे में क्या नया हुक्म जारी फ़रमाया है? तो मैंने कहा, ऐ लोगो! जिसे हमने कोई फ़तवा दिया है वो ज़रा तवक़्क़ुफ़ करे (उस पर अमल से रुक जाये) ये अमीरुल मोमिनीन आपके पास पहुँच रहे हैं, उन्हीं की पैरवी करना, जब वो पहुँच गये मैंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये हज के बारे में आपने क्या नया फ़रमान जारी किया है? उन्होंने जवाब दिया, अगर हम किताबुल्लाह पर अमलपैरा हों तो अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'हज और उम्रह दोनों को (अलग-अलग) अल्लाह के लिये पूरा करो।' और अगर हम अपने नबी (ﷺ) की सुन्नत को इख़्तियार करें तो नबी (ﷺ) हदी के नहर (क़ुर्बानी) करने तक हलाल नहीं हुए।

(2960) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे यमन भेजा था और मेरी वापसी आपके पास उस साल हुई जिसमें आपने हज फ़रमाया था। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे पूछा, 'ऐ अबू मूसा! जब तुमने एहराम बांधा तो तो क्या कहा था?' मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा था, लब्बैक इहलालन् कइहलालिन्नबिय्य मैंने नबी के एहराम जैसा एहराम बांधकर हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया, 'क्या कोई हदी साथ लाये हो?' मैंने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'जाओ बैतुल्लाह का तवाफ़ करो और सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करो, फिर हलाल हो जाओ।' आगे शोबा और सुफ़ियान की तरह रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَافَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ " . قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ إِهْلاَلاً كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ " هَلْ سُقْتَ هَدْيًا " . فَقُلْتُ لاَ . قَالَ " فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ أَحِلَّ". ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ .

(2961) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हज्जे तमत्तोअ का फ़तवा दिया करता था तो मुझे एक आदमी ने कहा, अपने इस फ़तवे से बाज़ रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तेरे बाद अमीरुल मोमिनीन ने हज के बारे में क्या नया हुक्म जारी किया है, यहाँ तक कि बाद में उनकी मुलाक़ात उमर (रज़ि.) से हुई। तो अबू मूसा (रज़ि.) ने उनसे पूछा, इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मुझे ख़ूब मालूम है, नबी(ﷺ) और आपके साथियों ने हज्जे तमत्तोअ किया है, लेकिन मैं इस बात को नापसंद करता हूँ कि लोग पीलू के दरख़्त के नीचे अपनी औरतों से तअल्लुक़

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَهُ

وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ .

क़ायम करें, फिर हज करने के लिये चलें और उनके सरों से पानी के क़तरात गिर रहे हों (ग़ुस्ले जनाबत के सबब)।

(नसाई : 5/153, इब्ने माजह : 2979)

फ़वाइद : (1) हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) के वाक़िये से साबित होता है कि ज़रूरत के तहत अपना एहराम किसी दूसरी मोहतरम शख़्सियत जिसकी इक़्तिदा करनी हो, के एहराम पर मुअ़ल्लक़ किया जा सकता है और इस इब्हाम (सस्पेंस) की तअ़यीन बाद में उसके साथ मिलकर हो सकती है। **(2)** मीक़ात से एहराम बांधने के बाद उम्रह किये बग़ैर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, हाँ किसी ज़रूरत या मानेअ़ की सूरत में, एहराम की कैफ़ियत में तब्दीली जाइज़ है, हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने अपना एहराम, रसूलुल्लाह (ﷺ) पर मुअ़ल्लक़ किया था, आप क़ारिन थे, क्योंकि हदी साथ लाने की वजह से आप हज से फ़राग़त से पहले एहराम खोल नहीं सकते थे, लेकिन अबू मूसा (रज़ि.) के पास हदी न थी, इसलिये आपने उन्हें हज्जे तमत्तोअ़ करने का हुक्म दिया, वो उम्रह करके हलाल हो गये। **(3)** क़ुरआन की इस्तिलाह की रू से हज्जे तमत्तोअ़ और हज्जे क़िरान दोनों (चूंकि एक ही सफ़र में दोनों सर अन्जाम दिये जाते हैं) हज्जे तमत्तोअ़ कहलाते हैं, इसलिये हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'मुझे ख़ूब मालूम है कि आपने और आपके साथियों ने हज्जे तमत्तोअ़ किया था, लेकिन वो हज्जे तमत्तोअ़ से एक मस्लिहत और हिक्मत के तहत रोकते थे वो इसके जवाज़ के मुन्किर न थे, तफ़्सील हदीस नम्बर 145 के तहत गुज़र चुकी है।

बाब 23 : हज्जे तमत्तोअ़ का जाइज़ होना

باب جَوَازِ التَّمَتُّعِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ، عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ .

(2962) अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) हज्जे तमत्तोअ़ से रोकते थे और हज़रत अ़ली (रज़ि.) इसका हुक्म देते थे। तो हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) ने इस सिलसिले में हज़रत अ़ली (रज़ि.) से बातचीत की, फिर हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा, तुम्हें ख़ूब मालूम है कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जे तमत्तोअ़ किया था। हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) ने कहा, हाँ। लेकिन हम उस वक़्त ख़ौफ़ज़दा थे।

फ़ायदा : हज़रत उ़समान (रज़ि.) हज़रत उ़मर (रज़ि.) की तरह हज्जे इफ़राद को अफ़ज़ल समझते थे और ख़ौफ़ज़दा होने का मतलब ये है कि हुज़ूर (ﷺ) के साथ तमत्तोअ़ आपके हुक्म की बिना पर किया, हुक्मे अ़दूली से तो बाद में भी ख़ाइफ़ रहना चाहिये, हम आपकी हुक्म अ़दूली से ख़ाइफ़ थे, इसलिये हमने हज्जे इफ़राद को फ़स्ख़ करके हज्जे तमत्तोअ़ बना लिया था, दुश्मन का ख़ौफ़ मुराद नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मक्का फ़तह हो चुका था और वहाँ किसी क़िस्म का डर नहीं रहा था।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(2963) इमाम साहब मज़्कूरा बाला हदीस़ अपने दूसरे उस्ताद से शोबा ही की मज़्कूरा सनद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ - رضى الله عنهما - بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ . فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا .

(2964) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ली (रज़ि.) और उ़समान (रज़ि.) उ़स्फ़ान नामी मक़ाम पर इकट्ठे हुए, हज़रत उ़समान (रज़ि.) हज्जे तमत्तोअ़ से या (हज के दिनों में) उ़म्रह करने से मना करते थे, हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा, किस मक़सद से आप उस काम से रोकते हैं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया है? तो हज़रत उ़समान (रज़ि.) ने कहा, आप हमें इस बहस़ से मअ़ज़ूर ही समझें। तो हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने कहा, मैं इस मसले में तुम्हें (आज़ाद) कैसे छोड़ सकता हूँ, तो जब हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ये हालात देखे तो दोनों (हज व उ़म्रह) का तल्बिया कहना शुरू कर दिया।

(सहीह बुख़ारी : 1569, नसाई : 5/152)

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ

(2965) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान करते हैं, हज्जे तमत्तोअ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के अस्हाब के साथ ख़ास था।

(नसाई : 5/179, 5/180, इब्ने माजह : 2985)

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً .

(2966) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज्जे तमत्तोअ की रुख़सत सिर्फ़ हमारे लिये थी।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً . يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ .

(2967) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं, दो मुतअे हमारे लिये ही जाइज़ थे यानी हज्जे तमत्तोअ और औरतों से मुतआ।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رضى الله عنه لاَ تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إِلاَّ لَنَا خَاصَّةً . يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ .

फ़ायदा : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के नज़दीक हज को फ़स्ख़ करके उम्रह करना और फिर हज करना, यानी मुत्अ फ़स्ख़ुल हज, हज़रत उमर की तरह उस साल के साथ ख़ास था, अब जाइज़ नहीं है। इसी तरह औरतों से मुत्अ (पैसे देकर कुछ वक़्त के लिये औरतों की शर्मगाह को हलाल कर लेना) की इजाज़त अहदे नबवी में थी, आख़िरकार उसकी इजाज़त मन्सूख़ हो गई थी, आज-कल जो इंसान क़ुर्बानी साथ लेकर न जाये, उसे मीक़ात से सिर्फ़ उम्रह-ए-एहराम बांधना चाहिये और हज्जे तमत्तोअ की निय्यत करनी चाहिये, ताकि इस इख़्तिलाफ़ से निकल सके।

(2968) अब्दुर्रहमान बिन अबी शअसा बयान करते हैं कि मैं इब्राहीम नख़ई और इब्राहीम तैमी की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे कहा, मेरा इस साल हज और उम्रह दोनों इकट्ठे करने का इरादा है। तो इब्राहीम

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهُمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ . فَقَالَ

إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَكِنْ أَبُوك لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ . قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ - رضى الله عنه - بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.

नख़ई ने कहा, लेकिन तेरा बाप तो ये इरादा नहीं कर सकता था और इब्राहीम तैमी ने अपने बाप से बयान किया कि उसका रब्ज़ा मक़ाम पर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के पास से गुज़र हुआ तो मैंने उनसे उसका (हज्जे तमत्तोअ का) तज़्किरा किया तो उन्होंने जवाब दिया, ये हमारे लिये ख़ास था, तुम्हें इजाज़त नहीं है।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ، - قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضى الله عنه - عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ . يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ.

(2969) ग़ुनैम बिन क़ैस (रह.) से रिवायत है कि मैंने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से हज्जे तमत्तोअ के बारे में सवाल किया? उन्होंने जवाब दिया, हमने ये उस वक़्त किया है जबकि ये (हज़रत मुआविया) उरुश यानी मक्का के मकानों में कुफ़्र की हालत में थे।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ .

(2970) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक दूसरे उस्ताद से सुलैमान तैमी ही की सनद से बयान करते हैं, जिसमें ये सराहत है कि हाज़ा से उनकी मुराद हज़रत मुआविया (रज़ि.) हैं।

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ، بْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ .

(2971) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं, सुफ़ियान की रिवायत में अल्मुतअतु फ़िल्हज्जि के अल्फ़ाज़ हैं।

फ़ायदा : हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने मुत्अ़ा का इत्लाक़ हज के महीनों में उम्रह करने पर किया है, क्योंकि जाहिलिय्यत के दौर में हज के महीनों में उम्रह करना जाइज़ तसव्वुर नहीं किया जाता था, हज़रत मुआ़विया (रज़ि.) उमरतुल क़ज़ा के वक़्त मुसलमान हुए थे, लेकिन बाप के ख़ौफ़ की बिना पर उन्होंने अपने इस्लाम का इज़हार अपने बाप के साथ फ़तहे मक्का के मौक़े पर किया, इसलिये वो हज्जतुल वदाअ़ के वक़्त जबकि इस्तिलाही हज्जे तमत्तोअ़ हुआ है, क़तअ़न मुसलमान थे। चूंकि हज़रत मुआ़विया (रज़ि.) भी हज़रत उ़समान की इक़्तिदा में हज्जे तमत्तोअ़ से रोकते थे, जिसमें उ़म्रह, हज के महीनों में होता है, इसलिये हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने ये बात कही और हज़रत उ़समान का मौक़िफ़ हज़रत उ़मर (रज़ि.) वाला था।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي، الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنِّي لأُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ .

(2972) मुतर्रिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि मुझे हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने कहा, मैं तुम्हें आज ऐसी हदीस़ सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अल्लाह तआ़ला आज के बाद नफ़ा पहुँचायेगा। जान लो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात को अशर-ए-ज़िल्हिज्जा में उ़म्रह करने का हुक्म दिया और किसी आयत के ज़रिये उसको मन्सूख़ क़रार नहीं दिया गया और आपने भी अपनी वफ़ात तक उससे मना नहीं फ़रमाया, उसके बाद जो इंसान चाहे अपनी राय से कोई राय क़ायम कर ले (उसका ऐतिबार नहीं है)।

(इब्ने माजह : 2978)

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ . يَعْنِي عُمَرَ .

(2973) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं, उनके उस्ताद इब्ने हातिम की रिवायत में ये है, एक आदमी ने अपनी राय से जो चाहा राय क़ायम कर ली, उनका इशारा हज़रत उ़मर (रज़ि.) की तरफ़ था (क्योंकि वो हज्जे तमत्तोअ़ से रोकते थे)।

(2974) मुतर्रिफ़ बयान करते हैं कि मुझे हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस़ सुनाता हूँ उम्मीद है अल्लाह तआला तुम्हें उससे फ़ायदा पहुँचायेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज और उम्रह दोनों को जमा किया, फिर अपनी वफ़ात तक उससे मना नहीं फ़रमाया और न क़ुरआन ही में उसकी हुरमत नाज़िल हुई। हज़रत इमरान (रज़ि.) कहते हैं, मुझे (फ़रिश्तों की तरफ़ से) सलाम कहा जाता था, यहाँ तक कि मैंने (बीमारी की शिद्दत की बिना पर) दाग़ लगवाया था, तो मुझे (सलाम कहना) छोड़ दिया गया, फिर मैंने दाग़ लगवाना छोड़ दिया, तो सलाम दोबारा शुरू हो गया।

(नसाई : 5/149)

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَىَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ فَتُرِكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَىَّ فَعَادَ

फ़वाइद : (1) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) को बवासीर की शिकायत थी और वो इस मुसीबत पर सब्र करते थे, इस वजह से फ़रिश्ते उनको सलाम कहते थे, बीमारी की शिद्दत की बिना पर उन्होंने आग से दाग़ लगवाना शुरू किया, तो फ़रिश्तों ने सलाम कहना छोड़ दिया, उन्होंने दाग़ लगवाना छोड़ दिया, तो फ़रिश्ते फिर सलाम कहने लगे। (2) हज़रत उमर (रज़ि.) हज और उम्रह इकट्ठा करने से एक हिक्मत और मस्लिहत की बिना पर रोकते थे और उससे ये राय क़ायम होना शुरू हो गई थी कि हज और उम्रह इकट्ठा करना जाइज़ नहीं है, इसलिये हज़रत इमरान (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) की इस राय को दुरुस्त नहीं समझते थे और इससे इख़ितलाफ़ का इज़हार करते थे।

(2975) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, सिर्फ़ इस क़द्र फ़र्क़ है कि ऊपर की रिवायत में अन मुतर्रिफ़ है और इसमें समिअ़तु मुतर्रिफ़ है यानी सुनने की सराहत मौजूद है।

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ .

(2976) मुतर्रिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने अपनी उस बीमारी में जिसमें उनकी वफ़ात हुई है मुझे बुला भेजा और कहा, मैं तुम्हें चंद अहादीस़ सुनाना चाहता हूँ, उम्मीद है अल्लाह तआला मेरे बाद तुम्हें उनसे फ़ायदा पहुँचायेगा। अगर मैं ज़िन्दा रहा तो मेरे बारे में ये न बताना और अगर मैं फ़ौत हो गया तो चाहो तो बयान कर देना। वाक़िया ये है कि मुझे (फ़रिश्तों की तरफ़ से) सलाम कहा जाता है, (ज़िन्दगी में यही बात छिपाना मक़सूद है) जान लो नबी (ﷺ) ने हज और उम्रह इकट्ठा किया, फिर उसके बारे में किताबुल्लाह में कुछ नहीं उतरा (जिससे उसकी मुमानिअत स़ाबित हो) और न ही उससे अल्लाह के नबी (ﷺ) ने रोका है। एक आदमी ने उसके बारे में अपनी राय से जो चाहा कह दिया।

(नसाई : 5/149)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ بَعَثَ إِلَىَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّي وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَىَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(2977) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं ख़ूब जानता हूँ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज और उम्रह इकट्ठा किया, फिर उसके बारे में कोई हुक्म नहीं उतरा और न ही उनसे हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रोका है, एक आदमी ने उसके बारे में अपनी राय से जो चाहा कह दिया।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، - رضى الله عنه - قَالَ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

(2978) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जे तमत्तोअ किया और उसके बारे में (मुमानिअत के सिलसिले में) कुरआन नहीं उतरा, एक आदमी ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया।

(सहीह बुख़ारी : 1571)

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، - رضى الله عنه - قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .

(2979) इमरान बिन हुसैन मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने हज्जे तमत्तोअ किया और हमने आपके साथ हज्जे तमत्तोअ किया (एक ही सफ़र में, हज और उम्रह किया, इकट्ठा हो या अलग-अलग)।

(नसाई : 5/150, 5/155)

وحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، - رضى الله عنه - بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَتَّعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ .

(2980) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) बयान करते हैं कि कुरआन मजीद में आयतुल मुतअह यानी हज्जे तमत्तोअ के बारे में आयत उतरी और उसका रसूल (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया, फिर ऐसी कोई आयत नहीं उतरी जो हज्जे तमत्तोअ की आयत को मन्सूख़ कर दे और न ही उससे अपनी वफ़ात तक रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया। बाद में एक आदमी ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया।

(सहीह बुख़ारी : 4518)

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ .

(2981) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि उसमें आपने उसका हुक्म दिया की जगह ये है, हमने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किया।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ وَأَمَرَنَا بِهَا .

फ़ायदा : आयतुल मुतअ़ह से मुराद ये आयत है, 'पस जब तुम्हें अमन हासिल हो जाये तो जो शख़्स हज तक उ़म्रह से फ़ायदा उठा ले या जो शख़्स उ़म्रह से लेकर हज तक फ़ायदा उठा ले तो उसे जो क़ुर्बानी मुयस्सर हो कर ले।

बाब 24 : मुतमत्तेअ़ पर क़ुर्बानी करना (ख़ून बहाना) लाज़िम है और अगर उसकी ताक़त न हो तो उस पर लाज़िम है कि तीन रोज़े हज के दिनों में रखे और सात रोज़े घर लौटकर रखे

باب وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ وَأَنَّهُ إِذَا عَدِمَهُ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

(2982) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ़ में उ़म्रह को हज से मिलाकर तमत्तोअ़ किया और क़ुर्बानी की। आप ज़ुल्हुलैफ़ा से क़ुर्बानी साथ लाये थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पहले उ़म्रह का तल्बिया कहा, फिर हज का तल्बिया कहा और लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज तक उ़म्रह से फ़ायदा उठाया (यानी हज्जे तमत्तोअ़ किया) कुछ लोगों ने क़ुर्बानी की और वो क़ुर्बानी साथ लाये थे और कुछ क़ुर्बानी साथ नहीं

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ " . وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ - حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ

लाये थे। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का पहुँचे आपने लोगों से फ़रमाया, 'तुममें से जो क़ुर्बानी लाया है तो उसके लिये जो चीज़ हराम हो चुकी है वो उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी जब तक हज पूरा न कर ले और तुममें से जो हज़रात क़ुर्बानी नहीं लाये, वो बैतुल्लाह, सफ़ा और मरवह का तवाफ़ करें और बाल तरशवा कर एहराम ख़त्म कर दें। फिर हज का एहराम बांधें और क़ुर्बानी कर लें और जो हदी की ताक़त न रखता हो वो तीन रोज़े हज के दिनों में रख ले और सात घर लौटकर रख ले।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मक्का पहुँचे तो आपने तवाफ़ किया, सबसे पहले रुक्न (हजरे अस्वद) को बोसा दिया। फिर सात चक्करों में से तीन में रमल किया और चार चक्करों में आम चाल चले। फिर जब आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ मुकम्मल कर लिया तो मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअत नमाज़ अदा की, फिर सलाम फेरकर चल दिये और सफ़ा पर आ गये और सफ़ा और मरवह के सात चक्कर लगाये और जब तक अपना हज करने से फ़ारिग़ नहीं हुए, तब तक हज से हराम होने वाली चीज़ें आपके लिये हलाल नहीं हुईं, और आपने नहर (क़ुर्बानी) के दिन (दस ज़िल्हिज्जा को) क़ुर्बानी की और तवाफ़े इफ़ाज़ा किया और तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद आपके लिये हराम होने वाली हर चीज़ हलाल हो गई और

حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ .

लोगों में से जिसने कुर्बानी की और कुर्बानी साथ लाया था, उसने भी उस तरह किया, जिस तरह आपने किया था।

(सहीह बुख़ारी : 1691, अबू दाऊद : 1805, नसाई : 5/151)

फ़वाइद : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा से रवानगी के वक़्त हज्जे मुफ़रद (इफ़राद) का एहराम बांधा था, फिर उसके साथ उम्रह को मिला लिया और तल्बिया कहते वक़्त हज से पहले उम्रह का नाम लिया (लब्बैक अन उम्रा व हज) इस तरह आप क़ारिन बन गये और कुर्आनी इस्तिलाही और लुग़त की रू से हज्जे क़िरान को हज्जे तमत्तोअ से ताबीर किया जाता है और हज्जे तमत्तोअ अगर इस्तिलाही मानी में हो तो उससे मुराद होगा कि हज से पहले हज के महीनों में उम्रह करके हलाल हो जाये और फिर आठ ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से ही हज का एहराम बांध ले। (2) जिस वक़्त इंसान हज्जे तमत्तोअ करता है तो उस पर कुर्बानी करना लाज़िम है, लेकिन अगर उसे कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं है तो फिर वो कुर्बानी की जगह दस रोज़े रखेगा, तीन रोज़े दस ज़िल्हिज्जा से पहले, रायों की तफ़्सील इस तरह है : शवाफ़ेअ और मालिक का नज़रिया ये है कि ये तीन रोज़े उम्रह से फ़राग़त के बाद रखे जायेंगे और बेहतर ये है कि ये तीन रोज़े हज का एहराम बांधकर रखे जायें, यानी छः, सात और आठ ज़िल्हिज्जा का रोज़ा रखा जाये, अगर हज का एहराम बांधने से पहले रख ले, यानी हज का एहराम आठ ज़िल्हिज्जा से पहले न बांधे और उससे पहले रोज़े रख ले तो फिर भी दुरुस्त है। अगर उम्रह के कामों से फ़राग़त से पहले रोज़े रखेगा तो ये रोज़े किफ़ायत नहीं करेंगे, अगर ये रोज़े दस ज़िल्हिज्जा से पहले न रख सके तो ये रोज़े अय्यामे तशरीक़ (11,12,13 ज़िल्हिज्जा) को रखे जा सकते हैं। हनाबिला का मौक़िफ़ भी यही है, लेकिन उनके नज़दीक उम्रह का एहराम बांधने के बाद से ईद के दिन से पहले-पहले रखना जाइज़ है और अफ़ज़ल ये है कि हज का एहराम बांधकर आख़िरी रोज़ा अरफ़ा नौ ज़िल्हिज्जा का हो, अगर अय्यामे तशरीक़ के बाद रोज़े रखेगा तो गुनाहगार होगा लेकिन दम नहीं पड़ेगा।

हनाबिला के नज़दीक इस सूरत में दस रोज़े मुसलसल रखने होंगे और ताख़ीर की बिना पर एक कुर्बानी वाजिब होगी। हन्फ़िया के नज़दीक भी उम्रह का एहराम बांध लेने के बाद से ईद के दिन से पहले-पहले रखना जाइज़ है, अगर किसी ने ये रोज़े न रखे और ईद का दिन आ गया तो उसके लिये कुर्बानी नागुज़ीर है। अगर कुर्बानी न कर सके तो वो कुर्बानी के बग़ैर अपना एहराम खोल देगा और साहिबुल फ़िक़्ह अइम्मतुल मज़्हब अल्अरबआ के क़ौल के मुताबिक़ उस पर दो कुर्बानियाँ (हिदाया अव्वलीन पेज नं. 260) लाज़िम आयेंगी और बक़ौले इमाम नववी जब तौफ़ीक़ होगी कुर्बानी करेगा, उसमें से बाक़ी सात रोज़ों के बारे में अइम्मा का मौक़िफ़ ये है (अहनाफ़ के नज़दीक जब हज से फ़ारिग़

होकर मिना से मक्का लौट आये तो सात रोज़े रख लेगा, शवाफ़ेअ और हनाबिला के नज़दीक ये सात रोज़े वतन वापस आकर रखे जायेंगे, मालिकिया के नज़दीक दोनों तरह जाइज़ है और इमाम शाफ़ेई का एक क़ौल यही है।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(2983) नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा आइशा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) के हज्जे तमत्तोअ और आप (ﷺ) के साथ लोगों के हज्जे तमत्तोअ की रिवायत, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत की तरह बयान करती हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1691)

باب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لاَ يَتَحَلَّلُ إِلاَّ فِي وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ

बाब 25 : हज्जे क़िरान करने वाला उस वक़्त हलाल होगा जिस वक़्त हज्जे इफ़राद करने वाला हलाल होता है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، - رضى الله عنهم - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ " .

(2984) नबी (ﷺ) की बीवी हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है कि लोग हलाल हो चुके हैं और आप अपने उम्रह से हलाल नहीं हुए? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैंने अपने सर के बालों को चिपका लिया है और अपनी हदी के गले में क़लादा डाल दिया है इसलिये मैं क़ुर्बानी करने से पहले हलाल नहीं हो सकता।'

(सहीह बुख़ारी : 1566, 1697,1725, 4398, 5916, अबू दाऊद : 1806, नसाई ; 5/172, 5/136, इब्ने माजह : 3046)

(2985) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने बयान किया (वह कहती हैं), मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने एहराम क्यों नहीं खोला? आगे मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत है।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، - رضى الله عنهم - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بِنَحْوِهِ .

(2986) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से पूछा, क्या वजह है कि लोग एहराम खोल चुके हैं और आपने अपने उम्रह का एहराम नहीं खोला? आपने फ़रमाया, 'मैंने अपनी हदी के गले में हार डाला है और अपने सर के बाल चिपका लिये हैं, इसलिये मैं उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकता, जब तक हज से फ़ारिग़ न हो जाऊँ।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أخبرني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، - رضى الله عنهم - قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ " إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ " .

(2987) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आगे बाब की पहली रिवायत जो इमाम मालिक से मरवी है की तरह है, 'मैं क़ुर्बानी करने तक हलाल नहीं हो सकता।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ " فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ " .

(2988) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ के साल अपनी बीवियों को एहराम खोलने का हुक्म दिया, हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती हैं, तो मैंने सवाल किया, आपको हलाल होने से कौनसी चीज़ मानेअ (रूकावट) है? आपने फ़रमाया, 'मैंने अपने

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . قَالَتْ حَفْصَةُ

فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ " إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي " .

सर के बाल चिपका लिये हैं और अपनी हदी के गले में हार डाल दिया है, इसलिये जब तक अपनी हदी नहर (क़ुर्बान) न कर लूँ, हलाल नहीं हो सकता।'

फ़ायदा : क़ारिन अफ़आले उम्रह (उम्रा के कामों) की अदायगी के बाद हलाल नहीं हो सकता, वो हज्जे इफ़राद करने वाले की तरह मुहरिम ही रहेगा और दस ज़िल्हिज्जा को क़ुर्बानी करने के बाद एहराम खोलेगा।

باب بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ

बाब 26 : इह्सार की सूरत में एहराम खोलना जाइज़ है और क़िरान करना भी जाइज़ है

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ . فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِئٌ عَنْهُ وَأَهْدَى .

(2989) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़ित्ने के दौर में उम्रह करने के लिये निकले और फ़रमाया, 'अगर मुझे बैतुल्लाह पहुँचने से रोक दिया गया तो हम उस तरह करेंगे जैसाकि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किया था, वो (मदीना) से निकले और (मीक़ात से) उम्रह का एहराम बांधा और चल दिये, जब मक़ामे बैदा पर पहुँचे, अपने साथियों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, हज और उम्रह का मामला बराबर है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उम्रह के साथ हज की भी निय्यत कर ली है, फिर चल पड़े। जब बैतुल्लाह पहुँचे तो उसके सात चक्कर लगाये और सफ़ा और मरवह के दरम्यान भी सात चक्कर लगाये, इस पर कोई इज़ाफ़ा नहीं किया, उनकी राय में उनके लिये यही काफ़ी था और उन्होंने क़ुर्बानी की। (सहीह बुख़ारी : 1806, 4183)

फ़वाइद : (1) इहसार के बारे में इख़्तिलाफ़ है, बहुत से सहाबा और ताबेईन के नज़दीक जो चीज़ भी बैतुल्लाह तक पहुँचने में रुकावट बने, दुश्मन हो या मर्ज़ व ज़ख़्म या किसी क़िस्म का ख़ौफ़ व ख़तरा वो इहसार है और अहनाफ़ का मौक़िफ़ भी यही है। लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद के नज़दीक इहसार का ताल्लुक़ सिर्फ़ दुश्मन से है, इसके सिवा किसी सूरत में एहराम खोलना जाइज़ नहीं है। हर सूरत में जब मौक़ा मिलेगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ करके एहराम खोलेगा। (2) फ़ित्ने से मुराद जैसाकि अगली हदीस में आ रहा है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) और हज्जाज बिन यूसुफ़ के दरम्यान जंग होने का ख़तरा है, जिसका ताल्लुक़ 72 हिजरी से है। (3) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) ने हज्जे क़िरान किया था और उसके लिये सिर्फ़ एक सई की थी, जो तवाफ़े क़ुदूम के साथ कर ली थी। बाद में तवाफ़े इफ़ाज़ा के साथ सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई नहीं की थी और हज्जे क़िरान के लिये क़ुर्बानी दी थी, जिस पर इमाम इब्ने हज़म (रह.) के सिवा तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है, इमाम इब्ने हज़म (रह.) के नज़दीक क़ुर्बानी सिर्फ़ मुतमत्तेअ़ पर लाज़िम है, क़ारिन पर क़ुर्बानी नहीं है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً . فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى

(2990) नाफ़ेअ़ (रह.) बयान करते हैं, जिन दिनों हज्जाज, हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) से जंग के लिये मक्का पहुँचा था, अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह और सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह (रह.) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से बातचीत की। दोनों ने अ़र्ज़ किया, अगर आप इस साल हज न करें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि हमें अन्देशा है, लोगों में जंग होगी जो आपके और बैतुल्लाह के दरम्यान हाइल होगी। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरे और बैतुल्लाह के दरम्यान रुकावट खड़ी हुई, तो मैं वैसे करूँगा जैसे मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किया था। जबकि क़ुरैश आपके और बैतुल्लाह के दरम्यान हाइल हुए थे। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उ़म्रह की निय्यत कर ली है, फिर वो (मदीना

से) चल पड़े। जब ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे तो उम्रह का तल्बिया कहा। फिर कहा, अगर मेरा रास्ता छोड़ दिया गया तो मैं अपना उम्रह अदा करूँगा और अगर मेरे और उम्रह के दरम्यान रुकावट खड़ी कर दी गई तो वैसे करूँगा जैसाकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किया था, फिर ये आयत पढ़ी, 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह बेहतरीन नमूना हैं।' (सूरह अहज़ाब : 21) फिर चल पड़े। जब मक़ामे बैदा की पुश्त पर पहुँचे, कहने लगे दोनों (हज और उम्रह) का मामला यकसाँ ही है, अगर मेरे और उम्रह के दरम्यान रुकावट पैदा हुई, तो मेरे और हज के दरम्यान भी रुकावट पैदा होगी। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उम्रह के साथ हज को भी लाज़िम कर लिया है। फिर चल पड़े, यहाँ तक कि मक़ामे क़ुदैद से हदी ख़रीद ली। फिर दोनों के लिये (हज और उम्रह के लिये) बैतुल्लाह और सफ़ा व मरवह का एक ही तवाफ़ किया, फिर दोनों से उस वक़्त तक हलाल नहीं हुए, यहाँ तक कि दोनों से हज करके नहर के दिन हलाल हो गये।

(सहीह बुख़ारी : 4184)

بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خُلِّيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ . ثُمَّ تَلاَ ‏{‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ . فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةٍ يَوْمَ النَّحْرِ

(2991) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, जिस साल हज्जाज, इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) से जंग के लिये आया, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने हज का इरादा किया और मज़्कूरा बाला वाक़िया बयान किया, हदीस़ के आख़िर में है, इब्ने उमर (रज़ि.) फ़रमाते थे। जिसने हज

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ . وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ‏.‏

और उम्रह इकट्ठा किया, उसके लिये एक तवाफ़ काफ़ी है और वो उस वक़्त हलाल नहीं होगा जब तक दोनों से हलाल न हो जाये।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ‏.‏ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ اشْهَدُوا - قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أُشْهِدُكُمْ - أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي ‏.‏ وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ‏.‏ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

(2992) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि जिस साल हज्जाज, इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के मुक़ाबले में उतरा, इब्ने उमर (रज़ि.) ने हज करने का इरादा किया तो उनसे अ़र्ज़ किया गया, लोगों में जंग होने वाली है और हमें ख़तरा है कि वो आप (रज़ि.) को बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक देंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) बेहतरीन नमूना हैं, मैं वैसे करूँगा जैसा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उम्रह की निय्यत कर ली है, फिर चल पड़े यहाँ तक कि जब मक़ामे बैदा की बुलंदी पर पहुँचे कहने लगे, हज और उम्रह की सूरते हाल यकसाँ ही है।

(सहीह बुख़ारी : 1640, नसाई : 5/158)

حدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ، حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، . بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ . قَالَ إِذًا أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ .

(2993) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ये वाक़िया बयान करते हैं और नबी (ﷺ) का तज़्किरा सिर्फ़ हदीस़ के आग़ाज़ में किया है जब उनसे कहा गया कि वो आपको बैतुल्लाह से रोक देंगे तो कहा, तब मैं वैसे करूँगा जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था और हदीस़ के आख़िर में ये भी नहीं कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ही किया था लैस़ ने इसका तज़्किरा किया था।
(सहीह बुख़ारी : 1639)

باب فِي الإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

बाब 27 : हज्जे इफ़राद और हज्जे क़िरान

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهِلاَلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - فِي رِوَايَةِ يَحْيَى - قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا .

(2994) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं (यहया रह. की रिवायत की रू से), हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जे इफ़राद का तल्बिया कहा और (इब्ने औन की रिवायत की रू से) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जे इफ़राद का तल्बिया कहा।

(2995) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हज और इमरह दोनों का तल्बिया कहते हुए सुना, बक्र कहते हैं, मैंने ये बात हज़रत इब्ने इमर (रज़ि.) को बताई तो उन्होंने कहा, आपने सिर्फ़ हज का तल्बिया कहा था तो मैं हज़रत अनस (रज़ि.) को मिला और उन्हें हज़रत इब्ने इमर (रज़ि.) का क़ौल सुनाया, तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, तुम हमें तो बच्चा ही समझते हो, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को लब्बैक इमरह व हज्जा कहते हुए सुना।

(सहीह बुख़ारी : 4353, 4354, नसाई : 5/150, 151)

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جميعًا . قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَر فقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ . فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تعُدُّونَنَا إِلاَّ صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا " .

(2996) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं और उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने हज और इमरह दोनों को जमा किया, बक्र कहते हैं, मैंने इब्ने इमर (रज़ि.) से पूछा तो उन्होंने कहा, हमने हज का एहराम बांधा, तो मैं हज़रत अनस (रज़ि.) के पास लौटा और उन्हें इब्ने इमर (रज़ि.) के क़ौल से आगाह किया। उन्होंने कहा, हम तो गोया बच्चे ही थे।

وَحدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثنا حبِيبُ، بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، رضى الله عنه أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمعَ بيْنَهُمَا بيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَر فقَالَ كَأَنَّمَا كُنَّا صِبْيَانًا .

फ़ायदा : जुल्हुलैफ़ा से एहराम, सबने हज्जे इफ़राद का बांधा था, बाद में जब वादी-ए-अक़ीक़ में, हज के साथ इमरह का हुक्म नाज़िल हुआ तो आपने हज के साथ इमरह को भी मिला लिया। इब्ने इमर (रज़ि.) ने इब्तिदाई कैफ़ियत बयान की है और हज़रत अनस (रज़ि.) ने बाद वाली, इसलिये दोनों रिवायात में तज़ाद (टकराव) नहीं है, क्योंकि हदीस़ नम्बर 174 में ख़ुद हज़रत इब्ने इमर (रज़ि.) ने किया है और आप (ﷺ) ने हज और इमरह को मिलाया था।

बाब 28 : हज का एहराम बांधने वाले के लिये मक्का पहुँचकर तवाफ़ और सई लाज़िम है (हिन्दुस्तानी नुस्ख़ा है, हाजी के लिये तवाफ़े क़ुदूम और उसके बाद सई मुस्तहब है)

باب مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

(2997) वबरह (रह.) से रिवायत है कि मैं इब्ने उमर (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि एक शख़्स ने आकर पूछा, क्या अरफ़ात में वुक़ूफ़ से पहले मेरे लिये बैतुल्लाह का तवाफ़ करना दुरुस्त है। उन्होंने जवाब दिया, हाँ। तो उस आदमी ने कहा, इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, अरफ़ात पहुँचने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर। तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज किया और अरफ़ात जाने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, तो क्या तेरे लिये अगर तेरा दावा-ए-ईमान सच्चा है। नबी (ﷺ) के क़ौल को इख़्तियार करना सहीह है या इब्ने अब्बास (रज़ि.) का क़ौल।

(2998) वबरह (रह.) बयान करते हैं, एक आदमी ने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, मैंने हज का एहराम बांधा है तो क्या बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँ? तो उन्होंने फ़रमाया, तेरे लिये क्या रुकावट है? उसने कहा, मैंने फ़लाँ के बेटे को देखा है वो उसे नापसंद करता है और आप हमें उससे ज़्यादा महबूब हैं। क्योंकि उन्हें हमने दुनिया की आज़माइश में पड़ते देखा है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ نَعَمْ . فَقَالَ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لاَ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فُلاَنٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا . فَقَالَ وَأَيُّنَا - أَوْ

أَيُّكُمْ - لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلاَنٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا .

इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'हममें से या तुममें से कौन दुनिया के फ़ित्ने में मुब्तला नहीं है? फिर फ़रमाया, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने हज का एहराम बांधा और बैतुल्लाह का तवाफ़ करके सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई की, अगर तुम दाव-ए-ईमान में सच्चे हो तो तुम्हारे लिये अल्लाह का तरीक़ा है और उसके रसूल का तरीक़ा, फ़लाँ के तरीक़े से इत्तिबाअ के ज़्यादा लायक़ है।

फ़ायदा : हज्जे इफ़राद और हज्जे क़िरान करने वाले के लिये तवाफ़े क़ुदूम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक वाजिब नहीं है। अगर कोई शख़्स ऐसे तंग वक़्त में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचता है कि अगर वो तवाफ़े क़ुदूम करने लगे, तो उसका अरफ़ात का वुक़ूफ़ रह जायेगा, जो बिल्इज्माअ हज का रुक्ने आज़म है, जिसके बग़ैर हज कल्अदम (नथिंग) है, तो वो तवाफ़े क़ुदूम किये बग़ैर अरफ़ात चला जायेगा और उस पर दम लाज़िम नहीं आयेगा, लेकिन इमाम मालिक, अबू सौर और कुछ शाफ़ेई अइम्मा के नज़दीक तवाफ़े क़ुदूम वाजिब है, अगर ये रह जाये तो एक जानवर की क़ुर्बानी लाज़िम आती है। क़ाज़ी शौकानी ने भी तवाफ़े क़ुदूम को आपके काम की बिना पर लाज़िम क़रार दिया है, लेकिन इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये है कि अगर इंसान के पास हदी नहीं है तो वो वुक़ूफ़े अरफ़ात से पहले, बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे। अगर वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगा तो नबी (ﷺ) ने जिन लोगों के पास क़ुर्बानी नहीं थी, उन्हें उस तवाफ़ को उम्रह बनाने का हुक्म दिया, लिहाज़ा ये मुतमत्तेअ हो जायेगा, मुफ़रिद या क़ारिन नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके पास क़ुर्बानी हो तो फिर तवाफ़े क़ुदूम और सई कर सकता है। उसके बारे में ये कहना वो मुफ़रिद के लिये तवाफ़े क़ुदूम के क़ाइल नहीं थे, दुरुस्त नहीं है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) को फ़ित्न-ए-दुनिया में मुब्तला इसलिये क़रार दिया गया है कि वो हज़रत अली (रज़ि.) के दौर में बसरह के गवर्नर बन गये थे, जबकि इब्ने उमर (रज़ि.) ने कोई ओहदा या मन्सब क़ुबूल नहीं किया था।

باب : بَيَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ لَّا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ قَبْلَ السَّعْيِ وَأَنَّ الْمُحْرِمَ بِحَجٍّ لَّا يَتَحَلَّلُ بِطَوَافِ الْقُدُوْمِ وَكَذٰلِكَ الْقَارِنُ

बाब 29 : उमरह का तवाफ़ एहराम बांधने वाला सई से पहले तवाफ़ करके हलाल नहीं होगा और हज का एहराम बांधने वाला तवाफ़े कुदूम से हलाल नहीं होगा, इसी तरह हज्जे किरान वाला है

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏.‏

(2999) अम्र बिन दीनार (रह.) बयान करते हैं, हमने इब्ने उमर (रज़ि.) से ऐसे आदमी के बारे में सवाल किया जो मक्का आकर उमरह करना चाहता है उसने बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया, लेकिन सफ़ा और मरवह की सई नहीं की, क्या वो अपनी बीवी से ताल्लुक़ात क़ायम कर सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाये, बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाये और मक़ामे इब्राहीम के पास दो रकअत नमाज़ अदा की और सफ़ा और मरवह के दरम्यान सात चक्कर लगाये और रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हारे लिये बेहतरीन नमूना हैं (कोई इंसान सई से पहले एहराम नहीं खोल सकता)।

(सहीह बुख़ारी : 395, 1623, 1627, 1645, 1647, 1793, नसाई : 5/225, 5/235, इब्ने माजह : 2959)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ، بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ

(3000) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने तीन और उस्तादों से बयान करते हैं।

دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ، عمر - رضى الله عنهما -
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ
حديثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

फ़ायदा : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का मक़सद ये है कि नबी (ﷺ) के ख़िलाफ़ अमल, अगर किसी जलीलुल क़द्र सहाबी का भी हो तो वो क़ाबिले कुबूल नहीं है, आप (ﷺ) के सरीह क़ौल और अमल की मौजूदगी में किसी का क़ौल व अमल नज़र अन्दाज़ कर दिया जायेगा, आप (ﷺ) ही के क़ौल व अमल पर अमल होगा।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، -وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيَحِلُّ أَمْ لاَ فَإِنْ قَالَ لَكَ لاَ يَحِلُّ . فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ ذَلِكَ - قَالَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لاَ يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلاَّ بِالْحَجِّ . قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنَّ رَجُلاً كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلاَ ذَلِكَ . قَالَ فَجِئْتُهُ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي .

(3001) मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि एक इराक़ी आदमी ने मुझे ये कहा, मेरी ख़ातिर उरवह बिन ज़ुबैर से पूछिये, एक आदमी हज का एहराम बांधता है, तो जब वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है तो क्या वो हलाल हो जायेगा या नहीं? अगर वो तुम्हें ये जवाब दें कि वो हलाल नहीं होगा तो उनसे कहना, एक आदमी इसका क़ाइल है। तो मैंने उरवह (रह.) से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जो हज का एहराम बांधता है वो हज से फ़राग़त के बाद हलाल होगा। मैंने कहा, एक आदमी का यही क़ौल है। तो उन्होंने कहा, उनसे कहना एक आदमी बताता है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे किया है और क्या वजह है हज़रत अस्मा और हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने भी ऐसा किया है। मैं उन (उरवह) के पास आया और उनसे इसका तज़्किरा किया उन्होंने कहा, ये साइल कौन है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, क्या वजह है वो ख़ुद आकर मुझसे सवाल क्यों

नहीं करता? मेरा गुमान है वो इराक़ी है। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा, उसने ग़लत कहा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज किया तो मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, आपने मक्का पहुँचकर सबसे पहला काम ये किया कि आपने वुज़ू किया, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर हज़रत अबू बकर (रज़ि.) ने हज किया और सबसे पहला काम यही किया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। फिर वो हज के सिवा नहीं बना, फिर उमर (रज़ि.) ने ऐसे ही किया। फिर उसमान (रज़ि.) ने हज किया मैंने उन्हें देखा, उन्होंने सबसे पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और वो हज के सिवा नहीं बना। फिर मैंने अपने बाप ज़ुबैर बिन अव्वाम (रज़ि.) के साथ हज किया, उन्होंने भी सबसे पहला काम यही किया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर वो हज के सिवा नहीं बना। फिर मैंने मुहाजिरीन और अन्सार को ऐसे करते देखा, लेकिन उनका हज ही रहा (यानी किसी का हज तवाफ़े क़ुदूम से फ़स्ख़ होकर उम्रह नहीं बना) फिर आख़िरी शख़्स जिसको मैंने ये काम करते देखा, वो इब्ने उमर (रज़ि.) हैं। उन्होंने हज को फ़स्ख़ करके उम्रह नहीं बनाया। ये इब्ने उमर (रज़ि.) मौजूद हैं, उनसे क्यों नहीं पूछते? जो सहाबा किराम फ़ौत हो चुके हैं, जब वो मक्का में क़दम रखते, बैतुल्लाह के तवाफ़ से पहले कोई काम नहीं

قَالَ فَمَا بَالُهُ لاَ يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا . قُلْتُ لاَ أَدْرِي . قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ - رضى الله عنها - أَنَّ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلاَ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَىْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْدَآنِ بِشَىْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ

تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لاَ تَحِلاَّنِ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَ أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ

करते थे, फिर वो हलाल नहीं होते थे, मैंने अपनी वालिदा और ख़ाला (आइशा) को देखा है वो जब आती हैं, तवाफ़ से पहले कोई काम नहीं करती हैं, उसके बावजूद हलाल नहीं होती हैं और मुझे मेरी वालिदा ने बताया है कि वो उसकी बहन, ज़ुबैर और फ़ुलाँ-फ़ुलाँ ने फ़क़त उम्रह किया। जब उन्होंने रुक्ने अस्वद का बोसा लिया, तो हलाल हो गये, इराक़ी ने जो बयान किया है वो ग़लत है।

(सहीह बुख़ारी : 1614, 1615, 1641)

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ से साबित हुआ तवाफ़े बैतुल्लाह से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, अहमद बिन हम्बल और मुहद्दिसीन के नज़दीक तवाफ़ के लिये बावुज़ू होना शर्त है, इसके बग़ैर तवाफ़ नहीं होगा।

अहनाफ़ के नज़दीक तहारत शर्त नहीं है बल्कि वाजिब है, अगर बिला तहारत तवाफ़ करेगा तो तवाफ़ हो जायेगा, लेकिन वाजिब के छोड़ने की बुनियाद पर एक बकरी की क़ुर्बानी देनी होगी। **(2)** हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये है कि जो इंसान हज्जे इफ़राद का एहराम बांधता है अगर वो क़ुर्बानी साथ नहीं लाता और आकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है, तो उसका ये तवाफ़ और सई उम्रह में बदल जायेंगे और हज फ़स्ख़ हो जायेगा। क्योंकि आपने हज्जतुल वदाअ़ में यही हुक्म दिया था कि जिनके पास हदी नहीं है, वो सब हलाल हो जायें और इस हदीस़ का आख़िरी हिस्सा फ़लम्मा मस्सहुर्रुक्न हल्ल वो रुक्ने अस्वद को बोसा देने से फ़ारिग़ हो गये (हलाल हो गये) यानी जब उन्होंने तवाफ़े क़ुदूम कर लिया और उसके बाद सई कर ली तो हलाल हो गये। यही इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का नज़रिया है और जो लोग हलाल नहीं हुए, वो वही थे जिनके पास क़ुर्बानियाँ थीं, लेकिन अक्स़र अइम्मा और बहुत से सहाबा किराम का मौक़िफ़ ये है कि फ़स्ख़ का हुक्म हज्जतुल वदाअ़ से ख़ास है। अब तवाफ़ का आग़ाज़ करने के बाद हज को फ़स्ख़ नहीं किया जा सकता। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) का मक़सद ये नहीं है कि बैतुल्लाह के तवाफ़ के बाद और सई से पहले वो हलाल हो जायेगा, बल्कि उनका मक़सद ये है कि जिसके पास क़ुर्बानी नहीं है और वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है तो अब उसको सई करके हलाल होना पड़ेगा, अगर वो हलाल नहीं होना चाहता तो बैतुल्लाह का तवाफ़े क़ुदूम न करे। हज के लिये तवाफ़े इफ़ाज़ा ही करे और हदीस़ के आख़िर में हज़रत आइशा (रज़ि.) को हलाल होने वालों में शुमार किया गया है, ये इस ऐतिबार से तो दुरुस्त है कि उन्होंने हज्जे तमत्तोअ़ की निय्यत कर ली थी, जिसमें उम्रह करके इंसान हलाल हो जाता है, लेकिन बाद में जब उन्हें हैज़ आने लगा तो वो अपनी इस निय्यत पर अ़मल नहीं कर सकीं थीं, क्योंकि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकतीं थीं, इसलिये उनकी तरफ़ हलाल होने की निस्बत महज़ निय्यत और

इरादे के ऐतिबार से है, अमलन ऐसा नहीं हुआ। हज़रत उरवह ने सब हज़रात के तवाफ़ का तज़्किरा किया है, सई को नज़र अन्दाज़ कर दिया है, क्योंकि ये तो मालूम ही है, सबने तवाफ़ के बाद सई की थी। उनका मक़सद सिर्फ़ ये बयान करना है कि तवाफ़ व सई से हलाल होना ज़रूरी नहीं ठहरता, ये सब हज़रात क़ारिन थे और उनके पास क़ुर्बानियाँ थीं, इसलिये उनका एहराम न खोलना, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ख़िलाफ़ दलील नहीं बन सकता और न ही इससे ये बात साबित होती है कि सई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सई उम्रह और हज का रुक्न है, इसके बग़ैर न उम्रह हो सकता है और न हज। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और बाक़ी मुहद्दिसीन (रह.) का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी और हसन बसरी (रह.) के नज़दीक भी वाजिब है लेकिन रुक्न नहीं है। इमाम इब्ने क़ुदामा (रह.) के नज़दीक इमाम अहमद (रह.) का मौक़िफ़ भी यही है। अगर रह जाये तो एक जानवर की क़ुर्बानी से तलाफ़ी हो सकती है। कुछ सहाबा व ताबेईन का नज़रिया ये है कि ये सुन्नत है, न रुक्न है और न वाजिब। सवाल ये है कि जब आपने सई की है तो आपके उस्व-ए-हसना होने का तक़ाज़ा क्या है, फ़िक़्ही मोशगाफ़ियों की बजाए एक मुसलमान के पेशे नज़र हर अमल में ये रहना चाहिये कि आपने ये काम कैसे किया, जबकि ये फ़रमान भी मौजूद है, सल्लू कमा रऐतुमूनी उसल्ली 'मेरी तरह नमाज़ पढ़ो।' ख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम 'हज में मेरे अमल के तरीक़े को अपनाओ।' तो इसलिये हर काम आपके तरीक़े के मुताबिक़ किया जायेगा।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ، بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، - رضى الله عنهما - قَالَتْ خَرَجْنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلْ " . فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْىٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْىٌ فَلَمْ يَحْلِلْ . قَالَتْ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قُومِي عَنِّي . فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ.

(3002) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से नक़ल करते हैं, हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम एहराम बांध कर चले, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके पास क़ुर्बानी है वो अपना एहराम बरक़रार रखे और जो क़ुर्बानी साथ नहीं लाया वो हलाल हो जाये।' मेरे पास क़ुर्बानी नहीं थी, इसलिये मैंने एहराम खोल दिया और ज़ुबैर (रज़ि.) के साथ क़ुर्बानी थी, इसलिये वो हलाल न हुए। वो बयान करती हैं, मैंने अपने (हलाल होने वाले) कपड़े पहन लिये, फिर निकलकर ज़ुबैर (रज़ि.) के पास बैठी। तो वो कहने लगे, मेरे पास से चली जाओ। तो मैंने कहा, क्या तुम्हें अन्देशा है कि मैं तुम पर झपट पड़ूंगी?

(नसाई : 5/246, इब्ने माजह : 2983)

وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ، الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، - رضى الله عنهما - قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَرْخِي عَنِّي اسْتَرْخِي عَنِّي . فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ

(3003) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) बयान करती हैं, हम हज का एहराम बांधकर रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मक्का पहुँचे। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की, सिर्फ़ ये फ़र्क़ है कि इस रिवायत में क़ूमी अन्नी की जगह दो बार इस्तरख़ी अन्नी है मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنهما - حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ . قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ . وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ اللَّهِ

(3004) हज़रत अस्मा (रज़ि.) के आज़ाद करदा गुलाम अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि वो जब भी हजून से गुज़रतीं, मैं उन्हें ये कहते हुए सुनता, अल्लाह तआ़ला अपने रसूल पर सलातो-सलाम नाज़िल फ़रमाये, हम आपके साथ इस हाल में यहाँ उतरे कि हमारे ख़ूराक के थैले हल्के थे (ख़ूराक कम थी) हमारी सवारियाँ भी थोड़ी थीं और ज़ादे सफ़र भी कम था, मैं मेरी बहन आइशा (रज़ि.), ज़ुबैर (रज़ि.) और फ़लाँ-फ़लाँ ने उम्रह का इरादा किया। जब हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया, हम हलाल हो गये। फिर हमने (आठ ज़िल्हिज्जा को) ज़वाल के बाद हज का एहराम बांधा। इमाम साहब के उस्ताद हारून की रिवायत में हज़रत अस्मा (रज़ि.) के गुलाम का नाम नहीं लिया गया, हक़ाइब हक़ीबह की जमा है सामान वग़ैरह रखने का थैला मुराद है।

(सहीह बुख़ारी : 1796)

फ़ायदा : हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रास्ते में आपके हुक्म की तामील करते हुए हज को उम्रह से बदल लिया, लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) हैज़ की वजह से उम्रह न कर सकीं, हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने उम्रह तो कर लिया, लेकिन हदी साथ लाने की वजह से हलाल न हो सके, बाक़ी हज़रात ने आठ ज़िल्हिज्जा को नये सिरे से हज का एहराम बांधा।

बाब 30 : हज्जे तमत्तोअ का बयान

باب فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ

(3005) मुस्लिम क़ुर्री (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हज्जे तमत्तोअ के बारे में पूछा? उन्होंने उसकी इजाज़त दी और हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) इससे रोकते थे। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, ये इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) की वालिदा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसकी इजाज़त दी है। उनके पास जाओ और उनसे पूछ लो। तो हम उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए, वो एक भारी भरकम और नाबीना औरत थीं, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसकी रुख़सत दी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا .

(3006) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, एक के उस्ताद ने अपनी रिवायत में सिर्फ़ मुतअह कहा, मुतअतुल हज नहीं कहा और दूसरे के उस्ताद ने कहा, मुझे मालूम नहीं है मुस्लिम क़ुर्री ने मुतअतुल हज कहा या मुतअतुन्निसा।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتْعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتْعَةُ الْحَجِّ . وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لاَ أَدْرِي مُتْعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتْعَةُ النِّسَاءِ .

(3007) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हज के साथ) उम्रह का तल्बिया कहा और आपके साथियों ने हज का तल्बिया कहा। तो नबी (ﷺ) और आपके जो साथी हदी साथ लाये

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْقُرِّيُّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ

أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ فكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمْ يَحِلَّ .

थे, हलाल न हुए और बाक़ी हलाल हो गये। तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि.) भी उनमें दाख़िल थे, जो हदी साथ लाये थे, इसलिये वो मुहरिम ही रहे।

(अबू दाऊद : 1804, नसाई : 5/181)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلاَّ .

(3008) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इस रिवायत में ये है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह और एक और आदमी उन लोगों में से थे, जिनके साथ हदी न थी। इसलिये दोनों हलाल हो गये (सहीह बात ये है कि हज़रत तलहा के पास क़ुर्बानी थी, जैसाकि हज़रत जाबिर की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है)।

(सहीह मुस्लिम : 2997)

باب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

बाब 31 : हज के महीनों में उम्रह करना जाइज़ है

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ . فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(3009) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि (जाहिलिय्यत के दौर में) लोग हज के महीनों में उम्रह करना ज़मीन में सबसे बड़ी बुराई समझते थे और वो मुहर्रम के महीने को सफ़र क़रार देते और कहते थे, जब ऊँटों की पुश्तों के ज़ख़्म ठीक हो जायें और नक़्शे क़दम मिट जायें या ज़ख़्मों के निशान मिट जायें और माहे सफ़र गुज़र जाये तो उम्रह करने वालों के लिये उम्रह हलाल हो जाता है। तो नबी (ﷺ) और आपके साथी चार ज़िल्हिज्जा की सुबह (मक्का मुकर्रमा) पहुँचे और उन्होंने

وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْحِلِّ قَالَ " الْحِلُّ كُلُّهُ " .

हज का एहराम बांधा हुआ था, आपने उन्हें उसको उम्रह क़रार देने का हुक्म दिया। ये बात उनके लिये इन्तिहाई गिरानी का बाइस बनी। तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये किस क़िस्म का हलाल होना है? आपने फ़रमाया, 'मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाओ।'

(सहीह बुख़ारी : 1564, 3832, नसाई : 5/180-181)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) बरअद्दबर : सफ़र में ऊँटों की पुश्तों पर साज़ो-सामान लादने से उनकी पुश्तें छिल जाती हैं। सफ़र से वापसी के बाद कुछ अरसा आराम मिलने से वो ज़ख़्म मुन्दमिल हो (मिट) जाते हैं। **(2) अफ़्लल अस़र :** लोगों और सवारियों की आमदो-रफ़्त से रास्ते पर निशाने क़दम पड़ जाते हैं और जब आमदो-रफ़्त बंद हो जाये तो ये नक़्शे मिट जाते हैं। एक माह का अरसा गुज़रने पर दोनों काम हासिल हो जाते हैं या मतलब ये है कि ज़ख़्म दुरुस्त होने के बाद उनके निशान भी मिट जायें। **(3) तआज़म :** इन्तिहाई नागवारी और गिरानी पैदा हो गई, क्योंकि ये लोग हज से पहले उम्रह के आदी न थे, बल्कि इसको जुर्म व गुनाह तसव्वुर करते थे, इससे पहले ज़िल्क़अदा में उम्रे किये गये हैं, लेकिन उनके बाद हज नहीं किया गया, इसलिये वहाँ नागवारी पैदा न हुई और न ही रस्मे जाहिलिय्यत पर ज़द पड़ी।

फ़ायदा : अरब लोग जंगो-जिदाल और लूटमार के आदी थे, इसलिये मुसलसल तीन माह क़त्लो-ग़ारत और लूटमार से रुके रहना उनके लिये बहुत मुश्किल था। इसलिये उन्होंने इसका हल ये निकाला कि हज से फ़राग़त के बाद, उस काम को शुरू करने के लिये उन्होंने मुहर्रम को सफ़र बना डाला और उसमें लूटमार की आदत पूरी कर ली। उसके बाद वाले महीने को मुहर्रम बना डाला और उसमें उम्रह कर लेते। कुरआन मजीद ने इस रस्म को 'नसी' का नाम दिया है और इसको काफ़िराना काम क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، الْبَرَّاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، -

(3010) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज के लिये एहराम बांधा और चार ज़िल्हिज्जा को पहुँचकर सुबह की नमाज़ (मक्का मुकर्रमा

رضى الله عنهما - يَقُولُ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً " .

में) अदा की, जब आप (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ पढ़ ली तो फ़रमाया, 'जो हज के एहराम को उम्रह से बदलना चाहता हो वो उसको उम्रह का एहराम क़रार दे ले।'
(सहीह बुख़ारी : 1085, नसाई : 5/201-202)

وَحَدَّثَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالاَ كَمَا قَالَ نَصْرٌ أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ . وَأَمَّا أَبُو شِهَابٍ فَفِي رِوَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُهِلُّ بِالْحَجِّ . وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ . خَلاَ الْجَهْضَمِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ .

(3011) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से कुछ लफ़्ज़ी फ़र्क़ के साथ बयान करते हैं। रौह और यहया बिन कसीर ने तो नस्र (रह.) की मज़्कूरा रिवायत की तरह यही कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज का तल्बिया कहा। लेकिन अबू शिहाब की रिवायत में है, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज का एहराम बांधकर चले, उन सब उस्तादों की रिवायत यही है कि आपने सुबह की नमाज़ बतहा में अदा की। लेकिन जहज़मी (नस्र रह.) की मज़्कूरा बाला रिवायत में बतहा का तज़्किरा नहीं है।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً .

(3012) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथी अशर-ए-ज़िल्हिज्जा की चार तारीख़ को हज का तल्बिया कहते हुए पहुँचे तो आपने उन्हें उसे उम्रह बना देने का हुक्म सादिर फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِذِي طَوًى وَقَدِمَ لأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ .

(3013) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ मक़ामे ज़ी तवा में पढ़ी और आप चार ज़िल्हिज्जा को पहुँचे थे और आपने अपने साथियों को हुक्म दिया, 'जिसके पास क़ुर्बानी नहीं है वो अपने इस एहराम को उम्रह का एहराम क़रार दें लें।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْىُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(3014) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये उम्रह है जिससे हमने फ़ायदा उठा लिया है, (उसके लिये अलग सफ़र नहीं करना पड़ा) तो जिसके साथ क़ुर्बानी नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर हलाल हो जाये (एहराम खोल दे) क्योंकि उम्रह क़यामत तक के लिये हज में दाख़िल हो चुका है।'
(अबू दाऊद : 1790, नसाई : 5/181)

फ़ायदा : अब जाहिलिय्यत के रस्मो-रिवाज के बरअक्स, हज के महीनों में, तमत्तोअ और क़िरान की शक्ल में हज के साथ उम्रह किया जा सकता है, इसमें किसी क़िस्म की क़बाहत, बुराई और गुनाह नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ، قَالَ تَمَتَّعْتُ

(3015) अबू जम्रह ज़ुबई (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज्जे तमत्तोअ का इरादा किया, तो लोगों ने मुझे इससे रोका। मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने

فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي بِهَا . - قَالَ - ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ - قَالَ - فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .

मुझे हज्जे तमत्तोअ करने का मशवरा दिया। फिर मैं बैतुल्लाह की तरफ़ चल पड़ा, उम्रह करके सो गया। तो ख़्वाब में मेरे पास आने वाला (फ़रिश्ता) आया और कहा, उम्रह कुबूल है और हज्जे मबरूर (हर ऐब व नक़्स और जुर्म व गुनाह से पाक) है। मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर उन्हें अपने ख़्वाब से आगाह किया। उन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर! अबुल क़ासिम (रज़ि.) का तरीक़ा है (कुबूल क्यों न होता)।

(सहीह बुख़ारी : 1567, 1688)

باب تَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

बाब 32 : एहराम के वक़्त कुर्बानी के गले में क़लादा डालना और कोहान के दायें तरफ़ ज़ख़्म लगाना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، -قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رضى الله عنهما - قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ .

(3016) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ ज़ुल्हुलैफ़ा में पढ़ी। फिर अपनी ऊँटनी को मँगवाया और उसकी कोहान के दायें तरफ़ ज़ख़्म लगाया और ख़ून को साफ़ कर दिया और उसके गले में दो जूतियों का हार डाल दिया, फिर अपनी ऊँटनी (सवारी) पर सवार हुए। जब आपकी सवारी बैदा पर सीधी खड़ी हुई, तो आपने हज का तल्बिया कहा।

(अबू दाऊद : 1752, 1753, तिर्मिज़ी : 906, नसाई : 5/170, 5/171, 5/172, 5/173, इब्ने माजह : 3097)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) अश्अरहा : इश्आर से माख़ूज़ है जिसका मानी है, अलामत व निशानी, आगाही व अअ्लाम और यहाँ मक़सद है। क़ुर्बानी के कोहान के पास अलामत और निशान के तौर पर ज़ख़्म लगाना ताकि लोगों को उसके हदी होने का पता चल सके। **(2) क़ल्लदहा नअ्लैन :** गले में दो जूतियों का हार डालना।

फ़ायदा : ऊँट के कोहान की दायें तरफ़ छुरी या किसी और धार वाला आला से ख़ून बहाना। इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा तमाम अइम्मा के नज़दीक मुस्तहब है। लेकिन इमाम मालिक ऊँट की कोहान के दायें जानिब इश्आर करने के क़ाइल हैं। मुताख़्ख़िरीने अहनाफ़ ने इमाम साहब के क़ौल (कि अश्आर बिदअत है, इश्आर मुस़्ला है) की तावील की है, कि उनका क़ौल उन लोगों के इश्आर के बारे में है, जो इन्तिहाई गहरा ज़ख़्म लगाते थे। जिसकी वजह से ऊँट की हलाकत का ख़दशा होता था, वरना इमाम अबू हनीफ़ा इश्आर को कैसे मकरूह कह सकते हैं, जबकि बकस़रत अहादीस़ से इश्आर स़ाबित है। शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज नं. 472, सईदी, फ़तहुल मुल्हिम जिल्द 3 पेज नं. 310)

इस तरह हदी की गर्दन में (ख़्वाह बकरी हो) जूतियों का हार डाला जायेगा, इमाम मालिक बकरी के गले में हार डालने के क़ाइल नहीं हैं।

(3017) इमाम साहब अपने उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, उसमें है नबी (ﷺ) जब ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे और नमाज़े ज़ुहर पढ़ने का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلَمْ يَقُلْ صَلَّى بِهَا الظُّهْرَ .

बाब 33 : इब्ने अब्बास से ये कहा, ये क्या फ़तवा है जो दिलों में बैठ गया है या लोगों को परेशान कर दिया है या इन्तिशार में डाल दिया है

بَاب : قَوْلِهِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِيْ قَدْ تَشَغَّفَتْ اَوْ تَشَعَّبَتْ بِالنَّاسِ

(3018) बनू हुजैम के एक आदमी ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, ये फ़तवा जो लोगों के दिलों में जम गया है या जिसने लोगों को परेशान कर दिया है, क्या है, कि जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया वो हलाल हो

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الأَعْرَجَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي

الْهُجَيْمِ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَغَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ ‏.‏

जाये? हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा ये तुम्हारी नागवारी के बावजूद, तुम्हारे नबी (ﷺ) की सुन्नत (तरीक़ा) है।

नोट : इस हदीस का और बाद में आने वाली अहादीस 208 तक का मज़्कूरा बाला बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हिन्दुस्तानी नुस्ख़ों में उन तीन हदीसों पर ये बाब क़ायम किया गया है, इब्ने अब्बास को किसी का कहना, आपका ये फ़तवा जिसने लोगों को परेशान कर दिया है, उसकी हक़ीक़त क्या है?
मुफ़रदातुल हदीस : (1) तशग़्ग़फ़त : दिलों में जागुज़ीं हो गया (जम गया) है। **(2) तशग़्ग़बत :** परेशान कर दिया है। **(3) नशअ्अबत :** इन्तिशार व इफ़्तिराक़ पैदा कर दिया है।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوَافُ عُمْرَةٌ ‏.‏ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ رَغِمْتُمْ

(3019) अबू हस्सान कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा गया, इस मसले का लोगों में चर्चा हो गया है, जिसने बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया, वो हलाल हो जाये। तवाफ़ उम्रह ठहरता है। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे नबी (ﷺ) की सुन्नत है, ख़्वाह तुम्हें नागवार गुज़रे।

मुफ़रदातुल हदीस : तफ़श्शग़ : फैल गया, आम हो गया।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلاَ غَيْرُ حَاجٍّ إِلاَّ حَلَّ ‏.‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ‏}‏ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ ‏.‏ فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ

(3020) अता (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते थे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वाला हाजी हो या हाजी न हो (उम्रह करने वाला) हलाल हो जायेगा। इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अता से सवाल किया, वो किस दलील की बिना पर ये कहते हैं? अता ने जवाब दिया, अल्लाह के इस फ़रमान की रू से, 'क़ुर्बानी के पहुँचने की जगह बैतुल्लाह है।' (सूरह हज : 33) मैंने

कहा, ये तो वुक़ूफ़े अरफ़ात के बाद है। अता ने जवाब दिया, इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते थे, ये वुक़ूफ़े अरफ़ात के बाद हो या पहले और वो ये बात नबी (ﷺ) के इस फ़रमान से लेते थे कि आप (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ में सहाबा को हलाल होने का हुक्म दिया था।

(सहीह बुख़ारी : 4396)

يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ ‏.‏ وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ‏.‏

फ़ायदा : इन अहादीस़ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) के इस मशहूर नज़रिये को बयान किया गया है कि उनके नज़दीक अगर किसी ने हज्जे इफ़राद या हज्जे क़िरान का एहराम बांधा है, लेकिन वो मीक़ात से या ख़ारिजे हरम से हदी साथ नहीं लाया, तो अगर वो तवाफ़े क़ुदूम करेगा, उसे इसको उम्रह बनाकर हलाल होना पड़ेगा। तवाफ़े बैतुल्लाह के बाद सिर्फ़ वो शख़्स मुहरिम रह सकता है, जिसके पास क़ुर्बानी का जानवर हो, गोया वो हज का एहराम फ़स्ख़ करके, उसे उम्रह बना देगा और उम्रह करके हलाल हो जायेगा। फिर बाद में हज के लिये मक्का मुकर्रमा से एहराम बांधेगा। इमाम अहमद, इमाम इस्हाक़, हाफ़िज़ इब्ने हज़म, हाफ़िज़ इब्ने तैमिया, हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के नज़रिये को क़ुबूल किया है, तफ़्सील के लिये देखिये ज़ादुल मआद जिल्द 2, पेज नं. 166 से 206

बाब 34 : उम्रह में बाल छोटे करवाना

باب التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ

हिन्दुस्तानी नुस्ख़ा : उम्रह करने वाले के लिये बाल तरशवाना जाइज़ है, सर मुण्डवाना लाज़िम नहीं है और बेहतर है तहलीक़ व तक़सीर मरवह पर हो।

(3021) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे मुआविया (रज़ि.) ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर के बाल मरवह के पास, तीर की धार या कैंची से काटे थे? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरे नज़दीक मेरे इल्म में तुम्हारा ये काम तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील है।

(सहीह बुख़ारी : 1730, अबू दाऊद : 1802, 1803, नसाई : 5/153, 154)

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أَعْلَمُ هَذَا إِلاَّ حُجَّةً عَلَيْكَ ‏.‏

फ़ायदा : इंसान जब उ़म्रह करता है, तो बाल मरवह पर कटवाता या मुण्डवाता है और हज में बाल मिना में कटवाये या मुण्डवाये जाते हैं, इसलिये हज़रत मुआविया (रज़ि.) के इस वाक़िये से मालूम हुआ, ये वाक़िया उ़म्रह का है। जबकि हज़रत मुआविया, हज्जे तमत्तोअ़ और हज्जे क़िरान से रोकते थे, हज्जे इफ़राद का हुक्म देते थे। इसलिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, ये वाक़िया तुम्हारे ख़िलाफ़ जाता है और हज़रत मुआविया (रज़ि.) का वाक़िया उ़मरतुल क़ज़ा या उ़म्रह जिअ़राना से तालल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो सुलहे हुदैबिया के बाद दिल से मुसलमान हो चुके थे, अगरचे इस्लाम का इज़हार फ़तहे मक्का के वक़्त किया है और हज्जतुल वदाअ़ में आपके बाल हज़रत अबू तलहा (रजि.) ने मिना में तक़सीम किये थे और आपने वहीं सर मुण्डवाया था।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ .

(3022) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि मुआविया बिन सुफ़ियान (रज़ि.) ने उन्हें बताया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल मरवह पर, तीर के पैकान से काटे थे या मैंने आपको देखा, मरवह पर आपके बाल तीर के पैकान से काटे जा रहे हैं।

नोट : हिन्दुस्तानी नुस्ख़े में आने वाली अहादीस़ पर ये उ़न्वान क़ायम किया गया है।

بَاب : جَوَازِ التَّمَتُّعِ فِي الْحَجِّ وَالْقِرَانِ

बाब 35 : हज्जे तमत्तोअ़ और हज्जे क़िरान का जवाज़

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْىَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنًى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ .

(3023) हज़रत अबू सईद बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज के लिये बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहते हुए निकले, जब हम मक्का पहुँचे तो आपने हमें इस हज के तल्बिये को उ़म्रह क़रार देने का हुक्म दिया, उन लोगों के सिवा जो हदी लाये थे, जब तरविया का दिन आया और हम मिना को चले तो हमने हज का एहराम बांधा।

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، - رضى الله عنهما - قَالاَ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا

(3024) हज़रत जाबिर और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, हम मक्का पहुँचे और हम हज के लिये बुलंद आवाज़ से तल्बिया कह रहे थे।

मुफ़रदातुल हदीस : नस्रूख़ु सराख़ा : आवाज़ बुलंद कर रहे थे।

حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .

(3025) अबू नज़रह (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत जाबिर (रज़ि.) के पास था, उनके पास एक आदमी आकर कहने लगा, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) मुत्अतुल हज और मुत्अतुन्निसा के बारे में इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं, तो हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, हमने ये दोनों मुत्अे रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ किये हैं, फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने हमें उन दोनों से रोक दिया था। फिर हम उनकी तरफ़ नहीं लौटे, यानी उन्हें नहीं किया।

फ़ायदा : मुत्अतुल हज से मुराद, हज्जे तमत्तोअ और हज्जे क़िरान है, क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) हज्जे इफ़राद की तरग़ीब देते थे और मुत्अतुन्निसा की बहस निकाह के बाब में आयेगी।

नोट : बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहने से मसाजिद में ज़िक्र बिल्जहर करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तल्बिया को शरई हुक्म के तहत बुलंद आवाज़ से कहा जाता है, इस तरह इमाम के सलाम फेरने के वक़्त कुछ दुआइया कलिमात बुलंद आवाज़ से कहने से इस्तिदलाल करना भी सहीह नहीं है। क्योंकि आप चंद अल्फ़ाज़ ही बुलंद आवाज़ से कहते थे, ताकि सबको सलाम फेरने का इल्म हो सके, बाक़ी तमाम दुआयें आहिस्ता आवाज़ से ही करते थे। इसके अलावा तल्बिया में या नमाज़ के बाद ज़िक्र में लोगों को एक ही आवाज़ की शक्ल में आवाज़ बुलंद करना सुन्नत से साबित नहीं बल्कि बिदअत है। मसनून यही है कि हर शख़्स अलग-अलग बुलंद आवाज़ से लब्बैक कहे और ज़िक्र कर ले।

बाब 36 : नबी (ﷺ) का एहराम बांधना और हदी साथ लेना

باب إِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيِهِ

(3026) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अली (रज़ि.) यमन से हाज़िर हुए तो नबी (ﷺ) ने उनसे पूछा, 'तुमने एहराम किस मक़सद से बांधा?' उन्होंने जवाब दिया, मैंने नबी (ﷺ) जैसा एहराम बांधा। आपने फ़रमाया, 'अगर मेरे साथ हदी न होती तो मैं हलाल हो जाता।'
(सहीह बुख़ारी : 1558, तिर्मिज़ी : 956)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ أَنَسٍ، - رضى الله عنه - أَنَّ عَلِيًّا، قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " بِمَ أَهْلَلْتَ " . فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ " .

(3027) मुसन्निफ़ साहब यही रिवायत दो उस्तादों से बयान करते हैं, जिसमें बहज़ अहलल्तु की बजाय हलल्तु कहता है।

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ بَهْزٍ " لَحَلَلْتُ " .

(3028) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दोनों का इकट्ठा तल्बिया कहते हुए सुना, 'लब्बैक उमरतन व हज्जन, लब्बैक उमरतन व हज्जन) मैं तेरे पास उम्रह और हज के लिये हाज़िर हूँ, मैं तेरे पास उम्रह और हज के लिये बार-बार हाज़िर हूँ।
(अबू दाऊद : 1795, नसाई : 5/150)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ، بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا " .

(3029) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें एक रावी लब्बैक उ़मरतन व हज्जन कहता है और दूसरा लब्बैक बिउ़म्रतिन व हज्जिन कहता है।

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا " . وَقَالَ حُمَيْدٌ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ "

(3030) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है। हज़रत इब्ने मरयम (रज़ि.) फ़ज्जुर्रौहा मक़ाम से हज या उ़म्रह या दोनों का इकट्ठा तल्बिया कहेंगे। लियस्नियन्नहुमा : दोनों को मिलायेंगे।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا "

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है हज़रत ईसा (अ़लै.) दुनिया में आने के बाद उ़म्रह और हज करेंगे।

(3031) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत नक़ल करते हैं, उसमें है, 'उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है।'

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ " .

(3032) इमाम साहब एक और उस्ताद से रिवायत करते हैं, जिसके अल्फ़ाज़ मज़्कूरा बाला दोनों हदीस़ की तरह हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ". بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا .

बाब 37 : नबी (ﷺ) के उम्रों की तादाद और उनका ज़माना (वक़्त)

باب بَيَانِ عَدَدِ عُمَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَمَانِهِنَّ

(3033) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार उम्रह किये और अपने हज वाले उम्रह के सिवा, सबके सब ज़िल्क़अदा में किये। एक हुदैबिया वाला उम्रह या हुदैबिया के वक़्त का उम्रह ज़िल्क़अदा में किया, दूसरा अगले साल ज़िल्क़अदा में किया, तीसरा जिअराना से, जहाँ हुनैन की ग़नीमतें तक़सीम की थीं, ज़िल्क़अदा में किया और चौथा उम्रह हज के साथ (ज़िल्हिज्जा में) किया।

(सहीह बुख़ारी : 1778, 1779, 1780, 3066, 4148, अबू दाऊद : 1994, तिर्मिज़ी . 815)

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسًا، - رضى الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

(3034) क़तादा (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कितने हज किये थे? उन्होंने जवाब दिया, (मदीना से) सिर्फ़ एक हज और चार उम्रह किये, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ

(3035) अबू इस्हाक़ (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) से पूछा, आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ कितने ग़ज़वात में हिस्सा लिया है? उन्होंने जवाब दिया, सतरह (17) में और हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने मुझे बताया, आप

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ . قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى .

(रसूलुल्लाह ﷺ) ने उन्नीस (19) ग़ज़वात में शिरकत की है और आप (ﷺ) ने हिजरत के बाद एक ही हज किया है। इब्ने इस्हाक़ कहते हैं, एक हज मक्का में किया था।

(सहीह बुख़ारी : 3949, 4404, 4471, तिर्मिज़ी : 1676)

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ، عُمَرَ مُسْتَنِدَيْنِ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ - قَالَ - فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ قَالَ نَعَمْ . فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَىْ أُمَّتَاهُ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي رَجَبٍ . فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إِلاَّ وَإِنَّهُ لَمَعَهُ . قَالَ وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لاَ وَلاَ نَعَمْ . سَكَتَ .

(3036) उरवह बिन ज़ुबैर बयान करते हैं, मैं और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुजरे से टेक लगाये बैठे हुए थे और हम उन (आइशा) के मिस्वाक करने की आवाज़ सुन रहे थे, वो मिस्वाक कर रही थी, मैंने पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या नबी (ﷺ) ने माहे रजब में उमरह किया है? उन्होंने कहा, हाँ! तो मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) को आवाज़ दी, ऐ अम्मी जान! जो कुछ अबू अब्दुर्रहमान कह रहे हैं क्या वो आप सुन नहीं रहीं हैं? उन्होंने पूछा, वो क्या कहते हैं? मैंने कहा, वो कहते हैं, नबी (ﷺ) ने एक उमरह रजब में किया था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह तआला अबू अब्दुर्रहमान को माफ़ फ़रमाये, मुझे अपनी ज़िन्दगी की क़सम! आपने रजब में कोई उमरह नहीं किया और आपने जो उमरह भी किया, ये उनके साथ थे। उरवह बयान करते हैं हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने ला या नअम (न या हाँ) न कहा, ख़ामोश रहे।

(सहीह बुख़ारी : 1776, तिर्मिज़ी : 936, इब्ने माजह : 2998)

फ़ायदा : आप (ﷺ) ने चार उम्रह किये हैं, पहला उम्रह 6 हिजरी में सुलहे हुदैबिया के साल, ज़िल्क़अदा में जो महज़ अज्र व सवाब के लिहाज़ से हुआ। अमलन आपको साथियों समेत रोक दिया गया, दूसरा अगले साल 7 हिजरी ज़िल्क़अदा में जो क़ज़ा (सुलह) के नतीजे में हुआ, इसलिये उमरतुल कज़ा कहलाया। तीसरा 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद जिअराना से किया और चौथे उम्रह का एहराम हज के साथ ज़िल्क़अदा में बांधा। अगरचे अदा ज़िल्हिज्जा में किया गया और इन सब में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) शरीक थे लेकिन एक उम्रह को रजब में क़रार दिया। जिससे मालूम होता है, कई बार इंसान एक वाक़िये में शरीक होता है, लेकिन उसके वक़्त, माह या साल को भूल जाता है, इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने ख़ामोशी इख़्तियार कर ली।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ . فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ . فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ . فَقَالَ عُرْوَةُ أَلاَ تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ وَمَا يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ . فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ

(3037) मुजाहिद (रह.) बयान करते हैं मैं और उरवह बिन ज़ुबैर मस्जिद में दाख़िल हुए, देखा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे के पास तशरीफ़ फ़रमा हैं और लोग मस्जिद में चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने उन (इब्ने उमर) से उनकी नमाज़ के बारे में पूछा? उन्होंने जवाब दिया, बिदअत है। उरवह ने उनसे पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कितने उम्रे किये थे? उन्होंने जवाब दिया, चार। उनमें से एक रजब में किया था। तो हमने उनकी तग़लीत और तर्दीद को मुनासिब न समझा और हमने हुज्रे में हज़रत आइशा (रज़ि.) के मिस्वाक की आवाज़ सुनी, तो उरवह ने पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन! क्या आप सुन नहीं रही हैं कि अबू अब्दुर्रहमान क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा, क्या कह रहे हैं? उरवह (रह.) ने कहा, वो कहते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चार उम्रे किये, उनमें से एक रजब में था। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अबू

صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ .

अ़ब्दुर्रहमान पर रहम फ़रमाये! वो हर उ़म्रे में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे और आपने रजब में कभी उ़म्रह नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 1775, 4253, 4254, अबू दाऊद : 1992, तिर्मिज़ी : 937)

फ़ायदा : लोग इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे थे। इस मख़्सूस सूरत को कि लोग मस्जिद में जमा होकर नमाज़े चाश्त अदा करें, हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बिदअ़त क़रार दिया। जिससे मालूम हुआ सहाबा किराम किसी इबादत के लिये अपनी तरफ़ से मख़्सूस शक्ल बना लेने को भी बिदअ़त क़रार देते थे, गोया कि ये बिदअ़त असली और ज़ाती नहीं थी, बल्कि बिदअ़ते वस्फ़ी थी। जो अपने असल और ज़ात के ऐतिबार से तो साबित होती है, लेकिन मख़्सूस हैयत और कैफ़ियत अपनी तरफ़ से वज़अ़ कर ली जाती है, वरना चाश्त की नमाज़ तो आप (ﷺ) से पढ़ना साबित है जैसाकि चाश्त की नमाज़ की बहस में गुज़र चुका है।

باب فَضْلِ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

बाब 38 : माहे रमज़ान में उ़म्रह करने की फ़ज़ीलत

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا " . قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ قَالَ "فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً " .

(3038) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अन्सारी औरत को (जिसका इब्ने अ़ब्बास रज़ि. ने नाम बताया था रावी नाम भूल गया है) फ़रमाया, 'तुम्हें हमारे साथ हज करने में क्या रुकावट पेश आई?' उसने जवाब दिया, हमारे पास पानी लाने वाले दो ही ऊँट थे, एक पर मेरा ख़ाविन्द और बेटा हज करने के लिये चले गये और एक ऊँट हमारे लिये पानी लाने के लिये छोड़ गये। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब रमज़ान आये तो उ़म्रह कर लेना, क्योंकि माहे रमज़ान में उ़म्रह करना, हज के (सवाब के) बराबर है।'

(सहीह बुख़ारी : 1782, नसाई : 4/131)

(3039) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने एक अन्सारी औरत जिसे सिनान कहा जाता था पूछा, 'तुझे हमारे साथ हज करने से किस चीज़ ने रोका?' उसने जवाब दिया, अबू फ़लाँ (यानी उसका ख़ाविन्द) के पास दो ही पानी लाने वाले ऊँट थे, उनमें से एक पर उसने और उसके बेटे ने हज का इरादा किया। दूसरे पर हमारा ग़ुलाम (बाग़ को) पानी पिलाता था। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'माहे रमज़ान में उमरह करना हज के या मेरे साथ हज के बराबर है।'
(सहीह बुख़ारी : 5887)

وَحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا " . قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ - زَوْجِهَا -حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلاَمُنَا . قَالَ " فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً . أَوْ حَجَّةً مَعِي " .

फ़ायदा : उमरह साल के तमाम महीनों में हो सकता है, लेकिन अगर रमज़ान में उमरह किया जाये तो रमज़ान की बरकतों व रहमतों के नतीजे में इसका अज्र व सवाब हज के बराबर होता है, यानी हज के फ़वाइदो-बरकात मुयस्सर आते हैं, अगरचे इससे हज का फ़रीज़ा अदा नहीं होता, हज अपने वक़्त पर करना होगा।

बाब 39 : पसन्दीदा तरीक़ा ये है कि मक्का मुकर्रमा में बालाई हिस्से से दाख़िल हो और नशीबी (निचले) हिस्से से निकले (ताकि आना-जाना अलग-अलग रास्तों से हो)

باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى وَدُخُولِ بَلْدَةٍ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا

(3040) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मदीना से) दरख़्त वाले रास्ते से निकलते और मुअर्रस के रास्ते से वापस आते और जब मक्का में दाख़िल होते तो बुलंद घाटी के रास्ते से दाख़िल होते और नशीबी घाटी से निकलते।
(सहीह बुख़ारी : 1576, अबू दाऊद : 1866)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ

طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि इबादत के लिये अपने शहर या गाँव से निकलने और वापस आने का रास्ता बदलना बेहतर है। इस तरह इबादतगाह का रास्ता, आने-जाने के लिये अलग-अलग होना पसन्दीदा है, हज और ईदैन के लिये आप (ﷺ) इस पर अ़मल फ़रमाते थे, लेकिन अगर ऐसा करना मुम्किन न हो तो फिर कोई गुनाह नहीं है।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، -وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ .

(3041) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से नक़ल करते हैं और ज़ुहैर की रिवायत में वज़ाहत है कि वो बुलंद घाटी जो बतहा के पास है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، -قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا

(3042) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का तक पहुँचे, तो उसके बालाई हिस्से से दाख़िल हुए और नशीबी यानी पस्त हिस्से से निकले।

(सहीह बुख़ारी : 1577, अबू दाऊद : 1869, तिर्मिज़ी : 753)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ . قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ .

(3043) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का के साल कदाअ मक्का का बालाई हिस्से से दाख़िल हुए। हिशाम बयान करते हैं, मेरे वालिदे मोहतरम दोनों जानिबों (बालाई व नशीबी) से दाख़िल होते थे और वो ज़्यादातर बालाई हिस्से की राह से दाख़िल होते।

(सहीह बुख़ारी : 1578, अबू दाऊद : 1868)

नोट : मक्का की बुलंद जानिब कदाअ है और पस्त जानिब कुदा।

बाब 40 : मक्का में दाख़िले के वक़्त बेहतर है रात ज़ी तवा में गुज़ारी जाये और दिन को दाख़िल होते वक़्त ग़ुस्ल किया जाये

باب اسْتِحْبَابِ الْمَبِيتِ بِذِي طَوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالاِغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا نَهَارًا

(3044) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रात सुबह होने तक ज़ी तवा में बसर की, फिर मक्का में दाख़िल हुए और हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) भी ऐसा ही करते थे। इब्ने सईद की रिवायत है यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ी। यहया कहते हैं, या ये कहा यहाँ तक कि सुबह हो गई।

(सहीह बुख़ारी · 1574)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، -وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سَعِيدٍ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ . قَالَ يَحْيَى أَوْ قَالَ حَتَّى أَصْبَحَ .

(3045) नाफ़ेअ से रिवायत है इब्ने उमर (रज़ि.) जब भी मक्का तशरीफ़ लाते, रात ज़ी तवा में गुज़ारते। सुबह के बाद ग़ुस्ल करते, फिर दिन के वक़्त मक्का में दाख़िल होते और नबी (ﷺ) का तरीक़ा भी यही बयान करते।

(सहीह बुख़ारी : 1553, 1573, 1769, अबू दाऊद : 1865)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ لاَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَهُ .

फ़ायदा : मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िले के आदाब में से है कि इंसान रात ज़ी तवा में गुज़ारे, सुबह की नमाज़ वहीं पढ़े, फिर ग़ुस्ल करके दिन के वक़्त मक्का में दाख़िल हो। इमाम मालिक के सिवा बाक़ी अइम्मा के नज़दीक ये ग़ुस्ल मक्का मुअज़्ज़मा के लिये है। इसलिये हैज़ व निफ़ास वाली औरत के लिये भी मुस्तहब है और इमाम मालिक के नज़दीक ख़ान-ए-कअबा के तवाफ़ के लिये है, इसलिये हैज़ व निफ़ास वाली औरत के लिये ग़ुस्ल नहीं है। क्योंकि वो तवाफ़ नहीं कर सकतीं, इस तरह कुछ शवाफ़ेअ के सिवा, सबके नज़दीक दिन के वक़्त दाख़िल होना बेहतर है।

(3046) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन उमर रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का तशरीफ़ लाते तो पड़ाव ज़ी तवा पर करते, वहीं रात बसर करते यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ते और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़गाह एक बड़े टीले पर है, उस मस्जिद में नहीं जो वहाँ बना दी गई है, लेकिन उसके नीचे एक बड़े टीले पर।

(सहीह बुख़ारी : 484, नसाई : 4/199)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طَوًى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : अकमतुन ग़लीज़तुन : पुख़्ता बुलंद टीला।

(3047) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने नाफ़ेअ को बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कअबा की तरफ़ उस पहाड़ की दोनों चोटियों के दरम्यान रुख़ किया, जो उनके और बड़े पहाड़ के दरम्यान था और जो मस्जिद वहाँ बना दी गई है, उसको टीले के किनारे की मस्जिद के बायें तरफ़ करते और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ की जगह इससे नीचे स्याह टीले पर है, इस टीले से कमो-बेश दस हाथ छोड़कर फिर तवील पहाड़ की दो चोटियों की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते, जो तेरे और कअबा के दरम्यान है।

(सहीह बुख़ारी : 492)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، - يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى، بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِطَرَفِ الأَكَمَةِ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ يَدَعُ مِنَ الأَكَمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ صلى الله عليه وسلم .

बाब 41 : उम्रह के तवाफ़ और हज के पहले तवाफ़ में रमल करना मुस्तहब (बेहतर पसन्दीदा) है

باب اسْتِحْبَابِ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ وَفِي الطَّوَافِ الأَوَّلِ فِي الْحَجِّ

(3048) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतुल्लाह का पहला तवाफ़ करते तो तीन चक्करों में रमल करते और चार में आम चाल चलते और जब सफ़ा और मरवह के चक्कर लगाते तो वादी के अंदर दौड़ते (नशीबी जगह जिसकी निशानदेही सब्ज़ ट्यूबों से की गई है) और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) इस तरह करते थे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ‏.‏

फ़ायदा : उम्रह या हज करने वाला जब मक्का मुकर्रमा पहुँच जायेगा तो वो बैतुल्लाह में जाकर सबसे पहले तवाफ़े क़ुदूम जिसे तवाफ़े वुरूद और तवाफ़े तहिय्या भी कहते हैं, करेगा। तीन चक्करों में क़ुव्वत व ताक़त के इज़हार वाली तेज़ चाल चलेगा और बाद वाले चार चक्करों में आम चाल चलेगा (पूरे तवाफ़ में इज़्तिबाअ करेगा, जिसकी तफ़सील गुज़र चुकी है)।

(3049) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हज और उम्रह के लिये पहुँचते ही नमाज़ करते, तो बैतुल्लाह के तीन चक्कर तेज़ चलकर लगाते, फिर चार चक्कर मामूल की चाल से लगाते, फिर दो रकअत तवाफ़ अदा फ़रमाते, उसके बाद सफ़ा और मवरह के दरम्यान चक्कर लगाते।
(सहीह बुख़ारी : 1616, अबू दाऊद : 1893, नसाई : 5/229)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ، عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ‏.‏

(3050) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मक्का पहुँचते देखा, जब पहुँचते ही पहला तवाफ़ करते, जब हज्रे अस्वद का इस्तिलाम (बोसा देना) करते, सात में से तीन चक्करों में रमल करते।
(सहीह बुख़ारी : 1603)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

(3051) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक तीन चक्करों में रमल किया और चार चक्करों में मामूल के मुताबिक़ चले।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا .

(3052) नाफ़ेअ बयान करते हैं, इब्ने उमर (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल किया और बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसा किया था।
(अबू दाऊद : 1891)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ .

(3053) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने तीन चक्करों में हज्रे अस्वद से उस तक पहुँचने तक रमल किया।
(तिर्मिज़ी : 857, नसाई : 5/230, इब्ने माजह : 2951)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -

رضى الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ .

(3054) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक तीन चक्करों में रमल किया।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ الثَّلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ .

(3055) अबू तुफ़ैल बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, बतलाइये क्या बैतुल्लाह के तीन चक्करों में रमल करना और चार चक्करों में चलना, सुन्नत है? क्योंकि आपकी क़ौम इसको सुन्नत ख़याल करती है। उन्होंने जवाब दिया, वो ठीक भी कहते हैं और ग़लत भी। मैंने पूछा, आपके क़ौल सदक़ू व कज़बू (सच भी और झूठ भी) का क्या मतलब है? उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) (उमरतुल क़ज़ा के लिये) मक्का तशरीफ़ लाये, तो मुश्रिकों ने कहा, मुहम्मद और उनके साथी कमज़ोर होने की वजह से बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेंगे, मुश्रिक आपसे हसद रखते थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने साथियों को हुक्म दिया, तीन चक्करों में रमल करें और चार आम चाल चलें। मैंने आपसे पूछा, ऐ इब्ने अब्बास! मुझे सफ़ा और मरवह के दरम्यान सवार होकर

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشْىَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافٍ أَسُنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ . قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا . قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ . قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا . قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ

هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ . قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا . قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ . حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ . قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ وَالْمَشْىُ وَالسَّعْىُ أَفْضَلُ .

चक्कर लगाने के बारे में बताइये, क्या वो सुन्नत है? क्योंकि आपकी क़ौम इसको सुन्नत समझती है। उन्होंने कहा, वो सच्चे और झूठे हैं। मैंने पूछा, आपके इस क़ौल 'वो सच्चे और झूठे हैं' का क्या मक़सद है? उन्होंने जवाब दिया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बहुत से लोग जमा हो गये। वो कह रहे थे, ये मुहम्मद हैं। यहाँ तक कि नौजवान औरतें भी घरों से निकल आईं और रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने से हटाने के लिये लोगों को मारा नहीं जाता था, जब लोगों की तादाद बढ़ गई तो आप सवार हो गये, पैदल चलकर सई करना अफ़ज़ल है।

(अबू दाऊद : 1885)

फ़ायदा : तवाफ़े उम्रह और तवाफ़े क़ुदूम में पहले तीन चक्करों में हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल (मोण्ढे हिलाते हुए, आहिस्ता-आहिस्ता दौड़ना, जुम्हूर जिनमें अइम्म-ए-अरबआ शामिल हैं के नज़दीक आपसे साबित है, इसलिये मसनून है। लेकिन रमल और इज़्तिबाअ सिर्फ़ मर्दों के लिये है, औरतों के लिये नहीं। इसकी शुरूआत की वजह वही है जो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया है, लेकिन जब ये मुश्रिकीन को दिखाने के लिये किया गया था, तो उस वक़्त हज्रे अस्वद से रुक्ने यमानी तक किया गया। आगे रुक्ने यमानी से हज्रे अस्वद तक नहीं किया गया। गोया चक्कर मुकम्मल नहीं था, बाद में आपने हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर, हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल फ़रमाया था। इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मौक़िफ़ सहाबा व ताबेईन और अइम्मा में से किसी ने क़ुबूल नहीं किया। हाँ कुछ ताबेईन जैसे ताऊस, अता, हसन बसरी और सईद बिन जुबैर वग़ैरह के नज़दीक रमल हज्रे अस्वद से रुक्ने यमानी तक है। इसी तरह हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का ये कहना कि जो लोग सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई सवार होकर सुन्नत समझते हैं, वो सच्चे भी हैं और झूठे भी। तो इसका मक़सद ये है कि आम तौर पर सई पैदल चलकर ही की जाती है और यही अफ़ज़ल है। लेकिन किसी उज़्र या ज़रूरत के लिये सवार होकर कर लेना भी सुन्नत है, लेकिन सुन्नते आम क़रार देना दुरुस्त नहीं है।

(3056) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से नक़ल करते हैं लेकिन उसमें ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, मक्का के लोग हासिद थे। ये नहीं कहा, वो आप (ﷺ) से हसद रखते थे।

وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنا يزِيدُ، أَخْبرنَا الْجُرَيْرِيُّ، بِهذَا الإِسْنادِ نَحْوهُ غَيْر أَنَّهُ قَال وكان أَهْلُ مكَّة قَوْمَ حَسدٍ . ولمْ يَقُلْ يحْسُدُونَهُ .

(3057) अबू तुफ़ैल (रह.) बयान करते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, आपकी क़ौम ये समझती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह के तवाफ़ में रमल किया और सफ़ा और मवरह के दरम्यान चक्कर लगाये और ये सुन्नत है? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने सच कहा और झूठ भी बोला।

وحَدَّثَنَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنا سُفْيَانُ، عن ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قالَ قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ بِالْبيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَ وَالْمَرْوَةِ وَهْي سُنَّةٌ . قَال صَدَقُوا وَكَذبُوا .

(3058) अबू तुफ़ैल (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा, मैं ख़याल करता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है। उन्होंने कहा, मुझे देखने की कैफ़ियत बताओ? मैंने कहा, मैंने आपको मरवह के पास एक ऊँटनी पर देखा, लोगों ने आपको घेरा हुआ था। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, वो रसूलुल्लाह (ﷺ) ही थे। लोगों को आप (ﷺ) से दूर नहीं हटाया जाता था या धक्के नहीं दिये जाते थे, न दूर रहने पर मजबूर किया जाता था।

وحدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا يَحْيى بْنُ آدمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عنْ عبْدِ الْمَلِك بْن، سَعِيدِ بْنِ الأَبْجر عنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قال قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم . قالَ فَصِفْهُ لِي . قال قُلْتُ رَأَيْتُهُ عنْدَ الْمَرْوَةِ على نَاقةٍ وَقدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْه . قالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَاكَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُدَعُّونَ عَنْهُ وَلاَ يُكْهَرُونَ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **ला युदअ़ून अ़न्हु :** दूर हटाने के लिये धक्के नहीं दिये जाते थे। (2) **ला युक्रहून :** (दूर रहने पर मजबूर नहीं किया जाता था और उन्हें सरज़निश और डांट-डपट नहीं की जाती थी।

बाब 42 : तवाफ़ में दोनों यमानी रुक्नों का इस्तिलाम मुस्तहब बाक़ी दोनों का नहीं

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ . قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً . فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلاَءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ .

(3059) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये और उन्हें यसरिब (मदीना) के बुख़ार ने कमज़ोर कर डाला था। मुश्रिकों ने कहा, कल तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग आयेंगे, जिन्हें बुख़ार ने कमज़ोर कर दिया है और उन्हें उससे तकलीफ़ पहुँची है। तो वो हिज्र की तरफ़ बैठ गये। नबी (ﷺ) ने अपने साथियों को तीन चक्करों में रमल करने का हुक्म दिया और फ़रमाया, 'रुक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान आम चाल चलें (क्योंकि मुश्रिकों को नज़र नहीं आ सकते थे) ताकि मुश्रिकीन को उनकी कुव्वत, ताक़त का मुशाहिदा कर लें, मुश्रिकीन (देख कर) कहने लगे, यही लोग हैं जिनके बारे में तुम्हारा ख़याल था कि बुख़ार ने उन्हें कमज़ोर कर दिया है? ये तो फ़लाँ-फ़लाँ से भी ज़्यादा ताक़तवर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, आपने तमाम चक्करों में रमल करने का हुक्म सिर्फ़ उन पर शफ़क़त फ़रमाते हुए नहीं दिया।

(सहीह बुख़ारी : 1602, 4256, अबू दाऊद : 1886, नसाई : 5/231)

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

(3060) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सई और बैतुल्लाह के तवाफ़ में रमल सिर्फ़ मुश्रिकों को अपनी कुव्वत दिखाने के लिये किया था।

(सहीह बुख़ारी : 1649, 4257, नसाई : 5/242)

باب اسْتِحْبَابِ اسْتِلاَمِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ فِي الطَّوَافِ دُونَ الرُّكْنَيْنِ الآخَرَيْنِ

बाब 43 : तवाफ़ में दो यमानी रुक्नों का इस्तिलाम मुस्तहब है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

(3061) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सिर्फ़ दो यमानी रुक्नों का इस्तिलाम करते देखा है।

(सहीह बुख़ारी : 1609, अबू दाऊद : 1874, नसाई : 5/232)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.

(3062) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बनू जुमह के घरों की तरफ़ से बैतुल्लाह के अरकान से सिर्फ़ हज्रे अस्वद और उसके साथ वाले रुक्न का इस्तिलाम करते थे।

(नसाई : 5/232, इब्ने माजह : 2946)

(3063) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सिर्फ़ हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी का इस्तिलाम करते थे।

(नसाई : 5/232)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ إِلاَّ الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ.

(3064) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं, जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को इन दो रुक्नों, यमानी और हजर का इस्तिलाम करते देखा है, मैंने उनका इस्तिलाम शिद्दत (भीड़) और आसानी किसी सूरत में छोड़ा नहीं।

(सहीह बुख़ारी : 1606, नसाई : 5/232)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى، الْقَطَّانِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ - الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ

फ़ायदा : जहाँ तक मुम्किन हो हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करना चाहिये यानी बोसा लेना चाहिये, लेकिन अगर भीड़ और इज़्दहाम की बिना पर धक्कम-पेल और दूसरों को तकलीफ़ दिये बग़ैर मुम्किन न हो तो फिर इस्तिलाम नहीं करना चाहिये, रुक्ने यमानी को तो सिर्फ़ हाथ लगाना होता है, इसलिये इसमें ज़्यादा दिक़्क़त पेश नहीं आती, लेकिन हज्रे अस्वद को बोसा देना होता है, इसलिये यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, जिसकी बिना पर उसको हाथ लगाकर, हाथ चूमना भी मुम्किन नहीं होता।

(3065) नाफ़ेअ़ (रह.) बयान करते हैं मैंने इब्ने उ़मर (रज़ि.) को हज्रे अस्वद को हाथ लगाकर फिर हाथ को चूमते देखा, उन्होंने बताया जब से मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसा करते देखा, मैंने कभी उसे तर्क नहीं किया।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ، دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

(3066) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दो रुक्ने यमानी के सिवा का इस्तिलाम करते नहीं देखा।

फ़ायदा : हज्रे अस्वद और रुक्ने यमानी को तग़्लीबन रुक्नाने यमानियैन कह दिया जाता है, चूंकि ये दोनों इब्राहीमी बुनियादों पर हैं, इसलिये इनका इस्तिलाम किया जाता है और हज्रे अस्वद को दोहरी फ़ज़ीलत हासिल है, इसलिये इसको सिर्फ़ हाथ ही नहीं लगाया जाता बल्कि बिल्इत्तिफ़ाक़ इसको बोसा देना मसनून है, अगरचे कुछ सहाबा चारों कोनों का इस्तिलाम करते थे, लेकिन अइम्मा में से किसी ने इसको क़ुबूल नहीं किया।

باب اسْتِحْبَابِ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ

बाब 44 : तवाफ़ में हज्रे अस्वद को बोसा देना मुस्तहब है

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرٌو، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ قَالَ قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . زَادَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ .

(3067) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद का बोसा लिया फिर फ़रमाया, हाँ अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ूब पता है तू एक पत्थर है, अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता, तो मैं तुम्हें बोसा न देता। हारून की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि अम्र ने कहा, इस तरह मुझे ये रिवायत ज़ैद बिन अस्लम ने अपने बाप से सुनाई (अस्लम हज़रत उमर के आज़ाद किये हुए ग़ुलाम हैं)।
(सहीह बुख़ारी : 1605, 1610)

(3068) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद का बोसा लिया और फ़रमाया, मैं तुम्हें बोसा दे रहा हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ तू यक़ीनन एक पत्थर है, लेकिन मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते देखा है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ .

(3069) अब्दुल्लाह बिन सरजिस बयान करते हैं मैंने अस्लअ यानी उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को हज्रे अस्वद को बोसा देते देखा और वो कह रहे थे, अल्लाह की क़सम! मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ, जबकि मैं ख़ूब जानता हूँ तू एक पत्थर है और यक़ीनन न तू नुक़सान पहुँचा सकता है और न नफ़ा। अगर मैंने तुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) को बोसा देते हुए न देखा होता तो तुझे बोसा न देता, मुक़द्दमी और अबू कामिल की रिवायत में अस्लअ की बजाए उसैलिअ है (जिसके सर के अगले हिस्से के बाल गिर गये हों उसे अस्लअ कहते हैं)।
(इब्ने माजह : 2943)

حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَالْمُقَدَّمِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ رَأَيْتُ الأَصْلَعَ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ . وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ الأُصَيْلِعَ .

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) के इस फ़रमान से साबित होता है कि एक मुसलमान का तरीक़ा ये होना चाहिये कि वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल की इक़्तिदा और इत्तिबाअ करे, उस अमल की हिक्मत और फ़िलॉसफ़ी उसकी समझ में आये या न आये, चूंकि आप (ﷺ) ने हज्रे अस्वद को बोसा दिया है, इसलिये हम उसको बोसा देते हैं, रुक्ने यमानी को हाथ लगाया है, बोसा नहीं दिया, इसलिये उसको सिर्फ़ हाथ लगाया जाता है, बोसा नहीं दिया जाता। लेकिन हज्रे अस्वद को बोसा देने से नेक लोगों और बुज़ुर्गों के हाथ-पाँव को बोसा देने के जाइज़ होने के लिये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है, अगर ये काम दुरुस्त होता तो सहाबा किराम रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ-पाँव हर मुलाक़ात पर चूमते और सहाबा किराम का ये अमल तवातुरे क़ौली और तवातुरे अमली से साबित होता, नीज़ इससे ज़ाती और अताई क़ुदरत पर इस्तिदलाल भी बेमहल है, क्योंकि अगर अल्लाह तआला ने किसी चीज़ में कोई नफ़ा रख

दिया है, तो इसका ये मानी नहीं है, नफ़ा की सलाहियत उसको अ़ता कर दी है। जैसे अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ईमान लाना, आपसे मुहब्बत करना, आपकी इताअ़त करना, जन्नत में जाने का बाइ़स है, तो इसका ये मानी कैसे हो गया कि आपकी ज़ात को, नफ़ा पहुँचाने की क़ुदरत दे दी गई है। इसलिये ये इस्तिदलाल किस क़द्र हैरानकुन है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की नफ़ा रसानी से कौन इंकार कर सकता है कि इंसान मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) कहे तो जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता है, बल्कि उस वक़्त तक कोई शख़्स जन्नत में जाने का मुस्तहिक़ नहीं होगा जब तक वो मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, अल्लाहु अकबर! जिनके नाम की नफ़ा रसानी का ये आ़लम है उनकी ज़ात की नफ़ा रसानी का क्या आ़लम होगा और मैं तो ये कहता हूँ कि जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की नफ़ा रसानी का इंकार करता है वो आपका नाम न ले और हमें जन्नत में जाकर दिखाये। शरह सहीह मुस्लिम सईदी जिल्द 3, पेज नं. 501

कोई अल्लाह के इस बन्दे से पूछे, जन्नत में दाख़िला आपकी रिसालत पर ईमान का नतीजा है या आपका नाम लेना ही जन्नत में दाख़िले का बाइ़स है, अगर कोई इंसान दिन में हज़ार मर्तबा आपके नाम की तस्बीह पढ़े, लेकिन आप पर ईमान न लाये, तो क्या वो जन्नत में दाख़िल हो सकेगा? (अबू तालिब ने आपका हर कठिन और मुश्किल मौक़े पर साथ दिया, आपकी हर तरह ख़िदमत की, उसको जन्नत में दाख़िला न मिल सका और ये आपको भी तस्लीम है। सहीह मुस्लिम जिल्द 1, पेज नं. 835 बहरहाल ये ज़ाती और अ़ताई की तक़सीम सिर्फ़ एक सराब (धोखा) है जिससे जाहिलों और नावाक़िफ़ों को फांसा जाता है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ، بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لأُقَبِّلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ لَمْ أُقَبِّلْكَ .

(3070) आ़बिस बिन रबीआ़ बयान करते हैं मैंने हज़रत उ़मर (रज़ि.) को हजरे अस्वद को बोसा देते देखा और वो कह रहे थे, मैं तुझे बोसा दे रहा हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, अगर मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं तुझे बोसा न देता।

(सहीह बुख़ारी : 1597, अबू दाऊद : 1873, तिर्मिज़ी : 860, नसाई : 5/2217)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا.

(3071) सुवेद बिन ग़फ़लह बयान करते हैं मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) को देखा, उन्होंने हज्रे अस्वद को बोसा दिया और उसके साथ चिमट गये और फ़रमाया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा वो तुझे बहुत अहमियत देते थे तुझसे मुहब्बत करते थे।

(नसाई : 5/227)

मुफ़रदातुल हदीस़ : हफ़िया बिही : का मानी होता है किसी पर लुत्फ़ व करम और मेहरबानी करना उस पर तवज्जह देना।

फ़ायदा : अक्सर अइम्मा के नज़दीक हज्रे अस्वद पर पेशानी रखना या रुख़्सार रखना जाइज़ है, इमाम मालिक के नज़दीक हज्रे अस्वद पर सज्दा करना और रुख़्सार रखना बिदअत है लेकिन क़ाज़ी अयाज़ मालिकी ने उनकी राय को शाज़ और मुन्फ़रिद क़रार दिया है।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِكَ حَفِيًّا . وَلَمْ يَقُلْ وَالْتَزَمَهُ .

(3072) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं, लेकिन उसमें चिमटने का तज़्किरा नहीं है और ये है मैंने अबुल क़ासिम (रज़ि.) को तुझ पर बहुत मेहरबान पाया है।

नोट : हज़रत अली (रज़ि.) से एक रिवायत नक़ल करते हैं कि उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा, मुझे हज्रे अस्वद नफ़ा भी देता है और नुक़सान भी। फिर उसके लिये एक तवील रिवायत बयान की, हालांकि उसका एक रावी अबू हारून बिल्इत्तिफ़ाक़ ज़ईफ़ है बल्कि अइम्मा की एक जमाअत के नज़दीक झूठा है। शरह सहीह मुस्लिम, सईदी जिल्द 3, पेज नं. 499

باب جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتِلاَمِ الْحَجَرِ بِمِحْجَنٍ وَنَحْوِهِ لِلرَّاكِبِ

बाब 45 : सवारी (ऊँट वग़ैरह) पर सवार होकर तवाफ़ करना जाइज़ है और सवार छड़ी वग़ैरह से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करेगा

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ .

(3073) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया और हज्रे अस्वद का इस्तिलाम छड़ी से किया।

(सहीह बुख़ारी : 1607, नसाई : 5/233, 2/47, इब्ने माजह : 2948)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي، الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

(3074) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ में बैतुल्लाह का तवाफ़ अपनी सवारी पर किया हज्रे अस्वद को अपनी छड़ी लगाते थे, ताकि आप (ﷺ) बुलंद हो सकें और लोग आपको देखकर आपसे सवाल कर सकें, क्योंकि लोगों ने आपको घेरा हुआ था।

(अबू दाऊद : 1880)

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ

(3075) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ में बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मवरह की सई अपनी सवारी पर बैठकर की, ताकि लोग आपको देख सकें और आप बुलंद हो सकें, ताकि लोग

صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ خَشْرَمٍ وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ .

आपसे पूछ सकें, क्योंकि लोग आपके गिर्द भीड़ किये हुए थे।

इब्ने ख़शरम की रिवायत में 'ताकि लोग आप (ﷺ) से सवाल कर सकें' के अल्फ़ाज़ नहीं हैं।

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ .

(3076) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ में कअबा के गिर्द अपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया, आप (ﷺ) हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करते थे, ताकि लोगों को आपसे दूर हटाने की ज़रूरत न पड़े (आप लोगों को दूर हटाना पसंद नहीं करते थे)।
(नसाई : 5/224)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ .

(3077) हज़रत अबू तुफ़ैल (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा, आप अपनी छड़ी से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करते और छड़ी को बोसा देते थे।
(अबू दाऊद : 1879, इब्ने माजह : 2949)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ " طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ

(3078) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अपनी बीमारी की शिकायत की तो आपने फ़रमाया, 'तुम सवार होकर लोगों के पीछे तवाफ़ कर लो।' मैंने तवाफ़ किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के पहलू में नमाज़ पढ़ रहे थे और वत्तूर व किताबिम्मस्तूर की तिलावत कर रहे थे।

" . قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِ{ الطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.

(सहीह बुख़ारी : 1619, 1626, 1633, 4853, अबू दाऊद : 1882, नसाई : 5/223, 5/224, इब्ने माजह : 2961)

फ़ायदा : इन हदीसों से मालूम होता है ज़रूरत के तहत किसी चीज़ पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मरवह की सई जाइज़ है, जैसाकि आज-कल बीमार, कमज़ोर और बूढ़े लोग, पाल्की या रेढ़ी पर सवार होकर तवाफ़ कर लेते हैं, इस तरह मसला बताने के लिये अगर भीड़ हो तो आलिम बुलंद जगह पर बैठकर सवालात के जवाबात दे सकता है और ज़रूरत के तहत हलाल जानवरों को मस्जिद में लाया जा सकता है।

इमाम मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से अलग-थलग रहकर तवाफ़ करना चाहिये, ख़्वाह-मख़्वाह मर्दों में नहीं घुसना चाहिये और अगर हज्रे अस्वद को बोसा न दिया जा सके तो छड़ी लगाकर छड़ी को बोसा दे दिया जाये।

باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لاَ يَصِحُّ الْحَجُّ إِلاَّ بِهِ

बाब 46 : सफ़ा और मरवह की सई हज का रुक्न है, इसके बग़ैर हज नहीं हो सकता

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ قُلْتُ لَهَا إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلاً لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ . قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ . فَقَالَتْ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الأَنْصَارَ

(3079) उरवह (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से अर्ज़ किया, मेरा ख़याल है अगर कोई आदमी सफ़ा और मवरह की सई न करे तो ये चीज़ उसके लिये नुक़सानदेह नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि अल्लाह का फ़रमान है, 'सफ़ा और मवरह अल्लाह के दीन के शिआर हैं, जो शख़्स हज या उम्रह करे तो उस पर इनका तवाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है।' (सूरह बक़रह : 158) तो उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह तआला उस इंसान का हज और उम्रह कामिल क़रार नहीं देगा, जिसने सफ़ा और मवरह का तवाफ़ न किया। अगर तेरा गुमान

كَانُوا يُهِلُّونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ . ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ . فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ{ إِلَى آخِرِهَا - قَالَتْ - فَطَافُوا .

दुरुस्त होता तो अल्लाह यूँ फ़रमाता, 'उस पर कोई गुनाह नहीं है अगर वो उनका तवाफ़ न करे' और तुम जानते, ऐसे क्यों नाज़िल हुआ? इसका सबब ये है कि जाहिलिय्यत के दौर में अन्सार समुन्द्र के किनारे पर वाक़ेअ दो बुतों जिनको इसाफ़ और नाइला कहते थे उनके लिये एहराम बांधते, फिर आकर सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करते, फिर सर मुण्डवाते। जब इस्लाम का दौर आया तो उन्होंने जाहिलिय्यत की रस्म से बचने के लिये उनके दरम्यान सई करने, तवाफ़ करना नापसंद किया। इस पर ये आयत उतरी कि सफ़ा और मरवह अल्लाह के दीन की इम्तियाज़ी बातों में दाख़िल हैं (इसलिये इनसे कराहत और दूरी मुनासिब नहीं) तो वो इनका तवाफ़ करने लगे।

फ़ायदा : इसाफ़ और नाइला दो बुत थे, जो सफ़ा और मरवह पर रखे गये थे। कुछ अन्सारी क़बाइल सफ़ा और मरवह का तवाफ़ उनकी ख़ातिर करते थे, जब इस्लाम आ गया तो उन्होंने ख़याल किया, अगर अब हमने इनका तवाफ़ किया तो यही समझा जायेगा कि हम जाहिली रस्म के मुताबिक़ ये काम कर रहे हैं, इसलिये हमें ये काम नहीं करना चाहिये, इनको साहिले समुन्द्र पर वाक़ेअ क़रार देना रावी का वहम है। हज़रत आइशा (रज़ि.) का मतलब ये है कि आयत में सफ़ा और मरवह के तवाफ़ करने वाले से गुनाह को साक़ित और दूर क़रार दिया गया है, अगर उनके तवाफ़ की ज़रूरत न होती, तो तवाफ़ न करने वाले से गुनाह उठाना चाहिये था। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) और मुहद्दिसीन के नज़दीक सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई, हज और उम्रह का रुक्न है। जिसके बग़ैर न उम्रह हो सकता है और न हज। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी और हसन बसरी (रह.) के नज़दीक सई हज और उम्रह के लिये वाजिब है, फ़र्ज़ और रुक्न नहीं है। इसलिये दम (क़ुर्बानी) से इसकी तलाफ़ी हो जायेगी और हज हो जायेगा और इमाम इब्ने क़ुदामा के नज़दीक इमाम अहमद का यही क़ौल है। कुछ सहाबा अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर वग़ैरह (रह.) और इब्ने सीरीन (रह.) के नज़दीक न ये रुक्न है और न वाजिब, सुन्नत है। सहीह हदीस का तक़ाज़ा यही है कि ये रुक्न है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَىَّ جُنَاحًا أَنْ لاَ أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ لِمَ قُلْتُ لأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ] إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ[الآيَةَ . فَقَالَتْ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

(3080) उरवह (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, मैं समझता हूँ अगर मैं सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ न करूँ तो कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि अल्लाह का फ़रमान है, 'सफ़ा और मरवह अल्लाह के दीन की निशानियों में से हैं, तो जो शख़्स हज और उम्रह में इनका तवाफ़ करे तो कोई गुनाह नहीं है।' उन्होंने फ़रमाया, अगर बात वो होती जो तू कहता है, तो आयत इस तरह होती, 'अगर इनका तवाफ़ न करे तो कोई गुनाह नहीं।' ये आयत कुछ अन्सारी लोगों के बारे में उतरी है, जब वो एहराम बांधते जाहिलिय्यत के दौर में मनात के लिये एहराम बांधते और सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई जाइज़ न समझते, तो जब वो हज के लिये नबी (ﷺ) के साथ आये, उन्होंने इस बात का तज़्किरा आपसे किया, तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, मुझे अपनी उम्र की क़सम! जो सफ़ा और मरवह का तवाफ़ नहीं करेगा अल्लाह उसका हज पूरा नहीं करेगा (उसका हज कुबूल नहीं होगा)।

(इब्ने माजह : 2986)

फ़ायदा : इस हदीस में अन्सार के दूसरे गिरोह का तज़्किरा है जो जाहिलिय्यत के दौर में सफ़ा और मरवह का तवाफ़ नहीं करते थे और अपनी आदत के मुताबिक़ अब भी उसके लिये तैयार न थे, इस आयत के ज़रिये उनके दिलों की कराहत को दूर कर दिया गया।

(3081) उरवह बिन ज़ुबैर (रह.) बयान करते हैं, मैंने नबी (ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा आइशा (रज़ि.) से कहा, मेरे नज़दीक अगर कोई सफ़ा और मरवह का तवाफ़ न करे तो कोई हर्ज नहीं है और अगर मैं उनके दरम्यान तवाफ़ न करूँ तो कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने फ़रमाया, तुमने बहुत बुरी बात कही है। ऐ मेरे भान्जे! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनका तवाफ़ किया और (आपकी इत्तिबाअ में) मुसलमानों ने उनका तवाफ़ किया (इसलिये ये) मुसलमानों का तरीक़ा है। असल बात ये है जो लोग मुशल्लल पर वाक़ेअ (स्थित) मनात बुत के लिये एहराम बांधते थे वो लोग सफ़ा और मरवह का तवाफ़ नहीं करते थे, जब इस्लाम का दौर आया तो हमने उसके बारे में नबी (ﷺ) से पूछा, तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'सफ़ा और मरवह अल्लाह तआला के शआइर में से हैं तो जो शख़्स बैतुल्लाह का हज करे या उम्रह करे उस पर इनका तवाफ़ करने में कोई गुनाह नहीं है।' ज़ोहरी कहते हैं, मैंने ये बात अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम को बताई, तो उन्हें बात बहुत पसंद आई और कहने लगे, इल्म इसका नाम है। मैंने बहुत से अहले इल्म से सुना है वो कहते हैं, जो अरब सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ से गुरेज़ करते थे वो कहते थे, हमारा इन दो पत्थरों के दरम्यान तवाफ़ करना जाहिलिय्यत की रस्म होगी और कुछ दूसरे अन्सार कहते थे हमें बस

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وابْنُ أَبِي عُمَرَ، جميعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا . قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا . قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ . وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ . وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لاَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ

طوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الأَنْصَارِ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأُرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ .

बैतुल्लाह के तवाफ़ का हुक्म दिया गया है और हमें सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ करने का हुक्म नहीं दिया गया। इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई, 'सफ़ा और मरवह अल्लाह के दीन की इम्तियाज़ी अलामात में से हैं, अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान (रह.) कहते हैं, मैं समझता हूँ ये आयत उन दोनों गिरोहों के बारे में उतरी है।

(सहीह बुख़ारी : 4861, तिर्मिज़ी : 2965, नसाई : 5/238)

फ़ायदा : इस हदीस़ में आयत के नुज़ूल का एक और पस मन्ज़र बयान किया गया है कि हज के सिलसिले में पहले चूंकि सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करने की तसरीह (वज़ाहत) नाज़िल नहीं हुई थी, इसलिये कुछ लोगों ने ख़्याल किया, अगर सई न भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो फ़रमाया, ये तो शआइरिल्लाह है दीन के इम्तियाज़ी निशानात और अलामात में से हैं' इनको नज़र अन्दाज़ करना मुम्किन नहीं है, क्योंकि शआइर दीन व शरीअत के वो मज़ाहिर हैं जो अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ से किसी मअ़नवी हक़ीक़त का शऊर पैदा करने के लिये बतौर एक निशान और अलामत मुक़र्रर किये गये हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

(3082) उरवह बिन ज़ुबैर (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, आगे ऊपर वाली रिवायत है जिसमें ये भी है उन्होंने (अन्सार के एक गिरोह ने) अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम (जाहिलिय्यत के दौर की वजह से) सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ में गुनाह महसूस करते हैं, इस पर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'सफ़ा और मरवह अल्लाह के शआइर में से हैं, तो जो बैतुल्लाह का हज करे या उम्रह करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं है कि उनका तवाफ़ करे।' हज़रत आइशा (रज़ि.)

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا[قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا.

फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके दरम्यान तवाफ़ करना मुक़र्रर किया है, इसलिये किसी के लिये उनके तवाफ़ को तर्क की गुंजाइश नहीं है।

وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}

(3083) उरवह बिन ज़ुबैर (रह.) बयान करते हैं हज़रत आइशा (रज़ि.) ने मुझे बताया कि अन्सार और ग़स्सान इस्लाम लाने से पहले मनात के लिये एहराम बांधते थे, इसलिये उन्होंने (हस्बे आदत) सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ करने में हर्ज महसूस किया, उनके आबाओ-अजदाद (पूर्वजों) का यही तरीक़ा था कि जो मनात का एहराम बांधता, सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई न करता। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने इसके बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा, तो उसके बारे में अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'बेशक सफ़ा और मरवह अल्लाह के शआइर में से हैं तो जो बैतुल्लाह का हज करे या उम्रह करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उनका तवाफ़ करे और जिसने कोई नेकी ख़ुश दिली के साथ की तो अल्लाह तआला क़ुबूल करने वाला और ख़ूब जानने वाला है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}

(3084) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, अन्सार सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ करने में हर्ज महसूस करते थे यहाँ तक कि ये आयत उतरी, 'बेशक सफ़ा और मरवह अल्लाह के शआइर में से हैं, तो जो बैतुल्लाह का हज करे या उम्रह करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उनका तवाफ़ करे।

(सहीह बुख़ारी : 1648, 4495, तिर्मिज़ी : 2966)

फ़ायदा : ऊपर की रिवायतों से साबित होता है कि अन्सार के दो गिरोह थे, उनमें एक जाहिलिय्यत के दौर में इसाफ़ और नाइला की ख़ातिर सफ़ा और मरवह का तवाफ़ करता था और दूसरा मनात के तवाफ़ की बिना पर उनका तवाफ़ नहीं करता, उन दोनों गिरोहों ने इस्लाम लाने के बाद सफ़ा और मरवह के तवाफ़ में हर्ज महसूस किया, उन दोनों और तीसरे गिरोह के दिल में खटकने वाली बात को अल्लाह ने इस आयत से दूर फ़रमा दिया।

باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْىَ لاَ يُكَرَّرُ

बाब 47 : सई में तकरार नहीं है

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا .

(3085) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके (क़ुर्बानी साथ लाने वाले) साथियों ने सफ़ा और मरवह के दरम्यान एक बार ही तवाफ़ किया था।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَقَالَ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ .

(3086) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, जिसमें है कि एक ही तवाफ़ पहला तवाफ़ किया था, यानी तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई नहीं की थी।

باب اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ الْحَاجِّ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

बाब 48 : बेहतर ये है कि हज करने वाला जम्र-ए-अक़बा की रमी शुरू करने तक तल्बिया जारी रखे, यानी क़ुर्बानी के दिन तक

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، أَبِي

(3087) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं अरफ़ात से रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवार था, तो जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मुज़्दलिफ़ा से पहले बायें घाटी पर पहुँचे तो ऊँट बिठाकर पेशाब किया, फिर आप (ﷺ) वापस आये तो मैंने पानी डाला और

حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ" . فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ جَمْعٍ .قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

आपने हल्का वुज़ू किया। फिर मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ना चाहते हैं? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ आगे है।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) सवार होकर मुज़्दलिफ़ा पहुँचे और नमाज़ पढ़ी। फिर मुज़्दलिफ़ा की सुबह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज़्ल (रज़ि.) को पीछे सवार किया। फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करते हैं कि आप जम्र-ए-अक़बा पहुँचने तक तल्बिया कहते रहे।

(सहीह बुख़ारी : 1669)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، - قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى، - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

(3088) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं नबी (ﷺ) ने मुज़्दलिफ़ा से फ़ज़्ल (रज़ि.) को अपने पीछे सवार कर लिया, तो फ़ज़्ल ने मुझे बताया, नबी (ﷺ) जम्र-ए-अक़बा की रमी तक तल्बिया कहते रहे।

(सहीह बुख़ारी : 1685, अबू दाऊद : 1815, तिर्मिज़ी : 918, नसाई : 5/268)

(3089) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं और वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवार थे, आपने अरफ़ा की शाम और मुज़्दलिफ़ा की सुबह, चलते वक़्त लोगों से फ़रमाया, 'सकीनत व सुकून को लाज़िम पकड़ो।' और आप अपनी ऊँटनी को (तेज़ चलने से) रोके हुए थे, यहाँ तक कि वादी मुहस्सिर में दाख़िल हो गये जो मिना का हिस्सा है। आपने फ़रमाया, 'दो उंगलियों के दरम्यान रखकर फेंकने वाली कंकरियाँ जम्रह मारने के लिये उठा लो।' और आप रमी जम्रह तक तल्बिया कहते रहे।

(नसाई : 5/258, 5/267, 5/269)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي، الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ، رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا " عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ " . وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا - وَهُوَ مِنْ مِنًى - قَالَ " عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ " . وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

फ़ायदा : अक्सर सहाबा, ताबेईन, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक जम्र-ए-अक़बा की रमी शुरू करते वक़्त तल्बिया कहना बंद कर दिया जायेगा। लेकिन इस रिवायत से मालूम होता है तल्बिया रमी जम्र-ए-अक़बा ख़त्म करते वक़्त ख़त्म किया जायेगा। इमाम इब्ने हज़्म, कुछ शवाफ़ेअ और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ यही है। कुछ सहाबा जैसे हज़रत आइशा (रज़ि.), सअद बिन अबी वक़्क़ास, अली (रज़ि.), इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम लैस और हसन बसरी (रह.) के नज़दीक अरफ़े के दिन ज़वाले आफ़ताब के बाद तल्बिया कहना बंद कर दिया जायेग। मालूम होता है इन हज़रात को आपके अमल का इल्म नहीं हो सका। जिससे मालूम होता है कई बार क़रीबतरीन साथियों से भी आपका अमल ओझल रह जाता था। हज़रत आइशा, उम्मे सलमा (रज़ि.), अज़्वाजे मुतह्हरात में से हैं और सअद व अली (रज़ि.) अशर-ए-मुबश्शरा में से हैं, इसलिये हमारे लिये हुज्जत व दलील आपका तरीक़ा है, किसी जलीलुल क़द्र सहाबी या इमाम का तरीक़ा आपके ख़िलाफ़ हुज्जत नहीं बन सकता।

नोट : इमाम इब्ने क़ुदामा ने इमाम अहमद का मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई वाला क़रार दिया है और इमाम नववी ने इब्ने हज़्म और मुहद्दिसीन वाला (अल्मुग़नी लिइब्ने क़ुदामा, तहक़ीक़ अद्दुक्तूर तुर्की जिल्द 5, पेज नं. 297, सहीह मुस्लिम मअ नववी जिल्द 1, पेज नं.415)

(3090) इमाम साहब यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन उसमें ये तज़्किरा नहीं है कि आप (ﷺ) रमी जमरह तक तल्बिया कहते रहे और ये इज़ाफ़ा है, नबी (ﷺ) हाथ के इशारे से बता रहे थे जैसे चुटकी से इंसान कंकरी फेंकता है।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ . وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि आपने कंकरियाँ वादी मुहस्सिर से ली थीं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद और इमाम मालिक के नज़दीक रमी जमरह से पहले जहाँ से चाहे कंकरियाँ ले सकता है। इमाम शाफ़ेई और मुहद्दिसीन के नज़दीक मुज़्दलिफ़ा से लेना बेहतर है, कंकरी ऐसी होगी जिसे दो उंगलियों के दरम्यान रखकर फेंका जा सके।

(3091) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द रज़ि.) बयान करते हैं कि हम मुज़्दलिफ़ा में थे, उस मक़ाम में मैंने उस शख़्सियत से जिन पर सूरह बक़रह नाज़िल हुई ये कहते सुना, लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक।
(नसाई : 5/265)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " .

(3092) अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) से रिवायत है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द रज़ि.) ने मुज़्दलिफ़ा से वापसी के वक़्त तल्बिया पढ़ा तो कहा गया, ये कोई जंगली (बदवी) आदमी है तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्या लोग भूल गये हैं या राहे रास्त से भटक गये हैं जिस

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ أَعْرَابِيٌّ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ

ضَلُّوا سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " .

शख़्सियत पर सूरह बक़रह उतरी है इस जगह मैंने उसको ये कहते सुना, 'लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक।'

وَحَدَّثَنَاهُ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(3093) इमाम साहब ने अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत नक़ल की है।

وَحَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، - يَعْنِي الْبَكَّائِيَّ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالاَ سَمِعْنَا عَبْدَ، اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي، أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَا هُنَا يَقُولُ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " . ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ .

(3094) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद और अस्वद बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं, हमने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मुज़्दलिफ़ा में सुना वो कह रहे थे मैंने यहाँ उस शख़्सियत से जिस पर सूरह बक़रह उतरी है सुना, वो कह रहे थे, 'लब्बैक अल्लाहुम्-म लब्बैक।' फिर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने तल्बिया कहना शुरू किया और हमने भी आप (रज़ि.) के साथ तल्बिया कहा।

फ़ायदा : जम्र-ए-अक़बा पर रमी करना वाजिब है, अगर वो रह जाये तो एक जानवर की क़ुर्बानी ज़रूरी है। जुम्हूर के नज़दीक कंकरियों की तादाद सात है और उनको अलग-अलग फेंका जायेगा और हर एक के साथ अल्लाहु अकबर कहा जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अगर तीन या उससे ज़्यादा कंकरियाँ रह जायें तो एक जानवर की क़ुर्बानी ज़रूरी है, चाहे तीन से कम हों तो हर कंकरी पर गन्दुम देनी होगी। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक निस्फ़ साअ और शाफ़ेई के नज़दीक पूरा साअ।

बाब 49 : अरफ़ा के दिन मिना से अरफ़ात जाते हुए तल्बिया और तकबीर कहना

باب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ

(3095) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मिना से अरफ़ात की तरफ़ चले, हममें से कुछ तल्बिया कह रहे थे और कुछ तकबीर कह रहे थे।

(अबू दाऊद : 1816)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالاَ، جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ. أَبِي سَلَمَةَ عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ .

(3096) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, हम अरफ़ात की सुबह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे, हममें से कुछ अल्लाहु अकबर कह रहे थे और कुछ ला इला-ह इल्लल्लाह कह रहे थे, लेकिन हम अल्लाहु अकबर कह रहे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह के शागिर्द कहते हैं, मैंने उस्ताद से कहा, अल्लाह की क़सम! आप पर इन्तिहाई तअज्जुब है कि आपने उनसे ये नहीं पूछा, आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये करते देखा?

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ.

(3097) मुहम्मद बिन अबी बक्र स़क़फ़ी ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा जबकि दोनों मिना से अरफ़ात की तरफ़ जा रहे थे आप हज़रात इस दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ क्या किया करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, हममें से तहलील कहने वाला ला इला-ह इल्लल्लाह कहता, उसको कोई न टोकता और हममें से तकबीर कहने वाला अल्लाहु अकबर कहता, उसे कोई न रोकता।

(सहीह बुख़ारी : 1659, नसाई : 5/250, 5/251, इब्ने माजह : 3008)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

(3098) मुहम्मद बिन अबी बक्र (रह.) बयान करते हैं मैंने अरफ़े की सुबह हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, आप इस दिन तल्बिया कहने के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, मैंने ये मसाफ़त या सफ़र रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथियों के साथ तय किया है हममें से कोई अल्लाहु अकबर कह रहा था और कोई ला इला-ह इल्लल्लाह कह रहा था और हममें से कोई दूसरे साथी पर ऐतराज़ नहीं कर रहा था।

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ وَلاَ يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

फ़ायदा : मिना से अरफ़ात की तरफ़ जाते हुए तल्बिया, तकबीर और ला इला-ह इल्लल्लाह कहना दुरुस्त है।

باب الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلاَتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ

बाब 50 : अरफ़ात से मुज़्दलिफ़ा आकर उस रात मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ें जमा करके मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना मुस्तहब है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ . قَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " . فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

(3099) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से वापस लौटे जब घाटी के पास पहुँचे तो सवारी से उतरकर पेशाब किया, फिर वुज़ू किया और पूरा वुज़ू नहीं किया (हल्का वुज़ू किया) मैंने आप (ﷺ) से पूछा, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ आगे है।' और सवार हो गये। जब मुज़्दलिफ़ा पहुँचे, उतरकर वुज़ू किया और कामिल वुज़ू किया, फिर तकबीर कही गई और आपने मग़रिब की नमाज़ अदा की, फिर हर इंसान ने अपना ऊँट अपनी जगह पर बिठाया, फिर इशा की तकबीर कही गई, आपने इशा पढ़ी और दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी : 1667, 1672, अबू दाऊद : 1925, नसाई : 5/259, 3025)

फ़ायदा : मुज़्दलिफ़ा पहुँचकर मग़रिब और इशा की नमाज़ों को इशा के वक़्त जमा करके पढ़ना मस्नून है। इस बारे में तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है और इन दोनों के दरम्यान वक़्फ़ा जाइज़ है। लेकिन मस्नून ये है कि इस वक़्फ़े में कोई सुन्नत या नफ़ल नमाज़ न पढ़ी जाये, सुन्नत यही है कि मग़रिब और इशा की नमाज़ों को इशा के वक़्त मुज़्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ा जाये, लेकिन अगर कोई शख़्स रास्ते में उन्हें मग़रिब के वक़्त जमा करके पढ़ ले या अपने-अपने वक़्त पर तो ये भी जाइज़ है, अगरचे बेहतर नहीं है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और कुछ दूसरे हज़रात का यही मौक़िफ़ है। उनके

नज़दीक जमा बैनस्सलातैन सफ़र की वजह से है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी, दाऊद ज़ाहिरी और कुछ मालिकी उलमा के नज़दीक मग़्रिब व इशा की नमाज़ों का मुज़्दलिफ़ा से पहले पढ़ना या इशा के वक़्त से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं है। अगर कोई पढ़ ले तो उसके लिये ज़रूरी है कि सूरज निकलने से पहले-पहले उनका इआदा कर ले, क्योंकि उनको जमा करके पढ़ना मनासिके हज में दाख़िल है (इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक तुलूअे फ़ज्र से पहले इआदा न कर सके तो इआदा नहीं कर सकेगा)।

وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشِّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ أَتُصَلِّي فَقَالَ " الْمُصَلَّى أَمَامَكَ " .

(3100) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से वापसी के वक़्त क़ज़ाए हाजत के लिये किसी घाटी में गये। फिर मैंने आप (ﷺ) के वुज़ू के लिये पानी डाला और पूछा, क्या आप नमाज़ पढ़ेंगे? आपने फ़रमाया, 'नमाज़गाह आगे है।'

وَحدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةُ أَرَاقَ الْمَاءَ - قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ - قَالَ - فَقُلْتُ

(3101) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से वापस लौटे, जब घाटी के पास पहुँचे तो उतरकर पेशाब किया (हज़रत उसामा ने पेशाब के लिये पानी बहाया का इशारा नहीं किया) आप (ﷺ) ने पानी मंगवाकर वुज़ू किया, लेकिन वुज़ू में तक्मीले मर्रात नहीं किया। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ना चाहते हैं? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ आगे है।' फिर चल पड़े और मुज़्दलिफ़ा पहुँचकर मग़्रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी।

يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةَ . قَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " . قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جِئْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ وَبَالَ - وَمَا قَالَ أَهَرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةَ . فَقَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " . فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَصَلَّى ثُمَّ حَلُّوا قُلْتُ فَكَيْفَ فَعَلْتُمْ حِينَ أَصْبَحْتُمْ قَالَ رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سُبَّاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَىَّ .

(3102) कुरेब (रह.) कहते हैं मैंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से पूछा, जब आप अरफ़ा की शाम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवार हुए थे तो आपने क्या किया था? उन्होंने जवाब दिया, हम उस घाटी पर पहुँचे जहाँ लोग मग़रिब के लिये ऊँटों को बिठाते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी ऊँटनी बिठाकर पेशाब किया (उसामा ने पानी बहाया नहीं कहा) फिर पानी मंगवाया और ख़फ़ीफ़ वुज़ू किया (तीन बार नहीं किया) तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़नी है? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ आगे है।' फिर सवार होकर मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। आपने मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने अपनी जगहों में ऊँट बिठाये, पालान नहीं खोले, यहाँ तक कि इक़ामत कहलवाकर नमाज़े इशा पढ़ी। फिर लोगों ने पालान खोले। मैंने पूछा, सुबह के वक़्त आपने कैसे किया? उन्होंने कहा, फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) आपके साथ सवार हो गये और मैं तो उसके पहले जाने वालों के साथ पैदल चल पड़ा।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ

(3103) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) उस दर्रे पर पहुँचे जहाँ (बनू उमय्या के) उमरा

أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الأُمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ - وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ - ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلاَةَ . فَقَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " .

(रईस लोग) उतरते हैं, उतरकर आपने पेशाब किया (उसामा ने बाल कहा, अहराक़ नहीं कहा) फिर आपने पानी तलब फ़रमाया और हल्का-फुल्का वुज़ू किया। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ना चाहते हैं? आपने फ़रमाया, 'नमाज़ आगे है।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

(3104) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से रिवायत है जब रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से लौटे हैं तो वो आपके पीछे सवार थे जब आप (ﷺ) घाटी पर पहुँचे तो अपनी सवारी को बिठाया, फिर क़ज़ाए हाजत के लिये गये। जब आप वापस आये तो मैंने बर्तन से आप पर पानी डाला और आप (ﷺ) ने वुज़ू किया। फिर आप सवार होकर मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये और मग़रिब व इशा की नमाज़ों को जमा किया।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ قَالَ أُسَامَةُ فَمَازَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا .

(3105) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से लौटे, उसामा आपके पीछे सवार थे। उसामा ने बताया, आप (ﷺ) मामूल के मुताबिक़ चलते रहे, यहाँ तक कि मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये।
(सहीह बुख़ारी : 1543, नसाई : 5/257)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، - قَالَ أَبُو

(3106) हिशाम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मेरी मौजूदगी में उसामा से पूछा गया या मैंने उसामा बिन ज़ैद से पूछा, रसूलुल्लाह

الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ، أَوْ قَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ .

(ﷺ) ने उसे अरफ़ात से वापसी पर अपने पीछे सवार किया था, मैंने पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) अरफ़ात से वापसी के वक़्त कैसे चलते थे? उन्होंने जवाब दिया, मामूली तेज़ रफ़्तार चल रहे थे, जब कुछ कुशादा जगह आती तो तेज़ी में इज़ाफ़ा कर देते थे।

(सहीह बुख़ारी : 1666, 2999, 4413, अबू दाऊद : 1923, नसाई : 5/259, 5/267, इब्ने माजह : 3017)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَحُمَيْدُ، بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ حُمَيْدٍ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ .

(3107) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं जिसमें हुमेद की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, नस्स में अनक़ से तेज़ी ज़्यादा है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

(3108) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) बयान करते हैं उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर मग़रिब और इशा की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी : 1674, 4414, नसाई : 1/291, 5/260, इब्ने माजह : 3020)

. وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . قَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، وَكَانَ، أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .

(3109) मुसन्निफ़ यही रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं, जिसमें इब्ने रुम्ह अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी के बारे में ये बताते हैं कि वो इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के दौरे हुकूमत में कूफ़ा के गवर्नर थे।

(3110) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मग़रिब और इशा की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में जमा करके अदा फ़रमाई।

(अबू दाऊद : 1926, नसाई : 1/291)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا .

(3111) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ों को जमा करके पढ़ा, दोनों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। मग़रिब की तीन रकआत पढ़ीं और इशा की दो रकअतें पढ़ीं। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) मुज़्दलिफ़ा में नमाज़ इसी तरह पढ़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिले, वफ़ात पा गये।

(नसाई : 5/260)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ . فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى .

(3112) सईद बिन जुबैर ने मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक तकबीर से अदा कीं, फिर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के बारे में बताया उन्होंने ये नमाज़ें इसी तरह (एक तकबीर से) पढ़ीं और इब्ने उमर (रज़ि.) ने बताया, नबी (ﷺ) ने ऐसे ही किया था।

(अबू दाऊद : 1930, 1931, 1932, तिर्मिज़ी : 888, नसाई : 1/240, 2/16, 1/291, 5/260)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ صَلاَّهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

(3113) इमाम साहब ने यही रिवायत एक दूसरे उस्ताद से नक़ल की है कि आपने दोनों नमाज़ें एक इक़ामत से पढ़ीं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ .

(3114) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा को जमा किया, मग़रिब की तीन रकअतें और इशा की दो रकअतें एक इक़ामत से पढ़ीं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي، خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ .

(3115) सईद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं, हम इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ वापस मुज़्दलिफ़ा पहुँचे, उन्होंने हमें मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक इक़ामत से पढ़ाईं। फिर पलटकर बतलाया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस जगह हमें इसी तरह नमाज़ पढ़ाई थी।

फ़ायदा : इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इब्ने हज़म के नज़दीक मुज़्दलिफ़ा में दोनों नमाज़ों को एक अज़ान और दो तकबीरों के साथ अदा करना मस्नून है। इमाम ज़ुफ़र और इमाम तहावी का मौक़िफ़ भी यही है। कुछ अहनाफ़ के नज़दीक दोनों के लिये एक अज़ान और एक इक़ामत है। इमाम अहमद के एक क़ौल के मुताबिक़ और इमाम ख़रक़ी और इब्ने मुन्ज़िर का क़ौल भी यही है, बिला अज़ान हर नमाज़ के लिये अलग-अलग तकबीर है। इमाम मालिक के नज़दीक हर नमाज़ के लिये अलग अज़ान और अलग तकबीर है। ये इब्ने उमर, उमर और इब्ने मसऊद (रज़ि.) का अमल है, इसके बारे में कोई मरफ़ूअ रिवायत नहीं है।

बाब 51 : मुज़्दलिफ़ा में क़ुर्बानी के दिन, सुबह के यक़ीनी तुलूअ के बाद ग़लस (अन्धेरे) में मुबालग़ा करते हुए सुबह की नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा है

باب اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّغْلِيسِ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالَغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ

(3116) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को हर नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ते देखा है मगर दो नमाज़ें, मग़रिब और इशा की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में और आपने उस दिन सुबह की नमाज़ (आम मामूल से पहले) वक़्त से पहले पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी : 1682, अबू दाऊद : 1934, नसाई : 5/254, 5/260, 5/262, 1/291)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ لِمِيقَاتِهَا إِلاَّ صَلاَتَيْنِ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَ .

(3117) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों से नक़ल करते हैं, इसमें है (आम दिनों से) ज़्यादा अन्धेरे में पढ़ी।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَ بِغَلَسٍ .

फ़ायदा : इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने अय्यामे हज (हज के दिनों) की नमाज़ों के बारे में आपका मामूल नक़ल किया है कि आपने मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ जमा की और सुबह की नमाज़ आम दिनों से ज़्यादा अन्धेरे में तुलूए फ़ज्र के फ़ौरन बाद पढ़ ली, लेकिन इस हदीस से ये इस्तिदलाल करना कि सिर्फ़ मुज़्दलिफ़ा में आपने सुबह की नमाज़ अन्धेरे में पढ़ी है। आगे-पीछे ख़ूब रोशनी फैलने के बाद पढ़ते थे या मुज़्दलिफ़ा के सिवा कहीं दो नमाज़ें जमा नहीं की। ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की दूसरी रिवायत के मुनाफ़ी है कि आपने अरफ़ात में भी ज़ुहर और असर को ज़ुहर के वक़्त में जमा किया था। इसलिये जब दूसरी सहीह रिवायात से हमेशा

सुबह का अन्धेरे में पढ़ना साबित है या दो नमाज़ों का जमा करना साबित है, तो उनको नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। मुज़्दलिफ़ा में आप (ﷺ) ने अन्धेरे के उस वक़्त से भी पहले नमाज़ अदा फ़रमाई जिसमें रोज़ाना अदा की।

बाब 52 : कमज़ोर औरतों और बच्चों को रात के आख़िरी हिस्से में भीड़ से पहले मुज़्दलिफ़ा से मिना भेजना मुस्तहब है और बाक़ी के लिये यही बेहतर है कि वो वहीं ठहरें और सुबह की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ें

باب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعَفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى فِي أَوَاخِرِ اللَّيَالِي قَبْلَ زَحْمَةِ النَّاسِ وَاسْتِحْبَابِ الْمُكْثِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةَ

(3118) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत सौदा (रज़ि.) ने मुज़्दलिफ़ा की रात रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त तलब की कि वो आपसे पहले और लोगों के धक्कम पेल से पहले (मिना) चली जायें, क्योंकि वो भारी भरकम औरत थीं (क़ासिम ने सबितत का मानी सक़ीलह भारी जिस्म किया है) तो आपने उसे इजाज़त मरहमत फ़रमा दी, तो वो आपकी वापसी से पहले रवाना हो गई और आपने हमें सुबह तक रोके रखा और हम आप (ﷺ) के साथ वापस आये, ऐ काश! मैं भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त तलब कर लेती, जिस तरह सौदा (रज़ि.) ने इजाज़त माँग ली थी और मैं इजाज़त लेकर वापस रवाना होती तो ये मेरे लिये हर ख़ुशकुन बात से ज़्यादा पसन्दीदा चीज़ होती।

(सहीह बुख़ारी : 1681)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ - عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَالَ فَأَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ وَلأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .

फ़ायदा : इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़ वग़ैरह के नज़दीक मुज़्दलिफ़ा में ठहरना वाजिब है, यानी अगर रह जाये तो एक जानवर की क़ुर्बानी ज़रूरी है। इमाम मालिक के नज़दीक ये सुन्नत है। इसलिये रह जाये तो क़ुर्बानी ज़रूरी नहीं है। अल्क़मा, नख़ई, शअबी और इब्ने ख़ुज़ैमा के नज़दीक ये हज का रुक्न है, इसके बग़ैर हज नहीं होगा। ये वुक़ूफ़ मशअरे हराम के पास बेहतर है और वादी मुहस्सिर के सिवा, वुक़ूफ़ मुज़्दलिफ़ा के पूरे मैदान में हो सकता है। बेहतर है क़ियाम पूरी रात किया जाये और सुबह की नमाज़ के बाद जब ख़ूब रोशनी फैल जाये तो सूरज निकलने से पहले मिना को रवाना हो जाये। अल्बत्ता औरतों, बच्चों और बूढ़े मर्दों के लिये सुबह की नमाज़ से पहले, रात का तिहाई हिस्सा गुज़रने के बाद रवानगी की इजाज़त है। बाक़ी अफ़राद के लिये कितनी देर ठहरना वाजिब है, इसमें इख़्तिलाफ़ है इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक आधी रात तक ठहरना वाजिब है। इमाम मालिक के नज़दीक कुछ वक़्त ठहरना वाजिब, अगर मुज़्दलिफा में रात को गुज़ारा, लेकिन वुक़ूफ़ न किया तो उस पर दम (क़ुर्बानी) है। (अल्मुग़नी लिइब्ने क़ुदामा जिल्द 5 पेज नं. 285 फ़तहुर्रब्बानी के मुसन्निफ़ ने इमाम मालिक के नज़दीक वुक़ूफ़ को सुन्नत क़रार दिया है) और साहिबे हिदाया ने वुक़ूफ़े मुज़्दलिफ़ा को इमाम शाफ़ेई के नज़दीक रुक्न क़रार दिया है, इस तरह अइम्मा के मसालिक नक़ल करने में मुसन्निफ़ीन के दरम्यान इख़्तिलाफ़ मौजूद है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، -قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُفِيضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامِ .

(3119) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत सौदा (रज़ि.) भारी-भरकम जिस्म की औरत थीं, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुज़्दलिफ़ा से रात के वक़्त वापस जाने की इजाज़त तलब की। आप (ﷺ) ने उसे इजाज़त दे दी। हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, ऐ काश! मैं भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त माँग लेती, जैसाकि सौदा (रज़ि.) ने इजाज़त तलब कर ली थी। हज़रत आइशा इमामे हज के साथ ही वापस जाया करती थीं।

(3120) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैं चाहती हूँ मैंने भी रसूलुलाह(ﷺ) से इजाज़त ले ली होती, जैसाकि आप(ﷺ) से सौदा (रज़ि.) ने इजाज़त ले ली थी, तो मैं भी सुबह की नमाज़ मिना में पढ़कर लोगों के आने से पहले जम्रह पर कंकरियाँ मार लेती। आइशा (रज़ि.) से पूछा गया, हज़रत सौदा (रज़ि.) ने आप(ﷺ) से इजाज़त ले ली थी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ! वो भारी-भरकम औरत थीं, इसलिये रसूलुल्लाह(ﷺ) से इजाज़त तलब की तो आपने उसे इजाज़त दे दी।

(नसाई : 5/266)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ . فَقِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنَتْهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنَ لَهَا

(3121) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से ऊपर वाली रिवायत बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1680, इब्ने माजह : 3027)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

(3122) हज़रत अस्मा के आज़ाद करदा गुलाम अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने मुझसे पूछा, जबकि वो मुज़्दलिफ़ा वाले घर के पास थीं, क्या चाँद गुरूब हो गया? मैंने कहा, नहीं। तो वो कुछ वक़्त तक नमाज़ पढ़ती रहीं।

(सहीह बुख़ारी : 1679)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهْىَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ . فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَىَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَتِ ارْحَلْ بِي . فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَىْ هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلَّسْنَا . قَالَتْ كَلاَّ أَىْ بُنَىَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِلظُّعُنِ .

وَحَدَّثنيه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهذا الإِسْنَادِ وَفِي رِوايَتِهِ قَالَتْ لاَ أَيْ بُنَيَّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ لِظُعُنِهِ .

(3123) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से नक़ल करते हैं, इस रिवायत में है हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने कहा, नहीं ऐ बेटा! नबी (ﷺ) ने अपनी बीवियों को इजाज़त दी थी।

حَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

(3124) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने उन्हें मुज़्दलिफ़ा से रात ही को रवाना कर दिया था।

(नसाई : 5/261, 5/262)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُغَلِّسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى . وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نُغَلِّسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ .

(3125) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम नबी (ﷺ) के ज़माने में अन्धेरे में ही जम्अ (मुज़्दलिफ़ा) से मिना की तरफ़ रवाना हो जाते थे और नाक़िद की रिवायत में मिन जमअ की जगह मिन मुज़्दलिफ़ा है (मुज़्दलिफ़ा को जम्अ और मशअरे हराम भी कह देते हैं)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ - مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .

(3126) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मुज़्दलिफ़ा से रात ही को सामान या कमज़ोरों (औरतों, बच्चों) के साथ भेज दिया था।

(सहीह बुख़ारी : 1357, 1678, 1856, 4587, अबू दाऊद : 1939, नसाई : 5/261)

(3127) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में से हूँ, जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने कमज़ोर घर वालों के साथ पहले भेज दिया था।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي، يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ، قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .

(3128) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में से था जिनको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने कमज़ोर घर वालों के साथ पहले भेज दिया था।

(नसाई : 5/261, 266, इब्ने माजह : 3026)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ .

(3129) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुज़्दलिफ़ा से सहरी के वक़्त अपने सामान के साथ रवाना कर दिया था। इब्ने जुरैज कहते हैं, मैंने अ़ता से पूछा, क्या आप तक ये रिवायत पहुँची है कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, मुझे रात रहते भेजा? उसने जवाब दिया, नहीं। मगर ये अल्फ़ाज़ कि सहर के वक़्त। मैंने उनसे पूछा, क्या इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, मैंने फ़ज्र से पहले कंकरियाँ फेंकी और उन्होंने फ़ज्र की नमाज़ कहाँ पढ़ी? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने ऊपर वाले अल्फ़ाज़ ही कहे।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ أَبَلَغَكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بِلَيْلٍ طَوِيلٍ قَالَ لاَ إِلاَّ كَذَلِكَ بِسَحَرٍ . قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ . وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ لاَ إِلاَّ كَذَلِكَ .

(3130) सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) अपने ज़ईफ़ घर वालों को पहले

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ

ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

रवाना कर देते थे, वो मुज़्दलिफ़ा में रात को मशअ़रे हराम के पास ठहर जाते और जब तक चाहते अल्लाह का ज़िक्र करते, फिर वो इमाम के (मशअ़रे हराम में) वुक़ूफ़ और रवानगी से पहले चल पड़ते, उनमें से कुछ मिना में नमाज़े फ़ज्र के वक़्त पहुँच जाते और कुछ उसके बाद पहुँचते, जब वो पहुँच जाते तो जम्रह को कंकरियाँ मारते, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते थे उनको (ज़ईफ़ों को) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इजाज़त दी है।
(सहीह बुख़ारी : 1676)

फ़ायदा : क़ुर्बानी के दिन जम्रा-ए-अक़बा को सूरज निकलने के बाद कंकरियाँ मारना बिल्इत्तिफ़ाक़ अफ़ज़ल है, लेकिन कमज़ोर लोग जो रात को मिना पहुँच जाते हैं, वो अगर आधी रात के बाद कंकरियाँ मारें तो इमाम अ़ता इब्ने अबी लैला और शाफ़ेई के नज़दीक जाइज़ है। इमाम अहमद, इमाम मालिक, इस्हाक़ और अहनाफ़ के नज़दीक तुलूअ़े फ़ज्र के बाद फेंकना जाइज़ है, लेकिन इमाम मुजाहिद, सौरी और नख़ई के नज़दीक तुलूअ़े शम्स के बाद ही रमी करना होगा।

باب رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَتَكُونُ مَكَّةُ عَنْ يَسَارِهِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

बाब 53 : जम्रा-ए-अक़बा पर कंकरियाँ वादी के अंदर से मारी जायेंगी, मक्का बायें तरफ़ होगा और हर कंकरी के साथ तकबीर कहनी होगी

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ

(3131) अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने जम्रा-ए-अक़बा को वादी के अंदर से सात कंकरियाँ मारीं, वो हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से पूछा गया, कुछ लोग इसके ऊपर से कंकरियाँ

حَصَاةٍ . قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

मारते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, उस ज़ात की क़सम! जिसके सिवा कोई लायक़े बन्दगी नहीं, ये उसके मारने की जगह है, जिस पर सूरह बक़रह उतरी।

(सहीह बुख़ारी : 1747, 1748, 1749, 1750, अबू दाऊद : 1974, तिर्मिज़ी : 901, नसाई : 5/273-274, इब्ने माजह : 3030)

وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلِّفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلَّفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ . قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِهِ فَسَبَّهُ وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ - قَالَ - فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

(3132) इमाम आमश से रिवायत है, मैंने हज्जाज बिन यूसुफ़ से सुना, जबकि वो मिम्बर पर ख़ुत्बा दे रहा था, क़ुरआन को उस तरह मुरत्तब करो जिस तरह उसे जिब्रईल ने मुरत्तब किया था, वो सूरह जिसमें आले इमरान का तज़्किरा किया गया है। आमश कहते हैं, मेरी इब्राहीम से मुलाक़ात हुई मैंने उसे हज्जाज की बात बताई। उसने हज्जाज को बुरा-भला कहा और कहा, मुझे अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने बताया कि मैं अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) के साथ था, वो जम्रा-ए-अक़बा के पास आये। वादी के अंदर चले गये और जम्रा-ए-अक़बा की तरफ़ रुख़ करके वादी के अंदर से सात कंकरियाँ मारीं, वो हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। मैंने पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! लोग तो जम्रह के ऊपर से कंकरियाँ मारते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, उस ज़ात की क़सम जिसके सिवा कोई लायक़े इबादत नहीं! यही जगह है (जहाँ से) उस ज़ात ने कंकरियाँ मारीं जिन पर सूरह बक़रह उतरी थी।

फ़ायदा : हज्जाज बिन यूसुफ़ का मौक़िफ़ ये था कि सूरह बक़रह सूरह निसा या सूरह आले इमरान नहीं कहना चाहिये बल्कि ये कहना चाहिये वो सूरह जिसमें बक़रह का तज़्किरा है, वो सूरह जिसमें निसा का तज़्किरा है, वो सूरह जिसमें आले इमरान का ज़िक्र है। इमाम इब्राहीम नख़ई का मक़सद है इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है जबकि हुज़ूर (ﷺ) ने इनको सूरह बक़रह, सूरह निसा वग़ैरह के नाम से याद किया है, बाक़ी कुरआन मजीद की सूरतों और आयतों की तर्तीब और मुस्हफ़ की इशाअत तो हज़रत उ़समान (रज़ि.) की है। हज्जाज बिन यूसुफ़ बनू उमय्या का गवर्नर होकर इसकी मुख़ालिफ़त कैसे कर सकता था और आयात व सूरतों की तर्तीब तौक़ीफ़ी है, जिस तरह अल्लाह तआला के हुक्म से जिब्रईल (अलै.) ने आपको बताया, आपने उसके मुताबिक़ आयतों और सूरतों को मुरत्तब किया। सिर्फ़ सूरह अन्फ़ाल और सूरह तौबा के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि इनकी तर्तीब तौक़ीफ़ी है या हज़रत उ़समान (रज़ि.) का इज्तिहाद है और कंकरियाँ मारना जुम्हूर के नज़दीक वाजिब है। अगर किसी शख़्स ने जम्रा-ए-अक़बा को कंकरियाँ नहीं मारीं, यहाँ तक कि अय्यामे तशरीक़ भी गुज़र गये तो उसका हज सहीह होगा, लेकिन उसको एक जानवर क़ुर्बान करना होगा। अहनाफ़ का मौक़िफ़ भी यही है लेकिन कुछ मालिकियों के नज़दीक रमी रुक्न है, इसलिये इसके बग़ैर हज नहीं होगा। कंकरियाँ मारने वाला अक़बा की तरफ़ रुख़ करके इस तरह खड़ा होगा कि मक्का मुकर्रमा उसके बायें हो और मिना दायें। अब वादी के अंदर से मारने का मसला नहीं रहा। क्योंकि वहाँ साफ़-शफ़्फ़ाफ़ सड़कें बन चुकी हैं, अब कंकरियाँ अल्लाहु अकबर कहकर अलग-अलग जम्रह के दायरे के अंदर फेंकनी होंगी, अगर सब कंकरियाँ एक बार फेंक देगा तो अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक एक कंकरी शुमार होगी।

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يَقُولُ لاَ تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ . وَاقْتَصَّا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ .

(3133) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं, इसमें है मैंने हज्जाज से सुना वो कह रहा था सूरह बक़रह न कहो, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ،

(3134) अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के साथ हज किया, उन्होंने जम्रह पर सात कंकर मारे, बैतुल्लाह को बायें तरफ़ किया और मिना को दायें तरफ़ और

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

फ़रमाया, ये उसके खड़े होने की जगह है, जिस पर सूरह बक़रह उतरी थी।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

(3135) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं इसमें है जब वो जम्रा–ए–अक़बा पर पहुँचे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاةِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ يَزِيدَ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ - قَالَ - فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

(3136) अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा गया, कुछ लोग जम्रह पर कंकरियाँ अक़बा के ऊपर से मारते हैं? तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने वादी के अंदर से कंकरियाँ मारकर कहा, यहाँ से उस ज़ात की क़सम जिसके सिवा कोई इलाह नहीं! उस शख़्स ने कंकरियाँ मारीं थीं, जिस पर सूरह बक़रह नाज़िल की गई है।

फ़ायदा : जम्रा–ए–अक़बा, जिसको जम्रा–ए–कुब्रा भी कहते हैं, मक्का की तरफ़ मिना से आख़िरी जम्रह है और क़ुर्बानी के दिन सिर्फ़ इसको कंकरियाँ मारनी होती हैं, लेकिन कंकरियाँ मारने के बाद यहाँ रुक कर दुआ नहीं की जाती।

बाब 54 : क़ुर्बानी के दिन सवार होकर जम्रा–ए–अक़बा की रमी करना बेहतर है और नबी (ﷺ) का फ़रमान है, 'मुझसे अपने हज के अहकाम सीख लो।'

باب اسْتِحْبَابِ رَمْىِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا وَبَيَانِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ»

(3137) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने क़ुर्बानी के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) को सवारी पर कंकरियाँ मारते देखा और आप (ﷺ) फ़रमा रहे थे, 'मुझसे हज के अहकाम सीख लो, क्योंकि मैं नहीं जानता शायद इस हज के बाद मैं हज न कर सकूँ।'
(अबू दाऊद : 1970, नसाई : 5/270)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، - قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى، - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ " لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ " .

फ़ायदा : जिस दौर में लोग ऊँट पर सवार होकर हज करते थे, उसके मुताबिक़ क़ुर्बानी के दिन सवार होकर रमी करना ही बेहतर था, लेकिन अब ये सूरत नहीं रही है, इसलिये अब पैदल चलकर ही रमी करना होता है, इसके जाइज़ होने में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, चूंकि फ़र्ज़िय्यते हज के बाद आपका ये पहला हज था, जिसके आख़िरी होने के इशारात भी मौजूद थे, इसलिये आपने इसका ख़ुसूसी एहतिमाम फ़रमाया कि लोग आपको देखकर आपसे हज का तरीक़ा सीख सकें, इसलिये आपने बहुत से हज के काम ऊँट पर सवार होकर अदा किये ताकि लोग आपके तरीक़े को देख सकें और ज़रूरत हो तो पूछ भी सकें।

(3138) हज़रत उम्मे हुसैन (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने हज्जतुल वदाअ आपके साथ किया। मैंने आपको देखा, जब आपने जम्रा–ए–अक़बा पर कंकरियाँ मारीं और वापस

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي، أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ

الْحُصَيْنِ، قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ، حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَأُسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّمْسِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَوْلاً كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا "

पलटे तो आप अपनी सवारी पर थे। हज़रत बिलाल और उसामा (रज़ि.) आपके साथ थे, उनमें से एक आपकी सवारी आगे से पकड़कर चल रहा था और दूसरा धूप से बचाने के लिये अपना कपड़ा आपके सर पर बुलंद किये हुए था (आपको साया किये हुए था) आपने बहुत सी बातें फ़रमाईं। फिर मैंने आपसे सुना, आप फ़रमा रहे थे, 'अगर तुम पर एक नक्कटा (नक कटा) गुलाम (रावी के ख़याल के मुताबिक़) स्याह फ़ाम, अमीर मुक़र्रर कर दिया जाये और तुम्हारी क़यादत किताबुल्लाह के मुताबिक़ करे तो उसकी बात सुनना और उस पर अमल करना।'

(अबू दाऊद : 1834)

फ़वाइद : (1) हज में गर्मी से बचने के लिये छतरी इस्तेमाल करना या सायेबान के नीचे बैठना दुरुस्त है। एहराम की हालत में सर पर कपड़ा वग़ैरह रखना जाइज़ नहीं है। (2) अगर हाकिमे आला की तरफ़ से, किसी ऐसे इंसान को किसी इलाक़े या महकमे (डिपार्टमेन्ट) का सरबराह बना दिया जाये जो दुनियवी ऐतबार से किसी बुलंद व बाला ख़ानदान का न हो या शख़्सी वजाहत और हुस्नो-जमाल से महरूम हो, लेकिन काम क़ुरआन व सुन्नत की रोशनी में करता हो तो उसकी इताअत व फ़रमांबरदारी फ़र्ज़ है, उसके ख़िलाफ़ बग़ावत करना जाइज़ नहीं है। अगर उसके अहकाम और आमाल दीन के मुनाफ़ी हैं, तो फिर उसकी इताअत नहीं की जायेगी।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ، بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ، جَدَّتِهِ قَالَتْ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلاَلاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ

(3139) हज़रत उम्मे हुसैन (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने हज्जतुल वदाअ आपके साथ किया और मैंने बिलाल और उसामा (रज़ि.) को देखा, उनमें से एक आपकी ऊँटनी की महार को पकड़े हुए था और दूसरा अपना कपड़ा बुलंद करके आपको गर्मी से साया किये हुए था, यहाँ तक कि आपने जम्रा—ए—

صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . قَالَ مُسْلِمٌ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ الأَعْوَرُ .

अ़क़बा पर कंकरियाँ मारीं। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, अबू अ़ब्दुर्रहीम का नाम ख़ालिद बिन अबी यज़ीद है और ये मुहम्मद बिन सलमा का मामू है, वकीअ़ और हज्जाज आवर उसके शागिर्द हैं।

باب اسْتِحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ

बाब 55 : बेहतर ये है कि जम्रह फेंकने की कंकर, चुटकी से फेंके जाने वाली कंकरी के बराबर हो

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ .

(3140) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को जम्रह चुटकी से फेंके जाने वाली कंकरी से मारते देखा।
(तिर्मिज़ी : 897, नसाई : 5/274)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, जम्रात मारने के लिये छोटी कंकरियाँ जो मटर के दाने के बराबर या उससे थोड़ी सी बड़ी हों इस्तेमाल करना चाहिये, बड़े कंकर, जूते वग़ैरह मारना दुरुस्त नहीं है।

باب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمْيِ

बाब 56 : कंकरियाँ मारने का बेहतर वक़्त

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، وَابْنُ، إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ، جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(3141) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन जम्रा-ए- अ़क़बा पर कंकरियाँ चाश्त के वक़्त मारीं और बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद।
(अबू दाऊद : 1971, तिर्मिज़ी : 894, नसाई : 3063, इब्ने माजह : 5/270)

(3142) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद से भी हज़रत जाबिर (रज़ि.) से नबी (ﷺ) का यही तरीक़ा बयान किया है।

وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

फ़ायदा : जुम्हूर के नज़दीक कुर्बानी के दिन सूरज चढ़ने के बाद कंकरियाँ मारना अफ़ज़ल है और बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद। अगर अय्यामे तशरीक़ में सूरज ढलने से पहले कंकरियाँ मारेगा तो अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक कंकरियाँ दोबारा मारनी होंगी, तीसरे दिन अहनाफ़ और इमाम अहमद के नज़दीक सूरज ढलने से पहले कंकरियाँ मार सकता है, लेकिन रवानगी, सूरज ढलने के बाद होगी।

बाब 57 : हर जम्रह पर कंकरियाँ सात मारनी होंगी

باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

(3143) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: इस्तिन्जा में ढेले ताक़ हों और जम्रात पर कंकरियाँ ताक़ मारी जायें, सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई ताक़ बार हो और तवाफ़ ताक़ बार हो और तुममें से कोई जब इस्तिन्जा करे ताक़ ढेले इस्तेमाल करे।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الاِسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَرَمْىُ الْجِمَارِ تَوٌّ وَالسَّعْىُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : तव्वुन : का मानी ताक़ है।

फ़ायदा : हर जम्रह पर कंकरियाँ सात मारनी होंगी और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहा जायेगा। जम्रा–ए–अक़बा के सिवा, हर जम्रह पर खड़े होकर क़िब्ला रुख़ होकर हाथ उठाकर दुआ की जायेगी, अगर कंकरियाँ सात से कम मारेगा, तो उसके बारे में तफ़सील हदीस़ नम्बर 271 के फ़ायदे में गुज़र चुकी है।

बाब 58 : सर मुण्डवाना, बाल कटाने से अफ़ज़ल है और बाल कटवाना जाइज़ है

باب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

(3144) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सर मुण्डवाया और आपके साथियों में से एक गिरोह ने सर मुण्डवाया और कुछ ने बाल कटवाये। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर रहम फ़रमा।' एक बार फ़रमाया या दो बार, फिर फ़रमाया,. 'और बाल कटवाने वालों पर भी।'

(सहीह बुख़ारी : 1727, तिर्मिज़ी : 913)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ - مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ - وَالْمُقَصِّرِينَ ".

(3145) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ की, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर रहम फ़रमा।' लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! और बाल कटवाने वालों पर? आप (ﷺ) ने फिर दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर रहम फ़रमा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! और बाल कटवाने वालों पर? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'और बाल कटवाने वालों पर भी।'

(सहीह बुख़ारी : 1727, अबू दाऊद : 1979)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَالْمُقَصِّرِينَ " .

(3146) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर रहम फ़रमा।' सहाबा ने अ़र्ज़ किया, और मुक़स्सिरीन बाल कटवाने वालों पर? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने दुआ की, 'अल्लाह सर मुण्डवाने वालों पर रहम फ़रमा।' सहाबा ने अ़र्ज़ किया, और बाल कटवाने वालों पर? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने दुआ फ़रमाई, 'और सर के बाल छोटे करवाने वालों पर भी।'
(इब्ने माजह : 3044)

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَالْمُقَصِّرِينَ " .

(3147) उबैदुल्लाह इसी सनद से बयान करते हैं और कहा, हदीस़ में है जब चौथी बार पूछा आपने फ़रमाया, 'और बाल कटवाने वालों पर।'

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ " وَالْمُقَصِّرِينَ " .

(3148) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों को माफ़ फ़रमा दे।' सहाबा ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! और बाल कटवाने वालों के लिये? आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों को माफ़ फ़रमा दे।' सहाबा ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! और बाल कटवाने वालों के लिये? आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह मुण्डवाने वालों को माफ़ फ़रमा दे।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ "

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ " وَلِلْمُقَصِّرِينَ " .

सहाबा ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! और बाल कटवाने वालों के लिये? तो आपने फ़रमाया, 'और बाल कटवाने वालों को भी।'
(सहीह बुख़ारी : 1728, इब्ने माजह : 3043)

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(3149) इमाम साहब एक और उस्ताद से ऊपर ज़िक्र किये गये मफ़्हूम के हदीस़ बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً . وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

(3150) यहया बिन हुसैन अपनी दादी से बयान करते हैं कि उसने नबी (ﷺ) से सुना, आपने हज्जतुल वदाअ़ में सर मुण्डवाने वालों के लिये तीन बार दुआ फ़रमाई और बाल कटवाने वालों के लिये एक बार। वकीअ़ (रह.) की रिवायत में हज्जतुल वदाअ़ का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

(3151) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जतुल वदाअ़ में सर मुण्डवाया था।
(सहीह बुख़ारी : 4410, 4411, अबू दाऊद : 1980)

फ़ायदा : सर मुण्डवाना बिल्इत्तिफ़ाक़ बाल कटवाने से अफ़ज़ल है और तहलीक़ व तक़सीर हज की इबादात में से एक इबादत है। अइम्म-ए-अरबआ़ का सहीह क़ौल यही है, एहराम खोलने के लिये हलक़ या तक़सीर वाजिब है।

इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इस्हाक़ वग़ैरह के नज़दीक अगर एहराम खोलने के बाद हलक़ या तक़सीर करेगा तो उसको एक जानवर की क़ुर्बानी करना होगी। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और अबू यूसुफ़ के नज़दीक, क़ुर्बानी के आख़िरी दिन तक तहलीक़ या तक़सीर कर सकता है, अगर इससे भी ताख़ीर करेगा तो इमाम अहमद के नज़दीक दम पड़ेगा।

इमाम अहमद और इमाम मालिक के नज़दीक पूरा सर मुण्डवाना फ़र्ज़ है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक चौथाई सर मुण्डवाना फ़र्ज़ है और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक तीन बाल मुण्डवाना फ़र्ज़ है। लेकिन आपका अमल ही हमारे लिये उस्वा है, आपने पूरा सर मुण्डवाया था और उ़मरह में बाल भी मुकम्मल कटवाये थे और औ़रतों के लिये सर मुण्डवाना जाइज़ नहीं है। लेकिन चंद बालों को कटवा लेना दुरुस्त है और हलक़ में इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा बाक़ी अइम्मा के नज़दीक सर के दायें हिस्से को पहले मुण्डवाना मुस्तहब है, अगर किसी के सर के बाल न हों, तो उसके सर पर उस्तरा फेर दिया जायेगा।

बाब 59 : क़ुर्बानी के दिन सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले जम्रा-ए-अ़क़बा पर रमी करे फिर क़ुर्बानी करे, फिर सर मुण्डवाये और सर मुण्डवाने वाले के सर को दायें तरफ़ से मूण्डना शुरू किया जाये

باب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ وَالاِبْتِدَاءِ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَحْلُوقِ

(3152) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना पहुँचने पर जम्रा-ए-अ़क़बा के पास आये और उसको कंकर मारे, फिर मिना में अपनी क़ियामगाह पर आये और क़ुर्बानी की। फिर हज्जाम से फ़रमाया, 'मूण्डो।' और अपनी दायें तरफ़ इशारा किया, फिर बायें तरफ़ आगे की, फिर अपने बाल लोगों को इनायत फ़रमाने लगे।

(अबू दाऊद : 1981, 1982, तिर्मिज़ी : 912)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ " خُذْ " . وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ .

(3153) इमाम साहब यही रिवायत अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं, अबू बक्र की रिवायत में है आप (ﷺ) ने हज्जाम से फ़रमाया, 'लो।' और इस तरह अपने हाथ से दायें तरफ़ इशारा किया और इस तरफ़ के बाल अपने क़रीब मौजूद लोगों में तक़सीम कर दिये। फिर हज्जाम को बायें तरफ़ इशारा किया, उसने उस तरफ़ को मूण्डा, तो आपने ये बाल उम्मे सुलैम (रज़ि.) को अता फ़रमाये। अबू कुरैब की रिवायत में है, उसने दायें तरफ़ से शुरू किया और आपने उन बालों को एक-एक, दो-दो करके लोगों में बांट दिया। फिर आपने बायें तरफ़ इशारा किया, उसने उसको भी इसी तरह मूण्ड दिया। फिर आपने पूछा, 'इधर अबू तलहा है?' और ये बाल अबू तलहा को दे दिये।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ، غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ لِلْحَلاَّقِ " هَا " . وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ - قَالَ - ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلاَّقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ . وَأَمَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَأَ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ " هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ " . فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ .

(3154) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जम्रा-ए- अक़बा पर कंकरियाँ मारीं, फिर ऊँटों की तरफ़ पलटकर उन्हें नहर (क़ुर्बानी) किया और हज्जाम बैठा हुआ था और आपने अपने हाथ से सर की तरफ़ इशारा किया, उसने आपके दायें तरफ़ के बाल मूण्डे। आपने क़रीब बैठे हुए लोगों में तक़सीम कर दिये। फिर फ़रमाया, 'दूसरी तरफ़ मूण्डो।' आपने पूछा, 'अबू तलहा कहाँ है?' और उस तरफ़ के बाल उसे दे दिये।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ " احْلِقِ الشِّقَّ الآخَرَ " . فَقَالَ " أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ " . فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ .

(3155) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जम्रा–ए–अक़बा पर कंकरियाँ मारीं और अपनी क़ुर्बानियाँ नहर कीं तो सर मूण्डवाया, सर मूण्डने वाले के सामने अपनी दायें तरफ़ की, उसने उसे मूण्ड दिया। फिर आपने अबू तलहा को तलब किया और वो बाल उसे दे दिये। फिर हज्जाम के सामने बायें तरफ़ करके फ़रमाया, 'मूण्ड।' उसने उसे भी मूण्ड दिया, वो बाल भी आपने अबू तलहा को दिये और फ़रमाया, 'लोगों में तक़सीम कर दो।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَّ الأَيْسَرَ فَقَالَ "احْلِقْ". فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ " اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ ".

फ़ायदा : क़ुर्बानी के दिन हज करने वाले को चार काम करने होते हैं और उनमें सुन्नत तरीक़ा ये है कि सबसे पहले मुज़्दलिफ़ा से आकर जम्रा–ए–अक़बा पर रमी करे, फिर क़ुर्बानी करे, फिर सर मूण्डवाये या बाल कटवाये, उसके बाद मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़े इफ़ाज़ा करे। मुतमत्तेअ उसके बाद सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करेगा। मुफ़रिद और क़ारिन अगर तवाफ़े क़ुदूम के बाद सई कर चुके हैं तो उन्हें अब सई की ज़रूरत नहीं है और अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक सुन्नत यही है कि सर मुण्डवाने वाले के सर के दायें जानिब से सर मूण्डने की शुरूआत की जायेगी। इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ़ बायें जानिब से शुरूआत मन्क़ूल है, लेकिन मुताख़्ख़िरीने अहनाफ़ के नज़दीक इमाम साहब ने अपने इस क़ौल से रुजूअ कर लिया था। नबी (ﷺ) के बाल अस्मत व तकरीम के हामिल थे, इसलिये उनको लोगों में बांट दिया गया, लेकिन अब ये मक़ाम किसी को हासिल नहीं है। हुज़ूर (ﷺ) के बाल उमर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने मूण्डे थे और आपने दायें तरफ़ के बाल दूसरे लोगों में बांटने के लिये अबू तलहा को दिये थे और बायें तरफ़ के बाल अबू तलहा को उम्मे सुलैम के लिये दिये थे, इसलिये एक रिवायत में उम्मे सुलैम को देने का तज़्किरा है।

बाब 60 : जिसने क़ुर्बानी से पहले सर मुण्डवा लिया या कंकरियाँ मारने से पहले क़ुर्बानी कर दी

باب مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمْيِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ، طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ . فَقَالَ " اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ " . ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ " . قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ " افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ " .

(3156) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज्जतुल वदाअ में मिना में लोगों के लिये ठहरे ताकि वो आपसे पूछ सकें। एक आदमी ने आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ला इल्मी में क़ुर्बानी करने से पहले सर मूण्ड लिया। आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'क़ुर्बानी कर। कोई हर्ज नहीं है।' फिर दूसरे ने आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे पता नहीं था मैंने कंकरियाँ मारने से पहले क़ुर्बानी कर ली? आपने फ़रमाया, 'कंकरियाँ मार, कोई हर्ज नहीं है।' रावी का बयान है, जिस चीज़ के भी मुक़द्दम या मुअख़्ख़र (आगे-पीछे) करने के बारे में सवाल किया गया आपने फ़रमाया, 'करो! कोई हर्ज नहीं है।'

(सहीह बुख़ारी : 1736, 1737, 1738, 6665, अबू दाऊद : 2014, तिर्मिज़ी : 916, इब्ने माजह : 3051)

फ़ायदा : अक्सर फ़ुक़हा मुहद्दिसीन के नज़दीक जिनमें इमाम शाफ़ेई, इस्हाक़, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद शामिल हैं, का मौक़िफ़ ये है कि क़ुर्बानी के दिन चारों कामों में तर्तीब सुन्नत है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अगर कोई शख़्स उस तर्तीब को भूल जाये, जो काम पहले का है, उसे बाद में और जो बाद का है उसे पहले कर ले, चाहे जान-बूझकर या भूलकर या न जानने की वजह से, उस पर कोई गुनाह या क़ुर्बानी नहीं है। जैसाकि आप (ﷺ) के फ़रमान, 'किसी क़िस्म का हर्ज नहीं है' से साबित हो रहा है। इमाम अहमद के नज़दीक भी तर्तीब सुन्नत है, अगर कोई शख़्स भूलकर या नावाक़िफ़ियत की

बिना पर उसे उलट दे, तो उसके ज़िम्मे कोई क़ुर्बानी नहीं है। लेकिन अगर वो जान-बूझकर उलटे, तो फिर इमाम अहमद से दो क़ौल मन्क़ूल हैं। एक की रू से उसके ज़िम्मे क़ुर्बानी है और दूसरे की रू से क़ुर्बानी नहीं है। हज़रत हसन बसरी, इब्राहीम नख़ई और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुफ़रिद के लिये इन तमाम कामों में तर्तीब सुन्नत है, लेकिन मुतमत्तेअ और क़ारिन के लिये रमी, क़ुर्बानी और हलक़ या तक़सीर के दरम्यान तर्तीब वाजिब है, उसके उलट जाने की सूरत में मुतमत्तेअ पर एक और क़ारिन पर दो जानवरों की क़ुर्बानी ज़रूरी है और ज़ुफ़र के नज़दीक तीन जानवरों की क़ुर्बानी करना होगी। इमाम मालिक के नज़दीक अगर क़ुर्बानी से पहले हजामत करा ले, तो उसके ज़िम्मे क़ुर्बानी नहीं है, लेकिन अगर रमी से पहले हजामत करा ले तो उसके ज़िम्मे क़ुर्बानी है। इमाम मालिक के नज़दीक अगर कोई शख़्स कंकरियाँ मारने से पहले तवाफ़े इफ़ाज़ा कर ले, तो एक क़ौल की रू से तवाफ़ हो जायेगा, मगर उसके ज़िम्मे क़ुर्बानी होगी, दूसरे क़ौल की रू से तवाफ़े इफ़ाज़ा का अपने वक़्त पर इआदा करना (लौटाना) होगा। बाक़ी अइम्मा के नज़दीक तवाफ़े इफ़ाज़ा हो जायेगा, क़ुर्बानी या इआदा की ज़रूरत नहीं है। असल बात ये है जो काम आपने जैसे किया है हमें वैसे ही करना चाहिये अपनी या किसी की राय को इख़्तियार नहीं करना चाहिये।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْىَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ الرَّمْىِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَارْمِ وَلاَ حَرَجَ " . قَالَ وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ . فَيَقُولُ " انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ " . قَالَ

(3157) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मिना में) अपनी सवारी पर वुक़ूफ़ किया (ठहरे), तो लोग आप (ﷺ) से पूछने लगे, उनमें से किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इल्म नहीं था कि रमी (कंकरियाँ) नहर (क़ुर्बानी) से पहले हैं, इसलिये मैंने रमी से पहले नहर किया? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'रमी कर लो और कोई हर्ज नहीं है।' दूसरा कहने लगा, मुझे मालूम नहीं था कि नहर, हलक़ (सर मूण्डने) से पहले है तो मैंने नहर से पहले हलक़ कर लिया? आपने फ़रमाया, 'नहर करो और कोई हर्ज नहीं है।' उस दिन, जिस ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया गया, जिसको भूल और

فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلاَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " افْعَلُوا ذَلِكَ وَلاَ حَرَجَ " .

नावाक़िफ़ियत की बिना पर आगे-पीछे किया गया है, तो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यही फ़रमाते सुना, 'ये काम कर लो और कोई हर्ज नहीं है।'

حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَى آخِرِهِ

(3158) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत एक और उस्ताद से नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلاَءِ الثَّلاَثِ قَالَ " افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ"

(3159) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ुर्बानी के दिन (दस ज़िल्हिज्जा) को ख़ुत्बा दे रहे थे कि इसी बीच में एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं नहीं समझता था कि फ़लाँ-फ़लाँ काम फ़लाँ-फ़लाँ काम से पहले है। फिर दूसरा आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा ख़याल था कि दोनों काम फ़लाँ-फ़लाँ से पहले हैं। उन तीनों कामों के बारे में कहा, (यानी रमी, नहर, हलक़) आपने जवाब दिया, 'कर लो! कोई हर्ज नहीं है।'

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرِوَايَةِ عِيسَى إِلاَّ قَوْلَهُ لِهَؤُلاَءِ الثَّلاَثِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ

(3160) इमाम साहब ऊपर ज़िक्र की गई रिवायत अपने दो उस्तादों अब्द बिन हुमेद और सईद बिन यहया उमवी से करते हैं, अब्द बिन हुमेद के उस्ताद इब्ने अबी बक्र की रिवायत तो (इन तीनों चीज़ों के बारे में के सिवा) क्योंकि उसने उनका ज़िक्र नहीं किया) ईसा की मज़्कूरा वाला रिवायत की

وَأَمَّا يَحْيَى الأُمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ

तरह है और यहया उमवी की रिवायत में है, मैंने नहर से पहले हलक़ किया, रमी से पहले नहर किया और इस जैसा काम।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ " فَاذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ" . قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ " .

(3161) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर एक आदमी ने कहा, मैंने क़ुर्बानी ज़िब्ह करने से पहले हलक़ कर लिया? आपने फ़रमाया, 'ज़िब्ह करो! कोई हर्ज नहीं है।' उसने कहा, कंकरियाँ मारने से पहले ज़िब्ह कर लिया? आपने फ़रमाया, 'कंकरियाँ मारो! कोई हर्ज नहीं है।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَاقَةٍ بِمِنًى فَجَاءَهُ رَجُلٌ . بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

(3162) इमाम साहब दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिना में ऊँटनी पर सवार देखा तो आपके पास एक आदमी आया, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ وَاقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . فَقَالَ

(3163) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना जबकि आप अक़बा के पास खड़े थे, क़ुर्बानी के दिन आपके पास एक आदमी आया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कंकरियाँ मारने से पहले सर मुण्डवा लिया? आपने फ़रमाया, 'कंकरियाँ मारो! कोई हर्ज नहीं है।' दूसरा आकर कहने लगा, मैंने रमी से पहले ज़िब्ह कर लिया? आपने फ़रमाया, 'रमी करो! कोई हर्ज नहीं है।' एक

" ارْمِ وَلاَ حَرَجَ " وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ " . وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . قَالَ " ارْمِ وَلاَ حَرَجَ " . قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ قَالَ " افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ " .

और आदमी आकर कहने लगा, मैंने रमी से पहले तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है? आपने फ़रमाया, 'रमी करो! कोई हर्ज नहीं है।' हज़रत अ़ब्दुल्लाह कहते हैं, मैंने नहीं देखा कि उस दिन आपने जब इसके सिवा कोई और जवाब दिया, 'करो! कोई हर्ज नहीं है।'

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْىِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ "لاَ حَرَجَ"

(3164) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) से ज़िब्ह, हलक़, रमी और तक़दीम व ताख़ीर के बारे में पूछा गया, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई हर्ज नहीं है।'
(सहीह बुख़ारी : 1734)

باب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

बाब 61 : तवाफ़े इफ़ाज़ा, क़ुर्बानी के दिन (10 ज़िल्हिज्जा) करना बेहतर है

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى . قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ .

(3165) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तवाफ़े इफ़ाज़ा नहर के दिन किया, फिर वापस आकर नमाज़े ज़ुहर मिना में पढ़ी। नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) तवाफ़े इफ़ाज़ा, नहर के दिन करते थे। (यौमुन्नहर से मुराद 10 ज़िल्हिज्जा का दिन होता है) फिर वापस आकर ज़ुहर की नमाज़ मिना में पढ़ते थे और नबी (ﷺ) का अ़मल यही बताते थे।
(अबू दाऊद : 1998)

(3166) अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन रफ़ीअ (रह.) बयान करते हैं मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, मुझे ऐसी बात की रोशनी में बताइये जो आपने बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से समझी हो कि आपने यौमुत्तरविया (8 ज़िल्हिज्जा) पानी पिलाने के दिन नमाज़े ज़ुहर कहाँ अदा की? उन्होंने जवाब दिया, मिना में। मैंने पूछा, आपने रवानगी के दिन अ़सर की नमाज़ कहाँ पढ़ी? जवाब दिया अब्तह (मुहस्सब) में। फिर फ़रमाया, तुम इस तरह करो जिस तरह तुम्हारे उमरा करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 1653, 1654, 1763, अबू दाऊद : 1912, तिर्मिज़ी : 964)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شَىْءٍ، عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى . قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ - ثُمَّ قَالَ - افْعَلْ مَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ .

फ़ायदा : तवाफ़े इफ़ाज़ा जिसे तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े रुक्न भी कहते हैं जिसके बग़ैर हज ही न होगा, इसका मस्नून वक़्त क़ुर्बानी के दिन रमी, क़ुर्बानी और हलक़ या तक़सीर के बाद है। आपने क़ुर्बानी के दिन तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद ज़ुहर की नमाज़ मिना में अदा की। जबकि आप पहले नमाज़े ज़ुहर मक्का में पढ़ चुके थे या मक्का में नमाज़े ज़ुहर के वक़्त पढ़ी जाने वाली नमाज़ की दो रकअ़तें थीं। फिर मिना वापस आकर सहाबा किराम के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक तवाफ़े इफ़ाज़ा का वक़्त क़ुर्बानी के दिन तुलूअ़े फ़ज्र के बाद शुरू हो जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक आख़िरी वक़्त 12 ज़िल्हिज्जा और इमाम मालिक के नज़दीक 13 ज़िल्हिज्जा । उसके बाद आने की सूरत में एक जानवर की क़ुर्बानी ज़रूरी है। इमाम मालिक का दूसरा क़ौल ये है कि ताख़ीर पर क़ुर्बानी ज़रूरी नहीं। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और साहिबैन (अबू यूसुफ़ व मुहम्मद) के नज़दीक इसका वक़्त क़ुर्बानी के दिन आधी रात से शुरू हो जाता है और इसके आख़िरी वक़्त की तअ़यीन नहीं है। ताख़ीर की वजह से उस पर क़ुर्बानी नहीं है, लेकिन तवाफ़े ज़ियारत के बग़ैर मुकम्मल तौर पर हलाल नहीं हो सकेगा, अगर वो वतन तवाफ़े ज़ियारत किये बग़ैर चला गया तो एहराम बांध कर वापस आकर जब चाहे तवाफ़े ज़ियारत करेगा। अइम्म-ए-अरबआ़ का यही मौक़िफ़ है। हसन बसरी के नज़दीक उसको अगले साल हज करना होगा। अगर उसने तवाफ़े ज़ियारत के बग़ैर औरत से ताल्लुक़ात क़ायम कर लिये, तो उसके ज़िम्मे दम (क़ुर्बानी) का जानवर होगा। (अल्मुग़नी लिइब्ने क़ुदामा जिल्द 5, पेज नं. 226, 245 अद्दुक्तूर अत्तुर्की)

बाब 62 : कूच के दिन मुहस्सब में पड़ाव करना और नमाज़ वहीं अदा करना बेहतर है

باب اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلاَةِ بِهِ

(3167) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ), हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर (रज़ि.) वादी अब्तह में उतरा करते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ.

फ़ायदा : मुहस्सब को हसबह, अब्तह, बुतहा और ख़ैफ़े बनी किनाना भी कहते हैं।

हज्जतुल वदाअ में नबी (ﷺ) ने मिना से वापसी के बाद वादी-ए-मुहस्सब में क़ियाम फ़रमाया था और यहीं से आप (ﷺ) मदीना मुनव्वरा के लिये वापस हुए थे। आपकी इक़्तिदा में सहाबा किराम (रज़ि.) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन यहाँ क़ियाम करते थे। इसलिये चारों इमामों के नज़दीक यहाँ क़ियाम करना मस्नून है। लेकिन कुछ अइम्मा का हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत आइशा (रज़ि.) के क़ौल के मुताबिक़ नज़रिया ये है यहाँ क़ियाम सुन्नत नहीं है। बल्कि आप महज़ अपनी सहूलत और आसानी के लिये यहाँ ठहरे थे।

(3168) नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) वादी-ए-मुहस्सब में ठहरना सुन्नत समझते थे और वो सफ़र के दिन ज़ुहर की नमाज़ हस्बह में पढ़ते थे। नाफ़ेअ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके बाद ख़ुलफ़ा मुहस्सब में उतरते रहे हैं।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْحَصْبَةِ . قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ .

(3169) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, अब्तह में उतरना सुन्नत नहीं है, वहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) सिर्फ़ इसलिये उतरे थे कि

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ نُزُولُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ .

वहाँ से जाते वक़्त निकलना आपके लिये आसान था।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ، الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(3170) इमाम साहब अपने और तीन उस्तादों से यही रिवात बयान करते हैं।
(इब्ने माजह : 3067, तिर्मिज़ी : 923)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ، عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ.

(3171) सालिम (रह.) बयान करते हैं हज़रत अबू बकर, उमर और इब्ने उमर (रज़ि.) वादी-ए-अब्तह में उतरते थे। उरवह (रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में बताते हैं। वो ऐसा नहीं करती थीं। वो फ़रमाती थीं रसूलुल्लाह (ﷺ) वहाँ सिर्फ़ इसलिये उतरे थे क्योंकि वो ऐसी मन्ज़िल थी जहाँ से आपके लिये (मदीना मुनव्वरा के लिये) निकलना आसान था।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ، عَبْدَةَ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَىْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3172) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मुहस्सब में उतरना कोई दीनी मसला नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक मन्ज़िल है जिसमें आपने पड़ाव किया था।
(सहीह बुख़ारी : 1766, तिर्मिज़ी : 922)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ، عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ . وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(3173) हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) बयान करते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मिना से रवाना हुए तो आपने मुझे अब्तह में ठहरने का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन मैं अपने तौर पर आया और मैंने आपका ख़ेमा वहाँ लगा दिया। आप वहाँ आकर ठहर गये। इमाम साहब के एक उस्ताद क़ुतैबा की रिवायत में है कि अबू राफ़ेअ (रज़ि.) नबी (ﷺ) के सामान की हिफ़ाज़त पर मामूर थे।

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ " .

(3174) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कल हम इन्शाअल्लाह ख़ैफ़े बनू किनाना में ठहरेंगे जहाँ उन्होंने कुफ़्र पर आपस में क़समें उठाई थीं।'
(सहीह बुख़ारी : 7479)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ

(3175) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, मिना में हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कल हम ख़ैफ़े बनी किनाना में उतरेंगे, जहाँ उन्होंने आपस में कुफ़्र पर क़समें उठाई थीं, इसकी सूरत ये है कि क़ुरैश और बनू किनाना ने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब

بِمِنًى " نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ " . وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ .

के ख़िलाफ़ आपस में क़समें उठाई थीं कि हम उनसे उस वक़्त तक शादी-ब्याह और ख़रीदो-फ़रोख़्त नहीं करेंगे जब तक ये रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनके हवाले नहीं करते। ख़ैफ़े बनी किनाना से आपकी मुराद वादी-ए-मुहस्सब थी।

(सहीह बुख़ारी : 1590, अबू दाऊद : 2011)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْزِلُنَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ - الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".

(3176) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हमारी क़ियामगाह इन्शाअल्लाह जब अल्लाह तआला ने फ़तह दी है, ख़ैफ़ होगी। जहाँ उन्होंने आपस में कुफ़्र पर क़समें उठाई थीं।'

फ़ायदा : हज्जतुल वदाअ में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना की तरफ़ वापसी के वक़्त ज़ुहर, असर शाम और इशा की नमाज़ें, वादी मुहस्सब में पढ़ी थीं और फिर वहाँ से सुबह से पहले रवाना होकर, बैतुल्लाह का तवाफ़े वदाअ फ़रमाया था।

باب وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لأَهْلِ السِّقَايَةِ

बाब 63 : अय्यामे तशरीक़ की रातें, मिना में गुज़ारना फ़र्ज़ है और पानी पिलाने वालों को इस पर अमल न करने की रुख़सत है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح .وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ

(3177) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने आबे ज़मज़म पिलाने के लिये मिना की रातों को मक्का में गुज़ारने की इजाज़त तलब की, तो आपने उसे इजाज़त दे दी।

الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

(सहीह बुख़ारी : 1745, अबू दाऊद : 1959, इब्ने माजह : 3065)

फ़ायदा : मिना में दो या तीन रातें बसर करना फ़र्ज़ है। ये इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, मुहद्दिसीन और इमाम मुहम्मद का एक क़ौल है इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक जो शख़्स बिला उ़ज़्र मिना में कोई रात भी बसर न करे तो उसके ज़िम्मे एक कुर्बानी वाजिब है। इमाम मालिक के नज़दीक हर रात के बदले, एक कुर्बानी वाजिब है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के दूसरे क़ौल के मुताबिक़ मिना में अय्यामे तशरीक़ की रातें बसर करना सुन्नत है। अगर कोई शख़्स बिला उ़ज़्र मिना में ये रातें न गुज़ारे तो वो तारिके सुन्नत होगा, लेकिन उसके ज़िम्मे कोई कुर्बानी ज़रूरी न होगी। अल्बत्ता जिस शख़्स को कोई उ़ज़्र हो, वो मक्का मुअ़ज़्ज़मा या किसी दूसरी जगह ये रातें बसर कर सकता है, जुम्हूर अइम्मा जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई और मालिक दाख़िल हैं, का यही मस्लक है। लेकिन इमाम अहमद और कुछ शाफ़ेई उ़लमा के नज़दीक ये रुख़सत सिर्फ़ आबे ज़मज़म पिलाने वालों और ऊँटों के चरवाहों के लिये ख़ास है और अब ये उ़ज़्र या ज़रूरत बाक़ी नहीं रही।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ، حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(3178) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत कुछ दूसरे उस्तादों से भी बयान करते हैं। (सहीह बुख़ारी : 1744)

باب قِيَامِ بِالسِّقَايَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى أَهْلِهَا وَاسْتِحْبَابِ الشُّرْبِ مِنْهَا

बाब 64 : पानी पिलाने की ख़िदमत सर अन्जाम देने की फ़ज़ीलत और ये काम करने वालों की तारीफ़ और उसके पीने का पसन्दीदा होना

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا

(3179) बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह मुज़नी (रह.) बयान करते हैं, मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास कअ़बा के पास बैठा हुआ था कि एक बदवी आपके पास आकर कहने

مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَا لِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُخْلٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلاَ بُخْلٍ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةُ فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءٍ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةَ وَقَالَ " أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلْتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا " . فَلاَ نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

लगा, क्या वजह है मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चाचाज़ाद दूध और शहद पिलाते हैं और आप नबीज़ पिलाते हैं? इसका सबब एहतियाज व फ़क्र है या बुख़्ल-कन्जूसी? इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह! हम न मोहताज हैं और न बख़ील (बात ये है कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और सवारी पर आपके पीछे उसामा सवार थे। आपने पानी तलब फ़रमाया, हमने आपको नबीज़ का एक बर्तन पेश किया। आपने पिया और बाक़ी बचा उसामा (रज़ि.) को पिलाया और आपने फ़रमाया, 'तुमने बहुत अच्छा और ख़ूब काम किया, ऐसे ही करते रहना।' इसलिये हम नहीं चाहते जिस चीज़ का हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया था, उसमें तब्दीली करें। (अबू दाऊद : 2021)

फ़ायदा : पानी में खजूरों या मुनक्का को डाल दिया जाता है, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद खजूरों और मुनक्का की मिठास पानी में पैदा हो जाती है, ये नबीज़ कहलाता है और नशा पैदा होने से पहले-पहले इसका पीना जाइज़ है और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के जवाब से मालूम होता है, वो आपके फ़रमान में किसी क़िस्म का तग़य्युर व तब्दीली पसंद नहीं करते थे, हालांकि बज़ाहिर लोगों को आबे ज़मज़म में दूध और शहद मिलाकर पिलाना ज़्यादा बेहतर और अच्छा नज़र आता है, लेकिन आपने चूंकि नबीज़ पिलाने के अ़मल को जारी रखने का हुक्म दिया था, इसलिये उन्होंने इस तब्दीली को गवारा न किया। एक मुसलमान का काम यही है कि वो आपकी बात और अ़मल की पाबंदी करे।

باب فِي الصَّدَقَةِ بِلُحُومِ الْهَدْىِ وَجُلُودِهَا وَجِلاَلِهَا

बाब 65 : हदी के गोश्त, चमड़े और झल का सदक़ा करना

हिन्दुस्तानी नुस्ख़े में ये इज़ाफ़ा है क़स्साब को उसमें से कुछ नहीं दिया जायेगा, क़ुर्बानी की निगेहदाश्त में नियाबत जाइज़ है।

(3180) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे क़ुर्बानी के ऊँटों की निगरानी का हुक्म दिया और ये कि उनका गोश्त, चमड़े और झल सदक़ा कर दूँ और क़स्साब की उजरत में उससे कुछ न दूँ। आपने फ़रमाया, 'हम उसे उजरत अपने पास से देंगे।'

(सहीह बुख़ारी: 1707, 1716, 1717, 1718, 2299, अबू दाऊद : 1769, इब्ने माजह : 3099, 3157)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ، الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا قَالَ " نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا " .

(3181) यही रिवायत इमाम मुहम्मद अपने तीन और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(3182) इमाम साहब एक और सनद से ये रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें क़स्साब की उजरत का तज़्किरा नहीं है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كِلاَهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي، لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ.

(3183) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उन्हें क़ुर्बानी के ऊँटों की निगेहदाश्त का हुक्म दिया और उन्हें हुक्म दिया, वो उन सबके गोश्त, चमड़े और झल मिस्कीनों में बांट दें और क़स्साब की उजरत में, उनसे कुछ न दें।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ . أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا .

(3184) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ، الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ .

फ़ायदा : हाजी अपनी मस्नून या नफ़ली क़ुर्बानी का गोश्त खा सकता है, इस पर तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है और अक्सर अइम्मा के नज़दीक वो तमत्तोअ और क़िरान की क़ुर्बानी का गोश्त भी खा सकता है। अल्बत्ता किसी दूसरी वाजिब क़ुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकता, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ यही है। इन हज़रात के नज़दीक तमत्तोअ और क़िरान की क़ुर्बानी, दमे शुकराना है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ये दमे जबर है, इसलिये कफ़्फ़ारा की क़ुर्बानी की तरह इसका गोश्त खाना भी जाइज़ नहीं है। क़ुर्बानी का ख़ुद करना बेहतर है। जैसाकि आप (ﷺ) ने 63 ऊँट ख़ुद नहर फ़रमाये थे। लेकिन दूसरे को नायब बनाना भी जाइज़ है। जैसाकि आपके बाक़ी ऊँट हज़रत अली (रज़ि.) ने ज़िब्ह किये थे। क़ुर्बानी का गोश्त चमड़ा और ऊँट पर डाला जाने वाला झल भी सदक़ा किया जायेगा और अगर खाल वग़ैरह क़साब ने उतारी है, तो उसकी उज्रत अपनी तरफ़ से अदा की जायेगी, उसके ऐवज़ गोश्त या खाल वग़ैरह नहीं दी जा सकती। अहनाफ़ के नज़दीक खाल बेचकर इसके ऐवज़ घर में बिनफ़्सिही इस्तेमाल होने वाली चीज़ ख़रीदी जा सकती है, जैसे डोल या जुराब वग़ैरह।

बाब 66 : क़ुर्बानी में शराकत और गाय और ऊँट के सात हिस्से करना (गाय और ऊँट का सात के लिये काफ़ी होना)

باب الاِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْىِ وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ

(3185) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हुदैबिया के साल ऊँट को सात आदमियों की तरफ़ से नहर किया और गाय को भी सात की तरफ़ से ज़िब्ह किया।

(अबू दाऊद : 2809, तिर्मिज़ी : 904, 1502, इब्ने माजह : 3132)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

(3186) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज का तल्बिया कहते हुए रवाना हुए और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ऊँट और गाय में शरीक होने का हुक्म दिया, हममें से सात एक बदना (ऊँट, गाय) में शरीक हुए।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح .وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ .

फ़ायदा : एक ऊँट या एक गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं, ख़्वाह क़ुर्बानी वाजिब हो या नफ़ल वग़ैरह और ख़्वाह तमाम शरीक होने वालों की निय्यत क़ुर्बानी करने की हो या उनमें से कुछ का इरादा सिर्फ़ गोश्त खाना हो। जुम्हूर उ़लमा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और आ़म मुहद्दिसीन का मस्लक यही है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ऊँट या गाय में शिरकत सिर्फ़ इस सूरत में जाइज़ है, जब सबका इरादा क़ुर्बानी ही करने का हो। अगर कुछ का इरादा सिर्फ़ गोश्त हासिल करना हो, तो शराकत जाइज़ नहीं है। क़ुर्बानी ख़्वाह वाजिब हो यो मस्नून या नफ़ल, इमाम मालिक के नज़दीक

क़ुर्बानी में शिरकत जाइज़ नहीं है। एक ऊँट या एक गाय की क़ुर्बानी सिर्फ़ एक आदमी कर सकता है। इमाम दाऊद ज़ाहिरी और कुछ मालिकिया का नज़रिया ये है, नफ़ली क़ुर्बानी में इश्तिराकियत जाइज़ है और वाजिब में जाइज़ नहीं। इमाम इब्ने हज़म के नज़दीक ऊँट की क़ुर्बानी में सात की बजाय बीस आदमी भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरे अइम्मा के नज़दीक ये आम क़ुर्बानियों के लिये है, हज के लिये नहीं है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

(3187) हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ में हज किया, तो हमने ऊँट सात आदमियों की तरफ़ से नहर किया और गाय की क़ुर्बानी भी सात की तरफ़ से की।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلاَّ مِنَ الْبُدْنِ . وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ قَالَ نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ .

(3188) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ में हज और उम्रह में सात आदमी एक हदी (क़ुर्बानी) में शरीक हुए। एक आदमी ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा कि हदी में इतने ही शरीक किये जायेंगे, जितने ऊँट में शरीक किये जायेंगे उन्होंने जवाब दिया, जज़ूर (ऊँट) भी बदना (हदी) ही है। हज़रत जाबिर (रज़ि.) हुदैबिया में मौजूद थे वो बयान करते हैं, हमने उस दिन सत्तर ऊँट नहर (क़ुर्बान) किये, एक ऊँट में हम सात लोग शरीक थे।

फ़ायदा : बदना या हदी से मुराद वो गाय और ऊँट है, जो एहराम बांधते वक़्त साथ लिया जाये और जज़ूर (ऊँट) वो है जो क़ुर्बानी के वक़्त ख़रीदा जाये, लेकिन क़ुर्बानी में दोनों का हुक्म एक है।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،

(3189) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) नबी (ﷺ) के हज के बारे में बयान

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ . حَجِّهِمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

करते हैं कि आपने हमें हुक्म दिया कि जब हम हलाल हों, क़ुर्बानी दें और हममें से चन्द हदी में शरीक हो जायें, ये उस मौक़े की बात है जब आपने हमें हज से हलाल होने का हुक्म दिया था, इस हदीस में यही है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ، عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا .

(3190) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ हज्जे तमत्तोअ किया करते थे, तो हम सात शरीक होकर एक गाय ज़िब्ह करते थे।

(अबू दाऊद : 2807)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ .

(3191) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन हज़रत आइशा (रज़ि.) की तरफ़ से एक गाय ज़िब्ह की।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ، بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ، اللَّهِ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِسَائِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً فِي حَجَّتِهِ .

(3192) इमाम साहब ये रिवायत दो रावियों से बयान करते हैं, एक रावी यहया उमवी, हज़रत जाबिर (रज़ि.) से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से क़ुर्बानी नहर की और इब्ने बक्र की हदीस में है, आइशा (रज़ि.) की तरफ़ से अपने हज में एक गाय की।

बाब 67 : ऊँट को एक पांव बांधकर खड़ा करके नहर करना पसन्दीदा है

(3193) ज़ियाद बिन जुबेर (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) एक आदमी के पास पहुँचे, जबकि वो अपने ऊँट को बिठाकर नहर कर रहा था, उन्होंने फ़रमाया, 'उसको उठाकर खड़ा करके (बायाँ) पैर बांधकर नहर कर ये तुम्हारे नबी (ﷺ) का तरीक़ा है।'

(सहीह बुख़ारी : 1713, अबू दाऊद : 1768)

باب نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم .

बाब 68 : जो इंसान ख़ुद नहीं जाना चाहता, उसके लिये बेहतर है हरम में हदी, हार बट कर और हार डालकर भेजे और हदी भेजने के सबब वो मुहरिम नहीं होगा और न ही उससे कोई चीज़ मम्नूअ होगी

(3194) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना से हदी रवाना फ़रमाते और मैं आपकी हदी के क़लादे (हार) बटती, फिर आप उन चीज़ों से परहेज़ नहीं करते थे जिनसे मुहरिम बचता है।

(सहीह बुख़ारी : 1698, अबू दाऊद : 1758, नसाई : 5/171, इब्ने माजह : 3094)

باب اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْىِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لاَ يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلاَئِدِ وَأَنَّ بَاعِثَهُ لاَ يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شىْءٌ بِذَلِكَ

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(3195) इमाम साहब यही हदीस़ एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح .وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَّادُ، بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىَّ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ

(3196) इमाम साहब अपने चंद उस्तादों से बयान करते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, गोया कि अपने आपको देख रही हूँ कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानियों के गले के हार बट रही हूँ, आगे ऊपर वाली रिवायत की तरह।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلاَ يَتْرُكُهُ.

(3197) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानियों के हार अपने इन दोनों हाथों से बटती थी, फिर आप न किसी चीज़ से अलग होते और न ही किसी चीज़ को छोड़ते।
(नसाई : 5/175)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ

(3198) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानियों के गले के हार अपने हाथों से बनाये, फिर आपने उनका इश्आर किया और गले में हार डाला, फिर उन्हें बैतुल्लाह रवाना कर दिया और ख़ुद मदीना में रहे और आप पर उन चीज़ों में से कोई चीज़ हराम नहीं हुई, जो

عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلاًّ .

आपके लिये (पहले) हलाल थी।
(सहीह बुख़ारी : 1696, 1699, अबू दाऊद : 1757, नसाई . 5/173, 5/170, इब्ने माजह : 3098)

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَأَبِي، قِلاَبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ أَفْتِلُ قَلاَئِدَهَا بِيَدَىَّ ثُمَّ لاَ يُمْسِكُ عَنْ شَىْءٍ لاَ يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلاَلُ .

(3199) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि आप हदी रवाना फ़रमाते, मैं उसके हार अपने हाथ से बटती, फिर आप किसी ऐसी चीज़ से न रुकते, जिससे हलाल नहीं रुकता है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ أَنَا فَتَلْتُ، تِلْكَ الْقَلاَئِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلاَلاً يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ .

(3200) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने वो हार उस ऊन से बटे थे जो हमारे पास थी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास हलाल ही रहे। हलाल जिस तरह अपनी बीवी के पास आता है, आप (ﷺ) भी आते या जिस तरह मर्द अपनी बीवी से फ़ायदा उठाता है, आप भी उठाते।
(सहीह बुख़ारी : 1705, अबू दाऊद : 1759, नसाई : 5/172)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَنَمِ فَيَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلاَلاً .

(3201) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने अपने आपको पाया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की बकरियों की क़ुर्बानी के हार बटती, आप उसे भेज देते, फिर हमारे यहाँ हलाल ही रहते।
(सहीह बुख़ारी : 1703, तिर्मिज़ी : 909, नसाई : 5/172, 5/173, 5/174, 5/175, 5/176)

(3202) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, कई बार मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानियों के हार बनाये, आप हार क़ुर्बानी के गले में डालकर उसे रवाना कर देते और ख़ुद ठहरे रहते, किसी ऐसी चीज़ से परहेज़ न करते, जिससे मुहरिम परहेज़ करता है।
(सहीह बुख़ारी : 1702, नसाई : 5/171, इब्ने माजह : 3095)

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ رُبَّمَا فَتَلْتُ الْقَلاَئِدَ لِهَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

(3203) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, एक बार रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बैतुल्लाह की क़ुर्बानी के लिये बकरियों को भेजा और उनके गलों में हार डाले।
(सहीह बुख़ारी : 1701, अबू दाऊद : 1755, नसाई : 5/173, इब्ने माजह : 3096)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا .

(3204) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम बकरियों के गले में हार डालकर उन्हें भेज देते और रसूलुल्लाह (ﷺ) हलाल ही होते उनसे आप पर कोई चीज़ हराम न होती।
(नसाई : 5/174)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلاَلٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ .

(3205) अम्रह बिन्ते अब्दुर्रहमान बयान करती हैं इब्ने ज़ियाद ने हज़रत आइशा (रज़ि.) को ख़त लिखा कि हज़रत

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ

عَمْرَةَ، بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْىُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاكْتُبِي إِلَىَّ بِأَمْرِكِ . قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَىْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ .

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, जो शख़्स क़ुर्बानी रवाना करता है, उस पर वो तमाम चीज़ें हराम हो जायेंगी जो हज करने वाले पर हराम होती हैं, यहाँ तक कि क़ुर्बानी नहर कर दी जाये और मैं अपनी हदी रवाना कर चुका हूँ, आप मुझे अपना नज़रिया लिख भेजें। अम्रह बयान करती हैं हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, बात वो नहीं है जो इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानियों के हार अपने हाथों से बटे, फिर आपने उन्हें अपने हाथ से क़ुर्बानियों के गले में डाला और मेरे बाप के हाथ उन्हें रवाना कर दिया और क़ुर्बानियों के नहर करने तक रसूलुल्लाह (ﷺ) पर कोई ऐसी चीज़ हराम नहीं हुई जो अल्लाह ने आप (ﷺ) के लिये हलाल की थी।

(सहीह बुख़ारी : 1700, 2317, नसाई : 5/175)

फ़ायदा : इस हदीस़ की सनद में ख़त लिखने वाले का नाम इब्ने ज़ियाद बताया गया है लेकिन ये बात सहीह नहीं है। उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) का दौर नहीं पाया। बल्कि ये ख़त लिखने वाला ज़ियाद बिन अबी सुफ़ियान है जो ज़ियाद बिन सुमैया के नाम से मअ़रूफ़ है। जैसाकि सहीह बुख़ारी, मोत्ता इमाम मालिक, सुनन अबी दाऊद वग़ैरह मोतबर हदीस़ की किताबों में मौजूद है।

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَهْىَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تُصَفِّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُولِ اللَّهِ

(3206) मसरूक़ (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने पर्दे की ओट से ताली बजाकर बताया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़ुर्बानियों के हार अपने हाथों से बनाती थी, फिर आप उन्हें रवाना कर देते और किसी ऐसी चीज़ से क़ुर्बानी नहर

صلى الله عليه وسلم بِيَدَىَّ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَىْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.

क़रने तक बाज़ न रहते, जिससे मुहरिम बाज़ रहता है।

(सहीह बुख़ारी : 1704, नसाई : 5/171)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، كِلاَهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(3207) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायतों से साबित होता है अपने इलाक़े में रहते हुए क़ुर्बानी भेजना मस्नून है और क़ुर्बानी रवाना करते वक़्त उसके इम्तियाज़ और शनाख़्त के लिये ताकि कोई उस पर दस्त दराज़ी न करे, गले में ऊन वग़ैरह को बटकर हार डाल दिया जायेगा, ऊँट हों तो उनमें पुरानी जूतियों को पिरोया जायेगा, क़ुर्बानी अगर ऊँट हो तो उसको कोहान पर चीरा दिया जायेगा, गाय या बकरी हो तो सिर्फ़ हार डालेंगे। जुम्हूर का नज़रिया यही है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक बकरी के गले में हार नहीं डाला जायेगा और अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक क़ुर्बानी के जानवर भेजने वाला मुहरिम नहीं होगा, इसलिये इसके लिये कोई चीज़ मम्नूअ नहीं होगी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की इक़्तिदा में मुजाहिद और इब्ने सीरीन का मस्लक ये है कि वो मुहरिम होगा और जब तक बैतुल्लाह में हदी ज़िब्ह नहीं की जाती, उस पर उन तमाम चीज़ों से इज्तिनाब (परहेज़) लाज़िम होगा, जिनसे मुहरिम इज्तिनाब करता है।

باب جَوَازِ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهَا

बाब 69 : ज़रूरत के वक़्त हदी के ऊँट पर सवार होना जाइज़ है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3208) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक इंसान को क़ुर्बानी का ऊँट हांकते हुए देखा तो फ़रमाया, 'इस पर सवार हो जा।' उसने कहा,

رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . فَقَالَ " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ " . فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

ऐ अल्लाह के रसूल! ये हदी है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सवार हो जा।' दूसरी या तीसरी बार फ़रमाया, 'तेरे लिये ख़राबी हो।'
(सहीह बुख़ारी : 1689, 2755, 6160, अबू दाऊद : 1760, नसाई : 5/176)

फ़ायदा : इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार होना नाजाइज़ है और कुछ अहले ज़ाहिर के नज़दीक अगर और सवारी न हो तो सवार होना ज़रूरी है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ज़रूरत की सूरत में सवार होना जाइज़ है, इमाम मालिक का मौक़िफ़ यही है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इज़्तिरारी हालत में सवार होना जाइज़ है। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद का भी एक क़ौल यही है और इमाम इब्नुल अरबी मालिकी के नज़दीक बक़द्रे ज़रूरत सवार होना जाइज़ है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً .

(3209) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें है कि इस बीच में एक आदमी गले में हार पड़ा हुआ ऊँट हांक रहा था।

लतीफ़ा : इस हदीस से कुछ हज़रात ने ये बात निकाली है कि मुक़ल्लिद होना जानवरों का काम है और इंसानों का काम तो उन पर सवार होना है न कि मुक़ल्लिद बनना।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَيْلَكَ ارْكَبْهَا " . فَقَالَ بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَيْلَكَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ ارْكَبْهَا " .

(3210) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं जबकि एक आदमी गले में हार डाला ऊँट हांक रहा था, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'तुम्हारे लिये ख़राबी हो, इस पर सवार हो जा।' उसने अर्ज़ किया, ये हज की क़ुर्बानी है, ऐ अल्लाह के रसूल! आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम पर अफ़सोस! इस पर सवार हो जा, तुम पर अफ़सोस! इस पर सवार हो जा।'

(3211) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ऐसे आदमी के पास से गुज़रे जो हदी का ऊँट हांक रहा था। आपने फ़रमाया, 'इस पर सवार हो जा।' उसने कहा, ये हदी है। आपने दो या तीन बार फ़रमाया, 'इस पर सवार हो जा।'
(नसाई : 5/176)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ وَأَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، أَنَسٍ ح .وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ . قَالَ " ارْكَبْهَا " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا .

(3212) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं नबी (ﷺ) के पास से एक बदना या हदिया (कुर्बानी का ऊँट) ले जाया गया। आपने फ़रमाया, 'इस पर सवार हो जा।' उसने अर्ज़ किया, ये बदना या हदिया है। आपने फ़रमाया, 'ख़्वाह यही है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَقَالَ " ارْكَبْهَا " . قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ . فَقَالَ " وَإِنْ " .

(3213) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें सिर्फ़ बदना का लफ़्ज़ है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَدَنَةٍ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

(3214) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से हदी पर सवार होने का मसला पूछा गया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जब लाचार

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ

رُكُوبِ الْهَدْىِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " .

हो जाओ, तो सवारी मिलने तक उर्फ़ व दस्तूर के मुताबिक़ सवार हो जाओ।'
(अबू दाऊद : 1761, नसाई : 5/177)

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْىِ، فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " .

(3215) अबू ज़ुबैर (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार होने के बारे में सवाल किया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'जब तक सवारी न मिले तो दस्तूर व उर्फ़ के मुताबिक़ सवार हो जाओ।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है अगर सवारी न हो तो फिर ऐसे तरीक़े से क़ुर्बानी के ऊँट पर सवार हुआ जा सकता है, जो उसके लिये तकलीफ़ और अज़िय्यत का बाइस़ न बने, इमाम मालिक और कुछ हज़रात का नज़रिया यही है।

باب مَا يُفْعَلُ بِالْهَدْىِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

बाब 70 : क़ुर्बानी जब रास्ते में हलाक हो जाये तो क्या किया जायेगा

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ، مُعْتَمِرَيْنِ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَيِيَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا . فَقَالَ لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لأَسْتَحْفِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ فَأَضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

(3216) मूसा बिन सलमा हुज़ली (रह.) बयान करते हैं कि मैं और सिनान बिन सलमा उम्रह के लिये रवाना हुए, सिनान अपने साथ क़ुर्बानी का ऊँट लेकर चला और वो रास्ते में ठहर गया। तो सिनान उसके मामले में बेबस हो गया कि अगर वो ऊँट थक हार गया तो वो उसके साथ क्या सुलूक करे? उसने सोचा, अगर मैं मक्का मुकर्रमा पहुँच गया तो मैं उसके बारे में तहक़ीक़ करूँगा। उसने बताया, मैं दोपहर के वक़्त चल पड़ा। तो जब हम बतहा में उतरे, उसने कहा, आओ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर

تَتَحَدَّثُ إِلَيْهِ . قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ . فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسِتَّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَّرَهُ فِيهَا - قَالَ - فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبْدِعَ عَلَىَّ مِنْهَا قَالَ " انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلاَ تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ".

होकर, उनसे बातचीत करें। उसने जाकर, उनसे अपनी क़ुर्बानी की सूरते हाल बयान की। तो उन्होंने फ़रमाया, तुमने मसला वाक़िफ़कार से पूछा है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी की सुपुरदारी में 16 क़ुर्बानियाँ रवाना फ़रमाईं, वो शख़्स चल पड़ा। फिर वापस आ गया और पूछने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर उनमें से कोई थक हार कर बैठ जाये, तो मैं उसका क्या करूँ? आपने फ़रमाया, 'इसको नहर करके इसके गले में दोनों जूते, इसके ख़ून में रंग देना। फिर इसके पहलू पर रख देना फिर तू और तेरे रुफ़क़ा में से कोई भी इससे न खाये।'

(अबू दाऊद : 1763)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **अज़्हफ़त अलैह :** थक हार कर रुक गया। (2) **अयि-य बिशअ्निहा :** वो इसका मसला जानने से आजिज़ आ गया। (3) **उब्दिअत :** थक हार कर ठहर गया, चलने के क़ाबिल न रहा। (4) **अहलि रुफ़क़तिक :** तेरे रफ़ीक़ और क़ाफ़िले के लोग।

फ़ायदा : क़ुर्बानी का जो जानवर रास्ते में थक हार कर, चलने के क़ाबिल न रहे तो उसको ज़िब्ह करके उसके गले में जो जूतियों का हार था, उसे ख़ून में रंग कर, उस पर डाल दें, ताकि पता चल सके, ये हज की क़ुर्बानी का जानवर है, जिसे दूसरे लोग खा सकते हैं, लेकिन क़ाफ़िले में शरीक लोग उसको नहीं खा सकते। जुम्हूर का (इमाम मालिक, अबू हनीफ़ा, अहमद) यही नज़रिया है, अगर हदी वाजिब थी (यानी तमत्तोअ और क़िरान के लिये थी) तो उसकी जगह और क़ुर्बानी करना होगी और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अगर क़ुर्बानी नफ़ली थी, तो फिर उसका खाना, खिलाना और बेचना दुरुस्त है। अगर क़ुर्बानी वाजिब हो और इंसान उसको ज़िब्ह न करे, तो फिर उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने उसकी जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया है, नफ़ली की सूरत में ऐवज़ नहीं है, इसलिये इसको ज़िब्ह करना होगा, जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है।

وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ

(3217) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी

الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ .

के साथ में अठारह क़ुर्बानियाँ रवाना फ़रमाई, आगे ऊपर वाली हदीस़ है, लेकिन इसमें इब्तिदाई वाक़िया का ज़िक्र नहीं है।

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذُؤَيْبَ أَبَا قَبِيصَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ " إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَىْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا وَلاَ تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ " .

(3218) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अबू क़बीसा जुऐब ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे क़ुर्बानियाँ देकर भेजते और फ़रमाते, 'अगर थकने से किसी की हलाकत का ख़तरा महसूस करो, तो उसे नहर कर देना, फिर उसकी जूतियों को उसके ख़ून में डुबोकर, उसके पहलू पर मारना, लेकिन तू ख़ुद और तेरे क़ाफ़िले वालों में से कोई उसे न खाये।'
(इब्ने माजह : 3105)

باب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ

बाब 71 : तवाफ़े वदाअ का वुजूब और हैज़ वाली औरत से इसका साक़ित होना

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ

(3219) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि (हज के बाद) लोग हर तरफ़ से निकल जाते, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई इंसान सफ़र इख़्तियार न करे, जब तक आख़िरी वक़्त में बैतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले।' ज़ुहैर की रिवायत में

حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ " . قَالَ زُهَيْرٌ يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ . وَلَمْ يَقُلْ فِي .

यन्सरिफ़ून के बाद फ़ी का लफ़्ज़ नहीं है।
(अबू दाऊद : 2002, इब्ने माजह : 3070)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ، آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ .

(3220) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो आख़िरी वक़्त में बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, लेकिन हैज़ वाली औरत को सहूलत दी गई है (वो पहले जा सकती है)।
(सहीह बुख़ारी : 329, 1755, 1760)

फ़ायदा : अल्वदाई तवाफ़ जिसे हाजी मक्का मुअज़्ज़मा से वापसी के वक़्त करता है, वाजिब है। यानी अगर कोई शख़्स ये तवाफ़ नहीं करेगा, तो उसके ज़िम्मे एक जानवर की क़ुर्बानी ज़रूरी है लेकिन हाइज़ा औरत को इजाज़त है अगर उसने तवाफे इफ़ाज़ा कर लिया है, तो वो तवाफ़े वदाअ किये बग़ैर रवाना हो सकती है, जुम्हूर सहाबा व अइम्मा इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई, अहमद और मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है लेकिन इमाम मालिक और दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक तवाफ़े वदाअ सुन्नत है।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ، بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ .

(3221) ताऊस (रह.) बयान करते हैं, मैं इब्ने अब्बास (रज़ि.) के साथ था कि हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) ने उनसे कहा, आप ये फ़तवा देते हैं कि हाइज़ा औरत आख़िरी वक़्त में बैतुल्लाह का तवाफ़ किये बग़ैर वापस जा सकती है? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, अगर आप ये नहीं मानते तो आप फ़लाँ अन्सारी औरत से पूछें। क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे ये हुक्म दिया था? तो हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.), हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास हँसते हुए वापस आये और वो कह रहे थे, मेरे ख़याल में आपने सच ही फ़रमाया है।

(3222) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हैज़ शुरू हो गया, तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उनके हैज़ का ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या वो हमें रोक लेगी?' तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो तवाफ़े इफ़ाज़ा में बैतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकी है और तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हैज़ शुरू हुआ है। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तो चले।'
(इब्ने माजह : 3072)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَحَابِسَتُنَا هِيَ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلْتَنْفِرْ" .

(3223) इमाम साहब और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं कि हज्जतुल वदाअ में नबी (ﷺ) की बीवी सफ़िय्या बिन्ते हुई (रज़ि.) तहारत की हालत में तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद हैज़ शुरू हो गया, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَتْ طَمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

(3224) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताया कि सफ़िय्या (रज़ि.) को हैज़ आने लगा है। ज़ुहैर की हदीस वाला मफ़्हूम है जो

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ . بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

ऊपर गुज़र चुकी है।
(तिर्मिज़ी : 943)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيضَ، صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ - قَالَتْ - فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ " . قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ . قَالَ " فَلاَ إِذًا " .

(3225) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हमें अन्देशा था कि सफ़िय्या को तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले हैज़ शुरू हो जायेगा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास आये और पूछा, 'क्या सफ़िय्या हमें रोक लेगी?' हमने अर्ज़ किया, वो तवाफ़े इफ़ाज़ा कर चुकी है। आपने फ़रमाया, 'तब कोई हर्ज नहीं है।'
(सहीह बुख़ारी : 1733)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " فَاخْرُجْنَ " .

(3226) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! सफ़िय्या बिन्ते हुई (रज़ि.) को हैज़ आने लगा है। तो आप (ﷺ) ने पूछा, 'शायद वो हमें रोक लेगी, क्या उसने तुम्हारे साथ बैतुल्लाह का तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं किया है?' उन्होंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं। आपने फ़रमाया, 'तो चलो।'
(सहीह बुख़ारी बाब : 328, नसाई : 1/194)

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،

(3227) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) से वो इरादा किया जो मर्द अपनी बीवी से करता है, तो आपको बताया

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ . فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ . قَالَ " فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ " .

गया, ऐ अल्लाह के रसूल! वो तो हाइज़ा है। आपने फ़रमाया, 'तो वो हमें रोक लेगी।' सब अज़्वाज ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! वो क़ुर्बानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत कर चुकी है। आपने फ़रमाया, 'तो फिर तुम्हारे साथ रवाना हो जाये।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً . فَقَالَ " عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا " . ثُمَّ قَالَ لَهَا " أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " فَانْفِرِي " .

(3228) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़र करने का इरादा किया तो अचानक देखा कि सफ़िय्या (रज़ि.) अपने ख़ेमे के दरवाज़े पर कबीदा ख़ातिर, ग़मज़दा खड़ी है। आपने फ़रमाया, 'सर मुण्डी तू हमें रोक लेगी?' फिर आपने पूछा, 'क्या तूने क़ुर्बानी के दिन तवाफ़े इफ़ाज़ा किया था?' उसने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'तो चल।'
(सहीह बुख़ारी : 5329, 6157)

फ़ायदा : इन अलग-अलग रिवायतों में तज़ाद (टकराव) नहीं है, मज्मूई तौर पर तमाम सूरते हाल पेश आई थी, सब अज़्वाजे मुतह्हरात को इस वाक़िये का इल्म था, सब ने तस्दीक़ की थी इसलिये कई बार किसी का इन्फ़िरादी नाम लिया गया और कई बार सबका मुश्तरका (शामिल) तौर पर।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا

(3229) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं लेकिन इसमें कबीदा ख़ातिर, ग़मज़दा का ज़िक्र नहीं है।

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لاَ يَذْكُرَانِ كَئِيبَةً حَزِينَةً .

(सहीह बुख़ारी : 1771, इब्ने माजह : 3073)

باب اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلاَةِ فِيهَا وَالدُّعَاءِ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا

बाब 72 : हाजी वग़ैरह के लिये बेहतर है कि वो कअ़बा में दाख़िल होकर नमाज़ पढ़े और उसकी तमाम अतराफ़ में दुआ माँगे

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى .

(3230) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत उसामा, बिलाल, उसमान बिन तलहा हजबी (रज़ि.) कअ़बा के अंदर दाख़िल हुए और उसका दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर आप कुछ वक़्त अंदर ठहरे। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, जब बाहर निकले तो मैंने हज़रत बिलाल (रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंदर क्या अमल किया? उसने बताया, आपने दो सतून अपने बायें और एक दायें और तीन सतून अपने पीछे किये, उस वक़्त बैतुल्लाह के छः ही सतून थे, फिर आपने नमाज़ पढ़ी।

(सहीह बुख़ारी बाब : 397, 468, 504, 505, 506, 1167, 1598, 1599, 2988, 4289, 4400, अबू दाऊद : 2023, 2024, 2025, नसाई : 2/33,34, 2/63, 5/217, 218, इब्ने माजह : 3063, 2037)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ فَفَتَحَ الْبَابَ - قَالَ - ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَارِجًا وَبِلاَلٌ عَلَى إِثْرِهِ فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ . قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

(3231) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और कअबा के सहन में उतरे। आपने उसमान बिन तलहा को बुलवाया, वो चाबी लेकर आया और दरवाज़ा खोल दिया। फिर नबी, (ﷺ) हज़रत बिलाल, उसामा बिन ज़ैद और उसमान बिन तलहा (रज़ि.) अंदर दाख़िल हुए और आपके हुक्म से दरवाज़ा बंद कर दिया गया और ये सब, कुछ देर अंदर ठहरे, फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं सब लोगों से आगे बढ़कर रसूलुल्लाह (ﷺ) को बाहर निकलते हुए मिला, आपके पीछे बिलाल थे। तो मैंने हज़रत बिलाल से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ी है? उसने कहा, हाँ। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, दो सतूनों के दरम्यान, सामने रुख़ करके और मैं ये भूल गया कि उससे ये पूछूँ, आपने कितनी रकआत पढ़ीं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ

(3232) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का के साल हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) की ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ़ लाये और उसे कअबा के सहन में ला बिठाया। फिर उसमान बिन तलहा (रज़ि.) को बुलवाकर फ़रमाया,

فَقَالَ " ائْتِنِي بِالْمِفْتَاحِ " . فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُعْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْرُجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي - قَالَ - فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ . فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

'मेरे पास चाबी लाओ।' वो अपनी माँ के पास गया, उसने उसे कुंजी देने से इंकार कर दिया। उ़समान ने कहा, अल्लाह की क़सम! कुंजी मुझे दे दो, वरना ये तलवार मेरी पुश्त से पार हो जायेगी (मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा या वो मुझे मार डालेंगे) तो उसने उसे कुंजी दे दी। उसने लाकर नबी (ﷺ) को पेश कर दी। फिर उसने दरवाज़ा खोला, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي، شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلاً ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ . فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(3233) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बैतुल्लाह के अंदर दाख़िल हुए। हज़रत उसामा, बिलाल और उ़समान बिन तलहा (रज़ि.) आपके साथ थे। फिर उन्होंने काफ़ी देर दरवाज़ा बंद रखा। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया, तो मैं सबसे पहले दरवाज़े में पहुँचा और बिलाल को मिला। मैंने पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कहाँ नमाज़ पढ़ी? उसने जवाब दिया, अगले दो सतूनों के दरम्यान और मैं भूल गया, उससे पूछूँ, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कितनी रकआत पढ़ीं?

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ

(3234) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं कअ़बा के पास पहुँचा। रसूलुल्लाह (ﷺ), उसामा बिन ज़ैद और बिलाल (रज़ि.) उसमें दाख़िल हो चुके

انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَابُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا هَا هُنَا . قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى.

थे और हज़रत उ़समान बिन तलहा (रज़ि.) ने उनके लिये दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये हज़रात काफ़ी देर तक अंदर रहे। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया, तो नबी (ﷺ) बाहर निकले और मैं सीढ़ी पर चढ़कर अंदर चला गया और मैंने पूछा, नबी (ﷺ) ने नमाज़ कहाँ पढ़ी है? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ। और मैं उनसे ये पूछना भूल गया कि आपने कितनी रकआ़त पढ़ी हैं।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

(3235) सालिम (रह.) अपने बाप (इब्ने उ़मर) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ), उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उ़समान (रज़ि.) बैतुल्लाह के अंदर दाख़िल हुए और दरवाज़ा बंद कर लिया। तो जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, सबसे पहले मैं दाख़िल हुआ। मैं बिलाल (रज़ि.) को मिला और उससे पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसमें नमाज़ पढ़ी है? उसने कहा, हाँ! दो यमानी सतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है।
(सहीह बुख़ारी : 1598, 6908)

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ

(3236) सालिम (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं, मैंने देखा, रसूलुल्लाह(ﷺ), उसामा बिन ज़ैद, बिलाल और उ़समान बिन तलहा (रज़ि.) बैतुल्लाह में दाख़िल हुए, उनके साथ कोई और दाख़िल नहीं हुआ। फिर उन पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया।

وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أُغْلِقَتْ عَلَيْهِمْ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي بِلاَلٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं कि मुझे हज़रत बिलाल या हज़रत उसमान बिन तलहा (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कअबा के अंदर दो यमानी सतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ . قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَ " هَذِهِ الْقِبْلَةُ " . قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ .

(3237) इब्ने जुरैज (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत अता (रह.) से पूछा, क्या आपने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ये कहते सुना है कि तुम्हें तवाफ़ करने का हुक्म दिया गया है और तुम्हें कअबा के अंदर दाख़िल होने का हुक्म नहीं दिया गया। उसने जवाब दिया, वो उसमें दाख़िल होने से मना नहीं करते थे। लेकिन मैंने उन्हें ये कहते सुना है कि मुझे उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने बताया, जब नबी (ﷺ) बैतुल्लाह में दाख़िल हुए तो आपने उसके तमाम अतराफ़ में दुआ माँगी और उसमें नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि आप बाहर निकले। तो जब आप बाहर निकले, बैतुल्लाह के सामने दो रकअतें पढ़ीं और आपने फ़रमाया, 'ये क़िब्ला है।' मैंने उससे पूछा, उसके जवानिब से क्या मुराद है? क्या उसके कोनों में? उसने कहा, बल्कि बैतुल्लाह के तमाम अतराफ़ के सामने।

(नसाई : 5/220)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(3238) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) कअबा के अंदर दाख़िल हुए और उसमें छः सतून थे, तो

عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ .

आपने हर सतून के पास खड़े होकर दुआ की और नमाज़ नहीं पढ़ी।

फ़ायदा : हज़रत बिलाल (रज़ि.) के क़ौल के मुताबिक़, हुज़ूर (ﷺ) ने कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ी है और हज़रत उसामा के बक़ौल आपने सिर्फ़ तमाम अतराफ़ व जवानिब में दुआ फ़रमाई है, नमाज़ नहीं पढ़ी है। लेकिन तमाम मुहद्दिसीन का उसूली क़ाइदा है कि मुस्बत, मन्फ़ी पर मुक़द्दम है यानी किसी वाक़िये के बारे में ज़्यादा चीज़ बताने वाले की बात मानी जायेगी, नफ़ी करने वाले की बात नज़र अन्दाज़ कर दी जायेगी। क्योंकि हर एक अपने इल्म के मुताबिक़ बात करता है और एक का इल्म दूसरे से ज़्यादा हो सकता है। चूंकि आपने अंदर दाख़िल होकर दुआ और नमाज़, दोनों काम किये हैं। इसलिये हर एक ने जो देखा था बता दिया। हज़रत उसामा दूर, दुआ में मशग़ूल रहे और आपने दुआ से फ़राग़त के बाद दो हल्की रकआत पढ़ीं। हज़रत उसामा बिलाल (रज़ि.) पास थे। उन्होंने देख लिया, हज़रत उसामा दूर थे, दरवाज़ा बंद होने की वजह से अन्धेरा था, इसलिये वो न देख सके या हो सकता है आप दो बार दाख़िल हुए हों, एक बार नमाज़ पढ़ी और एक बार न पढ़ी, इसलिये हज़रत उसामा से नफ़ी और इस्बात दोनों साबित हैं, लेकिन बैतुल्लाह में दाख़िल होना और नमाज़ पढ़ना, मनासिके हज में दाख़िल नहीं है। इसलिये जुम्हूर के नज़दीक आप हज्जतुल वदाअ में कअबा के अंदर दाख़िल नहीं हुए, ताकि लोग इसको हज का हिस्सा न समझ लें। नीज़ कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ने में अइम्मा के दरम्यान इख़्तिलाफ़ है, अगर कअबा का दरवाज़ा बंद हो तो जुम्हूर जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद भी दाख़िल हैं, इनके नज़दीक कअबा के किसी भी तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढना सहीह है। ख़्वाह नमाज़ फ़र्ज़ हो या नफ़ल, इमाम मालिक के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज़ वित्र, फ़ज्र की सुन्नतें और तवाफ़ की दो रकआत सहीह या जाइज़ नहीं। आम नफ़ल पढ़ना जाइज़ है और कुछ अहले जाहिर के नज़दीक कोई नमाज़, ख़्वाह फ़र्ज़ हो या नफ़ल, पढ़ना जाइज़ नहीं है। इब्ने अब्बास (रजि.), हज़रत उसामा (रज़ि.) की बात ही नक़ल करते थे।

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ قَالَ لاَ .

(3239) इस्माईल बिन ख़ालिद (रह.) बयान करते हैं कि मैंने सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से पूछा, क्या नबी(ﷺ) अपने उम्रह में बैतुल्लाह में दाख़िल हुए थे? उन्होंने कहा, नहीं।

फ़ायदा : उमरतुल क़ज़ा 7 हिजरी में उस वक़्त बैतुल्लाह पर मुश्रिकीने मक्का का तसल्लुत था और कअबा के अंदर बुत रखे हुए थे, इसलिये आप बैतुल्लाह के अंदर दाख़िल नहीं हुए, फ़तहे मक्का के वक़्त जब क़ुरैश का ग़ल्बा ख़त्म हो गया और बैतुल्लाह को बुतों से पाक कर दिया गया, तब आप अंदर दाखिल हुए और दुआ व नमाज़ से लुत्फ़ अन्दोज़ हुए।

बाब 73 : कअबा को तोड़कर तामीर करना

باب نَقْضِ الْكَعْبَةِ وَبِنَائِهَا

(3240) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'अगर तेरी क़ौम, कुफ़्र से नई-नई न निकली होती तो मैं कअबा को तोड़कर उसको इब्राहीमी बुनियादों पर इस्तवार करता, क्योंकि क़ुरैश ने जब इसे (नये सिरे से) तामीर किया, तो इसे कम कर दिया और मैं इसके पिछवाड़े एक दरवाज़ा बनाता।'
(सहीह बुख़ारी : 1585, नसाई : 5/215)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا ".

(3241) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(3242) नबी (ﷺ) की ज़ोजा मोहतरमा आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तेरी क़ौम ने जब कअबा तामीर किया, उसे इब्राहीमी बुनियादों से कम कर दिया?' तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप इसे इब्राहीमी बुनियादों पर नहीं लौटायेंगे? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلَمْ

تَرَىْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ " . قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ " . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ .

फ़रमाया, 'अगर तेरी क़ौम कुफ़्र से नई-नई न निकली होती तो मैं ये काम कर देता।' अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं, अगर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने वाक़ेई ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है (यानी यक़ीनन सुनी है) तो मेरे ख़याल में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हिज्र (हतीम) के क़रीबी रुक्नों का इस्तिलाम करना इसलिये छोड़ा है कि बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल तौर पर इब्राहीमी बुनियादों पर नहीं हुई थी।

(सहीह बुख़ारी : 1583, 3368, 4484, नसाई : 5/214)

फ़ायदा : बैतुल्लाह की तामीर अलग-अलग दौर में होती रही है। सबसे पहले तामीर फ़रिश्तों ने की, फिर आदम (अ़लै.) ने फिर हज़रत शीस (अ़लै.) ने, तूफ़ाने नूह में ये डूब गया और इसकी बुनियादें भी नज़रों से ओझल हो गईं तो चौथी बार अल्लाह तआ़ला के हुक्म से बाप बेटा इब्राहीम और इस्माईल (अ़लै.) ने इसको नये सिरे से तामीर किया। हज़रत इब्राहीम के बाद बनू अ़मालक़ा ने फिर बनू जुरहुम ने फिर क़ुसय ने आठवीं बार इसको क़ुरैश ने तामीर किया और इस तामीर में हुज़ूर (ﷺ) भी शरीक थे। हज्रे अस्वद मुक़र्ररह जगह आप (ﷺ) ही ने रखा था। लेकिन चूंकि क़ुरैश ने इसकी तामीर में ख़ालिस हलाल माल ख़र्च किया था और वो कम था इसलिये हतीम वाला हिस्सा छोड़ दिया गया और रुक्ने यमानी और रुक्ने हज्रे अस्वद के सिवा बाक़ी दोनों रुक्न अपनी सहीह बुनियादों पर तामीर न हो सके। इसलिये बैतुल्लाह का तवाफ़ हिज्र (हतीम) के ऊपर से किया जाता है, लेकिन इस तरफ़ वाले दोनों रुक्नों का इब्राहीमी बुनियादों पर न होने की वजह से इस्तिलाम नहीं किया जाता। हुज़ूर (ﷺ) की ख़्वाहिश थी कि क़अ़बा को तोड़कर नये सिरे से तामीर करें और उसकी कुर्सी ज़मीन के क़रीब रखें, ताकि लोग इसमें दाख़िल हो सकें और इसके दो दरवाज़े रखें ताकि एक से लोग दाख़िल हों और दूसरे से बाहर निकलें और आने-जाने में सहूलत हो जाये। लेकिन चूंकि क़ुरैश फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, इसलिये ख़तरा था कि ये नये तामीर उनके लिये फ़ित्ना और आज़माइश का बाइस बनेगी और ये चीज़ उस वक़्त की दीनी मस्लिहत के ख़िलाफ़ थी। इसलिये आपने फ़ित्ना व फ़साद से बचने के लिये औला और बेहतर काम को तर्क कर दिया। इसलिये हुक्मरानों के लिये ज़रूरी है कि वो अवाम के मसालेह और फ़वाइद का

लिहाज़ रखें, लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि वो शिरकिया और कुफ़्रिया अफ़आल व आमाल का पेश ख़ेमा और सबब बनते हों। इसलिये अगर सऊदी हुक्काम ने पुख़्ता क़ब्रों और मज़ारों को गिराया था तो ये क़ाबिले तारीफ़ काम किया था, न कि क़ाबिले मज़म्मत किया। नमाज़ को छोड़ना और सूदी कारोबार करना और तस्वीर साज़ी को इसलिये नज़र अन्दाज़ किया जा सकता है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी अक्सरियत नाजाइज़ कामों की मुर्तकिब है, अगर इन अफ़आले बद पर उनकी पकड़ शुरू की जाये तो अवाम में तनफ़्फ़ुर, तवह्हुश और जज़्बाती उबाल पैदा होगा और वो तमाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जायेंगे, इस तरह अगर ज़कात के हुसूल, हुदूद व तअज़ीराते शरइय्या के उजरा और दीगर अहकामे शरइय्या के निफ़ाज़ में कोई रू रिआयत नहीं करनी चाहिये, तो मज़ारों और क़ब्रों पर गुम्बदों की तामीर के लिये रू रिआयत क्यों बरती जाये और उनके गिराने पर ऐतराज़ क्यों किया जाये, जबकि ये काम सऊदी उलमा के नज़दीक नाजाइज़ हैं और शिर्क का पेश ख़ेमा हैं।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ، بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ - لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ وَلأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ " .

(3243) हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी (ﷺ) की ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'अगर तेरी क़ौम नई-नई दौरे जाहिलिय्यत या दौरे कुफ़्र से न निकली होती तो मैं कअबा का ख़ज़ाना अल्लाह की राह में ख़र्च कर देता और मैं उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता और मैं हिज्र को उसमें दाख़िल कर देता।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدٍ، -

(3244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मेरी ख़ाला आइशा (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह

يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي، - يَعْنِي عَائِشَةَ - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَأَلْزَقْتُهَا بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الْكَعْبَةَ " .

(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! अगर तेरी क़ौम शिर्क से नई-नई न निकली होती तो मैं कअ़बा को गिराकर उसको ज़मीन के साथ मिला देता और उसके दो दरवाज़े बनाता, एक दरवाज़ा मश्रिक़ की जानिब और दूसरा दरवाज़ा मग़्रिबी जानिब और हिज्र में से छ: हाथ की जगह कअ़बा में शामिल कर देता, क्योंकि क़ुरैश ने जब कअ़बा बनाया था, इतना उसको कम कर दिया था।'

(नसाई : 5/218)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ - أَوْ يُحَرِّبَهُمْ -عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْىٌ فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا

(3245) अ़ता (रह.) बयान करते हैं कि जब यज़ीद बिन मुआ़विया के दौर में अहले शाम ने बैतुल्लाह पर हमला किया और बैतुल्लाह जल गया और उसका जो हाल हुआ था हुआ। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने लोगों के हज के लिये आने तक उसे उसी तरह छोड़ दिया। वो चाहते थे लोगों को उनके ख़िलाफ़ जुरअत दिलायें या उनके ख़िलाफ़ इश्तिआ़ल दिलायें और भड़कायें। तो जब लोग वापस जाने लगे, हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने उनसे कहा, ऐ लोगो! कअ़बा के बारे में मशवरा दो, मैं उसे तोड़कर नये सिरे से बनाऊँ या इसका जो हिस्सा कमज़ोर हो गया है, उसको दुरुस्त कर दूँ? इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, मुझ पर एक राय खुली है, मैं समझता हूँ आप इसके कमज़ोर शुदा हिस्से को दुरुस्त कर दें। उस घर को रहने दें जिस पर लोग मुसलमान हुए। उन पत्थरों को छोड़ दें, जिन पर लोग इस्लाम लाये और जिन पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की बिअ़्सत

أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وأحْجارًا أَسْلَم النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ علَيْها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَان أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رضِي حَتَّى يُجِدَّهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلاَثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مضَى الثَّلاَثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَها فَتحاماهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِل بِأَوَّلِ النَّاس يصْعدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّماء حتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصابَهُ شَيْءٌ تَتابَعُوا فنقَضُوهُ حتَّى بلَغُوا بهِ الأَرْض فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدةً فسَتَّرَ عَلَيْها السُّتُورَ حَتَّى ارْتفع بِنَاؤُهُ . وَقالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عهْدُهُمْ بِكُفْرٍ ولَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبابًا

हुई। हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा, अगर तुममें से किसी का घर जल जाये तो वो उसे नये सिरे से तामीर किये बग़ैर नहीं रहेगा (यानी नई तामीर के बग़ैर मुत्मइन नहीं होगा) तो तुम्हारे रब के घर को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं तीन बार इस्तिख़ारा करूँगा, फिर अपने काम का अज़्म करूँगा। फिर जब तीन दिन गुज़र गये (तीन बार इस्तिख़ारा कर लिया)। तो उन्होंने उसके तोड़ने का पुख़्ता इरादा कर लिया। लोगों को डर महसूस हुआ कि सबसे पहले जो आदमी (कअ़बा गिराने के लिये) चढ़ेगा उस पर आसमानी आफ़त नाज़िल होगी, यहाँ तक कि एक आदमी चढ़कर उसके पत्थर गिराने लगा। तो जब लोगों ने उसको किसी आफ़त में गिरफ़्तार होते न देखा, तो वो मुसलसल गिराने लगे और उन्होंने उसे तोड़कर ज़मीन तक पहुँचा दिया। हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने चंद सतून खड़े करके उन पर पर्दे डाल दिये (ताकि लोग उनकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ सकें और उनके इर्द-गिर्द तवाफ़ हो सके) यहाँ तक कि उसकी इमारत बुलंद हो गई और हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने बताया कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) को फ़रमाते हुए सुना कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर लोग कुफ़्र से नये-नये न निकले होते और मेरे पास इतना ख़र्च भी नहीं कि मैं इसको नये सिरे से बना सकूँ, तो मैं इसमें हिज्र से पाँच हाथ दाख़िल कर देता और मैं इसका एक दरवाज़ा ऐसा बनाता जिससे लोग दाख़िल होते और दूसरा दरवाज़ा ऐसा बनाता

يَخْرُجُونَ مِنْهُ " . قَالَ فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ - قَالَ - فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ حَتَّى أَبْدَى أُسًّا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعًا فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشْرَ أَذْرُعٍ وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ وَالآخَرُ يُخْرَجُ مِنْهُ . فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسٍّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَىْءٍ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ . فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ .

जिससे लोग बाहर निकलते।' हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा, इस वक़्त मेरे पास ख़र्चा मौजूद है और मुझे लोगों से ख़तरा भी नहीं है। तो उन्होंने (कअ़बा में) हिज्र से पाँच हाथ ज़मीन शामिल कर दी यहाँ तक कि उन्होंने (इब्राहीमी) बुनियाद को ज़ाहिर किया और उसे लोगों ने देखा, उस पर इमारत तामीर की गई। कअ़बा की लम्बाई (ऊपर को) 18 हाथ थी, जब उन्होंने उसमें (हिज्र का हिस्सा का) इज़ाफ़ा किया तो उसे कम समझा और उसकी लम्बाई (ऊँचाई) में दस हाथ का इज़ाफ़ा कर दिया और उसके दो दरवाज़े बनाये, एक जिससे उसमें दाख़िल हुआ जाये और दूसरा जिससे बाहर निकला जाये। जब हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) शहीद कर दिये गये, हज्जाज ने अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान को इसकी इत्तिलाअ़ दी और उसे बताया कि इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने बैतुल्लाह की इमारत की तामीर ऐसी बुनियादों पर की है, जिन्हें अहले मक्का के आ़दिल (मोतबर) लोगों ने देखा है। तो अ़ब्दुल मलिक ने लिखा, हमें इब्ने ज़ुबैर की लतपत से कोई सरोकार नहीं है, इसलिये उसने जो लम्बाई में इज़ाफ़ा किया, उसको रहने दो और जो हतीम से उसमें बढ़ाया है उसको असल की तरफ़ लौटा दो और जो दरवाज़ा खोला है उसे भी बंद कर दो। तो हज्जाज ने उसे तोड़कर पहली तामीर की तरफ़ लौटा दिया।

फ़ायदा : यज़ीद के लश्कर ने 64 हिजरी में अहले मक्का का मुहासरा किया था और इस सिलसिले में मिन्जनीक को इस्तेमाल किया था, जिसके पत्थर बैतुल्लाह को लगे और उसमें आग भड़क उठी,

जिससे कअबा जल गया और उसके पत्थर कमज़ोर हो गये। 64 हिजरी में जब यज़ीद की वफ़ात के बाद मुहासरा उठा लिया गया तो बैतुल्लाह को कुछ महीने इसी तरह रहने दिया गया। ताकि लोगों को बनू उमय्या के ख़िलाफ़ भड़काया जा सके, क्योंकि युजर्रिअहुम का मानी है, उनके ख़िलाफ़ जुरअत व शुजाअत दिखाने पर आमादा कर सकें और युहर्रिबहुम का मानी है, उनके ग़ैज़ व ग़ज़ब को भड़का सकें या उनको लड़ाई पर आमादा कर सकें, हज के बाद उन्होंने इस्तिख़ारा करके कअबा को नये सिरे से तामीर करवाया और हुज़ूर (ﷺ) की ख़्वाहिश के मुताबिक़ उसमें बैतुल्लाह के मतरूका (छोड़े गये) हिस्से का इज़ाफ़ा किया और उसके लिये इब्राहीमी बुनियादों को लोगों को दिखाया गया ताकि किसी के दिल में शक व शुब्हा न गुज़रे, जब उसको इब्राहीमी बुनियादों पर तामीर कर दिया गया तो उसके चारों कोनों का इस्तिलाम शुरू हो गया। 73 हिजरी में हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) शहीद कर दिये गये, तो हज के बाद उसको फिर नये सिरे से पहली सूरत पर तामीर कर दिया गया और हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) का इज़ाफ़ा ख़त्म कर दिया गया।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ، اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا ‏.‏ قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا ‏.‏ قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ وَلَوْلاَ حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشِّرْكِ

(3246) अब्दुल्लाह बिन उबैद (रह.) बयान करते हैं, हारिस बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास उसकी ख़िलाफ़त के ज़माने में क़ासिद बनकर आया तो अब्दुल मलिक ने कहा, मैं नहीं समझता कि अबू ख़ुबैब यानी इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से वो बात सुनी है जिसके सुनने का दावा करता है। हारिस कहने लगा, क्यों नहीं! मैंने उन (आइशा रज़ि.) से ये रिवायत सुनी है। अब्दुल मलिक ने कहा, तूने उन्हें क्या फ़रमाते सुना है? उसने कहा, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरी क़ौम ने बैतुल्लाह की तामीर में कमी कर दी और अगर उसने शिर्क को नया-नया न छोड़ा होता, तो उन्होंने जितना हिस्सा उसमें से छोड़ दिया है, उसको दोबारा बना देता। अगर तेरी क़ौम का मेरे बाद उसको दोबारा बनाने का इरादा बन जाये तो आओ मैं

أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ " . فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا " . قَالَتْ قُلْتُ لاَ . قَالَ " تَعَزُّزًا أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ " . قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

तुम्हें वो हिस्सा दिखा दूँ, जो उसमें से उन्होंने छोड़ दिया है।' तो आपने उन्हें (आइशा रज़ि. को) तक़रीबन सात हाथ जगह दिखाई। ये अ़ब्दुल्लाह बिन उ़बेद की रिवायत है और उसमें वलीद बिन अ़ता (रह.) ने ये इज़ाफ़ा किया है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं उसके ज़मीन पर रखे हुए दो दरवाज़े एक मश्रिक़ की जानिब और एक मग़रिब की जानिब बना देता और तुम जानती हो तेरी क़ौम ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊँचा क्यों रखा था?' उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'फ़ख़्र व तकब्बुर के लिये इसमें सिर्फ़ वही शख़्स दाख़िल हो सके जिसे वो चाहें, जब कोई आदमी उसमें दाख़िल होने का इरादा करता तो वो उसे चढ़ते रहने देते, यहाँ तक कि जब वो दाख़िल हुआ चाहता, उसको धक्का दे देते तो वो गिर जाता।' अ़ब्दुल मलिक ने हारिस़ से पूछा, क्या तूने ख़ुद उन्हें (आइशा को) ये कहते सुना है? उसने कहा, हाँ! तो अ़ब्दुल मलिक कुछ वक़्त अपनी छड़ी से ज़मीन कुरेदता रहा (सोच-विचार करता रहा) फिर कहने लगा, काश मैं, उसने जो बोझ उठाया था उसके लिये छोड़ देता (सहीह या ग़लत काम करने का ज़िम्मेदार वही ठहरते)।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ .

(3247) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي، صغيرة عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، بَيْنَمَا هُوَ يطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتُهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم " يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرُوا فِي الْبِنَاءِ " . فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ لاَ تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ هَذَا . قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ .

(3248) अबू क़ज़अह (रह.) बयान करते हैं, अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान बैतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान कहने लगा, अल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) को तबाह करे। क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन (आइशा रज़ि.) की तरफ़ झूठी बात मन्सूब करता है या उनके बारे में झूठ कहता है कि वो कहती थीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ आइशा! अगर तेरी क़ौम ने नया-नया कुफ़्र न छोड़ा होता तो मैं बैतुल्लाह को तोड़कर उसमें हिज्र का हिस्सा दाख़िल कर देता, क्योंकि तेरी क़ौम ने उसकी तामीर (इमारत) में कमी कर दी थी।' तो हारिस बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ़ (रह.) ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये बात न कहिये, मैंने ख़ुद उम्मुल मोमिनीन को ये फ़रमाते सुना है। अ़ब्दुल मलिक ने कहा, अगर मैं ये बात उसके गिराने से पहले सुन लेता तो मैं उसे इब्ने ज़ुबैर की तामीर पर रहने देता।

फ़ायदा : हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) की शहादत के बाद, हज्जाज बिन यूसुफ़ ने अ़ब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से कअ़बा को दोबारा क़ुरैश की बुनियाद पर तामीर कर दिया था। ख़िलाफ़ते बनू अ़ब्बास में हारून रशीद ने उसको दोबारा इब्राहीमी बुनियादों पर तामीर करने का इरादा किया तो इमाम मालिक (रह.) ने उसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अब आप ऐसा न करें, लोग इसकी तामीर को खिलौना बना लेंगे और हर कि आमद इमारते नौ साख़्त का मामला शुरू हो जायेगा। इस तरह बैतुल्लाह की वक़अ़त भी कम होगी और उसकी हैबत व अ़ज़मत भी ख़त्म हो जायेगी। फिर तमाम अइम्मा ने इमाम मालिक की मुवाफ़िक़त की, इसलिये अब तक कअ़बा की तामीर, क़ुरैश की तामीर पर क़ायम है और किसी ने उसको बदलने की कोशिश नहीं की और हतीम का तक़रीबन छः हाथ हिस्सा, बैतुल्लाह से बाहर रह गया है और अपने-अपने अन्दाज़ के मुताबिक़ किसी ने उसको पाँच हाथ क़रार दिया है और किसी ने इससे ज़्यादा। इसलिये बिल्इत्तिफ़ाक़ हतीम के बाहर से तवाफ़ किया जाता है और आप (ﷺ) का यही फ़रमान है।

बाब 74 : कअबा की दीवार और उसका दरवाज़ा

باب جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا

(3249) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हतीम की दीवार के बारे में पूछा कि क्या वो बैतुल्लाह का हिस्सा है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ!' मैंने पूछा, तो उन्होंने उसे बैतुल्लाह में दाख़िल क्यों नहीं किया? आपने फ़रमाया, 'तेरी क़ौम के पास ख़र्चा कम था।' मैंने अर्ज़ किया, तो उसका दरवाज़ा क्यों बुलंद रखा गया है? आपने फ़रमाया, 'तेरी क़ौम ने ये काम इसलिये किया ताकि वो जिसे चाहें उसमें दाख़िल होने दें और जिसे चाहें रोक लें और अगर तेरी क़ौम जाहिलिय्यत के दौर से नई-नई न निकली होती, जिसकी वजह से मुझे अन्देशा है कि वो अपने दिल में इसको नागवार महसूस करेंगे, तो मैं हतीम को बैतुल्लाह में दाख़िल करने के बारे में सोचता और उसके दरवाज़े को ज़मीन के साथ मिलाने के बारे में सोचता।'

(सहीह बुख़ारी : 1584, 7243, इब्ने माजह : 2955)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ " نَعَمْ " . قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ " إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ " . قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ " فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافَ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْزِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ " .

(3250) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हिज्र के बारे में सवाल किया, आगे ऊपर वाली रिवायत है और इसमें ये है, मैंने अर्ज़ किया, क्या बात है कि इसका दरवाज़ा बुलंद है और

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِجْرِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لاَ يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسُلَّمٍ وَقَالَ " مَخَافَةَ أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ " .

सीढ़ी के बग़ैर इस तक चढ़ा नहीं जा सकता? और आपने फ़रमाया, 'इस डर से कि उनके दिलों में नफ़रत पैदा होगी।'

بَاب الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ، لِزَمَانَةٍ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ

बाब 75 : दायमी बीमारी, बुढ़ापे वग़ैरह के सबब आजिज़ व बेबस होने वाले और मय्यित की तरफ़ से हज करना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ، يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

(3251) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़ज़्ल बिन अब्बास रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवार थे तो आपके पास ख़स्अम क़बीले की एक औरत मसला पूछने के लिये आई। फ़ज़्ल उस औरत को देखने लगे और औरत उसे देखने लगी और रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज़्ल (रज़ि.) के चेहरे को दूसरे रुख़ की तरफ़ फेरने लगे। औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह का अपने बन्दों पर फ़र्ज़ हज, मेरे बाप पर इस हाल में फ़र्ज़ हुआ है कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और सवारी पर जम कर बैठ नहीं सकता है, तो क्या मैं उसकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' और ये हज्जतुल वदाअ का वाक़िया है।

(सहीह बुख़ारी : 1513, 1854, 1855, 4399, 6228, अबू दाऊद : 1809, नसाई : 5/116, 5/117, 5/118, 5/119, 8/228, 8/229)

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَحُجِّي عَنْهُ "

(3252) हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करते हैं, ख़स्अम क़बीले की एक औरत ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा बाप बहुत बूढ़ा है, उस पर अल्लाह का फ़रीज़ा हज, फ़र्ज़ हो चुका है और वो अपने ऊँट की पुश्त (पीठ) पर बैठ नहीं सकता। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू उसकी तरफ़ से हज कर।'

(सहीह बुख़ारी : 1853, तिर्मिज़ी : 928, नसाई : 8, 227, इब्ने माजह : 2909)

फ़ायदा : इस हदीस़ से ये बात साबित होती है कि अगर किसी इंसान पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो, लेकिन वो किसी उ़ज़्र की बिना पर ख़ुद हज न कर सकता हो तो उसकी तरफ़ से दूसरा मर्द या औ़रत हज कर सकती है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मौक़िफ़ है। लेकिन मालिकिया के नज़दीक किसी की तरफ़ से हज नहीं किया जा सकता। जुम्हूर के नज़दीक मालदार शख़्स अगर मजबूरी की वजह से ख़ुद हज न कर सकता हो तो उस पर लाज़िम है कि वो किसी से अपनी जगह हज करवाये। इस तरह मय्यित की तरफ़ से भी हज किया जा सकता है। बल्कि कुछ फ़ुक़हा के नज़दीक मय्यित के तरका से हज करना, अगर उसने माल छोड़ा हो और ज़िन्दगी में उस पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो, तो उसकी तरफ़ से हज करना लाज़िम है। इमाम शाफ़ेई का नज़रिया भी यही है और जुम्हूर के नज़दीक हज्जे बदल इंसान कर सकता है, जिसने अपना हज कर लिया हो और अहनाफ़ के नज़दीक ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ बेहतर है कि उसने पहले अपना हज किया हो, फिर हज्जे बदल करे।

باب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

बाब 76 : बच्चे का हज सहीह है और उसका हज करवाने वाले के लिये सवाब है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ، عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ،

(3253) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) रौहा मक़ाम पर एक क़ाफ़िले को मिले और आपने पूछा, 'कौन लोग हो?' उन्होंने कहा, मुसलमान हैं। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? आपने फ़रमाया, 'अल्लाह का रसूल हूँ।' तो एक औ़रत ने

مولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ " مَنِ الْقَوْمُ " . قَالُوا الْمُسْلِمُونَ . فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ " رَسُولُ اللَّهِ " . فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

आपके सामने एक बच्चा पेश किया और पूछा, क्या इसका हज हो जायेगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ! और अज्र तुम्हें मिलेगा।'
(अबू दाऊद : 1736, नसाई ; 5/120-121)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ " نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .

(3254) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, एक औरत ने अपना बच्चा उठाया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका हज दुरुस्त है? आपने फ़रमाया, 'हाँ और अज्र तुझे मिलेगा।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ امْرَأَةً، رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ "نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ".

(3255) हज़रत कुरैब (रह.) बयान करते हैं, एक औरत ने बच्चा उठाया और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इसका हज हो जायेगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ! और तुझे सवाब मिलेगा।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ .

(3256) मुसन्निफ़ ऊपर वाली रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।
(नसाई : 5/120)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि बच्चे का हज सहीह है और करवाने वाले को सवाब मिलता है। लेकिन ये हज बुलूग़त के बाद फ़र्ज़ होने वाले हज का बदल नहीं बन सकता बुलूग़त के बाद इस्तिताअत की सूरत में हज करना फ़र्ज़ होगा। आम तौर पर उलमा ने ये बयान किया है कि अहनाफ़ के

नज़दीक बच्चे का हज सहीह नहीं है, लेकिन अल्लामा कासानी हन्फ़ी ने लिखा है, बच्चे का हज नफ़ली होगा, इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ इस मसले में है, इस पर किसी कोताही और कुसूर की सूरत में दम लाज़िम आयेगा या नहीं, अइम्म-ए-सलासा के नज़दीक अगर बच्चे से कोई कुसूर हो जाये तो उस पर दम होगा, क्योंकि उसके सरपरस्त ने कोताही की है, इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक दम नहीं पड़ेगा। बदाइउस्सनाइअ जिल्द 2, पेज नं. 120

باب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ

बाब 77 : उम्र में हज एक बार फ़र्ज़ है

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " . فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ - ثُمَّ قَالَ - ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَدَعُوهُ " .

(3257) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़िताब करते हुए फ़रमाया, 'ऐ लोगो! अल्लाह तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ क़रार दिया है, इसलिये हज करो।' तो एक आदमी ने पूछा, क्या हर साल? ऐ अल्लाह के रसूल! आप ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि उसने तीन बार पूछा। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो जाता और तुम हर साल कर न सकते।' फिर फ़रमाया, 'जिन चीज़ों का मैं तज़्किरा न करूँ, तुम उनकी तफ़्सील पूछना छोड़ दो, क्योंकि तुमसे पहले लोग इसलिये हलाक हुए क्योंकि उन्होंने सवालात बहुत किये और फिर अम्बिया की मुख़ालिफ़त की, तो जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उस पर अपनी क़ुदरत के मुताबिक़ अमल करो और जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ, तो उससे बाज़ रहो (रुक जाओ)।'

(नसाई : 5/110)

फ़ायदा : अम्र, फ़ैअले मामूर के करने का मुतालबा करता है और उस पर अमलपैरा होने के लिये उसका एक बार कर लेना काफ़ी है और उसका बार-बार करना ज़रूरी नहीं है, सहीह बात यही है। हाँ अगर तकरार पर दलालत करने का क़रीना और दलील मौजूद हो तो फिर उसे बार-बार बजा लाना होगा और आपका ये फ़रमाना, 'तुम मुझे उतनी ही बात पर छोड़ दो जिस पर मैं तुम्हें छोड़ दूँ' इस बात की दलील है कि शरीअत में किसी हुक्म के वारिद हुए बग़ैर कोई हुक्म फ़र्ज़ नहीं होता। यानी शरीअत ने जिस चीज़ से ख़ामोशी और सुकूत इख़्तियार किया है तो उसको करना जाइज़ है। इल्ला (मगर) ये कि वो काम शरीअत के किसी हुक्म के मुनाफ़ी हो। इस तरह आपका ये फ़रमाना, 'तो जब मैं तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उस पर अपनी क़ुदरत के मुताबिक़ अमल करो' इस बात की दलील है कि इंसान अपनी इस्तिताअत और मक़्दरत के मुताबिक़ अमल करने का पाबंद है। अगर वुज़ू नहीं कर सकता, तयम्मुम कर ले। खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो बैठकर नमाज़ पढ़ ले। क़ुव्वत व ताक़त के बलबूते पर बुराई नहीं रोक सकता, ज़बान से रोके, ज़बान से नहीं रोक सकता, तो दिल में उसके इज़ाले की तदबीर पर ग़ौर व फ़िक्र करे। इसी तरह आपने फ़रमाया, 'जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ तो उससे बाज़ रहो' जिससे मालूम होता है, बुराई से बिल्कुल किनारा कशी इख़्तियार करना चाहिये। क्योंकि काम करने में तो मेहनत और मशक़्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन छोड़ना इस क़द्र मुश्किल और सख़्त तलब नहीं है, इसलिये इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिये और इसके इर्तिकाब से बचना चाहिये।

बाब 78 : हज वग़ैरह का सफ़र महरम के साथ करना चाहिये

باب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ

(3258) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई औरत तीन दिन का सफ़र महरम के बग़ैर न करे।'

(सहीह बुख़ारी : 1087, अबू दाऊद : 1727)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .

(3259) इमाम साहब यही रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं, अबू बक्र की रिवायत में है, 'तीन दिन से ज़्यादा' और इब्ने

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ

نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ، "ثَلاَثَةً إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .

नुमेर की रिवायत है, 'तीन दिन के लिये, उसके साथ महरम होना चाहिये।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .

(3260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो औरत अल्लाह और आख़िरत के दिन पर यक़ीन रखती है, उसके लिये जाइज़ नहीं है कि वो बग़ैर महरम के तीन रातों की मसाफ़त का सफ़र करे।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، - وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ، حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا " .

(3261) क़ज़अह (रह.) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से एक हदीस सुनी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपने ये रिवायत बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है? उसने कहा, तो क्या मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के बारे में वो बात कहता हूँ जो मैंने सुनी नहीं है? उसने कहा, मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना, 'तीन मस्जिदों के सिवा किसी जगह का रख़्ते सफ़र न बान्धो, मेरी ये मस्जिद, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़्सा।' और मैंने आपसे ये भी सुना, 'कोई औरत किसी वक़्त दो दिन का सफ़र न करे, मगर उसके साथ उसका महरम या शौहर होना चाहिये।'
(सहीह बुख़ारी : 1197, 1864, 1995, तिर्मिज़ी : 326, इब्ने माजह : 1410)

फ़ायदा : औरत बग़ैर महरम के कितनी मसाफ़त का सफ़र कर सकती है, इसके बारे में अलग-अलग रिवायतें आई हैं। मालूम होता है आप (ﷺ) से अलग-अलग मौक़ों पर, अलग-अलग मसाफ़त के बारे में सवाल किया गया और आपने उसके मुताबिक़ जवाब दिया। किसी ने तीन दिन की मसाफ़त के बारे में सवाल किया, किसी ने दो दिन के बारे में और किसी ने एक दिन के बारे में, आपने हर एक को यही जवाब दिया कि बग़ैर महरम के सफ़र जाइज़ नहीं है। कुछ रिवायात में एक बरीद की मसाफ़त आई है, जो बारह मील है और कुछ में तीन मील आया है सहीह बात यही है कि जो भी सफ़र है कम हो या ज़्यादा जिससे मालूम होता है, औरत को बग़ैर महरम के सफ़र नहीं करना चाहिये, जैसाकि इस बाब के आख़िर में हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत आ रही है कि औरत बग़ैर महरम के सफ़र न करे। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक तीन दिन से कम मसाफ़त का सफ़र, बग़ैर महरम कर सकती है। सफ़रे हज के बारे में इख़्तिलाफ़ है, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अगर सफ़र में अमन और इत्मीनान व सुकून हासिल हो, जिसकी तीन सूरतें हैं (1) शौहर साथ हो (2) ऐसा रिश्तेदार साथ हो, जिसके साथ निकाह नहीं हो सकता (3) कुछ मोतबर और क़ाबिले ऐतमाद औरतें साथ हों। इन तीनों में से किसी एक का होना ज़रूरी है, तो औरत पर हज करना लाज़िम है। इसके बग़ैर वो हज नहीं कर सकती। अता, सईद बिन जुबेर, इब्ने सीरीन और औज़ाई (रह.) का मौक़िफ़ भी यही है। अहनाफ़ और हनाबिला के यहाँ औरत महरम के बग़ैर हज नहीं कर सकती। हाँ अगर मसाफ़त तीन दिन से कम हो तो अहनाफ़ के नज़दीक हज करेगी। अल्लामा अनवर शाम कशमीरी ने लिखा है, अगर अमन का ज़माना हो और औरत को ऐतमाद हो तो वो तन्हा भी सफ़र कर सकती है। मौलाना बदर आलम मेरठी ने भी इसकी ताईद की है। फ़ैज़ुल बारी जिल्द 3, पेज नं. 397 सहीह बात ये है कि आम हालात में महरम के बग़ैर सफ़र नहीं करना चाहिये, अगर कोई मजबूरी या उ़ज़्र हो और महरम साथ न जा सकता हो, तो फिर औरत फ़र्ज़ हज कर सकती है, बशर्तेकि क़ाबिले ऐतमाद औरतें और उनके महरम साथ हों। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है कि किसी जगह को मुक़द्दस व मुतबर्रक और मोहतरम समझकर या अज्र व सवाब में इज़ाफ़े का बाइस समझकर या उसमें दुआ और इबादत की नज़्र मानकर रख़्ते सफ़र बांधना, तीन मसाजिद के सिवा जाइज़ नहीं है, हाँ किसी और मक़सद की ख़ातिर जैसे हुसूले इल्म, तिजारत, सैर व सियाहत के लिये किसी भी जगह का सफ़र किया जा सकता है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ، عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى

(3262) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से चार बातें सुनीं, जो मुझे बहुत पसंद आईं और अच्छी लगीं। आपने इस बात से मना फ़रमाया कि औरत दो दिन की मसाफ़त का सफ़र

الله عليه وسلم أَرْبَعًا فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ‏.‏ وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ‏.‏

अपने ख़ाविन्द या महरम के बग़ैर करे और बाक़ी हदीस़ बयान की।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ، مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " ‏.‏

(3263) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'औरत तीन दिन का सफ़र महरम के बग़ैर न करे।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، - قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ‏"‏ ‏.‏

(3264) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'औरत तीन रात से ज़्यादा का सफ़र महरम के बग़ैर न करे।'

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ‏"‏ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ‏"‏ ‏.‏

(3265) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें फ़ौक़ स़लास़ा लयालिन तीन रात से ऊपर की बजाय अक्स़र मिन स़लास़ तीन से ज़्यादा का ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا ‏"‏ ‏.‏

(3266) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'किसी मुसलमान औरत के लिये जाइज़ नहीं है कि वो एक रात की मसाफ़त किसी अपने महरम मर्द के बग़ैर तय करे।'

(अबू दाऊद : 1723)

(3267) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'किसी ऐसी औरत के लिये जो अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती है जाइज़ नहीं है कि वो एक दिन, रात की मसाफ़त अपने महरम के बग़ैर तय करे।'
(सहीह बुख़ारी : 1088)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .

(3268) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखने वाली किसी औरत के लिये जाइज़ नहीं है कि वो अपने महरम के बग़ैर एक दिन, रात की मसाफ़त तय करे।'
(अबू दाऊद : 1724, तिर्मिज़ी : 1170)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا "

(3269) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'किसी औरत के लिये जाइज़ नहीं कि वो तीन दिन का सफ़र अपने महरम के बग़ैर करे।'

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ، أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".

(3270) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखने वाली औरत के लिये जाइज़ नहीं है कि वो तीन दिन या इससे ज़्यादा का सफ़र, अपने बाप या अपने बेटे या अपने ख़ाविन्द या

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا - عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَحِلُّ

لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا".

अपने भाई या अपने महरम के बग़ैर करे।'
(अबू दाऊद : 1726, तिर्मिज़ी : 1169, इब्ने माजह : 2898)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(3271) यही रिवायत इमाम साहब दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا . قَالَ " انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ " .

(3272) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़िताब फ़रमाते हुए सुना, 'कोई मर्द, किसी औरत के साथ, उसके महरम के बग़ैर तन्हाई में न रहे या अकेला न हो और औरत महरम के बग़ैर सफ़र न करे।' तो एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी हज पर जा रही है और मेरा नाम फ़लाँ-फ़लाँ लड़ाई में लिख दिया गया है? आपने फ़रमाया, 'जाओ! अपनी बीवी के साथ हज करो।'
(सहीह बुख़ारी : 1862, 3006, 5233)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ अगर ख़ाविन्द अपनी बीवी के साथ हज पर जा सकता हो, तो उसे ऐसे फ़रीज़े को तर्क कर देना चाहिये जिसके लिये वक़्त मुतअय्यन नहीं है या उसकी जगह कोई और शख़्स जा सकता है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3273) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ، جُرَيْجٍ

(3274) इमाम साहब एक और उस्ताद से रिवायत करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि

بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .

'कोई मर्द किसी औरत के साथ उसके महरम के बग़ैर अकेला न रहे।'

باب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

बाब 79 : हज वग़ैरह के सफ़र पर रवाना होने वाला कौनसी दुआ पढ़े

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَلِيًّا الأَزْدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ " .

(3275) अली अज़्दी (रह.) बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने उन्हें सिखाया कि जब हुज़ूर (ﷺ) सफ़र पर बाहर रवाना होने के लिये ऊँट पर सवार होते, तीन बार अल्लाहु अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते, 'पाक और मुक़द्दस है वो ज़ात जिसने हमारी सवारी के लिये अपनी इस मख़लूक़ को हमारे लिये मुसख़्ख़र कर दिया है और हमारे क़ाबू में कर दिया है (और ख़ुद हममें इसकी ताक़त न थी कि हम अपनी ज़ाती तदबीर व ताक़त से इस तरह क़ाबू याफ़्ता हो जाते, उसने अपने फ़ज़्ल व करम से ऐसा कर दिया है)। और हम (बिल्आख़िर) अपने उस मालिक के पास लौटकर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! हम तुझसे अपने इस सफ़र में नेकोकारी और परहेज़गारी की दरख़्वास्त करते हैं और उन आमाल की जो तेरी रज़ा का बाइस हों, ऐ अल्लाह! हमारे इस सफ़र को हमारे लिये आसान कर दे और इसकी तवालत (लम्बाई) को (अपनी क़ुदरत व रहमत से) मुख़्तसर कर दे (लपेट दे) ऐ अल्लाह! तू ही हमारा सफ़र में रफ़ीक़ और साथी और घर वालों में निगरान और देखभाल

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ . وَزَادَ فِيهِنَّ " آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " .

करने वाला है, ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, सफ़र की मशक़्क़त और ज़हमत से और इस बात से कि मैं कोई रंजदेह बात देखूँ और सफ़र से वापसी पर अहलो-अयाल या माल व जायदाद में कोई बुरी बात पाऊँ।' और जब सफ़र से वापस आते, तब भी यही दुआ करते और आख़िर में इन कलिमात का इज़ाफ़ा करते, 'हम सफ़र से वापस लौटने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार की हम्द व सताइश करने वाले हैं।'

(अबू दाऊद : 2599, तिर्मिज़ी : 3447)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) वअसा : मशक़्क़त व शिद्दत काबति : रंजदेह और परेशानी की बाइस बात। **(2) अल्मुन्क़लिबु :** वापस, लौटना।

फ़ायदा : इस दुआ का एक-एक कलिमा अपने अंदर बड़ी मअन्वियत रखता है। इसलिये ये एक इन्तिहाई बलीग़ और जामेअ दुआ है। उस दौर और ज़माने की बेहतरीन और आला सवारी ऊँट था, इस तरह देखने वालों के दिलों में उसकी अज़मत और बड़ाई का ख़याल पैदा हो सकता, जिस तरह आज-कल हवाई जहाज़ और बेहतरीन गाड़ियों पर सवार होने वालों का हाल है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन बार अल्लाहु अकबर कहकर इस पर तीन ज़रबें लगाईं और बता दिया अज़मत व किबरियाई सिर्फ़ अल्लाह के लिये है। अगले जुमले में इस हक़ीक़त का ऐतराफ़ और इज़हार फ़रमाया कि इस सवारी को हमारे लिये मुसख़्ख़र कर देना और हमको इसके इस्तेमाल की क़ुदरत देना भी अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, उसके एहसान व करम के बग़ैर कहीं भी हर क़िस्म की सवारी बेक़ाबू हो सकती है और इंसान की तबाही और मौत का बाइस बन सकती है। उसके बाद फ़रमाया, जिस तरह हम आज इस सफ़र पर रवाना हो हो रहे हैं, उसी तरह एक दिन इस दुनिया से रख़्ते सफ़र बांधकर हम अपने आक़ा और रब के हुज़ूर पेश होने वाले हैं, जो इस ज़िन्दगी का हासिल और मक़सूद व मतलूब है। इसलिये हमें इसकी फ़िक्र व एहतिमाम और तैयारी से किसी वक़्त ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिये। इसलिये आपने उसके बाद ये दुआ फ़रमाई, ऐ अल्लाह! इस सफ़र में मुझे नेकी और परहेज़गारी की और उन आमाल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा, जो तेरी रज़ा और ख़ुश्नूदी के हुसूल का

बाइस हों, उसके बाद सफ़र में सहूलत व आसानी और उसके जल्द पूरा होने की दुआ फ़रमाई। उसके बाद ये अर्ज़ किया कि सफ़र में मेरा ऐतमाद व भरोसा तेरी ही रिफ़ाक़त व मदद पर है और घर-बार, अहलो-अयाल और माल व मताअ जिसको मैं छोड़कर जा रहा हूँ, उनका निगरान व निगेहबान भी तू ही है, फिर आख़िर में सफ़र की मशक़्क़त व ज़हमत से या दौराने सफ़र में या वापसी पर किसी तकलीफ़देह हादसे से पनाह माँगी है और सफ़र से वापसी पर भी यही दुआ फ़रमाई और आख़िर में इन कलिमात का इज़ाफ़ा फ़रमाया कि हम वापस हो रहे। अपने कुसूरों और लग़्ज़िशों से तौबा करते हैं और हम अपने आक़ा व मौला ही की इबादत और हम्द व सना करते हैं।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.

(3276) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र पर रवाना होते तो सफ़र की मशक़्क़त, रंजदेह वापसी, कमाल के बाद ज़वाल, मज़्लूम की बद्दुआ और अहलो-अयाल और माल व मताअ में बुरे नज़ारे से पनाह माँगते।

(तिर्मिज़ी : 3439, नसाई : 8/272, 8/273, इब्ने माजह : 3888)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **अल्हौर :** के मानी हैं, पगड़ी के पच या बल खोल देना। (2) **कौन :** का मानी है, हासिल होना, क़रार मिलना। मक़सद ये है कि इस्तिक़ामत व दुरुस्तगी के बाद फ़साद और बिगाड़ का पैदा हो जाना या बक़ौल इमाम तिर्मिज़ी, ईमान से कुफ़्र की तरफ़ लौटना, इताअत से मअसियत (नाफ़रमानी) की तरफ़ आ जाना, एक चीज़ से उससे बदतर की तरफ़ लौट आना।

फ़ायदा : सफ़र में इंसान अलग-अलग हालात से दोचार होता है, उसमें बहुत ख़तरनाक मोड़ भी आते हैं और किसी से ज़ुल्म व ज़्यादती भी हो सकती है। इसलिये आप सफ़र पर रवाना होते वक़्त अपनी नेकी व इताअत और सहीह रवैये पर इस्तिक़ामत व सबात की दुआ फ़रमाते कि कहीं सफ़री सऊबतों और मुश्किलात की वजह से, हालात इस्लाह और बेहतरी के बजाय फ़साद व बिगाड़ का रुख़ न इख़्तियार कर लें और मैं हासिलशुदा बेहतर चीज़ से महरूम न हो जाऊँ।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنِي حَامِدُ

(3277) इमाम साहब यही रिवायत अपने तीन और उस्तादों से नक़ल करते हैं, मगर अब्दुल वाहिद की रिवायत में फ़िल्माल

بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، كِلاَهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ . وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالأَهْلِ إِذَا رَجَعَ . وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ " .

वल्अहल का लफ़्ज़ है और मुहम्मद बिन ख़ाज़िम (अबू मुआविया) की रिवायत में वापसी के वक़्त अहल का लफ़्ज़ पहले है और दोनों की रिवायत में है, 'ऐ अल्लाह! मैं सफ़र की मशक़्क़त से तुझसे पनाह माँगता हूँ।'

باب مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

बाब 80 : हज वग़ैरह के सफ़र से वापसी पर क्या दुआ पढ़े

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح . وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ " .

(3278) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्वात, सराया, हज या उम्रह से वापस लौटते और किसी टीले या ऊँची जगह पर चढ़ते तो तीन बार अल्लाहु अकबर कहते, फिर दुआ फ़रमाते, 'अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके लिये बादशाही है और वही तारीफ़ों का मुस्तहिक़ है और वो हर चीज़ पर क़ादिर है, हम वापस लौटकर आने वाले हैं, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले और सज्दारेज़ होने वाले हैं, अपने रब ही की हम्द करने वाले हैं, अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बन्दे की नुसरत फ़रमाई और तन्हा सब लश्करों को शिकस्त दे दी।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) क़फ़ल : वापस लौटा। **(2) जुयूश :** जैश की जमा है, बड़ा लश्कर। **(3) सराया :** सरिय्यतुन की जमा है, छोटा लश्कर, औफ़ा : चढ़ते, बुलंद होते। **(4) स़निय्यतिन :** पहाड़ी, टीला। **(5) फ़दफ़द :** ज़मीन का बुलंद और सख़्त टुकड़ा।

फ़ायदा : इंसान जब किसी बुलंद और ऊँची पहाड़ी या टीले पर चढ़ता है तो उसमें बुलंदी और रिफ़अत का एहसास पैदा होता है, तो उससे इंसान को अल्लाह तआला की बुलंदी और रिफ़अत का सबक़ याद दिलाया गया है और आपने अपनी उम्मत को अमलन ये तल्क़ीन फ़रमाई है कि वो किसी बुलंदी पर चढते वक़्त अल्लाह तआला की बुलंदी और बरतरी का इज़हार व इक़रार करें ताकि उनके अंदर अपनी बरतरी और बड़ाई का ग़ुरूर या घमंड जन्म न ले सके और जंगे अहज़ाब (ख़न्दक़) के मौक़े पर अल्लाह तआला ने जो मुसलमानों की ख़ुसूसी नुसरत व मदद फ़रमाई थी उसको याद दिलाया है ताकि मुसलमानों को ये याद रहे कि इस्लाम और दीन ही की बरकत से अल्लाह तआला की हिमायत व नुसरत हासिल की जा सकती है, जिस तरह कि उसकी तौफ़ीक़ से सफ़र के तमाम मराहिल बख़ैर व ख़ूबी सर अन्जाम पा सकते हैं, अल्लाह की तौफ़ीक़ और नुसरत के बग़ैर इंसान कुछ नहीं कर सकता।

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ إِلاَّ حديثَ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ .

(3279) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, उनमें एक की रिवायत में तकबीर दो बार कहने का ज़िक्र है।

(तिर्मिज़ी : 950, 7539, सहीह बुख़ारी : 1797, 6385, अबू दाऊद : 2770)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ . وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ "

(3280) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम यानी मैं और अबू तलहा (रज़ि.) नबी (ﷺ) के साथ वापस आ रहे थे और हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) आपकी ऊँटनी पर आप (ﷺ) के पीछे सवार थीं, यहाँ तक कि जब हम मदीना की सरज़मीन की पुश्त पर पहुँचे, आपने ये अल्फ़ाज़ कहने शुरू

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " . فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ .

कर दिये, 'लौटने वाले, तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, और अपने रब की तारीफ़ करने वाले।' आप यही अल्फ़ाज़ बार-बार कहते रहे यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गये।
(सहीह बुख़ारी : 3085, 3086, 5968, 6185)

وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(3281) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

باب التَّعْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلاَةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ

बाब 81 : हज और उम्रह से वापसी पर ज़ुल्हुलैफ़ा में रात गुज़ारना (पड़ाव करना) और वहाँ नमाज़ पढ़ना

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(3282) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुल्हुलैफ़ा की कंकरीली ज़मीन पर अपना ऊँट बिठाया और वहाँ नमाज़ पढ़ी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी ऐसा ही करते थे।
(सहीह बुख़ारी : 1532, अबू दाऊद : 2044, नसाई : 5/127)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي

(3283) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) ज़ुल्हुलैफ़ा की कंकरीली ज़मीन पर ऊँट बिठाते थे, जिस जगह रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना ऊँट बिठाते थे और वहाँ नमाज़ पढ़ते।

الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا .

(3284) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब हज या उमरह से वापस आते तो ज़ुल्हुलैफ़ा के कंकरों वाले हिस्से पर ऊँट बिठाते, जहाँ रसूलुल्लाह (ﷺ) ऊँट बिठाया करते थे।
(सहीह बुख़ारी : 1767)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، - يَعْنِي أَبَا ضَمْرَةَ - عَنْ مُوسَى، بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3285) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप (इब्ने उमर) से बयान करते हैं कि रात के आख़िरी हिस्से में, ज़ुल्हुलैफ़ा के पड़ाव (मन्ज़िल) में, ख़्वाब में आपसे कहा गया, आप मुबारक बतहा में हैं।
(सहीह बुख़ारी : 1535, 2336, 7345, नसाई : 5/127)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى، -وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ .

मुफ़रदातुल हदीस : (1) **बतहा :** कंकरों या संगरेज़ों वाली ज़मीन। (2) **मुअर्रस :** पड़ाव, मन्ज़िल।

(3286) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास एक फ़रिश्ता आया, जबकि आप ज़ुल्हुलैफ़ा की वादी अक़ीक़ के अंदर अपने पड़ाव में थे और आपसे कहा गया, आप मुबारक बतहा में हैं। रावी मूसा बयान करते हैं कि हमारे साथ सालिम ने नमाज़ की जगह में जहाँ हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ऊँट बिठाया करते थे,

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، - وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ . قَالَ

مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ .

ऊँट बिठाये और वो रसूलुल्लाह (ﷺ) के पड़ाव का क़सद करते थे और वो बतने वादी की मस्जिद से नशीब में है और वो जगह मस्जिद और क़िब्ले के दरम्यान है।

फ़ायदा : हुज़ूर (ﷺ) हज और उमरह पर जाते वक़्त और वापसी पर ज़ुल्हुलैफ़ा में पड़ाव करते थे और वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये इमाम मालिक के नज़दीक वहाँ उतरना और नमाज़ पढ़ना बेहतर है, वापसी पर वहाँ उतरना और नमाज़ पढ़ना हज का हिस्सा नहीं है। वादी अक़ीक़, मुतबर्रक वादी है। इसलिये आपकी इक़्तिदा में कुछ अहले मदीना वहाँ आकर नमाज़ पढ़ते थे।

بَابِ لاَ يَحُجُّ الْبَيْتَ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَبَيَانُ يَوْمِ الْحَجِّ الأَكْبَرِ

बाब 82 : मुश्रिक बैतुल्लाह का हज न करे और कोई बरहना (नंगा) होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे और हज्जे अकबर के दिन की वज़ाहत

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ

(3287) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज्जतुल वदाअ से पहले जिस हज का रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) को अमीर मुक़र्रर किया था, उसमें अबू बकर (रज़ि.) ने मुझे एक गिरोह के साथ क़ुर्बानी के दिन भेजा कि लोगों में ऐलान करो, इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज के लिये न आये और कोई शख़्स बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे। इब्ने शिहाब कहते हैं कि हुमैद बिन अब्दुर्रहमान हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस की बिना पर ये कहते थे कि क़ुर्बानी का दिन ही हज्जे

النَّحْرِ لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ . مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

अकबर का दिन है।

(सहीह बुख़ारी : 1622, 3177, 4363, 4655, 4656, अबू दाऊद : 1946, नसाई : 5/234)

फ़वाइद : (1) इस हदीस से मालूम होता है कि कोई मुश्रिक, बैतुल्लाह में हज के लिये दाख़िल नहीं हो सकता और हज एक फ़रीज़ा है जिसके लिये बैतुल्लाह मुक़र्रर है। तो अगर मुश्रिक हज के लिये दाख़िल नहीं हो सकता तो आम हालात में बिल्औला दाख़िल नहीं हो सकता। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक तमाम हरम का यही हुक्म है। इमाम मालिक के नज़दीक मुश्रिक (काफ़िर) किसी मस्जिद में दाख़िल नहीं हो सकता। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक हरमे मक्का के सिवा मसाजिद में मुसलमानों की इजाज़त से दाख़िल हो सकता है। अहनाफ़ के नज़दीक ग़ैर मुआहिद यानी जिनका मुसलमानों से मुआहिदा न हो, को हरम और बाक़ी मसाजिद में दाख़िल नहीं होने दिया जायेगा, लेकिन अहले ज़िम्मा को हरम और बाक़ी तमाम मसाजिद में दाख़िल होने से मना नहीं किया जायेगा। **(2)** हज को हज्जे अकबर कहते हैं और उमरह को हज्जे असग़र और बक़ौल कुछ अरफ़ा का दिन हज्जे असग़र है और क़ुर्बानी का दिन हज्जे अकबर और इमाम सौरी के नज़दीक हज के तमाम दिन ही हज्जे अकबर के दिन हैं। इन तमाम अक़्वाल में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। क्योंकि यहाँ सिर्फ़ इज़ाफ़त व निस्बत की बिना पर हज्जे अकबर या हज्जे असग़र का नाम दिया है और इसकी बड़ी दलील यही दी जाती है कि जिस साल रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज किया था उस साल यौमे अरफ़ा, जुम्आ के दिन था और उस हज को आपने हज्जे अकबर का नाम दिया था, हालांकि हज़रत अबू बकर (रज़ि.) हज के मौक़े पर अरफ़ा का दिन जुम्आ का दिन नहीं था और उसमें मुश्रिकों से बराअत का ऐलान क़ुर्बानी के दिन किया गया है और उस ऐलान के बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है, **'अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ से हज्जे अकबर के दिन लोगों को साफ़ इत्तिलाअ है कि अल्लाह और उसका रसूल मुश्रिकों से बेज़ार है।'** (सूरह तौबा : 3)

इस आयते मुबारका से साबित हुआ कि हज्जे अकबर का दिन, क़ुर्बानी का दिन है। जिसमें हज के सबसे ज़्यादा और अहम मनासिक अदा किये जाते हैं। इसलिये इस दिन मिना में ऐलाने बराअत किया गया था। इसलिये ये बात बिला दलील ही मशहूर है कि जो हज जुम्आ के दिन आये, वो हज्जे अकबर है। इसी तरह ये हदीस भी बेअसल है कि जब जुम्आ का दिन, अरफ़ा का दिन होता है तो ये हज बाक़ी दिनों के सत्तर (70) हजों से अफ़ज़ल है।

बाब 83 : अरफ़ा, हज, उम्रह और अरफ़ा के दिन की फ़ज़ीलत

باب فِي فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ

(3288) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला अरफ़ा के दिन से ज़्यादा किसी दिन बन्दों को दोज़ख़ से आज़ाद नहीं करता और वो क़रीब होता है और फ़रिश्तों के सामने (वहाँ मौजूद) लोगों पर फ़ख़्र करता है और पूछता है, ये लोग क्या चाहते हैं?'
(नसाई : 5/251, 252, इब्ने माजह : 3014)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ، يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ ".

फ़ायदा : मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत है जिससे इस हदीस का म्हीह मानी मालूम होता है कि अल्लाह तआला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फ़रमाता है और फ़रिश्तों को फ़रमाता है, मेरे ये बन्दे परागन्दा बाल, ख़ाक आलूद आये हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, मेरे अज़ाब से ख़ौफ़ज़दा हैं, हालांकि इन्होंने मुझे देखा नहीं है, अगर ये मुझे देख लेते तो इनका क्या हाल होता। इस फ़ख़्र व मबाहात के इज़हार के बाद उनसे पूछता है, आख़िर इन लोगों ने अपना घर-बार, अह्लो-अयाल, कारोबार किस मक़सद के लिये छोड़ा है, अपने माल, वक़्त को ख़र्च करके, सफ़र की सऊबतें और मशक़्क़तें बर्दाश्त करते हुए क्यों आये हैं, यानी मेरी बख़्शिश, रज़ामन्दी और क़ुर्ब व लिक़ा (मुलाक़ात) के सिवा इनका कोई और मक़सद नहीं हो सकता, सिर्फ़ मुझे राज़ी करने और अपने गुनाहों को माफ़ी तलब करने आये हैं, ताकि इन्हें मेरा तक़र्रुब हासिल हो।

बाब 84 : हज और उम्रह की फ़ज़ीलत

(3289) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक उम्रह के बाद दूसरा उम्रह उनके दरम्यान गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और हज्जे मबरूर की जज़ा जन्नत से कम नहीं।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ " .

(सहीह बुख़ारी : 1773, नसाई : 5/115, इब्ने माजह : 2888)

फ़ायदा : साल के हर हिस्से में उ़म्रह के जवाज़ पर जुम्हूर का इत्तिफ़ाक़ है, अल्बत्ता इमाम अबू यूसुफ़ कुर्बानी और अय्यामे तशरीक़ में और इमाम अबू हनीफ़ा अरफ़ा और कुर्बानी के दिन और अय्यामे तशरीक़ में उ़म्रह करने को सहीह नहीं समझते। जुम्हूर के नज़दीक जो शख़्स हज नहीं कर रहा, वो इन दिनों में उ़म्रह कर सकता है, लेकिन हज करने वाला नहीं कर सकता। इमाम शाफ़ेई, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और अबू सौर के नज़दीक उ़म्रह सुन्नत है और हुज़ूर (ﷺ) ने साल में एक ही मर्तबा उ़म्रह फ़रमाया है। जुम्हूर के नज़दीक साल में उ़म्रह बार-बार किया जा सकता है। हज़रत अ़ली (रज़ि.) फ़रमाते, अगर हो सके तो हर माह उ़म्रह करो। इमाम मालिक ने एक से ज़्यादा उ़म्रों को मकरूह क़रार दिया है। (ज़ादुल मआद जिल्द 2, पेज नं. 93, जदीद मक्तबा मुअस्सिसतुर्रिसाला)

हज्जे मबरूर : वो हज जिसमें किसी गुनाह का इर्तिकाब न किया गया हो या वो हज जो रिया और दिखावे के लिये न किया गया हो, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और ख़ुश्नूदी के लिये हो या वो हज जिससे हाजी मुतास्सिर हो और हज के बाद गुनाहों से एहतिराज़ करे और बक़ौल कुछ जो हज्जे मक़बूल हो। ज़ाहिर है वो हज मक़बूल होगा जो इख़लासे निय्यत से, हज के पूरे आदाब और अहकाम को अदा करते हुए, गुनाहों से बचते हुए किया जाये।

وحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ .

(3290) इमाम साहब ने ऊपर वाली रिवायत अपने बहुत से उस्तादों से रिवायत की है।

(नसाई : 5/112/113, तिर्मिज़ी : 933)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ، زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .

(3291) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स बैतुल्लाह आया (हज किया) फ़हश और बेहूदा काम न किया और न नाफ़रमानी की, तो वो इस हाल में लौटेगा, जैसा उसे उसकी वालिदा ने जना था।'
(सहीह बुख़ारी : 1819, 1820, तिर्मिज़ी : 811, नसाई : 5/114, इब्ने माजह : 2889)

وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَأَبِي الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا " مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ " .

(3292) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत अपने कई और उस्तादों से करते हैं, जिसमें है कि 'जिसने हज किया, बेहूदा हरकत और नाफ़रमानी न की।'

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(3293) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं।
(सहीह बुख़ारी : 1521)

फ़ायदा : इंसान जब इख़्लास और हुस्ने निय्यत से सुन्नत के मुताबिक़ हज करता है, तो वो हर क़िस्म के गुनाहों से बचता है और गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, इसलिये उसके तमाम छोटे और बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ हो जाता है, जिस तरह नौ मौलूद बच्चा गुनाहों से पाक व साफ़ होता है। अल्लाह तआला सब मुसलमानों को हज्जे मबरूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और उन्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह पाक-साफ़ करके आइन्दा ज़िन्दगी में राहे रास्त पर चलने की तौफ़ीक़ बख़्शे, आमीन!

बाब 85 : हाजी का मक्का मुकर्रमा में उतरना और मक्का के घरों की विरासत का मसला

باب النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِّ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا

(3294) हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप मक्का में अपने (आबाई) घर में ठहरेंगे (उतरेंगे)? तो आपने जवाब दिया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिये कोई ठिकाना या घर छोड़े हैं?' अक़ील और तालिब दोनों अबू तालिब के वारिस ठहरे थे और हज़रत जअफ़र और हज़रत अली (रज़ि.) को विरासत से कुछ न मिला था। क्योंकि वो दोनों मुसलमान थे और अक़ील और तालिब दोनों काफ़िर थे।

(सहीह बुख़ारी : 1588, 3058, 4282, अबू दाऊद : 2010, इब्ने माजह : 2942, 2730)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ " . وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ .

(3295) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप कल कहाँ क़ियाम करेंगे? और ये आपके हज के मौक़े की बात है, जब हम मक्का के क़रीब पहुँच गये थे। तो आपने जवाब दिया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिये कोई मकान या क़ियामगाह छोड़ी है?'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ، الرَّزَّاقِ - قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ . فَقَالَ " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً " .

(3296) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से रिवायत है और उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! इन्शाअल्लाह आप कल कहाँ नुज़ूल फ़रमायेंगे? और ये फ़तहे मक्का की बात है। आपने फ़रमाया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिये कोई मकान छोड़ा है।'

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَزَمْعَةُ، بْنُ صَالِحٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ . قَالَ " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ " .

फ़ायदा : मक्का मुकर्रमा के मकानात और ज़मीनों के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि क्या उनमें विरासत चलेगी और उनकी ख़रीदो-फ़रोख़्त और उनको किराये पर देना जाइज़ है या नहीं। इस इख़्तिलाफ़ की दो वजुह (कारण) हैं (1) मक्का सुलह से फ़तह हुआ है या जंग और क़ुव्वत के बलबूते पर, अगर क़ुव्वत व ताक़त के बलबूते पर फ़तह हुआ है, तो मक्का के घर मुसलमानों के थे या एहसान करते हुए मक्का वालों को दे दिये गये। (2) मस्जिदे हराम से मुराद, बैतुल्लाह है या पूरा हरम का इलाक़ा। नीज़ सवाइल आकिफ़ फ़ीहि वल्बाद इसमें मुक़ीम और बाहर से आने वाले बराबर हैं, से मुराद अमन व एहतिराम में बराबर या हर चीज़ में बराबर हैं। इस वजह से हज़रत उसामा (रज़ि.) ने आपसे फ़तहे मक्का के वक़्त भी सवाल किया कि आप कहाँ ठहरेंगे। तो आपने जवाब दिया कि अक़ील ने बनू अब्दुल मुत्तलिब के तमाम मुहाजिर लोगों के मकानात फ़रोख़्त कर दिये हैं। क्योंकि अबू तालिब की वफ़ात के वक़्त, अक़ील और तालिब दोनों काफ़िर थे, इसलिये वो दोनों ही वारिस़ बने थे और अक़ील ने सुलहे हुदैबिया के बाद इस्लाम कुबूल किया था और अब्दुल मुत्तलिब का वारिस़ अबू तालिब बना था और जाहिलिय्यत के उसूल के मुताबिक़ बड़ा बेटा होने के सबब अब्दुल मुत्तलिब की तमाम जायदाद उसके पास थी। इसलिये हुज़ूर अबू तालिब के घर में रहते थे, हज के मौक़े पर हज़रत उसामा (रज़ि.) ने ख़्याल किया, शायद फ़तहे मक्का के बाद, आपने अपने घर को वापस ले लिया होगा। बक़ौल इमाम नववी, इमाम शाफ़ेई और उनके हमनवा हज़रात के नज़दीक मक्का सुलह से फ़तह हुआ था, इसलिये इसके मकानात मक्का के बाशिन्दों की मिल्कियत में रहे और उनका हुक्म बाक़ी शहरों की तरह है। उनमें उनकी विरासत जारी होगी और उनके लिये उनका बेचना, रहन रखना, किराये पर देना, हिबा करना, उनके बारे में वसिय्यत करना और बाक़ी तमाम तसर्रुफ़ात सहीह होंगे। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, औज़ाई और कुछ दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक मक्का बज़ोरे बाज़ू फ़तह हुआ

है। इसलिये ये तमाम तसर्रुफ़ात नाजाइज़ होंगे। सहीह मुस्लिम जिल्द 1, पेज नं.436 लेकिन दुर्रे मुख़्तार में है, मक्का की इमारात और उनकी जगह बेचना बिला कराहत जाइज़ है, यही इमाम शाफ़ेई का क़ौल है और इस पर हमारा फ़तवा है। साहिबे लामिउद्दारी ने साहिबैन का क़ौल यही क़रार दिया है और इमाम अबू हनीफ़ा, इसे भी एक रिवायत यही की है, क्योंकि मक्का के बाशिन्दों की मिल्कियत हैं। जिल्द 5, पेज नं. 173 हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मक्का की इमारात के सिलसिले में हर क़िस्म का तसर्रुफ़ जाइज़ है, ख़्वाह ख़रीदो-फ़रोख़्त हो या हिबा या विरासत या किराये पर देना, लेकिन अगर इमारत गिर जाये तो सिर्फ़ ख़ाली ज़मीन के सिलसिले में किसी क़िस्म का तसर्रुफ़ दुरुस्त नहीं है।

बाब 86 : मक्का से हिज्रत कर जाने वाले के लिये हज और उम्रह से फ़राग़त के बाद तीन दिन तक ठहरना जाइज़ है, इससे ज़्यादा ठहरना दुरुस्त नहीं है

باب جَوَازِ الإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِلاَ زِيَادَةٍ

(3297) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने साइब बिन यज़ीद (रह.) से सवाल किया, क्या तूने मक्का में इक़ामत इख़्तियार करने के बारे में कुछ सुना है? तो साइब (रह.) ने जवाब दिया, मैंने हज़रत अला बिन हज़्रमी (रह.) से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'मुहाजिर (मिना से) वापसी के बाद तीन दिन ठहर सकता है।' गोया कि आपका मक़सद ये था कि इससे ज़्यादा क़ियाम न करे।

(सहीह बुख़ारी : 3933, तिर्मिज़ी : 949, नसाई : 3/122, इब्ने माजह : 1073)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ هَلْ سَمِعْتَ فِي الإِقَامَةِ، بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثَلاَثٍ بَعْدَ الصَّدَرِ بِمَكَّةَ " . كَأَنَّهُ يَقُولُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا

(3298) अब्दुर्रहमान बिन हुमैद (रह.) बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने अपने हम नशीनों या मज्लिस में

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَقُولُ لِجُلَسَائِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِي، سُكْنَى مَكَّةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ، - أَوْ قَالَ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثًا " .

मौजूद लोगों से पूछा, क्या तुमने मक्का में रिहाइश इख़्तियार करने के बारे में कुछ सुना है। तो साइब बिन यज़ीद ने कहा, मैंने हज़रत अ़ला बिन हज़्रमी (रज़ि.) से सुना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुहाजिर, मनासिके हज अदा करने के बाद, तीन दिन तक मक्का में ठहर सकता है।'

وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " ثَلاَثُ لَيَالٍ يَمْكُثُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدَرِ "

(3299) हज़रत उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) ने साइब बिन यज़ीद (रह.) से पूछा, तो साइब ने जवाब दिया, मैंने हज़रत अ़ला बिन हज़्रमी (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मिना से वापसी के बाद मुहाजिर, मक्का में तीन रातें ठहर सकता है।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَمْلاَهُ، عَلَيْنَا إِمْلاَءً أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثٌ " .

(3300) हज़रत अ़ला बिन हज़्रमी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मनासिके हज से फ़राग़त के बाद मक्का में मुहाजिर, तीन दिन तक क़ियाम कर सकता है।'

(3301) इमाम साहब एक और सनद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

फ़ायदा : जो लोग फ़तहे मक्का से पहले, मक्का से हिज्रत कर गये थे, अगर वो हज या उम्रह करने के लिये मक्का मुकर्रमा आयें, तो उन्हें हज व उम्रह की अदायगी के बाद सिर्फ़ तीन दिन मक्का में ठहरने की इजाज़त दी गई थी। जिससे साबित होता है कि अगर इंसान सफ़र पर जाये और वो कहीं तीन दिन या उनसे कम रहने का इरादा करेगा तो वो मुसाफ़िर के हुक्म में होगा और अगर वो तीन दिन से ज़्यादा क़ियाम करने की निय्यत करे तो वो मुक़ीम तसव्वुर होगा, मुसाफ़िर नहीं होगा। क्योंकि आपने मुहाजिर के लिये तीन दिन ठहरने को इक़ामत क़रार नहीं दिया।

बाब 87 : मक्का हरम है, इसमें शिकार करना, घास काटना, दरख़्त काटना या हमेशा ऐलान करने की निय्यत के सिवा वहाँ से गिरी पड़ी चीज़ उठाना जाइज़ नहीं है

باب تَحْرِيمِ مَكَّةَ وَصَيْدِهَا وَخَلاَهَا وَشَجَرِهَا وَلُقَطَتِهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ عَلَى الدَّوَامِ

(3202) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अब हिज्रत का हुक्म नहीं रहा, लेकिन जिहाद है और निय्यत। तो जब तुम्हें जिहाद के लिये कूच करने को कहा जाये तो चल पड़ो।' और फ़तह के दिन फ़तहे मक्का के मौक़े पर फ़रमाया, 'ये शहर अल्लाह ने इसको उस दिन से मोहतरम क़रार दिया है, जिस दिन आसमान व ज़मीन को पैदा किया, लिहाज़ा अल्लाह के हुक्म से क़यामत तक के लिये इसका अदब व एहतिराम ज़रूरी है और मुझसे पहले अल्लाह ने किसी को यहाँ क़िताल करने की इजाज़त नहीं दी और मुझे भी दिन के थोड़े से

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ " لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا " . وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا " . فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ . فَقَالَ " إِلاَّ الإِذْخِرَ " .

वक़्त के लिये वक़्ती इजाज़त दी गई (और वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद) अब क़यामत तक के लिये अल्लाह तआला के मोहतरम क़रार देने से इसका अदब व एहतिराम वाजिब है (और वो इक़्दाम और अमल जो इसके तक़हुस व एहतिराम के मुनाफ़ी है, हराम है) इस इलाक़े के ख़ारदार दरख़्त और झाड़ भी न काटे और न छांटें जायें, यहाँ के किसी क़ाबिले शिकार जानवर को परेशान न किया जाये और अगर कोई गिरी-पड़ी चीज़ नज़र आये तो उसको वही उठाये जो उसका ऐलान और तशहीर करता रहे और यहाँ की सब्ज़ घास न काटी-उखाड़ी जाये।' (इस पर आपके चाचा) हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! इज़्ख़िर घास मुस्तसना (अलग) फ़रमा दीजिये, क्योंकि यहाँ के कारीगर, लोहार, ज़रगर इसको इस्तेमाल करते हैं और घरों की छतों के लिये भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने फ़रमाया, 'इज़्ख़िर घास मुस्तसना है।'

(सहीह बुख़ारी : 1349, 1587, 1834, 2783, 2825, 3077, 3189, अबू दाऊद : 2018, 2480, तिर्मिज़ी : 1590, नसाई : 5/203-204, 2875)

फ़ायदा : फ़तहे मक्का से पहले, जब मक्का पर अहले कुफ़्र और शिर्क का इक़्तिदार था, जो इस्लाम और अहले इस्लाम के जानी दुश्मन थे, मक्का में रहकर किसी मुसलमान के लिये इस्लामी ज़िन्दगी गुज़ारना तक़रीबन नामुम्किन था और मदीना जो उस वक़्त इस्लामी मर्कज़ रूए ज़मीन पर इस्लामी ज़िन्दगी की वाहिद तालीमगाह और तर्बियतगाह थी। उसमें मुसलमानों की कुव्वत जमा करना ज़रूरी था। इन हालात में हिज्रत फ़र्ज़ थी और बड़ी फ़ज़ीलत और अहमियत की हामिल थी। जब 8 हिजरी में अल्लाह तआला ने मक्का मुअज़्ज़मा पर इस्लामी इक़्तिदार व ग़ल्बा क़ायम करवा दिया, तो फिर

मक्का से हिज्रत की ज़रूरत ख़त्म हो गई। आपने फ़तहे मक्का ही के दिन ऐलान कर दिया, अब हिज्रत का हुक्म ख़त्म हो गया। इसलिये अब अपने इलाक़े से मदीना की तरफ़ हिज्रत करना नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे इलाक़े में रहता है, जहाँ इस्लाम और अहले इस्लाम को बर्दाश्त नहीं किया जाता और अहले इस्लाम का ईमान और जान महफ़ूज़ नहीं है, वो इज्तिमाई तौर पर अपना दिफ़ाअ (बचाव) नहीं कर सकते, बल्कि कुफ़्र इख़्तियार करने पर मजबूर हैं, तो फिर उन्हें ऐसे इलाक़े को छोड़ना, अगर उनके लिये मुम्किन हो, उन्हें कहीं पनाह मिल सकती हो, तो उन्हें ऐसे इलाक़े से हिज्रत करना चाहिये। अब आम लोगों के लिये हिज्रत की फ़ज़ीलत व सआदत हासिल करने का दरवाज़ा बंद हो चुका है, लेकिन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का रास्ता, गुनाहों और बुरे आमाल से बाज़ आने का रास्ता ख़ुला है और गुनाहों और मन्हियात को छोड़ने वाले को भी, आपने मुहाजिर का नाम दिया है। इसी तरह अल्लाह तआला के अहकाम और दीन की पाबंदी की निय्यत और बिल्ख़ुसूस इअ्ल-ए-कलिमतुल्लाह (अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने) की ख़ातिर हर क़िस्म की क़ुर्बानी की निय्यत से इंसान अपने लिये सआदत व फ़ज़ीलत हासिल कर सकता है। दूसरा ऐलान आपने ये फ़रमाया कि शहरे मक्का की अज़मत व हुरमत दौरे क़दीम से चली आ रही है और ये सिर्फ़ रस्मो-रिवाज या किसी फ़र्द या पंचायत और हुकूमत का फ़ैसला नहीं है बल्कि अल्लाह तआला के हुक्म से है और क़यामत तक के लिये है, अगरचे उसकी हुरमत की तशहीर, हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने की है, क्योंकि कअबा की तामीरे जदीद उन्होंने की और उस वक़्त उस जगह आबादी शुरू हुई जो अब क़यामत तक क़ायम रहेगी।

(3) इस अदब व एहतिराम का तक़ाज़ा है कि हरमे मक्का की हुदूद में बिल्इत्तिफ़ाक़ किसी जानवर का शिकार करना या शिकार को डराना और परेशान करना और उसका पीछा करना नाजाइज़ है। ख़्वाह इंसान एहराम की हालत में हो या न हो और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक जो शख़्स हरम की हुदूद में शिकार करेगा, उसके ज़िम्मे वही फ़िद्या है जो एहराम की हालत में शिकार करने पर आयद होता है, इस तरह इस पर भी इज्माअ है कि हरम की हुदूद में हर उस दरख़्त का तोड़ना और काटना नाजाइज़ है, जो क़ुदरती तौर पर उगा हो, अल्बत्ता इज़्ख़िर, सब्ज़ियाँ और तरकारियाँ या फूल जिन्हें इंसान अपनी मेहनत से उगाता है, उन्हें काटना और तोड़ना जाइज़ है और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक ऐसे दरख़्त का तोड़ना और काटना भी जाइज़ है, जिसे इंसान ने ख़ुद अपनी मेहनत से उगाया हो, लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ऐसे दरख़्त का काटना भी जाइज़ नहीं है, अल्बत्ता उससे मिस्वाक काटी जा सकती है और हनाबिला में से इब्ने क़ुदामा ने इमाम शाफ़ेई के क़ौल को तरजीह दी है। (अल्मुग़नी : जिल्द 5, पेज नं. 185-186) क़त्ल व क़िताल की बहस आगे आ रही है, इन्शाअल्लाह!

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ " يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ " . وَقَالَ بَدَلَ الْقِتَالِ " الْقَتْلَ " . وَقَالَ " لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا " .

(3303) इमाम साहब ये रिवायत एक दूसरे उस्ताद से थोड़े से फ़र्क़ से लाये हैं, इसमें ये ज़िक्र नहीं है कि ये हुरमत आसमान व ज़मीन की तख़्लीक़ के वक़्त से है और क़िताल (लड़ाई) की जगह क़त्ल का लफ़्ज़ है और ला यल्तक़ितु (गिरी-पड़ी चीज़ उठाना) के बाद लुक़्ततहू (उसकी गिरी-पड़ी चीज़) का ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ أَنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ

(3304) हज़रत अबू शुरैह अदवी (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने अम्र बिन सईद से कहा, जबकि वो (यज़ीद की तरफ़ से गवर्नर था और उसके हुक्म से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. के ख़िलाफ़) मक्का पर चढ़ाई करने के लिये लश्कर तैयार करके रवाना कर रहा था कि ऐ अमीर! मुझे इजाज़त दीजिये कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का वो फ़रमान बयान करूँ जो आपने फ़तहे मक्का के अगले दिन (मक्का में) इरशाद फ़रमाया था, मैंने अपने कानों से वो फ़रमान सुना था और मेरे दिलो-दिमाग़ ने उसे याद कर लिया था और जिस वक़्त वो फ़रमान आपकी ज़बाने मुबारक से सादिर हो रहा था, उस वक़्त मेरी आँखें आपको देख रही थीं, आपने अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान की और फिर फ़रमाया था, 'मक्का को अल्लाह तआला ने मोहतरम क़रार दिया है, इसकी हुरमत या एहतिराम का फ़ैसला लोगों ने नहीं किया, इसलिये जो इंसान अल्लाह और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है, उसके लिये

لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " . فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ .

जाइज़ नहीं है कि वो यहाँ ख़ूनरेज़ी करे और वो यहाँ के दरख़्तों को भी न काटे, अगर कोई शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़िताल को सनद बनाकर रुख़सत का अपने लिये जवाज़ निकाले, तो उसको कह दो बिला शुब्हा अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल को इजाज़त दी थी और तुझे इजाज़त नहीं दी है और मुझे भी बस, अल्लाह तआ़ला ने दिन के थोड़े से वक़्त के लिये (आरिज़ी और वक़्ती) इजाज़त दी थी और आज इस वक़्त इस तरह हुरमत लौट आई जिस तरह हुरमत मौजूद थी। (और आपने फ़रमाया,) जो लोग यहाँ मौजूद हैं (जिन्होंने मेरी बात सुनी है) वो दूसरे ग़ैर मौजूद लोगों तक ये बात पहुँचा दें।' तो अबू शुरैह (रज़ि.) से किसी ने पूछा, आपको अ़म्र ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐ अबू शुरैह! मैं ये बातें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, हरम किसी नाफ़रमान को पनाह नहीं दे सकता, न ही किसी ऐसे आदमी को जो किसी का नाहक़ ख़ून करके भाग आये या किसी का नुक़सान करके भाग आये, पनाह दे सकता है।

(सहीह बुख़ारी : 1832, 4295, तिर्मिज़ी : 809, 1406, नसाई : 5/205

मुफ़रदातुल हदीस़ : ***ख़ुरबह या ख़रबह*** का असल मानी ऊँट चुराना है, इससे मुराद ज़मीन में चोरी या डाका से फ़साद फैलाना भी मुराद लिया जाता है।

फ़वाइद : (1) हरम के अंदर जंगो-जिदाल किसी सूरत में जाइज़ नहीं है, अगर अहले मक्का किसी आ़दिल हुक्मरान के ख़िलाफ़ बग़ावत कर दें, तो इसके बारे में दो नज़रियात हैं, बक़ौल इमाम मावरदी जुम्हूर के नज़दीक, जब तक लड़ाई से बचना मुम्किन हो, लड़ाई से बचते हुए कोई ऐसा तरीक़ा इख़्तियार

किया जायेगा, जिससे बग़ावत को ख़त्म किया जा सके, अगर लड़ाई के बग़ैर चारा न रहे तो फिर बाग़ियों से लड़ाई लड़ी जायेगी। लेकिन ऐसा तरीक़ा इख़्तियार नहीं किया जाये, जिससे वो लोग भी मुतास्सिर हों, जो जंग में शरीक नहीं होते, बाग़ियों से जंग हुक़ूक़ुल्लाह में दाख़िल है और हुक़ूक़ुल्लाह को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरों के नज़दीक क़िताल किसी सूरत में भी जाइज नहीं है। अहादीस़ के ज़ाहिर का तक़ाज़ा यही है, फ़तहुल बारी जिल्द 4, पेज नं. 63 और हज़रत अबू शुरेह (रज़ि.) ने यही समझा था, इसलिये अबू शुरेह (रज़ि.) ने अम्र बिन सईद के जवाब में कहा था, मैं हाज़िर था और तुम मौजूद नहीं थे और आपने हमें हुक्म दिया था कि जो यहाँ मौजूद हैं, वो उन तक बात पहुँचा दें जो हाज़िर नहीं हैं और मैंने तुम तक ये बात पहुँचा दी है। (फ़तहुल बारी जिल्द 4, पेज नं. 59)

हज़रत अबू शुरेह (रज़ि.) का मक़सद ये था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के इरशाद का मक़सद-मन्शा समझने के ज़्यादा हक़दार वो लोग हैं, जिनके सामने आपने ये बात फ़रमाई और जिन्होंने उसका मौक़ा और महल देखा। **(2)** इस हदीस़ में है जो शख़्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर यक़ीन रखता है, उसके लिये मक्का में ख़ून बहाना जाइज़ नहीं है और अल्लाह ने अपने रसूल को कुछ वक़्त के लिये क़िताल की इजाज़त दी थी, इससे जुम्हूर ने ये इस्तिदलाल किया है कि मक्का जब्र व क़ुव्वत से फ़तह हुआ था और आपने अहले मक्का पर एहसान व करम फ़रमाते हुए उन्हें तुलक़ा (आज़ाद) क़रार दिया और उनके अम्वाल को ग़नीमत का माल न ठहराया और न उनके अहलो-अयाल को क़ैदी बनाया। लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मक्का सुल्हन फ़तह हुआ (सुबुलुस्सलाम जिल्द 2, पेज नं. 292)
(3) अगर कोई इंसान हरम के अंदर क़ाबिले हद जुर्म का इर्तिकाब करता है, तो बिल्इत्तिफ़ाक़ उस पर हद जारी की जायेगी, लेकिन अगर कोई इंसान हरम से बाहर जुर्म का इर्तिकाब करके हरम में पनाह लेता है, तो उसके बारे में इख़्तिलाफ़ है, इमाम मालिक और शाफ़ेई के नज़दीक उस पर हद क़ायम की जायेगी। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक हरम के अंदर हद नहीं लगाई जायेगी, बल्कि उसका मुआशरती मुक़ातआ करके या वअज़ व नसीहत करके हरम से बाहर निकाला जायेगा और हरम के बाहर हद क़ायम की जायेगी। हाफ़िज़ इब्ने हज़म ने इस मौक़िफ़ की पुरज़ोर अन्दाज़ में ताईद की है।

(3305) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल को मक्का पर फ़तह दी तो आप लोगों के सामने खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान की फिर फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मक्का से हाथ रोक दिया

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ الْوَلِيدِ، - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، - حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو

سلمة، - هو ابن عبد الرحمن - حدثني أبو هريرة، قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال " إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل " . فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إلا الإذخر " . فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اكتبوا لأبي شاه " . قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله

और इस पर अपने रसूल और मोमिनों को ग़ल्बा इनायत फ़रमाया। वाक़िया ये है कि मक्का मुझसे पहले किसी के लिये हलाल क़रार नहीं दिया गया था (किसी को इस पर हमला करने की इजाज़त नहीं मिली) और ये मेरे लिये भी दिन के कुछ वक़्त के लिये हलाल ठहराया गया (जंग की इजाज़त दी गई) और ये मेरे बाद हर्गिज़ किसी के लिये हलाल नहीं होगा। लिहाज़ा इसके शिकार को परेशान न किया जाये और न यहाँ से कांटे काटे जायें और यहाँ गिरी-पड़ी चीज़ उठाना सिर्फ़ उसके लिये जाइज़ है, जो इसकी तशहीर और ऐलान करना चाहता हो और जिस इंसान का कोई क़रीबी क़त्ल कर दिया जाये उसको दो चीज़ों में से एक के चुनने का हक़ होगा या दियत ले ले या क़ातिल को (क़िसास में) क़त्ल कर दिया जाये।' तो हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, इज़्ख़िर को मुस्तसना क़रार दे दें ऐ अल्लाह के रसूल! क्योंकि हम उसे अपनी क़ब्रों और घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इज़्ख़िर घास मुस्तसना है।' तो एक यमनी आदमी, अबू शाह नामी खड़ा हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये ख़ुत्बा मुझे लिखवा दीजिये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'अबू शाह को लिख दो।' (इमाम औज़ाई के शागिर्द) वलीद कहते हैं, मैंने औज़ाई से पूछा, अबू शाह के इस क़ौल

اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

का क्या मतलब है कि ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे लिखवा दीजिये? उन्होंने जवाब दिया, मुराद ये ख़ुत्बा है जो उसने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था।

(सहीह बुख़ारी : 2434, अबू दाऊद : 2017, 3649, 3650, 4505, तिर्मिज़ी : 1405, 2667, नसाई : 8/38, इब्ने माजह : 2624)

फ़वाइद : (1) जुम्हूर के नज़दीक मक्का में गिरी-पड़ी चीज़ वही उठा सकता है, जिसे हमेशा-हमेशा तशहीर और ऐलान करना हो, जो ऐसा नहीं कर सकता वो न उठाये। लेकिन अहनाफ़, अक्सर मालिकिया और कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक, इसका हुक्म भी बाक़ी इलाक़ों जैसा है और यहाँ मक़सद मुबालग़ा है और इस तसव्वुर व ख़याल को ख़त्म करना है कि हाजी अलग-अलग किनारों और जगहों से आते हैं और पता नहीं ये किसकी चीज़ है, इसलिये ऐलान व तशहीर का क्या फ़ायदा, इसलिये इस वहम को दूर किया और फ़रमाया, इसकी तशहीर में आम उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक़ ज़रूरी है (लुक़्तह का हुक्म अपने मौक़े और महल पर आयेगा और साअ़ते मख़्सूसा असर तक थी)। **(2)** जुम्हूर के नज़दीक कांटे काटना भी जाइज़ नहीं है और कुछ शवाफ़ेअ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि तकलीफ़देह कांटे काटे जा सकते हैं, इस तरह शिकार को उसकी जगह से उठाना और परेशान करना भी जाइज़ नहीं है। मालिकिया और अहनाफ़ के नज़दीक हरम की घास चराना भी जाइज़ नहीं है और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक जिस तरह इज़्ख़िर इंसानी ज़रूरत है, घास हैवानों की ज़रूरत है इसलिये जानवरों को चराना जाइज़ है। **(3)** जुम्हूर के नज़दीक क़त्ल और दियत में से किसी एक के चुनने का हक़ मक़्तूल के वारिसों को है। लेकिन इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इख़्तियार क़ातिल को है। ज़ाहिर बात तो ये है इसका फ़ैसला आपसी रज़ामन्दी से हो सकता है क्योंकि असल तो क़िसास है। अब अगर वारिस दियत कुबूल नहीं करते या क़ातिल दियत की अदायगी पर आमादा नहीं है तो फिर जब्र कैसे मुम्किन है। **(4)** हज़रत अबू शाह (रज़ि.) के लिखवाने के सवाल से साबित होता है आपकी ज़िन्दगी के आख़िरी दौर में लिखने का रिवाज हो चुका था। इसलिये आपने किसी को शख़्सी तौर पर लिखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आम हुक्म दिया कि अबू शाह को लिख दो, आपकी ज़िन्दगी में ही अहादीस लिखने का काम शुरू हो गया था, लेकिन तमाम अहादीस को इकट्ठा करने का काम बाद में हुआ।

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي أَلاَ وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لاَ يُخْبَطُ شَوْكُهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَةَ - وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِلاَّ الإِذْخِرَ " .

(3306) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि ख़ुज़ाअह ने फ़तहे मक्का के साल बनू लैस़ का एक आदमी अपने एक मक़्तूल के बदले में, जो बनू लैस़ ने क़त्ल किया था, क़त्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) को इसकी इत्तिलाअ दी गई, तो आपने अपनी सवारी पर सवार होकर ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मक्का में हाथी को (दाख़िल होने से) रोक दिया था और इस पर अपने रसूल और मोमिनों को ग़ल्बा इनायत फ़रमाया है ख़बरदार! ये मुझसे पहले किसी के लिये हलाल क़रार नहीं दिया गया (कि वो इस पर हमलावर हो) और न हर्गिज़ मेरे बाद किसी के लिये हलाल होगा, ख़बरदार! मेरे लिये भी दिन के कुछ वक़्त के लिये हलाल क़रार दिया गया था। ख़बरदार! अब वो इस वक़्त मोहतरम है, इसके कांटे गिराये नहीं जा सकेंगे और न ही इसके दरख़्त काटे जायेंगे और इसकी गिरी-पड़ी चीज़ वही उठा सकेगा, जो तशहीर (ऐलान) करना चाहता हो और जिस शख़्स का कोई अज़ीज़ क़त्ल कर दिया जाये तो उसे दो चीज़ों में से एक के चुनने का हक़ हासिल होगा या तो उसे दियत दिलवाई जायेगी या मक़्तूल के वारिसों को क़िसास दिलवाया जायेगा (क़ातिल उनके हवाले किया जायेगा कि वो क़त्ल कर दें)।' उसके बाद एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया और उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल!

मुझे लिखवा दें। तो आपने फ़रमाया, 'अबू शाह को लिख दो।' क़ुरैश में से एक आदमी ने अर्ज़ किया, इज़्ख़िर को मुस्तसना क़रार दें, क्योंकि हम उसे अपने घरों और क़ब्रों के लिये इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इज़्ख़िर मुस्तसना है।'

(सहीह बुख़ारी : 6880)

फ़ायदा : इज़्ख़िर का अलग होना आपने वह्य से फ़रमाया अ़दमे हर्ज के उसूल के मुताबिक़, वज़ुअ़े हर्ज के लिये इज्तिहाद फ़रमाया। जिसको अल्लाह तआ़ला ने बरक़रार रखा, इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं है कि आपको अहकाम सादिर करने का इख़्तियार था और आप हलाल व हराम का इख़्तियार रखते थे।

बाब 88 : मक्का मुकर्रमा में बिला ज़रूरत हथियार उठाना मना है

باب النَّهْىِ عَنْ حَمْلِ السِّلاَحِ، بِمَكَّةَ بِلاَ حَاجَةٍ

(3307) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमा रहे थे, 'तुममें से किसी के लिये रवा नहीं कि वो मक्का में हथियार उठाये।'

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ " .

फ़ायदा : जुम्हूर उ़लमा-ए-उम्मत के नज़दीक इस हदीस़ का मतलब ये है कि मक्का और हुदूदे हरम में किसी मुसलमान को दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठाना और उसको इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है। अगर उसके हाथ में लेने से किसी को अज़ियत और ज़ख़्म लगने का ख़तरा न हो तो सिर्फ़ हथियार हाथ में ले लेना नाजाइज़ नहीं है।

बाब 89 : बग़ैर एहराम के मक्का में दाख़िल होना जाइज़ है

باب جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

(3308) इमाम यहया (रह.) कहते हैं, मैंने इमाम मालिक से पूछा, क्या आपको इब्ने शिहाब ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से ये रिवायत सुनाई कि नबी (ﷺ) फ़तह के साल मक्का में इस हाल में दाख़िल हुए थे कि आपके सर पर ख़ूद था। जब आपने ख़ूद उतारा तो एक शख़्स ने आकर बताया इब्ने ख़तल कअबा के पर्दों से लटका हुआ है। आपने फ़रमाया, 'उसे क़त्ल कर दो।' इमाम मालिक ने जवाब दिया, हाँ!

(सहीह बुख़ारी : 1846, 3044, 4286, 5508, अबू दाऊद : 2685, तिर्मिज़ी : 1693, नसाई : 5/201, इब्ने माजह : 2085)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . فَقَالَ "اقْتُلُوهُ" . فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ.

फ़ायदा : इस रिवायत में है कि आपके सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) था, अगली रिवायत में है कि सर पर स्याह इमामा (पगड़ी) था, असल बात ये है कि जब आप दाख़िल हुए हैं, तो आपके सर पर ख़ूद था। फिर जब आपने उसे उतार लिया, तो फिर सर पर स्याह पगड़ी बांध ली और बग़ैर एहराम के दाख़िल होने का बाइस ये है कि आपका उमरह करना मक़सूद न था, आप तो फ़तहे मक्का के लिये निकले थे। मसला गुज़र चुका है और इब्ने ख़तल को इसलिये क़त्ल करवा दिया, क्योंकि वो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया था और अपने मुसलमान ख़ादिम को क़त्ल कर दिया था। नीज़ वो आपकी हिजू करता था और उसने दो लौण्डियाँ रखी थीं जो आपको और मुसलमानों को बुरा-भला कहती थीं और इस हदीस से इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई ने हद क़ायम करने के जवाज़ पर इस्तिदलाल किया है, लेकिन दूसरों के नज़दीक उसको इर्तिदाद की बिना पर क़त्ल किया था, क़िसास के तौर पर क़त्ल नहीं किया था।

(3309) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में दाख़िल हुए, क़ुतैबा की रिवायत है, फ़तहे मक्का के दिन दाख़िल हुए और आपके

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ، قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ . وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ .

सर पर बिला एहराम होने की बिना पर स्याह इमामा था।
(नसाई : 5/201, 8/211)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

(3310) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन इस हाल में दाख़िल हुए कि आपके सर पर स्याह इमामा था।
(तिर्मिज़ी : 1679, नसाई : 8/211)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُسَاوِرٍ، الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

(3311) जअ़फ़र बिन अ़म्र बिन हुरैस़ अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को इस हाल में ख़िताब फ़रमाया कि आपके सर पर स्याह इमामा था।
(अबू दाऊद : 4077, नसाई : 8/211, इब्ने माजह : 1104, 2821, 3584, 3587)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي، رِوَايَةِ الْحُلْوَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ . وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

(3312) हज़रत अ़म्र बिन हुरैस़ (रज़ि.) बयान करते हैं, गोया कि मैं अपनी आँखों से नबी (ﷺ) को मिम्बर पर इस हाल में देख रहा हूँ कि आपके (सर पर) स्याह इमामा है और आपने उसके दोनों किनारे अपने दोनों कन्धों के दरम्यान लटकाये हुए हैं अबू बक्र की रिवायत में मिम्बर का ज़िक्र नहीं है।

बाब 90 : मदीना की फ़ज़ीलत और नबी (ﷺ) का इसके लिये बरकत की दुआ करना और इसकी हुरमत व अज़मत का बयान, इसके शिकार और दरख़्तों की हुरमत और इसके हरम की हुदूद का बयान

باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِالْبَرَكَةِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِها وَتَحْرِيمِ صَيْدِهَا وَشَجَرِهَا وَبَيَانِ حُدُودِ حَرَمِهَا

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ".

(3313) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने मक्का की हुरमत की तशहीर (ऐलान) की और उसके बाशिन्दों के हक़ में दुआ फ़रमाई और मैं मदीना को हराम करार देता हूँ जैसाकि इब्राहीम (अलै.) ने मक्का को हराम क़रार दिया था और मैं इसके साअ और मुद्द के बारे में उससे दुगणी दुआ करता हूँ, जितनी इब्राहीम (अलै.) ने अहले मक्का के लिये की थी।'

(सहीह बुख़ारी : 2129)

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، - هُوَ الْمَازِنِيُّ - بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ

(3314) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत कई दूसरे उस्तादों से करते हैं। वुहैब की रिवायत में दरावरदी की रिवायत की तरह, इब्राहीम (अलै.) से दुगणी दुआ का ज़िक्र है, लेकिन सुलैमान बिन बिलाल और अब्दुल अज़ीज़ बिन मुख़्तार की रिवायत में है, जैसी इब्राहीम (अलै.) ने दुआ की थी।

وُهَيْبٍ فَكَرِوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ " بِمِثْلَىْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ " . وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ فَفِي رِوَايَتِهِمَا " مِثْلَ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ " .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي، بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا " . يُرِيدُ الْمَدِينَةَ .

(3315) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'इब्राहीम (अलै.) ने मक्का को हरम ठहराया और मैं मदीना के दोनों स्याह पथरीली ज़मीनों के दरम्यान वाले इलाक़े को हराम क़रार देता हूँ।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : लाबत : उस इलाक़े को कहते हैं जिसमें स्याह पत्थर हों और मदीना के मश्रिक़ और मग़रिब के दोनों इलाक़े पत्थरीले हैं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلاَنِيٍّ إِنْ شِئْتَ

(3316) नाफ़ेअ बिन जुबैर बयान करते हैं कि हज़रत मरवान बिन हकम (रज़ि.) ने लोगों को ख़िताब किया और उसमें मक्का, अहले मक्का और वहाँ के अदब व एहतिराम का ज़िक्र किया, तो उसे हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) ने आवाज़ दी, क्या वजह है मैं तुमसे मक्का, अहले मक्का और उसकी हुरमत का तज़्किरा सुन रहा हूँ, लेकिन तुमने मदीना, अहले मदीना और उसकी हुरमत का ज़िक्र नहीं किया? हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके दोनों संगरेज़ों के दरम्यान के इलाक़े को हरम क़रार दिया है और आपका ये फ़रमान, हमारे पास ख़ोलानी चमड़े पर लिखा हुआ मौजूद है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसे पढ़ा सकता हूँ। इस

أَقْرَأْتُكَهُ . قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ .

पर मरवान ख़ामोश हो गया। फिर कहा, इसका कुछ हिस्सा मैंने भी सुना है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَسْدِيُّ، - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا " .

(3317) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने मक्का के हरम होने का ऐलान किया और मैं मदीना के दोनों पत्थरीले इलाक़े के दरम्यान के हिस्से के हरम होने का ऐलान करता हूँ, इसके कांटेदार दरख़्त नहीं काटे जायेंगे और न इसका शिकार किया जायेगा।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا - وَقَالَ - الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لاَ يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلاَ يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(3318) हज़रत सअ़द (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं हरम क़रार देता हूँ, मदीना के दोनों हदों के दम्यानी इलाक़े को, इसके ख़ारदार दरख़्त न काटे जायें और इसके शिकार को क़त्ल न किया जाये।' और आपने ये भी फ़रमाया, 'मदीना लोगों के लिये बेहतर है, अगर वो (इसकी ख़ैर व बरकत को) जानते हों, कोई इंसान इसको बेनियाज़ी इख़्तियार करते हुए नहीं छोड़ेगा, मगर अल्लाह तआ़ला उसकी जगह उससे बेहतर बन्दे को भेज देगा (जाने वाला ही ख़ैर व बरकत से महरूम होगा, उसके जाने से मदीना में कोई कमी नहीं आयेगी) और जो कोई बन्दा इसकी तंगियों, तुरशियों और मशक़्क़तों पर सब्र करके वहाँ पड़ा रहेगा, तो मैं क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा और उसके हक़ में शहादत दूँगा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इज़ाह : इज़ाहह और इज़्हाह की जमा है, बड़ा काटेदार दरख़्त। **(2) लअ्वाअ :** भूख और तंगदस्ती। **(3) जह्द :** मशक़्क़त व कुल्फ़त।

फ़वाइद : (1) इस हदीस़ और इसके हम मानी दूसरी हदीस़ से साबित होता है कि मदीना तय्यिबा का इलाक़ा भी हरम है और वाजिबुल एहतिराम है और इसमें हर वो अ़मल और इक़्दाम मना है, जो इसकी अ़ज़मत और हुरमत के ख़िलाफ़ हो, इसके दरख़्तों को काटना और जानवरों का शिकार करना जाइज़ नहीं है। तीनों इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मौक़िफ़ है लेकिन अइम्म-ए-अहनाफ़ के नज़दीक, दरख़्तों को काटना और जानवरों का शिकार करना जाइज़ है, सिर्फ़ ये इसकी ज़ेबाइश और ज़ीनत के ख़िलाफ़ है। (2) मदीना मुनव्वरा को ये इम्तियाज़ हासिल है कि जो इंसान वहाँ की दिक़्क़तों, कुल्फ़तों और भूख व शिद्दत को सब्र व सुकून से बर्दाश्त करेगा, वो वहाँ की ख़ैरात व बरकात से मुतमत्तेअ होगा और उसे ये शर्फ़ हासिल होगा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करेंगे कि इसके क़ुसूर और इसकी ख़तायें माफ़ कर दी जायें और इसको बख़्श दिया जाये और इसके आमाले सालेहा और ईमान और इसके सब्र व शकीब की शहादत देंगे या नेक और इताअ़त गुज़ार लोगों के लिये शहादत देंगे और अहले मआ़सी के लिये सिफ़ारिश फ़रमायेंगे।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ " وَلاَ يُرِيدُ أَحَدٌ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلاَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذَوْبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ " .

(3319) एक और उस्ताद से इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत नक़ल करते हैं और इसमें ये इज़ाफ़ा है कि आपने फ़रमाया, 'जो शख़्स भी अहले मदीना को तकलीफ़ पहुँचाने का इरादा करेगा, अल्लाह तआ़ला उसको आग में इस तरह पिघलायेगा, जिस तरह सीसा पिघलता है या जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है।'

फ़ायदा : दूसरी हदीस़ से मालूम होता है ये अन्जाम क़यामत के दिन होगा और ये मानी भी हो सकता है कि ऐसा इंसान अपने इरादे और अ़ज़्म का नाकाम व नामुराद होगा और जल्दी दुनिया में अपने अन्जाम को पहुँच जायेगा।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ

(3320) आमिर बिन सअ़द बयान करते हैं कि हज़रत सअ़द (रज़ि.) सवार होकर अपने

حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنِ الْعَقَدِيِّ، -قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ، سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا، رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلاَمِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلاَمِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ .

घर जो अक़ीक़ में वाक़ेअ था, की तरफ़ चले तो रास्ते में एक ग़ुलाम को दरख़्त काटते या उसके पत्ते झाड़ते पाया तो उसका सामान छीन लिया। तो जब हज़रत सअद (रज़ि.) वापस आये, उनके पास ग़ुलाम के मालिक आये और उनसे कहा, (बातचीत की) कि उनके ग़ुलाम को या उनको वो कुछ वापस कर दें, जो उनके ग़ुलाम से लिया है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह कि मैं वो चीज़ वापस कर दूँ जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बतौरे इनाम इनायत फ़रमाई है और सामान वापस करने से इंकार कर दिया।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अगर कोई इंसान मदीना की हुरमत व अज़मत को पामाल करते हुए, वहाँ से दरख़्त काटेगा या शिकार करेगा, तो उससे उसका साज़ो-सामान छीन लिया जायेगा। लेकिन जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक उसने एक नाजाइज़ काम किया, लेकिन उस पर किसी क़िस्म का तावान या फ़िद्या नहीं है। लेकिन सहाबा किराम का अमल तो इस हदीस के मुताबिक़ रहा है अगरचे बाद वालों ने इसको नज़र अन्दाज़ कर दिया है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَلْحَةَ " الْتَمِسْ لِي غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي " . فَخَرَجَ بِي

(3321) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) से फ़रमाया, 'अन्सारी लड़कों से कोई लड़का तलाश करो, वो मेरी ख़िदमत करे।' तो अबू तलहा मुझे लेकर अपने पीछे सवार करके निकले, जब भी किसी मन्ज़िल पर रसूलुल्लाह (ﷺ) उतरते, मैं आपकी ख़िदमत करता और हदीस में ये भी बयान किया, फिर आप वापस मदीना की तरफ़ आये, यहाँ तक कि जब उहुद आप पर

أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ " هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " . فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ " .

नुमायाँ हुआ आपने फ़रमाया, 'ये पहाड़ हमसे मुहब्बत करता है और हम इससे मुहब्बत करते हैं।' तो जब आप मदीना पर झांके (उसके क़रीब पहुँचे) फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! मैं इन दोनों पहाड़ों के दरम्यानी जगह को मोहतरम क़रार देता हूँ, जिस तरह इब्राहीम (अलै.) ने मक्का को हरम क़रार दिया था, ऐ अल्लाह! इनके मुद्द और इनके साअ़ में बरकत फ़रमा।'
(सहीह बुख़ारी : 2889, 3367, 4084, 7333, तिर्मिज़ी : 3922)

وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا " .

(3322) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें मा बैना जबलैहा की बजाय मा बैना लाबतैहा है।

फ़ायदा : मदीना के मश्रिक़ और मग़रिब में दो संगरेज़ों के इलाक़े हैं और जुनूब व शिमाल में दो पहाड़, ईर और सौर हैं। जिन लोगों ने इन दोनों का या एक का इंकार किया वो नावाक़िफ़ियत पर मबनी है। तफ़्सील के लिये मुहम्मद फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी का हाशिया मुस्लिम जिल्द 2, पेज नं. 996 से 998 देखिये।

وَحَدَّثَنَاهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا - قَالَ - ثُمَّ قَالَ لِي هَذِهِ

(3323) आसिम (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना को हरम क़रार दिया है? उन्होंने कहा, हाँ! फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह तक (ईर से सौर तक)। तो जिसने इसमें कोई जुर्म किया, फिर मुझसे

شَدِيدَةٌ " مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً " . قَالَ فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ أَوْ آوَى مُحْدِثًا .

कहा, ये बड़ी शदीद वईद है, 'जिसने इसमें कोई जुर्म किया तो उस पर लानत है, अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की। अल्लाह उससे क़यामत के दिन कोई तौबा व फ़िद्या या फ़र्ज़ व नफ़्ल कुबूल नहीं करेगा।' इब्ने अनस ने ये इज़ाफ़ा किया और जिसने मुज्रिम को पनाह दी (उसके लिये भी यही वईद है)।

(सहीह बुख़ारी : 1867, 7306)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

(3324) आसिम (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस (रज़ि.) से सवाल किया, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना को हरम क़रार दिया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ! वो हरम है, उसकी घास नहीं काटी जायेगी, जिसने ये हरकत की उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की तरफ़ से लानत हो।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ " .

(3325) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! इनके (अहले मदीना के) पैमाने में बरकत फ़रमा, इनके साअ में बरकत फ़रमा और इनके मुद्द में बरकत फ़रमा।'

(सहीह बुख़ारी : 2130, 7331)

फ़ायदा : साअ और मुद्द दोनों पैमाने (नापने का आला) हैं, उस दौर में ग़ल्ले वग़ैरह की ख़रीदो-फ़रोख़्त इन ही पैमानों से होती थी और इनमें बरकत का मफ़्हूम व मक़सद ये है कि आम लोगों का एक साअ या एक मुद्द जितने आदमियों के लिये या जितने दिनों के लिये किफ़ायत करता है, अहले मदीना का साअ और मुद्द उससे ज़्यादा आदमियों और दिनों के लिये काफ़ी हो।

(3326) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! मदीना में उससे दुगुनी बरकत फ़रमा, जितनी मक्का में बरकत रखी है।'
(सहीह बुख़ारी : 1885)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ يُونُسَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَىْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ" .

(3327) इब्राहीम तैमी अपने बाप से बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने हमें ख़िताब फ़रमाया और कहा, जिसका ये गुमान है कि हमारे पास पढ़ने के लिये अल्लाह की किताब और इस सहीफ़े (उन की तलवार की नियाम के साथ एक सहीफ़ा लटका हुआ था) के सिवा कुछ है वो झूठ बोलता है, इस सहीफ़े में ऊँटों की उम्रों और कुछ ज़ख़्मों (की दियत) का ज़िक्र है और इसमें ये है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना, ईर से लेकर सौर तक हरम है, तो जिसने इसमें किसी क़िस्म का जुर्म किया या मुज्रिम को तहफ़्फ़ुज़ व पनाह दी, उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत हो। अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसका कोई फ़र्ज़ क़ुबूल या नफ़ल क़ुबूल नहीं फ़रमायेगा।' अबू बकर और ज़ुहैर की हदीस, 'उनका अदना फ़र्द पनाह दे सकता है।' पर ख़त्म हो गई, उनकी रिवायत में बाद वाला हिस्सा नहीं है, इस तरह उनकी रिवायत में

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا، شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم " الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى

إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً " . وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ " يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ" . وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ.

सहीफ़े के तलवार की नियाम के साथ लटकने का ज़िक्र नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 1870, 3172, 3179, 6755, 7300, अबू दाऊद : 2034, तिर्मिज़ी : 2127)

फ़वाइद : (1) हज़रत अली (रज़ि.) की ज़िन्दगी में ही कुछ लोगों ने ये बात फैला रखी थी कि हज़रत अली के पास मौजूदा क़ुरआन के सिवा कुछ और उलूम भी हैं, जो सिर्फ़ आप ही को बताये गये हैं, इसलिये आपसे उसके बारे में अलग-अलग मौक़ों पर सवाल किया गया और आपने भी अलग-अलग मौक़ों और अलग-अलग मुनासिबतों से इसकी तर्दीद और तकज़ीब फ़रमाई। लेकिन इस तसरीह के बावजूद भी कुछ लोगों का अब भी यही दावा है कि नऊज़ुबिल्लाह क़ुरआन में भी कमी कर दी गई है। जबकि वो फ़रमा रहे हैं, हम भी वो किताबुल्लाह पढ़ते हैं, जो सबके पास है, हमारे पास इससे ज़्यादा नहीं है और उनके सहीफ़े की चीज़ें भी दूसरे सहाबा किराम से मरवी हैं। (2) हदस़ से मुराद जुर्म या बिदअत है और मुहदिस़ से मुराद मुज्रिम या बिदअती है। जिस तरह जुर्म और बिदअत पर सख़्त वईद है उसी तरह बिदअती और मुज्रिम को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना भी शदीद जुर्म है। जिसकी बिना पर इंसान अल्लाह, फ़रिश्तों और तमाम इंसानों की लानत का हक़दार ठहरता है और जुम्हूर के नज़दीक सर्फ़ से मुराद फ़र्ज़ है और अद्ल से नफ़ल। अल्लाह की लानत से मुराद, उसकी रहमत से महरूमी है और फ़रिश्तों की लानत से मुराद, उस दुआ और इस्तिग़फ़ार से महरूमी है जो वो मोमिनों के लिये करते हैं, जिसकी तफ़्सील सूरह मोमिन की आयत 7-9 में है और लोगों की लानत से मुराद, उसके लिये रहमत से महरूमी की बद्दुआ करना है। (3) मुसलमानों का अमान और पनाह देना यकसाँ और बराबर हैसियत रखता है, कोई भी मुसलमान किसी भी काफ़िर को अगर अमान और तहफ़्फ़ुज़ दे दे तो सब मुसलमान उसके पाबंद होंगे, जुम्हूर का यही क़ौल है। (4) किसी मुसलमान का अपने नसब को छोड़कर किसी और ख़ानदान की तरफ़ निस्बत करना या ग़ुलाम का अपने आज़ाद करने वालों को छोड़कर किसी और की तरफ़ निस्बत करना भी इन्तिहाई शदीद जुर्म है। (5) ईर और स़ोर जुनूब-शिमाल मदीना में दो पहाड़ हैं। तफ़्सील के लिये देखिये फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी का हाशिया मुस्लिम जिल्द 2, पेज नं.995-997

(3328) इमाम साहब आमश ही की सनद से दो और उस्तादों से ऊपर वाली रिवायत बयान करते हैं और उसमें ये इज़ाफ़ा है, 'जिसने किसी मुसलमान की पनाह को तोड़ा उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत हो, क़यामत के दिन उसके फ़र्ज़ और नफ़्ल क़ुबूल नहीं किये जायेंगे।' इन दोनों की हदीस़ में 'जिसने अपने बाप के ग़ैर की तरफ़ निस्बत' का ज़िक्र नहीं है और हकीम की रिवायत में 'क़यामत के दिन' का ज़िक्र नहीं है।

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، الأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي، مُعَاوِيَةَ إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ " فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ " . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا " مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ " . وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

(3329) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से इब्ने मुस्हिर और वकीअ की आमश से ऊपर की सनद वाली हदीस़ की तरह रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें 'जिसने अपने मवाली के ग़ैर की तरफ़ निस्बत की' का ज़िक्र नहीं है और न ही 'उस पर लानत' का ज़िक्र है।

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكِيعٍ إِلاَّ قَوْلَهُ " مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ " وَذِكْرَ اللَّعْنَةِ لَهُ .

(3330) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना हरम है, इसलिये जिसने इसमें जुर्म किया या मुज्रिम को पनाह और ठिकाना दिया, उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत हो, क़यामत के दिन उसके नफ़्ल और फ़र्ज़ क़ुबूल नहीं किये जायेंगे।'
(अबू दाऊद : 5114)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ " .

फ़ायदा : इन हदीसों में कुबूल न होने का मानी ये है कि इन पर अज्र व सवाब नहीं देगा और न ये गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनेंगे और न ही इनसे दरजात में रिफ़अत व बुलन्दी हासिल होगी, अगरचे वो इनका तारिक शुमार नहीं होगा।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَزَادَ " وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ " .

(3331) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन क़यामत के दिन का ज़िक्र नहीं है और ये इज़ाफ़ा है, मुसलमानों का अहदो-पैमान बराबर है, उनका अदना फ़र्द भी ये काम सर अन्जाम दे सकता है, तो जो शख़्स किसी मुसलमान की पनाह को तोड़ेगा, उस पर अल्लाह, फ़रिश्तों और सब लोगों की लानत हो, क़यामत के दिन उसके नफ़ल और फ़र्ज़ कुबूल नहीं होंगे।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ " .

(3332) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते थे, अगर मैं मदीना में हिरणियाँ चरती देखूँ तो मैं उन्हें परेशान या हरासाँ नहीं करूँगा। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया है, 'इसके दोनों हर्रों के दरम्यान का इलाक़ा हरम है।'
(सहीह बुख़ारी : 1873, तिर्मिज़ी : 3921)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(3333) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मदीना के दोनों हर्रों (पत्थरीले इलाक़ों) के दरम्यानी इलाक़े को हुरमत वाला क़रार दिया है, अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़रमाते हैं, तो अगर मैं उसके दोनों हर्रों के दरम्यान हिरणियों को पाऊँ तो उन्हें हरासाँ या ख़ौफ़ज़दा नहीं करूँगा और आपने

مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا . وَجَعَلَ اثْنَىْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى .

मदीना के गिर्द बारह (12) मील के इलाक़े को हिमा (मम्नूअ इलाक़ा जिसमें न कोई दरख़्त काटा जा सकता है और न किसी जानवर का शिकार किया जा सकता है) क़रार दिया है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ، أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ " . قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ.

(3334) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि लोगों का दस्तूर था कि जब वो दरख़्त पर पहला फल (नया फल) देखते (तो उसको लाकर) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पेश करते, आप उसको क़ुबूल फ़रमा कर यूँ दुआ फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! हमारे लिये हमारे मदीना में बरकत पैदा कर और हमारे फलों और पैदावार में बरकत फ़रमा और हमारे साअ में बरकत रख और हमारे मुद्द में बरकत दे। ऐ अल्लाह! इब्राहीम (अलै.) तेरे ख़ास बन्दे, तेरे ख़लील और तेरे नबी थे और मैं भी तेरा बन्दा और तेरा नबी हूँ और उन्होंने मक्का के लिये दुआ की थी और मैं मदीना के लिये तुझसे वैसी ही दुआ करता हूँ, जैसी उन्होंने तुझसे मक्का के लिये दुआ की थी और उसके साथ उतनी ही मज़ीद।' फिर आप सबसे छोटे बच्चे को बुलाते और वो नया फल उसे दे देते। (तिर्मिज़ी : 3454)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِأَوَّلِ الثَّمَرِ

(3335) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास सबसे पहला फल लाया जाता था तो आप यूँ दुआ फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! हमारे लिये हमारे मदीना में बरकत दे और हमारे फलों में और हमारे मुद्द

فَيَقُولُ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثِمَارِنَا وَفِي مُدِّنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ " . ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ

में और हमारे साअ में बरकत दर बरकत फ़रमा।' फिर आप वो फल मौजूद बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे को इनायत फ़रमाते।

(इब्ने माजह : 3329)

फ़ायदा : मदीना में बरकत का मतलब ये है कि वो ख़ूब आबाद व शादाब रहे और उसके मकीनों पर अल्लाह का फ़ज़्ल व करम हो, फलों और पैदावार में बरकत का मतलब ये है कि फल और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हों। यानी फ़सल भरपूर हो, क़ुरआन मजीद में हज़रत इब्राहीम (अलै.) की दुआ का ज़िक्र है, जो उन्होंने उस वक़्त की थी। जब अपनी बीवी और शीरख़्वार बच्चे को मक्का की बेआबाद और बेआबो-ग्याह वादी में छोड़ रहे थे, ऐ अल्लाह! तू अपने बन्दों के दिलों में उनकी मुहब्बत व उल्फ़त पैदा कर दे और उनको उनकी ज़रूरत का रिज़्क़ और फल पहुँचा और उसको अमन व सलामती वाला इलाक़ा बना दे। (सूरह बक़रह, सूरह इब्राहीम) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बतौरे नज़ीर इस दुआ का ज़िक्र करके, अल्लाह तआला से यही दुआ मज़ीद इज़ाफ़े के साथ की। इस दुआ का नतीजा है कि दुनिया भर का रिज़्क़ और फल मक्का की तरह मदीना में पहुँच रहा है और जिन ईमान वाले बन्दों को मक्का से मुहब्बत है, उन सबको मदीना से भी मुहब्बत व प्यार है और इस महबूबियत में मदीना का हिस्सा मक्का से बढ़कर है। नीज़ आपने इस दुआ में इब्राहीम (अलै.) को अल्लाह का बन्दा, उसका ख़लील और उसका नबी कहा है। लेकिन अपने आपको सिर्फ़ बन्दा और नबी कहा, ख़लील होने का तज़्किरा नहीं किया। ये तवाज़ोअ और कसरे नफ़्स आपका अख़लाक़ है और फिर आप नया और दरख़्त का पहला फल, नये फल और कमसिन बच्चे की मुनासिबत से, ये सबक़ देने के लिये उसको इनायत फ़रमाते कि ऐसे मौक़ों पर छोटे मासूम बच्चों को मुक़द्दम रखना चाहिये, क्योंकि वो थोड़ी चीज़ लेकर ख़ुश हो जाते हैं।

باب التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لأْوَائِهَا

बाब 91 : मदीना में रिहाइश रखने और उसकी तकलीफ़ों व मुसीबतों पर सब्र करने की तरग़ीब

(हिन्दुस्तानी नुस्ख़ों में ये बाब हदीस 1377 पेज नं. 481 से शुरू होता है, जबकि ये हदीस 1374 है।

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي،

(3336) महरी (रह.) के आज़ाद करदा गुलाम अबू सईद से रिवायत है कि मदीना में गुज़रान की मुश्किल और शिद्दत से दोचार

إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لاَ تَفْعَلِ الْزَمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ - حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَىْءٍ وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ - مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ - وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ - لاَ أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ - لآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لاَ أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ - وَقَالَ - اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا أَنْ لاَ يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلاَ يُحْمَلَ فِيهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ وَلاَ يُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ لِعَلْفٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي

होना पड़ा तो वो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे अर्ज़ किया कि मेरे बाल-बच्चे बहुत हैं और हम मशक़्क़त व तंगी में मुब्तला हैं, इसलिये मैं चाहता हूँ अपने अहलो-अयाल को किसी सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े में मुन्तक़िल कर लूँ। तो अबू सईद (रज़ि.) ने फ़रमाया, ऐसा न कर! मदीना को ही लाज़िम पकड़। क्योंकि हम नबी (ﷺ) के साथ निकले, मेरा ख़याल है उन्होंने कहा, यहाँ तक कि हम उस्फ़ान पहुँच गये तो वहाँ आपने कुछ रातें क़ियाम फ़रमाया। तो लोगों ने कहा, हम यहाँ बेमक़सद या बेकार ठहरे हुए हैं और पीछे हमारे बाल-बच्चों की निगेहदाश्त करने वाला कोई नहीं है, हम उनके बारे में बेख़ौफ़ नहीं हैं और ये बात नबी (ﷺ) को पहुँच गई। तो आपने फ़रमाया, 'मुझे तुम्हारी तरफ़ से ये क्या बात पहुँची है? (रावी का क़ौल है, मैं नहीं जानता, आपने क्या अल्फ़ाज़ फ़रमाये) उस ज़ात की क़सम जिसकी मैं क़सम उठाता हूँ या जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं पुख़्ता इरादा कर चुका हूँ या अगर तुम चाहो (रावी का क़ौल है, मैं नहीं जानता आपने इन दोनों में से क्या कहा) मैं अपनी ऊँटनी पर पालान रखने का हुक्म दूँ और जब तक मदीना न पहुँच जाऊँ, उसकी गिरह न खोलूँ (यानी मदीना तक मुसलसल सफ़र करूँ) और आपने दुआ फ़रमाई, ऐ अल्लाह! हज़रत इब्राहीम ने मक्का को हरम क़रार दिया और उसकी हुरमत

صاعِنا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبٌ وَلاَ نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا - ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ - ارْتَحِلُوا " . فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ - الشَّكُّ مِنْ حَمَّادٍ - مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَىْءٌ .

का ऐलान किया, मैं मदीना को हरम क़रार देता हूँ। इसके दोनों तरफ़ के दर्रो (पहाड़ों) के दरम्यान का इलाक़ा वाजिबुल एहतिराम है। इसमें ख़ूनरेज़ी न की जाये और न इसमें किसी के ख़िलाफ़ हथियार उठाया जाये और किसी दरख़्त के पत्ते जानवरों की ज़रूरत के सिवा न झाड़े जायें। ऐ अल्लाह! हमारे शहर में बरकत दे। ऐ अल्लाह! हमारे मुद्द में बरकत डाल। ऐ अल्लाह! हमारे शहर मदीना में बरकत नाज़िल फ़रमा, बरकत के साथ दो बरकतें और नाज़िल फ़रमा। जिसके हाथ में मेरी जान है, उसकी क़सम! मदीना की कोई घाटी या दर्रा नहीं है, जिस पर तुम्हारी वापसी तक दो फ़रिश्ते पहरे न दे रहे हों।' फिर आपने लोगों को फ़रमाया, 'कूच करो।' तो हम चल पड़े और हम मदीना की तरफ़ बढ़े। पस उस ज़ात की क़सम! जिसकी हम क़सम उठाते हैं या जिसकी क़सम उठाई जाती है हम्माद को शक है क्या लफ़्ज़ कहा, हमने मदीना में दाख़िल होकर अभी पालान भी नहीं उतारे थे कि बनू अब्दुल्लाह बिन ग़तफ़ान ने हम पर हमला कर दिया। इससे पहले उन्हें किसी चीज़ ने उन्हें (हमले पर) बरअंगेख़्ता नहीं किया (उकसाया नहीं)।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) रीफ़ जमा अरियाफ़ : सर सब्ज़ व शादाब इलाक़ा। **(2) ख़ुलूफ़ :** उनकी हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त करने वाला, उनके पास कोई नहीं है। **(3) मअ्ज़िमैहा :** पहाड़, दर्रा या पहाड़ी, शुअ्ब घाटी, दर्रा। **(4) शुअ्ब :** पहाड़ी रास्ता।

फ़ायदा : नबी (ﷺ) की पेशीनगोई के मुताबिक़ सहाबा किराम की ग़ैर हाज़िरी में मदीना मुनव्वरा की हिफ़ाज़त व निगरानी फ़रिश्ते कर रहे थे, इसलिये किसी को मदीना पर हमला करने की जुरअत न हुई।

हालांकि सहाबा किराम के आने से पहले कोई ज़ाहिरी मानेअ या रुकावट मौजूद न थी, लेकिन उनकी आमद के साथ ही मदीना पर हमला हो गया। जब ज़ाहिरी तौर पर हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त करने वाले आ चुके थे, तो फ़रिश्तों की हिफ़ाज़त ख़त्म हो गई और हमला हो गया।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ".

(3337) महरी के आज़ाद करदा गुलाम अबू सईद, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! हमारे लिये, हमारे साअ और हमारे मुद्द में बरकत अता फ़रमा और एक बरकत के साथ दो बरकतें अता फ़रमा। (यानी मक्का की एक बरकत के मुक़ाबले में मदीना में दुगनी बरकत पैदा कर)।'

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ - كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

(3338) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلاَءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلأْوَائِهَا . فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لاَ آمُرُكَ بِذَلِكَ

(3339) महरी के मौला अबू सईद बयान करते हैं कि मैं जंगे हर्रा के ज़माने में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे मदीना से कहीं और चले जाने का मशवरा लिया और उनसे वहाँ की महंगाई (गिरानी) और अपने बाल-बच्चों की कसरत (ज़्यादा होने) की शिकायत की और उनसे अर्ज़ किया, मैं मदीना की भूख और तकलीफ़ों पर सब्र नहीं कर सकता। तो

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَائِهَا فَيَمُوتَ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا " .

उन्होंने उसे जवाब दिया, तुझ पर अफ़सोस! मैं तुम्हें ये मशवरा नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है, 'कोई इंसान यहाँ की तकलीफ़ों पर सब्र करते हुए नहीं मरता, मगर मैं उसकी क़यामत के दिन बशर्तेकि वो मुसलमान हो, सिफ़ारिश करूँ या शहादत दूँगा।'

फ़ायदा : वाक़िया हर्रा से मुराद वो वाक़िया जो 63 हिजरी में पेश आया, जिसमें मदीना मुनव्वरा में बहुत क़त्ल व ग़ारत हुई थी। क्योंकि अहले मदीना ने यज़ीद बिन मुआविया के ख़लीफ़ा बनने के बाद, उसकी बजाय हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का साथ देने का फ़ैसला कर लिया था और हज़रत अ़ली बिन हुसैन (रह.), ज़ैनुल आ़बिदीन ने उसमें यज़ीद का साथ दिया था। (तबक़ात लिइब्ने सअ़द, जिल्द 5, पेज नं. 215)

इमाम ज़ैनुल आ़बिदीन यज़ीद के सिपहसालार के पास गये, उसने आपको ख़ुश आमदेद कहा और कहा, मुझे अमीरुल मोमिनीन ने आपके साथ ख़ुश उस्लूबी और बेहतरीन रवैया इख़्तियार करने की तल्क़ीन की थी। इमाम ज़ैनुल आ़बिदीन ने फ़रमाया, 'अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को अपने साथ बेहतर राब्ता क़ायम करने की तौफ़ीक़ दे। (हवाला ऊपर गुज़रा) गोया हज़रत ज़ैनुल आ़बिदीन, यज़ीद के तरीक़े पर मुत्मइन थे।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي، سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لاَبَتَىِ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ

(3340) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आपने फ़रमाया, 'मैंने मदीना के दोनों संगरेज़ों (पत्थरीले मैदानों) का दरम्यानी इलाक़ा हरम क़रार दिया है। जैसाकि इब्राहीम (अलै.) ने मक्का को हरम क़रार दिया था।' हज़रत अबू सईद (रज़ि.) के बेटे अ़ब्दुर्रहमान कहते हैं, अबू सईद हममें से किसी के हाथ में परिन्दा देखते या किसी को इस हाल में पकड़ लेते कि उसके हाथ में परिन्दा है, तो वो उसके हाथ से छुड़वा कर उसे आज़ाद कर देते।

إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ " . قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ - أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفُكُّهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ .

फ़ायदा : हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के तरीक़े से साबित होता है कि हरम के किसी परिन्दे को पकड़ना दुरुस्त नहीं है।

(3341) सहल बिन हुनेफ़ (रज़ि.) की रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हाथ से मदीना की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया, 'ये हरम है, अमन की जगह है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ " إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ " .

(3342) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, हम मदीना पहुँचे तो वो वबाई इलाक़ा था (जिसमें प्रदेशी कसरत से बीमार हो रहे थे) हज़रत अबू बकर (रज़ि.) बीमार हो गये और हज़रत बिलाल (रज़ि.) भी बीमार पड़ गये। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साथियों की बीमारी को देखा तो दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! हमारे दिलों में मदीना की मुहब्बत डाल दे, जैसे मक्का की मुहब्बत रखी है, बल्कि उससे बढ़कर और इसको सेहत बख़्श शहर बना दे और हमारे लिये इसके साअ और मुद्द में बरकत डाल दे और इसके बुख़ार को जुहफ़ा की तरफ़ मुन्तक़िल कर दे।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْىَ وَبِيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلاَلٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ " اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : वबीअह : वबाई इलाक़ा, जहाँ लोग जल्द-जल्द मौत का शिकार होते हैं।

फ़ायदा : आपकी हिज्रत के वक़्त जुहफ़ा में यहूद आबाद थे, आपने वबा के इधर मुन्तक़िल होने की दुआ फ़रमाई। जिससे साबित हुआ कुफ़्फ़ार के लिये बीमारी और हलाकत व तबाही की दुआ करना

जाइज़ है। इस तरह मुसलमानों के लिये सेहत व सलामती की और मुसलमानों के मुल्क के लिये सेहत अफ़ज़ा मक़ाम होने की दुआ करना चाहिये। कुछ मुतसव्विफ़ीन (सूफ़ी हज़रात) का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि दुआ ख़िलाफ़े तवक्कुल है, क्योंकि दुआ भी अल्लाह के हुज़ूर जाती है, जो इफ़्तिक़ार व एहतियाज की अलामत है और बहुत बड़ी इबादत है। इस तरह मोतज़िला का इसको ख़िलाफ़े तक़दीर कहकर बेफ़ायदा कहना सहीह नहीं है, क्योंकि दुआ भी तक़दीर का हिस्सा है और आपकी दुआ ही का ये असर है कि जुहफ़ा का पानी बुख़ार का सबब बनता है।

(3343) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं।
(सहीह बुख़ारी : 1889)

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

(3344) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जो बन्दा भी मदीना की तंगी व तुरशी पर सब्र करेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा या उसके हक़ में गवाही दूँगा।'

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

फ़ायदा : इस हदीस में औ का लफ़्ज़ अगर तन्वीअ व तक़सीम के लिये हो तो इसका ये मानी होगा कि आप अहले मदीना में से गुनाहगारों की सिफ़ारिश फ़रमायेंगे और नेकोकारों के हक़ में गवाही देंगे या अपने दौर के लोगों के हक़ में गवाही देंगे और बाद के लोगों के बारे में सिफ़ारिश करेंगे। अगर औ वाव के मानी में हो तो सिफ़ारिश उसकी की कि उनके कुसूर और कोताहियाँ माफ़ कर दी जायें और उनको बख़्श दिया जाये और शहादत उसके ईमान और आमाले सालेहा की और इस बात की कि ये बन्दा तंगियों और तकलीफ़ों पर सब्र किये मदीना ही में पड़ा रहा और ये अपने दौर के लोगों के हक़ में होगी।

(3345) हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) के मोला युहन्निस बयान करते हैं कि मैं फ़ित्ना (वाक़िया हर्रा) के अर्से में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था, तो उनके पास उनकी आज़ाद करदा लौण्डी

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ، الأَجْدَعِ عَنْ يُحَنَّسَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي

الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ . فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ اقْعُدِي لَكَاعِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

सलाम अर्ज़ करने के लिये आई और कहा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! मैंने यहाँ से निकलने का इरादा कर लिया है, हमारे हालात बड़े तंग हैं। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसे फ़रमाया, ऐ बेवकूफ़ और नादान औरत! बैठी रहो। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 'जो बन्दा मदीना की तंगियों पर सब्र करेगा, क़यामत के दिन मैं उसकी सिफ़ारिश करूँगा या उसके हक़ में गवाही दूँगा।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ قَطَنٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ يُحَنَّسَ، مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . يَعْنِي الْمَدِينَةَ .

(3346) हज़रत मुस्अ़ब (बिन ज़ुबैर) के मोला युहन्निस, अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, 'जो मदीना की तंगियों और तकलीफ़ों पर सब्र करेगा, मैं क़यामत के दिन उसके हक़ में गवाही दूँगा या उसकी सिफ़ारिश करूँगा।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا " .

(3347) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरा जो उम्मती मदीना की तकलीफ़ों और सख़्तियों पर सब्र करके वहाँ रहेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा या उसके हक़ में शहादत दूँगा।'

(3348) इमाम साहब एक और सनद से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से यही रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ بِمِثْلِهِ ‏.‏

(3349) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो कोई बन्दा मदीना की तकलीफ़ों पर सब्र करेगा...।' आगे ऊपर वाली रिवायत है।
(तिर्मिज़ी : 3924)

وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ ‏"‏ ‏.‏ بِمِثْلِهِ ‏.‏

फ़ायदा : अहले मदीना के हक़ में आपकी ख़ुसूसी सिफ़ारिश होगी, इसलिये आपने एक दूसरी रिवायत में फ़रमाया, 'जो इसकी कोशिश कर सके कि उसकी मौत मदीना में वाक़ेअ हो तो वो मदीना में मरे, क्योंकि मैं मदीना में मरने वालों की शफ़ाअत करूँगा।' (अहमद, तिर्मिज़ी) और इस शफ़ाअत का मक़सद ये होगा कि उनके दरजात ज़्यादा बुलंद हों या उनके लिये हिसाबो-किताब आसान हो या अल्लाह तआला उनको अर्श का साया फ़राहम करके उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करे, उनको नूरानी मिम्बर मिलें और ये लोग जल्द जन्नत में दाख़िल हो जायें। इसलिये कुछ उलमा का ख़याल है कि अगर मदीना मुनव्वरा में रिहाइश का मौक़ा मिले तो वहाँ रिहाइश इख़्तियार कर लेना चाहिये। क्योंकि आम तौर पर मौत वहीं आती है, जहाँ इंसान रहता है, ताहम बन्दा दूसरी जगह फ़ौत होने की दुआ और आरज़ू ज़रूर कर सकता है, अल्लाह तआला हमें भी इस सआदत से मुशर्रफ़ फ़रमाये, जो ज़ात हज़रत उमर (रज़ि.) को बज़ाहिर नामुम्किन बात, यानी मदीना में शहादत दे सकती है, वो हमें मदीना में मौत भी दे सकती है, आमीन!

बाब 92 : मदीना में ताऊन और दज्जाल के दाख़िल होने से हिफ़ाज़त

باب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونِ وَالدَّجَّالِ إِلَيْهَا

(3350) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना के अबवाब यानी दाख़िले की जगहों पर फ़रिश्ते हैं, इसमें ताऊन और दज्जाल दाख़िल नहीं होगा।'
(सहीह बुख़ारी : 1880, 5731, 7133)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ " .

(3351) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मसीह (दज्जाल) मदीना का अज़्म करके आयेगा, यहाँ तक कि उहुद के पीछे उतरेगा। फिर फ़रिश्ते उसका रुख़ शाम की तरफ़ फेर देंगे और वहीं हलाक होगा।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِينَةُ حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلاَئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ "

फ़ायदा : मुस्नद अहमद और सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत से मालूम होता है कि दज्जाल का ज़ुहूर ख़ुरासान से होगा फिर ख़ुरासान से गुज़रेगा जहाँ यहूदी रिहाइश पज़ीर होंगे। फिर शाम व इराक़ के दरम्यान के मदीना का क़सद करेगा, ये तीनों इलाक़े मदीना मुनव्वरा के मश्रिक़ में है।

बाब 93 : मदीना भट्टी की तरह अपने शहरों को छांट देगा और इसका नाम ताबा और तैबा है

باب الْمَدِينَةِ تَنْفِي شِرَارَهَا وَ تُسَمَّى طَابَةٌ وَ طَيْبَةٌ

(3352) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'लोगों पर एक ज़माना आयेगा, आदमी अपने चाचाज़ाद और क़रीबी को दावत देगा, महूलत व आसाइश की तरफ़ आ। सहूलत व आसाइश की तरफ़ आ। हालांकि मदीना उनके लिये बेहतर होगा, अगर वो इल्म रखते हों। उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! उनमें कोई एक इससे बेरग़बती करते हुए निकलेगा तो अल्लाह तआला उससे बेहतर जानशीन पैदा करेगा। ख़बरदार! मदीना भट्टी की तरह है या धोंकी की तरह है जो रद्दी, निकम्मे को निकाल देगा। क़यामत उस वक़्त तक क़ायम नहीं होगी यहाँ तक कि मदीना अपने बुरों को निकाल देगा जिस तरह भट्टी लोहे की मैल-कुचेल निकाल देती है।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ . لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " .

(3353) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे ऐसी बस्ती की तरफ़ हिज्रत करने का हुक्म दिया गया है, जो तमाम बस्तियों को खा जायेगी। लोग उसको यसरिब का नाम देते हैं, हालांकि वो मदीना है, वो लोगों को इस तरह मुम्ताज़ (अलग) कर देता है, जिस तरह भट्टी लोहे के मैल-कुचेल को अलग कर देती है।'
(सहीह बुख़ारी : 1871)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ يَحْيَى بْنِ، سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ، سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهْىَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " .

फ़ायदा : 'बस्तियों को खा जायेगी' का मतलब है कि जिस तरह खाने वाला खाने पर ग़ल्बा पाता है, इसी तरह यहाँ से इस्लामी लश्कर फ़ुतूहात हासिल करके अलग-अलग मुल्कों पर ग़ल्बा हासिल कर लेंगे और इससे हर तरफ़ दीन की नशरो-इशाअत होगी। लोग इनके मुतीअ और फ़रमांबरदार होंगे। जैसाकि ख़ुलफ़ाए राशिदीन के दौर में इसका ज़ुहूर हो चुका है और दूसरा मानी ये है कि अहले मदीना को ग़ल्ला और रिज़्क़, दूसरे इलाक़ों की ग़नीमतों और ख़राज व फ़ै से हासिल होगा, मुनाफ़िक़ और बद अक़ीदा लोग मदीना को यसरिब का नाम देते थे, लेकिन आपको ये नाम इसलिये पसंद नहीं था कि अगर इसको 'तसरीब' से माख़ूज़ मानें तो इसका मानी सरज़निश व तौबीख़ और तअन व मलामत होगा और अगर 'यसरिब' से माख़ूज़ मानें तो फिर मानी बिगाड़ और फ़साद होगा और ये दोनों बातें नापसन्दीदा हैं और मदीना का लफ़्ज़ अगर दीन से माख़ूज़ मानें तो दीन का मानी इताअत व फ़रमांबरदारी है और ये अहले इताअत का सबसे पहला मर्कज़ बना था और अगर इसको मदन से मानें तो इसका मानी इज्तिमाअ और इकट्ठा है और ये मुसलमानों की हिज्रतगाह होने की बिना पर उनका मर्कज़ था और आप अच्छा नाम रखना पसंद फ़रमाते थे और बुरे नाम नापसंद करते थे।

(2) कुछ हज़रात ने 'बस्तियों को खा जायेगी' से इस्तिदलाल किया है कि मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा से अफ़ज़ल है हालांकि आपने फ़तहे मक्का से वापसी के सफ़र में फ़रमाया था, 'अल्लाह की क़सम! तू अल्लाह की ज़मीन में सबसे बेहतर जगह है और अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा महबूब है।' (तिर्मिज़ी, इब्ने माजह) दूसरी रिवातय में है, 'तू किस क़द्र पाकीज़ा और दिल पसंद शहर है और तू मुझे किस क़द्र महबूब है।'

इन हदीसों से मालूम होता है कि मक्का मुअज़्ज़मा तमाम रूए ज़मीन में सबसे अफ़ज़ल और बाअज़मत मक़ाम है और अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन जगह है और होना भी यही चाहिये क्योंकि यहाँ बैतुल्लाह है जो अल्लाह तआला की ख़ासुल ख़ास (सबसे ख़ास) रहमतों का महल है और क़यामत तक के लिये तमाम मुसलमानों का क़िब्ला है और इसके हरम के आदाब व एहतिराम और इसकी हुरमत को पामाल करने पर सज़ा पर तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है और हरमे मदीना के बारे में इख़्तिलाफ़ मौजूद है। इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक मदीना अफ़ज़ल है और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मक्का मुकर्रमा अफ़ज़ल है।

(3354) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से यही रिवायत नक़ल करते हैं लेकिन इसमें ख़बस (मैल-कुचेल) के बाद अल्हदीद (लोहा) का ज़िक्र नहीं है।

وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ " كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ" . لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ.

(3355) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक बद्दू (जंगली) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बैअ़त की, तो उसे मदीना में शदीद बुख़ार चढ़ गया। तो वो नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, ऐ मुहम्मद! मेरी बैअ़त वापस करो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इंकार फ़रमाया। फिर वो दोबारा आपके पास आकर कहने लगा, मेरी बैअ़त वापस कर दो। तो आपने इंकार कर दिया, तीसरी बार हाज़िर होकर फिर कहने लगा, मेरी बैअ़त वापस कर दो, आपने फिर इंकार कर दिया, तो बद्दू चला गया। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना तो बस भट्टी की तरह है, मैल-कुचेल और गन्दगी को अलग कर देता है और पाक चीज़ को ख़ालिस और मुम्ताज़ कर देता है।'

(सहीह बुख़ारी : 7209, 7211, 7322, तिर्मिज़ी : 3920, नसाई : 4196)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي بَيْعَتِي . فَأَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا " .

मुफ़रदातुल हदीस़ : यन्सउ़ : ख़ालिस और साफ़ कर देता है, इसलिये ख़ालिस और साफ़ को अस्सानेअ़ कहते हैं।

फ़ायदा : आपके दौर में ख़ालिस और पाक-साफ़ ईमान वाले लोग दूसरों से मुम्ताज़ हो जाते थे, अगरचे आरिज़ी और वक़्ती तौर पर छिप जाते थे, जिनकी तरफ़ 'आप उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं' में इशारा है।

(3356) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया,

وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، - وهُوَ الْعَنْبَرِيُّ - حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، -

وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّهَا طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ" .

'मदीना ताबा है और ये गन्दगी और पलीदी को अलग कर देता है, जिस तरह आग चाँदी की मैल-कुचेल को अलग कर देती है।'
(सहीह बुख़ारी : 1884, 4050, 4589, तिर्मिज़ी : 3028)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ" .

(3357) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि आप फ़रमा रहे थे, 'अल्लाह तआला ने मदीना का नाम 'ताबा' रखा है।'

फ़ायदा : ताबा और तैबा का मानी पाकीज़ा और ख़ुशगवार है, अल्लाह तआला ने इसको इस्म बामुसम्मा कर दिया, मदीना में रूहों के लिये जो ख़ुशगवारी, जो सुकून व तमानियत और पाकीज़गी है, वो इसी का ख़ास्सह और इम्तियाज़ है।

باب مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ

बाब 94 : अहले मदीना के लिये जो बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह उसको पिघला देगा

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ يُحَنَّسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ،

(3358) अबू अब्दुल्लाह क़रांज़ कहते हैं, मैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के बारे में शहादत से कहता हूँ कि उन्होंने कहा, अबुल क़ासिम (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'जो इस शहर यानी मदीना के बाशिन्दों से बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस तरह पिघला देगा, जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है।'

أَنَّهُ قالَ أَشْهدُ على أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال قالَ أَبُو الْقاسِمِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هذه الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ - يَعْنِي الْمدِينَةَ - أَذابَهُ اللَّهُ كما يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْماءِ " .

وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حاتِمٍ، وَإِبْراهِيمُ بْنُ دِينارٍ، قالاَ حَدَّثَنا حَجَّاجٌ، ح وَحدّثنيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جميعًا عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرنِي عَمْرُو بْنُ يحْيى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاظَ، - وَكانَ مِنْ أَصْحابِ أَبِي هُرَيْرَةَ - يزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قالَ رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَرَادَ أَهْلَها بِسُوءٍ - يُرِيدُ الْمَدِينَةَ - أَذابَهُ اللَّهُ كَما يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْماءِ " . قَالَ ابْنُ حاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَنِّسَ بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ شَرًّا.

(3359) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो अहले मदीना से बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है।' इब्ने हातिम कहते हैं, इब्ने युहन्निस की रिवायत में 'सूइन' की जगह 'शर्रन' का लफ़्ज़ है।

حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، جَمِيعًا سَمِعَا أَبا عَبْدِ اللَّهِ، الْقَرَّاظَ سمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ .

(3360) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत एक और सनद से बयान करते हैं।

حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيدٍ، حدَّثنا حاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ، أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ" .

(3361) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो अहले मदीना से बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है।'

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهٍ، الْكَعْبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ " .

(3362) हज़रत सअद बिन मालिक की मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत एक और उस्ताद से बयान है जिसमें है, 'किसी नागवार और घिनौनी या बुराई का।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : दह्मुन : आफ़त या मुसीबत या इन्तिहाई नागवार और ख़तरनाक काम।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاظِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَعْدًا، يَقُولاَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدِّهِمْ".وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ " مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ" .

(3363) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! अहले मदीना के मुद्द में बरकत डाल दे।' हदीस़ बयान की जिसमें है, 'जो इसके बाशिन्दों से बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में घुल जाता है (हल हो जाता है)।'

नोट : इन हदीस़ों का मफ़्हूम हदीस़ नम्बर 460 के तहत गुज़र चुका है।

बाब 95 : फ़ुतूहात के दौर में मदीना मुनव्वरा में रहने की तरग़ीब

باب التَّرْغِيبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الأَمْصَارِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبُسُّونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " .

(3364) हज़रत सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'शाम फ़तह होगा तो मदीना से कुछ लोग अपने अहलो-अयाल को लेकर अपनी सवारियों को हांकते हुए निकलेंगे, हालाँकि मदीना में उनके लिये रहना बेहतर होगा। ऐ काश! वो उसको जानते। फिर यमन फ़तह होगा। तो कुछ लोग मदीना से अपने मुताल्लिक़ीन को लेकर अपनी सवारियों को हांकते हुए निकलेंगे, हालाँकि मदीना उनके हक़ में बेहतर होगा। काश वो इस हक़ीक़त को जानते। फिर इराक़ फ़तह होगा। तो कुछ लोग अपने अहल को लेकर सवारियों को हांकते निकलेंगे, हालाँकि मदीना उनके लिये बेहतर होगा, काश वो समझते।'

(सहीह बुख़ारी : 1875)

मुफ़रदातुल हदीस़ : यबुस्सून : बक़ौल अबू उबैद, अपनी सवारियों को हांकेंगे और बक़ौल दाऊदी, अपनी सवारियों को डांट-डपट करेंगे और बक़ौल कुछ लोगों को सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ों की दावत देंगे।

फ़ायदा : इस हदीस़ में आपने कुछ पेशीनगोइयाँ फ़रमाई हैं, जिनका ज़ुहूर हो चुका है :

(1) आपने ये ख़बर दी कि शाम, यमन और इराक़ फ़तह होंगे और ये तीनों इलाक़े ख़ुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर और उस़मान (रज़ि.) के दौर में फ़तह हुए, जिससे उनकी ख़िलाफ़त की हक़्क़ानियत स़ाबित होती है क्योंकि वअ़दल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम.... का वादा उन्हीं के हाथों पूरा हुआ।

(2) आपने फ़रमाया था, इन इलाक़ों की फ़ुतूहात के वक़्त कुछ लोग मदीना को छोड़कर उन इलाक़ों में जा बसेंगे, हालांकि मदीना में इक़ामत उनके लिये बेहतर होगी। तो वाक़ेई कुछ लोग अहलो-अयाल और अपने मुताल्लिक़ीन को लेकर उन मुल्कों में जा बसे।

(3) इन इलाक़ों की फ़ुतूहात आपके बयान करदा तर्तीब के मुताबिक़ वाक़ेअ हुईं। पहले यमन फ़तह हुआ, फिर शाम और इराक़। जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है, लेकिन इसका मिस्दाक़ वो लोग हैं, जो दूसरे इलाक़ों को तरजीह देते हुए और मदीना से बेनियाज़ी इख़्तियार करते हुए बग़ैर किसी दीनी ज़रूरत के दूसरे इलाक़ों में जा बसे, जो मदीना की मुहब्बत को दिल में बिठाये हुए किसी दीनी ज़रूरत के तहत दूसरी जगह जा बसे, वो इसका मिस्दाक़ नहीं हैं (इस फ़ेहरिस्त में नहीं है)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ، بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " .

(3365) हज़रत सुफ़ियान बिन अबी ज़ुबैर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'यमन फ़तह किया जायेगा तो कुछ लोग सवारियों को हांकते हुए आयेंगे और अपने अहलो-अयाल और अपने फ़रमांबरदार लोगों को सवार करके ले जायेंगे, हालांकि मदीना उनके हक़ में बेहतर होगा। काश वो (इसकी ख़ूबियों और बरकात) को जानते फिर शाम फ़तह किया जायेगा। तो कुछ लोग इस इलाक़े को मुज़य्यन और महबूब ठहराते हुए लोगों को चलने की दावत देंगे और अपने अहल और इताअत गुज़ार लोगों को सवार करके ले जायेंगे। हालांकि मदीना की रिहाइश उनके हक़ में बेहतर होगी, काश वो समझते। फिर इराक़ मफ़्तूह (फ़तह) होगा, कुछ लोग उसकी सरसब्ज़ व शादाबी की दावत देंगे और अपने मुताल्लिक़ीन और इताअत गुज़ारों को सवार करके ले जायेंगे, हालाँकि मदीना की इक़ामत उनके लिये बेहतर होगी, काश वो इसको देख सकते।'

बाब 96 : वो वक़्त जब मदीना के बाशिन्दे उसके बेहतरीन हालात में उसको छोड़ जायेंगे

باب فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا

(3366) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना के बारे में फ़रमाया, 'इसके बाशिन्दे यक़ीनन इसे इसकी बेहतरीन हालत में रिज़्क़ के मुतलाशियों की मातहती में छोड़ जायेंगे।' रिज़्क़ के मुतलाशियों से मुराद दरिन्दे और परिन्दे हैं। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, अबू सफ़्वान अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल मलिक यतीम था और उसने दस साल इब्ने जुरैज की गोद में परवरिश पाई।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ، بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَدِينَةِ " لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي " . يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ . قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجْرِهِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : अ़वाफ़ी : आफ़ियह की जमा है, ख़ाली जगह में रिज़्क़ की तलाश में आने वाले दरिन्दों और परिन्दों को कहते हैं।

(3367) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'लोग मदीना को इसकी बेहतरीन हालत में छोड़ जायेंगे, इसमें सिर्फ़ अ़वाफ़ी ठहरेंगे।' अ़वाफ़ी से मुराद दरिन्दे और परिन्दे हैं, 'फिर मुज़ैनह क़बीले के दो चरवाहे मदीना जाने के इरादे से निकलेंगे, अपनी बकरियों को आवाज़ देंगे और उसे वहशियों की ज़मीन पायेंगे, जब स़निय्यतुल वदाअ़

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - ثُمَّ

يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا " .

तक पहुँचेंगे, तो अपने मुँह के बल गिर पड़ेंगे।' और ये मानी भी हो सकता है कि वो बकरियों को वहशी पायेंगे, क्योंकि वो मदीना तो पहुँच ही नहीं सकेंगे।

फ़ायदा : आपकी ये पेशीनगोई यक़ीनन सच्ची है, जिसका ज़ुहूर क़यामत के क़रीब होगा कि मदीना आबादी से बिल्कुल ख़ाली हो जायेगा और उसमें जंगलों के दरिन्दे और परिन्दे डेरा डालेंगे, मुज़ैनह के दो चरवाहे इसका रुख़ करेंगे, तो वुक़ूए क़यामत की बिना पर उसमें दाख़िल नहीं हो सकेंगे, उनके दाख़िले से पहले क़यामत बर्पा हो जायेगी।

باب مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

बाब 97 : क़ब्र और मिम्बर की दरम्यानी जगह जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ " .

(3368) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़िनी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे घर और मेरे मिम्बर की दरम्यानी जगह जन्नत के चमनों (कियारियों) में से एक चमन है।'
(सहीह बुख़ारी : 1195)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ " .

(3369) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना, 'मेरे घर और मिम्बर का दरम्यानी इलाक़ा जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है।'

(3370) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरे घर और मेरे मिम्बर के दरम्यान जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है और मेरा मिम्बर मेरे हौज़ पर है।'

(सहीह बुख़ारी : 1196, 1888, 6588, 7330)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ، بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي " .

फ़वाइद : (1) मेरे घर से मुराद हज़रत आइशा (रज़ि.) का हुज्र-ए-मुबारका है जिसमें आप (ﷺ) की क़ब्र है, इसलिये कुछ रिवायतों में बैती की जगह क़बरी का लफ़्ज़ आया है, रौज़तुम् मिर्रियाज़िल जन्नत का मानी ये है कि ये टुकड़ा जन्नत में मुन्तक़िल कर दिया जायेगा। इसलिये यहाँ ज़िक्र व फिक्र और इबादत में मसरूफ़ होना, मस्जिदे नबवी की बाक़ी जगह के मुक़ाबले में ज़्यादा नुज़ूले रहमत और हुसूले सआदत का बाइस है। वरना आम मफ़्हूम के ऐतबार से तो आपने तमाम मसाजिद को रियाज़ुल जन्नत क़रार दिया है, क्योंकि एक ख़ालिस मुसलमान के लिये इनमें इबादत, दुख़ूले जन्नत का बाइस है और ये मानी नहीं है कि ये फ़िल्वक़्त जन्नत का टुकड़ा है अगरचे कुछ ने ये भी मुराद लिया है कि ये टुकड़ा जन्नत से उतरा है इसलिये जन्नत में वापस जायेगा। क्योंकि दुनिया एक आरिज़ी और फ़ानी जगह है, इसकी किसी चीज़ को दवाम व इस्तिमरार (हमेशगी) हासिल नहीं है। इसके अलावा जन्नत की सिफ़त तो ये है कि वहाँ न भूख लगेगी न प्यास और न धूप सतायेगी और न बरहनगी होगी, जबकि यहाँ तो आपको भूख और प्यास लाहिक़ होती थी। इसलिये इस हदीस़ को बुनियाद बनाकर और क़यास आराइयों से काम लेते हुए इस पर इज्माअ का दावा करना कि आपका रौज़ा कअबा और अर्श से अफ़ज़ल है और इसकी बिना पर हाफ़िज़ इब्ने तैमिया (रह.) को सिर्फ़ तश्नीअ और कुफ़्र व फ़िस्क़ का निशाना बनाना, सिर्फ़ सीनाज़ोरी है। सहाबा व ताबेईन या ख़ैरुल क़ुरून के किन अइम्मा और उलमा ने इसकी तसरीह की है कि आपका रौज़ा अर्श व कअबा से अफ़ज़ल है? क्या उस दौर के लोगों को आपसे मुहब्बत व अक़ीदत या प्यार हमसे कम था? **(2)** मेरा मिम्बर हौज़ पर है, मिम्बर के क़रीब तहारत का इल्तिज़ाम व पाबंदी, आपके हुज़ूर हौज़े कौसर से सैराबी का बाइस बनेगा और आप हौज़ पर अपने मिम्बर मुबारक पर ही तशरीफ़ फ़रमा होंगे। दुनियवी मिम्बर को ही नया वजूद मिल जाये, तो अल्लाह की क़ुदरत के सामने, ये भी कोई नामुम्किन नहीं है और ये जन्नत से नया मिम्बर भी मुराद हो सकता है।

बाब 98 : उहुद पहाड़ हमसे मुहब्बत करता और हमें उससे मुहब्बत है

باب أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِي وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ " . فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ " هَذِهِ طَابَةُ وَهَذَا أُحُدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " .

(3371) हज़रत अबू हुमैद (रज़ि.) ग़ज़्व-ए-तबूक के सफ़र का तज़्किरा करते हैं, इसमें है, वापसी पर जब हम वादी-ए-क़ुरा (जो तैमा और ख़ैबर के दरम्यान है) पहुँचे, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुझे जल्दी है, तुममें से जो चाहे, वो मेरे साथ जल्द चल पड़े और जो चाहे ठहर जाये।' तो हम आपके साथ चल पड़े, यहाँ तक कि हम मदीना पर झांकने लगे, यानी क़रीब पहुँच गये। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये ताबा है और ये उहुद है और ये ऐसा पहाड़ है, जो हमसे मुहब्बत करता है और हम इससे मुहब्बत करते हैं।'
(सहीह बुख़ारी : 1872, 4422, 3791, अबू दाऊद : 3079)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ، بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " .

(3372) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उहुद ऐसा पहाड़ है, जो हमसे मुहब्बत करता और हमें इससे मुहब्बत है।'
(सहीह बुख़ारी : 4083)

وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ " إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ " .

(3373) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उहुद पहाड़ को देखकर फ़रमाया, 'उहुद को हमसे मुहब्बत है और हम इससे मुहब्बत करते हैं।'

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने हर चीज़ में इदराक और शऊर रखा है, इसलिये अल्लाह तआला ने फ़रमाया, 'अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर उतार देते, तो वो भी अल्लाह की ख़शियत के ख़ौफ़ से, फ़रौतनी और आजिज़ी इख़्तियार करते हुए टुकड़े-टुकड़े हो जाता।' (सूरह हश्र) और दूसरी जगह फ़रमाया, 'हर चीज़ अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं।' (सूरह बनी इस्राईल) और हनाना भी आपके फ़िराक़ (जुदाई) पर हिचकियाँ लेकर रोया था। इस इदराक और शऊर की बिना पर उहुद पहाड़ आपसे मुहब्बत करता था और जवाबन आप भी उससे मुहब्बत करते थे। इसीलिये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो आपसे मुहब्बत करे, क्योंकि इंसान पत्थर से गया-गुज़रा नहीं हो सकता और मुहब्बत का मैयार आपकी इताअत व इत्तिबाअ है।

बाब 99 : मक्का और मदीना की मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ الصَّلاَةِ بِمَسْجِدَىْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ" .

(3374) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, मस्जिदे हराम के सिवा मस्जिदों में, एक हज़ार नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।'
(इब्ने माजह : 1404)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

(3375) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक नमाज़ मेरी इस मस्जिद में, दूसरी मस्जिदों में हज़ार नमाज़ से बेहतर है, सिवाय मस्जिदे हराम के।'

(3376) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान और जुहैनियों के आज़ाद करदा गुलाम अबू अब्दुल्लाह अल्अग़र (जो हज़रत अबू हुरैरह के शागिदों में से हैं) दोनों बयान करते हैं कि हमने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, मस्जिदे हराम के सिवा बाक़ी मस्जिदों से हज़ार नमाज़ अफ़ज़ल है। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) आख़िरी नबी हैं और आपकी मस्जिद (अम्बिया की) आख़िरी मस्जिद है। अबू सलमा और अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) की हदीस की बिना पर कहते थे। इस चीज़ ने हमें अबू हुरैरह (रज़ि.) से इस हदीस के बारे में तहक़ीक़ करने से रोक दिया, यहाँ तक कि जब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) फ़ौत हो गये, हमने आपस में इस बात का तज़्किरा किया और एक दूसरे को मलामत की कि हमने अबू हुरैरह (रज़ि.) से इस सिलसिले में बातचीत क्यों न की ताकि अगर उन्होंने ये हदीस आपसे सुनी थी, तो इसकी निस्बत आपकी तरफ़ कर देते। हम यही बातचीत कर रहे थे कि हमारे पास अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ आकर बैठ गये। तो हमने ये हदीस बयान करके कि हमसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सराहत करवाने के सिलसिले में जो कोताही हुई थी, उसका तज़्किरा किया। तो अब्दुल्लाह बिन

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنَا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلاَوَمْنَا أَنْ لاَ نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالَسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

इब्राहीम ने हमसे कहा, मैं शहादत देकर कहता हूँ कि मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं आख़िरुल अम्बिया हूँ और मेरी मस्जिद आख़िरुल मसाजिद है।'

(सहीह बुख़ारी : 1190, तिर्मिज़ी : 325, नसाई : 2/35, 5/214, इब्ने माजह : 1404)

إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنِّي آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ " .

फ़ायदा : मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब किस क़द्र है, इसकी तफ़्सील हम आख़िर में पेश करेंगे। पहले सिर्फ़ इस क़द्र बताना मतलूब है कि मिरज़ाई हज़रात का इस हदीस से ये इस्तिदलाल करना कि जब आख़िरुल मसाजिद के बाद नई मसाजिद बनाना आपकी मस्जिद के आख़िरुल मसाजिद होने के मुनाफ़ी नहीं है तो आपके बाद किसी नबी का आना, आपके आख़िरुल अम्बिया होने के भी मुनाफ़ी नहीं है। क्योंकि इस हदीस की वज़ाहत कशफ़ुल अस्तार अन ज़वाइदे बज़्ज़ार, जिल्द 2, पेज नं. 56 मतबूआ मुअस्सिसतुर्रिसाला बेरूत की हदीस से हो जाती है आपने फ़रमाया, 'मैं आख़िरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद, अम्बिया की मसाजिद में आख़िरी मस्जिद है।' इसलिये ये हदीस भी उनके ख़िलाफ़ है, हक़ में नहीं है।

(3377) यहया बिन सईद कहते हैं, मैंने अबू सालेह से पूछा, क्या आपने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में हदीस सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन मुझे अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ ने बताया कि उसने अबू हुरैरह (रज़ि.) को ये हदीस बयान करते सुना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़ दूसरी मस्जिदों से सिवाय मस्जिदे हराम के हज़ार नमाज़ से बेहतर है या हज़ार के बराबर है।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، -قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ - أَوْ كَأَلْفِ صَلاَةٍ - فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " .

(3378) यही रिवायत इमाम साहब ने कुछ और उस्तादों से बयान की है।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(3379) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी इस मस्जिद में एक नमाज़, मस्जिदे हराम के सिवा बाक़ी मस्जिदों से एक हज़ार नमाज़ से बेहतर है।'

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " .

(3380) इमाम साहब इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत कुछ और उस्तादों से उबैदुल्लाह की सनद से ही बयान करते हैं।
(इब्ने माजह : 1405)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ، نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(3381) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं।
(नसाई : 5/213, 2898)

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ .

(3382) इमाम साहब एक और सनद से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

وَحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنْ شَفَانِي اللَّهُ لأَخْرُجَنَّ فَلأُصَلِّيَنَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتِ اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " صَلاَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ

(3383) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक औरत, एक बीमारी में मुब्तला हो गई तो उसने कहा, अगर अल्लाह तआला ने मुझे शिफ़ा बख़्श दी तो मैं जाकर मस्जिदे अक़्सा में नमाज़ पढ़ूंगी। वो शिफ़ायाब हो गई, फिर निकलने की तैयारी की तो सलाम अर्ज़ करने के लिये हज़रत मैमूना, नबी (ﷺ) की बीवी की ख़िदमत में हाज़िर हुई और उन्हें अपने इरादे से आगाह किया। तो हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़रमाया, बैठी रहो और जो खाना (सफ़र के लिये) तैयार किया है खा लो और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 'इसमें नमाज़ बाक़ी मस्जिदों से हज़ार नमाज़ से अफ़ज़ल है, सिवाय मस्जिदे कअ़बा के।'
(नसाई : 2/33, 5/213

नोट : इमाम साहब ने ये रिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के वास्ते से बयान की है, लेकिन इमाम बुख़ारी ने इब्राहीम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन मअ़बद अ़न मैमूना बयान की है। इब्ने अ़ब्बास का वास्ता बयान नहीं किया और अइम्मा ने इसको सहीह क़रार दिया है और इब्ने अ़ब्बास के वास्ते को वहम क़रार दिया है।

फ़ायदा : इन हदीसों में इस बात की सराहत की गई है कि मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब आम मस्जिदों से एक हज़ार गुना ज़्यादा है, लेकिन मस्जिदे हराम को मुस्तसना (अलग) क़रार दिया गया है। ज़ाहिर है इससे साबित होता है कि मस्जिदे हराम से इस क़द्र ज़्यादा सवाब नहीं है और दूसरी सहीह हदीसों में तसरीह मौजूद है। हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, उनको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी मस्जिद में नमाज़, मस्जिदे हराम को छोड़कर बाक़ी मस्जिदों से एक हज़ार गुना अफ़ज़ल है और मस्जिदे हराम में इसको छोड़कर एक लाख गुना अफ़ज़ल है।' (उम्दतुल क़ारी, जिल्द 3, पेज नं. 685, हदीसे अबू हुरैरह के तहत) और हज़रत अबू दरदा की रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मस्जिदे हराम में नमाज़ एक लाख नमाज़ के बराबर है और मेरी मस्जिद में नमाज़ एक हज़ार नमाज़ के बराबर है

और बैतुल मक़्दिस में पाँच सौ नमाज़ के बराबर है।' (ऐनी जिल्द 3, पेज नं. 686)

इमाम नज्जार ने इसकी सनद को हसन क़रार दिया है और सहीह इब्ने हिब्बान की रिवायत है, जो सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, मुस्नद अहमद और दूसरी किताबों में भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरी इस मस्जिद में नमाज़, मस्जिदे हराम के अलावा मस्जिदों से एक हज़ार नमाज़ों से अफ़ज़ल है और मस्जिदे हराम में नमाज़ मेरी इस मस्जिद से सौ गुना अफ़ज़ल है।' (अल्इहसान फ़ी तक़रीब सहीह इब्ने हिब्बान जिल्द 4, पेज नं. 499, दुक्तूर शुऐब अर्नाउत वग़ैरह)

अब इन रिवायात से ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि आम मस्जिदों से मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब हज़ार गुना ज़्यादा है और मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना एक लाख नमाज़ का सवाब रखता है, जो मस्जिदे नबवी से सौ गुना ज़्यादा है और इन हदीसों में कोई तआरुज़ नहीं है और कुछ मुआसिरीन ने हज़रत जाबिर की मज़्कूरा बाला रिवायत को अल्लामा ऐनी के हवाले से तहरीफ़ करते हुए यूँ लिखा है, 'मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मस्जिदे हराम के अलावा मस्जिदों से एक लाख नमाज़ों से अफ़ज़ल है और मस्जिदे हराम का सवाब भी आम मस्जिदों से एक लाख नमाज़ों से ज़्यादा है।

इस तरह दोनों हदीसों में तआरुज़ (टकराव) साबित कर दिया, हालांकि उम्दतुल क़ारी में सलात फ़ी मस्जिदी हाज़ा अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाह (जिल्द 3, पेज नं. 685, फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 417) में भी यही अल्फ़ाज़ हैं। इसके अलावा इन सहीह अहादीस को छोड़कर क़यासी घोड़े चलाते हुए ये दावा किया है कि नबी (ﷺ) ने मदीना के लिये मक्का के मुक़ाबले में (ज़िअफ़ै मा जअल्ता बिमक्कह) की दुआ फ़रमाई है। तो मानी हुआ, मदीना में मक्का से चौगुनी बरकतें नाज़िल फ़रमा। हालांकि दूसरी रिवायतों में लफ़्ज़ मुतली आया है यानी दुगए। अब इस पर ये इमारत उस्तवार की कि मस्जिदे हराम में पढ़ी हुई नमाज़ों का अज्र इससे चार गुना ज़्यादा होगा। तो क्या कोई मुसलमान पूरे होशो-हवास, सहीह हदीसों के मुक़ाबले में, ये तर्ज़ इख़्तियार कर सकता है कि हदीसों में तहरीफ़ करे और सहीह हदीस के मुक़ाबले में क़यासी घोड़े दौड़ाये।

नोट : हदीसों की तहक़ीक़ व तख़रीज करते हुए एक अजीब इन्किशाफ़ हुआ कि साहिबे मिरआतुल मफ़ातीह ने मुल्ला अली क़ारी के हवाले से लिखा है, मस्जिदे हराम में एक नमाज़ मस्जिदे नबवी की एक नमाज़ से एक लाख गुना अफ़ज़ल है।'

और ये बात मिरक़ात जिल्द 2 पेज नं. 187 पर मौजूद है और हवाला हाफ़िज़ इब्ने हजर का दिया है। हालांकि फ़तहुल बारी जिल्द 3, पेज नं. 67 तबअ सल्फ़िया में ये रिवायत सहीह इब्ने हिब्बान और मुस्नद अहमद के हवाले से लिखी है और मिअतु सलात एक सौ गुना अफ़ज़ल है, लिखा है और सहीह इब्ने हिब्बान में भी जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, मिअतु सलात ही है। इस तरह दोनों हज़रात से ये ग़लती हुई है कि इब्ने हज़्म के हवाले से हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ ये क़ौल मन्सूब किया है

कि 'मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना, मस्जिदे नबवी से एक लाख गुना अफ़ज़ल है।'

और इसी तरह मिरक़ात से अल्लामा शब्बीर अहमद ने भी फ़तहुल मुलिहम जिल्द 3, पेज नं. 8418 ये दोनों बातें नक़ल की हैं, हालांकि हाफ़िज़ इब्ने हज़म ने महल्ली जिल्द 7 पेज नं. 287 पर हज़रत उमर (रज़ि.) से नक़ल किया है, 'सलातु फ़िल्मस्जिदिल हरामि अफ़ज़लु मिम् मिअति सलातिन फ़ी मस्जिदिन्नबी व हाज़ा सनद कश्शम्स फ़िस्सिहत।'

इसी तरह अल्लामा उबैदुल्लाह और अल्लामा शब्बीर अहमद दोनों ने फ़तहुल बारी और महल्ली की तरफ़ मुराजिअत करने की ज़हमत गवारा नहीं की, हालांकि ये दोनों बातें बिल्कुल ख़िलाफ़े वाक़िया थीं, इसका मानी तो ये हुआ कि मस्जिदे हराम में नमाज़ आम मस्जिदों की नमाज़ से दस करोड़ गुना अफ़ज़ल है, जिसका उनमें कोई भी क़ाइल नहीं है।

नोट : अजीब बात ये है कि अल्लामा शब्बीर अहमद मिरक़ात के हवाले से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से ग़लत रिवायत नक़ल करते हैं और उसी पेज पर ऊपर यही रिवायत हाफ़िज़ इब्ने हजर के हवाले से जहाँ से मुल्ला अली क़ारी ने लिया, सहीह नक़ल कर आये हैं। फ़त्हुल मुल्हिम जिल्द 3, पेज नं. 417

इसी तरह अल्लामा उबैदुल्लाह मिरआत जिल्द 1, पेज नं. 453 पर फ़तहुल बारी से सहीह अल्फ़ाज़ नक़ल कर आये हैं और यहाँ मिअतुन के बाद अल्फ़ का इज़ाफ़ा नक़ल कर रहे हैं और इसके मानी व मफ़्हूम पर ग़ौर नहीं करते, इससे ये उसूल सहीह साबित होता है कि असल की तरफ़ मुराजिअत करनी चाहिये, सिर्फ़ नक़ल पर ऐतमाद नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि कई बार नक़ल, असल के मुताबिक़ नहीं होती।

और ये बात भी क़ाबिले ज़िक्र है कि अल्लामा नववी के नज़दीक मस्जिदे नबवी में उस जगह नमाज़ पढ़ना क़ाबिले फ़ज़ीलत है, जो हुज़ूर (ﷺ) के दौर में तामीर हो चुकी थी, बाद में तामीर होने वाले हिस्से को ये शर्फ़ हासिल नहीं है। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने तैमिया ने इसकी पुरज़ोर दलाइल से तर्दीद की है और बाद की तामीरात को भी इस सवाब का हामिल क़रार दिया है।

(3) मस्जिदे अक़्सा में नमाज़ पढ़ने की क़द्र : इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और अहमद का मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई इंसान मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़्सा में से किसी में नमाज़ पढ़ने की नज़्र मानता है तो उस पर उस नज़्र का पूरा करना लाज़िम है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उस नज़्र को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। मगर हज़रत मैमूना (रज़ि.) के क़ौल से मालूम होता है, अगर अफ़ज़ल मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली जाये तो मफ़्ज़ूल मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मस्जिदे अक़्सा की बजाय मस्जिदे नबवी में और मस्जिदे नबवी की बजाय मस्जिदे हराम में पढ़ ले और हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत से भी इसकी ताईद होती है कि आपसे एक आदमी ने पूछा, मैंने नज़्र मानी है, जब मक्का फ़तह होगा तो मैं बैतुल मक़्दिस में नमाज़ पढ़ूँगा। आपने फ़रमाया, 'यहीं नमाज़ पढ़ लो।' (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 423)

बाब 100 : सफ़र सिर्फ़ तीन मस्जिदों के लिये इख़्तियार किया जाये (तीन मस्जिदों की फ़ज़ीलत)

(3384) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तीन मस्जिदों के सिवा कजावे न कसे जायें (सवारी पर सफ़र न किया जाये) मेरी ये मस्जिद, मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़्सा।'
(सहीह बुख़ारी : 1189, अबू दाऊद : 2033, नसाई : 2/38)

(3385) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन इसमें ये है आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'कजावे या पालान तीन मस्जिदों के लिये ही कसे जायें।'
(इब्ने माजह : 1409)

(3386) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'सफ़र बस तीन मस्जिदों के लिये किया जा सकता है, मस्जिदे कअबा, मेरी मस्जिद और ईलिया (बैतुल मक़्दिस)।'

باب لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى " .

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ " .

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الأَغَرَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ ".

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की इस हदीस से साबित होता है कि किसी जगह को मुक़द्दस व मुतबर्रक समझकर या उसको अज्र व फ़ज़ीलत में इज़ाफ़े का बाइस समझकर, वहाँ नमाज़ पढ़ने या दुआ माँगने की ग़र्ज़ से जाना जाइज़ नहीं है। मुक़द्दस व मुतबर्रक और अज़मत व एहतिराम या तक़र्रुबे इलाही का बाइस सिर्फ़ यही तीन मस्जिदें हैं। लेकिन जगह को मोहतरम व मुअज़्ज़म समझे बग़ैर कहीं दीनी व दुनियवी ज़रूरत जैसे हुसूले इल्म, तिजारत, कारोबार, अज़ीज़ो-अक़ारिब की मुलाक़ात, जिहाद और सैर व सियाहत के लिये जाना इसके मुनाफ़ी नहीं है। क्योंकि इन सूरतों में जगह को मुतबर्रक व मुक़द्दस नहीं समझा जाता। (हुज्जतुल्लाह 3 : जिल्द 1, पेज नं. 192)

باب بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ

बाब 101 : वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी है वो मस्जिद मदीना की मस्जिदे नबवी है

حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْخَرَّاطِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ " هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا " . - لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ .

(3387) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं, मेरे पास से अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद ख़ुदरी गुज़रे। तो मैंने उनसे पूछा, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, इसके बारे में तूने अपने वालिद को क्या बयान करते सुना है? उसने बताया, मेरे वालिद ने कहा, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में, आपकी किसी ज़ौजा मोहतरमा के घर में हाज़िर हुआ, तो मैंने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! वो दोनों मस्जिदों में से कौनसी मस्जिद है, जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है? तो आपने कंकरियों की एक मुट्ठी लेकर उसे ज़मीन पर मारा। फिर फ़रमाया, 'वो तुम्हारी ये मस्जिद है।' यानी मस्जिदे मदीना। तो मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ, मैंने तेरे वालिद से इसी तरह बयान करते सुना है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ فِي الإِسْنَادِ .

(3388) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें अबू सलमा बराहे रास्त अबू सईद (रज़ि.) से बयान करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद का ज़िक्र नहीं करते।

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि वो मस्जिद जिसको कुरआन मजीद ने उस्सि-स अलत्तक़्वा क़रार दिया है, इसका अव्वलीन और असली मिस्दाक़ मस्जिदे नबवी है। क्योंकि आपने ज़ोर पैदा करने और ताकीद के लिये कंकरियाँ उठाकर ज़मीन पर मारकर इसकी तौस़ीक़ की है और इससे पहले मुनाफ़िक़ीन की बनाई हुई मस्जिदे ज़िरार का तज़्किरा है। जिसके बारे में फ़रमाया, 'उसमें कभी क़ियाम न करें।' और आपका दायमी क़ियाम मस्जिदे नबवी में रहा है। अगरचे स़ानवी तौर पर और बित्तबअ मस्जिदे कुबा भी इसका मिस्दाक़ है और इसको उस्सि-स अलत्तक़्वा क़रार देना मस्जिदे नबवी के उस्सि-स अलत्तक़्वा होने के मुनाफ़ी नहीं है। दोनों अपनी-अपनी जगह उस्सि-स अलत्तक़्वा हैं। क्योंकि दोनों की बुनियाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रखी है, इसलिये आप हर हफ़्ते कुबा तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ नमाज़ पढ़ते थे।

باب فَضْلِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ وَفَضْلِ الصَّلاَةِ فِيهِ وَزِيَارَتِهِ

बाब 102 : मस्जिदे कुबा की फ़ज़ीलत, उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत और उसकी ज़ियारत के लिये जाना

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

(3389) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुबा की ज़ियारत के लिये सवार होकर और पैदल चलकर जाया करते थे।

(सहीह बुख़ारी : 1191)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ .

(3390) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिदे क़ुबा में तशरीफ़ ले आते, सवार और पैदल और उसमें दो रकअतें पढ़ते। अबू बक्र अपनी रिवायत में बयान करते हैं, इब्ने नुमेर ने कहा, उसमें दो रकअतें पढ़ते।
(सहीह बुख़ारी : 1194, अबू दाऊद : 2040)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

(3391) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ुबा, सवार और पैदल तशरीफ़ लाते थे।
(सहीह बुख़ारी : 1194, अबू दाऊद : 2040)

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ - بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَّانِ .

(3392) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उस्ताद की तौसीक़ करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

(3393) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ुबा, सवार और पैदल तशरीफ़ लाया करते थे।
(नसाई : 2/37)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ، جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

(3394) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुबा सवार होकर और पैदल चलकर तशरीफ़ लाया करते थे।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ، عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

(3395) अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार (रह.) बयान करते हैं कि इब्ने उ़मर (रज़ि.) हर हफ़्ते के दिन कुबा तशरीफ़ ले जाते और बयान करते थे, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को यहाँ हर हफ़्ते तशरीफ़ लाते देखा है।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا . قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

(3396) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) कुबा हर हफ़्ते तशरीफ़ लाते, कभी सवार होकर और कभी पैदल चलकर, इब्ने दीनार बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) भी ऐसा ही करते थे।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ .

(3397) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें हर हफ़्ते का ज़िक्र नहीं है। (सहीह बुख़ारी : 7326)

फ़ायदा : नबी (ﷺ) जब मक्का मुकर्रमा से हिज्रत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गये तो आप (ﷺ) ने कुछ दिन कुबा में क़ियाम फ़रमाया था और यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू की थी और आप यहाँ अपने साथियों के साथ नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह आपने सबसे पहले इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस मस्जिद को उस्सि-स अलत्तक़वा का नाम दिया था।

लेकिन मस्जिदे नबवी की तामीर में आपने बनफ़्से-नफ़ीस हिस्सा लिया था और वहीं हमेशा नमाज़ें अदा फ़रमाते थे। इसलिये आपने इसको उस्सि-स अ़लत्तक़वा फ़रमाया और तामीर की शुरूआत के ऐतबार से मस्जिदे क़ुबा अव्वलीन मस्जिद है। इसलिये जुम्हूर इसको भी इसका मिस्दाक़ क़रार देते हैं। मस्जिदे क़ुबा मदीना मुनव्वरा के बालाई इलाक़े में दो-तीन मील के फ़ासले पर वाक़ेअ़ है। जिसमें अ़म्र बिन औ़फ़ का ख़ानदान मुक़ीम (बसा हुआ) था और आप सबसे पहले उन्हीं के यहाँ आकर ठहरे थे। इसलिये आप (ﷺ) हर हफ़्ते वहाँ मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, ताकि उन लोगों के हालात से आगाह हो सकें और जो लोग जुम्आ पढ़ने मस्जिदे नबवी में किसी उज़्र की बिना पर नहीं आ सके थे उनसे मिल लें और बक़ौल अ़ल्लामा अ़ैनी, जुम्आ के दिन चूंकि जुम्आ के वक़्त मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ नहीं होती थी, इसलिये आपकी तशरीफ़ आवरी और नमाज़ से इसका भी तदारुक हो जाता और इस तरह यहूद की भी मुख़ालिफ़त हो जाती थी। जो हफ़्ते के दिन में काम के लिये नहीं निकलते थे और इस हदीस़ से ये मालूम होता है, इंसान अपने तौर पर किसी नेक काम के लिये दिन मुक़र्रर कर सकता है, लेकिन उसको दीन व शरीअ़त क़रार देकर दूसरों को उसकी तल्क़ीन व तब्लीग़ नहीं कर सकता और न ही उसमें तक़दीम व ताख़ीर को जुर्म व गुनाह क़रार दे सकता है, अपनी सहूलत व आसानी के लिये उसमें तब्दीली कर सकता है।

इस किताब के कुल बाब 24 और 170 हदीसें हैं।

17

كتاب النكاح

किताबुन्निकाह

निकाह का बयान

हदीस नम्बर 3398 से 3567 तक

तआरुफ़ किताबुन्निकाह

इज़्दवाज और घर बसाना इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है। इंसानी नस्ल के आगे बढ़ने का ज़रिया भी यही है। ये मामला मर्द व औरत के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त करते हुए, अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत और उसके अता किये हुए फ़ितरी उसूलों की रोशनी में, मुकम्मल आपसी रज़ामन्दी से तय होना चाहिये और दोनों फ़रीक़ को तयशुदा मुआहिदे की पाबंदी का अहद अल्लाह के नाम पर करना चाहिये। ऐसे मुकम्मल मुआहिदे के बग़ैर औरत और मर्द का इकट्ठा होना, ज़ाहिरी तौर पर जितना भी आसान लगे, मुआशरे और नस्ल की तबाही का बाइस बनता है। जिन मुआशरों ने इस तरह की ज़िन्दगी की इजाज़त दी है, वहाँ मायें और उनके बच्चे शदीद मुसीबतों में गिरफ़्तार और तबाही का शिकार हैं।

किताबुन्निकाह में इमाम मुस्लिम (रह.) ने सबसे पहले वो हदीसें बयान कीं हैं जिनमें निकाह की तल्क़ीन है। इस तल्क़ीन में ये बात ख़ास तौर पर मल्हूज़ रखी गई है कि शादी के मामले में आपस में मुकम्मल रज़ामन्दी हो लेकिन माली तौर पर या किसी और तरह से शादी को मुश्किल न बनाया जाये। मर्द, औरत व बच्चों समेत तमाम फ़रीक़ों के हुक़ूक़ तभी मल्हूज़ रह सकते हैं जब ये मुआहिदा मुस्तक़िल हों, हमेशा निभाने की निय्यत से किया जाये। थोड़े से अरसे के लिये किया गया मुआहिदा (निकाहे मुत्अह जो पुराने ज़माने से पूरे समाज में राइज था) इस्लाम ने दर्जा-बदर्जा तरीक़ेकार के ज़रिये उसको क़तई तौर पर हराम क़रार दिया। कुछ लोगों को रसूलुल्लाह(ﷺ) की तरफ़ से जारी किये गये क़तई और हमेशा के लिये हराम होने का हुक्म न पहुँच सका था लेकिन ख़ुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत उमर (रज़ि.) और उनके बाद हज़रत अली (रज़ि.) ने ये एहतिमाम किया कि निकाहे मुत्अह की हुरमत का ये हुक्म सब लोगों तक पहुँच जाये।

पहले से राइज निकाह की मम्नूआ (मना की गई) सूरतों में से दूसरी सूरत निकाहे शिग़ार की है जिसमें एक औरत का हक़्क़े महर दूसरी औरत का निकाह होता है। इस्लाम ने इस बात का ख़ास तौर पर एहतिमाम किया है कि निकाह का मुआहिदा सोच-समझकर किया जाये। मर्द निकाह से पहले, होने वाली बीवी को देख भी ले, निकाह के ज़रिये से एक साथ ऐसी औरतें इकट्ठा न हो जिनका आपस में ख़ून का क़रीबी रिश्ता हो, ताकि ख़ून का रिश्ता नये रिश्ते की भेंट न चढ़ें और पहले से क़ायम शुदा ख़ानदानी ताल्लुक़ दाव पर न लगे। जब निकाह का मामला शुरू हो जाये तो उसमें किसी तरह से ग़लत मुदाख़लत न हो और दिलजमई और आज़ादी से इस मामले के हर पहलू पर ग़ौर करने के बाद ये मुआहिदा अच्छी तरह से तय हो जाये। इस्लाम ने ये मुतअय्यन कर दिया है कि ख़ानदान की तरफ़ से वली (बाप, भाई वग़ैरह) और निकाह करने वाले नौजवानों में सबकी दिली रज़ामन्दी उसमें शामिल हो ताकि ये मुआहिदा

न सिर्फ़ हमेशा क़ायम रहे, खींचा-तानी से महफ़ूज़ रहे बल्कि इसे दोनों तरफ़ से पूरे ख़ानदानों की हिमायत हासिल रहे। निकाह और शादी के मामलात में अलग-अलग मुआशरों में जो तवहहुमात मौजूद होते हैं इस्लाम ने उनको भी रद्द किया है। इस बात को भी नापसन्दीदा क़रार दिया कि शादी सिर्फ़ अमीर और आला तबक़े में करने की कोशिश की जाये। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी कनीज़ को आज़ाद करके उससे शादी करने को नेकी का बहुत बड़ा अमल क़रार दिया। अब कनीज़ें मौजूद नहीं लेकिन महरूम तबक़ात की दीनदार ख़्वातीन से शादी के ज़रिये आप(ﷺ) की इस तरग़ीब पर अमल की सूरत मौजूद है। ऐसी शादी अगर अल्लाह की रज़ा के लिये की जाये तो यक़ीनन ख़ानदान और आइन्दा नस्लों के लिये हद दर्जा बाइसे बरकत साबित होती है। इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में ख़ुद रिसालते मआब(ﷺ) के निकाहों और शादियों के ख़ूबसूरत नमूनों के हवाले से तफ़्सीली रिवायतें पेश की हैं। इनके ज़िम्न में ख़ानदानी रवैयों, बीवी का एहतिराम व इकराम, शादी की ख़ुशी में सब की शिरकत के लिये वलीमे के एहतिमाम की इन्तिहाई ख़ूबसूरत तफ़्सीलात सामने आती हैं। इस बात की भी तल्क़ीन की गई है कि शादी की ख़ुशी में (वलीमे में) बुलाये जाने पर हर हाल में शिरकत की जाये और वलीमा करने वालों को ख़ास तौर पर कहा गया है कि वो वलीमे को अमीरों का मज्मअ़ न बनायें, तमाम हल्क़ों के लोगों, ख़ुसूसन फ़क़ीरों को बड़े इज़्ज़त से उसमें शिरकत की दावत दें।

सारी कोशिशों के बावजूद निकाह के मुआहिदे में कोई मसला भी पैदा हो सकता है और तलाक़ की नोबत भी आ सकती है, इसलिये इमाम मुस्लिम (रह.) ने ज़िम्नन इसके ज़रूरी पहलुओं की वज़ाहत के लिये अहादीसे मुबारका बयान की हैं। आख़िर में वो हदीसें बयान की गई हैं जिनमें मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ में आपसी रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ और नई नस्ल की फ़लाह के बारे में हिदायात हैं। हर मामले में उन बातों की वज़ाहत से निशानदेही कर दी गई जिनसे बचना ज़रूरी हैं।

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

17. निकाह का बयान

बाब 1 : जिस शख़्स का दिल चाहता हो और खाना-पीना मयस्सर हो उसके लिये निकाह करना मुस्तहब है और जो शख़्स खाना-पीना मुहैया करने से क़ासिर हो वो रोज़ों में मशग़ूल रहे

باب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ

(3398) अल्क़मा (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के साथ मिना में जा रहा था कि उन्हें हज़रत उसमान (रज़ि.) मिले और वो उनके साथ बातचीत करते हुए ठहर गये। तो हज़रत उसमान (रज़ि.) ने उन्हें कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या हम तुम्हारी शादी किसी नौजवान लड़की से न कर दें, शायद वो तुम्हें गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दे? तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया, अगर आप ये बात कहते हैं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) हमें ये फ़रमा चुके हैं, 'ऐ नौजवानों की जमाअत! तुममें से जो निकाह के ख़र्च बर्दाश्त कर सकता हो, वो शादी कर ले। क्योंकि निकाह से नज़रें झुक जाती हैं और

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " .

शर्मगाह अच्छी तरह महफ़ूज़ हो जाती है और जो शख़्स (नान व नफ़्क़ा की अदायगी) की इस्तिताअत (ताक़त) नहीं रखता, वो रोज़ों की पाबंदी करे, क्योंकि इससे शहवत का ज़ोर टूट जाता है।'

(सहीह बुख़ारी : 1905, 5065, अबू दाऊद : 2046, तिर्मिज़ी : 1081, नसाई : 4/170-171, 6/57, 6/58, इब्ने माजह : 1845)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) निकाह : दफ़अतन (अचानक) मिलाप और तदाख़ुल को कहते हैं, जैसाकि कहते हैं नकहल मतरुल अर्ज़ बारिश ज़मीन में जज़्ब हो गई, नकहन्नुआसुल ऐन ऊँघ आँख में सिरायत कर गई नकहतुल कुम्ह फ़िल्अर्ज़ मैंने ज़मीन में गन्दुम बो दी। नकहतिल हसातु अख़्फ़ाफ़ल इबिल कंकरिया ऊँटों के पाँव में छिप गये। इसलिये इमाम जोहरी कहते हैं, कलामे अरब में निकाह ताल्लुक़ात क़ायम करने को कहते हैं और शादी करने को भी, इसलिये निकाह कहते हैं कि दो मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ात का सबब है और इमाम ज़ुजाजी के नज़दीक कलामे अरब में निकाह का इत्लाक़ अक़्द (निकाह पढ़ाने) और ताल्लुक़ात क़ायम करने पर होता है। अबू अली फ़ारसी का क़ौल है अगर यूँ कहें नकहा फ़ुलानह औ बिन्त फ़ुलान तो मानी होगा उससे शादी की और अगर कहें नकहा इम्रअतहू औ ज़ौजतह तो मानी होगा, ताल्लुक़ात क़ायम किये।

लेकिन क़ुरआन मजीद में आम तौर पर ये शादी करने के मानी में आया है। शवाफ़ेअ के नज़दीक इसका हक़ीक़ी मानी अक़्द (शादी करना) है और ताल्लुक़ात क़ायम करना मजाज़ी मानी है और अहनाफ़ के नज़दीक इसके बरख़िलाफ़ है और सहीह ये है कि ये दोनों मानी में हक़ीक़ी इस्तेमाल होता है, मुश्तरक लफ़्ज़ी है, क़रीना से एक मानी का तअय्युन हो जाता है। **(2) अल्बाअह :** ये मुबावह से माख़ूज़ है जिसका मानी है (मन्ज़िल,ठिकाना) और इसका लुग़्वी मानी जिमाअ है और शादी करने पर उसका इत्लाक़ इसलिये होता है कि ख़ाविन्द, बीवी को घर मुहैया करता है। विजाअ इसका असल मानी दबाना है, इसलिये ख़सी करने पर भी इत्लाक़ होता है।

फ़ायदा : अगर एक इंसान, कुव्वते मर्दाना रखने की बिना पर, निकाह करने का शौक़ व रग़बत रखता है और वो इसकी भी इस्तिताअत रखता है कि वो निकाह के ख़र्च बर्दाश्त कर सकता है, यानी बीवी को घर, लिबास, खाना और उसके लवाज़िमात मुहैया कर सकता है तो वो शादी कर ले। अगर बीवी के ख़र्च या उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो ज़ब्ते नफ़्स के लिये रोज़े रखे।

अगर इंसान निकाह करने की इस्तिताअत रखता है और शादी न करने की सूरत में ज़िना का ख़तरा है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक इस सूरत में निकाह करना फ़र्ज़ है और

ज़ाहिरिया का क़ौल भी यही है और इस सूरत में ये इबादत है। शवाफ़ेअ के नज़दीक इस सूरत में निकाह करना मुस्तहब है और उन्होंने जुम्हूर का यही कौल क़रार दिया है। अगर इंसान के अंदर ग़ल्ब-ए-शहवत न हो और निकाह की ताक़त हो तो शवाफ़ेअ के नज़दीक इबादत के लिये निकाह न करना बेहतर है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, कुछ शवाफ़ेअ और कुछ मालिकिया के नज़दीक निकाह करना अफ़ज़ल है और सहीह बात यही है क्योंकि मन रग़िब अ़न सुन्नती फ़लैसा मिन्नी 'जो शख़्स मेरे तरीक़े से या अ़मल और रवैये से ऐराज़ करता है वो मुझसे नहीं है।' और आपने जवानों से ख़िताब इसलिये फ़रमाया, क्योंकि आ़म तौर पर शादी का मुहर्रिक और दाइया उनमें मौजूद होता है और उ़म्र ढलने से कमी आ जाती है। मतलब ये नहीं है कि बड़ी उ़म्र को उसकी ज़रूरत लाहिक़ नहीं होती या वो शादी नहीं कर सकता। बल्कि अगर बड़ी उ़म्र वाला, बाकिरा दोशेज़ा से शादी कर ले तो उसमें अ़हदे शबाब का दौर लौट आता है। इसलिये हज़रत उ़समान (रज़ि.) ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से फ़रमाया था कि हम तेरी नौजवान लड़की से शादी कर दें और वो तुम्हें गुज़िश्ता दौर के दिन याद करा दे, लेकिन वो अपने ज़ुरूफ़ व हालात की बिना पर इसकी ज़रूरत नहीं समझते थे, इसलिये जवाब दिया कि इसकी असल ज़रूरत तो नौजवानों को है, मुझे इस उ़म्र में इसकी ख़्वाहिश नहीं रही।

(3399) अ़ल्क़मा (रह.) बयान करते हैं कि मैं मिना में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के साथ चल रहा था कि उनकी अचानक हज़रत उ़समान बिन अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) से मुलाक़ात हो गई। तो उन्होंने कहा, आइये ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! उन्हें अलग ले गये। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जान लिया, उन्हें ख़्वाहिश नहीं है। उन्होंने मुझे बुलाया, ऐ अ़ल्क़मा! आओ, मैं आ गया। तो हज़रत उ़समान (रज़ि.) ने उन्हें कहा, ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! हम आपकी शादी दोशेज़ा लड़की से न कर दें, शायद वो तुम्हारे अंदर गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दे? तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया, अगर आप ये बात कहते हैं, फिर मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ إِنِّي لأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلاَهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ - قَالَ - قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ - قَالَ - فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلاَ نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً بِكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ .

(3400) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ऐ नौजवानों का गिरोह! तुममें से जो घर बसाने की इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले, क्योंकि उससे नज़र ख़ूब नीची होती है और शर्मगाह अच्छी तरह (ग़लतकारी) से बच जाती है और जो घर आबाद न कर सकता हो, वो रोज़ों की पाबंदी करे, वो उसकी शहवत को तोड़ देंगे।'
(सहीह बुख़ारी : 5066, तिर्मिज़ी : 1081, नसाई : 4/169, 171, 6/58)

حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

फ़ायदा : इंसान के अंदर जब जिन्सी क़ुव्वत का ग़ल्बा और ज़ोर होता है तो उससे उसका दिल व दिमाग़ मुतास्सिर होता है, इसलिये वो ख़ूबसूरत और हसीनो-जमील औरतें देखने का दिलदादा हो जाता है और उनसे दिल के अंदर प्यार व मुहब्बत महसूस करता है और उसकी क़ुव्वते मर्दानगी भी उससे मुतास्सिर होती है। इसलिये अगर जाइज़ तरीक़े से पानी के इख़राज का मौक़ा न मिले तो वो उसके लिये ग़लत ज़रीयों का इस्तेमाल करता है। मौजूदा दौर में प्रिण्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, जिन्सी डायजेस्ट और नाविल और नंगी और फ़हश तसवीरों के हामिल अख़बारात व रसाइल और टीवी, नौजवानों में जिन्सी हीजान बर्पा करके उन्हें जिन्स के लिये बुला रहे हैं। अगर मुनासिब वक़्त पर शादी कर दी जाये, तो इंसान नज़रबाज़ी से बच सकता है। जो ग़लतकारी का बुनियादी ज़रीया और सबब है और इस तरह उन्हें शर्मगाह को भी गुनाहों की आलूदगी से बचाया जा सकता है। अगर किसी वजह से किसी पर नज़र पड़ जाये और वो उससे मुतास्सिर हो जाये तो इसका इलाज और मदावा भी कर सकता है। जैसाकि आगे आ रहा है, अगर किसी वजह से शादी न कर सके, तो रोज़ा रखकर अपनी ग़िज़ा और ख़ूराक में कमी करे तो क़ुव्वते शहवत पर कण्ट्रोल कर सकेगा। लेकिन हमने तो बदक़िस्मती से रोज़े को बिस्यार ख़ोरी (ज़्यादा खाने) और ख़ुशख़ोरी का ज़रिया बनाकर, इसको जिन्सी क़ुव्वत में इज़ाफ़े का बाइस बना छोड़ा है और ज़ब्ते नफ़्स के मक़सद को पसे पुश्त फेंक दिया है, इसलिये रोज़ों से भी ये मक़सद पूरा नहीं हो रहा।

(3401) अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हैं कि मैं और मेरा चाचा अल्क़मा और (भाई) अस्वद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي،

और मैं उन दिनों नौजवान था। तो मेरे ख़याल में उन्होंने मेरी ही ख़ातिर एक हदीस़ बयान की कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की और आगे ये इज़ाफ़ा है, थोड़े ही अ़रसे के बाद मैंने शादी कर ली।

عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ على عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وأنا شَابٌّ. يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ، مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ .

(3402) अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद (रह.) से रिवायत है कि हम हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और मैं सबमें से नौख़ेज़ या नौउम्र था। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है, लेकिन ये नहीं है, मैंने थोड़े ही अ़रसा बाद शादी कर ली।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحْدَثُ الْقَوْمِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ .

(3403) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) के कुछ साथियों ने नबी(ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात से आपके ख़ुफ़िया आ़माल या छुपी इबादतों के बारे में पूछा। उसके बाद उनमें से एक ने कहा, मैं औ़रतों से शादी नहीं करूँगा और दूसरे ने कहा, मैं गोश्त नहीं खाऊँगा, तीसरे ने कहा, मैं बिस्तर पर नहीं सोऊँगा। (आपको पता चला) तो आपने अल्लाह तआ़ला की हम्दो-स़ना बयान की और फ़रमाया, 'लोगों को क्या हो गया है, उन्होंने इस-इस तरह कहा है? लेकिन मेरा तरीक़ा ये है, नमाज़ पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, रोज़ा रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ और मैंने औ़रतों से शादी की है। तो जो शख़्स मेरे तरीक़े से ऐराज़ करेगा तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं।' (नसाई : 6/60)

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ . فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . فَقَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي " .

फ़ायदा : हज़रत सईद बिन मुसय्यब की मुरसल रिवायत से मालूम होता है अज़्वाजे मुतह्हरात से पूछ कर कि आपका घर में अमल क्या था, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और उसमान बिन मज़ऊन (रज़ि.) ने ये बातें कीं। क्योंकि उन्हें अपने ऐतिबार से अज़्वाजे मुतह्हरात के बयान करदा आमाल कम महसूस हुए और उन्होंने ख़याल किया, आपके ऐतिबार के लिहाज़ से तो ये काफ़ी हैं। लेकिन हमारी हैसियत व मक़ाम के लिहाज़ से हमें इनसे ज़्यादा आमाल की ज़रूरत है। तो आपने ग़लतफ़हमी दूर फ़रमाई और एक उसूल बयान फ़रमाया, 'मैं तुम सबसे अल्लाह तआला का ख़ौफ़ व ख़शिय्यत ज़्यादा रखता हूँ और अल्लाह के अहकाम व हुदूद का सबसे बढ़कर पाबंद हूँ। (जैसाकि बुख़ारी शरीफ़ में तसरीह मौजूद है) इसलिये तुम्हारे लिये मेरा तर्ज़े अमल या तरीक़े कार और रवैया मश्अले राह है। तुम्हें इसकी पाबंदी करनी चाहिये और जो मेरा लायहा अमल और तरीक़ा काफ़ी नहीं समझता, उसका मेरे साथ कोई मुहब्बत व अक़ीदत का ताल्लुक़ नहीं है और वो मेरा साथी नहीं है।

(3404) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत उसमान बिन मज़ऊन (रज़ि.) को अलग-थलग रहने की इजाज़त नहीं दी। अगर आप(ﷺ) उसको इजाज़त दे देते, तो हम अपनी जिन्सी क़ुव्वत को ख़त्म कर डालते (ख़सी हो जाते)।

(सहीह बुख़ारी : 5073-5074, तिर्मिज़ी : 1083, नसाई : 6/58, इब्ने माजह : 1848)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا ‏.‏

(3405) हज़रत सअद (रज़ि.) फ़रमाते हैं कि हज़रत उसमान बिन मज़ऊन (रज़ि.) को लज़्ज़ात व शहवात तर्क करने की इजाज़त नहीं दी गई, अगर उनको इजाज़त मिल जाती तो हम ख़सी हो जाते।

وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا، يَقُولُ رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا ‏.‏

(3406) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) बयान करते हैं, हज़रत उसमान बिन मज़्ऊन (रज़ि.) ने दुनियवी लज़्ज़तों से अलग-थलग होने का इरादा किया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें मना फ़रमा दिया और अगर आप(ﷺ) उन्हें उसकी इजाज़त मरहमत फ़रमा देते, तो हम अपनी जिन्सी ख़्वाहिश ख़त्म कर डालते।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لاَخْتَصَيْنَا .

फ़ायदा : तबत्तल का असल मानी अलैहदगी (अलग) और यकसूई इख़्तियार करना है। यानी दुनियवी लज़्ज़तों व शहवतों को अल्लाह तआला की इबादत की ख़ातिर छोड़ देना और रुहबानिय्यत (सन्यासी) इख़्तियार कर लेना और उसमें सबसे बड़ी रुकावट घर और अहलो-अयाल और उनके मआश के इन्तिज़ामात हैं, इसलिये अगर इंसान शादी न करे तो दुनिया के अक्सर झमेलों से आज़ाद होता है और उसके लिये तर्के दुनिया आसान हो जाता है। इसलिये जब इंसान ख़सी हो जाये तो न रहे बांस और न बजे बांसुरी, के मुताबिक ख़लवत या तर्के दुनिया में हाइल रुकावट ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस्लाम रुहबानिय्यत की इजाज़त नहीं देता, वो जल्वत व ख़ल्वत में चाहता है कि इंसान कारोबारी ज़िन्दगी में मसरूफ़ रहकर इबादत के लिये वक़्त निकाले और अल्लाह तआला का ताअत गुज़ार बने।

बाब 2 : पसन्दीदा अमल ये है कि अगर किसी औरत पर नज़र पड़ जाये और उस पर दिल रीझ जाये या वो दिल में जम जाये तो वो अपनी बीवी या अपनी लौण्डी से ख़्वाहिश पूरी कर ले

باب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

(3407) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की नज़र एक औरत पर पड़ गई। तो आप(ﷺ) अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के यहाँ आये और वो एक

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهْيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ " .

खाल को रंगने के लिये मल रही थीं, उनसे अपनी ख़्वाहिश पूरी की। फिर बाहर साथियों के पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतान की शक्ल में वापस मुड़ती है, तो जब तुममें से किसी की नज़र किसी औरत पर पड़ जाये (और उसका ख़याल दिल में जगह बना ले) तो वो अपनी बीवी के पास आये (और अपनी ज़रूरत पूरी कर ले) तो इससे उसके दिल के ख़यालात ख़त्म हो जायेंगे।'

(अबू दाऊद : 2151, तिर्मिज़ी : 1158)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) तम्असु : वो मल रही थीं। **(2) मनीअतुन :** वो खाल जो दबाग़त के लिये फैलाई जाये। **(3) तुक़्बिलुल् मरअतु व तुदबिरु फ़ी सूरतिश्शैतान :** जिस तरह शैतान इंसान को बुरे ख़यालात व अफ़्कार और बुरे आमाल व अफ़आल पर आमादा और उभारता है और राहे रास्त से बरग़लाता है, उसी तरह औरत की आमदो-रफ़्त इंसान के दिल में शहवानी ख़यालात व तसव्वुरात को उभारती है और इंसान उसको जिन्सी तसव्वुरात से देखता है और उसके दिल व दिमाग़ पर शहवानी ख़यालात छा जाते हैं और उसमें हीजान अंगेज़ हरकात उभरती हैं।

फ़ायदा : जब इंसान की किसी औरत पर नज़र पड़ जाये और उसके तसव्वुरात दिल में जम जायें, जिससे उसके दिल में जिन्सी हीजान पैदा हो जाये, उसे देखकर उसके दिल में उसकी तरफ़ रग़बत और मैलान पैदा हो तो वो बजाए इसके कि नज़र बाज़ी में मुब्तला हो वो अगर शादीशुदा है, फ़ौरन अपनी बीवी के पास आकर अपनी ख़्वाहिश पूरी कर ले। अगरचे दिन का वक़्त हो और वो किसी काम-काज में मसरूफ़ हो और बीवी के लिये ज़रूरी है कि वो ऐसी सूरत में अपना काम-काज छोड़कर, अपने ख़ाविन्द के पास आये। रसूलुल्लाह(ﷺ) चूंकि उम्मत के लिये उस्वा और नमूना हैं, इसलिये आपने इस सूरते हाल का इदराक करके उम्मत को अपने क़ौल व अमल से इसका हल बता दिया ताकि इंसान सारा दिन उन ख़यालात में खोया न रहे। लेकिन अगर इंसान ग़ैर शादीशुदा है तो वो फ़ौरन नज़र बाज़ी या दीदा फाड़ने से बाज़ आये और शैतान से अल्लाह की पनाह में आये, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम का विर्द करे और उन ख़यालात को झटक दे। अगर इस्तिताअत हो तो फ़ौरन शादी का बन्दोबस्त करे, वरना रोज़ों के ज़रिये ज़ब्ते नफ़्स का मल्का पैदा करे, अगर वो शहवानी और जिन्सी ख़यालात का असीर (गुलाम) रहेगा, तो इससे उसका ही दिल व दिमाग़ और बदन व नज़र

मुतास्सिर होंगे और उसमें अख़्लाक़ी बिगाड़ पैदा होगा, जिससे उसकी क़ुव्वते कार मुतास्सिर होगी। इस तरह दीनी व दुनियवी नुक़सानात का शिकार होगा।

(3408) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) की नज़र एक औरत पर पड़ गई। आगे इस फ़र्क़ के साथ रिवायत बयान की कि आप अपनी बीवी ज़ैनब (रज़ि.) के यहाँ आये और वो एक चमड़ा रंगने के लिये मल रही थीं और उसमें औरत के शैतानी सूरत में वापस मुड़ने का तज़्किरा नहीं किया।

حدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا عبْدُ الصَّمدِ بْنُ عَبْدِ الْوارِث، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي، الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً . فذكَر بِمِثْلِهِ غَيْر أَنَّهُ قالَ فأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وهْيَ تمْعَسُ مَنِيئَةً . وَلَمْ يَذْكُرْ تُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ .

(3409) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना, 'जब तुममें से किसी को औरत अच्छी लगे और उसका तसव्वुर दिल में जम जाये, तो वो अपनी बीवी का रुख़ करे और उससे ताल्लुक़ात क़ायम कर ले, इससे उसके जी में आने वाले ख़्यालात जाते रहेंगे।'

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ " .

बाब 3 : निकाहे मुत्अह, वो मुबाह था, इसकी एबाहत मन्सूख़ हो गई, फिर ज़रूरत के तहत मुबाह ठहरा, फिर ये एबाहत क़यामत तक के लिये यानी हमेशा के लिये मन्सूख़ कर दी गई

باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(3410) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ग़ज़वात में शरीक होते थे और हमारे साथ बीवियाँ नहीं होती थीं। तो हमने अ़र्ज़ किया,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ، وَابْنُ، بِشْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ

اللهِ، يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} .

क्या हम ख़सी न हो जायें? तो आपने हमें इससे रोक दिया, फिर आप(ﷺ) ने हमें औरत से एक कपड़े के ऐवज़ एक मुद्दते मुक़र्ररह तक के लिये निकाहे मुत्अह की इजाज़त दी। फिर हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ये आयत पढ़ी, 'ऐ ईमान वालो! न हराम ठहराओ उन पाक चीज़ों को जो अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये हलाल ठहराई हैं और न हुदूद से तजावुज़ करो, यक़ीनन अल्लाह हुदूद तोड़ने वालों को पसंद नहीं फ़रमाता।' (सूरह माइदा : 87)
(सहीह बुख़ारी : 4615, 5071, 5075)

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الآيَةَ . وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ .

(3411) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इसमें क़रअ अ़ब्दुल्लाह की बजाए क़रअ अ़लैना हाज़ल आयत उन्होंने हमें ये आयत सुनाई के अल्फ़ाज़ हैं।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَسْتَخْصِي وَلَمْ يَقُلْ نَغْزُو .

(3412) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं, उसमें कुन्ना (हम) के बाद नग़्ज़ू का लफ़्ज़ नहीं है, बल्कि ये है कि हम नौजवान थे। तो हमने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम ख़सी न हो जायें?

फ़ायदा : इंसान के अंदर जिन्सी कुव्वत एक फ़ितरी और तबई कुव्वत है, जिससे इंसान अपनी औलाद के हुसूल की ख़्वाहिश जो तबई और फ़ितरी है, को पूरा करने की कोशिश करता है, इसलिये ये एक तय्यिब और पाकीज़ा ख़्वाहिश है। ख़सी होकर अपने आपको इस जाइज़ और हलाल चीज़ से महरूम करना दुरुस्त नहीं है। इसलिये ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जाइज़ नहीं है जिससे ये कुव्वत ख़त्म हो जाये और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम की तिलावत फ़रमाकर ख़सी होने की हुरमत पर इस्तिदलाल फ़रमाया है, न कि हिल्लते मुत्अह पर।

(3413) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) दोनों बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के मुनादी ने हमारे सामने आकर ऐलान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तुम्हें औरतों से मुत्अह करने की इजाज़त दे दी है।
(सहीह बुख़ारी : 5117, 5118)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا . يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ .

(3414) हज़रत सलमा बिन अक्वअ और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और हमें मुत्अह की इजाज़त दी।

وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا فَأَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ .

फ़ायदा : जाहिलिय्यत के दौर में शराब नौशी और ज़िना की वबा आम थी और निचली सतह के लोग इसमें कोई आर (शर्म) महसूस नहीं करते, बल्कि जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत में है ख़ुद अपनी बीवियों को शकील (अच्छी शक्ल) व वजीह या बहादुर व शहसवार और ख़तीब व शाइर के पास भेजते थे। ताकि बेटा उन्ही सिफ़ात का हामिल पैदा हो। इस तरह पस्त क़बाइल की औरतें और लौण्डियाँ, चंद मख़्सूस या आम लोगों से जिन्सी ताल्लुक़ात क़ायम करती थीं, लेकिन उन सूरतों में वो किसी न किसी का बेटा ठहरता था और वो उसको लेने पर मजबूर होता था और एक सूरत मुत्अह की थी जिसका ताल्लुक़ सफ़र से था। हज़र व इक़ामत से न था। जिसकी सूरत ये थी कि कोई इंसान किसी इलाक़े में किसी ज़रूरत व हाजत के तहत जाता और उसे वहाँ चंद दिन ठहरने की ज़रूरत होती, तो वो अपने क़ियाम व तआम और साज़ो-सामान की हिफ़ाज़त की ख़ातिर किसी औरत से इतने अरसे के लिये जितना उसे क़ियाम करना होता, शादी कर लेता। इब्तिदाए इस्लाम में मुत्अह की इस सूरत को जंगी सफ़रों में गवारा किया गया और फिर बतदरीज आहिस्ता-आहिस्ता शराब की हुरमत के अन्दाज़ में मना कर दिया गया। अब इसका क्या हुक्म है इस पर हम आख़िर में बहस करेंगे।

(3415) अता (रह.) कहते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) उम्रह करने के लिये तशरीफ़ लाये तो हम उनकी क़ियामगाह पर उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए। तो लोगों ने उनसे अलग-अलग मसाइल पूछे। फिर मुत्अह का ज़िक्र छेड़ दिया, तो उन्होंने कहा, हाँ। हमने रसूलुल्लाह(ﷺ), अबू बकर और उमर (रज़ि.) के दौर में इससे फ़ायदा उठाया (मुत्अह किया)।

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

(3416) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम खजूर और आटे की एक मुट्ठी के ऐवज़ चंद दिन के लिये रसूलुल्लाह(ﷺ), अबू बकर और उमर (रज़ि.) के दौर में मुत्अह कर लिया करते थे। फिर उमर (रज़ि.) ने इससे अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) के वाक़िये पर मना कर दिया।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ .

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) को पता चला कि हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) ने एक लौण्डी से मुत्अह किया है, वो कूफ़ा में थे और वो उससे हामिला हो गई है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) से पूछा, तो उन्होंने ऐतिराज़ कर लिया और उन्होंने हुज़ूर(ﷺ) के दौर का हवाला दिया। इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'लोगों को क्या हो गया है कि हुज़ूर(ﷺ) के मना करने के बाद निकाहे मुत्अह करते हैं। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें तीन दिन के लिये इजाज़त दी थी, फिर मना फ़रमा दिया था। आपने मिम्बर पर, बरमला इसका तज़्किरा किया। लेकिन किसी सहाबी ने इसका इंकार नहीं किया। हालांकि जब उन्होंने मेहर में ज़्यादती से रोका था, तो एक औरत ने उन्हें टोक दिया था। इसलिये अगर हज़रत उमर (रज़ि.) की बात उनके यहाँ क़ाबिले कुबूल न होती, तो वो उस पर ऐतिराज़ करते, ऐतिराज़ न करना इस बात की बय्यिन (साफ़) दलील है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि नबी(ﷺ) ने इससे मना फ़रमा दिया था। हज़रत उमर

(रज़ि.) ने जब इस हदीसे हुरमत को तशहीर और ऐलान फ़रमा दिया, तो सबको पता चल गया। जिन्हें पहले मालूम न था, उन्हें भी मालूम हो गया। हज़रत जाबिर और हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) ने लाइल्मी की बिना पर, अबू बकर और उमर (रज़ि.) के दौर में सफ़र में इससे फ़ायदा उठाया, जब पता चल गया तो वो हमेशा-हमेशा के लिये उससे बाज़ आ गये।

(3417) अबू नज़रह (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर था कि उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के दरम्यान औरतों से मुत्अह और हज्जे तमत्तोअ में इख़्तिलाफ़ हो गया है। तो हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, हमने ये दोनों काम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ में किये हैं, फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने हमें इन दोनों से मना कर दिया, तो हमने फिर ये नहीं किये।

حَدَّثَنَا حامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواحِد، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا .

फ़ायदा : हज्जे तमत्तोअ के बारे में हज़रत उमर (रज़ि.) का नज़रिया हज्जे तमत्तोअ की बहस में गुज़र चुका है और मुत्अतुन्निसा की तफ़्सील आगे आ रही है।

(3418) हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने औतास वाले साल (फ़तहे मक्का के साल) औरतों से मुत्अह करने की तीन दिन के लिये इजाज़त दी थी, फिर उससे मना फ़रमा दिया था।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا .

(3419) हज़रत सबरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें मुत्अह करने की इजाज़त दी, तो मैं और एक और आदमी बनू आमिर की एक औरत के पास गये। वो गोया कि एक कड़ियल जान और दराज़ गर्दन ऊँटनी

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

थी। हमने अपने आपको उस पर पेश किया, तो उसने कहा, क्या दोगे? मैंने कहा, अपनी चादर और मेरे साथी ने भी कहा, अपनी चादर और मेरे साथी की चादर, मेरी चादर से उम्दा थी और मैं अपने साथी से ज़्यादा जवान था। जब वो मेरे साथी की चादर पर नज़र डालती तो उसको पसंद करती और जब मुझ पर नज़र डालती तो मैं उसे पसंद आता। फिर उसने कहा, तू और तेरी चादर मेरे लिये काफ़ी हैं। तो मैं उसके साथ तीन दिन रहा, उसके बाद रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ऐलान फ़रमा दिया, 'जिसके पास मुत्अह के लिये कोई औरत हो, वो उसको छोड़ दे।'

(अबू दाऊद : 2072, 2073, नसाई : 6/127, इब्ने माजह : 1962)

وسلم بِالْمُتْعَةِ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تُعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي . وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي . وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَ كُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي . فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا " .

(3420) रबीअ बिन सबरह (रह.) बयान करते हैं, मेरा बाप फ़तहे मक्का के ग़ज़्वे में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ था। उसने कहा, हम वहाँ पन्द्रह यानी रात दिन शुमार करके तीस दिन-रात रहे। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें मुत्अतुन्निसा (औरतों से मुत्अह करने) की इजाज़त दे दी। तो मैं और मेरे ख़ानदान का एक आदमी चले और मैं उससे ज़्यादा ख़ूबसूरत था और वो क़रीबन बदसूरत था। हममें से हर एक के पास एक चादर थी। मेरी चादर पुरानी थी और मेरे अम्मज़ाद की चादर नई थी और ताज़ा चमकदार। यहाँ तक कि जब हम मक्का के नशीब या बालाई हिस्से में

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ

وأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّ بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلاَهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلاَنِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ . فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لاَ بَأْسَ بِهِ . ثَلاَثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

पहुँचे, तो हमें एक नौजवान औरत मिली जो ताक़तवर नौजवान, दराज़ गर्दन ऊँट की तरह थी। तो हमने कहा, क्या हममें से एक के साथ मुत्अह करने के लिये आमादा है? उसने पूछा, तुम दोनों क्या ख़र्च करोगे? तो हममें से हर एक ने अपनी चादर फैला दी। तो वो दोनों मर्दों को देखने लगी और मेरा साथी उसको देख रहा था। वो उसके मैलान का मुन्तज़िर था या उसके पहलू को देख रहा था। इसलिये कहा, उसकी चादर बोसीदा है और मेरी चादर नई और तरोताज़ा है (ख़ुश रंग है) तो उसने दो तीन बार कहा, इसकी चादर में कोई हर्ज नहीं। यानी कोई मुज़ायक़ा नहीं। फिर मैंने उससे फ़ायदा उठाया और उसके पास से उस वक़्त तक नहीं गया, जब तक रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुत्अह को हराम क़रार नहीं दिया।

मुफ़रदातुल हदीस : बकरह : ताक़तवर नौजवान ऊँट। **ऐता :** दराज़ गर्दन दरम्याना जिस्म। **अनत्नतह :** का भी यही मानी है।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ . وَزَادَ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ .

(3421) रबीअ बिन सबरह जुहनी (रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम फ़तहे मक्का के साल मक्का गये। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत की जिसमें ये इज़ाफ़ा है, उस औरत ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है? और ये भी है, मेरे साथी ने कहा, उसकी चादर पुरानी और बौसीदा है।

(3422) हज़रत रबीअ बिन सबरह जुहनी अपने बाप से बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ था तो आपने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! बेशक मैंने वाक़ेई तुम्हें औरतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे दी थी और बिला शुब्हा अल्लाह तआला ने उसे क़यामत तक के लिये हराम क़रार दे दिया है तो जिसके पास उनमें से कोई हो, उसका रास्ता छोड़ दे और जो कुछ तुमने उन्हें दे दिया है उसमें से कुछ न लो।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَىْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا" .

(3423) इमाम साहब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से इसी सनद से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को हज्रे अस्वद और दरवाज़े के दरम्यान खड़े देखा, आगे ऊपर वाली रिवायत है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

(3424) हज़रत सबरह जुहनी (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें फ़तहे मक्का के मौक़े पर मुत्अह करने का हुक्म दिया जबकि हम मक्का में दाख़िल हुए और हमें उससे निकलने से पहले ही रोक दिया।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ - قَالَ - فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرَضْنَا عَلَيْهَا بُرْدَيْنَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي فَآمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّ مَعَنَا ثَلاَثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِفِرَاقِهِنَّ .

(3425) हज़रत सबरह बिन मअबद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़तहे मक्का वाले साल अपने साथियों को औरतों से लुत्फ़ अन्दोज़ होने का हुक्म दिया तो मैं और बनू सुलैम से मेरा साथी निकले यहाँ तक कि हमने बनू आमिर की एक दोशेज़ा को पा लिया जो ताक़तवर नौजवान दराज़ गर्दन ऊँट की तरह थी तो हमने उसे उसकी ज़ात के बारे में पैग़ाम दिया और हमने उसे अपनी चादरें पेश कीं तो देखने लगी तो मुझे अपने साथी से ज़्यादा ख़ूबसूरत देखती और मेरे साथी की चादर को मेरी चादर से बेहतर देखती, कुछ वक़्त उसने अपने नफ़्स से मशवरा किया, फिर मुझे मेरे साथी पर पसंद किया, तो हम तीन दिन इकट्ठे रहे। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें उनसे अलग हो जाने का हुक्म दिया।

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ .

(3426) रबीअ़ बिन सबरह अपने बाप से बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने निकाहे मुत्अ़ह से मना फ़रमाया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

(3427) रबीअ़ बिन सबरह अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़तहे मक्का के वक़्त मुत्अ़तुन्निसा से मना फ़रमाया।

(3428) रबीअ़ बिन सबरह अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दौर में मुत्अ़ह यानी मुत्अ़तुन्निसा से मना फ़रमाया और मेरे बाप ने दो सुर्ख़ चादरों के ऐवज़ मुत्अ़ह किया था।

وَحَدَّثَنِيهِ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ.

फ़ायदा : हज़रत रबीअ़ के बाप और उनके साथी ने दो सुर्ख़ चादरें औरत पर पेश की थीं और औरत ने उनको पसंद किया था।

(3429) उरवह बिन ज़ुबैर बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने मक्का में खड़े होकर कहा, कुछ लोग जिनके दिल अल्लाह ने अन्धे कर दिये हैं, जिस तरह उनकी आँखों को अन्धा कर दिया है। वो मुत्अ़ह के जवाज़ का फ़तवा देते हैं। एक मर्द (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ि.) की तरफ़ इशारा कर रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज़ से जवाब दिया, तुम कम फ़हम, कम इल्म हो, मुझे अपनी उम्र की क़सम! परहेज़गारी के इमाम रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में मुत्अ़ह किया जाता था, तो हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने उनसे कहा, ख़ुद उसका तजुर्बा करो, अल्लाह की क़सम! अगर तुम ये काम करोगे, तो मैं तुम्हें यक़ीनन तुम्हारे मुनासिब पत्थरों से रजम कर दूँगा। मज़्कूरा बाला सनद से ही इब्ने शिहाब बयान करते हैं कि मुझे ख़ालिद बिन

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ

فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ مَهْلاً . قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ . قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ .

मुहाजिर बिन सैफ़ुल्लाह (हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ि.) ने ख़बर दी कि वो एक आदमी के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी ने आकर उससे मुत्अह के बारे में फ़तवा पूछा, तो उसने उसे उसका फ़तवा दे दिया। तो उसे इब्ने अबी अ़म्रह अन्सारी (रज़ि.) ने कहा, ज़रा तवक़्क़ुफ़ करो! उसने कहा, क्यों किस वजह से? अल्लाह की क़सम! ये काम इमामुल मुत्तक़ीन के ज़माने में किया जा चुका है। इब्ने अबी अ़म्रह (रज़ि.) ने कहा, आग़ाज़े इस्लाम एक लाचार और मुज़्तर के लिये उसकी रुख़सत थी। जैसाकि उसके लिये मुर्दार, ख़िन्ज़ीर के गोश्त और ख़ून की रुख़सत है। फिर अल्लाह तआ़ला ने दीन को मुहकम कर दिया और उससे रोक दिया। इब्ने शिहाब कहते हैं, मुझे रबीअ़ बिन सबरह जुहनी ने अपने बाप से रिवायत सुनाई कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने मुबारक में बनू आ़मिर की एक औरत से दो सुर्ख़ चादरों के ऐवज़ फ़ायदा उठाया था। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें मुत्अह से मना फ़रमा दिया। इब्ने शिहाब बयान करते हैं, मैंने रबीअ़ बिन सबरह से ये रिवायत उस वक़्त सुनी थी जबकि वो मेरी मौजूदगी में हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ को सुना रहे थे।

मुफ़रदातुल हदीस़ : जलफ़ : जाफ़ दोनों हम मानी है। कम फ़हम, कम इल्म, सख़्त मिज़ाज।

फ़ायदा : हज़रत इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) पर इशारतन सख़्त अल्फ़ाज़ में तन्क़ीद की, क्योंकि वो समझते थे जब हुज़ूर(ﷺ) ने खुले अन्दाज़ में

अलग-अलग मौक़ों पर (फ़तहे मक्का, हज्जतुल वदाअ) सबके सामने मना फ़रमा दिया था और हज़रत उमर (रज़ि.) ने आपके फ़रमान की तशहीर और ऐलान फ़रमा दिया। हज़रत अली (रज़ि.) ने भी दो टूक अन्दाज़ में बयान कर दिया, तो अब किसी के लिये इसकी गुंजाइश नहीं रही। इसलिये उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को फ़तवा देते हो, ज़रा ख़ुद करो तो फिर देखो। हम तुम्हारे साथ क्या सुलूक करते हैं और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का नज़रिया ये था। जब आपने फ़तहे मक्का के वक़्त मजबूरी के तहत रुख़सत दे दी थी, तो इसका मतलब ये है कि अब यही इन्तिहाई मजबूरी की सूरत में, मुर्दार, ख़ून और ख़िन्ज़ीर के गोश्त की तरह इस रुख़सत को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिये उन्होंने भी इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) को कम फ़हम, कम इल्म और बेअदब व नादान क़रार दिया और बक़ौले क़ाज़ी अयाज़ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने आख़िरकार अपने फ़तवे से रुजूअ कर लिया था, बहरहाल उनसे दोनों क़िस्म की रिवायात मरवी हैं, लेकिन पानी की मौजूदगी में तयम्मुम की ज़रूरत नहीं रहती। सहीह अहादीस़ की मौजूदगी में किसी की राय मोतबर नहीं है।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ " أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ " .

(3430) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुत्अह से मना किया और फ़रमाया, 'ख़बरदार, सुनो! मुत्अह आज से क़यामत के दिन तक के लिये हराम है और जिसने कोई चीज़ दे रखी है वो उसे वापस न ले।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

(3431) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ैबर के मौक़े पर औरतों से मुत्अह करने और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फ़रमाया।

(सहीह बुख़ारी : 4216, 5115, 5523, 6961, तिर्मिज़ी : 1121, 1794, नसाई : 6/125, 126, 7/202, 203, इब्ने माजह : 1961)

(3432) इमाम साहब एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि मुहम्मद बिन अली ने (अपने बाप) हज़रत अली (रज़ि.) को एक आदमी को ये कहते हुए सुना, तुम सीधी राह से भटके हुए हो, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें मना फ़रमाया। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

وحدّثنا عَبْدُ اللّه بْنُ مُحَمّد بْنِ أسْماءَ الضُّبعيُّ، حدّثنا جُوَيْرِيَةُ، عنْ مالِكٍ، بِهذا الإسْنادِ وقال سمع عَلِيّ بْن أَبِي طالِبٍ، يقُولُ لِفُلانٍ إنّك رجُلٌ تائِهٌ نهانا رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حديثِ يحْيى بْنِ يحْيى عنْ مالِكٍ .

(3433) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने ख़ैबर के वक़्त निकाहे मुत्अह और घरेलू (पालतू) गधों के गोश्त से मना फ़रमाया।

حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جميعًا عنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قال زُهيْرٌ حَدَّثَنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَيْ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِما، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ نِكاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

(3434) हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सुना कि वो औरतों से मुत्अह के बारे में गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, तो कहा, ठहरो! ऐ इब्ने अब्बास! क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इससे और घरेलू गधों के गोश्त से मना फ़रमा दिया था।

وَحَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنا أَبِي، حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللَّه، عنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسنِ، وَعبْدِ اللَّه، ابْنَيْ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فإِنّ رسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عَنْها يَوْمَ خَيْبَرَ وَعنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ .

(3435) हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ैबर के मौक़े पर मुत्अतुन्निसा और पालतू गधों का गोश्त खाने से रोक दिया था।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

फ़वाइद : (1) हज़रत अली (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये था कि हुज़ूर(ﷺ) ने जंगे ख़ैबर के मौक़े पर औरतों से मुत्अह करने से मना फ़रमा दिया था और फ़तहे मक्का के वक़्त आरिज़ी इजाज़त एक इस्तिसनाई (वक़्ती) रुख़्सत थी और कोई इस्तिसनाई सूरत दलील व हुज्जत नहीं बन सकती, इसीलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का इस्तिदलाली नज़रिया दुरुस्त नहीं है। उन्हें इससे बाज़ आना चाहिये, इसलिये अर्ज़ किया, तुम राहे रास्त से सरगरदाँ और भटके हुए हो। (2) जाहिलिय्यत के दौर में निकाहे मुत्अह की दो सूरतें थीं, एक में कम उज्रत या मज़दूरी पर चंद दिनों के लिये, महज़ मर्द और औरत की रज़ामन्दी से बग़ैर वालिदैन की इजाज़त और गवाहों के मुत्अह किया जाता था, जिसको निकाहे मुत्अह का नाम दिया जाता है। इसमें मुत्अह करने वाला, घर बसाने की और हमल की सूरत में नतीज-ए-हमल को कुबूल करने की निय्यत नहीं करता था और न औरत के नान व नफ़्क़ा का ज़िम्मेदार होता था। इसमें तलाक़, ज़िहार, ईला, लिआन, विरासत वग़ैरह निकाह के अहकाम जारी नहीं होते थे और दूसरी सूरत निकाहे मुअक़्क़त की थी। जिनमें वालिदैन की रज़ामन्दी से तवील अरसे के लिये, मेहर मुक़र्रर करके, घर बसाने के लिये निकाह किया जाता था, उसमें गवाह भी होते थे और तलाक़ भी। अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक दोनों सूरतें नाजाइज़ और हराम हैं। लेकिन इमाम ज़ुफ़र के नज़दीक निकाहे मुअक़्क़त जाइज़ है। वक़्ते मुक़र्ररह पर तलाक़ देने की शर्त नाजाइज़ है और ये निकाहे अबदी होगा। वक़्ते मुक़र्ररह कल्अदम होगा। असल बात ये है कि शरीअत ने निकाह कुछ अग़राज़ व मक़ासिद के लिये मुक़र्रर किया है। सिर्फ़ जिन्सी हवस पूरी करना और पानी का इख़राज मत्लूब नहीं है। क्योंकि फ़ितरी और तबई तौर पर मर्द और औरत हुसूले औलाद के लिये एक दूसरे के लिये कशिश का बाइस हैं और उसके लिये घर बसाने पर आमादा रहते हैं, जिसमें सुकून

व इत्मीनान के साथ ज़िन्दगी गुज़ार सकें और इसी मक़सद के लिये अल्लाह तआला ने मियाँ-बीवी में एक-दूसरे के लिये मुहब्बत व मवद्दत और रहमत व शफ़क़त रखी है और औरत को मर्द के लिये बाइसे सुकून क़रार दिया है। अगर इंसान की फ़ितरत मस्ख़ न हो जाये तो मर्द इस बात को गवारा नहीं करता कि उसकी बीवी हरजाई हो और न कोई औरत इस बात को बर्दाश्त करती है कि उसके मियाँ के दिल में किसी और के लिये जगह हो और हर जगह मुँह मारता फिरे। इसलिये वो सौकन को भी ठण्डे पेट क़ुबूल नहीं करती। शरीअते इस्लामिया ने कुछ अरसा तक के लिये वक़्ती ज़ुरूफ़ व अहवाल और लोगों के रुसूम व रिवाज को मल्हूज़ रखते हुए, जाहिलिय्यत के तरीक़े पर क़दग़न आइद नहीं की। अगरचे इसकी हौसला अफ़ज़ाई भी नहीं की। इसलिये सिर्फ़ जंगी सफ़रों में इसको गवारा किया। लेकिन जब हालात बेहतर हो गये, मुसलमानों की हुकूमत मुस्तहकम (मज़बूत) हो गई और वो सियासी तौर पर एक क़ुव्वते ग़ल्बा बन गये। तो इस पर कुल्हाड़ा चला दिया और जंगे ख़ैबर के वक़्त इसको मना क़रार दे दिया। फिर फ़तहे मक्का के मौक़े पर इन्तिहाई शदीद ज़रूरत की बिना पर सिर्फ़ तीन दिन के लिये इसमें इस्तिसनाई सूरत पैदा की गई और उसके बाद इसको हमेशा-हमेशा के लिये मना क़रार दे दिया गया। अब चूंकि किसी नये रसूल या नबी की आमद का इम्कान नहीं रहा, इसलिये इस्तिसनाई सूरत की गुंजाइश नहीं रही थी। इसलिये आपने जंगे ख़ैर के मौक़े पर तो क़यामत तक के लिये हुरमत की बात नहीं की थी, लेकिन फ़तहे मक्का के मौक़े पर क़यामत तक के लिये हुरमत का ऐलान फ़रमाया और हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर जहाँ हर इलाक़ा और हर जगह के मुसलमान कसीर तादाद में मौजूद थे, इसका दोबारा ऐलान फ़रमाया, निकाहे मुत्अह में मक़सूद सिर्फ़ चंद दिन के लिये पानी का इख़राज है जबकि दीन व शरीअत की रू से औरत हर्स है, यानी खेती है। जिससे पैदावार मक़सूद होती है। महज़ बीज डालकर उसको ज़ाया करना मतलूब नहीं होता। इसीलिये दुबुर में ताल्लुक़ात क़ायम करना जाइज़ नहीं है, अगर पानी का बहाव ही मक़सद होता या ज़रूरत व मजबूरी होती, तो कम से कम हैज़ के दिनों में इसकी गुंजाइश रख ली जाती। इसलिये मुत्अह की हुरमत में अक़्ल व नक़ल और फ़ितरते इंसानी की रू से कोई शक व शुब्हा नहीं। हाँ निकाहे मुअक़्क़त में अगर हक़ीक़ी निकाह की तमाम शुरूत मौजूद हों, यानी तलाक़, ईला, लिआन, ज़िहार, इद्दत, विरासत, नान व नफ़्क़ा और औलाद की ज़िम्मेदारी की क़ुबूलियत, सिर्फ़ ये नाजाइज़ शर्त हो कि मैं इतने अरसे के बाद तुम्हें तलाक़ दे दूँगा। तो फिर इस शर्त को बातिल ठहराकर, इसको निकाहे सहीह क़रार देने की गुंजाइश हन्फ़ी मस्लक में मौजूद है। जैसाकि इमाम अबू हनीफ़ा से मन्क़ूल है। अगर शर्त इतनी तवील मुद्दत की रखी गई, जितनी मुद्दत आम तौर पर इंसान ज़िन्दा नहीं रह सकता, तो फिर ये निकाह सहीह है। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 739)। मगर मुत्अह की हुरमत की सरीह अहादीस की मौजूदगी में इस निकाह को सहीह क़रार देना किसी तरह दुरुस्त नहीं है।

बाब 4 : औरत को उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह में जमा नहीं किया जा सकता

باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"

(3436) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बीवी और उसकी फूफी को और बीवी और उसकी ख़ाला को एक ही वक़्त में निकाह में नहीं रखा जा सकता।'

(सहीह बुख़ारी : 5109, नसाई : 6/96)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

(3437) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने चार औरतों को निकाह में जमा करने से मना फ़रमाया है, भतीजी और उसकी फूफी, भान्जी और उसकी ख़ाला।

(नसाई : 6/97)

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، - قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ مَدَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ وَلاَ ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ " .

(3438) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'भतीजी की मौजूदगी में उसकी फूफी से निकाह न किया जाये और भान्जी की मौजूदगी में उसकी ख़ाला से निकाह न किया जाये।'

(सहीह बुख़ारी : 5110, अबू दाऊद : 2066, नसाई : 6/96)

(3439) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया है कि मर्द भतीजी और उसकी फूफी, भान्जी और उसकी ख़ाला को निकाह में जमा करे। इब्ने शिहाब कहते हैं, औरत के बाप की ख़ाला और उसके बाप की फूफी का भी हमारे ख़याल में यही हुक्म है।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الْكَعْبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ‏.‏

(3440) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बीवी के होते हुए उसकी फूफी के साथ या उसकी ख़ाला के साथ निकाह न किया जाये।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا ‏"‏ ‏.‏

(3441) इमाम साहब एक और उस्ताद से भी मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ ‏.‏

(3442) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई शख़्स अपने भाई के पैग़ामे निकाह के बाद अपना पैग़ाम न भेजे और न ही अपने भाई के भाव के बाद भाव लगाये और न ही किसी औरत से निकाह के बाद उसकी फूफी या उसकी ख़ाला से निकाह करे और न ही कोई औरत निकाह के लिये पिछली बीवी की

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا " .

तलाक़ का मुताल्बा करे कि नतीजतन उसका बर्तन उण्डेल दे। वो निकाह करे, जो अल्लाह ने उसकी क़िस्मत में लिखा है, वो उसको मिल कर रहेगा।'

(इब्ने माजह : 1929)

फ़वाइद : (1) उसूल या ज़ाबता ये है कि जिन दो औरतों में से एक को मर्द फ़र्ज़ करने की सूरत में उसका दूसरी से निकाह न हो सके, उनको एक निकाह में जमा करना जाइज़ नहीं है। इसलिये ख़ाला और भान्जी, भतीजी और फूफी को एक ही वक़्त में निकाह में नहीं रखा जा सकता। चाहे ये रिश्ता नसब व ख़ून से हो या दूध से, ख़्वारिज और कुछ शीया के सिवा तमाम उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। फूफी, बाप की बहन हो या दादा और उसके ऊपर के ऐतिबार से। इसी तरह ख़ाला माँ की बहन हो या नानी और उसके ऊपर के ऐतिबार से। ख़्वारिज और शीया ने क़ुरआनी आयत व उहिल्ला लकुम् मा वराअ ज़ालिकुम 'मज़्कूरा औरतों के सिवा तुम्हारे लिये हलाल हैं।' (सूरह निसा : 24) से इस्तिदलाल किया है हालांकि क़ुरआन मजीद की दूसरी आयत में ला तन्किहुल मुश्रिकात ' मुश्रिक औरतों से निकाह न करो।' (सूरह बक़रह : 241) के ज़रिये मुश्रिकात से निकाह हराम किया जा चुका है, आयत के उमूम की तख़सीस के बाद ख़बरे वाहिद से तख़सीस, अहनाफ़ के नज़दीक भी जाइज़ है, जबकि अइम्मा के नज़दीक बिला क़ैद, आयत की तख़सीस ख़बरे वाहिद से जाइज़ है और ये हदीस़ तो कई सहाबा से मरवी है। (2) अगर एक मर्द किसी औरत को निकाह का पैग़ाम दे चुका है और उसके वली ने उसकी तरफ़ अपने मैलान का इज़्हार कर दिया है या हाँ कर दी है, तो फिर किसी दूसरे मर्द के लिये पैग़ाम देना जाइज़ नहीं। इस तरह अगर एक इंसान का दूसरे से भाव तय हो रहा है या तय हो चुका है तो दूसरे का दख़ल दुरुस्त नहीं है। एक मर्द किसी औरत से शादी करना चाहता है और उसकी पहली बीवी मौजूद है, तो उस दूसरी औरत के लिये पहली बीवी की तलाक़ का मुताल्बा जाइज़ नहीं है। क्योंकि इस तरह पहली बीवी ज़ाहिरी अस्बाब की रू से नान व नफ़्क़ा, घर-बार और ख़ाविन्द से महरूम हो सकती है। इस तरह उसको नुक़सान पहुँचाना दुरुस्त नहीं है। ये दूसरी शादी कर ले, उसकी क़िस्मत का उसको मिल कर रहेगा, उसके लिये पहली को नुक़सान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है।

وَحَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي، هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

(3443) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इस बात से मना फ़रमाया कि एक औरत से उसकी फूफी या ख़ाला के निकाह में होते हुए निकाह किया जाये या कोई औरत निकाह के लिये अपनी

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا .

बहन की तलाक़ का मुतालबा करके उसके बर्तन में जो कुछ है उसको उण्डेल दे। यक़ीनन अल्लाह तआला उस दूसरी का भी राज़िक़ है (पहली के बर्तन को अपने लिये उण्डेलने की ज़रूरत नहीं है)।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ - قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا .

(3444) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है कि कोई मर्द औरत की मौजूदगी में उसकी फूफी को या ख़ाला को निकाह में लाये।

(नसाई : 6/97)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(3445) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ

बाब 5 : मुहरिम का निकाह करना या मंगनी का पैग़ाम देना (मुहरिम के लिये निकाह करना हराम है और पैग़ामे निकाह मक्रूह है)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .

(3446) नुबैह बिन वहब से रिवायत है कि उमर बिन उबैदुल्लाह ने तलहा बिन उमर की शादी शैबा बिन जुबैर की बेटी से करने का इरादा किया, तो अबान बिन उसमान जो अमीरे हज थे, की तरफ़ पैग़ाम भेजा कि वो निकाह में आयें। तो अबान ने जवाब दिया, मैंने हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से सुना है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया,

'मुहरिम न अपना निकाह करे और न दूसरे का निकाह करवाये और न निकाह का पैग़ाम भेजे।'

(अबू दाऊद : 1841, 1842, तिर्मिज़ी : 840, नसाई : 5/193, 6/88, 6/89, इब्ने माजह : 1966)

(3447) नुबैह बिन वहब बयान करते हैं, मुझे उमर बिन उबैदुल्लाह बिन मअमर ने भेजा, वो शैबा बिन उसमान की बेटी अपने बेटे के लिये लेना चाहते थे। तो मुझे अबान बिन उसमान की तरफ़ भेजा। वो मौसमे हज के अमीर थे। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे ख़याल में वो (उमर) बदवी है, 'मुहरिम न अपनी शादी कर सकता है और न ही दूसरा उसकी शादी कर सकता है।' ये बात मुझे हज़रत उसमान ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से नक़ल की थी।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلاَ أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا " إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكَحُ". أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3448) हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुहरिम न अपनी शादी करता है और न दूसरे की शादी करता है और न निकाह का पैग़ाम देता है।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ، زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ، عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .

(3449) हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुहरिम न निकाह करता है और न ही निकाह का पैग़ाम देता है।' यानी उसके लिये ये काम रवा नहीं है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ، ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ، طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ، ذَلِكَ . فَقَالَ لَهُ أَبَانُ أَلاَ أُرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ " .

(3450) नुबेह बिन वहब से रिवायत है कि उ़मर बिन उ़बैदुल्लाह बिन मअ़मर ने अपने बेटे तलहा की शादी शैबा बिन जुबैर की बेटी से हज के दिनों में करने का इरादा किया और अबान बिन उ़स्मान उस वक़्त अमीरे हज थे। इसलिये अबान की तरफ़ पैग़ाम भेजा, मैंने तलहा बिन उ़मर की शादी करने का इरादा किया है, तो मैं चाहता हूँ आप भी उसमें हाज़िर हों। तो अबान ने उसे जवाब दिया, मेरे ख़याल में तुम इराक़ी नादान और कम फ़हम हो। मैंने हज़रत उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) को ये कहते सुना कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुहरिम निकाह नहीं करता है, यानी निकाह नहीं कर सकता।'

फ़ायदा : हज़रत अबान बिन उ़स्मान ने उ़मर बिन उ़बैदुल्लाह को इराक़ी का नाम दिया है। जिससे मालूम होता है, मुन्किरीने सुन्नत या सुन्नत से नावाक़िफ़ लोगों की कस़रत, इराक़ में थी। उस इलाक़े के लोग सुन्नत से जाहिल थे। जिस तरह जंगली और बदवी लोग सुन्नत से नावाक़िफ़ होते हैं। इसलिये इराक़ की सरज़मीन तमाम बिदअ़तियों के लिये ज़रख़ेज़ रही है और इस सर ज़मीन से अलग-अलग क़िस्म के फ़ित्ना परवर लोगों ने सर उठाया है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम

लैस़, इमाम इस्हाक़, इमाम औज़ाई वग़ैरह का क़ौल इस हदीस़ के मुताबिक़ है। अगर इमाम बुख़ारी इस हदीस़ को नहीं लाये तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हदीस़ उनके नज़दीक ज़ईफ़ है।

(3451) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने मैमूना से शादी की जबकि आप मुहरिम थे। इब्ने नुमैर (मुसन्निफ़ के उस्ताद) ये इज़ाफ़ा करते हैं कि ये रिवायत मैंने ज़ोहरी को सुनाई तो उसने कहा, मुझे यज़ीद बिन असम ने बताया कि आपने उस वक़्त उनसे निकाह किया था जबकि आप हलाल थे।

(सहीह बुख़ारी : 5114, तिर्मिज़ी : 844, नसाई : 5/191, 6/88, इब्ने माजह : 1965)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ، عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ‏.‏ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ ‏.‏

(3452) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मैमूना (रज़ि.) से शादी उस वक़्त की जबकि आप मुहरिम थे।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ‏.‏

(3453) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनसे शादी की जबकि आप हलाल थे। यज़ीद बिन असम कहते हैं कि मैमूना (रज़ि.) मेरी और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) दोनों की ख़ाला हैं।

(अबू दाऊद : 1843, तिर्मिज़ी : 845, इब्ने माजह : 1964)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏

फ़ायदा : नबी(ﷺ) ने हज़रत मैमूना (रज़ि.) से निकाह उ़मरतुल क़ज़ा 7 हिजरी में किया है। ज़ाहिर है इस उ़म्रह में नबी(ﷺ) के साथ हज़रत इब्ने अ़ब्बास और यज़ीद बिन असम में से कोई भी न था।

इसलिये दोनों ने किसी दूसरे से सुना है। यज़ीद बिन असम बराहे रास्त हज़रत मैमूना (रज़ि.) से ये बात नक़ल करते हैं कि आपसे हुज़ूर(ﷺ) ने शादी हलाल होने की हालत में की और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) अगरचे यज़ीद से इल्म व फ़ज़ल और मक़ाम व मर्तबे के ऐतिबार से बहुत बुलंद है, लेकिन ये कोई फ़िक्री या नज़री या इस्तिम्बाती चीज़ नहीं है, जिसमें इल्म वजहे तरजीह बन सके, ये तो एक बात या वाक़िये को याद रखना है, जिसको कई बार एक जाहिल ज़्यादा याद रखता है। नीज़ हुज़ूर(ﷺ) की तरफ़ से पैग़ाम रसाँ अबू राफ़ेअ भी यज़ीद बिन असम की ताईद करते हैं और अगर अम्र बिन दीनार ने यज़ीद बिन असम पर अअ़राबी बाला अ़ला अक़िबिही कि वो जंगली था और अपनी ऐड़ियों पर पेशाब करता था की फबती कसी है तो ये बिला महल है। क्योंकि जैसाकि हम बता चुके वाक़िया याद रखने में जंगली, आ़लिम पर फ़ाइक़ हो सकता है। नीज़ सईद बिन मुसय्यब, सय्यदुत्ताबेइन ने उसके मुक़ाबले में ये कहा है, जबकि मैमूना जो साहिबे वाक़िया हैं, ख़ुद ये फ़रमाती हैं कि मेरे साथ आपने शादी हलाल होने की हालत में की। तो फिर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का क़ौल वहम पर महमूल होगा। (सुबुलुस्सलाम, जिल्द 3, पेज नं. 170, जमइया अहयाउत्तुरासुल इस्लामी)

इसके अलावा अगर बिल्फ़र्ज़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के क़ौल को तरजीह भी दी जाये तो ये हज़रत उ़समान (रज़ि.) की हदीस़ के, जो क़ौली है, मुआरिज़ है और अहनाफ़ का उसूल है क़ौल और फ़ेअ़ल में तआरुज़ हो तो क़ौल को तरजीह दी जायेगी या बक़ौल शाह वलीउल्लाह अ़मल आप(ﷺ) के साथ ख़ास होगा या अ़मल क़ौल से मन्सूख़ होगा। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द 1, पेज नं. 128)

बाब 6 : भाई की मंगनी पर मंगनी करना नाजाइज़ है इल्ला (मगर) ये कि वो इजाज़त दे दे या छोड़ दे

باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ

(3454) हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक दूसरे के सौदे के ऊपर सौदा न करो और न एक दूसरे की मंगनी पर मंगनी करो।'

(सहीह बुख़ारी : 2139, 2165, अबू दाऊद : 3436, तिर्मिज़ी : 1292, नसाई : 6/71, 7/258, इब्ने माजह : 2171)

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ " .

(3455) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के सौदे पर सौदा न करे और न अपने भाई की मंगनी पर मंगनी करे, इल्ला ये कि वो उसे इजाज़त दे दे।'
(इब्ने माजह : 1868)

وحَدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ومُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ " .

(3456) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

وحَدَّثنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(3457) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत नक़ल करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(3458) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने मना फ़रमाया है, 'जंगली (बदवी) के लिये शहरी सौदा करे या कोई शख़्स ख़रीदने की निय्यत के बग़ैर भाव चढ़ाये या कोई शख़्स अपने भाई की मंगनी पर मंगनी करे या भाई के सौदा पर सौदा करे और न कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ का मुतालबा करे, ताकि जो कुछ उसके बर्तन या पलेट में है, अपने लिये उण्डेल ले।' अम्र की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, 'न कोई आदमी अपने भाई के नर्ख़ पर नर्ख़ करे।'
(सहीह बुख़ारी : 2140, अबू दाऊद : 2080, 3438, तिर्मिज़ी : 1134, 1190, 1304, इब्ने माजह : 1867, 2172, 2184, 2175)

وَحدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا . زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ وَلاَ يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا " .

(3459) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़रीदने की निय्यत के बग़ैर नर्ख़ (भाव) न चढ़ाओ, न कोई शख़्स अपने भाई के सौदे पर सौदा करे और न शहरी जंगली (देहाती) के लिये सौदा करे और न कोई शख़्स भाई की मंगनी पर मंगनी करे और न कोई औरत दूसरी की तलाक़ का मुतालबा करे, ताकि जो कुछ उसके बर्तन में है, अपने लिये उण्डेल ले।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ " وَلاَ يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " .

(3460) इमाम साहब दो और उस्तादों से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें इतना फ़र्क़ है, 'कोई शख़्स अपने भाई के सौदे पर क़ीमत न बढ़ाये।'
(सहीह बुख़ारी : 1723, नसाई : 7/257, 7/259)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ " .

(3461) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई मुसलमान अपने भाई के भाव पर भाव न लगाये और न उसकी मंगनी पर मंगनी करे।'

(3462) इमाम साहब एक और उस्ताद से अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत नबी(ﷺ) से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3463) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'न अपने भाई के भाव पर भाव लगाये, न अपने भाई की मंगनी पर मंगनी का पैग़ाम भेजे।'

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ، بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّهُمْ قَالُوا " عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَخِطْبَةِ أَخِيهِ " .

(3464) हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) ने मिम्बर पर कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मोमिन, मोमिन का भाई है, इसलिये किसी मोमिन के लिये जाइज़ नहीं है कि वो अपने भाई की बैअ पर बैअ करे और अपने भाई की मंगनी पर मंगनी करे, यहाँ तक कि वो उसे छोड़ दे।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ، أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ" .

फ़ायदा : बुयूअ (तिजारत) से मुताल्लिक़ा अहकाम की वज़ाहत आगे किताबुल बुयूअ में आयेगी और इस बात पर जुम्हूर का इत्तिफ़ाक़ है कि जब पैग़ाम भेजने वाले का पैग़ाम मन्ज़ूर कर लिया जाये, तो फिर उसके बाद पैग़ाम भेजना और निकाह करना नाजाइज़ है। अगर निकाह कर लेगा, गुनाहगार होगा, लेकिन निकाह सहीह होगा और इमाम दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक ये निकाह फ़स्ख़ (अमानिय)

कर दिया जायेगा और इमाम मालिक के नज़दीक ताल्लुक़ात से पहले पता चल जायेगा तो निकाह फ़स्ख होगा, बाद में पता चले तो फस्ख नहीं होगा।

बाब 7 : निकाहे शिग़ार की हुरमत और उसका बातिल होना

باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه

(3465) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने शिग़ार से मना फ़रमाया है और शिग़ार ये है कि एक शख़्स अपनी बेटी की शादी दूसरे शख़्स से इस शर्त पर करे कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर दे और उनके दरम्यान मेहर न हो।

(सहीह बुख़ारी : 5112, अबू दाऊद : 2074, तिर्मिज़ी : 1124, नसाई : 6/112, इब्ने माजह : 1883)

حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق .

(3466) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हुज़ूर(ﷺ) से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, लेकिन यहाँ ये इज़ाफ़ा है उबैदुल्लाह कहते हैं, मैंने नाफ़ेअ से पूछा, शिग़ार किसे कहते हैं? (गोया मज़्कूरा बाला रिवायत में शिग़ार की तारीफ़ नाफ़ेअ ने की है, मरफ़ूअ नहीं है)।

(सहीह बुख़ारी : 6960, अबू दाऊद : 2074, नसाई : 6/110)

وحدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالوا حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم . مثله غير أن في حديث عبيد الله قال قلت لنافع ما الشغار.

(3467) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शिग़ार से मना फ़रमाया है।

وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حماد بن زيد، عن عبد الرحمن السراج، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار .

(3468) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस्लाम में शिग़ार नहीं है।'

وحدَّثني مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ "

(3469) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शिग़ार से मना फ़रमाया है। इब्ने नुमैर की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, शिग़ार ये है कि एक शख़्स दूसरे शख़्स को यूँ कहे, तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो और मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कर दूँगा या अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो मैं अपनी बहन की शादी तुझसे कर देता हूँ।

(नसाई : 6/112, इब्ने माजह : 1884)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي .

(3470) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और उसमें इब्ने नुमैर का इज़ाफ़ा नहीं है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ - بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ نُمَيْرٍ .

(3471) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से बयान करते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शिग़ार से मना फ़रमाया है।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ .

मुफ़रदातुल हदीस़ : शिग़ार : शिगार का लुग़वी मानी उठाना है। कहते हैं, शग़रल कल्बु कुत्ते ने पेशाब करने के लिये टांग उठाई, गोया निकाहे शिगार का मानी हुआ। तुम मेरी बेटी से निकाह इस सूरत में कर

सकते हो, जब तुम मुझे अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, इसके बग़ैर तुम मेरी बेटी से फ़ायदा नहीं उठा सकते, हमारे उ़र्फ़ में इसको वट्टा-सट्टा का निकाह कहा जाता है।

फ़ायदा : वट्टा-सट्टा का निकाह बिल्इत्तिफ़ाक़ मम्नूअ़ है। लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ है, ये निकाह हो जाने की सूरत में बातिल होगा या नहीं। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक बातिल होगा और इमाम मालिक के नज़दीक अगर ताल्लुक़ात क़ायम नहीं हुए तो बातिल है और अगर ताल्लुक़ात क़ायम हो चुके हैं तो बातिल नहीं है। सहीह बात ये मालूम होती है अगर उसके नाजाइज़ होने का इल्म है तो फिर ये बातिल होगा। अगर निकाह के बाद पता चला तो फिर हालात व ज़ुरूफ़ का लिहाज़ रखा जायेगा। अगर निकाह ख़त्म करने से ख़राबी और फ़साद ज़्यादा पैदा होता हो, तो इस शर्त को कल्अ़दम क़रार दे कर निकाह को क़ायम रखा जाये। शर्त के कल्अ़दम होने का मानी ये है, अगर एक से किसी वजह से निबाह नहीं हुआ तो उसके मुक़ाबले में बिला वजह तलाक़ न दी जाये या एक के ख़ाविन्द ने किसी सबब और वजह की बिना पर बीवी को सरज़निश व तौबीख़ की है तो दूसरी पर बिला वजह ग़ुस्सा न निकाला जाये या वो एक दूसरे के मुक़ाबले में अपने-अपने मयके न बैठी रहें। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक चूंकि शिगार की मुमानिअ़त का सबब बिला मेहर निकाह करना और फ़ुरुज को मेहर क़रार देना है, इसलिये अगर मेहरे मिस्ल मुक़र्रर कर दिया जाये तो निकाह सहीह हो जायेगा। हालांकि वट्टा-सट्टा की हुरमत का सबब वो बिगाड़ और फ़साद है जो उसके नतीजे में रूनुमा होता है और हमारे मुआ़शरे में इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। मेहर के मुक़र्रर करने या न करने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।

बाब 8 : निकाह में मुक़र्रर करदा शर्तों को पूरा करना

باب الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

(3472) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों से हज़रत उ़क़बा बिन आ़मिर (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'सब शर्तों से ज़्यादा पूरा करने की हक़दार वो शर्तें हैं जिनसे तुमने शर्मगाहों को अपने लिये हलाल ठहराया है।' कुछ रावियों ने शर्त का लफ़्ज़ मुफ़रद बोला और कुछ ने शुरूत जमा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى . غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ " الشُّرُوطِ " .

(सहीह बुख़ारी : 2721, 5151, अबू दाऊद : 2139, तिर्मिज़ी : 1127, नसाई : 6/92, 93, इब्ने माजह : 1954)

फ़ायदा : मियाँ-बीवी जब शादी करते हैं तो निकाह से उनके कुछ मक़ासिद और अग़राज़ होते हैं और कुछ शर्तें ऐसी होती हैं, जो ख़ुद निकाह का तक़ाज़ा हैं। इसलिये उन शर्तों से मुराद वो शर्तें हैं जो तक़ाज़ा के मुनाफ़ी न हों। अगरचे वो निकाह के मुक़्तज़ा से ज़ाइद हों, जैसे औरत मेहरे मिस्ल से ज़्यादा का तक़ाज़ा करे या बेहतर और अच्छी रिहाइश की शर्त लगाये और ख़ाविन्द उसके दोशेज़ा होने या किसी मख़सूस ख़ानदान से होने की शर्त लगाये, लेकिन औरत ये शर्त लगाये कि पहली बीवी को तलाक़ दो या ख़ाविन्द शर्त लगाये कि मैं नान व नफ़्क़ा नहीं दूँगा या तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा, तो ये दुरुस्त नहीं है या फ़रीक़ैन में कोई ख़िलाफ़े इस्लाम शर्त लगाये, जैसे मर्द कहे तुम पर्दा नहीं कर सकोगी या औरत कहे, मैं पर्दा नहीं करूँगी। तो ऐसी शर्तों का कोई ऐतिबार नहीं है।

باب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ

बाब 9 : शौहर दीदा (शादीशुदा) से निकाह की इजाज़त बोलकर और कुंवारी से सुकूत (ख़ामोशी) का काफ़ी होने का बयान

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ " أَنْ تَسْكُتَ " .

(3473) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'शौहर दीदा का निकाह उसके मशवरे के बग़ैर न किया जाये और कुंवारी का निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर न किया जाये।' सहाबा किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी इजाज़त की कैफ़ियत क्या है? आपने फ़रमाया, 'उसकी ख़ामोशी (सुकूत)।'

(सहीह बुख़ारी : 5136, 6946, 6968, नसाई : 6/86)

फ़ायदा : अय्यिम : का असल मानी है बेशौहर वाली औरत। जैसाकि फ़रमाने बारी है, 'व अन्किहुल अयामा मिन्कुम' (अपनी बेशौहर वाली औरतों की शादी करो) लेकिन इस बाब में मज़्कूरा हदीस में, इससे मुराद ऐसी औरत है जो शादीशुदा हो और शौहर के साथ रहने के बाद किसी सबब से चाहे वो शौहर का इन्तिक़ाल हो या तलाक़ व ख़ुलअ, बेशौहर हो गई हो। कुछ रिवायात में इसको सय्यिब का नाम दिया गया है। ऐसी औरत के बारे में हिदायत दी गई है कि उसकी राय और मर्ज़ी मालूम किये बग़ैर उसकी शादी न की जाये और ये ज़रूरी है कि वो अपनी राय या रज़ामन्दी का इज़हार ज़बान से या वाज़ेह इशारे से करे और कुँवारी लड़की के बारे में ये हिदायत फ़रमाई है कि उसका निकाह उसकी इजाज़त के बग़ैर न किया जाये। लेकिन दोशेज़ा लड़कियों को जबकि वो शर्म व हया से मुत्तसिफ़ हों, आज़ाद और खुली न हों, ज़बान या इशारे से इजाज़त देना मुश्किल होता है। इसलिये उनकी इजाज़त के लिये उनकी ख़ामोशी या रज़ामन्दी का कोई क़रीना या इशारा ही काफ़ी है और ये बात वाज़ेह है, वही लड़की ज़बान से या सुकूत से रज़ामन्दी का इज़हार कर सकती है जो सिन्ने शऊर व तमीज़ को पहुँच चुकी हो और सोचने-समझने की सलाहियत रखती हो। शादी के मक़सद और मफ़्हूम को समझती हो, लेकिन अगर कोई लड़की अभी निकाह व शादी के बारे में सोचने-समझने की सलाहियत से आरी है और किसी मजबूरी या मस्लिहत के तक़ाज़े के तहत उसकी शादी करनी है, कोई बहुत अच्छा और मुनासिब रिश्ता मिलता है और वली ख़ैरख़्वाह और ज़िम्मेदार है, किसी ख़ुदग़र्ज़ी या दुनियवी मफ़ाद का हरीस व लालची नहीं है, बल्कि बच्ची की बेहतरी और भलाई के जज़्बे के तहत उसकी शादी करना चाहता है, तो अपनी ख़ैरख़्वाहाना सवाबदीद के मुताबिक़ ख़ुद फ़ैसला कर सकता है।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي، عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا

(3474) इमाम साहब ने बहुत से उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है और तीन रावियों, हिशाम शैबान और मुआविया बिन सल्लाम के अल्फ़ाज़ भी बराबर हैं।

(तिर्मिज़ी : 1107, इब्ने माजह : 1871, 15384, सहीह बुख़ारी : 6970)

مُعَاوِيَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، . بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ . وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلاَّمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لاَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ " . فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ

(3475) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनद से हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि वो फ़रमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से लड़की के बारे में पूछा, जब उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहें तो क्या उससे मशवरा लिया जायेगा या नहीं? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें जवाब दिया, 'हाँ! उससे मशवरा लिया जायेगा।' हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आपसे अर्ज़ किया, वो तो शर्म व हया महसूस करेगी? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसकी इजाज़त यही है कि वो ख़ामोशी इख़्तियार करे।'

(सहीह बुख़ारी : 5137, 6971, नसाई : 6/86, 6075, 3461, अबू दाऊद : 2098, 2099, 2100, तिर्मिज़ी : 1108, नसाई : 6/84-85, 6 85, इब्ने माजह : 1870)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله

(3476) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'शौहर दीदा औरत का अपने नफ़्स के बारे में अपने वली सरपरस्त से ज़्यादा हक़ है और कुँवारी का बाप उसके नफ़्स (निकाह) के बारे में उससे इजाज़त हासिल करे और उसकी इजाज़त उसकी ख़ामोशी है।' इमाम मालिक

عليه وسلم قَالَ " الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " . قَالَ نَعَمْ .

ने इस बात की तस्दीक़ की कि मैंने ये रिवायत सुनी है।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " .

(3477) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेवा औरत अपने वली की बनिस्बत अपने नफ़्स की ज़्यादा हक़दार है और कुँवारी लड़की से राय ली जायेगी और उसकी इजाज़त उसकी ख़ामोशी है।'

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا " . وَرُبَّمَا قَالَ " وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا " .

(3478) इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत में कि 'शौहर दीदा अपने वली के ऐतिबार से अपने नफ़्स की ज़्यादा हक़दार है और उसकी इजाज़त उसकी ख़ामोशी है।' और कई बार आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसकी सुकूत ही उसका इक़रार है।'

फ़ायदा : इस्लाम दीने फ़ितरत है, क्योंकि ख़ालिक़े फ़ितरत का नाज़िल करदा है। इसलिये उसमें ऐतिदाल और तवाज़ुन को क़ायम रखा गया है, जिस मसले का ताल्लुक़ दो फ़रीक़ों से होता है उसमें दोनों की रिआयत और लिहाज़ रखा जाता है, किसी एक फ़रीक़ को दूसरे का हक़ मारने या जबर करने की इजाज़त नहीं दी जाती, निकाह का मसला दो फ़रीक़ों से ताल्लुक़ रखता है, औरत और उसके सरपरस्त यानी उसकी परवरिश व परदाख़्त करने वाला उसका वालिद, इसलिये शरीअते इस्लामिया में दोनों की राय और रज़ामन्दी को अहमिय्यत दी गई है। ये बात औरत के शर्म व हया और उसके शर्फ़ के मुनाफ़ी है कि वो अपना निकाह ख़ुद करे और उससे ख़राबियाँ और मफ़ासिद पैदा होते हैं। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, सिर्फ़ औरतों को निकाह का फ़ैसला करने का इख़्तियार देना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि वो अपनी कम अक़्ली की बिना पर बदफ़िक्री का शिकार हो जाती हैं और सहीह फ़ैसला नहीं कर पातीं और कई बार ऐसी जगह शादी रचा लेती हैं, जो उनके ख़ानदान के लिये आर और बदनामी का बाइस बनती हैं और

लोगों में तबई और फ़ितरी तौर पर ये बात आम है कि वो उस मामले में हिल्लो-अक़्द का इख़्तियार मर्दों को देते हैं, क्योंकि तमाम नफ़्क़ात उन्होंने बर्दाश्त किये होते हैं। वली को निकाह में अहमिय्यत देना उसके मक़ाम व शर्फ़ का इक़रार है और औरत को इख़्तियार देना उसकी बेहयाई और बेशर्मी का शाख़साना है और वली को नज़र अन्दाज़ करके उसका हक़ मारना है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द 2, पेज नं. 127)

इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक वली की इजाज़त के बग़ैर औरत निकाह नहीं कर सकती, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक शौहर दीदा और बालिग़ा कुँवारी का वली के बग़ैर निकाह करना सहीह है। अगरचे बेहतर और औला यही है कि वो वली की इजाज़त से निकाह करे, फ़र्क़ सिर्फ़ इस क़द्र है उनके नज़दीक वली की इजाज़त शर्त नहीं है। इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने कुँवारी के लिये वली की इजाज़त को शर्त क़रार दिया है और शौहर दीदा के लिये शर्त क़रार नहीं दिया। अइम्मा की राय से ये हक़ीक़त सामने आ जाती है कि इख़्तिलाफ़ सिर्फ़ वली की इजाज़त की शर्त में है, इस बात में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है कि निकाह वली ही के ज़रिये होना चाहिये, औरत के लिये ये ठीक नहीं है कि वो ख़ुद अपना निकाह करे और बेशर्मी व बेहयाई का मुज़ाहिरा करे और न सरपरस्त के लिये उस पर जबर करना और उसकी राय और मशवरे को नज़र अन्दाज़ करना या उसके मफ़ादात को नुक़सान पहुँचाना दुरुस्त है। दोनों को एक-दूसरे के हक़ को ख़ुश दिली से तस्लीम करना और अदा करना चाहिये और आपसी मशवरे से उसका फ़ैसला करना चाहिये और आज के मग़रिबी तहज़ीब के दिलदादा अफ़राद से पहले ये मसला कभी इख़्तिलाफ़ी नहीं रहा। हमेशा औरत अपने सरपरस्तों के ख़ैरख़्वाहाना और नासिहाना तरीक़े पर मुत्मइन रही हैं। आज-कल की मादर-पेदर आज़ादी ने इसको मसला बनाया है।

बाब 10 : बाप का नाबालिग़ा दोशेज़ा का निकाह कर देना

باب تَزْوِيجِ الأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ

(3479) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरे साथ शादी की, जबकि मैं छः बरस की थी और मेरे साथ शबे ज़फ़ाफ़ गुज़ारी या मेरी रुख़सती उस वक़्त हुई जबकि मैं 9 बरस की थी और जब हम मदीना पहुँचे तो मुझे एक माह तक बुख़ार चढ़ता रहा (और मेरे बाल गिर गये) मेरे बाल कानों तक बढ़ गये, तो (मेरी माँ) उम्मे रूमान

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي، شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ

سنين . قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب . فقلت هه هه . حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر . فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه .

मेरे पास आई, जबकि मैं अपनी सहेलियों के साथ झूले पर थी। उसने मुझे बुलंद आवाज़ से बुलाया, तो मैं उसकी ख़िदमत में हाज़िर हो गई और मुझे मालूम नहीं था, वो मुझसे क्या चाहती हैं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लाकर उसने दरवाज़े पर रोक लिया। मैंने हाह-हाह किया यहाँ तक कि मेरा साँस फूलना रुक गया और वो मुझे घर ले गई और वहाँ अन्सारी औरतें मौजूद थीं उन्होंने कहा, ख़ैर व बरकत पाओ और बेहतरीन नसीबा हो। तो माँ ने मुझे उनके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने मेरा सर धोया और मेरा बनाव-सिंघार किया और मुझे ख़ौफ़ज़दा सिर्फ़ इस चीज़ ने किया कि चाश्त के वक़्त रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ ले आये और उन्होंने मुझे आप(ﷺ) के सुपुर्द कर दिया।
(सहीह बुख़ारी : 3896)

मुफ़रदातुल हदीस : (1) बना बी : मेरी रुख़्सती अमल में आई क्योंकि औरत के लिये शबे ज़फ़ाफ़ अलग जगह तैयार की जाती थी। **(2) व इक्तु :** मुझे बुख़ार आने लगा। **(3) जुमैमह :** वो बाल जो कानों तक पहुँचते हों। **(4) उर्जूहा :** झूला, वो लम्बी लकड़ी जिसके दरम्यानी हिस्से को ज़मीन में नसब लकड़ी पर रख दिया जाता है और उसके दोनों तरफ़ बच्चियाँ बैठकर उसको ऊपर नीचे करती हैं। **हह-हह** उखड़ी-उखड़ी साँस की आवाज़।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है किसी मस्लिहत और हिक्मत व ज़रूरत के तहत नाबालिग़ा बच्ची की शादी भी हो सकती है और रुख़्सती उस वक़्त अमल में आयेगी जब बच्ची ख़ाविन्द के पास जा सकती हो। उसके लिये किसी उम्र की क़ैद या हद नहीं है। क्योंकि औरतों की सेहत व कुव्वत, मिज़ाज और क़द-काठी और नशोनुमा की कैफ़ियत यकसाँ नहीं होती, निकाह के वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) की उम्र मुत्तफ़क़ अलैह की रिवायत के मुताबिक़ छः साल से ऊपर और सात साल से कम थी, इसलिये कुछ रिवायात में छः साल आया और कुछ में कसर को पूरा करते हुए या तग़लीबन सात साल कह दिया गया है। इस पर तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि बाप-दादा चूंकि इन्तिहाई ख़ैरख़्वाह और मुश्फ़िक़ व मेहरबान होते हैं और वो कभी अपने मफ़ादात को बच्ची के नुक़सान व ज़रर पर तरजीह नहीं देते, इसलिये

वो नाबालिग़ा लड़की का निकाह कर सकते हैं। बाप-दादा के सिवा और कोई वली नाबालिग़ा की शादी नहीं कर सकता और बालिग़ा हो जाने के बाद इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और तमाम उ़लमाए हिजाज़ के नज़दीक बच्ची को निकाह फ़स्ख़ करवाने का हक़ हासिल नहीं होगा। लेकिन अहले इराक़ के नज़दीक इसको ख़ियारे फ़स्ख़ हासिल होगा। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और जुम्हूर के नज़दीक अगर बाप-दादा के सिवा किसी वली ने नाबालिग़ा का निकाह कर दिया तो वो बातिल होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम औज़ाई और कुछ दूसरे फ़ुक़्हा के नज़दीक लड़की को ख़ियारे बुलूग़ हासिला होगा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक फ़स्ख़ का इख़्तियार नहीं होगा।

इस हदीस़ से ये भी साबित होता है रुख़्सती के वक़्त औरतें जमा हो सकती हैं और दुल्हन का बनाव-सिंघार करना भी सहीह है और औरतें जमा होकर दुल्हन की ख़ुशी और शादमानी का बाइस़ बनें और उसको दुआ़ के साथ रुख़्सत करें और दुल्हन को दिन के वक़्त भी दूल्हे के पास भेजा जा सकता है।

(3480) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) ने मेरे साथ शादी की, जबकि मैं छ: बरस की थी और मेरे साथ ज़फ़ाफ़ उस वक़्त मनाया जबकि मैं 9 बरस की हो गई थी।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ .

(3481) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने उनसे शादी की जबकि वो सात बरस की थीं और आपके पास उस वक़्त भेजा गया, जबकि वो 9 बरस की थीं और उनकी गुड़ियाँ उनके साथ थीं और उनसे फ़ौत उस वक़्त हुए जबकि वो अठारह बरस की थीं।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلُعَبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ .

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि नाबालिग़ा बच्चियाँ गुड़ियों से खेल सकती हैं और ये गुड़ियाँ सिर्फ़ नाम की तस्वीरें होती हैं। क्योंकि ख़ुद बच्चियाँ कपड़ों से बनाती हैं। गोया नक़ल, असल

के मुताबिक़ नहीं होती और अगर उनको तस्वीरें मान लिया जाये तो ज़ाहिर ये है, हिज्रत के शुरूआती दौर का वाक़िया है और तस्वीरों की हुरमत बाद में हुई है, इसलिये इस हदीस़ से बच्चियों के लिये मौजूदा दौर की मशीनी गुड़ियों का जवाज़ नहीं निकाला जा सकता। इल्ला (मगर) ये कि वो सिर्फ़ ख़ाका हों, उसमें रंग न भरा गया हो।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهْىَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ ‏.‏

(3482) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनसे शादी की, जबकि वो छः (6) बरस की थीं और उनकी रुख़सती अमल में आई, जबकि वो नौ (9) बरस की थीं और उनसे वफ़ात हुई जबकि वो अठारह बरस की थीं।

(नसाई : 6/82-83)

باب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ

बाब 11 : शादी करवाना और शादी करना, शव्वाल में बेहतर है और इसमें रुख़सती पसन्दीदा है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَىُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي ‏.‏ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ ‏.‏

(3483) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शव्वाल में मेरे साथ शादी की और शव्वाल में मेरी रुख़सती हुई और रसूलुल्लाह(ﷺ) की नज़र में आपकी अज़्वाज में से मुझसे ज़्यादा कौन ख़ुशनसीब थी (किससे ज़्यादा प्यार था) और आइशा (रज़ि.) को यही पसंद था कि वो अपने ख़ानदान की बच्चियों को शव्वाल में रुख़सत करें।

(तिर्मिज़ी : 1093, नसाई : 6/70, 6/130, इब्ने माजह : 1990)

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَةَ.

(3484) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत नक़ल करते हैं, लेकिन उसमें हज़रत आइशा (रज़ि.) के अमल का ज़िक्र नहीं है।

फ़ायदा : ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में लोग माहे शव्वाल में शादी और ज़फ़ाफ़ को मन्हूस ख़्याल करते थे, जैसाकि अब भी कुछ लोगों में इसके असरात बाक़ी हैं। इस जाहिली नज़रिये की तर्दीद की ख़ातिर हज़रत आइशा (रज़ि.) माहे शव्वाल में शादी और रुख़्सती को बेहतर और पसन्दीदा समझती थीं, इसी तरह कुछ लोग मुहर्रम में शादी को मन्हूस ख़्याल करते हैं ये भी जाहिलाना ख़्याल है।

باب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

बाब 12 : जो किसी औरत से शादी का इरादा करे, तो उसके लिये उसके चेहरे और हथेलियों पर नज़र डाल लेना पसन्दीदा है

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا " .

(3485) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं नबी(ﷺ) की मज्लिस में हाज़िर था कि आप(ﷺ) के पास एक आदमी आया और उसने अ़र्ज़ किया, उसने एक अन्सारी औरत से निकाह का इरादा किया है। आप(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'क्या तूने उस पर नज़र डाल ली है?' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 'जाओ! उसको देख लो, क्योंकि अन्सार की आँखों में कुछ (ऐब व नुक़्स) है।'
(नसाई : 6/77, 6/69)

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ

(3486) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, मैंने एक अन्सारी औरत को शादी का पैग़ाम दिया है। तो नबी(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'क्या तूने उसे

إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا " . قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا . قَالَ " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا " . قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ " . قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ .

देख लिया है? क्योंकि अन्सार की आँखों में कुछ है।' उसने कहा, मैं देख चुका हूँ। आपने पूछा, 'उसका कितना मेहर रखा है?' उसने कहा, चार औक़िया चाँदी पर (निकाह किया है)। तो नबी(ﷺ) ने (तअज्जुब से) फ़रमाया, 'चार औक़िया? गोया तुम उस पहाड़ के पहलू या कोने से चाँदी तराश लेते हो, हमारे पास तुझे देने के लिये कुछ नहीं है, लेकिन मुम्किन है हम तुम्हें किसी लश्कर में भेज दें, तुझे उससे कुछ मिल जायेगा।' फिर आप(ﷺ) ने बनू अब्स की तरफ़ एक पार्टी भेजी और उस आदमी को भी उसमें भेज दिया।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह(ﷺ) के इस क़िस्म के इरशादात का मक़सद ये है कि निकाह और शादी का मामला बहुत अहम है, सारी उम्र की रिफ़ाक़त के लिये एक फ़ैसला और मुआहिदा होता है, इसलिये ये मुनासिब नहीं है कि ये मामला नावाक़िफ़ी व बेख़बरी के साथ अन्धेरे में हो। इसको वाक़िफ़ियत और बसीरत के साथ होना चाहिये। इसकी एक सूरत तो ये है, अगर पहले से अज़ीज़ बिरादरी और शनासाई नहीं है (क्योंकि ख़ानदानी औरतों को इंसान आम तौर पर जानता-पहचानता होता है) तो अपनी औरतों के ज़रिये सहीह मालूमात हासिल करे या उस पर ख़ुद ऐसे तरीक़े से नज़र डाल ले कि उसको पता भी न चल सके, लेकिन उस काम को नज़रबाज़ी का ज़रिया न बनाये, औरत का चेहरा और हाथ चूंकि औरत नहीं हैं, घर में औरत उनको नंगा रखती है, सिर्फ़ बाहर निकलते वक़्त या घर में ग़ैर महरम की आमद के वक़्त ही उसका पर्दा करती है, इसलिये मंगेतर के लिये एक बार देखने की अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक इसकी इजाज़त है, बल्कि बेहतर है और आपने अन्सारी औरतों की आँखों में ऐब की निशानदेही फ़रमाई है, साबित होता है, ज़रूरत के वक़्त जज़्ब-ए-ख़ैरख़्वाही से किसी ऐब की निशानदेही की जा सकती है और आपका ये फ़रमाना गोया कि तुम पहाड़ से कुछ तराश लेते या काट लेते हो, इससे मालूम होता है, मेहर मुक़र्रर करते वक़्त अपनी हैसियत और अपनी आमदनी का लिहाज़ रखना चाहिये क्योंकि मेहर की अदायगी ज़रूरी है, इतना मेहर मुक़र्रर नहीं करना चाहिये कि इंसान दे ही न सके या फिर माफ़ करवाने के लिये हीले, बहाने करे और ये भी दुरुस्त नहीं है कि इंसान साहिबे हैसियत हो, शादी पर लाखों ख़र्च करे और मेहर मामूली बान्धे, इफ़रात व तफ़रीत दोनों ही

शरीअ़त की मन्शा के ख़िलाफ़ हैं। हुज़ूर(ﷺ) ने उम्मे हबीबा (रज़ि.) के सिवा तमाम अज़्वाज का मेहर पाँच सौ दिरहम बांधा था। उम्मे हबीबा (रज़ि.) का मेहर नजाशी ने अदा किया था, इसलिये वो ज़्यादा था। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक़ चार हज़ार दीनार था और उसको तरजीह दी गई है, अगरचे सुनन की रिवायत में चार हज़ार दिरहम है।

बाब 13 : मेहर का बयान और वो क़ुरआन की तालीम, लोहे की अंगूठी और उनके सिवा कमो-बेश हो सकता है और अगर ख़ाविन्द की इस्तिताअ़त से बाहर या उसकी बर्बादी का बाइस न हो तो पाँच सौ दिरहम बेहतर है

باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ وَاسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِمَنْ لاَ يُجْحَفُ بِهِ

(3487) हज़रत सहल बिन सअ़द अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपना नफ़्स आपको हिबा करने के लिये हाज़िर हुई हूँ। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी तरफ़ देखा, उसे ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा। यानी नीचे से ऊपर तक देखा, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपना सर मुबारक झुका लिया। जब औरत ने देखा कि आप(ﷺ) ने उसके बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया, तो बैठ गई। इस पर आपके सहाबा में से एक आदमी उठा और उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इससे मेरा निकाह कर दें। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तेरे पास कुछ है?' उसने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي . فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ

بِها حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ‏"‏ ‏.‏ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ ‏"‏ ‏.‏ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ‏.‏ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ ‏.‏ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ ‏"‏ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّدَهَا ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ‏"‏ ‏.‏ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ ‏.‏

आपने फ़रमाया, 'अपने घर वालों के पास जाओ और देखो तुम्हें कुछ मिलता है?' वो गया फिर वापस आकर कहने लगा, नहीं अल्लाह की क़सम! मुझे कुछ नहीं मिला। इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'देखो! तलाश करो, अगरचे लौहे की अंगूठी ही हो।' वो गया और वापस आकर कहने लगा, नहीं अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! लौहे की अंगूठी भी मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरी ये तहबंद है। हज़रत सहल कहते हैं, उसके पास ऊपर वाली चादर भी न थी। इसको आधी दे दूँगा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपनी चादर (तहबंद) का क्या करोगे? अगर तू उसे पहनेगा तो उस पर कुछ न होगा, अगर वो पहनेगी तो तुझ पर कुछ नहीं होगा। वो आदमी बैठ गया यहाँ तक कि काफ़ी देर बैठने के बाद खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे जाते हुए देखा, तो उसे बुलाने का हुक्म दिया। जब वो वापस आ गया आपने फ़रमाया, 'तुम्हें क़ुरआन मजीद किस क़द्र याद है?' उसने अर्ज़ किया, मुझे फ़लाँ-फ़लाँ सूरत आती है। उसने सूरतें शुमार कीं। आपने पूछा, उन्हें ज़बानी पढ़ते हो?' उसने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'जाओ! जो क़ुरआन मजीद तुम्हें याद है उसके ऐवज़ उसे तेरे निकाह में कर दिया।' ये इब्ने अबी हाज़िम की रिवायत है और याक़ूब की रिवायत के अल्फ़ाज़ भी इससे मिलते-जुलते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 5087, 5871)

وَحَدَّثَنَاهُ خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ، أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ " انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ " .

(3488) मुसन्निफ़ यही रिवायत चंद और उस्तादों से बयान करते हैं जो एक-दूसरे से कमो-बेशक बयान करते हैं। ज़ाइद (रह.) की रिवायत में ये है, 'जाओ! मैंने इसकी तेरे साथ शादी कर दी है, इसे कुरआन मजीद की तालीम दो।'

फ़वाइद : (1) किसी औरत का किसी नेक और सालेह इंसान को ख़ुद-बख़ुद निकाह की पेशकश करना जाइज़ और दुरुस्त है लेकिन बिला मेहर निकाह करना क़ुरआन की आयत ख़ालिसतल्लक (ये आपका ख़ास्सह) की रू से हुज़ूर(ﷺ) के सिवा जाइज़ नहीं है। उसको मेहर देना पड़ेगा और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित होता है, अगर कोई औरत निकाह की पेशकश करे तो उसे ऊपर से नीचे तक ग़ौर से देखा जा सकता है, बशर्तेकि पसन्दीदगी की सूरत में निकाह करने की निय्यत हो और अगर उसकी ज़रूरत न हो तो बेहतर ये है कि ज़बान से जवाब देने की बजाय ख़ामोशी इख़्तियार कर ली जाये। ताकि वो समझ जाये कि मेरी पेशकश मन्ज़ूर नहीं है और अगर वो ख़ामोशी से न समझ सके तो फिर उसको अच्छे तरीक़े से जवाब दे दिया जाये। जैसाकि औरत का बार-बार पूछने पर आपने आख़िरकार फ़रमा दिया था, 'मुझे औरत की ख़्वाहिश नहीं है।' (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 477) **(2)** बेहतर ये है कि निकाह के वक़्त मेहर का तअय्युन कर दिया जाये और मेहर की कोई हद मुक़र्रर नहीं है। इसमें मियाँ-बीवी की हैसियत और मक़ाम का लिहाज़ रखा जायेगा। जैसाकि हम हदीस़ नम्बर 75 के तहत लिख चुके हैं, इमाम मालिक के नज़दीक मेहर कम से कम 1/4 चौथाई दीनार होगा और अहनाफ़ के नज़दीक दस दिरहम, इससे कम नहीं होगा। कुछ हज़रात ने इससे कमो-बेश हद मुक़र्रर की है। लेकिन सहीह अहादीस़ की रू से जुम्हूर के नज़दीक इसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं है। **(3)** इस हदीस़ से स़ाबित होता है तालीमे क़ुरआन को मेहर बनाना और तालीमे क़ुरआन पर उज्रत लेना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तालीमे क़ुरआन पर उज्रत लेना जाइज़ नहीं है। लेकिन मुताख़्ख़िरीने अहनाफ़ ने इसको जाइज़ क़रार दिया है। लेकिन क़ुरआन मजीद को मेहर ठहराने में अइम्मा ने बिला ज़रूरत तावील

से काम लिया है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और एक क़ौल की रू से इमाम अहमद के नज़दीक इसको मेहरे मिस्ल अदा करना पड़ेगा। (4) अगर औरत, मुफ़्लिस मर्द के साथ निकाह करने के लिये तैयार हो और वो तंगी-तुरशी में गुज़ारा कर सकती हो तो फिर उसका निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर औरत आसूदा हाल ख़ानदान की हो और वो फ़क्रो-फ़ाक़ा की ज़िन्दगी न गुज़ार सकती हो तो फिर उसका निकाह एक मुफ़्लिस से नहीं किया जायेगा। जैसाकि आपने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) से फ़रमाया था, 'मुआविया तो मुफ़्लिस है, तू ज़ैद से शादी कर ले।' और आपने उस औरत की शादी उससे पूछकर उसकी रज़ामन्दी से की थी और आप उसके वली थे और इस हदीस़ से साबित होता है निकाह के लिये ख़ुत्बा ज़रूरी नहीं है, अगरचे अहले ज़ाहिर ख़ुत्बे को ज़रूरी क़रार देते हैं। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 484)

(3489) हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने नबी(ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने (अपनी बीवियों को) कितना मेहर दिया था? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया, आपकी बीवियों का मेहर बारह औक़िया और एक नश्श था और पूछा, तुम्हें नश्श के बारे में इल्म है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। उन्होंने बताया, आधा औक़िया को कहते हैं। इस तरह पाँच सौ दिरहम हो गये और यही रसूलुल्लाह(ﷺ) की बीवियों का मेहर है।

(अबू दाऊद : 2105, नसाई : 6/116, 6/117, इब्ने माजह : 1886)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ، الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ‏.‏ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لاَ ‏.‏ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ ‏.‏ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَزْوَاجِهِ.

फ़ायदा : एक औक़िया में चालीस दिरहम होते हैं और बारह औक़िया के 480 (चार सौ अस्सी) दिरहम बन गये और नश्श की मिक़्दार बीस (20) दिरहम मिलाकर पाँच सौ दिरहम हो गये। लेकिन

उम्मे हबीबा (रज़ि.) का मेहर चूंकि नजाशी ने अदा किया था, इसलिये उसने चार हज़ार दिरहम या चार हज़ार दीनार दिये थे और हज़रत सफ़िय्या का मेहर उनकी आज़ादी थी और बेहतर ये है कि मेहर का कम से कम हिस्सा पहली रात ही अदा कर दिया जाये, जैसाकि आपने हज़रत अली (रज़ि.) को हुक्म दिया था।

(3490) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के (कपड़ों) पर ज़र्द रंग के आसार देखे तो फ़रमाया, 'ये क्या है?' उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक औरत से खजूर की गुठली के बराबर सोना के ऐवज़ शादी की है। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही हो।'
(सहीह बुख़ारी : 5155, 6386, तिर्मिज़ी : 1094, नसाई : 6/128, इब्ने माजह : 1907)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ " مَا هَذَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

फ़वाइद : (1) इमाम मालिक के नज़दीक कपड़ों पर ज़ाफ़रान छिड़कना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और शाफ़ेई के नज़दीक जाइज़ नहीं है और कुछ हज़रात के नज़दीक शादी के वक़्त रंगदार ख़ुश्बू का इस्तेमाल मर्द के लिये भी जाइज़ है लेकिन आम तौर पर यही कहा जाता है। ये रंग औरत की ख़ुश्बू से लग गया था, क्योंकि औरतों की ख़ुश्बू रंगदार और बिला मेहक होनी चाहिये और गुठली के बराबर सोना पाँच दिरहम होता है। **(2)** निकाह के बाद वलीमा करना सुन्नत है, अगरचे अहले ज़ाहिर और कुछ शवाफ़ेअ ने इसे फ़र्ज़ क़रार दिया है और बेहतर ये है कि ये शबे ज़फ़ाफ़ के बाद हो और कुछ मालिकियों के नज़दीक निकाह के फ़ौरन बाद बेहतर है और वलीमा के लिये कोई मिक़्दार मुअय्यन नहीं है अपनी हैसियत और ताक़त के मुताबिक़ करना चाहिये।

(3491) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने मुबारक में सोने की गुठली के ऐवज़ निकाह

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى وَزْنِ نواةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

किया था और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वलीमा करो, चाहे बकरी ही हो।'

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ " .

(3492) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने एक औरत से सोने की गुठली के ऐवज़ निकाह किया और नबी(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'वलीमा करो, चाहे बकरी ही हो।'
(सहीह बुख़ारी : 5148)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَهَارُونُ، بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً .

(3493) इमाम साहब यही रिवायत अलग-अलग उस्तादों से नक़ल करते हैं, लेकिन इब्ने वहब की रिवायत में है कि हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) ने कहा, मैंने एक औरत से शादी की।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَىَّ بَشَاشَةُ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

(3494) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बताया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे इस हाल में देखा कि मुझ पर शादी की मसर्रत व शादमानी के आसार थे। मैंने अर्ज़ किया, मैंने एक अन्सारी औरत से शादी की है। आप(ﷺ) ने पूछा, 'तुमने कितना मेहर मुक़र्रर किया है?' तो मैंने कहा, एक गुठली। इस्हाक़ की रिवायत में है, सोने की गुठली।

مِنَ الأَنْصَارِ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ كَمْ أَصْدَقْتَهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ نَوَاةً ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏

(3495) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने एक औरत से गुठली के बराबर सोने के ऐवज़ शादी की।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ شُعْبَةُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏

(3496) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें ये है, सोने से का ज़िक्र अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के बेटों में से किसी ने किया।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏

फ़वाइद : (1) इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा किराम शादी के मौक़े पर हुज़ूर(ﷺ) को बुलाना ज़रूरी ख़याल नहीं करते थे, जिससे मालूम होता है वो इस मौक़े पर इकट्ठा नहीं करते थे। अपने ही ख़ानदान के कुछ लोगों के सामने ये फ़रीज़ा सरअन्जाम दे दिया जाता था। अगर वो उसके लिये ज़्यादा एहतिमाम करते होते तो हुज़ूर(ﷺ) को कैसे नज़र अन्दाज़ कर सकते थे? घर की बरकत के लिये, निकाह के लिये तो आप(ﷺ) को ज़रूर तकलीफ़ देते कि आप(ﷺ) निकाह पढ़ायें। (2) औलिम वलौ बिशअतिन् वलीमा करो चाहे एक बकरी हो। कुछ ने कम से कम मिक़्दार पर महमूल किया है जैसाकि आपने मुफ़्लिस आदमी को कहा था, वलौ ख़ातमन मिन हदीद 'चाहे लौहे की अंगूठी ही हो।' कुछ ने इसको कसरत पर महमूल किया है।

बाब 14 : लौण्डी को आज़ाद करके उससे शादी करने की फ़ज़ीलत

باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

(3497) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ख़ैबर का क़सद किया और हमने उसके क़रीब सुबह की नमाज़ अन्धेरे में पढ़ी। फिर नबी(ﷺ) सवार हुए और

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

अबू तलहा भी सवार हुए और मैं अबू तलहा के पीछे सवार था। तो नबी(ﷺ) ने (अपनी सवारी) ख़ैबर की गलियों में दौड़ा दी (और हमने भी अपनी सवारियाँ दौड़ाईं) और मेरा घुटना नबी(ﷺ) की रान से छू रहा था और नबी(ﷺ) की रान से तहबंद खिसक गई या सिरक गई तो मुझे नबी(ﷺ) की रान की सफ़ेदी नज़र आने लगी। जब आप(ﷺ) बस्ती में दाख़िल हो गये तो आपने फ़रमाया, 'अल्लाहु अकबर! ख़ैबर तबाह व बर्बाद हो या ख़ैर वीरान हो गया, हम जब किसी क़ौम के आँगन या चोक में उतरते हैं तो डराये गये लोगों की सुबह बुरी होती है।' आपने ये कलिमात तीन बार फ़रमाये और लोग अपने काम-काज के लिये निकल चुके थे। इसलिये उन्होंने कहा, मुहम्मद अल्लाह की क़सम! अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ की रिवायत में है, हमारे कुछ साथियों ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये, मुहम्मद लश्कर के साथ आ गया और हमने ख़ैबर को ताक़त और ज़ोरे बाज़ू से फ़तह किया और क़ैदियों को यकजा इकट्ठा किया गया। तो आपके पास हज़रत दिह्या (रज़ि.) आये और अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे क़ैदियों में से एक लौण्डी इनायत फ़रमायें। आपने फ़रमाया, 'जाओ और एक बान्दी ले लो।' तो उन्होंने सफ़िय्या बिन्ते हुई (रज़ि.) को ले लिया। इस पर नबी(ﷺ) के पास एक आदमी आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के

غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي لأَرَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " . قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ . قَالَ وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً وَجُمِعَ السَّبْىُ فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ . فَقَالَ " اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً " . فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلاَّ لَكَ . قَالَ " ادْعُوهُ بِهَا " . قَالَ فَجَاءَ بِهَا

فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ غَيْرَهَا " . قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا . فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا فَقَالَ " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ " قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا . فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

नबी! आपने दिह्या को कुरैज़ा और बनू नज़ीर की आक़ा सफ़िय्या बिन्ते हुई इनायत कर दी है? वो तो आपके शायाने शान थी। आपने फ़रमाया, 'उसे उस समेत बुलाओ।' तो वो उसको लेकर हाज़िर हुआ। तो जब नबी(ﷺ) ने उस पर नज़र डाली फ़रमाया, 'क़ैदियों में से इसके सिवा कोई और लौण्डी ले लो।' और आपने उसे आज़ाद करके उससे शादी कर ली। हज़रत साबित (रह.) ने हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू हम्ज़ह! (हज़रत अनस की कुन्नियत है) उसको मेहर क्या दिया था? उन्होंने जवाब दिया, उसका नफ़्स, उसको आज़ाद किया और उससे शादी कर ली। यहाँ तक कि जब (वापसी पर) रास्ते में ही थे तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने उन्हें तैयार करके रात को आपको पेश कर दिया और आप(ﷺ) सुबह को नौशा (दुल्हा) बन चुके थे और आपने फ़रमाया, 'जिसके पास कुछ हो वो ले आये।' और आपने चमड़े का दस्तरख़्वान बिछा दिया, तो कोई आदमी पनीर ला रहा है और कोई आदमी खजूर ला रहा है और कोई घी ला रहा है। उनसे सहाबा किराम ने मालीदा तैयार किया और ये रसूलुल्लाह(ﷺ) का वलीमा था।

(सहीह बुख़ारी : 371, अबू दाऊद : 3009, नसाई : 6/132)

फ़वाइद : (1) हुज़ूर(ﷺ) अपनी सवारी दौड़ा रहे थे और दूसरे सहाबा भी आपके साथ अपनी सवारियाँ दौड़ा रहे थे, तेज़ रफ़्तारी की बिना पर आप(ﷺ) की रान खुल गई और भीड़ की बिना पर

हज़रत अनस (रज़ि.) का घुटना आप(ﷺ) की रान से मिल गया और उनकी नज़र रान पर पड़ गई। आपने जान-बूझकर रान नंगी नहीं की थी। (2) चूंकि लश्कर के पाँच हिस्से होते हैं, सबसे अगला हिस्सा मुक़द्दमा, सबसे पिछला हिस्सा साक़ह, दरम्यान वाला हिस्सा क़ल्ब जिस पर असल इन्हिसार होता है, दायाँ हिस्सा मैमनह और बायाँ हिस्सा मैसरह। इसलिये लश्कर को ख़मीस कह देते हैं। (3) बक़ौल कुछ हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) का नाम ज़ैनब था। आपके अपने लिये इन्तिख़ाब करने पर सफ़िय्या नाम दिया गया। चूंकि वो हसीनो-जमील और ख़ानदानी तौर पर हसब व नसब वाली शरीफ़ और बनू क़ुरैज़ा और बनू नज़ीर की आक़ा थीं, इसलिये जब हज़रत दिह्या की दरख़्वास्त पर उन्हें बतौरे फ़ज़्ल व इनाम एक लौण्डी लेने का हक़ दिया गया और उन्होंने हज़रत सफ़िय्या को पसंद कर लिया, उस पर एक आदमी ने ऐतिराज़ किया और अ़र्ज़ किया वो तो आप ही के लायक़ और मुनासिब है। तो आपने हज़रत दिह्या को उसके ऐवज़ सात लौण्डियाँ देकर उन्हें वापस ले लिया, ताकि दूसरों के दिलों में उनके बारे में हसद व कीना पैदा न हो, जो किसी ख़राबी या फ़साद का बाइस़ बने। इसलिये इस हिबा की वापसी का जवाज़ नहीं निकलता। (4) इस हदीस़ से (हज़रत अनस रज़ि. के जवाब से) स़ाबित होता है कि अगर कोई इंसान अपनी लौण्डी को इस शर्त पर आज़ाद करता है कि वो उससे उसकी आज़ादी के ऐवज़ में शादी करेगा तो ये जाइज़ है और उस लौण्डी को अपने आक़ा से बिला मेहर निकाह करना होगा। इमाम अहमद, इमाम यूसुफ़, इमाम इस्हाक़ और इमाम औज़ाई वग़ैरह का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ये शर्त सहीह नहीं है। उसको अलग मेहर देना होगा या लौण्डी की क़ीमत मुक़र्रर करके उस क़ीमत को मेहर क़रार देना होगा और आप(ﷺ) ने हज़रत सफ़िय्या को तबर्रुअन (अल्लाह की रज़ा के लिये) आज़ादी दी थी। फिर उसकी रज़ामन्दी से बिला मेहर शादी कर ली थी और ये आपकी ख़ुसूसियत है औरत बिला मेहर अपने आपको पेश कर सकती है लेकिन ज़ाहिर हदीस़ का तक़ाज़ा यही है कि जब आक़ा लौण्डी से बिला निकाह और बिला मेहर फ़ायदा उठा सकता है तो अगर वो उस पर एहसान करते हुए उसको आज़ाद करके बुलंद मक़ाम देकर उससे शादी कर ले तो उसके लिये मेहर को क्यों लाज़िम ठहराया जाये। हाँ अगर वो अपनी ख़ुशी से मेहर दे दे तो अच्छी बात है। (5) इस हदीस़ से मालूम होता है सफ़र में शादी और रुख़सती अ़मल में लाई जा सकती है और वलीमे में रुफ़क़ा हिस्सा डाल सकते हैं और वलीमे की दावत के लिये गोश्त का एहतिमाम करना ज़रूरी नहीं है।

(3498) इमाम साहब अपने छः अलग-अलग उस्तादों से हज़रत अनस (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि आपने हज़रत

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ، الْعَزِيزِ بْنِ

صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، وَشُعَيْبِ، بْنِ حَبْحَابٍ عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَعُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسٍ، كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا . وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عِتْقَهَا.

सफ़िय्या (रज़ि.) को आज़ाद कर दिया और उनकी आज़ादी को उनका मेहर क़रार दिया और मुआज़ अपने बाप से बयान करते हैं, आपने सफ़िय्या से शादी की और उसे उसकी आज़ादी का मेहर दिया यानी आज़ादी को मेहर ठहरा लिया।

(सहीह बुख़ारी : 947, 5086, अबू दाऊद : 2054, तिर्मिज़ी : 1115, नसाई : 6/114, इब्ने माजह : 1957, 291, 1017, 1067, 1429)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِي يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا " لَهُ أَجْرَانِ " .

(3499) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस शख़्स के बारे में जो अपनी लौण्डी को आज़ाद करके उससे शादी करता है फ़रमाया, 'उसके लिये दो अज्र हैं।' (सहीह बुख़ारी : 2544, अबू दाऊद : 2053, नसाई : 6/115)

फ़ायदा : इस हदीस़ की तशरीह किताबुल ईमान हदीस़ नम्बर 154 के तहत गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا

(3500) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जंगे ख़ैबर के मौक़े पर मैं हज़रत अबू तलहा

ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنْتُ رِدْفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدَمِي تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُئُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - قَالَ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " . قَالَ وَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ دَحْيَةَ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تُصَنِّعُهَا لَهُ وَتُهَيِّئُهَا - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ - قَالَ - وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ فُحِصَتِ الأَرْضُ أَفَاحِيصَ وَجِيءَ بِالأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَشَبِعَ النَّاسُ - قَالَ - وَقَالَ النَّاسُ لاَ نَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمِ اتَّخَذَهَا أُمَّ وَلَدٍ . قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْىَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْىَ أُمُّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا

(रज़ि.) के पीछे सवार था और मेरा क़दम रसूलुल्लाह(ﷺ) के क़दम से लग रहा था। तो हम उनके पास सूरज के रोशन होने (अच्छी तरह तुलूअ होने पर) पहुँचे और उन्होंने (घरों से) अपने मवेशी निकाल लिये थे और अपने कुल्हाड़े, टोकरियाँ, बेलचे, कुदाल, यारसियाँ भी साथ ले जा रहे थे तो वो कहने लगे, मुहम्मद लश्कर के साथ आ गये और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़ैबर बर्बाद हो या ख़ैबर तबाह हो गया, हम जब किसी क़ौम के मैदान में उतरते हैं तो डराये गये लोगों की सुबह बुरी होती है।' हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन्हें शिकस्त से दोचार किया और हज़रत दिह्या (रज़ि.) के हिस्से में एक ख़ूबरू (अतिसुन्दर) लौण्डी आई और उसे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सात लौण्डियों के ऐवज़ ख़रीद लिया फिर उसे हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) के सुपुर्द फ़रमाया ताकि वो उसे बना-संवार कर उसे तैयार करे। रावी का ख़याल है कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने ये भी कहा कि वो उम्मे सुलैम ही के घर (उनके पास) इद्दत गुज़ारे (यानी इस्तिब्राए रहम हो, जो लौण्डी के लिये ज़रूरी है) और वो लौण्डी सफ़िय्या बिन्ते हुई थी और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके वलीमे में खजूर, पनीर और घी रखा। ज़मीन को कुरेदकर, चमड़े के दस्तरख़्वान लाकर उसमें रखे गये और पनीर और घी लाया गया जिससे लोग सैर हुए। लोग कहने लगे, हमें

فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا ‏.‏ فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَفَعْنَا - قَالَ - فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعَدَ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ أَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِي وَاللَّهِ لَقَدْ وَقَعَ ‏.‏

قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلاَنِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَجَعَلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ‏"‏ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ ‏"‏ ‏.‏ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ ‏"‏ بِخَيْرٍ ‏"‏ ‏.‏ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ

मालूम नहीं है कि आपने उससे शादी की है या उसे उम्मे वलद बनाया है। कहने लगे, अगर आपने उसे पर्दे में रखा तो वो आपकी बीवी हो गई और अगर उसे पर्दे में न रखा तो वो उम्मे वलद होगी। तो जब आप(ﷺ) ने सवार होने का इरादा किया उसे पर्दे में किया और वो ऊँट के पिछले हिस्से पर बैठीं तो लोगों ने जान लिया कि आपने उससे शादी की है। तो जब सहाबा किराम मदीना के क़रीब पहुँचे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सवारी को तेज़ कर दिया और हमने भी सवारियाँ दौड़ाईं और (आपकी) अज़्बा ऊँटनी ने ठोकर खाई जिससे रसूलुल्लाह(ﷺ) गिर गये और वो भी गिर गईं। आपने खड़े होकर उसे पर्दा किया और औरतें देख रही थीं, इसलिये कहने लगीं, अल्लाह तआला यहूदन को दूर करे। साबित ने पूछा ऐ अबू हम्ज़ह! क्या रसूलुल्लाह(ﷺ) गिर पड़े थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ अल्लाह की क़सम! आप गिर पड़े थे।

हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के वलीमे में हाज़िर था। आप(ﷺ) ने लोगों को रोटी और गोश्त से सैर फ़रमाया और आप लोगों को बुलाने के लिये मुझे भेजते थे। तो जब फ़ारिग़ हो गये उठ खड़े हुए और मैं भी आपके पीछे हो लिया, दो आदमी (खाने से फ़राग़त के बाद) पीछे रह गये और बातचीत में मस्रूफ़ (बीजी) हो गये और घर से न निकले। आप अपनी अज़्वाज के यहाँ से गुज़रने लगे, उनमें से हर एक को इन

مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ أَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ ‏{‏ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ‏}‏ الآيَةَ‏.‏

अल्फ़ाज़ में सलाम कहते, 'अस्सलामु अलैकुम तुम घर सलामती हो ऐ घर वालो! तुम्हारा क्या हाल है?' वो जवाब में कहतीं, ऐ अल्लाह के रसूल! ख़ैरियत है। आपने अपनी बीवी को कैसा पाया? आप फ़रमाते, 'अच्छी या बेहतर है।' जब उससे फ़ारिग़ होकर लौटे तो मैं भी आपके साथ वापस आया तो जब (घर के) दरवाज़े पर पहुँचे तो उन दोनों आदमियों को बातचीत में मशग़ूल पाया। जब उन्होंने आपको देखा कि आप वापस आ गये हैं उठकर चल दिये। अल्लाह की क़सम! मुझे मालूम नहीं मैंने आपको ख़बर दी या आप पर वह्य उतरी कि दोनों घर से निकल गये हैं। तो आप लौट आये और मैं भी आपके साथ लौट आया। जब आपने अपना दायाँ पाँव दरवाज़े की दहलीज़ (चोखट) पर रखा तो मेरे और अपने दरम्यान पर्दा लटका दिया और अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'नबी के घरों में बिला इजाज़त दाख़िल न हो।'

(सूरह अहज़ाब : 53)

मुफ़रदातुल हदीस़ : **(1) तुसन्निउहा :** उसे बनाये संवारे। **(2) फ़ुऊस :** फ़ास की जमा है कुल्हाड़ा, तीशा। **(3) मिक्तल :** मकतल की जमा है टोकरी। **(4) मुरूर :** मुर की जमा है बेलचा और बक़ौले क़ाज़ी अयाज़ रस्सियाँ जिनके ज़रिये खजूर के दरख़्त पर चढ़ा जाता है। **(5) तअ़्तद्दु फ़ी बैतिहा :** उम्मे सुलैम के पास मुद्दते हैज़ गुज़ारे ताकि पता चल सके कि वो हामिला नहीं है। **(6) अफ़ाहीस :** अफ़्हूस की जमा है, मक़सद ये है कि दस्तरख़्वान बिछाने के लिये ज़मीन को थोड़ा सा खोदा गया। **(7) नदर :** नुदूर से माख़ूज़ है जिसका मानी अलग होना और निकलना है और यहाँ मुराद गिरना है।

फ़वाइद : (1) निकाह के वक़्त सब सहाबा किराम (रज़ि.) हाज़िर न थे और न ही सब दावते वलीमे में शरीक थे। इसलिये सबको इस निकाह का पता न चल सका। इसलिये इससे ये साबित नहीं होता कि निकाह गवाहों के बग़ैर हो सकता है जैसाकि इमाम मालिक का नज़रिया है। (2) इस हदीस़ से साबित

होता है कि बीवी अहले बैत का अव्वलीन और असली मिस्दाक़ है और उसके लिये जमा मुज़क्कर का सेग़ा इस्तेमाल होता है। इसलिये आपने फ़रमाया, 'सलामुन अलैकुम कै-फ़ अन्तुम या अहलल बैत? यक़ूलून? हर बीवी ने पूछा, और पर्दे का हुक्म हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के वलीमे के वक़्त नाज़िल हुआ।

(3501) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत सफ़िय्या हज़रत दिह्या (रज़ि.) के हिस्से में आईं और सहाबा किराम रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने उसकी तारीफ़ बयान करने लगे और कहने लगे, हमने क़ैदियों में इसकी नज़ीर नहीं देखी। आपने दिह्या को तलब किया और उसके ऐवज़ जो उन्होंने माँगा दे दिया। फिर उसे मेरी वालिदा (उम्मे सुलैम) के सुपुर्द कर दिया और फ़रमाया, 'इसका बनाव-सिंघार करो।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ैबर से रवाना हो गये यहाँ तक कि जब उसे पीछे छोड़ आये तो पड़ाव किया। फिर हज़रत सफ़िय्या के लिये (इस्बितराए रहम के बाद) ख़ेमा लगवाया। जब सुबह हुई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसके पास ज़ादे राह बचा हो वो उसे हमारे पास ले आये।' तो कोई आदमी बची हुई खजूरें लाया तो कोई बचे हुए सत्तू लाया, यहाँ तक कि उससे लोगों ने उन चीज़ों के आमेज़ा का ढेर लगा दिया और उस आमेज़ा से खाने लगे और उनके पहलू में आसमानी पानी के जो हौज़ थे उनसे पानी पी लेते। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं ये रसूलुल्लाह(ﷺ) का सफ़िय्या के लिये वलीमा था। फिर हम चल पड़े यहाँ तक कि जब हमने मदीना की दीवारों को देखा तो हमारे अंदर

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدَحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا - قَالَ - فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ " أَصْلِحِيهَا " . قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ " . قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حَيْسًا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْسِ وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ - قَالَ - فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ

निशात और उसका शौक़ पैदा हो गया और हमने अपनी सवारियों को तेज़ कर दिया और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी अपनी सवारी को तेज़ कर दिया और सफ़िय्या को आपने अपने पीछे सवार किया हुआ था। आपकी सवारी को ठोकर लगी (लड़खड़ाई) जिससे आप और वो गिर गईं। लोगों में से कोई आपको और उन्हें देख नहीं रहा था। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने खड़े होकर उन्हें पर्दा किया। फिर हम आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने फ़रमाया, 'हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची।' हम मदीना में दाख़िल हो गये तो आपकी बीवियों की बान्दियाँ निकलीं वो उन्हें (सफ़िय्या को) एक दूसरी को दिखाती थीं और उनके गिरने पर ख़ुश हो रही थीं।

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا - قَالَ - فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا إِلَيْهَا فَرَفَعْنَا مَطِيَّنَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَطِيَّتَهُ - قَالَ - وَصَفِيَّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فَعَثَرَتْ مَطِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصُرِعَ وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلاَ إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَتَرَهَا - قَالَ - فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ " لَمْ نُضَرَّ " . قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا .

बाब 15 : ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से शादी पर्दे का नुज़ूल और शादी के वलीमे का सुबूत

باب زَوَاجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَنُزُولِ الْحِجَابِ وَإِثْبَاتِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

(3502) बहज़ (रह.) की रिवायत के मुताबिक़ हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) की इद्दत पूरी हो गई तो आपने (उसके साबिक़ा ख़ाविन्द) हज़रत ज़ैद (रज़ि.) से फ़रमाया, 'मेरी तरफ़ से उसे पैग़ाम दो।' तो हज़रत ज़ैद गये। जब उसके पास पहुँचे तो वो अपने आटे का ख़मीर उठा रही थीं (गून्धने के बाद बेहतर होने के लिये रख छोड़ा था) हज़रत ज़ैद बयान करते हैं, तो

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالاَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثُ بَهْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ " فَاذْكُرْهَا عَلَىَّ " . قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى

जब मैंने उसे देखा तो मेरे दिल में उनकी क़द्रो-मन्ज़िलत की बड़ाई बैठ गई (क्योंकि हुज़ूर(ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा बनने वाली थीं) हुज़ूर(ﷺ) के उसे मंगनी का पैग़ाम देने की बिना पर मैं उसे देख नहीं सकता था (हैबत व जलाल की बिना पर) मैंने उसकी तरफ़ अपनी पुश्त कर दी और अपनी ऐड़ियों पर लौटकर अर्ज़ किया, ऐ ज़ैनब! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तुझे पैग़ाम भेजा है। उसने जवाब दिया, जब तक मैं अपने रब से मशवरा न कर लूँ (इस्तिख़ारा न कर लूँ) मैं कोई जवाब नहीं दूँगी। वो अपनी सज्दागाह में (इस्तिख़ारा के लिये) खड़ी हुई और क़ुरआने मजीद का नुज़ूल हुआ और रसूलुल्लाह(ﷺ) बिला इजाज़त उसके पास चले गये। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने साथियों को देखा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दिन चढ़े हमें रोटियाँ और गोश्त खिलाया, लोग (फ़ारिग़ होकर) घर से निकल गये औ कुछ आदमी खाने के बाद घर में बातों में लग गये। रसूलुल्लाह(ﷺ) घर से निकले और मैं भी आप(ﷺ) के पीछे चल पड़ा। आप एक के बाद एक अपनी बीवियों के कमरों में जाने लगे। उन्हें सलाम कहते और वो पूछतीं, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने अपनी बीवी को कैसा पाया? हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मुझे मालूम नहीं मैंने आपको बताया कि लोग चले गये हैं या आपने मुझे ख़बर दी।

أَتَاهَا وَهْيَ تُخَمِّرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقِبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ . قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي . فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رِجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَقُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي - قَالَ - فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ . زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ { لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ

غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إِلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ}

फिर आप चले यहाँ तक कि घर में दाख़िल हो गये और मैं भी आपके साथ दाख़िल होने लगा तो आपने मेरे और अपने दरम्यान पर्दा डाल दिया और पर्दे का हुक्म नाज़िल हो गया और लोगों को उसके मुनासिब नसीहत की गई। इब्ने राफ़ेअ की हदीस़ में आयत का तज़्किरा है कि 'नबी के घर में बिला इजाज़त दाख़िल न हो, इल्ला (मगर) ये कि खाने के लिये बुलाया जाये। लेकिन उसके पकने के इन्तिज़ार में न बैठे रहो..... और अल्लाह हक़ के बयान में नहीं शरमाता।'

(नसाई : 6/79)

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) ने जाहिलिय्यत की रस्म को एक आज़ाद करदा गुलाम, किसी शरीफ़ज़ादी और आला ख़ानदान की ख़ातून का कुफ़्व नहीं हो सकता, चाहे वो जिस क़द्र ख़ूबियों और सलाहियतों का मालिक हो और दीन व तक़वा के बुलंद मैयार पर फ़ाइज़ हो, लोगों के इस तसव्वुर को तोड़ने के लिये अपनी फूफीज़ाद हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) जो ख़ानदाने बनू असद से ताल्लुक़ रखती थीं, उनका निकाह अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद के साथ कर दिया। लेकिन ये मुआशरती इस्लाह का पहला वाक़िया था। इसलिये मुनाफ़िक़ मर्द और औरतों ने फ़ित्ना उठाया कि मुहम्मद(ﷺ) ने एक मुअज़्ज़ज़ घराने की हसीनो-जमील और ज़हीन व फ़तीन शरीफ़ ख़ातून का दामन अपने एक आज़ाद करदा गुलाम के साथ बांध दिया है। इस तरह हज़रत ज़ैद (रज़ि.) और हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) दोनों को एक-दूसरे से बदगुमान करने की कोशिश की। हज़रत ज़ैद को महसूस हुआ कि ज़ैनब अपनी नसबी शराफ़त की बिना पर अपने आपको मुझसे फ़ाइक़ और बरतर समझती हैं। इस वजह से मेरे साथ निकाह को नापसंद करती हैं और मेरी इताअत नहीं करतीं और हज़रत ज़ैनब के मिज़ाज में भी कुछ तमकिनत और तेज़ी थी जिसको हज़रत ज़ैद की हस्सास और ख़ुद्दार तबीअत ने ज़्यादा महसूस किया और तलाक़ देने का फ़ैसला कर लिया। अल्लाह तआला ने उनके इस फ़ैसले को एक दूसरी जाहिली रस्म के ख़ातमे का ज़रिया बनाना चाहा जिसको क़ुरआने मजीद में यूँ बयान किया गया है, 'पस जब ज़ैद ने अपनी ज़रूरत व हाजत पूरी कर ली (और अपना रिश्ता काट लिया, इद्दत ख़त्म हो गई) तो हमने उसको तुमसे ब्याह दिया कि मोमिनों के लिये उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में, जबकि वो उनसे अपना ताल्लुक़ बिल्कुल काट लें, कोई तंगी बाक़ी न रहे और अल्लाह का फ़ैसला शुदनी (अटल) था।' (सूरह अहज़ाब: 37)

इस तरह अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक़ 5 हिजरी के शुरूआत में या ख़ातमे पर आपने हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया। चूंकि ये निकाह अल्लाह के फ़रमान और हुक्म पर हुआ, इसकी सूरत आम निकाह वाली नहीं थी कि हज़रत ज़ैनब के इस्तिख़ारा का इन्तिज़ारा किया जाता और उसके औलिया की मर्ज़ी मालूम की जाती। इसलिये उसको ज़व्वज्नाकहा (हमने उससे आपकी शादी कर दी) से ताबीर किया है और हज़रत ज़ैनब भी फ़ख़्रिया तौर पर फ़रमाती थीं कि और बीवियों के निकाह उनके वलियों ने किये और मेरा निकाह अल्लाह तआला ने किया। मेरे निकाह के बारे में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को वह्य के ज़रिये हुक्म दिया और दूसरी अज़्वाज के निकाह के लिये ख़ुसूसी हुक्म नाज़िल हुआ। इसलिये इसका ये मानी लेना ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह तआला ने ख़ुद ही निकाह कर दिया। इसके लिये ईजाब व क़ुबूल और गवाहों की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि आपका ये निकाह शरई क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक़ हुआ और उस निकाह के वलीमे में पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ और उसमें बताया गया जब किसी तक़रीब के सिलसिले में तुम्हें खाने की दावत दी जाये तो जाओ और बिला इजाज़त दावत नाख़्वान्दा मेहमान बनकर ख़ुद ही न पहुँच जाओ। और खाने के इन्तिज़ार में पकने से पहले न जाओ, जब बुलाया जाये तो वक़्त के वक़्त दाख़िल हो (वक़्त पर जाओ) और जब खा चुको तो वहाँ से मुन्तशिर हो जाओ (निकल जाओ), बातों में लगे हुए वहाँ बैठे न रहो।

(3503) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से रिवायत करते हैं हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को नहीं देखा कि आपने अपनी बीवियों में से किसी बीवी के निकाह पर इस क़द्र वलीमा किया हो, जिस क़द्र ज़ैनब के निकाह पर वलीमा किया। क्योंकि आपने एक बकरी ज़िब्ह की थी।

(सहीह बुख़ारी : 5171, अबू दाऊद : 3743, इब्ने माजह : 1908)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا، -قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَىْءٍ - مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً .

(3504) इमाम साहब दो और उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने बताया रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी बीवियों में किसी बीवी से निकाह पर उससे ज़्यादा या

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ . فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ.

बेहतर व उम्दा वलीमा नहीं किया जैसा वलीमा हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) से निकाह करने पर किया। हज़रत साबित बुनानी (रह.) ने पूछा, वो वलीमा क्या था? तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, उन्हें इस क़द्र रोटियाँ और गोश्त खिलाया यहाँ तक कि लोगों ने (सैर होकर) बाक़ी खाना छोड़ दिया।

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है हर निकाह पर बराबर दावते वलीमा करना ज़रूरी नहीं है। मौक़ा महल और हालात के मुताबिक़ जो चाहे खिला सकता है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حَبِيبٍ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ - قَالَ - فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ . زَادَ عَاصِمٌ وَابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلاَثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا - قَالَ - فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(3505) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी(ﷺ) ने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से शादी की। लोगों को खाने की दावत दी वो खाकर बातों में मशग़ूल होकर बैठ गये। आपने उठने का अन्दाज़ा इख़्तियार किया (ताकि सब उठ जायें, फिर भी) कुछ लोग न उठे, तो जब आपने ये सूरते हाल देखी उठ खड़े हुए तो जब आप खड़े हो गये, अक्सर लोग चल पड़े।

आसिम और इब्ने अब्दुल आला की रिवायत में है तीन आदमी बैठे रहे, नबी(ﷺ) (अज़्वाजे मुतह्हरात के पास घूम फिरकर) वापस आये ताकि घर में दाख़िल हों, तो वो (तीनों) बैठे हुए थे। फिर वो भी उठकर रवाना हो गये। मैंने आकर आपको इत्तिलाअ दी कि वो चले गये हैं, तो आप आकर घर में दाख़िल होने लगे और मैं भी दाख़िल होने लगा तो आपने मेरे और अपने दरम्यान पर्दा डाल दिया और अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'ऐ

أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا - قَالَ - فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - قَالَ - وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ } يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ{ إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} .

ईमान वालो! नबी के घरों में दाख़िल न हो मगर ये कि तुमको किसी खाने पर आने की इजाज़त दी जाये, न इन्तिज़ार करते हुए खाने की तैयारी का.... से लेकर .... ये अल्लाह तआला के नज़दीक संगीन बातें हैं।' (सूरह अहज़ाब : 53)
(सहीह बुख़ारी : 4791, 6239, 6271)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ . قَالَ أَنَسٌ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - قَالَ - وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَشَى فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ

(3506) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं पर्दे के अहकाम को सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) भी इसके बारे में मुझसे पूछते थे। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सुबह इस हाल में की कि आप ज़ैनब बिन्ते जहश के दूल्हा बने हुए थे। आपने उनसे मदीना में शादी की थी और लोगों को दिन चढ़े खाने के लिये बुलाया। रसूलुल्लाह(ﷺ) बैठ गये और आम लोगों के उठ जाने के बाद कुछ आदमी आपके साथ बैठ गये। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) उठ खड़े हुए और चल पड़े। मैं भी आपके साथ चला। आप हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे के दरवाज़े तक पहुँच गये। फिर आपने ख़याल किया कि वो लोग चले गये हैं तो आप वापस आ गये। मैं भी आपके साथ लौट आया लेकिन वो तो अभी तक अपनी जगह बैठे हुए थे। इस पर आप दोबारा चले गये और हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे तक पहुँच गये और वहाँ से लौट आये, मैं भी लौट आया तो वो

جा चुके थे। आपने मेरे और अपने दरम्यान पर्दा डाल दिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने पर्दे की आयत नाज़िल फ़रमा दी थी।
(सहीह बुख़ारी : 5466)

بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

(3507) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने शादी की और अपनी अहलिया के पास गये मेरी वालिदा उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने (खजूर, सत्तू और घी का) मालीदा (हैस) तैयार करके एक थाल में रखा और कहा, ऐ अनस! इसको रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में पेश करो और अर्ज़ करो, ये मेरी वालिदा ने आपके लिये पेश किया है और वो आपको सलाम अर्ज़ करती हैं और कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल! ये हमारी तरफ़ से थोड़ा सा हदिया है। मैं उसे लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मेरी माँ आपको सलाम कहती हैं और अर्ज़ करती हैं, ये हमारी तरफ़ से आपके लिये मामूली सा तोहफ़ा है, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'इसे रख दो।' फिर फ़रमाया, 'जाओ मेरी तरफ़ से फ़लाँ, फ़लाँ और फ़लाँ को बुला लाओ।' और (इनके अलावा) जो भी तुम्हें मिले। आपने चंद आदमियों के नाम लिये तो मैं बुला लाया, जिनके आपने नाम लिये और जो मुझे मिले। हज़रत अनस (रज़ि.) के शागिर्द कहते हैं, मैंने पूछा, उनकी तादाद कितनी थी? उन्होंने कहा, तक़रीबन तीन सौ और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'ऐ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ - قَالَ - فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْ بَعَثَتْ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهْىَ تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ -قَالَ - فَذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلاَمَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " ضَعْهُ - ثُمَّ قَالَ - اذْهَبْ فَادْعُ لِي فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا وَمَنْ لَقِيتَ " . وَسَمَّى رِجَالاً - قَالَ - فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتُ . قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ عَدَدَ كَمْ كَانُوا قَالَ زُهَاءَ ثَلاَثِمِائَةٍ . وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَنَسُ هَاتِ

अनस! थाल ले आओ।' लोग अंदर आ गये यहाँ तक कि चबूतरा और हुज्रा भर गया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'दस-दस आदमी हल्क़ा बना लें और हर आदमी अपने आगे से खाये।' सबने सैर होकर खाया। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, एक गिरोह निकलता तो दूसरा गिरोह दाख़िल हो जाता यहाँ तक कि तमाम लोगों ने खाना खा लिया, फिर आपने मुझे फ़रमाया, 'ऐ अनस! उठा लो।' मैंने उठाया तो मैं जान नहीं सका जब मैंने रखा था उस वक़्त खाना ज़्यादा था या जब मैंने उठाया उस वक़्त ज़्यादा था। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं लोगों में से कुछ हज़रात रसूलुल्लाह(ﷺ) के घर में बातों में मशग़ूल होकर बैठ गये और रसूलुल्लाह(ﷺ) भी बैठे हुए थे और आपकी अहलिया दीवार की तरफ़ मुँह फेरकर बैठी हुई थीं। उनका बैठना आप पर गिराँ गुज़रा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) बीवियों को सलाम करने निकल गये। फिर वापस आये, जब उन्होंने आपको वापस लौटे देखा तो वो समझ गये कि वो आपके लिये गिरानी का सबब बने हैं तो वो जल्दी-जल्दी दरवाज़े की तरफ़ लपके और सब निकल गये और रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये और पर्दा लटका कर अंदर दाख़िल हो गये और मैं (पर्दे से बाहर) हुज्रे में बैठा हुआ था। आप थोड़ी देर बाद निकल कर मेरे पास आ गये और ये आयत उतरी और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बाहर

التَّوْرَ " . قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى امْتَلأَتِ الصُّفَّةُ وَالْحُجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ " . قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا - قَالَ - فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ . فَقَالَ لِي " يَا أَنَسُ ارْفَعْ " . قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرِي حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ - قَالَ - وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ فَثَقُلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ثَقُلُوا عَلَيْهِ - قَالَ - فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَرْخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَىَّ . وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَخَرَجَ

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ . قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحْدَثُ النَّاسِ عَهْدًا بِهَذِهِ الآيَاتِ وَحُجِبْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

निकलकर लोगों को सुनाई, 'ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में न दाख़िल हो मगर ये कि तुम को किसी खाने पर आने की इजाज़त दी जाये, न इन्तिज़ार करते हुए खाने की तैयारी का लेकिन जब तुमको बुलाया जाये तो दाख़िल हो, फिर जब खा चुको तो मुन्तशिर हो जाओ (चले जाओ) और बातों में लगे हुए बैठे न रहो, ये बातें नबी के लिये बाइसे अज़ियत (तकलीफ़) थीं, लेकिन वो तुम्हारा लिहाज़ करते थे (शर्म व हया की बिना पर) और अल्लाह तआला हक़ के इज़हार में शर्म नहीं करता (किसी का लिहाज़ नहीं करता) और जब तुमको नबी की बीवियों से कोई चीज़ माँगनी हो तो पर्दे की ओट से मांगो, ये तरीक़ा तुम्हारे दिलों के लिये भी ज़्यादा पाकीज़ा है और उनके दिलों के लिये भी और तुम्हारे लिये जाइज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाओ और न ये जाइज़ है कि तुम उसकी बीवियों से कभी उसके बाद निकाह करो, ये अल्लाह के नज़दीक संगीन बातें हैं।' (सूरह अहज़ाब : 53) हज़रत जअद कहते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, सबसे पहले ये आयत मैंने सुनीं और नबी(ﷺ) की अज़्वाज को पर्दे का हुक्म दे दिया गया। आपने लोगों को गोश्त और रोटी खिलाई उसके साथ ही।

(सहीह बुख़ारी:5163, तिर्मिज़ी:3218,नसाई:6 136)

फ़ायदा : इस हदीस में हुज़ूर(ﷺ) के एक माजिज़े का बयान मौजूद है कि अल्लाह तआला ने आपकी बरकत से चंद आदमियों का खाना तक़रीबन 300 आदमियों को खिलाया। लेकिन खाना फिर भी कम न हुआ और हज़रत अनस (रज़ि.) ये फ़ैसला न कर सके कि खाना अब ज़्यादा है या पहले ज़्यादा था।

नीज़ इस मौक़े पर, औरतों के लिये ख़ुसूसी तौर पर अज़्वाजे मुतह्हरात के लिये जो उम्मत के लिये माँ की हैसियत रखती हैं, पर्दे के अहकाम नाज़िल हुए। जिनकी ये हिक्मत बयान की गई कि अगर किसी को उनसे कोई चीज़ माँगने की ज़रूरत पेश आये तो वो दनदनाता हुआ उनके सामने न चला जाये बल्कि पर्दे की ओट से माँगे क्योंकि ये तरीक़ा तुम्हारे दिलों को भी ज़्यादा पाकीज़ा रखने वाला है और उनके दिलों को भी। अब अगर सहाबा किराम और अज़्वाजे मुतह्हरात के दिलों की पाकीज़गी और तहारत का तरीक़ा पर्दा है और ये तरीक़ा उस ज़ात का तजवीज़ किया हुआ है जिसने इंसान का दिल बनाया है और उसकी कमज़ोरियों से अच्छी तरह वाक़िफ़ है तो अब हमारे लिये ये कहना किस तरह जाइज़ हो सकता है कि पर्दा तो दिल की हया का नाम है। अगर आँख में शर्म है और दिल में हया है तो पर्दे की क्या ज़रूरत? क्या आँख में शर्म और दिल में हया पर्दे के बग़ैर मुम्किन है या हमारी आँखों में शर्म और दिल में हया, सहाबा किराम (रज़ि.) और अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) से भी बढ़कर है जिनके लिये हर मुसलमान की आँख में एहतिराम व अक़ीदत का जज़्बा और हर मुसलमान के दिल में मुहब्बत व इज़्ज़त का दाइया मौजज़न (कूट कूट के भरा) था और है अगर उनको पर्दे की ज़रूरत थी तो आज तो उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है जबकि शर्म व हया का जनाज़ा भी निकल चुका है और औरतें तंग, चुस्त, नीम उरयाँ बल्कि शोख़ व शंग, रंग-बिरंग के ज़र्क़ व बर्क़ लिबास ज़ेबतन करके, शमए महफ़िल बनने की शौक़ीन, सड़कों, बाज़ारों, दफ़्तरों, अस्पतालों में दावते नज़ारा देती फिरती हैं और गेंग रेप के वाक़िया आम हो रहे हैं बल्कि घरों तक से जवान लड़कियों को उठाया जा रहा है। दिन-बदिन ये मसला शिद्दत और संगीन सूरत इख़्तियार कर रहा है और अब तो नन्हे-मुन्ने बच्चों को उठाकर बदफ़ेअली करके क़त्ल करने के वाक़ियात दिन-बदिन बढ़ रहे हैं और नौजवान बच्चों-बच्चियों के साथ बदफ़ैअली के वाक़ियात की वीडियो बनाकर उनके माँ-बाप को ब्लैकमेल किया जा रहा है और वीडियो दिखाने की धमकियाँ देकर उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं।

(3508) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब नबी(ﷺ) ने हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) से शादी की तो हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने उन्हें पत्थर के बर्तन में मालीदा पेश किया। हज़रत अनस बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जाओ और मेरे पास जो मुसलमान भी तुम्हें मिले, ले आओ।' मुझे जो भी मिला मैंने उसे आपकी ख़िदमत में हाज़िर

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ أَهْدَتْ لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبْ فَادْعُ لِي مَنْ

لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدَعْ أَحَدًا لَقِيتُهُ إِلاَّ دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَخَرَجَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ‏}‏ قَالَ قَتَادَةُ غَيْرَ مُتَحَيِّنِينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ ‏{‏ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏

होने के लिये कहा, वो आपके पास आते-जाते और खाकर निकल जाते। नबी(ﷺ) ने अपना हाथ मुबारक खाने पर रखा। उसमें बरकत की दुआ फ़रमाई और अल्लाह तआला को जो कलिमात मन्ज़ूर थे वो उसकी ख़ातिर पढ़े। मैंने किसी भी मिलने वाले को दावत देना नहीं छोड़ा (हर मिलने वाले को दावत दी) लोगों ने सैर होकर खाया और निकल गये और उनमें कुछ लोग रह गये और उन्होंने तवील बातचीत की और नबी(ﷺ) (करीमुन्नफ़्स की बिना पर) उन्हें कुछ कहने से शर्म महसूस करने लगे और उन्हें घर में छोड़कर बाहर निकल आये तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'ऐ ईमान वालो! जब तक तुम्हें इजाज़त न दी जाये तुम नबी के घरों में न जाया करो, खाने के लिये ऐसे वक़्त में कि उसके पकने का इन्तिज़ार करते रहो बल्कि जब बुलाया जाये, जाओ और जब खा चुको, निकल खड़े हो। वहीं बातों में मशग़ूल न हो जाया करो, नबी को तुम्हारी इस हरकत से तकलीफ़ होती है, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते और अल्लाह तआला हक़ के इज़हार से नहीं शर्माता और जब तुम उनसे (नबी की बीवियों से) कोई चीज़ माँगो तो पर्दे की ओट से माँगो। यही तरीक़ा तुम्हारे दिलों के लिये भी ज़्यादा पाकीज़ा और उनके दिलों के लिये भी।'

बाब 16 : दावत देने वाले की दावत क़ुबूल करने का हुक्म

باب الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ

(3509) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी को वलीमे की दावत के लिये बुलाया जाये तो उसे जाना चाहिये।'
(सहीह बुख़ारी : 5173)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا " .

(3510) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नबी(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी को दावते वलीमा दी जाये तो वो क़ुबूल कर ले।' उबैदुल्लाह के शागिर्द ख़ालिद कहते हैं कि उबैदुल्लाह इसको शादी की दावत पर महमूल करते हैं (जबकि कुछ के नज़दीक इस दावते वलीमा से मुराद हर इज्तिमाई दावत है)।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ " . قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عُبَيْدُ اللَّهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ .

(3511) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी को शादी की दावत के लिये बुलाया जाये तो क़ुबूल कर ले।'
(इब्ने माजह : 1914)

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ " .

(3512) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'दावत के लिये हाज़िर हो जब तुम्हें दावत दी जाये।'
(अबू दाऊद : 3738)

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ " .

(3513) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नबी(ﷺ) से रिवायत करते थे कि आपने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी का भाई दावत दे तो वो क़ुबूल कर ले शादी की दावत हो या उस जैसी और तक़रीब।'

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ " .

(3514) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसे शादी की दावत दी जाये या उस जैसी तक़रीब की तो वो क़ुबूल कर ले।'
(अबू दाऊद : 3739)

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ " .

(3515) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'दावत में हाज़िर हो जब तुम्हें दावत दी जाये।'
(तिर्मिज़ी : 1098)

حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ، أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ".

(3516) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस दावत को क़ुबूल करो जब तुम्हें उसके लिये बुलाया जाये।' और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बक़ौल नाफ़ेअ (रह.) हर दावत में हाज़िर होते थे शादी की हो या कोई और और उसमें रोज़े की हालत में भी हाज़िर होते थे।
(सहीह बुख़ारी : 5179)

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا " . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ .

(3517) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुम्हें बकरी के पाये की भी दावत दी जाये तो उसे क़ुबूल करो।'

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا "

(3518) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तुममें से किसी को खाने की दावत दी जाये, वो क़ुबूल करे। अगर चाहे तो खा ले और चाहे तो न खाये।' इब्ने मुसन्ना की रिवायत में इला तआम (खाने के लिये) का लफ़्ज़ नहीं है।
(अबू दाऊद : 3740)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى " إِلَى طَعَامٍ " .

फ़ायदा : दावते वलीमा का इत्लाक़ आम तौर पर शादी के बाद की दावत के लिये होता है और ये दावत ज़ाहिरिया, इमाम मालिक के मशहूर क़ौल और इमाम शाफ़ेई के एक क़ौल के मुताबिक़ फ़र्ज़ है और शाफ़ेइया के ज़्यादा सहीह क़ौल के मुताबिक़ इस दावत को क़ुबूल करना फ़र्ज़ है और किसी उज़्र की बिना पर इसको छोड़ा जा सकता है। इमाम मालिक और हनाबिला का भी यही क़ौल है। साहिबे हिदाया का रुझान भी इसी तरफ़ है। कुछ ने क़ुबूलियत को फ़र्ज़े किफ़ाया और कुछ ने मुस्तहब क़रार दे दिया है। सहीह क़ौल यही है कि बिला उज़्रे शरई किसी दावत को रद्द नहीं करना चाहिये। जबकि जुम्हूर के नज़दीक दावते वलीमा के सिवा दावत क़ुबूल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन खाना खाना ज़रूरी नहीं है। हाजत हो तो खाये वरना सिर्फ़ हाज़िरी से मुसलमान भाई की दिलजोई करे, उसको दुआ दे।

(3519) इमाम साहब ने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है।
(इब्ने माजह : 1751)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(3520) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से किसी को जब दावत दी जाये तो वो

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ ."

क़ुबूल करे फिर अगर रोज़ेदार हो तो दुआ कर दे और अगर रोज़ा से न हो तो खा ले।'

फ़ायदा : अगर दावत क़ुबूल करने में कोई शरई रुकावट या उ़ज़्र न हो तो उसे रोज़े की हालत में भी क़ुबूल कर लेना चाहिये। अगर साहिबे दावत इसरार करे और रोज़ा नफ़ली हो तो उसको तोड़ा भी जा सकता है, अगर वो इसरार न करे तो फिर रोज़े की हालत में उसके लिये ख़ैर व बरकत और रहमत व मग़फ़िरत की दुआ कर दे या उसके घर में ख़ैर व बरकत के लिये नमाज़ पढ़ ले।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

(3521) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है वो कहा करते थे, उस दावते वलीमा का खाना बहुत बुरा खाना है जिसके लिये दौलतमन्दों को बुलाया जाये और मोहताजों को छोड़ दिया जाये और जिसने उस दावत में शिर्कत न की तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।

(सहीह बुख़ारी : 5177, अबू दाऊद : 3742, इब्ने माजह : 1913)

फ़ायदा : दावते वलीमा हो या आम दावत, उसको अमीरों के लिये मख़्सूस करना या बेहतरीन और आला खानों के लिये उनको तरजीह देना और फ़ुक़रा व मसाकीन को नज़र अन्दाज़ करना, जैसाकि आपकी पेशीनगोई के मुताबिक़ आज-कल हो रहा है ये दावते वलीमा के मक़सद के मुनाफ़ी है। दावत में मोहताजों और ज़रूरतमन्दों का ज़्यादा हक़ है।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَغْنِيَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَغْنِيَاءِ . قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ

(3522) सुफ़ियान (रह.) बयान करते हैं कि मैंने इमाम ज़ोहरी (रह.) से पूछा, ऐ अबू बक्र! ये हदीस़ किस तरह है कि बुरा खाना, अमीरों का खाना है? तो उन्होंने हँस कर कहा, हदीस़ इस तरह नहीं है कि बदतरीन खाना अमीरों का खाना है। सुफ़ियान कहते हैं, मेरे वालिद अमीर थे इसलिये जब मैंने ये हदीस़ सुनी तो मैं घबरा गया (मुझे परेशानी

الزُّهْرِيَّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

लाहिक़ हुई) इसलिये मैंने उसके बारे में ज़ोहरी से पूछा तो उन्होंने मुझे अब्दुर्रहमान अअ्रज के वास्ते से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस़ सुनाई कि बदतरीन खाना वलीमे का खाना है और ऊपर वाली इमाम मालिक की हदीस़ सुनाई।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ . نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.

(3523) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि बदतरीन खाना वलीमे का खाना है, आगे इमाम मालिक की हदीस़ की तरह बयान किया।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ ذَلِكَ

(3524) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا، الأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

(3525) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बदतरीन खाना वलीमे का खाना है हाज़िर होने वालों को महरूम रखा जाता है और उन्हें दावत दी जाती है जो आने से इंकार करते हैं और जिसने दावत को क़ुबूल न किया, तो उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।'

फ़ायदा : आम तौर पर फ़ुक़रा व मसाकीन या मोहताज व ज़रूरतमन्द दावत को बिला हीलो-हुज्जत शौक़ व रग़बत से क़ुबूल कर लेते हैं, लेकिन उनको नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है और अस्हाबे माल व स़रवत, दावत क़ुबूल करने से गुरेज़ करते हैं उसमें शिर्कत के लिये नाज़ो-नख़रे करते हैं बल्कि हाज़िरी को अपना एहसान समझते हैं, लेकिन उनको बाइसरार दावत दी जाती है। जबकि इस्लामी

उख़ुवत व भाईचारे और अख़्लाक़ का तक़ाज़ा ये है कि अगर दावत में किसी मअ़सियत या बिदअ़त व ख़ुराफ़ात का दख़ल न हो तो उसको हर सूरत में क़ुबूल करना चाहिये, अगर दावत में दिखावा, नामवरी और ख़ुद सताई व शोहरत मक़सूद हो या किसी मतलब बरारी के लिये बुलाया हो या कोई शरई क़बाहत (बुराई) हो तो नहीं जाना चाहिये।

बाब 17 : जिस औरत को तीन तलाक़ें मिल चुकी हो, वो तलाक़ देने वाले के लिये उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी जब तक और (दूसरे) ख़ाविन्द से शादी करके उससे ताल्लुक़ात क़ायम न करे और फिर वो उसे अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे और उसकी इद्दत गुज़र जाये

باب لاَ تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا

(3526) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत रिफ़ाआ की बीवी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रिफ़ाआ के निकाह में थी, उसने मुझे तीसरी तलाक़ दे दी, तो मैंने अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से शादी कर ली और उसके पास तो बस कपड़े के डोरे की तरह है (जिसमें तनाव नहीं है) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुस्कुराकर फ़रमाया, 'क्या तू रिफ़ाआ की तरफ़ लौटना चाहती है? ये नहीं होगा जब तक तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ न हो ले और वो तुझसे लज़्ज़त व मिठास हासिल न कर ले (तुम एक-दूसरे से ताल्लुक़ात क़ायम न कर लो)।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत अबू बकर भी आपके पास मौजूद थे और हज़रत ख़ालिद (इब्ने सईद) दरवाज़े पर इजाज़त के मुन्तज़िर खड़े थे। तो उसने बुलंद

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " . قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ

بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

आवाज़ से कहा, ऐ अबू बकर! क्या आप इस औरत को सुन नहीं रहे कि वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने क्या बोल रही है (शर्म व हया वाली बात को बेबाकी से कह रही है)।

(सहीह बुख़ारी : 2639, तिर्मिज़ी : 1118, इब्ने माजह : 1932)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ -قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا . قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا فَقَالَ " لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " . وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ

(3527) नबी(ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रिफ़ाआ क़ुर्ज़ी ने अपनी बीवी को फ़ैसलाकुन तीसरी तलाक़ दे दी। तो उसने उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से शादी कर ली। फिर नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं रिफ़ाआ की बीवी थी, तो उसने मुझे आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी, उसके बाद मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर से शादी कर ली और वो अल्लाह की क़सम! उसके पास तो बस इस फन्दने की तरह है और उसने अपनी बड़ी चादर का डोरा पकड़ लिया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हँसकर मुस्कुराते हुए फ़रमाया, 'शायद तू रिफ़ाआ की तरफ़ लौटना चाहती है, ये नहीं होगा यहाँ तक कि उसकी हलावत व मिठास चख ले और वो तुझसे हलावत व शीरीनी चख ले (तुम दोनों एक-दूसरे से लुत्फ़ अन्दोज़ हो लो) और अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास बैठे हुए और ख़ालिद बिन सईद बिन आस हुजरे के दरवाज़े पर थे। अभी उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। तो ख़ालिद अबू बकर को पुकारने लगे, तुम इस

औरत को उन बातों को खुल्लम-खुल्ला रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने कहने से रोकते क्यों नहीं हो? या डांटते क्यों नहीं हो?

جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

मुफ़रदातुल हदीस : बत्ता तलाक़ी उसने आख़िरी फ़ैसलाकुन तलाक़ दे दी, कोई तलाक़ बाक़ी नहीं छोड़ी यानी आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी जिसके बाद कोई तलाक़ नहीं है।

फ़ायदा : हज़रत रिफ़ाआ क़ुर्ज़ी की बीवी तमीमा बिन्ते वहब के वाक़िये से ये बात साबित होती है कि जब औरत को अलग-अलग तीन तलाक़ें मिल जायें तो वो तीसरी तलाक़ के बाद पहले ख़ाविन्द के लिये उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकती, जब तक वो किसी और ख़ाविन्द से निकाह करके उससे ख़ुशदिली के साथ आबाद रहने के लिये ताल्लुक़ाते ज़न व शौहर क़ायम न कर ले। क्योंकि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर साहिबे औलाद थे लेकिन ये दूसरी बीवी उनसे ख़ुशदिली के साथ ताल्लुक़ात क़ायम नहीं करती थी इसलिये उन्हें इन्तिशार नहीं होता था या उसकी तसल्ली नहीं होती थी जबकि ये असल में पहले ख़ाविन्द को दिल दे चुकी थी, इसलिये आपने फ़रमाया, 'अपने ख़ाविन्द से ख़ुद भी लज़्ज़त अन्दोज़ हो और उसको भी लुत्फ़ अन्दोज़ होने का मौक़ा दे।

हज़रत सईद बिन मुसय्यब के सिवा तमाम सहाबा व ताबेईन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है और यही दुरुस्त है कि अगर दूसरा ख़ाविन्द ताल्लुक़ात क़ायम करने के बाद अगरचे इन्ज़ाल न भी हो, अपनी मर्ज़ी और इरादे से बिला किसी शर्त व जबर या हीला के तलाक़ दे तो वो इद्दत गुज़ारने के बाद पहले ख़ाविन्द से शादी कर सकती है और हज़रत सईद बिन मुसय्यब के नज़दीक सिर्फ़ निकाह करना काफ़ी है जबकि हसन बसरी के नज़दीक इन्ज़ाल शर्त है।

(3528) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रिफ़ाआ क़ुर्ज़ी ने अपनी बीवी को (आख़िरी) तलाक़ दे दी तो उससे अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर ने शादी कर ली, वो आकर रसूलुल्लाह(ﷺ) को कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! रिफ़ाआ ने तीन तलाक़ों की आख़िरी तलाक़ दे दी है। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

(सहीह बुख़ारी : 6084, नसाई : 6/147)

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلاً فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ قَالَ " لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا " .

(3529) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से ऐसी औरत के बारे में पूछा गया जिससे एक आदमी शादी करता है फिर उसे तलाक़ दे देता है और वो दूसरे मर्द से शादी कर लेती है और वो उससे ताल्लुक़ात क़ायम करने से पहले ही तलाक़ दे देता है। क्या वो अपने पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल है? (वो उससे निकाह कर सकता है?) आपने फ़रमाया, 'नहीं! जब तक वो उससे (लुत्फ़ अन्दोज़ न हो ले)।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(3530) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत हिशाम की सनद से बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 5265)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " لاَ حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ " .

(3531) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं तो उस औरत ने एक और आदमी से निकाह कर लिया। फिर उसे ताल्लुक़ात क़ायम करने से पहले ही तलाक़ दे दी। तो उसके पहले ख़ाविन्द ने उससे निकाह करना चाहा, उसके बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'नहीं! जब तक दूसरा भी उससे पहले की तरह लज़्ज़त हासिल न कर ले।'

(सहीह बुख़ारी : 5261, नसाई : 3412)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا

(3532) इमाम साहब दो और उस्तादों से उबैदुल्लाह की सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

يحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ

باب مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

बाब 18 : ताल्लुक़ात (हम बिस्तरी) के वक़्त कौनसी दुआ करना पसन्दीदा है (जिमाअ के वक़्त की पसन्दीदा दुआ)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالاَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا " .

(3533) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुममें से कोई बीवी से ताल्लुक़ात क़ायम करते वक़्त ये दुआ पढ़ ले, 'बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्-म जन्निब्नश्शैता-न व वजन्निबिश्शैता-न मा रज़क़्तना (अल्लाह के नाम से! ऐ अल्लाह! हमें शैतान के (शर से) बचा और हमको जो औलाद दे उससे भी शैतान को दूर रख) तो अगर उस मुबाशिरत के नतीजे में उनके लिये बच्चा मुक़द्दर होगा तो शैतान कभी उसका कुछ बिगाड़ न सकेगा (वो हमेशा शैतान के शर से महफ़ूज़ रहेगा)।'

(सहीह बुख़ारी : 141, 3271, 3283, 5165, 6388, 7396, अबू दाऊद : 2161, तिर्मिज़ी : 1092, इब्ने माजह : 1919)

फ़ायदा : हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, इस हदीस से मालूम होता है कि अगर मुबाशिरत (हम बिस्तरी) के वक़्त अल्लाह तआला से इस तरह की दुआ न की जाये और अल्लाह तआला से ग़ाफ़िल रहकर जानवरों की तरह शहवते नफ़्स का तक़ाज़ा पूरा कर लिया जाये, तो ऐसी मुबाशिरत से जो औलाद पैदा होगी वो शैतान के शर से महफ़ूज़ नहीं रहेगी और इस दौर में पैदा होने

वाली नस्ल के अहवाल, अख़्लाक़ जो आम तौर पर ख़राब व बर्बाद हैं उसकी ख़ास बुनियाद यही है। अल्लाह तआला हमें हुज़ूर(ﷺ) की हिदायात और इरशादात से फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये और उनकी क़द्र शनासी की हिम्मत व हौसला दे।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ " بِاسْمِ اللَّهِ " . وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ " بِاسْمِ اللَّهِ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أُرَاهُ قَالَ " بِاسْمِ اللَّهِ " .

(3534) इमाम साहब अपने चार और उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हैं लेकिन शोबा की रिवायत में बिस्मिल्लाह का ज़िक्र नहीं है और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की रिवायत में बिस्मिल्लाह का ज़िक्र है और इब्ने नुमैर की रिवायत में है मन्सूर ने कहा, मेरा ख़्याल है उस्ताद ने बिस्मिल्लाह का लफ़्ज़ कहा।

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से मन्क़ूल है कि फ़राग़त के वक़्त ये दुआ करे, अल्लाहुम्-म ला तज्अल लिश्शैतान फ़ीमा रज़क़्तनी नसीबा ऐ अल्लाह! तू मुझे जो औलाद दे उसमें शैतान का दख़ल न रखना (उसका हिस्सा न हो)।

باب جَوَازِ جِمَاعِهِ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلدُّبُرِ

बाब 19 : बीवी से ताल्लुक़ात क़ुबुल में क़ायम किये जायेंगे, आगे से करे या पीछे से, दुबुर से तअर्रुज़ (छेड़छाड़) नहीं किया जायेगा (बीवी की शर्मगाह में हर जहत (जानिब) से ताल्लुक़ात क़ायम करना जाइज़ है)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ -

(3535) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि यहूदी कहते थे, अगर मर्द अपनी बीवी के अगले हिस्से पीछे से (आगे) मुबाशिरत

قالُوا حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

करेगा तो बच्चा भेंगा पैदा होगा। इस सिलसिले में ये आयत नाज़िल हुई, 'तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तो तुम अपनी खेती में जिस तरफ़ से चाहो आओ।' (सूरह बक़रह : 223)

(तिर्मिज़ी : 2978, इब्ने माजह : 1925)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ، بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ يَهُودَ، كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ . قَالَ فَأُنْزِلَتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

(3536) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि यहूदी कहते थे कि जब औरत की अन्दाम नहानी में पिछली जहत (दुबुर) से मुबाशिरत की जाये और हमल ठहर जाये तो बच्चा भेंगा पैदा होगा। इस पर ये आयत उतरी, 'तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तुम अपनी खेती में जैसे चाहो आओ।'

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ،

(3537) इमाम साहब अपने छः उस्तादों से हज़रत जाबिर की मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं नोमान अपनी हदीस में ज़ोहरी से ये इज़ाफ़ा बयान करते हैं, अगर चाहे तो बीवी को उल्टा लिटाये, और चाहे तो किसी और जहत से मुबाशिरत करे (सीधा लिटाकर, पहलू पर लिटाकर, उकड़ू करके) लेकिन मुबाशिरत एक ही सूराख़ (जो खेती का महल है) में होगी।

(सहीह बुख़ारी : 4528, अबू दाऊद : 2163)

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ .

फ़ायदा : अलग-अलग हदीसों और आयतों से ये बात साबित होती है कि मुबाशिरत का एक महल और जगह है जिसको कुरआन मजीद ने खेती के इन्तिहाई जामेअ और बलीग़ लफ़्ज़ से ताबीर किया है और निकाह व मुबाशिरत के असल मक़सद को भी वाज़ेह कर दिया है कि मुबाशिरत से मक़सूद औलाद का हुसूल और नस्ले इंसानी की अफ़ज़ाइश है। खेती में बीज, उसको ज़ाया करने के लिये नहीं डाला जाता और इससे ये भी साबित हुआ कि हालते तुहुर या हैज़, किसी सूरत में भी, महल्ले कश्त को छोड़कर महल्ले फ़र्स व पाख़ाना की जगह में नहीं आया जा सकता। खेती में आने के लिये कोई भी जहत और कैफ़ियत इख़्तियार की जा सकती है। लेकिन जगह हर सूरत में एक ही रहेगी जो बीज डालने का महल है और मक़सूद हुसूले औलाद होगा।

बाब 20 : औरत के लिये अपने ख़ाविन्द के बिस्तर पर आने से रुकना नाजाइज़ है

باب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

(3538) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया, 'जब औरत अपने ख़ाविन्द के बिस्तर से (बिला उज़्र व मजबूरी) अलग होकर रात गुज़ारती है तो फ़रिश्ते सुबह होने तक उस पर लानत भेजते हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 5194)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .

(3539) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, जिसमें (सुबह होने तक की बजाय) ये अल्फ़ाज़ हैं यहाँ तक कि वो बिस्तर की तरफ़ लौट आये। (सहीह बुख़ारी : 5194)

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " حَتَّى تَرْجِعَ " .

(3540) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है! जिस मर्द की बीवी उसे अपने बिस्तर पर बुलाने पर, उसके पास आने से इंकार कर देती है तो वो ज़ात जो ऊपर है, उस वक़्त तक उससे नाराज़ रहती है, जब तक शौहर उससे राज़ी नहीं हो जाता।'

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا " .

(3541) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर आने की दावत देता है और वो उसके पास नहीं आती जिससे वो नाराज़ी की हालत में रात बसर करता है तो फ़रिश्ते सुबह होने तक उस पर लानत भेजते हैं।'
(सहीह बुख़ारी : 3237, 5193, अबू दाऊद : 2141)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ " .

फ़ायदा : बीवी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ख़ाविन्द की ख़्वाहिश का एहतिराम करे और उसके तलब करने या उसकी ख़्वाहिश के मुताबिक़ उसके बिस्तर पर हाज़िर होकर और बिला किसी उज़्र व

मजबूरी, हाज़िरी से इंकार न करे। हालते हैज़ में भी ताल्लुक़ाते ज़न व शौहर से बचते हुए, आपसी मेल-जोल और मुहब्बत व प्यार के इज़हार में कोई हर्ज नहीं है। हाँ अगर जिमाअ का ख़तरा हो तो फिर ख़ाविन्द को एहतिराज़ करना चाहिये और अगर ख़ाविन्द इसकी ख़ातिर बुलाये, तो औरत को इंकार कर देना चाहिये। अगर वो बिला शरई उज़्र या मजबूरी (बीमारी, लाग़री वग़ैरह) के इंकार करती हैं, तो फिर वो फ़रिश्तों की लानत की मुस्तहिक़ ठहरती है।

बाब 21 : औरत से मुबाशिरत का राज़ ज़ाहिर करना हराम है

باب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

(3542) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ वो इंसान बदतरीन दर्जे में होगा, जो अपनी बीवी के पास जाता है और वो उससे हमबिस्तरी करती है फिर वो उसका राज़ फ़ाश कर देता है।'

(अबू दाऊद : 4870)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " .

(3543) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन वो इंसान सबसे बड़ा अमानत में ख़यानत करने वाला होगा जो अपनी बीवी के पास जाता है और वो अपने आपको उसके हवाले कर देती है, फिर वो उसके राज़ को ज़ाहिर कर देता है।' इब्ने नुमैर की रिवायत में अअ़ज़म से पहले मिन नहीं है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ، بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا " . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ " إِنَّ أَعْظَمَ " .

फ़ायदा : मियाँ-बीवी एक-दूसरे से हमबिस्तरी लोगों से छिपकर करते हैं, जो इस बात की अलामत है कि ये एक पोशीदा काम है, जिसका इज़हार दुरुस्त नहीं है। इसलिये अगर मियाँ-बीवी इस हरकत व अमल का नक़्शा दूसरों के सामने खींचते हैं तो ये अमानत में ख़यानत और छिपे हुए राज़ को उजागर करना है जो इन्तिहाई क़बीह (बुरी) हरकत और अल्लाह के यहाँ क़ाबिले पकड़ अमल है।

बाब 22 : अज़्ल का हुक्म (इन्ज़ाल के वक़्त बीवी को अलग करके मनी (पानी) बाहर ख़ारिज करना ताकि हमल न ठहरे)

باب حُكْمِ الْعَزْلِ

(3544) इब्ने मुहैरीज़ से रिवायत है कि मैं और अबू सिर्मा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो अबू सिर्मा ने उनसे पूछा, ऐ अबू सईद! क्या आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अज़्ल के बारे में सुना है? उन्होंने कहा, हाँ! हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए-बनू मुस्तलिक़ (ग़ज़्व-ए-मरीसीअ) में शरीक हुए तो हमने अरब की मुअज़्ज़ज़ औरतों को क़ैदी बना लिया। हमें औरतों से अलग हुए काफ़ी अरसा हो गया था या औरतों से अलग होना हमारे लिये शाक़ गुज़र रहा था और हम उनके फ़िद्ये के भी ख़्वाहाँ थे (जो हामिला होने की सूरत में उन्हें फ़रोख़्त करना मुम्किन न था) इसलिये हमने चाहा उनसे लुत्फ़ अन्दोज़ हों और अज़्ल करें, फिर हमने सोचा कि हम ये काम रसूलुल्लाह(ﷺ) की मौजूदगी में उनसे पूछे बग़ैर ही कर लें। तो हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा आपने फ़रमाया, 'अगर अज़्ल न करो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صِرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صِرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا لاَ نَسْأَلُهُ . فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ

عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ " .

तआला ने क़यामत तक जिस जान के पैदा करने का फ़ैसला किया है वो पैदा होकर रहेगा (अज़्ल इसमें हाइल नहीं हो सकेगा)।'

(सहीह बुख़ारी : 2229, 2542, 4138, 7409, 6603, 5210, अबू दाऊद : 2172)

फ़ायदा : ग़ज़्व-ए-बनू मुस्तलिक़ जिसे ग़ज़्व-ए-मरीसीअ भी कहा जाता है, ये 6 हिजरी शअबान में पेश आया बनू मुस्तलिक़ एक क़बीला है और मरीसीअ एक चश्मा है। कराइम करीमा की जमा है। शरीफ़ और नफ़ीस। इ़ज़्बा : बीवियों से अलग होना। सबाया : सबियह की जमा है, क़ैदी लौण्डिया।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا مُوسَى، بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رَبِيعَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(3545) इमाम साहब एक और उस्ताद से यही रिवायत करते हैं, लेकिन उसमें ये है, आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तआला को क़यामत तक जिनको पैदा करना है उनको लिखा जा चुका है (उनके बारे में फ़ैसला हो चुका है)।'

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْزِلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا " وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ " .

(3546) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं हमने जंग में औरतें क़ैद कर लीं। हम उनसे अज़्ल करना चाहते थे। फिर हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसके बारे में पूछा, तो आपने हमें फ़रमाया, 'तुम ये करना चाहते हो? क्या वाकेई तुम ये करते हो? और तुम ये करना चाहते हो? और तुम ये करके रहोगे? जिस रूह को क़यामत तक पैदा होना है वो पैदा होकर रहेगी।'

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ، بْنِ

(3547) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं, आप(ﷺ) ने फ़रमाया,

سِيرِينَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " .

'अगर तुम अ़ज़्ल न करो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो तक़दीर की बात है।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْعَزْلِ " لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " . وَفِي رِوَايَةِ بَهْزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ .

(3548) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से शोबा की अनस बिन सीरीन के वास्ते से सनद से मज़्कूरा हदीस़ बयान करते हैं लेकिन उनकी रिवायत में ये है कि नबी(ﷺ) ने अ़ज़्ल के बारे में फ़रमाया, 'तुम पर कोई हर्ज नहीं है अगर तुम ये काम न करो क्योंकि ये तो तक़दीर की बात है।' हमल का ठहरना, न ठहरना इंसान के बस में नहीं है। बहज़ की रिवायत में है शोबा ने कहा, मअबद ने अनस से पूछा, क्या तूने ये रिवायत अबू सईद से सुनी है? उसने कहा, हाँ!

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرِ بْنِ مَسْعُودٍ، رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ " لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ " لاَ عَلَيْكُمْ " . أَقْرَبُ إِلَى النَّهْيِ .

(3549) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) से अ़ज़्ल के बारे में सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया, 'तुम पर कोई हर्ज नहीं है, अगर तुम ये काम न करो, क्योंकि ये तो तक़दीर की बात है।' इमाम मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, आप(ﷺ) का ये फ़रमाना, 'ला अलैकुम तुम पर कोई हर्ज नहीं।' नही पर ज़्यादा दलालत करता है यानी काम न करना बेहतर है।
(नसाई : 6/107)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ الأَنْصَارِيِّ، . قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " وَمَا ذَاكُمْ " . قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تُرْضِعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهُ . قَالَ " فَلاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ " . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ هَذَا زَجْرٌ .

(3550) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने अ़ज़्ल का ज़िक्र छिड़ा तो आपने पूछा, 'ये क्यों करते हो?' सहाबा ने अ़र्ज़ किया, इंसान की बीवी दूध पिला रही होती है और वो उससे मुबाशिरत करता है, लेकिन वो उसके हामिला होने को पसंद नहीं करता (इसलिये अ़ज़्ल करता है) और एक इंसान की लौण्डी होती है, वो उससे मुबाशिरत करता है और उसका हामिला होना नापसंद करता है। आपने फ़रमाया, 'तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये (हमल) तो तक़दीर की बात है।' इब्ने औ़न कहते हैं, मैंने ये हदीस़ हसन बसरी को सुनाई तो उसने कहा, अल्लाह की क़सम! ये तो गोया कि सरज़निश व तौबीख़ है यानी अ़ज़्ल पर नाराज़ी का इज़हार है।

फ़ायदा : इस हदीस़ से अ़ज़्ल करने की दो वुजूह स़ाबित होती हैं और ये दोनों शख़्सी और इन्फ़िरादी हैं और किसी ख़ास मजबूरी और उ़ज़्र की बिना पर हैं। (1) आज़ाद औ़रत से इन्ज़ाल के वक़्त इसलिये अलग होकर मनी बाहर ख़ारिज करता है क्योंकि वो दूध पिला रही होती हैं और हमल ठहरने की सूरत में, दूध पीने वाले बच्चे की सेहत को ख़तरा लाहिक़ हो सकता है। (2) लौण्डी से अ़ज़्ल इसलिये करना चाहता है ताकि औलाद लौण्डी और गुलाम बनने से महफ़ूज़ हो जाये या उसकी क़ीमत में कमी वाक़ेअ़ न हो जाये या उम्मे वलद बन जाने की सूरत में उसको फ़रोख़्त करना मुम्किन न रहे। आपने जवाब में इरशाद फ़रमाया, ये ख़्याल करना सहीह नहीं है कि अ़ज़्ल किया जायेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, अगर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बच्चा पैदा करने का फ़ैसला हो चुका है तो उसको रोकने की कोई तदबीर कारगर न होगी। अल्लाह तआ़ला का फ़ैसला नाफ़िज़ होकर रहेगा। जैसाकि आगे हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत में तसरीह आ रही है। क्योंकि एक आदमी इस मक़सद से बीवी से अ़ज़्ल करता है कि बीवी को हमल न ठहरे, तो अगर अल्लाह तआ़ला की मशिय्यत बच्चा पैदा करने की होगी तो ऐसा होगा कि वो वक़्त पर अ़ज़्ल न कर सकेगा और मनी अंदर ही ख़ारिज हो जायेगा या अ़ज़्ल करेगा लेकिन मनी का कुछ हिस्सा पहले ही ख़ारिज हो जायेगा और उसे पता भी न चल सकेगा।

इस तरह इंसानी तदबीर नाकाम रहेगी और अल्लाह का फ़ैसला नाफ़िज़ होकर रहेगा। इसलिये इन अहादीस़ की रोशनी में अइम्मा ने अ़ज़्ल को मकरूह ही क़रार दिया है। ख़ुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उ़मर, हज़रत उ़समान और हज़रत अ़ली (रज़ि.) का यही मौक़िफ़ था। क्योंकि उसमें दरहक़ीक़त ग़ैर शऊ़री या शऊ़री तौर पर नस्ले इंसानी की अफ़ज़ाइश को कम करना है और औ़रत की लज़्ज़त को भी मुन्क़तअ़ करना है। हालांकि नबी(ﷺ) ने कस़रते औलाद पर उभारा है और ऐसी औ़रत से निकाह करने की तरग़ीब दी है जो बच्चा पैदा करने वाली हो। अहनाफ़, मवालिक और शवाफ़ेअ़ के नज़दीक आज़ाद औ़रत की इजाज़त और रज़ा के बग़ैर उससे अ़ज़्ल नहीं हो सकता। अब बिल्फ़र्ज़ अगर अ़ज़्ल की इजाज़त भी हो तो उसकी बुनियाद पर ज़ब्ते वलादत की तहरीक और मन्सूबा बन्दी का जवाज़ कैसे निकल सकता है जिसकी बुनियाद ज़मान-ए-जाहिलिय्यत का गुमराहाना नुक्त-ए-नज़र है कि अगर इंसानी नस्ल बढ़ती रहेगी, आबादी में इज़ाफ़ा होता रहेगा तो तमाम इंसानों को रोटी न मिलेगी। गोया जो ज़ात इंसानों को पैदा करती है वो राज़िक़ नहीं है। नऊ़ज़ुबिल्लाह! इंसान ख़ुद अपना राज़िक़ है। शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि शख़्सी और इन्फ़िरादी मस्लिहत का तक़ाज़ा तो अ़ज़्ल हो सकता है, लेकिन नौ़ओ इंसानी की मस्लिहत का तक़ाज़ा यही है कि अ़ज़्ल न किया जाये ताकि विलादत ज़्यादा हो और नस्ले इंसानी बढ़ती रहे।

(3551) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ - يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ - فَقَالَ إِيَّاىَ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ‏.‏

(3552) मअ़बद बिन सीरीन बयान करते हैं कि हमने अबू सईद से पूछा, क्या आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अ़ज़्ल के बारे में कुछ सुना है? उन्होंने कहा, हाँ! आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ، بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ ‏"‏ الْقَدَرُ ‏"‏ ‏.‏

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ قَالَ ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - وَلَمْ يَقُلْ فَلاَ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلاَّ اللَّهُ خَالِقُهَا "

(3553) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने अज़्ल का तज़्किरा हुआ तो आपने पूछा, 'तुम ये काम क्यों करते हो?' और आपने ये नहीं फ़रमाया, 'तुममें से कोई भी ये हरकत न करे।' 'क्योंकि जो जान भी पैदा होनी है अल्लाह उसको पैदा करके रहेगा।'
(सहीह बुख़ारी : 7409, अबू दाऊद : 2170, तिर्मिज़ी : 1138)

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، سَمِعَهُ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَىْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَىْءٌ " .

(3554) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) से अज़्ल के बारे में पूछा गया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तमाम पानी से बच्चा पैदा नहीं होता और जब अल्लाह तआला किसी चीज़ को पैदा करना चाहता है तो उसे कोई चीज़ रोक नहीं सकती।'

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(3555) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : मर्द व औरत का हर ताल्लुक़, हमल का बाइस नहीं बनता। यानी मुबाशिरत से हमल का ठहरना ज़रूरी नहीं है। इंसान बीवी से हम बिस्तरी करता रहता है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता। इसी

तरह इंसान का पूरा या सब मनी, हमल का बाइस नहीं होता। उसका कोई भी जुज़ इसका बाइस बन सकता है बहरहाल हमल का क़रार अल्लाह की मशिय्यत व इरादे पर मौक़ूफ़ है। इंसान की क़ुदरत से बाहर है, इसलिये अज़्ल इंसान के लिये कारगर नहीं हो सकता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ . فَقَالَ " اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " . فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ . فَقَالَ " قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا " .

(3556) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मेरी एक लौण्डी है जो हमारी ख़िदमतगार भी है और हमारे लिये पानी भी फ़राहम करती है और मैं उससे मुबाशिरत करता हूँ और ये नहीं चाहता कि उसे हमल क़रार पाये (क्योंकि हमल और वज़्अे हमल के नतीजे में वो सब काम-काज नहीं कर सकेगी) तो आपने फ़रमाया, 'अगर तू चाहता है तो अज़्ल करके देख ले, क्योंकि उसके लिये जो मुक़द्दर है वो तो होकर ही रहेगा।' कुछ दिन ठहरने के बाद वो आदमी आया और कहने लगा, बान्दी तो हामिला हो गई है। आपने फ़रमाया, 'मैं तुम्हें बता चुका हूँ उसको पैदा होकर रहेगा, जो उसके लिये मुक़द्दर हो चुका है।'

(अबू दाऊद : 2173)

मुफ़रदातुल हदीस : व सानियतुना : अस्सानियह वो ऊँट जिससे पानी खींचा जाता है, चूंकि वो कुँऐं से पानी लाती थी इसलिये उसको सानियह का नाम दिया।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزِلُ

(3557) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी(ﷺ) से पूछा कि मेरी एक लौण्डी है और मैं उससे अज़्ल करना चाहता हूँ तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये काम अल्लाह के इरादे व मशिय्यत में हाइल नहीं

عَنْهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ " . قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ" .

हो सकता।' (कुछ अरसे के बाद) वो आदमी आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! जिस लौण्डी का आप(ﷺ) से ज़िक्र किया था उसे हमल ठहर गया है। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ।' (यानी मैं जो कुछ कहता हूँ वो अल्लाह की तरफ़ से होती है इसलिये यक़ीनी और अटल होता है।)

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ، قَاصُّ أَهْلِ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ .

(3558) इमाम साहब एक और उस्ताद से हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि एक आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ، أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ . زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

(3559) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम नुज़ूले क़ुरआन के ज़माने में अ़ज़्ल किया करते थे। इस्हाक़ की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि सुफ़ियान ने कहा, अगर ये क़ाबिले नह्य काम होता या इससे रोकने की ज़रूरत होती तो हमें क़ुरआन मजीद के ज़रिये इससे रोक दिया जाता।

(सहीह बुख़ारी : 5208, तिर्मिज़ी : 1137, इब्ने माजह : 1927)

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है कि जो काम या अ़मल नबी(ﷺ) के ज़माने में होता रहा और उससे क़ुरआन व सुन्नत में रोका नहीं गया तो ये उसके जवाज़ की दलील है। क्योंकि अगर ये काम नाजाइज़ होता तो रसूलुल्लाह(ﷺ) को वह्ये जली या वह्ये ख़फ़ी के ज़रिये उससे आगाह कर दिया जाता और क़ुरआन या हदीस़ में इसकी नह्य (मनाही) आ जाती।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3560) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में अज़्ल करते थे।

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَنْهَنَا .

(3561) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में अज़्ल किया करते थे, नबी(ﷺ) तक बात पहुँची तो आपने हमें (दो टूक अन्दाज़ में, क़तइयत के साथ) मना नहीं फ़रमाया।

باب تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

बाब 23 : हामिला क़ैदी औरत से मुबाशिरत मना है

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ " لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا " . فَقَالُوا نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ

(3562) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ख़ेमे के दरवाज़े पर एक ऐसी औरत से गुज़रे जिसका ज़मान-ए-विलादत बिल्कुल क़रीब था। तो आपने फ़रमाया, 'शायद वो शख़्स इससे क़ुरबत करना चाहता है?' सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, जी हाँ! तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरा इरादा है कि मैं उस शख़्स पर ऐसी लानत भेजूँ जो क़ब्र में भी उसके साथ

जाये। वो इसको कैसे वारिस़ बनायेगा जबकि वो उसके लिये हलाल नहीं है? वो उससे कैसे ख़िदमत लेगा जबकि वो उसके लिये जाइज़ नहीं है?' मुजिह्ह : क़रीबुल विलादत।

(अबू दाऊद : 2156)

أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ

(3563) इमाम साहब यही रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

फ़ायदा : हामिला औरत से मुबाशिरत जाइज़ नहीं है क्योंकि वज़अे हमल में ताख़ीर के बाइस़, बच्चे के बारे में शुब्हा पैदा हो सकता है कि बच्चा उस मुसलमान का है जिसकी लौण्डी है क्योंकि हमल 6 माह बाद वज़अ हुआ है और मुसलमान का बन सकता है या ये पहले ख़ाविन्द का है और उसने उसकी कश्त (खेती) को सैराब किया है। अगर वो काफ़िर ख़ाविन्द का बच्चा है तो वो उसका वारिस़ कैसे बन सकता है? और अगर वो उस मुसलमान मालिक का बच्चा है तो फिर वो उसको ग़ुलाम कैसे बना सकता है। अपने बेटे को तो ग़ुलाम नहीं बना सकता, इसलिये इस ख़राबी और फ़साद से बचने के लिये शरीअ़त ने ये उसूल मुक़र्रर किया है कि हामिला औरत से मुबाशिरत नहीं हो सकती।

बाब 24 : ग़ीलह् यानी दूध पिलाने वाली औरत से मुजामिअ़त (हम बिस्तरी) जाइज़ है और अ़ज़्ल नापसन्दीदा है

باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ

(3564) हज़रत जुदामह बिन्ते वहब असदिय्यह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'मैंने इरादा किया था कि मैं दूध पिलाने वाली

وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ " . قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ . وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ .

औरत से मुबाशिरत (हम बिस्तरी) करने से मना कर दूँ यहाँ तक कि मुझे याद आया कि रोमी और फ़ारसी दूध पिलाने वाली औरत से मुजामिअत करते हैं और इससे उनकी औलाद को नुक़सान नहीं पहुँचता।' इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, मेरे उस्ताद ख़लफ़ ने जुज़ामह असदिय्या ज़ाल मन्क़ूता के साथ कहा लेकिन सहीह बात दूसरे उस्ताद यहया की ये दाल बिला नुक़्ता है।

(अबू दाऊद · 3882, तिर्मिज़ी : 2076, 2077, नसाई : 2011)

मुफ़रदातुल हदीस़ : ग़ीलह और ग़ैलह : ज़ेर और ज़बर के साथ। दूध पिलाने वाली औरत के साथ मुबाशिरत (हम बिस्तरी) करने को कहते हैं और इब्ने सकीत के नज़दीक हामिला औरत के दूध पिलाने को ग़ीलह कहते हैं।

फ़ायदा : हकीमों का ख़्याल है हामिला औरत के दूध में बीमारी पैदा हो जाती है और ये दूध पीने वाला बच्चा लाग़र और कमज़ोर हो जाता है। इसलिये अरब इस दूध से एहतिराज़ (परहेज़) करते थे। लेकिन दूध में बीमारी और तब्दीली का पैदा होना क़तई यक़ीनी नहीं है। कई बार ये नुक़सान का बाइस बनता है ख़ासकर जबकि बच्चा छोटा हो, इसलिये आपने जब फ़ारसियों और रोमियों के बारे में ये मालूम कर लिया, उन्हें ग़ीलह से नुक़सान नहीं पहुँचता तो आप(ﷺ) ने अरबों के बारे में भी यही फ़ैसला किया कि उन्हें इस काम से मना न किया जाये। अगर कोई एहतिराज़ कर ले तो ये बेहतर है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द 2, पेज नं. 135)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(3565) हज़रत उक्काशा की हमशीरह हज़रत जुदामह बिन्ते वहब (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैं कुछ लोगों के साथ रसूलुल्लाह(ﷺ) की मज्लिस में हाज़िर थी और आप(ﷺ) फ़रमा रहे थे, 'मैंने इरादा कर लिया कि मैं ग़ीलह से रोक दूँ, तो मैंने रोम और फ़ारस के बारे में ग़ौर किया, वो अपने

وسلم فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عنِ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا " . ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ " . زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَهْىَ { وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}

दूध पीते बच्चों की माँ से ताल्लुक़ात क़ायम करते हैं और ये काम उनकी औलाद को कुछ ज़रर नहीं पहुँचाता।' फिर सहाबा किराम ने आपसे अ़ज़्ल के बारे में पूछा, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'ये पोशीदा तौर पर ज़िन्दा को दफ़न करना है।' उबैदुल्लाह ने अपनी रिवायत में अपने उस्ताद मुक़रिअ से ये इज़ाफ़ा किया, ये अमल इस आयत का मिस्दाक़ है, 'जब ज़िन्दा दफ़न की गई से सवाल किया जायेगा।' (सूरह तकवीर : 8)

फ़ायदा : नुत्फ़ा चूंकि औलाद का सबब और बाइस बनता है, इसलिये इसको ज़ाया करना सई लाहासिल (बे फ़ायदा कोशिश करना) करना, अपने तौर पर तुख़्म और बीज को ज़ाया करना है और इस तरह ये गोया अपनी निय्यत और इरादे के ऐतिबार से पोशीदा तौर पर औलाद को ज़ाया करना है लेकिन ये हदीस़ दूसरी हदीस़ के मुनाफ़ी नहीं है। जिसमें आपने यहूद के अ़ज़्ल को मौऊदा सुग़रा क़रार देने की तक्ज़ीब की है। क्योंकि यहूदियों का तसव्वुर ये था कि अ़ज़्ल की सूरत में हमल का क़रार मुम्किन नहीं है। इससे बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता और ये बात क़त्अन ग़लत है, जिस बच्चे के पैदा होने का अल्लाह तआ़ला फ़ैसला कर चुका है वो अ़ज़्ल के बावजूद पैदा होकर रहता है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، الأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " الْغِيَالِ " .

(3566) हज़रत जुदामह बिन्ते वहब असदिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना, आगे अ़ज़्ल और ग़ीलह के बारे में मज़्कूरा बाला सईद बिन अबी अय्यूब की हदीस़ की तरह बयान किया और ग़ीलह की बजाय ग़ियाल कहा।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ نُمَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمَقْبُرِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَ وَالِدَهُ، سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ " . فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلاَدِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ " . وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ " إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلاَ مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلاَ الرُّومَ " .

(3567) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) को बताया कि एक आदमी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मैं अपनी औरत से अज़्ल करता हूँ तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उससे पूछा, 'ये हरकत तुम क्यों करते हो?' तो उस आदमी ने जवाब दिया, मैं उसके बच्चे या औलाद के बारे में डरता हूँ (कि हमल क़रार पकड़ने से दूध पीने वाले बच्चे को नुक़सान पहुँचेगा) इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर ये नुक़सानदेह होता तो फ़ारसियों और रोमियों को नुक़सान पहुँचाता।'

ज़ुहैर ने अपनी रिवायत में बयान किया, 'अगर ये बात है तो अज़्ल न कर, क्योंकि इस काम से फ़ारस और रोम वालों को नुक़सान नहीं पहुँचता।'

इस किताब के कुल बाब 20 और 84 हदीसें हैं।

18

كتاب الرضاع

किताबुर्रिज़ाअ
दूध पिलाना

हदीस़ नम्बर 3568 से 3651 तक

किताबुर्रिज़ाअ का तआरुफ़

रज़ाअत दूध पिलाने वाले को कहते हैं। हक़ीक़ी माँ के अलावा भी बच्चा जिस औरत का दूध पीता है वो उसका जुज़्वे बदन बनता है। उससे बच्चे का गोश्त-पोस्त बनता है, उसकी हड्डियाँ नशो-नुमा पाती हैं, वो रज़ाअत के हवाले से बच्चे की माँ बन जाती है। इसलिये उसके ज़रिये से दूध पिलाने वाली औरत का बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता क़ायम होता है जिसकी बिना पर निकाह का रिश्ता हराम हो जाता है। रज़ाअत की बिना पर ये हुरमत दूध पिलाने वाली औरत, उसकी औलाद, उसके बहन-भाइयों और उनकी औलादों तक उसी तरह पहुँचती है जिस तरह विलादत की बिना पर पहुँचती है। औरत का दूध तब होता है जब बच्चा हो। हमल और बच्चे की पैदाइश के साथ, दूध उतरने के अमल में ख़ाविन्द शरीक होता है। इसलिये दूध पीने वाले बच्चे की रज़ाअत का रिश्ता, दूध पिलाने वाली माँ के ख़ाविन्द और आगे उसके ख़ूनी रिश्तों तक चला जाता है। वो बच्चे या बच्ची का रज़ाई बाप होता है, उसका भाई चाचा होता है, उसका वालिद दादा होता है, उसकी वालिदा दादी होती है, उसकी बहन फूफी होती है अला हाज़ल क़ियास। उन तमाम के साथ हुरमत का रिश्ता उस बच्चे का क़ायम होता है, जिसने दूध पिया या बराहे रास्त उसकी औलाद का। रज़ाअत निकाह की हुरमत का सबब बनती है। मीरास, क़िसास, दियत के सुकूत और गवाही रद्द होने का सबब बनती हैं। इस हिस्से में इमाम मुस्लिम (रह.) ने रज़ाअत के अलावा निकाह, ख़ानदान और ख़्वातीन की आदात के हवाले से कुछ दूसरे मसाइल भी बयान किये हैं। किताबुर्रिज़ाअ हक़ीक़त में किताबुन्निकाह ही का एक ज़ैली हिस्सा है जिसमें रज़ाअत के रिश्तों के हवाले से निकाह के जवाज़ और अद्मे जवाज़ के मसाइल बयान हुए हैं। इसका आख़िरी हिस्सा किताबुन्निकाह का ततिम्मा है।

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الرضاع

18. दूध पिलाना

باب يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُرَاهُ فُلاَنًا " . لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ " .

बाब 1 : रज़ाअत से विलादत की तरह रिश्ते हराम हो जाते हैं

(3568) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ फ़रमा थे मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी, वो हज़रत हफ़्सा के घर आने की इजाज़त तलब कर रहा है। तो मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये आदमी आपके घर में आने की इजाज़त तलब कर रहा है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मेरा ख़याल है ये फ़लाँ है यानी हज़रत हफ़्सा का रज़ाई चाचा है।' तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर फ़लाँ ज़िन्दा होता जो मेरा रज़ाई चाचा था, वो मेरे पास आ सकता था? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ! रज़ाअत से वो तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो विलादत (नसब व ख़ून) से हराम होते हैं।'
(सहीह बुख़ारी: 2646, 3105, 5099, नसाई . 6/102-103)

(3569) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'जो विलादत से हराम हो जाते हैं वो रज़ाअत से भी हराम हो जाता है।'
(नसाई : 6/99)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي، بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ

(3570) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

मुफ़रदातुल हदीस़ : रज़ाअ और रज़ाअत : रा के ज़बर और ज़ेर दोनों तरह से है अहले तिहामा के नज़दीक समिआ से है और अहले नजद के नज़दीक (ज़रब) से, रज़अस्सबिय्यु का मानी होगा बच्चे ने औरत का पिस्तान चूसा।

फ़ायदा : औरत के पिस्तान के दूध का मुद्दते रज़ाअत के दौरान बच्चे के पेट में पहुँचना, चाहे बच्चा ख़ुद चूसे या उसके हलक़ में दूध डाला जाये या नाक के ज़रिये, उसके पेट में दाख़िल कर दिया जाये, इन तीनों सूरतों में रज़ाअत साबित होगी। माँ के अलावा जो औरत दूध मुद्दते रज़ाअत में पिलाती है, वो चूंकि बच्चे की नशोनुमा अपने दूध से करती है और उसके गोश्त, हड्डियों और ख़ून में उसके दूध का दख़ल होता है और वो उसके पालने व पोसने और परवरिश व परदाख़्त में माँ की तरह प्यार व मुहब्बत से तमाम तकालीफ़ और मसाइब बर्दाश्त करती है। इसलिये वो भी माँ के हुक्म में होती है और उसकी औलाद बच्चे के बहन-भाई बन जाते हैं और उसका ख़ाविन्द और उसके अज़ीज़ो-अक़ारिब उसके माँ-बाप के रिश्तेदारों के क़ायम मक़ाम हो जाते हैं और रज़ाअत का हुक्म नसब व ख़ून वाला हो जाता है। इसलिये उम्मत के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ रज़ाई माँ, बहन, बेटी, फूफी, ख़ाला, भतीजी, भान्जी और चाचा, मामू, रज़ाई, बेटे की बीवी और रज़ाई बाप की बीवी, मुहर्रमात में शुमार होंगे। अगरचे रज़ाई बेटे की बीवी और रज़ाई बाप की बीवी में रज़ाअत व मुसाहिरत दोनों का दख़ल है यानी उसके रज़ाई बेटे की बीवी है या रज़ाई बाप की बीवी है। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि नसब और सहर से हराम होने वाले तमाम उसूल और फ़ुरूअ रज़ाअत से भी हराम हो जाते हैं।

बाब 2 : हुरमते रज़ाअत में नर (शौहर) के नुत्फ़े का दख़ल है

باب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ

(3571) हज़रत उरवह बिन ज़ुबैर (रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि अबुल क़ुऐस का भाई अफ़लह आया और उसने उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की, वो आइशा (रज़ि.) का रज़ाई चाचा था और पर्दे के अहकाम नाज़िल हो चुके थे, इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसको इजाज़त देने से इंकार कर दिया। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो उन्हें अपने इस काम (अमल) की ख़बर दी, तो आपने मुझे उन्हें इजाज़त देने का हुक्म दिया।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَىَّ .

(सहीह बुख़ारी : 5103, नसाई : 6/103)

फ़ायदा : अबुल क़ुऐस का भाई अफ़लह जिसको कुछ रिवायात में अबुल जअद कहा गया है और कुछ में इब्नुल क़ुऐस एक आदमी है जो हज़रत आइशा (रज़ि.) का रज़ाई चाचा है, लेकिन उसको अबुल क़ुऐस क़रार देना रावी का वहम है।

और हदीस नम्बर 1 में जिस रज़ाई चाचा को फ़ौतशुदा क़रार दिया गया है वो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का रज़ाई भाई था और ये अफ़लह उनके रज़ाई बाप अबुल क़ुऐस का भाई था और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने दोनों का हुक्म अलग-अलग समझा, इसलिये उसको अंदर आने की इजाज़त न दी। इस हदीस से साबित होता है कि हुरमते रज़ाअत का ताल्लुक़ सिर्फ़ मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) से नहीं है बल्कि उसके ख़ाविन्द के उसूल और फ़ुरूअ से भी है। क्योंकि रज़ाअत में ख़ाविन्द का भी असर और अमल व दख़ल है और ये मसला सबके दरम्यान इत्तिफ़ाक़ी है। अगरचे कुछ सहाबा, ताबेईन और कुछ फ़ुक़हा ख़ाविन्द का दूध में दख़ल तस्लीम नहीं करते थे।

(3572) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरा रज़ाई चाचा, अफ़लह बिन अबुल कुऐस आया। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की और उसमें ये इज़ाफ़ा है, मैंने कहा, मुझे तो बस औरत ने दूध पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया। आपने फ़रमाया, 'तेरे दोनों हाथ या दायाँ हाथ ख़ाक आलूद हो (दूध में ख़ाविन्द की तासीर है)।'

(नसाई : 6/103, इब्ने माजह : 1948)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ " تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ " .

फ़ायदा : इस हदीस़ में अफ़लह को अबुल कुऐस का बेटा बताया गया है, ये रावी का वहम है। अबुल कुऐस, अफ़लह का भाई है जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है और पीछे भी गुज़र चुका है।

(3573) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि उनके पास अबुल कुऐस का भाई अफ़लह पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद आया और उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की और अबुल कुऐस हज़रत आइशा (रज़ि.) का रज़ाई बाप था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! मैं उस वक़्त तक अफ़लह को इजाज़त नहीं दूँगी, जब तक रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछ न लूँ, क्योंकि मुझे अबुल कुऐस ने तो दूध नहीं पिलाया बल्कि मुझे दूध तो उसकी बीवी ने पिलाया है। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं जब रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबुल कुऐस का भाई अफ़लह मेरे पास आने की इजाज़त तलब करने आया था, मैंने आपसे पूछे बग़ैर उसको इजाज़त देना अच्छा नहीं समझा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया,

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ، جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ - وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ آذَنُ لأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ - قَالَتْ - فَقَالَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ائْذَنِي لَهُ " . قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ .

'उसे आने की इजाज़त दे दो।' उरवह (रह.) कहते हैं, इस बिना पर हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती थीं, जिन रिश्तों को नसब व विलादत से हराम क़रार देते हो, उन रिश्तों को रज़ाअत से भी हराम क़रार दो।

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का क़ौल है कि रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो नसब से हराम होते हैं। लेकिन मोत्ता इमाम मालिक में उनका ये तर्ज़े अमल बयान किया गया है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) की बहनों और भतीजियों ने जिन बच्चियों को दूध पिलाया था, हज़रत आइशा (रज़ि.) उनको तो अपने पास आने की इजाज़त देती थीं, लेकिन उनके भाइयों की बीवियों ने जिनको दूध पिलाया था, वो उनके पास नहीं आ सकते थे, जिससे मालूम होता है वो रज़ाअत में मर्द की तासीर की क़ाइल न थीं। इसका जवाब हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर्र ने ये दिया है, अपने महारिम को अपने पास आने की इजाज़त देना ज़रूरी नहीं है। औरत को इख़्तियार है अगर वो किसी को इजाज़त न देना चाहे तो इजाज़त न दे और अल्लामा बाजी ने इसके दो जवाब दिये हैं :

(1) ये क़ौल उनकी अपनी रसूलुल्लाह(ﷺ) से बयान करदा रिवायत के मुनाफ़ी है (बल्कि अपने बयान करदा उसूल के भी मुनाफ़ी है) इसलिये ये रावी का वहम है।

(2) बहनों और भतीजियों की औलाद को तो हर सूरत में आने की इजाज़त देती थीं, लेकिन भाइयों की बीवियों की सिर्फ़ उस औलाद को इजाज़त देती थीं, जो उनके भाइयों के निकाह में आने के बाद की है। जिन बच्चों को उन्होंने उनसे शादी से पहले दूध पिलाया था या बड़ी उम्र के होने की सूरत में दूध पिलाया था, उनको इजाज़त नहीं देती थीं, हालांकि वो रज़ाअते कबीर की क़ाइल हैं और हज़रत शाह वलीउल्लाह का ख़याल है ये हज़रत आइशा (रज़ि.) सिर्फ़ तवर्रोअ और एहतियात के तौर पर करती थीं, जैसाकि हज़रत सौदा (रज़ि.) को आपने इब्ने ज़म्आ से पर्दे का हुक्म दिया था।

وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا . بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ " فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ " . وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ .

(3574) यही हदीस इमाम साहब ज़ोहरी की मज़्कूरा इस्नाद से बयान करते हैं कि अबुल क़ुऐस का भाई अफ़लह उनके यहाँ इजाज़त तलब करने के लिये आया और उसमें ये है, 'ये तेरा चाचा है, तेरा दायाँ हाथ ख़ाक आलूद हो।' और अबुल क़ुऐस उस औरत का ख़ाविन्द था जिसने हज़रत आइशा (रज़ि.) को दूध पिलाया था।

(3575) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरा रज़ाई चाचा मेरे पास आने की इजाज़त तलब करने आया तो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इजाज़त लिये बग़ैर उसको इजाज़त देने से इंकार कर दिया, जब रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने अर्ज़ किया, मेरा रज़ाई चाचा मेरे पास आने की इजाज़त तलब करता था, मैंने उसको इजाज़त देने से इंकार कर दिया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरा चाचा है, वो तेरे पास आ सकता है।' मैंने कहा, मुझे दूध तो औरत ने पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया है। आपने फ़रमाया, 'वो तेरा चाचा है तेरे पास आ सकता है।' (तिर्मिज़ी : 1148)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَىَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ " . قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ " إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ " .

फ़वाइद : (1) हज़रत आइशा (रज़ि.) के तरीक़े से मालूम होता है अगर मसले के बारे में इल्म न हो या शक हो, तो उस पर अहले इल्म से पूछे बग़ैर अमल नहीं करना चाहिये। जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछे बग़ैर अफ़लह को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। **(2)** औरत को ग़ैर महरम से पर्दा करना चाहिये और ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर किसी को घर में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिये। **(3)** महरम को भी इजाज़त लेकर आना चाहिये। **(4)** अगर सवाल करने वाला मुफ़्ती के सामने अपने तौर पर कोई तरजीह या तअलील बयान करे, जो दुरुस्त न हो तो उसको मुनासिब तम्बीह करनी चाहिये। जैसाकि आप हज़रत आइशा की तअलील, मुझे मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया। नीज़ इंकार व ज़जर के तौर पर फ़रमाया, 'तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।'

(3576) इमाम साहब एक और उस्ताद से हिशाम की मज़्कूरा सनद से बयान करते हैं कि अबुल क़ुऐस के भाई ने मुझसे इजाज़त तलब की, आगे मज़्कूरा रिवायत है।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(3577) इमाम साहब एक और उस्ताद से हिशाम ही की सनद से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि उनसे अबुल क़ुऐस ने इजाज़त तलब की, उसको अबुल क़ैस क़रार देना रावी का वहम है क्योंकि वो तो रज़ाई बाप है न कि चाचा।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ .

(3578) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे मेरे रज़ाई चाचा ने मिलने की इजाज़त तलब की जो अबुल जअद था, मैंने उसको वापस लौटा दिया। हिशाम ने बताया वो अबुल कुऐस था। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको ये वाक़िया बताया, आपने फ़रमाया, 'तूने उसे इजाज़त क्यों न दी? तेरा दायाँ हाथ या (सिर्फ़) हाथ ख़ाक आलूद हो।'
(नसाई : 6/103)

وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتِ، اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ - قَالَ لِي هِشَامٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ - فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ قَالَ " فَهَلاَّ أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ" .

(3579) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे अफ़लह नामी रज़ाई चाचा ने मुझसे मिलने की इजाज़त तलब की, मैंने उससे पर्दा किया, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) को बताया तो आपने उन्हें फ़रमाया, 'उससे पर्दा न करो, क्योंकि रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो नसब से हराम होते हैं।'
(सहीह बुख़ारी : 2644, नसाई : 6/99, 6/104)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - يُسَمَّى أَفْلَحَ - اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهَا " لاَ تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ، لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي . فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ " .

(3580) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझसे अफ़लह बिन क़ुऐस ने मिलने की इजाज़त तलब की तो मैंने इजाज़त न दी। उसने पैग़ाम दिया, मैं तेरा चाचा हूँ। मेरे भाई की बीवी ने तुम्हें दूध पिलाया है। मैंने इजाज़त देने से (फिर भी) इंकार कर दिया। रसूलुल्लाह(ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपको ये वाक़िया बताया। आपने फ़रमाया, 'वो तेरे पास आ सकता है, क्योंकि वो तेरा चाचा है।'

باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

बाब 3 : रज़ाई भाई की बेटी हराम है

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ " وَعِنْدَكُمْ شَىْءٌ " . قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " .

(3581) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते हैं मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या वजह है आप क़ुरैश से इन्तिख़ाब करते हैं और हमें (बनू हाशिम को) नज़र अन्दाज़ कर देते हैं? आपने फ़रमाया, 'तुम्हारे यहाँ कोई रिश्ता है?' मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) की बेटी है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो मेरे लिये हलाल नहीं है। क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है।'

(नसाई : 6/99, 6/100)

मुफ़रदातुल हदीस़ : तनव्वक़ु : असल में ततनव्वक़ु है जो नीक़ा से माख़ूज़ है। आला और उ़म्दा को कहते हैं यहाँ इन्तिख़ाब करना, पसंद करना है।

फ़ायदा : हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) रसूलुल्लाह(ﷺ) के चाचा हैं और आपसे उम्र में दो, चार साल बड़े थे और इन्हें अबू लहब की लौण्डी ने दूध पिलाया था और उस लौण्डी सुवेबह नामी ने आपको भी बाद में दूध पिलाया था। अबू लहब ने सुवेबह को उस वक़्त आज़ाद किया था जब आप(ﷺ) हिज्रत करके मदीना मुनव्वरा जा चुके थे। (तबक़ात इब्ने सअद, जिल्द 1, पेज नं. 108) और हज़रत हम्ज़ह की उस बेटी के नाम में बहुत इख़्तिलाफ़ है। मशहूर नाम अम्मारा है जो मक्का में अपनी वालिदा के पास थी और उमरतुल क़ज़ा से वापसी पर आपके साथ मदीना आ गई थी और आपने उसे हज़रत जअफ़र की हज़ानत (परवरिश) में दे दिया था और इस हदीस़ से मालूम होता है, किसी साहिबे इल्म व फ़ज़ल को अपने ख़ानदान और क़बीले की बच्ची के निकाह की पेशकश की जा सकती है और इस सिलसिले में दूसरी रिवायत की रोशनी में उसके हुस्नो-जमाल का तज़्किरा भी किया जा सकता है, क्योंकि हुस्नो-जमाल भी बाइसे कशिश है।

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(3582) इमाम साहब अपने चार अलग-अलग उस्तादों से अअ्मश की मज़्कूरा सनद से यही हदीस़ बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ، عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ "إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ " .

(3583) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) से अर्ज़ किया गया कि आप हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) की बेटी से निकाह कर लें तो आपने फ़रमाया, 'वो मेरे लिये जाइज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है और रज़ाअत से वो रिश्ता हराम हो जाता है जो रिश्ता नसब से हराम होता है।'

(सहीह बुख़ारी : 2645, 5100, नसाई : 6/100, इब्ने माजह : 1938)

وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءً غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ " ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ " وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " . وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ .

(3584) इमाम साहब अपने तीन अलग-अलग उस्तादों की सनद से हम्माम की मज़्कूरा सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, मगर शोबा की हदीस़ आपके इस क़ौल पर ख़त्म हो गई, 'वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है।' और सईद की रिवायत में है, 'वाक़िया ये है रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं।' (हम्माम की रिवायत में नसब की जगह रहम का लफ़्ज़ और बिश्र बिन उमर की रिवायत में क़तादा ने सिमाअ की तसरीह की है। क़तादा मुदल्लस रावी है इसलिये उसका अन्अना मोतबर नहीं है।

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ . أَوْ قِيلَ أَلاَ تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ " إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ " .

(3585) हज़रत उम्मे सलमा नबी(ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) की बेटी से निकाह करने से क्यों गुरेज़ करते हैं? या आपसे अ़र्ज़ किया गया, आप हम्ज़ह बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब की बेटी को निकाह का पैग़ाम क्यों नहीं देते? आपने फ़रमाया, 'हम्ज़ह मेरा रज़ाई भाई है।'

फ़ायदा : मालूम होता है कि हज़रत हम्ज़ह की बेटी से निकाह का सवाल करने वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि हज़रत हम्ज़ह सिर्फ़ चाचा ही नहीं रज़ाई भाई भी हैं या ये मसला आ़म नहीं हुआ था कि हक़ीक़ी भतीजी की तरह रज़ाई भाई की बेटी से भी निकाह हराम है।

बाब 4 : रबीबह (बीवी की बच्ची) और बीवी की बहन से निकाह नहीं हो सकता

باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ " أَفْعَلُ مَاذَا " . قُلْتُ تَنْكِحُهَا . قَالَ " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ " . قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي . قَالَ " فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي " . قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ . قَالَ " بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ " .

(3586) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ़ियान (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मैंने आपसे अर्ज़ किया, क्या आप मेरी बहन अबू सुफ़ियान की बेटी से रग़बत नहीं रखते? आपने पूछा, मैं क्या करूँ?' मैंने कहा, आप उससे निकाह कर लें। आपने फ़रमाया, 'क्या तू उसको पसंद करती है?' मैंने कहा, मैं अकेली ही तो आपकी बीवी नहीं हूँ और आपकी रिफ़ाक़त की ख़ैर में मुझे अपनी बहन की शराकत बहुत महबूब है। आपने फ़रमाया, 'तेरी मौजूदगी में वो मेरे लिये जाइज़ नहीं है।' मैंने कहा, मुझे बताया गया है कि आप अबू सलमा की बेटी दुर्रह से निकाह करना चाहते हैं। आपने पूछा, 'उम्मे सलमा की बेटी।' मैंने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'अगर वो मेरी गोद में परवरदह (परवरिश में) न होती तो भी मेरे लिये जाइज़ नहीं है क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और उसके बाप को सुवेबह ने दूध पिलाया था। इसलिये मुझे अपनी बेटियों और बहनों की पेशकश न किया करो।'

(सहीह बुख़ारी : 5101, 5106, 5123, 5372, नसाई : 6 94, 6/95, इब्ने माजह : 1939)

وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو، النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ سَوَاءً.

(3587) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने दो और उस्तादों से हिशाम बिन उ़रवह ही की सनद से बयान करते हैं।

फ़ायदा : (1) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) चूंकि आपकी अकेली बीवी नहीं थीं, आपकी और बीवियाँ भी थीं, इसलिये उन्होंने चाहा, जब मेरे साथ और बीवियाँ मौजूद हैं कि मैं उनको गवारा कर रही हूँ तो अपनी बहन को इस शर्फ़ व मन्ज़िलत में शरीक क्यों न कर लूँ, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि एक वक़्त में एक साथ दो बहनें निकाह में नहीं आ सकतीं या वो समझती थीं जिस तरह आप चार से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, उसी तरह दो बहनों से एक ही वक़्त में निकाह भी कर सकते हैं और उनकी उस बहन का नाम जैसाकि आगे आ रहा है अ़ज़्ज़ह था। अगरचे कुछ ने उसका नाम हमना और दुर्रह भी बयान किया है। लेकिन मुस्लिम की रिवायत को तरजीह हासिल है। (2) हज़रत अबू सलमा की बेटी का सहीह नाम दुर्रह ही है। उसको ज़र्रह या हमना का नाम देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह उसको ज़ैनब जिसका पहला नाम बर्रह था क़रार देना भी दुरुस्त नहीं है। (3) रबीबह से मुराद बीवी की पहले ख़ाविन्द से बेटी है, जिसकी दूसरा ख़ाविन्द निगेहदाश्त और सरपरस्ती करता है। अगरचे वो उसकी तर्बियत व किफ़ालत में न हो और गोद की क़ैद अगलबी है यानी आम तौर पर ऐसे होता है ये शर्त और एहतिराज़ के लिये नहीं है। जैसाकि कुरआन मजीद में रिबा के साथ अज़्आफ़म् मुज़ाअफ़ा की क़ैद है। जुम्हूर उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ، كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ

(3588) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा बयान करती हैं कि मुझे हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) नबी(ﷺ) की ज़ौजा मोहतरमा ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मेरी हमशीरा अ़ज़्ज़ह से निकाह कर लें? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा, 'क्या तू इसको पसंद करती है?' मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आपके पास अकेली तो नहीं हूँ और मुझे ये बात इन्तिहाई पसंद है कि आपकी ज़ौजिय्यत के शर्फ़ व भलाई में मेरी

बहन शरीक हो जाये। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उससे निकाह मेरे लिये रवा नहीं है।' तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपस में बातचीत करते हैं कि आप अबू सलमा की बेटी दुर्रह से निकाह करना चाहते हैं। आपने पूछा, 'अबू सलमा की बेटी?' मैंने अर्ज़ की, जी हाँ! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर वो मेरी सरपरस्ती में परवरिश न पाई होती, तो फिर भी मेरे लिये जाइज़ न थी। क्योंकि वो तो मेरे रज़ाई भाई की बीवी है, मुझे और अबू सलमा को सुवेबह ने दूध पिलाया था। इसलिये मुझ पर अपनी बेटियों और बहनों को पेश न किया करो।

شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَإِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ‏"‏ ‏.‏

(3589) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो और उस्तादों की सनद से यज़ीद बिन अबी हबीब के वास्ते से ज़ोहरी की सनद से बयान करते हैं, लेकिन किसी ने यज़ीद बिन अबी हबीब के सिवा अज़्ज़ह का नाम नहीं लिया।

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْهُ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏.‏

बाब 5 : एक-दो बार पिस्तान चूसना

باب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَيْنِ

(3590) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक-दो बार दूध चूसने से हुरमते रज़ाअत साबित नहीं होती।'

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ

سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ سُوَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

(अबू दाऊद : 2063, तिर्मिज़ी : 1150, नसाई : 6/101, इब्ने माजह : 1941)

मुफ़रदातुल हदीस : मस्सह (नून, सीन) एक बार पिस्तान चूसना।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ، - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ، اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ " . قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ .

(3591) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं और अल्फ़ाज़ यहया के हैं, हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक बदवी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, जबकि आप मेरे घर में थे। उसने अर्ज़ किया, 'ऐ अल्लाह के नबी! मेरी एक बीवी थी, उसकी मौजूदगी में मैंने एक औरत से शादी कर ली, मेरी पहली बीवी का दावा है कि उसने मेरी नई बीवी को दूध पिलाया है एक या दो बार। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक दो चुस्कियों से हुरमत साबित नहीं होती।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي،

(3592) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) से रिवायत है बनू आमिर बिन सअसआ के एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ " لاَ " .

नबी! क्या एक दो-बार दूध चूसने से हुरमत साबित होती है? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं।'

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ أَوِ الْمَصَّتَانِ " .

(3593) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करती हैं, अल्लाह के नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'एक-दो बार रज़अत (दूध पिलाने) या एक-दो बार मस्सह (चूसने) से हुरमत साबित नहीं होती।'

मुफ़रदातुल हदीस : रज़अतुन और मस्सतुन या इम्लाजह : का मानी एक बार चूसना है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَاقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ " أَوِ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّتَانِ " . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ " وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ " .

(3594) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं, इस्हाक़ ने रज़अतान और मस्सतान कहा और इब्ने अबी शैबा ने रज़अतान व मस्सतान कहा। (मानी में कोई फ़र्क़ नहीं है)।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ " .

(3595) हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक बार और दो बार दूध चूसना हराम क़रार नहीं देता।

(3596) हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) से रिवायत है एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा, क्या एक बार चूसना हराम क़रार देता है? आपने फ़रमाया, 'नहीं।'

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ " لاَ " .

फ़वाइद : (1) हदीस में रज़ाअत के लिये तीन लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए। मस्सह : इसका मानी होता है पिस्तान चूसना। बच्चा जब एक बार औरत का दूध चूस लेता है, चाहे वो एक क़तरा ही हो, तो ये मस्सह कहलाता है। इम्लाजह : इसका मानी होता है, औरत का बच्चे के मुँह में अपना पिस्तान डाल देना। जब औरत ने पिस्तान बच्चे के मुँह में डाल दिया, फिर बच्चे ने निकाल दिया, तो ये इम्लाजह होगा। मर्ज़अह : इसका मानी अल्लामा शीराजी ने मुहज़्ज़ब में और इब्ने कुदामा ने अल्मुग़नी में और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद जिल्द 5, पेज नं. 511 मक्तबा अल्फ़ुरक़ान में ये बयान किया है कि बच्चा जब औरत का पिस्तान मुँह में डालकर पीना शुरू कर दे और सैर होकर अपनी मर्ज़ी से बिला किसी सबब और वजह के छोड़ दे, तो ये एक मर्ज़अह होगा, अगर साँस लेने के लिये या किसी चीज़ को देखकर उसमें दिलचस्पी लेते हुए छोड़ा और फिर फ़ौरन दोबारा पीना शुरू कर दिया या एक पिस्तान को छोड़कर फ़ौरन दूसरा शुरू कर दिया तो ये एक ही रज़्अह होगा। जिस तरह इंसान खाना खाता है दरम्यान में पानी भी पी लेता है। एक खाना छोड़कर दूसरे किस्म का खाना खाना शुरू कर देता है, तो ये एक बार खाना (अक्लह) ही तसव्वुर होता है। **(2)** मिक़्दारे रज़ाअत में अइम्मा का इख़्तिलाफ़ है। मशहूर अक़्वाल और मसालिक तीन हैं (1) रज़ाअत कम हो या ज़्यादा हर सूरत में हुरमत साबित होगी, एक घूंट जिससे रोज़ा इफ़्तार हो जाता है, वो बाइसे हुरमत है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक का यही मौक़िफ़ है। इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। इमाम बुख़ारी ने भी इसी को इख़्तियार किया है, बल्कि इमाम लैस बिन सअद ने इसको इज्माई मसला क़रार दिया है। (ज़ादुल मआद, जिल्द 5, पेज नं. 507) लेकिन इमाम शौकानी ने लैस बिन सअद को इमाम शाफ़ेई का हमनवा क़रार दिया है। (अद्दरारिल मुज़य्यिअह, जिल्द 2, पेज नं. 212)

बहरहाल अक्सरियत का मौक़िफ़ यही है। (2) एक-दो बार रज़्अह से हुरमत साबित नहीं होती, तीन और इससे ज़्यादा रज़्अह से हुरमत साबित होगी। इमाम अबू सौर, अबू उबैद, इब्नुल मुन्ज़िर, दाऊद ज़ाहिरी का नज़रिया यही है और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। (3) हुरमत के लिये कम से कम पाँच रज़्आत होना ज़रूरी है इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद का राजेह क़ौल, इमाम इब्ने हज़्म और इस्हाक़ बिन राहवे का यही मौक़िफ़ है और सहीह हदीस की रू से जैसाकि आगे आ रही है,

ये राजेह क़ौल है क्योंकि रज़ाअत से असल मक़्सूद यही है कि वो बच्चे के जिस्म की तामीराना तश्कील में असर अन्दाज़ हो उसके गोश्त व पोस्त और हड्डियों में उसका दख़ल हो। तफ़्सील के लिये देखिये हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जिल्द 2, पेज नं. 131-132। (4) हुरमत के लिये दस रज़्आत की ज़रूरत है हज़रत आइशा (रज़ि.) और हफ़्सा (रज़ि.) से मन्क़ूल है।

बाब 6 : हुरमत पाँच रज़्आत से साबित होती है

باب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

(3597) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं क़ुरआन मजीद में नाज़िल हुआ था कि दस यक़ीनी रज़्आत से हुरमत लाज़िम ठहरती है। फिर उन रज़्आत को पाँच यक़ीनी रज़्आत से मन्सूख़ कर दिया गया और रसूलुल्लाह(ﷺ) की वफ़ात तक (कुछ लोग) उनकी क़ुरआन की तरह क़िरअत करते थे।

(अबू दाऊद : 2062, तिर्मिज़ी : 1150, नसाई : 6/100, इब्ने माजह : 1944)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

फ़ायदा : पाँच रज़्आत की तिलावत भी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़िन्दगी के बिल्कुल आख़िरी दौर में मन्सूख़ हो गई थी, लेकिन जिन हज़रात को नस्ख़ का अभी पता नहीं चल सका था वो इसकी क़िरअत करते थे। लेकिन चूंकि उनकी क़िरअत मन्सूख़ हो चुकी थी इसलिये मुस्हफ़े इमाम में उनको लिखा नहीं गया और इस पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन उनका हुक्म बरक़रार है।

(3598) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हुरमते रज़ाअत के सिलसिले में बयान करते हुए फ़रमाया, क़ुरआन मजीद में दस यक़ीनी रज़्आत का हुक्म नाज़िल हुआ फिर नीज़ पाँच यक़ीनी का हुक्म नाज़िल हुआ।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ - وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ - قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ .

وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، أَنَّها سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ . بِمِثْلِهِ .

(3599) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं।

باب رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

बाब 7 : रज़ाअते कबीर (बालिग़ को औरत का दूध पीना)

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ - وَهُوَ حَلِيفُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ " . قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ " . زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3600) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत सहला बिन्ते सुहैल नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सालिम के घर आने से अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर नागवारी महसूस करती हूँ हालांकि वो उसका हलीफ़ है। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसको अपना दूध पिला दे।' उसने पूछा, मैं उसको दूध कैसे पिला दूँ? वो तो बड़ा आदमी है, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुस्कुराकर फ़रमाया, 'मुझे भी मालूम है कि वो बड़ा आदमी है यानी जवान मर्द है।' अम्र की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है वो (सालिम) बद्र में हाज़िर हो चुका है और इब्ने अबी उमर की रिवायत में तबस्सुम की जगह फ़ज़हिक का लफ़्ज़ है।
(नसाई : 6/105, इब्ने माजह : 1943)

फ़ायदा : हज़रत सालिम बिन मअ़क़िल (रज़ि.) एक अन्सारी औरत फ़ातिमा बिन्ते यसार नामी के गुलाम थे। उसने उनको आज़ाद करके आज़ाद छोड़ दिया। तो वो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के हलीफ़ बन गये, जिसको मौलल मवालाह का नाम भी दिया जाता है। फिर हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने उन्हें अपना मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया और उनको बेटा तसव्वुर करने लगे। इसलिये वो उनके साथ ही घर में रहता था। जब क़ुरआन मजीद में मुतबन्ना बनाने से मना कर दिया गया और पर्दे का हुक्म भी

नाज़िल हो गया, तो उसके आने की इजाज़त तलब करने से हज़रत अबू हुज़ैफ़ा कराहत महसूस करने लगे। लेकिन अब उसको अलग करना भी मुश्किल हो चुका था। इसलिये हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की बीवी हज़रत सहला (रज़ि.) ने आपसे इस इश्काल का हल पूछा। तो आपने फ़रमाया, उसको दूध पिला दो। लेकिन चूंकि वो जवान मर्द हो चुके थे और मस्जिदे क़ुबा में इमामे मस्जिद थे जिनकी इक़्तिदा में मुहाजिरीन और अन्सार नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये हज़रत सहला ने अ़र्ज़ किया, उसको अपना दूध कैसे पिला दूँ। फिर बक़ौल इब्ने सअ़द, साहिबे तबक़ातुल कुबरा, उन्होंने पाँच दिन तक एक बर्तन में बक़द्र एक बार दूध निकालकर पिलाया, जिससे पाँच रज़्आत मुकम्मल हो गई और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के दिल से कराहत खत्म हो गई।

मसला रज़ाअ़ते कबीर : अइम्मा का मुद्दते रज़ाअ़त के बारे में इख़्तिलाफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआ़द जिल्द 5 में अलग-अलग क़ौल नक़ल किये हैं। मशहूर क़ौल चार हैं : (1) जुम्हूरे उम्मत का मौक़िफ़ ये है कि जिसकी ज़ाहिर क़ुरआन से ताईद होती है मुद्दते रज़ाअ़त दो साल है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, साहिबैन (अबू यूसुफ़, मुहम्मद) और मोत्ता की रू से इमाम मालिक का क़ौल भी यही है। (2) इमाम ज़ुफ़र के नज़दीक तीन साल है। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 1, पेज नं. 52) और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम के नज़दीक इमाम ज़ुफ़र का मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा वाला है। (3) इमाम मालिक के नज़दीक दो साल के बाद कुछ अ़रसा ताकि बच्चा दूध छोड़ने का आ़दी हो जाये माफ़ है। लेकिन ये अ़रसा कितना होगा इसके बारे में अलग-अलग क़ौल नक़ल हुए हैं। लेकिन मालिकिया के नज़दीक मुख़्तार क़ौल दो माह का अ़रसा है। (4) मुद्दते रज़ाअ़त इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक तीस माह यानी ढाई साल है और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम एक क़ौल साहिबैन के मुवाफ़िक़ है। लेकिन इमाम अबू जअ़फ़र तहावी ने जुम्हूर के क़ौल को इख़्तियार किया है और इब्ने नजीम ने दलील की रू से इसे ही क़वी क़रार दिया है और अ़ल्लामा तक़ी उ़समानी ने भी जुम्हूर के क़ौल को दलील की रू से क़वी क़रार दिया है। अगरचे इमाम अबू हनीफ़ा के क़ौल को अ़क़्ल व नक़ल की रू से सहीह क़रार देने की पुरज़ोर वकालत की है। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम , जिल्द 1, पेज नं. 54) इस बुनियाद पर जुम्हूर के नज़दीक रज़ाअ़ते कबीर से हुरमत साबित नहीं होती और हज़रत सालिम की रज़ाअ़त उनके साथ ख़ास है। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने तैमिया के नज़दीक रज़ाअ़ते सग़ीर से हुरमत साबित होती है और मजबूरी की सूरत में इस्तिसनाई तौर पर महज़ पर्दा न करने की रुख़्सत के लिये रज़ाअ़ते कबीर जाइज़ है लेकिन ये बहरहाल एक इस्तिसनाई और मजबूरी की सूरत है। आ़म उसूल या ज़ाबता नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआ़द जिल्द 5, में और इमाम शोकानी ने नैलुल अवतार जिल्द 6 में इसकी पुरज़ोर वकालत की है। हाफ़िज़ इब्ने हज़्म के नज़दीक रज़ाअ़ते कबीर और रज़ाअ़ते सग़ीर में

कोई फ़र्क़ नहीं है। हज़रत आइशा, हज़रत अली, उरवह बिन ज़ुबैर, अता बिन अबी रिबाह और लैस बिन सअद का यही क़ौल है। हज़रत हफ़्सा, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) और क़ासिम बिन मुहम्मद से भी यही मन्क़ूल है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने इब्ने हज़्म और दाऊद को जुम्हूर का हमनवा क़रार दिया है और हज़रत आइशा का हमनवा भी क़रार दिया है और यही बात सहीह है क्यों कि अल्महल्ली मसला 1869, पेज नं. 17 में यही क़ौल इख़्तियार किया गया है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ، - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، - عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " . فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ .

(3601) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा का मोला सालिम उनके साथ उनके घर में रिहाइश पज़ीर था, तो उनकी बीवी (सहला बिन्ते सुहैल) नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, सालिम मर्दों की हद्दे बुलूग़ को पहुँच गया है और जिन बातों को वो समझते हैं उनको समझने लगा है और वो हमारे यहाँ आता है और मैं ख़याल करती हूँ अबू हुज़ैफ़ा दिल में उससे कराहत महसूस करते हैं। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू उसको दूध पिला दे और उसके लिये महरम बन जाना तो अबू हुज़ैफ़ा के दिल की कराहत ख़त्म हो जायेगी।' मैं वापस आ गई और मैंने उसको दूध पिला दिया और अबू हुज़ैफ़ा के दिल से नफ़रत निकल गई।

(नसाई : 6/105)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ

(3602) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि सहला बिन्ते सुहैल बिन अम्र (रज़ि.) नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम, अबू हुज़ैफ़ा का हलीफ़ हमारे साथ घर में रहता है और वो मर्दों की हद्दे बुलूग़ को पहुँच गया है

عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا - لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ . قَالَ " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ " . قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لاَ أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ . قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ . قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ .

और उन बातों को जानने लगा है जिनको मर्द जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'दूध पिलाकर उसके लिये हराम हो जाओ।' इब्ने अबी मुलैकह कहते हैं एक साल या उसके क़रीब तक ख़ौफ़ और हैबत के मारे मैंने ये हदीस़ बयान न की, फिर मेरी मुलाक़ात क़ासिम से हुई तो मैंने उनसे कहा, आपने मुझे एक हदीस़ सुनाई थी जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सुनाई। उन्होंने पूछा, वो कौनसी हदीस़ है? तो मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, इसे मेरे वास्ते से बयान करो, बिला शुब्हा हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ये हदीस़ सुनाई है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلاَمُ الأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىَّ . قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَىَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَىْءٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ " .

(3603) हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं, उम्मे सलमा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, आपके पास एक बुलूग़त के क़रीब लड़का आता है, जिसका मैं अपने पास आना पसंद नहीं करती। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया, क्या आपके लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) नमूना नहीं हैं? अबू हुज़ैफ़ा की बीवी ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम मेरे पास आता है हालांकि वो जवान हो चुका है और अबू हुज़ैफ़ा के दिल में उससे कराहत पैदा होती है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे दूध पिला दो ताकि वो तुम्हारे पास आ जा सके।' (नसाई : 6/104)

मुफ़रदातुल हदीस़ : ऐफ़अ : जो नौजवान बुलूग़त को पहुँच रहा हो लेकिन अभी बालिग़ हुआ न हो जमअ ईफ़ाअ।

(3604) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं मैंने उम्मे सलमा (रज़ि.) को जो नबी(ﷺ) की बीवी हैं, हज़रत आइशा से ये कहते हुए सुना, अल्लाह की क़सम! मैं इस बात को पसंद नहीं करती या मेरा नफ़्स गवारा नहीं करता कि मुझे ऐसा नौजवान देखे जो रज़ाअत से मुस्तग़नी हो चुका है। तो उन्होंने पूछा, क्यों? जबकि सहला बिन्ते सुहैल रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर पूछ चुकी है कि ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! मैं अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे पर, सालिम की आमद से नागवारी महसूस करती हूँ। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे दूध पिला दो।' उसने अर्ज़ किया, वो तो दाढ़ी वाला है (दूध कैसे पिलाऊँ) आपने फ़रमाया, 'उसे दूध पिला दो। अबू हुज़ैफ़ा के चेहरे से कबीदगी ख़त्म हो जायेगी।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ، بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلاَمُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ . فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ . قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْضِعِيهِ " . فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ . فَقَالَ " أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ " . فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ .

(3605) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती थीं कि तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात ने इस बात से इंकार किया कि वो रज़ाअते कबीर से किसी को अपने पास आने दें और हज़रत आइशा से कहा, अल्लाह की क़सम! हमारे ख़्याल में ये तो सिर्फ़ एक रुख़सत थी जो आपने मख़सूस तौर पर सिर्फ़ सालिम को दी, इसलिये कोई इंसान हमारे पास इस रज़ाअत से नहीं आ सकता और न ही हमें देख सकता है।
(नसाई : 6/106, इब्ने माजह : 1947)

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ، خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ، زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا

بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَا.

फ़ायदा: उसूले रज़्अत, इन्नमर्रज़ाअतु मिनल मजाअह रज़ाहत वही मोतबर है जब उससे भूख ख़त्म होती हो। यानी जब बच्चे की असल ग़िज़ा दूध ही हो दूसरी चीज़ें उसे सिर्फ़ सानवी (एक्स्ट्रा) तौर पर दी जाती हों। इसलिये अज़्वाजे मुतह्हरात का ये मौक़िफ़ था कि रज़ाअत सिर्फ़ उस वक़्त तक सबबे हुरमत बनती है जब बच्चा दूध पी रहा हो, मुद्दते रज़ाअत जो दो साल है, उसके बाद रज़ाअत मोतबर नहीं है और आपने जो सहला बिन्ते सुहैल को इजाज़त दी थी, वो उनके ख़ुसूसी हालात की बिना पर उनके लिये ही सालिम के लिये मख़्सूस इजाज़त थी।

बाब 8 : रज़ाअत वही मोतबर है जो भूख के अरसे में हो

باب إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

(3606) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास उस वक़्त तशरीफ़ लाये जबकि एक आदमी मेरे पास बैठा हुआ था। तो ये चीज़ आपके लिये नागवार गुज़री और मैंने आपके चेहरे पर गुस्से के आसार देखे। तो मैंने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! ये मेरा रज़ाई भाई है। तो आपने फ़रमाया, 'अपने रज़ाई भाइयों के बारे में ग़ौर व फ़िक्र कर लिया करो, रज़ाअत वही मोतबर है जो भूख को ख़त्म करती हो।'

(सहीह बुख़ारी : 2647, 5102, अबू दाऊद : 2058, नसाई : 6/102, इब्ने माजह : 1945)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَتْ فَقَالَ " انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ."

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है जब दूध पीने वाला बच्चा सिर्फ़ दूध का ख़्वाहिशमन्द हो और उससे उसकी भूख मिटती हो तो ऐसी सूरत में अगर वो औरत का दूध किसी तरीक़े से भी पेट में दाख़िल

होने देगा तो वो रज़ीअ समझा जायेगा। अगर दूध ऐसे वक़्त में बच्चे को दिया गया है, जिससे उसकी भूख नहीं ख़त्म होती और वो उसकी ग़िज़ा नहीं बनता, तो रज़ाअत साबित नहीं होगी। जैसाकि एक दूसरी हदीस में है ला रज़ाअ इल्ला 'मा शद्दल अज़्म व अबतल्लहम रज़ाअत वही मोतबर है जो हड्डियों को मज़बूत करे और गोश्त को नशोनुमा दे' और ये हक़ीक़त है कि आम तौर पर दूध ये काम उसी सूरत में करता है जब कई बार पिया जाये सिर्फ़ एक दो बार पीने से ये बच्चे की नशोनुमा और तामीर व तश्कील का बाइस नहीं बनता और इन्तिहाई अजीब बात है कि अल्लामा तक़ी इन्नमर्रजाअतु मिनल मजाअह की तौज़ीह व तशरीह करते हुए लिखते हैं कि उस रज़ाअत से हुरमत साबित होगी जो छोटी उम्र में हो जब बच्चा दूध पी रहा हो और (यसुद्दुल्लबनु जूअतहू) दूध उसकी भूख को ख़त्म करे क्योंकि उसका मेअदा कमज़ोर होता है। इसलिये दूध ही उसके लिये काफ़ी होता है और उससे उसका गोश्त नशोनुमा पाता है, जिससे वो एक तरह से मुर्ज़िआ का जुज़ बन जाता है। (तक्मिला जिल्द 1, पेज नं. 58) लेकिन जब उससे हाफ़िज़ इब्ने हजर ने पाँच रज़्आत के मोतबर होने पर इस्तिदलाल किया तो उसका जवाब दिया कि मिन सबबिया है और मानी ये है कि वो रज़ाअ बाइसे तहरीम है मा का-न बिसबबिल जूअ जो भूख की वजह से हो ये मानी नहीं है। वो रज़ाअ महरम है जो मा सद्दल जूअ जो भूख का इन्सिदाद व ख़ातमा करे और उससे बच्चा सैर हो जाये। (तक्मिला जिल्द 1, पेज नं. 65) और आगे लिखते हैं, गोश्त-पोस्त को नशोनुमा की मअरिफ़त की कोई सूरत नहीं है क्योंकि कई बार रज़ाअे क़लील (कम दूध पिलाने) से वो नशोनुमा पा जाता है और कई कसीर से भी नशोनुमा नहीं पाता। लिहाज़ा मुत्लक़ रज़ाअ ही महरम है। अगर यही सूरते हाल है तो फिर आपने ये क्यों फ़रमाया, 'ला युहर्रिमु मिनर्रज़ाअ इल्ला मा अन्तक़ल अम्आअ वही रज़ाअ (दूध पिलाना) तहरीम का बाइस है जो अंतड़ियों को कुशादा कर दे, फिर मुत्लक़ रज़ाअत ही मोतबर है। फिर तो इब्ने हज़म का क़ौल सहीह है। मजाअह के उमूम में छोटे-बड़े में कोई फ़र्क़ नहीं है। इसलिये रज़ाअते कबीर मोतबर है।

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالاَ، جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ

(3607) इमाम साहब ने मज़्कूरा बाला रिवायत अपने छः और उस्तादों की सनद से बयान की है, लेकिन उनकी हदीस में अनिल मजाअह की जगह मिनल मजाआ है। (इमाम साहब के इस कलाम से साबित होता है कि पहली हदीस में अनिल मुजाअह वाला नुस्ख़ा सहीह है मिनल मजाआ की सूरत में तो दोनों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं रहता। हालांकि इमाम साहब इख़्तिलाफ़ साबित कर रहे हैं।)

بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، بِإِسْنَادِ أَبِي الأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا " مِنَ الْمَجَاعَةِ

باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاِسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ

बाब 9 : इस्तिबराए रहम के बाद बान्दी से ताल्लुक़े ज़न व शौहर (मियाँ-बीवी का रिश्ता) क़ायम करना जाइज़ है। अगर उसका ख़ाविन्द मौजूद हो तो लौण्डी बनने से उसका निकाह टूट जायेगा

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ، بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ } وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ{ أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

(3608) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जंगे हुनैन के मौक़े पर एक लश्कर वादी औतास की तरफ़ रवाना किया। उनका दुश्मन से आमना-सामना हुआ और आपस में जंग के नतीजे में मुसलमान उन पर ग़ालिब आ गये और उनकी औरतों को क़ैद कर लिया, तो गोया रसूलुल्लाह(ﷺ) के कुछ साथियों ने उनके मुश्रिक ख़ाविन्द मौजूद होने की वजह से उनसे सोहबत करना गुनाह ख़याल किया। इस सिलसिले में अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई, 'शादीशुदा औरतें तुम्हारे लिये जाइज़ नहीं हैं मगर जो औरतें तुम्हारे क़ब्ज़े में आ जाये वो।' (सूरह निसा : 24) यानी वो तुम्हारे लिये हलाल हैं जब उनकी इद्दत पूरी हो जाये।

(अबू दाऊद : 2155, तिर्मिज़ी : 1132, 3016, नसाई : 6/110)

फ़ायदा : जंगे औतास का वाक़िया फ़तहे मक्का के बाद पेश आया जिसमें बनू हवाज़िन जो मुश्रिक थे शिकस्त खाकर भाग गये लेकिन चूंकि वो साथ अपनी औरतों को भी लाये थे। इसलिये वो मुसलमानों की क़ैद में आ गईं और उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जिन काफ़िरों से जंग है उनकी औरत अगर बिला ख़ाविन्द क़ैद हो जाये तो उसका निकाह फ़स्ख़ हो जायेगा और जिसके हिस्से में आयेगी वो एक हैज़ के ज़रिये मालूम करने के बाद कि वो हामिला नहीं है उससे सोहबत कर सकेगा। अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उलमा के नज़दीक मुबाशिरत के लिये बान्दी होने के साथ ये शर्त भी है कि वो इस्बितराए रहम के बाद, मुसलमान हो चुकी हो या किताबी औरत हो। अगर बुत परस्त या मजूसिया हो और इस्लाम न ला चुकी हो तो फिर मुबाशिरत जाइज़ नहीं है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक फ़स्ख़े निकाह का सबब, औरत का क़ैद में आना है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मियाँ-बीवी के वतन का अलग-अलग होना है, इसलिये अगर ख़ाविन्द दारुल हरब में है और बीवी दारुस्सलाम में तो निकाह फ़स्ख़ होगा। अगर मियाँ-बीवी दोनों क़ैद में आ गये हैं तो निकाह फ़स्ख़ नहीं होगा। अहनाफ़ का यही मौक़िफ़ है और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक औरत अकेली क़ैद में आये या मियाँ-बीवी दोनों हर सूरत में निकाह फ़स्ख़ हो जायेगा, लेकिन अगर दारुस्सलाम में शादीशुदा बान्दी, आगे बेच दी जाये तो अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ख़रीदार के लिये ख़ाविन्द से तलाक़ लिये बग़ैर महज़ इस्तिबराए रहम से उससे मुबाशिरत करना जाइज़ नहीं होगा। क्योंकि ख़रीदो-फ़रोख़्त से निकाह फ़स्ख़ नहीं होता। अगरचे कुछ सहाबा और ताबेईन ख़रीदो-फ़रोख़्त को भी फ़स्ख़े निकाह का सबब क़रार देते हैं।

(3609) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि नबी(ﷺ) ने हुनैन के मौक़े पर एक दस्ता भेजा, मज़्कूरा रिवायत बयान की, मगर उस रिवायत में ये है, शादीशुदा औरतों में से जो तुम्हारे मिल्क (क़ब्ज़े) में आ जायें वो तुम्हारे लिये हलाल हैं, लेकिन इद्दत के ख़ातमे का ज़िक्र नहीं किया।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ، الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ، حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً . بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلاَلٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(3610) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से क़तादा की मज़्कूरा बाला सनद से मज़्कूरा हदीस़ बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

(3611) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान करते हैं कि सहाबा किराम ने जंगे औतास के दिन ऐसी औरतों को क़ैदी बनाया जिनके ख़ाविन्द मौजूद थे, इसलिये उनसे सोहबत से अन्देशा महसूस किया तो ये आयत उतारी गई, 'और शादीशुदा औरतें तुम पर हराम हैं, मगर वो औरतें जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जायें।'

(तिर्मिज़ी : 1132, 3017)

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3612) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत क़तादा की मज़्कूरा बाला सनद ही से बयान करते हैं।

फ़ायदा : हदीस़ नम्बर 34 में इमाम क़तादा अपने उस्ताद अबुल ख़लील और हज़रत अबू सईद (रज़ि.) के दरम्यान अबू अल्क़मा हाशमी का वास्ता बयान करते हैं और हदीस़ नम्बर 35 अबुल ख़लील बराहे रास्त हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से बयान करते हैं और सनद दोनों तरह ही सहीह है। क्योंकि अबुल ख़लील ने दोनों तरह ये हदीस़ सुनी है, बिल्वास्ता भी और बिला वास्ता भी।

باب الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

बाब 10 : बच्चा साहिबे फ़िराश का है और शुब्हात से बचना चाहिये

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا

(3613) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की सनद से हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि एक बच्चे के बारे में हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) और हज़रत अब्द

قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَىَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ " . قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ " يَا عَبْدُ " .

बिन ज़म्आ (रज़ि.) ने झगड़ा किया। हज़रत सअद ने कहा, ये ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे भाई का बेटा है और मेरे भाई उतबा बिन अबी वक़्क़ास ने मुझे ये तल्क़ीन की थी कि ये मेरा बेटा है, आप इसकी (उतबा से) मुशाबिहत पर नज़र दौड़ा लें और अब्द बिन ज़म्आ ने कहा, ये मेरा भाई है ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे बाप के बिस्तर पर, उसकी लौण्डी के बतन से पैदा हुआ। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी शक्ल व शुब्हात पर नज़र डाली और उतबा के साथ वाज़ेह मुशाबिहत देखी और फ़रमाया, 'ऐ अब्द! ये तुझे मिलेगा। बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और ज़ानी के लिये नाकामी है और ऐ सौदा तुम उससे पर्दा करो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, उस लड़के ने कभी हज़रत सौदा को नहीं देखा। मुहम्मद बिन रुम्ह की रिवायत में या अब्द का लफ़्ज़ नहीं है।

(सहीह बुख़ारी : 2218, 6765, 6817, नसाई : 6/180)

मुफ़रदातुल हदीस़ : लिल्आहिरल हजर : अरबों के मुहावरे के मुताबिक़ लहुल हज्र या फ़ीहिल हजर का मानी नाकामी और नामुरादी होता है और इस हदीस़ में यही मानी मुराद है, अगरचे आम मानी की रू से मानी बनता है ज़ानी के लिये पत्थर हैं।

फ़ायदा : फ़िराश से मुराद वो औरत है जिससे मुबाशिरत की जाये। वो आज़ाद हो या लौण्डी, ये लड़का जिसके बारे में इख़्तिलाफ़ हुआ उसका नाम अब्दुर्रहमान था। जो हज़रत सौदा (रज़ि.) के वालिद ज़म्आ की लौण्डी से था। जिनसे हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) के भाई ने ज़िना किया था और उसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ था। इसलिये उतबा बिन अबी वक़्क़ास ने अपने भाई सअद को वसिय्यत की थी कि ये मेरा बच्चा है। उतबा काफ़िर ही फ़ौत हो गया और फ़तहे मक्का के वक़्त हज़रत सअद ने उस बच्चे को भाई से मुशाबिहत की बिना पर पकड़ा। ज़म्आ फ़तहे मक्का से पहले ही कुफ़्र की हालत में फ़ौत

हो चुका था और उसका बेटा अ़ब्द, फ़तहे मक्का के वक़्त मुसलमान हो गया था। इसलिये उसने हज़रत सअ़द से झगड़ा किया कि ये तो मेरे वालिद की मफ़रूशा लौण्डी का है, इसलिये मेरा भाई है। आपने उसूल के मुताबिक़ अ़ब्द के हक़ में कहा। क्योंकि ज़म्आ ने इंकार नहीं किया था और उसकी मफ़रूशा लौण्डी से था। इसलिये उसका ठहरा लेकिन चूंकि उसकी मुशाबिहत उ़तबा के साथ थी इसलिये आपने हज़्म व एहतियात इख़्तियार करने के लिये अ़ब्द की बहन हज़रत सौदा (रज़ि.) से फ़रमाया, 'उससे पर्दा करो।'

और औ़रत मफ़रूशा तभी बनती है जब उससे उसके शौहर या मालिक ने सोहबत की हो या कम से कम सोहबत का इम्कान हो, अगर सोहबत का इम्कान नहीं है, निकाह के बाद रुख़सती नहीं हुई और न उनके मिलाप का इम्कान है, निकाह के वक़्त मर्द अमेरीका में है और औ़रत हिन्दुस्तान में। तो उसके बाद जब मर्द हिन्दुस्तान आया नहीं और औ़रत अमेरीका गई नहीं लेकिन उसके बावजूद औ़रत को बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा अइम्म-ए-सलासा और जुम्हूर उ़लमा के नज़दीक ख़ाविन्द का तसव्वुर नहीं होगा। लेकिन अह्नाफ़ के नज़दीक चूंकि फ़िराश होने के लिये सिर्फ़ निकाह ही काफ़ी है, इसलिये अगर सोहबत का इम्कान न भी हो तो वो बच्चा ख़ाविन्द का क़रार पायेगा बशर्तेकि हमल का इम्कान हो।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ " . وَلَمْ يَذْكُرَا " وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .

(3614) इमाम साहब अपने चार उस्तादों की सनद से ज़ोहरी की मज़्कूरा बाला सनद से बयान करते हैं, लेकिन मज़्कूरा बाला हदीस़ से इस हदीस़ में ये फ़र्क़ है कि मअ़मर और इब्ने उ़यय्ना दोनों ने अल्वलदु लिल्फ़िराश बच्चा बिस्तर के लिये है, के बाद लिल्आहिरिल हजर ज़ानी के लिये नाकामी है, बयान नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 2421, अबू दाऊद : 2273, नसाई : 6/181, इब्ने माजह : 2004)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " .

(3615) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'लड़का बिस्तर का है और ज़ानी के लिये नाकामी है।'

(नसाई : 6/180)

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَمَّا، عَبْدُ الأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ، زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ، عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي، سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

(3616) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं लेकिन उनमें ये इख़्तिलाफ़ है कि ये अबू हुरैरह के किस शागिर्द की रिवायत है सईद बिन मुसय्यब की या अबू सलमा की या दोनों की या इनमें से किसी एक की।

(तिर्मिज़ी : 1157, नसाई : 6/180, इब्ने माजह : 2006)

باب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

बाब 11 : क़याफ़ा शनास का बच्चे का नसब किसी से साबित करना क़ाबिले अमल या मोतबर है

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَىَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ " أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ " .

(3617) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास ख़ुश व ख़ुर्रम तशरीफ़ लाये। आपके चेहरे के ख़ुतूत दमक रहे थे आपने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुजज़्ज़िज़ ने अभी ज़ैद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को देखकर कहा, ये क़दम एक दूसरे का जुज़ और हिस्सा हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 6770, अबू दाऊद : 2268, तिर्मिज़ी : 2129, नसाई : 6/184)

फ़ायदा : हज़रत ज़ैद (रज़ि.) का रंग गोरा था और हज़रत उसामा का इन्तिहाई स्याह, इसलिये काफ़िर

उनके नसब पर तअनो-तश्नीअ करते थे और नसब की शनाख़्त में जाहिलिय्यत के दौर में अरब क़याफ़ा शनास के क़ौल को बहुत अहमिय्यत देते थे और अरब बनू मुदलिज जिससे मुजज़्ज़िज़ था और बनू असद की क़याफ़ा शनासी के मोतरिफ़ थे, इसलिये जब हज़रत ज़ैद और हज़रत उसामा (रज़ि.) के क़दमों को देखकर क़याफ़ा शनास मुजज़्ज़िज़ मुदलजी ने उनके नसब की तस्दीक़ कर दी, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) को इससे इन्तिहाई ख़ुशी हुई कि उन अरब काफिरों के अपने मैयार और ज़ाबते की रू से भी उसामा का हज़रत ज़ैद का बेटा होना साबित हो गया है। इसलिये अब उनके लिये हज़रत उसामा के नसब पर तअन करने की गुंजाइश नहीं है। इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर उलमा के नज़दीक क़याफ़ा शनास का क़ौल मोतबर है, इमाम मालिक के एक क़ौल के मुताबिक़ लौण्डियों की औलाद में मोतबर है और आज़ाद औरत की औलाद के बारे में मोतबर नहीं और दूसरे क़ौल के मुताबिक़ दोनों के हक़ में मोतबर है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, साहिबैन और इमाम इस्हाक़ के नज़दीक क़याफ़ा शनास का क़ौल मोतबर नहीं है, लेकिन आपकी मसर्रत और शादमानी इस बात की दलील है कि इससे इश्तिबाह और इख़्तिलाफ़ को दूर किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे के नैन व नक़्श और उसकी जिस्मानी बनावट उसके वालिदैन या उसके ननिहाल या ददियाल से मिलती-जुलती होती है, जिसका एक माहिर क़याफ़ा शनास पता चला लेता है। उवेमिर अज्लानी के वाकिये में आपने आपस में मुशाबिहत की निशानदेही फ़रमाई थी, इसी तरह आराबी के वाक़िये में जिसने बच्चे के स्याह रंग का होने की बिना पर तअज्जुब का इज़हार किया था, उसमें भी लअल्ल इब्नक हाज़ा नज़अहू अर्क़ तेरे इस बच्चे को किसी रग ननिहाल या ददियाल की ने अपनी तरफ़ खींच लिया है, इस मुशाबिहत की तरफ़ सरीह इशारा मौजूद है और इससे क़याफ़ा शनास इस्तिदलाल करता है, क्योंकि क़याफ़ा नाम है इअ्तिबारुश्शबह बिइल्हाक़िन्नसब नसब के इल्हाक़ के लिये मुशाबिहत का ऐतिबार करना। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 1, पेज नं. 84)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَىَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " .

(3618) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास ख़ुश-ख़ुश तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'ऐ आइशा! क्या तुम्हें मालूम हुआ कि मेरे पास मुजज़्ज़िज़ मुदलजी आया और उसने उसामा और ज़ैद को देखा, उन्होंने अपने सर एक चादर से ढांपे हुए थे और उनके पाँव नंगे थे। तो उसने कहा, ये पाँव एक-दूसरे का जुज़ हैं।'

(सहीह बुख़ारी : 6771, अबू दाऊद : 2267, तिर्मिज़ी : 2129, नसाई : 6/185, इब्ने माजह : 2349)

(3619) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, एक क़याफ़ा शनास रसूलुल्लाह(ﷺ) की मौजूदगी में आया, जबकि उसामा बिन ज़ैद और ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) दोनों लेटे हुए थे। तो उसने कहा, ये पाँव एक-दूसरे का जुज़ हैं, इससे नबी(ﷺ) बहुत ख़ुश हुए और आपको ये बात अच्छी लगी और आपने इसकी इत्तिलाअ आइशा को दी। (सहीह बुख़ारी : 3731)

وحَدَّثَنَاهُ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ . فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ .

(3620) इमाम साहब यही रिवायत दो और उस्तादों की सनदों से ज़ोहरी की सनद से बयान करते हैं और यूनुस की हदीस में ये इज़ाफ़ा है कि मुजज़्ज़िज़ क़याफ़ा शनास था।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا .

बाब 12 : शबे ज़फ़ाफ़ (रुख़सती) के बाद बाकिरह (कुँवारी) और बेवा दुल्हन के पास ख़ाविन्द किस क़द्र ठहरेगा

باب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزِّفَافِ

(3621) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनद से हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जब हज़रत उम्मे सलमा से शादी की तो उसके यहाँ तीन दिन ठहरे और फ़रमाया, 'तुम अपने शौहर की नज़रों में कमतर नहीं हो या तेरी

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا وَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .

वजह से तेरे ख़ानदान की हैसियत कम न होगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे यहाँ सात दिन ठहरूँगा और अगर तुम्हारे यहाँ सात दिन क़ियाम करूँगा तो अपनी दूसरी बीवियों को भी सात दिन दूँगा।'

(अबू दाऊद : 2122, इब्ने माजह : 1917)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ { عَنْ أَبِيهِ، } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ " . قَالَتْ ثَلِّثْ .

(3622) अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जब उम्मे सलमा (रज़ि.) से शादी की और उसके यहाँ ठहरे तो उसे सुबह फ़रमाया, 'तुम अपने ख़ाविन्द के नज़दीक कम रुत्बा नहीं हो, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे यहाँ सात दिन तक ठहरूँ और चाहो तो तीन दिन ठहरकर बारी शुरू कर दूँ।' उन्होंने अर्ज़ किया, तीन दिन ही दीजिये (ताकि बारी जल्द आ सके)।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، -يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ" .

(3623) अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उम्मे सलमा (रज़ि.) से शादी की तो उनके यहाँ गये, फिर उनके यहाँ से निकलने का इरादा किया तो उन्होंने आपका कपड़ा थाम लिया। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर तुम चाहो तो तुम्हें और वक़्त दे देता हूँ और मैं इसका हिसाब रखूँगा, क्योंकि कुँवारी को निकाह से सात रातें मिलती हैं और शौहर दीदा (शादीशुदा) को तीन।

(3624) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(3625) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनसे शादी की और इस सिलसिले में अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने कुछ बातें बयान कीं। उनमें ये भी बयान किया कि आपने फ़रमाया, 'अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें सात रातें दूँ तो दूसरी बीवियों को भी सात रातें दूँगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सात रातें दूँ, तो दूसरी बीवियों को भी सात रातें दूँगा।'

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ عَبْدِ، الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ذَكَرَ أَنَّصلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ " إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي " .

(3626) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'अगर शौहर दीदा के बाद कुँवारी से शादी करे तो उसके यहाँ सात दिन क़ियाम करे और अगर कुँवारी के बाद शौहर दीदा से शादी करे तो उसके यहाँ तीन दिन ठहरे। ख़ालिद कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि अनस (रज़ि.) ने इस क़ौल को आपकी तरफ़ मन्सूब किया, तो मैं सच्चा हूँगा। लेकिन उन्होंने कहा था सुन्नत यही है।
(सहीह बुख़ारी : 5213, 5214, अबू दाऊद : 2124, तिर्मिज़ी : 1139, इब्ने माजह : 1916)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ، مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ .

(3627) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, सुन्नत ये है कि कुँवारी के यहाँ सात दिन ठहरे। ख़ालिद कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ, उन्होंने इसकी निस्बत नबी(ﷺ) की तरफ़ की।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ، الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا . قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

फ़ायदा : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का तीन दिन को पसंद करना इस बात की दलील है कि ये तीन बारी में शुमार नहीं होंगे और फिर बारी जल्दी आ जायेगी और दूसरी हदीसों से ये बात मालूम हुई कि नई दुल्हन अगर कुँवारी हो तो उसको बारी से अलग सात दिन मिलेंगे, फिर बारी शुरू होगी और शौहर दीदा हो तो तीन दिन के बाद बारी की शुरूआत हो जायेगी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़, शअबी और नख़ई वग़ैरह जुम्हूर उलमा का यही मौक़िफ़ है। इमाम सईद बिन मुसय्यब हसन बसरी, नाफ़ेअ और औज़ाई के नज़दीक कुँवारी के लिये तीन दिन और बेवा के लिये दो दिन ज़्यादा होंगे। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक पहले दिन से ही बारी होगी, कोई ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा। फिर नई दुल्हन के पास जितने दिन ठहरेगा बाद में हर बीवी के यहाँ उतने ही दिन ठहरेगा। लेकिन ये बात हदीस के मुनाफ़ी है। नीज़ जब सहाबी मिनस्सुन्नह का लफ़्ज़ इस्तेमाल करे तो ये जुम्हूर मुहद्दिसीन के नज़दीक हुक्मन मरफ़ूअ है और ख़ालिद रावी ने इसकी तरफ़ इशारा किया है।

باب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

बाब 13 : बीवियों के दरम्यान तक़सीम, सुन्नत ये है कि हर बीवी को एक रात, दिन दे

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الأُولَى إِلاَّ فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ . فَكَفَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ . فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى

(3628) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) की (वफ़ात के वक़्त) 9 बीवियाँ थीं। आप जब उनमें बारी तक़सीम करते तो पहली बारी वाली बीवी के पास नवीं रात पहुँचते और वो सब हर रात उस बीवी के यहाँ इकट्ठी हो जातीं, जिसकी बारी होती थी। एक दिन आप(ﷺ) हज़रत आइशा (रज़ि.) के घर में थे (उनकी बारी थी) हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) आ गईं। आप(ﷺ) ने उनकी तरफ़ हाथ बढ़ाया तो आइशा (रज़ि.) ने कहा ये ज़ैनब (रज़ि.) हैं। आपने हाथ रोक लिया। तो दोनों में तकरार हो गई यहाँ तक कि शोर पैदा हो गया और नमाज़ की इक़ामत हो गई। इस

ذٰلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى الصَّلاَةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ . فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ عَائِشَةُ الآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ . فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هٰذَا.

पर हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) वहाँ से गुज़रे और उन्होंने दोनों की आवाज़ सुन लीं तो अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाइये और इनके मुँह में मिट्टी डाल दीजिये। इस पर नबी(ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गये। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) कहने लगीं (दिल में) अभी नबी(ﷺ) नमाज़ अदा करेंगे तो अबू बक्र उनके साथ आ जायेंगे और मुझे ही डांट-डपट करेंगे। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ अदा कर ली तो आइशा (रज़ि.) के पास अबू बक्र (रज़ि.) आये और उन्हें सख़्त डांटा और कहा, क्या तुम ये हरकत करती हो?

मुफ़रदातुल हदीस : इस्तख़बता : सख़ब से है शोर व शराबा, आवाज़ों का टकराव।

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे तो हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) की ज़िन्दगी तक दूसरी शादी नहीं की और हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) भी शौहर दीदा बीवी थीं जिसके साथ आपने पच्चीस साल की उम्र में जबकि उनकी उम्र चालीस साल हो चुकी थी शादी की। उनकी वफ़ात के बाद 10 नुबूवत के बाद हज़रत सौदा (रज़ि.) से शादी की क्योंकि उमूरे ख़ानादारी में दिक़्क़त पेश आ रही थी। फिर हिज्रते मदीना के बाद जब इस्लाम फैलने लगा तो आपने दीनी ज़रूरतों के तहत कि आपके अलग-अलग ख़ानदानों से क़रीबी मरासिम क़ायम हों और वो आपका दस्त व बाज़ू बनें, नीज़ आपकी घरेलू ज़िन्दगी के तमाम हालात उम्मत के सामने आ जायें और अज़्वाज के ज़रिये औरतों में दीन की इशाअत व तरवीज हो, आपने अलग-अलग क़बीलों की शौहर दीदा औरतों से, उनकी दिलजोई और उनके ख़ानदानों की उन्सियत व मुहब्बत के हासिल करने के लिये अलग-अलग वक़्तों में निकाह किये। हज़रत सौदा (रज़ि.) के बाद हज़रत आइशा (रज़ि.) से फिर 3 हिजरी में हफ़्सा (रज़ि.) से और उसी साल हज़रत ज़ैनब बिन्ते ख़ुज़ैमा (रज़ि.) से शादी की जो कि तीन माह ज़िन्दा रहीं। फिर उनके बाद उम्मे सलमा (रज़ि.) से और फिर ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से उनके बाद उम्मे हबीबा (रज़ि.) से, फिर जुवेरिया (रज़ि.) से, फिर सफ़िय्या (रज़ि.) फिर आख़िर में मैमूना (रज़ि.) से शादी की। आपने कोई शादी जिन्सी हवस पूरी करने के लिये नहीं की, क्योंकि अगर आप नऊज़ुबिल्लाह जिन्स परस्त होते तो जवानी में चालीस साल की

बेवह के साथ शादी करके, जवानी और अधेड़ उम्र के पच्चीस साल उसकी रिफ़ाक़त में न गुज़ारते। आप पर बारी फ़र्ज़ न थी उसके बावजूद आपने बारी मुक़र्रर की और उसकी पाबंदी की आम तौर पर जिस बीवी की बारी होती तमाम अज़्वाज मग़्रिब के बाद उसके यहाँ जमा हो जातीं। एक दिन ये अजीब वाक़िया पेश आ गया कि रात की तारीकी की वजह से क्योंकि चिराग़ का रिवाज आम न था, आपने ज़ैनब (रज़ि.) की आमद पर आइशा (रज़ि.) की तरफ़ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने बताया ज़ैनब (रज़ि.) आ चुकी हैं। इसलिये उनकी मौजूदगी में मुहब्बत व प्यार का इज़हार मुनासिब नहीं है या ज़ैनब (रज़ि.) की तरफ़ हाथ बढ़ाया ये समझकर कि वो आइशा (रज़ि.) हैं तो आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ की, वो तो ज़ैनब है और आज बारी मेरी है। इस पर आपस में तकरार हो गई, जिससे आवाज़ बुलंद हो गई और ये शोर जारी था कि नमाज़े इशा का वक़्त हो गया और इसी हालत में हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) का गुज़र हुआ उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर इनको सख़्ती से रोक दें और नमाज़ के लिये तशरीफ़ लायें। फिर नमाज़ के बाद हज़रत आइशा (रज़ि.) के अन्देशे के मुताबिक़ उन्हें जाकर डांट-डपट की।

बाब 14 : अपनी बारी अपनी सौकन को देना जाइज़ है

باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا

(3629) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने किसी औरत को नहीं देखा, जिस जैसा मैं होना पसंद करती, सिवाय हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ के। वो एक ऐसी औरत थी जिसमें तेज़ी (हिद्दत) थी यानी वो गर्म मिज़ाज थीं। जब वो बूढ़ी हो गईं तो उसने अपनी बारी जो उन्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) से हासिल थी, मुझे दे दी। उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आप से अपनी बारी आइशा को दे दी। इसलिये रसूलुल्लाह(ﷺ) आइशा (रज़ि.) को दो दिन देते थे। उसका अपना और सौदा (रज़ि.) का।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلاَخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ ‏.‏ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ ‏.‏

मुफ़रदातुल हदीस : मिस्लाख़ : जिल्द, चमड़ा यानी मेरी आरज़ू और तमन्ना ये थी, मैं उन जैसी हो जाऊँ, क्योंकि वो इन्तिहाई मतीन और सन्जीदा थीं, निहायत सख़ी और साबिरा व इबादत गुज़ार थीं।

फ़ायदा : हज़रत सौदा (रज़ि.) ने महसूस किया कि आप उसे तलाक़ दे देंगे और वाक़ेई आपने तलाक़ दे दी और फिर उनकी ख़्वाहिश पर कि मैं चाहती हूँ कि मैं क़यामत के दिन आपकी बीवियों में उठूँ। आपने रुजूअ फ़रमा लिया। शायद इसकी ये हिक्मत हुई कि आप अमलन इस आयते मुबारका की तफ़्सीर बयान करना चाहते थे कि 'अगर किसी औरत को अपने ख़ाविन्द की ज़्यादती या रूगर्दानी का ख़तरा हो तो उन दोनों पर कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में सुलह कर लें।' (सूरह निसा : 9, 178) चूंकि हज़रत सौदा को बड़ी उम्र की बिना पर मर्दों की ख़्वाहिश नहीं रही थी। इसलिये उन्होंने अपनी बारी हज़रत आइशा (रज़ि.) को दे दी क्योंकि वो महबूबे रसूल थीं, जिससे मालूम हुआ औरत अपनी बारी सौकन को दे सकती है, क्योंकि ये उसका हक़ है लेकिन ख़ाविन्द की रज़ामन्दी ज़रूरी है। अगर ख़ाविन्द को बारी छोड़ दे तो फिर ख़ाविन्द जिसको चाहे दे सकता है। शवाफ़ेअ और हनाबिला का यही मौक़िफ़ है और अहनाफ़ में अल्लामा इब्ने हम्माम और शामी ने इस मौक़िफ़ को इख़्तियार किया है। लेकिन अगर दोनों का दिन मुत्तसिल न हो तो बाक़ी अज़्वाज की रज़ा के बग़ैर उसको मुत्तसिल नहीं किया जा सकता।

(3630) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों की सनद से हिशाम ही के वास्ते से बयान करते हैं कि जब हज़रत सौदा (रज़ि.) बूढ़ी हो गईं, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है और शरीक की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है वो पहली औरत थीं जिससे आपने मेरे बाद शादी की।
(इब्ने माजह : 1972, सहीह बुख़ारी : 5212)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ، لَمَّا كَبِرَتْ . بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي .

फ़ायदा : हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के बाद आपने किस औरत से शादी की तो बक़ौल आइशा (रज़ि.) उनसे पहले शादी की लेकिन कुछ हज़रात का ख़्याल है कि सौदा से पहले शादी की। लेकिन रुख़सती तो बिल्इत्तिफ़ाक़ सौदा की पहले हुई है।

(3631) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मुझे उन औरतों पर गुस्सा आता था जो अपने आपको रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये हिबा

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَّتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ‏}‏ قَالَتْ قُلْتُ وَاللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ ‏.‏

कर देती थीं और मैं कहती, क्या कोई औरत अपने आपको हिबा करना गवारा कर सकती है? तो जब अल्लाह तआला ने ये आयत उतार दी, 'आप अपनी अज़्वाज में से जिसे चाहें पीछे हटा दें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें और जिसे अपने से अलग कर दिया अगर उसको बुलाना चाहें (तो आपको कोई हर्ज नहीं।' (सूरह अहज़ाब : 51) तो मैंने कहा, अल्लाह की क़सम! मेरे ख़याल में आपका रब आपकी ख़्वाहिश बहुत जल्द पूरी कर देता है।

(सहीह बुख़ारी : 4788, नसाई : 6/54)

फ़ायदा : वो औरतें, जिन्होंने अपने आप नबी(ﷺ) को हिबा करना चाहा था वो बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर तीन थीं। ख़ौला बिन्ते हकीम, फ़ातिमा बिन्ते शुरेह और यअ़ला बिन्ते हलीम (रज़ि.)। लेकिन आपने किसी की पेशकश क़ुबूल नहीं फ़रमाई। तुरजी और तुअ्वी की उ़लमा ने अलग-अलग तफ़्सीर की हैं (1) जुम्हूर के नज़दीक आप पर बारी लाज़िम न थी, जिसको चाहें अपने पास बुलायें और जिसको चाहें न बुलायें। (2) जिसे चाहें तलाक़ दे दें और जिसको चाहें अपने निकाह में रखें। (3) इस आयत का ताल्लुक़ उन औरतों से है जिन्होंने अपने आपको हिबा किया था कि आपको इख़्तियार है कि आप उनकी पेशकश क़ुबूल फ़रमा लें या चाहें तो रद्द कर दें और हज़रत आइशा के नज़रिये के मुताबिक़ इसका ताल्लुक़ तीसरे क़ौल ही से है लेकिन बिल्इत्तिफ़ाक़ आपने बारी की पाबंदी की है और इस रुख़सत पर अमल नहीं किया।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ‏}‏ فَقُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ ‏.‏

(3632) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं मैं कहा करती थी क्या वो औरत जो अपना नफ़्स किसी को हिबा करती है उसे शर्म नहीं आती? यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 'आप बीवियों में से जिसे चाहें दूर करें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें।' तो मैंने कहा, आपका रब आपकी ख़्वाहिश पूरी करने में जल्दी करता है। (सहीह बुख़ारी : 5113, इब्ने माजह : 2000)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوا وَلاَ تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ . قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لاَ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ.

(3633) अ़ता बयान करते हैं कि हम हज़रत इब्ने अ़ब्बास के साथ नबी(ﷺ) की बीवी हज़रत मैमूना (रज़ि.) के जनाज़े में मक़ामे सरिफ़ में हाज़िर थे। तो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, ये नबी(ﷺ) की ज़ौजा हैं। तो जब तुम उनकी चारपाई को उठाओ तो उसे झटके न देना और न ही ज़्यादा हरकत देना और आराम व सुकून के साथ चलना, क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) की 9 बीवियाँ थीं, आप आठ को बारी देते थे और एक को बारी नहीं देते थे। अ़ता कहते हैं जिसको बारी नहीं देते थे वो सफ़िय्या बिन्ते हुई बिन अख़्तब (रज़ि.) थीं।

(सहीह बुख़ारी : 5067, नसाई : 6/53)

फ़ायदा : हज़रत मैमूना (रज़ि.) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की ख़ाला थीं। सब अज़्वाज के बाद उमरतुल क़ज़ा 7 हिजरी में ज़िल्क़अदा में आपने मक़ामे सरिफ़ पर इनसे शादी की थी। पहले इनका नाम बर्रह था। सरिफ़ जो मक्का से 9 मील या इससे कमो-बेश फ़ासले पर है, सब अज़्वाज से आख़िर में 61 में वफ़ात पाई। लेकिन ये अ़ता का वहम है कि आप सफ़िय्या (रज़ि.) को बारी नहीं देते थे। आपने सबकी बारी मुक़र्रर फ़रमाई थी। आख़िर में सिर्फ़ सौदा (रज़ि.) ने अपनी बारी हज़रत आइशा (रज़ि.) को हिबा कर दी थी, लेकिन उनकी बारी तो बहरहाल थी। इसलिये आप उनके पास भी जाते थे। लेकिन रात आइशा (रज़ि.) के यहाँ ठहरते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ .

(3634) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं जिसमें ये इज़ाफ़ा है अ़ता ने कहा, वो सबसे आख़िर में फ़ौत हुई थीं और उन्होंने मदीना में वफ़ात पाई थी।

फ़ायदा : हज़रत मैमूना (रज़ि.) की वफ़ात मदीना में क़रार देना किसी रावी का वहम है। क्योंकि सरिफ़ जगह मक्का मुकर्रमा से 9 मील के फ़ासले पर अब भी मौजूद है और हज़रत मैमूना (रज़ि.) की क़ब्र भी वहाँ मौजूद है।

बाब 15 : दीनदार से निकाह करना मुस्तहब है

باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

(3635) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'चार बुनियादों या अस्बाब की बिना पर औरत से निकाह किया जाता है, उसके माल की बिना पर, उसके हसब व ख़ानदान की बिना पर, उसके हुस्नो-जमाल की ख़ातिर और उसकी दीनदारी के सबब। तुम दीनदार औरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो। तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हों।'

(सहीह बुख़ारी : 5090, अबू दाऊद : 2047, नसाई : 6/68, इब्ने माजह : 1858)

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .

फ़ायदा : लोग आम तौर पर निकाह करते वक़्त औरत के हुस्नो-जमाल और माल व ख़ानदान को देखते हैं उसके दीन व अख़्लाक़ की बारी बिल्कुल आख़िर में आती है, हालांकि इस्लामी रू से असल चीज़ औरत का दीन व ईमान और उसका अख़्लाक़ है। दीन की बुनियाद पर अगर दूसरी चीज़ें भी मौजूद हों तो नूर अला नूर है, लेकिन दीन को छोड़कर बाक़ी ख़साइल या वुजूह व अस्बाब को इख़्तियार करना, मर्द के लिये परेशानी का बाइस है। जैसाकि आपका फ़रमान है, 'औरत से शादी महज़ हुस्नो-जमाल की बिना पर न करो क्योंकि उनका हुस्न, उनकी तबाही का बाइस बन सकता है, न माल की ख़ातिर शादी करो, माल सरकश और तुग़यान का सबब बन जाता है। लेकिन दीन की बुनियाद पर शादी करो, दीनदार स्याह और बद सलीक़ा लौण्डी भी अफ़ज़ल है।'

(3636) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में एक औरत से शादी की, फिर मेरी मुलाक़ात रसूलुल्लाह(ﷺ) से हुई तो आपने पूछा, ऐ जाबिर! शादी कर ली है? मैंने अर्ज़ किया, जी

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صلى الله

عليه وسلم فَقَالَ "يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ " . قُلْتُ ثَيِّبٌ . قَالَ " فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ . قَالَ " فَذَاكَ إِذًا . إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " .

हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी है या बेवा है?' मैंने कहा, शौहर दीदा है। आपने फ़रमाया, 'कुँवारी से निकाह क्यों नहीं किया, उससे अठकेलियाँ करते?' मैंने अर्ज़ किया, मेरी बहुत सी हमशीरगान (बहनें) हैं। मुझे अन्देशा पैदा हुआ कहीं वो मेरे और उनके दरम्यान हाइल ही न हो जाये। आपने फ़रमाया, 'तब ठीक है। क्योंकि औरत से शादी उसके दीन, उसके माल और उसके हुस्नो-जमाल की ख़ातिर की जाती है, तुम दीनदार को लाज़िम पकड़ो, तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हो।'
(नसाई : 6/65, इब्ने माजह : 1860)

باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

बाब 16 : कुँवारी दोशेज़ा से निकाह करना मुस्तहब है

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ تَزَوَّجْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا " . قُلْتُ ثَيِّبًا . قَالَ " فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا" . قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ "

(3637) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने एक औरत से शादी की और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझसे पूछा, 'क्या तूने शादी कर ली है?' मैंने कहा, जी हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी से शादी की है या बेवा से?' मैंने कहा, बेवा से शादी की। आपने फ़रमाया, 'तुम कुँवारी लड़कियों और उनकी मुलाअबत (हँसी-मज़ाक़) से क्यों ग़ाफ़िल रहे?' शोबा कहते हैं, मैंने ये हदीस अम्र बिन दीनार को सुनाई तो उसने कहा, मैंने जाबिर (रज़ि.) से सुनी है, आप(ﷺ) ने तो फ़रमाया था, 'दोशेज़ा से शादी क्यों न की तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती।'
(सहीह बुख़ारी : 5080)

मुफ़रदातुल हदीस़ : अज़ारा : अज़रा की जमा है। कुँवारी दोशेज़ा को कहते हैं, लिआ़ब के लाम पर अगर कसरा (ज़ेर) पढ़ें तो ये लाअ़ब का मुलाअ़बा के मानी में मस्दर होगा। मुराद आपस में प्यार व मुहब्बत का इज़हार है और अगर लाम पर पेश पढ़ें तो मुराद होगा बोसो-किनार, उसका लुआबे दहन चूसना। लेकिन मालूम होता है, अ़म्र बिन दीनार ने इसको लिआ़ब ही क़रार दिया था। इसलिये इस पर ऐतिराज़ किया और अपने अल्फ़ाज़ सुनाये और ये औ़रत हज़रत सहला बिन्ते मसऊ़द (रज़ि.) थीं जो अन्सार के क़बीले औस से ताल्लुक़ रखती थीं और ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-तबूक या ज़ातुर्रिक़ाअ़ से वापसी पर पेश आया (यानी सवाल, जवाब का)।

(3638) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे वालिद अ़ब्दुल्लाह फ़ौत हो गये और नौ या सात बेटियाँ छोड़ गये तो मैंने एक बेवा औ़रत से शादी कर ली और मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा, 'ऐ जाबिर! तूने शादी कर ली है?' मैंने जवाब दिया, जी हाँ! आप(ﷺ) ने पूछा, 'वो कुँवारी है या बेवा?' मैंने कहा, वो तो बेवा है। ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'दोशेज़ा से शादी क्यों न की, तू उससे खेलता वो तुमसे खेलती' या आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तू उससे हँसता-मुस्कुराता वो तुमसे हँसती-मुस्कुराती।' मैंने आपसे अ़र्ज़ किया, अ़ब्दुल्लाह ने वफ़ात के वक़्त नौ या सात बेटियाँ छोड़ीं और मैंने इस बात को नापसंद किया कि उनके पास उन जैसी नौ़उम्र ब्याह लाऊँ और इस बात को पसंद किया उनके पास ऐसी औ़रत लाऊँ जो उनकी ख़बरगीरी और इस्लाह करे। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह तुम्हें बरकत दे।' या आपने मेरे लिये ख़ैर के कलिमात कहे, अबू रबीअ़ की रिवायत में है,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ - أَوْ قَالَ سَبْعَ - فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ " . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ " . قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ " . أَوْ قَالَ " تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ " . قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ - أَوْ سَبْعَ - وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ . قَالَ " فَبَارَكَ اللَّهُ

لَكَ " . أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ " تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ " .

'तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती, तुम उससे ख़ुश तबई करते वो तुमसे ख़ुश मज़ाक़ी करती।'

(सहीह बुख़ारी : 5367, 6387, तिर्मिज़ी : 1100, नसाई : 6/61)

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) के वाक़िये से ये बात साबित होती है कि कुँवारी औरत से शादी करना बेहतर है, क्योंकि उसका किसी पहले ख़ाविन्द से वास्ता नहीं पड़ा होता, जिसके साथ कई बार उसका दिल मिला होता है और उसकी मुहब्बत उसके दिल में जागुज़ीं (बैठी) होती है, जिसके सबब वो दूसरे ख़ाविन्द को पूरा-पूरा मक़ाम नहीं दे सकती, लेकिन किसी मस्लिहत और हिक्मत के तहत बेवा से शादी करना बेहतर है। हज़रत जाबिर की सात या छ: बहनें कुँवारी थीं और दो या तीन शादीशुदा थीं इसलिये कुछ जगह नौ आया है और कुछ जगह सात या छ:।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ " أَصَبْتَ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

(3639) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा, 'ऐ जाबिर! तूने निकाह कर लिया है?' लेकिन रिवायत सिर्फ़ यहाँ तक बयान की है, ऐसी औरत लाऊँ जो उनकी देखभाल करे और उन्हें कंघी करे। आपने फ़रमाया, 'तूने ठीक काम किया।' बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 4052)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ، اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ

(3640) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं, हम एक जंग में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे, तो जब हम वापस आये तो मैंने अपने सुस्त रफ़्तार ऊँट को तेज़ करना चाहा। तो मुझे पीछे से एक सवार मिला और उसने अपनी छड़ी से उसे कचोका लगाया, तो मेरा ऊँट इन्तिहाई तेज़

بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ . فَقَالَ " أَبِكْرًا تزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا " . قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا . قَالَ " هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ" . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلاً - أَىْ عِشَاءً - كَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ " . قَالَ وَقَالَ "إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ".

रफ़्तारी से चलने लगा। जितना तेज़ रफ़्तार ऊँट कभी तूने चलते देखा होगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रसूलुल्लाह(ﷺ) को पाया। आपने पूछा, 'ऐ जाबिर! तुम्हें तेज़ी क्यों हैं?' मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने नई-नई शादी की है। आपने पूछा, 'कुँवारी से शादी की है या बेवह से?' मैंने कहा, बल्कि बेवा से। आपने फ़रमाया, 'दोशेज़ा से क्यों न की तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती?' जब हम मदीना पहुँचे और घरों में दाख़िल होने लगे, तो आपने फ़रमाया, 'रुक जाओ ताकि हम रात को दाख़िल हों, परागन्दा बाल कंघी कर सके और जिस औरत का ख़ाविन्द घर से बाहर है वो ज़ेरे नाफ़ का बाल साफ़ कर ले।' और आपने फ़रमाया, 'जब घर पहुँचो तो दानिशमन्दी और समझदारी से काम लेना।'
(सहीह बुख़ारी : 5079, 5245, 5246, 5247, अबू दाऊद : 2778)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **क़तूफ़ :** सुस्त रफ़्तार। (2) **शअिस़ह :** परागन्दा बाल। (3) **मुग़ीबह :** जिसका शौहर ग़ायब हो। (4) **अल्कैस :** जिमाअ, औलाद तलब करना, अक़्ल व दानिश, हज़्म व एहतियात और नर्मी व क़नाअत और सुकून व ठहराव।

फ़ायदा : नबी(ﷺ) ने छड़ी हज़रत जाबिर ही से ली थी, उस पर कुछ पढ़ा था और उसके मुँह पर पानी भी छिड़का था और इस हदीस़ से मालूम होता है अगर ख़ाविन्द कुछ मुद्दत के बाद घर आये और उसकी आमद का वक़्त मालूम न हो तो वो आमद की इत्तिलाअ देकर कुछ तवक़्क़ुफ़ करे ताकि औरत को अपने बनाव-संवार का मौक़ा मिल जाये, इस सूरत में रात को भी घर जा सकता है, अगर आने का वक़्त मालूम हो तो फिर तवक़्क़ुफ़ और इन्तिज़ार की ज़रूरत नहीं है और किसी वक़्त भी घर में दाख़िल हो सकता है और बीवी के पास जाते वक़्त हज़्म व एहतियात और सुकून व इत्मीनान को इख़्तियार करेगा। उज्लत बाज़ी और तेज़ी इख़्तियार नहीं करेगा क्योंकि असल मक़सद औलाद का हुसूल होगा महज़ पानी का बहाना मक़सद नहीं होगा।

(3641) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं एक जंग में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ निकला मेरा ऊँट सुस्त रफ़्तार चलने लगा। मेरे पास रसूलुल्लाह(ﷺ) पहुँचे, तो आपने पूछा, 'जाबिर हो?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! आपने पूछा, 'क्या मामला है?' मैंने अर्ज़ किया, मेरा ऊँट आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगा है वो थक गया है इसलिये मैं पीछे रह गया हूँ। आप सवारी से उतरे और उसे ख़मीदा छड़ी से कचोका लगाया फिर फ़रमाया, 'सवार हो जा।' तो मैं सवार हो गया और मैं अपने ऊँट को आपसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। आपने पूछा, 'क्या तूने शादी कर ली है?' मैंने जवाब दिया, जी हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी से या बेवा से?' मैंने कहा, बल्कि वो सय्यिब (बेवा) है। आपने फ़रमाया, 'दोशेज़ा से क्यों नहीं, तुम आपस में अठकेलियाँ करते?' मैंने अर्ज़ किया, मेरी बहनें हैं, इसलिये मैंने चाहा ऐसी औरत से शादी करूँ जो उन्हें अपने दामन में ले, उनकी कंघी-पट्टी करे और उनकी देखभाल रखे। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अब तुम पहुँच रहे हो, तो जब घर पहुँचो, अक़्ल और एहतियात से काम लेना।' फिर आपने पूछा, 'क्या अपना ऊँट बेचोगे?' मैंने कहा, (आपके इसरार के बाद) जी हाँ! तो आपने मुझसे उसे एक औक़िया (चालीस दिरहम) में ख़रीद लिया। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) (मदीना) पहुँचे और सुबह को मैं भी (अपने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي فَأَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " يَا جَابِرُ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " مَا شَأْنُكَ " . قُلْتُ أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ . فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ " ارْكَبْ " . فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَتَزَوَّجْتَ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ " أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا " . فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ . قَالَ " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ " . قُلْتُ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ . قَالَ " أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ " . ثُمَّ قَالَ " أَتَبِيعُ جَمَلَكَ " . قُلْتُ نَعَمْ . فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدِمْتُ

بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " الآنَ حِينَ قَدِمْتَ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ - قَالَ - فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ " ادْعُ لِي جَابِرًا " . فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الآنَ يَرُدُّ عَلَىَّ الْجَمَلَ . وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ أَبْغَضَ إِلَىَّ مِنْهُ فَقَالَ " خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ " .

मुहल्ले से) आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मैं मस्जिद में आया और आपको मैंने मस्जिद के दरवाज़े पर पाया। आपने पूछा, 'अभी पहुँचे हो?' मैंने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'अपने ऊँट को छोड़ दे और मस्जिद में जाकर दो रकअत नमाज़ पढ़।' मैंने मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी और फिर वापस आ गया। आप(ﷺ) ने बिलाल को हुक्म दिया कि वो मुझे चालीस दिरहम तोल दे। बिलाल ने मुझे चाँदी तोल दी और तराज़ू झुकाया, मैं लेकर चल दिया। जब मैंने पुश्त फेरी, तो आपने फ़रमाया, 'मेरे पास जाबिर को बुलाओ।' मुझे बुलाया गया तो मैंने सोचा, अब आप मेरा ऊँट वापस कर देंगे और मुझे उससे ज़्यादा नापसंद कोई और चीज़ न थी। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपना ऊँट ले लो और तुम्हें इसकी क़ीमत भी दी।'

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) के पास यही एक ऊँट था जिससे वो पानी ढोने का काम लेते थे, लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) के तकरार व इसरार पर आपको बेच दिया। आपने उसकी बहुत क़ीमत दी, इसलिये अब उसको वापस लेना पसंद नहीं था और ये ख़तरा भी था कि उसकी सुस्त रफ़्तारी लौट न आये या वो समझते थे, आप ऊँट के साथ क़ीमत भी देंगे और दोनों चीज़ें लेना मुनासिब नहीं है और आपने उन्हें जो एक क़ीरात ज़्यादा दिलवाया था वो उसको हमेशा अपनी थैली में रखते थे, यहाँ तक कि वो वाक़िया हर्रा में ज़ाया हो गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه

(3642) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ एक सफ़र में चल रहे थे और मैं पानी पिलाने वाले ऊँट पर सवार था, जो सब लोगों के पीछे था। तो

وسلم وَأَنَ عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ - قَالَ - فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ نَخَسَهُ - أُرَاهُ قَالَ - بِشَىْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لأَكُفُّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ " . قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ " أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ " . قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ وَقَالَ لِي " أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ " قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " ثَيِّبًا أَمْ بِكْرًا " . قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا . قَالَ " فَهَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا " . قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ . افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ .

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने किसी ऐसी चीज़ से जो आपके पास थी मारा या कचोका लगाया तो वो उसके बाद सब लोगों से आगे निकलने लगा। वो मेरे रोकने पर मुझसे कश्मकश करता था, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे फ़रमाया, 'क्या तुम मुझे ये इतनी-इतनी क़ीमत पर देते हो और अल्लाह तआला तुम्हें माफ़ फ़रमाये।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी! वो आपका है। आपने फ़रमाया, 'क्या तुम मुझे ये इतनी-इतनी क़ीमत पर बेचते हो? अल्लाह तुम्हें माफ़ फ़रमाये।' मैंने अ़र्ज़ किया, वो आपका है ऐ अल्लाह के नबी! और आपने मुझसे पूछा, 'क्या अपने बाप के बाद तूने शादी कर ली है?' मैंने कहा, जी हाँ! आपने पूछा, 'बेवा से या कुँवारी से?' मैंने अ़र्ज़ किया, बेवा से। आपने फ़रमाया, 'कुँवारी से शादी क्यों न की तुम उससे ख़ुश तबई करते वो तुमसे ख़ुशलगी करती, वो तुमसे दिल लगी करती तुम उससे दिल लगी करते?' अबू नज़रह कहते हैं, मुसलमानों का ये मुहावरा और रोज़मर्रा का मामूल था या तकिया कलाम था, वो कहते थे ये काम करो, अल्लाह तआ़ला तुम्हें माफ़ फ़रमाये।

(सहीह बुख़ारी : 2718, नसाई : 7/299, 7/300, इब्ने माजह : 2205)

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) के वाकिये निकाह से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में मज्लिसे निकाह क़ायम करने और उसमें दोस्त व अहबाब या उ़लमा और मशाइख़ को दावत देने का रिवाज और एहतिमाम न था। इसलिये आपने जाबिर से पूछा, तुमने शादी कर ली है? आपका हज़रत

जाबिर से ख़ुसूसी ताल्लुक़ और राबता था और आपने शादी की ख़बर सुनकर उनके लिये दुआए ख़ैर भी की और आपसे ज़्यादा सहाबा किराम के नज़दीक कोई महबूब और मोहतरम और बाबरकत शख़्सियत न थी और आपने भी जाबिर से ये नहीं फ़रमाया, भई! तुमने मुझे क्यों दावत न दी। अगर ये शरअ़न मतलूब होता तो आप उसके एहतिमाम की तल्क़ीन व ताकीद फ़रमाते। इसी तरह आपने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ के जिस्म पर ज़र्द रंग की छाप देखकर पूछा और उनके बताने पर उसको बरकत की दुआ की, क्योंकि शरीअ़त में असल मतलूब निकाह में सहूलत और आसानी पैदा करना और फ़रीक़ैन को ख़र्चे की मशक़्क़त से बचाना है।

बाब 17 : औरतों के बारे में ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी की तल्क़ीन

باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

(3643) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'औरत की सरशत (फ़ितरत) में कजी है वो एक रवैये पर क़ायम नहीं रह सकती, अगर उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कजी को बर्दाश्त करके फ़ायदा उठा लो और अगर उसको सीधा करने लगोगे तो उसको तोड़ दोगे और उसका तोड़ना तलाक़ है।'

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا " .

(3644) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है, वो जब किसी मामले से दोचार हो, कोई बात पेश आये तो अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे और औरतों से ख़ैरख़्वाही करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का ऊपर का

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ

خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" .

हिस्सा ज़्यादा टेढ़ा है। अगर तुम उसको सीधा करने लगोगे उसको तोड़ दोगे और अगर उसको छोड़ दोगे तो वो टेढ़ा ही रहेगा, औरतों से ख़ैरख़्वाही करो।'

(सहीह बुख़ारी : 3331)

फ़ायदा : औरत पसली से पैदा की गई है के दो मानी बन सकते हैं, (1) औरत में तबई और फ़ितरी तौर पर कुछ कुसूर और कजी है। जैसाकि कुरआन मजीद में है, ख़ुलिक़ल इन्सानु मिन अजल 'इंसान जल्दबाज़ है।' (सूरह अम्बिया : 37) दूसरा मानी है कि वो पसली से पैदा की गई है। जैसाकि कुरआन मजीद में है, ख़लक़कुम्-मिन्नफ़्सिंव् वाहिदा 'इंसानों को एक ही जान (आदम) से पैदा किया है।' ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा 'उससे उसकी बीवी (हव्वा) को पैदा किया।' (सूरह निसा : 1) अगर हव्वा, आदम की बायें पसली से पैदा नहीं हुई तो फिर इंसानों की तख़्लीक़ एक नफ़्स की बजाय दो नफ़्सों से हुई है। हालांकि कुरआन मजीद ने एक नफ़्स से तख़्लीक़ क़रार दी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि हव्वा की तख़्लीक़ जब आदम (अलै.) सोये हुए थे तो उनकी बायें छोटी पसली से हुई। पसली का ऊपर का हिस्सा ज़्यादा कज होता है, इसलिये औरत में ज़्यादा कजी उसकी ज़बान में होती है और इस्तौसू बिन्निसाइ ख़ैरा के तीन मफ़्हूम मुराद लिये गये हैं उनके बारे में अपने नफ़्सों से ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी चाहो (2) उनके बारे में ख़ैरख़्वाही की नसीहत कुबूल करो। (3) उनके बारे में एक दूसरे को ख़ैरख़्वाही की तल्क़ीन करो और इसमें इस तरफ़ भी इशारा है कि औरत अगरचे पसली के आला और ज़्यादा कज हिस्से से पैदा की गई है, इसका ये मक़सद नहीं है उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं करनी चाहिये या उन्हें ख़ैर की तल्क़ीन और भलाई का हुक्म नहीं देना चाहिये, बल्कि असल मक़सद ये है कि उनसे प्यार व मुहब्बत और रिफ़्क़ व मुलायमत (नर्मी) का रवैया इख़्तियार करके उनकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिये। तशद्दुद और इन्तिहा पसन्दी इख़्तियार नहीं करनी चाहिये, इसलिये इमाम बुख़ारी ने बाब कू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा क़ायम किया है कि अपने आपको और अपने अहलो-अयाल को आग से बचाओ। और कुरआन मजीद में है, फ़इज़ूहुन्न वह्जुरूहुन्न फ़िल्मज़ाजिइ वज़्रिबूहुन्न (सूरह निसा) उन्हें नसीहत करो, उनको बिस्तरों में अलग छोड़ दो और उनको मारो, लेकिन ज़र्बे शदीद न हो या मामला तलाक़ तक न पहुँचे कि घर का नज़्म (सिस्टम) ही बिखर जाये।

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ

(3645) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मोमिन मर्द, मोमिन बीवी से बुग़्ज़ व इनाद न

الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ " . أَوْ قَالَ " غَيْرَهُ " .

रखे, अगर वो उसकी किसी आदत को नापसंद करता है तो दूसरी ख़स्लत को पसंद कर सकता है।' या आपने आख़र की बजाय वग़ैरह फ़रमाया।

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़रिक (समिआ) फ़रका : बुग़्ज़ व इनाद रखना, ये लफ़्ज़ सिर्फ़ मियाँ-बीवी के लिये इस्तेमाल होता है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

(3646) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं।

फ़ायदा : शौहर को बीवी के बारे में दिल में बुग़्ज़ व इनाद नहीं रखना चाहिये, अगर उसकी कुछ आदतें नापसन्दीदा हैं तो उसमें पसन्दीदा आदात भी तो होंगी, उनको भी मल्हूज़ रखना चाहिये कि ये भी मुम्किन है और सब्र व शकीब के नतीजे में अल्लाह तआला उससे नजीब व सईद औलाद इनायत फ़रमा दे, जो इंसान के दिल का सुरूर और आँखों का नूर बने और उसका नाम रोशन कर दे।

باب لَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

बाब 18 : अगर हव्वा नहीं होती तो कभी औरत अपने ख़ाविन्द से ख़यानत न करती

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

(3647) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर हव्वा (ख़यानत न करती) तो कोई औरत अपने शौहर से कभी ख़यानत न करती।'

फ़ायदा : हज़रत आदम (अलै.) को जन्नत में एक दरख़्त का फल खाने से मना किया गया था। शैतान ने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से हव्वा को अपने पीछे लगा लिया और फिर उन्होंने आदम को भी उकसाया और दरख़्त का फल खाने की तरग़ीब दिलाई। उनका शैतान के वस्वसे को क़ुबूल करके, आदम को उस काम के लिये आमादा करना ही उनकी ख़यानत थी। क़ुरआन मजीद में है, फ़वस्वस लहुमश्शैतानु फिर शैतान ने उनके लिये वस्वसा डाला। व क़ासमहुमा और दोनों से बार-बार क़सम उठाकर कहा। लेकिन शारेहीने हदीस़ इमाम नववी, हाफ़िज़ इब्ने हजर ने यही लिखा है कि शैतान के वस्वसे में पहले हव्वा आईं अगरचे कोशिश तो दोनों को बहलाने-फुसलाने की थी जदीद शारेहीन ने यही नक़ल किया है। (देखिये मिन्नतुल मुन्इम फ़ी शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 427 तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 1, पेज नं. 126) और तमाम औरतें चूंकि हव्वा की औलाद हैं, इसलिये उनके अंदर भी ये कमज़ोरी मौजूद है कि वो जल्द राहे रास्त से बहक जाती हैं और अपने ख़ाविन्द को भी अपने पीछे लगाने की कोशिश करती हैं और उसके लिये नुक़सान व ख़राबी का बाइस़ बनती हैं, इसलिये शौहर को ग़ज़बनाक होने की बजाय हज़्म व एहतियात इख़्तियार करते हुए उनकी ख़्वाहिशात पर क़ाबू पाना चाहिये, ये ऐसे ही जैसाकि दूसरी हदीस़ है, आदम ने (भूलकर) इंकार किया और अब इंकार की आदत उसकी औलाद में भी मौजूद है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ " .

(3648) इमाम साहब सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बिह से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर बनू इस्राईल न होते तो खाना ख़राब न होता और गोश्त बदबूदार न होता और अगर हव्वा न होती तो कोई औरत कभी अपने ख़ाविन्द से ख़यानत न करती।'
(सहीह बुख़ारी : 3399)

फ़ायदा : बनू इस्राईल से पहले लोगों के अंदर खाने का ज़ख़ीरा करना गोश्त को उठा रखने का रिवाज न था, इसलिये खाना ख़राब नहीं होता था और गोश्त के अंदर बदबू पैदा नहीं होती, लेकिन बनू इस्राईल ने खाना रखना शुरू कर दिया और गोश्त को भी रखने लगे और उनसे ये आदत बाद वाली अक़्वाम में सरायत कर गई और उसका चलन आम हो गया। इसलिये खाना ख़राब हो जाता है और गोश्त में बदबू पैदा हो जाती है, लेकिन अब नई ईजादात के नतीजे में अमीर लोग इससे बचने लगे हैं।

बाब 19 : दुनिया का बेहतरीन सामान नेक औरत है

باب خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

(3649) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'दुनिया मताअ है (चन्द रोज़ा सामान है) और दुनिया का बेहतरीन मताअ (फ़ायदे वाला सामान) नेक औरत है।'

(नसाई : 6/69, इब्ने माजह : 1855)

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" .

फ़ायदा : अल्लामा तक़ी उसमानी ने अलग-अलग हदीसों की रोशनी में औरत में मत्लूबा सिफ़ात नीचे दी गई ज़िक्र की हैं :

(1) दीनदार हो (2) हसब व नसब वाली हो (3) कुँवारी हो (4) प्यार व मुहब्बत करने, बच्चे जनने वाली हो (5) उमूरे ख़ानादारी का सलीक़ा रखती हो (6) ख़ाविन्द की इताअत गुज़ार और फरमांबरदार हो (7) पाकदामन हो (8) हुस्नो-जमाल से मुत्तसिफ़ हो (9) बहुत ज़्यादा ग़ैरतमन्द हो (10) सादा मिज़ाज हो तकल्लुफ़ात की रसिया न हो, उससे निकाह के लिये मशक़्क़त व कुल्फ़त न उठानी पड़े। अहादीस के लिये देखिये (तक्मिला, जिल्द 1, पेज नं. 120-121)

बाब 20 : औरतों के बारे में तल्क़ीन

باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

(3650) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'औरत पसली की तरह है अगर उसको सीधा करने लगोगे तो तोड़ डालोगे और अगर उसी तरह छोड़ दोगे, तो उसकी कजी और टेढ़पन के बावजूद उससे फ़ायदा उठा सकोगे।'

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ".

मुफ़रदातुल हदीस़ : अवज : नज़र आने वाली चीज़ों की कजी और टेढ़ को कहते हैं और ग़ैर माद्दी चीज़ों में कजी को इवज कहते हैं।

फ़ायदा : आपने औरत को पसली के साथ तश्बीह देकर, इन्तिहाई बलीग़ और मुअस्सिर तरीक़े से ये बात समझा दी है कि जिस तरह पसली को सीधा करना मुम्किन नहीं है उसी तरह औरत को बिल्कुल सीधा कर देना कि उसकी कजी और नुक़्स मुकम्मल तौर पर दूर हो जाये मुम्किन नहीं है अल्लाह तआला ने तबई और फ़ितरी तौर पर इसकी सरशत (फ़ितरत) में कुछ सख़्ती और बद अख़्लाक़ी रखी है उसको गवारा (बर्दाश्त) करना चाहिये और उसकी कजी को मुकम्मल तौर पर दूर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, वरना उसका नतीजा नाचाक़ी और तलाक़ निकलेगा।

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . مِثْلَهُ سَوَاءً .

(3651) इमाम साहब दूसरे उस्ताद से ऊपर वाली हदीस़ नक़ल करते हैं।
(तिर्मिज़ी : 1188)

इस किताब के कुल बाब 9 और 90 हदीसें हैं।

19

كتاب الطلاق

किताबुत्तलाक़
तलाक़ का बयान

हदीस नम्बर 3652 से 3742 तक

तआरुफ़ किताबुत्तलाक़

इस्लाम दीने फ़ितरत है। बहुत से दूसरे धर्मों के बर ख़िलाफ़ इसमें निकाह के इन्तिहाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ-साथ ये हक़ीक़त भी तस्लीम की गई है कि कुछ सूरतों में मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ निबाह करने के क़ाबिल नहीं होते। कई बार किसी वजह से ऐसी ख़लीज (दराड़) पैदा हो जाती है कि आगे निभाने मुम्किन नहीं रहता। इस सूरत में सारे घराने को मुसलसल चपक़लिश और फ़साद की अज़ियत में मुब्तला रखने की बजाय दोनों को अच्छे तरीक़े से अलग करके मुस्बत तरीक़े पर अपनी-अपनी ज़िन्दगी को नये सिरे से शुरू करने का हक़ देना ज़रूरी है। शुरू में किसी दूसरे धर्म के मानने वालों की तरफ़ से इस्लाम में तलाक़ के जाइज़ होने पर शदीद तन्क़ीद की गई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मोअतरिज़ीन की अक्सरियत इस्लाम के फ़ितरी उसूलों की बरतरी की क़ाइल हो गई। तक़रीबन सबने एक या दूसरा तरीक़ा इख़्तियार करके हक़्क़े तलाक़ को अपना लिया। कुछ ने अपने दीन में नया फ़िर्क़ा बना कर इसे अपनाया और कुछ ने हुकूमती क़वानीन के ज़रिये से अपने ही दीन के उसूलों को रद्द कर दिया।

इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसने तलाक़ के लिये एक बाक़ाइदा तरीक़ेकार दिया है, जो दानाई और शाइस्तगी पर मबनी है, इसमें तमाम फ़रीक़ों के हुक़ूक़ के बारे में सराहत कर दी गई है और उनके तहफ़्फ़ुज़ का एहतिमाम किया गया है। कुरआन करीम और रसूलुल्लाह(ﷺ) के फ़रामीन की रू से तलाक़ का सहीह तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तलाक़ देने के लिये सहीह वक़्त मल्हूज़ रखा जाये और वो वक़्त औरतों की हालते तुहर (जब औरत हालते हैज़ में न हो) का है। ऐसा तुहर जिसमें मियाँ-बीवी ने मुजामिअ़त न की हो। इसका मक़सद ये है कि औरत किसी उलझन में पड़े बग़ैर इसी तुहर से अपनी इद्दत का शुमार कर सके। कुरआन मजीद ने इद्दत का हुक्म देते हुए फ़रमाया है, 'ऐ नबी! जब आप लोग औरतों को तलाक़ दें तो उनको उनकी इद्दत पर तलाक़ दें और इद्दत को गिनते रहें और अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करें जो तुम्हारा रब है और उन औरतों को उनके घरों से न निकालें और वो भी न निकलें मगर ये कि किसी सरीह बेहयाई का काम करें, ये अल्लाह की हदें हैं, जो कोई इन हदों से बाहर निकले तो उसने अपनी ज़ात पर ज़ुल्म किया, आप नहीं जानते शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया मामला (रास्ता) निकाल दे।' (सूरह तलाक़ 65 : 1)

इस तरह अगर इद्दत के अंदर रुजूअ हो जायेगा तो टूटता हुआ घर बच जायेगा। अगर रुजूअ न हुआ तो इद्दत गुज़रने पर अलग हो जायेंगे, लेकिन दोबारा निकाह से घर बसने की गुंजाइश बाकी रहेगी। दूसरी बार तलाक़ देने के लिये भी यही तरीक़ा इख़्तियार करने का हुक्म दिया गया है। इस बार भी फिर से घर बस जाने का रास्ता खुला रहेगा। अल्लाह तआला ने, 'शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया रास्ता

निकाल दे' में इसी गुंजाइश की तरफ़ इशारा किया है। इस्लाम चूंकि हर मुम्किन हद तक घर को बनाना चाहता है इसलिये निकाह की बहाली (रुजूअ) के हक़ को दोनों फ़रीक़ों में बांटने की बजाय, जिससे अ़द्मे इत्तिफ़ाक़ बढ़ जाता है, ये हक़ मर्द को तफ़वीज़ किया है। इसके बारे में ये उम्मीद है कि वो ज़्यादा जिम्मेदारी, तहम्मुल और अ़क़्लमन्दी से काम लेगा। चूंकि वही घर का सरबराह है इसलिये शादी को निभाने की ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी इसी पर आ़इद होती है। अल्लाह तआ़ला के फ़रमान, 'फिर अच्छे तरीक़े से रोक लेना है।' (सूरह बक़रह 2 : 229) और 'और उनके ख़ाविन्द अगर इस्लाहे अहवाल चाहते हैं तो वो इस मुद्दत में उन्हें वापस लेने के ज़्यादा हक़दार हैं।' (सूरह बक़रह 2 : 228) में यही बात बयान की गई है। शादी को बहाल करके आगे चलाने का माहौल बरक़रार रखने के लिये ये भी कहा गया कि जो कुछ बीवी को बतौरे हुस्ने सुलूक दिया गया है तलाक़ के वक़्त वो न छीना जाये। अगर दूसरी कोशिश के बावजूद भी शादी का बरक़रार रहना मुम्किन न हो और मर्द तीसरी बार भी तलाक़ ही का फ़ैसला कर ले तो ये तीसरी तलाक़ बायना (दोनों के दरम्यान हतमी जुदाई करने वाली) होगी। अब ये औरत पहले मर्द के निकाह में दोबारा नहीं आ सकेगी। हाँ अगर घर बसाने की निय्यत से वो किसी और के साथ शादी कर ले और वो अपने नये ख़ाविन्द के साथ बाक़ाइदा तौर पर एक बीवी की हैसियत से ज़िन्दगी शुरू कर दे, दोनों मियाँ-बीवी इज़्दवाजी ज़िन्दगी के तमाम तक़ाज़े पूरे करें और फिर किसी वजह से दोनों में जुदाई हो जाये या दूसरा ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो वो औरत फिर से पहले ख़ाविन्द के साथ निकाह की मजाज़ होगी। इस तीसरी बार की तलाक़ के हवाले से क़ुरआन मजीद ने फ़रमाया, 'फिर अगर वो उसे (तीसरी) तलाक़ दे दे तो उसके बाद वो उसके लिये हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके अ़लावा किसी और ख़ाविन्द से निकाह करे।' (सूरह बक़रह 2 : 230) इसमें लफ़्ज़ 'ज़ौजन' अहम है, इससे थोड़े से वक़्त का तैसि मुस्तआर (किराये का साण्ड जिसके साथ वक़्ती तौर पर निकाह किया जाता है और जो मुत्अ़ह से भी बदतर सूरत है) मुराद नहीं लिया जा सकता। 'तैसि मुस्तआ़र' की इस्तिलाह रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हलाला करने वाले के लिये इस्तेमाल फ़रमाई है। (सुनन इब्ने माजह : 1936, मुस्तदरक हाकिम : 2/198-199, सुननुल कुबरा लिल्बैहक़ी : 7/208) ये फ़रमा कर आप(ﷺ) ने वाज़ेह फ़रमा दिया है कि ऐसा शख़्स 'ज़ौज' नहीं होता।

अगर मियाँ-बीवी का मिज़ाज बिल्कुल नहीं मिलता और शादी को हतमी तौर पर ख़त्म करने ही का फ़ैसला हो जाता है और मुख़्तसर अ़रसे में ये मक़सद हासिल करना ज़रूरी है तो इसके लिये ये तरीक़ा है कि पहले तुहर के बाद एक तुहर गुज़रने दे, फिर अलग-अलग दो मज़ीद तुहरों में उसे तलाक़ दे। ये बात किताबुत्तलाक़ के पहले बाब की हदीसों में मुफ़स्सल बयान हुई है। इस तरीक़े में भी सुलह और दोबारा रिश्ता जोड़कर आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद रहती है। इसमें औरत और मर्द दोनों के हवाले

से मर्द के इक़्दामे तलाक़ के नुक़सान को महदूद करने का एहतिमाम मौजूद है। औरत के लिये ये आसानी भी है कि वो किसी मुश्किल के बग़ैर इद्दत को शुमार कर सकती है।

ये इंसानी कमज़ोरी है कि वो जल्दबाज़ी या जज़्बातियत या ऐसे ही किसी सबब से मुक़र्रर तरीक़ों से मुँह मोड़ता है। एक अच्छा निज़ामे क़ानून इस तरह की ग़ल्तियों के हवाले से भी ऐसे ज़वाबित बनाता है कि बुनियादी अहदाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके और ज़रर का दायरा कम से कम किया जा सके। तलाक़ के हवाले से जो ग़ल्तियाँ हो सकती हैं उनमें सबसे अहम ये है कि तलाक़ हालते तुहुर की बजाय हालते हैज़ में दे दी जाये। यही ग़लती हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से हुई। रसूलुल्लाह(ﷺ) उस पर सख़्त नाराज़ हुए और उसको एक तलाक़ शुमार करते हुए अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को अपना इक़्दाम वापस लेने (रुजूअ करने) और उसके बाद आइन्दा के तमाम मरहले इस्लाम के बताये हुए तरीक़े से तय करने का हुक्म दिया।

दूसरी ग़लती और उसका सबब भी गुस्से की शिद्दत और जल्दबाज़ी होती है कि इंसान तीन या तीन से भी ज़्यादा तलाक़ें एक साथ देने का ऐलान कर दे। ये ऐसी ग़लती है कि अगर इसको नाफ़िज़ कर दिया जाये तो तलाक़ देने वाले के अलावा बीवी और अगर बच्चे हों तो उनको सख़्त नुक़सान पहुँचता है और उसके मदावे की कोई भी सूरत बाक़ी नहीं बचती। इसमें उन बच्चों का तो कोई क़ुसूर भी नहीं होता। इस्लाम ने इस ग़लती के नुक़सान का दायरा महदूद करने के लिये इसे एक तलाक़ क़रार दिया है। इस सिलसिले में क़ुरआन मजीद के अल्फ़ाज़ और सहीह अहादीस़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। अत्तलाक़ु मर्रतान से वाज़ेह तौर पर दो बार की अलग-अलग तलाक़ें मुराद हैं। अरबी लुग़त में मर्रतान से मुराद मर्रतन बअ्-द मर्रतिन (एक बार उसके बाद दूसरी बार) है। लिसानुल अरब में सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि का मानी युअज़्ज़बू-न बिल्ईसाक़ि वल्क़त्लि, वक़ी-ल बिल्क़त्लि व अज़ाबिल क़ब्रि बताया गया है। इस आयत का मानी बयान करते हुए अल्लामा ज़मख़्शरी कहते हैं, तलाक़, तलाक़ देने के मानी में है, जिस तरह सलाम, सलाम कहने के मानी में है। यानी शरई तौर पर तलाक़ देना ये है कि अलग-अलग, इकट्ठा किये और एक ही बार आगे चलाये बग़ैर एक के बाद दूसरी तलाक़ दी जाये (अल्लाह तआला ने) मर्रतैन से तस्निया (दो तलाक़ें) मुराद नहीं लिया बल्कि दूसरी बार तलाक़ देना मुराद लिया है। (अल्कश्शाफ़ : 1/273) बिल्कुल यही बात मौलाना अशरफ़ अली थानवी के उस्ताद मुहम्मद थानवी ने कही है, ... (हाशिया अल्लामा सिन्धी सुनन नसाई बिशरह जलालुद्दीन सुयूती, तहत हदीस़ : 3401, दारुल मअरिफ़ह, लिबनान)

क़ुरआन ही में इसकी और मिसालें भी मौजूद हैं जैसे कहा गया है, 'क्या ये लोग देखते नहीं कि इनको आज़माइश में डाला जाता है हर साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा।' (सूरह तौबा 9 : 126) यहाँ

मर्रतैन से वाज़ेह तौर पर पूरे साल की मुद्दत में अलग-अलग दो मर्तबा की आज़माइश मुराद है। इसी तरह क़ुरआन मजीद में है, 'ऐ ईमान वालो! तुम्हारे मम्लूका ग़ुलाम और तुम्हारे नाबालिग़ बच्चे तीन बार इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आया करें।' (सूरह नूर 24 : 58) इसमें तीन अलग औक़ात में इजाज़त लेना मुराद है न कि एक ही घड़ी में तीन औक़ात का इज्तिमाअ। मर्रतान (दो बार) और सलास़ मर्रात (तीन बार) में तफ़रीक़ का मफ़्हूम हतमी तौर पर शामिल है।

इमाम राज़ी (रह.) ने आयत के बिल्कुल यही मानी बयान किये हैं, मशरूअ तलाक़ ये है कि अलग-अलग तलाक़ दी जाये क्योंकि 'मर्रात' बिलइज्माअ तफ़र्रुक़ के बाद ही मुम्किन है।' क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती (रह.) इसी को क़ियास के मुताबिक़ बताते हैं, 'क़ियास का तक़ाज़ा ये है कि इकट्ठी दी गई दो तलाक़ें शरअन मोतबर न हों।' (तफ़्सीर मज़हरी सूरह बक़रह 2 : 229) आयत से ये वाज़ेह है कि अल्लाह तआला ने मर्द को अलग-अलग तलाक़ें देने ही का इख़्तियार दिया है। जब जमा करने का इख़्तियार ही नहीं दिया गया तो एक पल में दी जाने वाली तीन तलाक़ें किस तरह तीन वाक़ेअ हो जायेंगी।

कुछ हजरात ने कहा है कि अत्तलाकु मर्रतान से मुराद ये नहीं है कि दो तलाक़ें अलग-अलग दी जायें बल्कि ये मुराद है कि दो तलाक़ें रजई हैं। अगर यही मानी मुराद लिया जाये तो जब ख़ाविन्द को पहली दो मर्तबा की तलाक़ों के साथ रज्अत (लौटाने) का हक़ क़ुरआन ने दिया है तो इस हक़ को छीन कर मासूम बच्चों समेत सारे ख़ानदान को तबाह करने का हक़ किसी और को कहाँ से हासिल हुआ है।

एक ही वक्त में तीन तलाक़ों को तीन क़रार देने वालों की दलील ये है कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने ऐसा किया और इस पर सहाबा का इज्माअ हुआ। ये सहीह मुस्लिम की हदीस़ है जो बाब तलाक़ुस्सलास़ में तीन तुरुक़ से रिवायत की गई है। (हदीस़ : 3673-3675) इसमें हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह(ﷺ), अबू बक्र और हज़रत उ़मर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के शुरूआती दो सालों में तीन तलाक़ें एक शुमार होती थीं, फिर हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, जिस काम में लोगों के लिये तहम्मुल और आहिस्ता रवी थी उसमें उन्होंने उ़ज्लत (जल्दबाज़ी) शुरू कर दी है। कितना अच्छा हो हम उन पर इसे नाफ़िज़ कर दें। उसके बाद उन्होंने उसे एक साथ (यानी तीन तलाक़ों को) उन पर नाफ़िज़ कर दिया।

इस हदीस़ में कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान हुई है (1) लोगों के लिये हुक्म यही था कि तलाक़ में जल्दबाज़ी न करें एक ही तलाक़ दें या अलग-अलग तुहरों में एक-एक करके तलाक़ दें। अगर कोई शख़्स जल्दबाज़ी करके एक साथ तीन तलाक़ें दे देता तो नबी(ﷺ) के ज़माने, अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दौर में और हज़रत उ़मर (रज़ि.) की इमारत के पहले दो सालों में

इनको तीन शुमार न किया जाता था। (2) हज़रत उमर (रज़ि.) ने देखा कि लोग तहम्मुल और आहिस्ता रवी के हुक्म पर अमल ही नहीं करते, एक मज्लिस में एक से ज़्यादा बार तलाक़ के अल्फ़ाज़ दोहराने को अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी ही नहीं गरदानते। जिस मामले में ख़ूब ग़ौर व ख़ोज़ और पूरे तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है उसमें उज्लत (जल्दबाज़ी) बरतते हैं, तो इस ग़र्ज़ से कि लोग तलाक़ का वही असल तरीक़ा इख़्तियार करें जिसकी रसूलुल्लाह(ﷺ) सख़्ती से तल्क़ीन फ़रमाते थे, हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस बारे में सहाबा से मशवरा किया कि एक मज्लिस की तीन तलाक़ों को तीन के तौर पर ही क्यों न नाफ़िज़ कर दिया जाये और फिर आपने ऐसा ही किया।

ये हक़ीक़त है कि सहाबा की अक्सरियत ने इसे वक़्त की ज़रूरत समझते हुए इस तर्बियती और इन्तिज़ामी हुक्म को क़ुबूल किया, लेकिन इस पर इज्माअ न हुआ, न बाद ही के किसी दौर में इस पर इज्माअ हुआ। सहाबा में से हज़रत अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अब्दुर्रहमान बिन औफ़ और ज़ुबैर बिन अव्वाम (रज़ि.) उनके बाद ताबेईन में अता, ताऊस और अम्र बिन दीनार (रह.) और बाद के मुतअद्दिद अहले इल्म जैसे मुहम्मद बिन वज़ाह, क़ुर्तुबा के उलमा मुहम्मद बिन तक़ी बिन मुख़ल्लद, मुहम्मद बिन अब्दुस्सलाम ख़ुशनी (रह.) इसी के क़ाइल थे कि एक बार दी हुई एक से ज़्यादा तलाक़ें दरअसल एक बार की तलाक़ है जिसके बाद रुजूअ का हक़ मौजूद रहता है। (फ़तहुल बारी, तलाक़, बाब मन जव्वजत्तलाक़स्सलास) ज़ाहिरिया और दूसरे कई उलमा इसे एक ही तलाक़ क़रार देते हैं। उनके नज़दीक लफ़्ज़ (के तकरार) का इसमें कोई असर नहीं। .... अहले बैत में से अक्सर बशमूल इमाम ज़ैद बिन अली इसी के क़ाइल हैं। (नैलुल अवतार : 6/260, तबाअत मुअसिस्सतुत्तारीख़ अल्अरबी) मुहम्मद बिन इस्हाक़, ख़लास बिन अम्र, हारिस अकली, दाऊद बिन अली (रह.) और उनके अस्हाब (ज़ाहिरिया) इमाम मालिक (रह.) के मुतअद्दिद शागिर्द और कई हनफ़ी उलमा भी इसी के क़ाइल रहे। (अअ्लामुल मूक़िईन : 3/46, तबाअत दारुल फ़िक्र) हज्जाज बिन अरताह और मुहम्मद बिन मुक़ातिल (हनफ़ी) का यही नुक़्त-ए-नज़र था। (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी : 10/104)

हज़रत उमर (रज़ि.) के अपने अल्फ़ाज़ वाज़ेह तौर पर इस बात पर दलालत करते हैं कि उनके इज्तिहादी इक़्दाम से पहले एक मज्लिस की एक से ज़्यादा तलाक़ों को ज़्यादा तलाक़ों की सूरत में कभी नाफ़िज़ नहीं किया गया था। ये वही बात है जिसकी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इसी हदीस में वाज़ेह तौर पर ख़बर दी है। कुछ हज़रात इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत को बैक वक़्त क़ुबूल भी करते हैं और रद्द भी। वो उसी बात को जो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के हवाले से बयान की, अपनी बुनियादी दलील के तौर पर लेते हैं और ये भी कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) के इस इज्तिहाद

पर सहाबा का इज्माअ़ हो गया था (जो नहीं हुआ था) और इसी हदीस़ के पहले हिस्से को कि रसूलुल्लाह(ﷺ), अबू बक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के दौर और उ़मर (रज़ि.) के दौर के पहले दो सालों में तीन तलाक़ों को एक ही समझा जाता था, ये कहकर रद्द कर देते हैं कि उसके रावी हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का फ़तवा इसके ख़िलाफ़ है इसलिये इस रिवायत को कुबूल नहीं किया जा सकता। (तफ़्हीमुल क़ुरआन : 5/559) साहिबे तफ़्हीमुल क़ुरआन ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत के बारे में ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं, 'लेकिन ये राय कई वजहों से क़ाबिले कुबूल नहीं।' मौसूफ़ ने अपनी बात बढ़ाने के लिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत को उनकी 'राय' क़रार दे दिया। हक़ीक़त यही है कि किसी भी रावी की रिवायत के ख़िलाफ़ उसकी राय का ऐतबार नहीं होता। अगर राय रद्द करनी है तो जिसे आप हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का फ़तवा क़रार दे रहे हैं उसी को रद्द करें कि सहाबी के इज्तिहाद में ग़लती का इम्कान तस्लीम किया जाता है, उसकी दयानत व अमानत पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। उनके इज्तिहाद से इख़्तिलाफ़ हो सकता है, उनकी रिवायत को रद्द नहीं किया जा सकता। फिर रिवायत का वो हिस्सा जिसे ये हज़रात कुबूल करते हैं और मौलाना मौदूदी (रह.) ने भी हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत रद्द करने के बाद उसी को दलील के तौर पर पेश किया है लेकिन उसमें भी ख़ुद हज़रत उ़मर (रज़ि.) के अपने अल्फ़ाज़ में ये दोनों बातें मौजूद हैं कि पहले एक मज्लिस की तीन तलाक़ें तीन न समझी जाती थीं, हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने अब तीन क़रार देने के लिये पहले अपनी ख़्वाहिश और राय का इज़हार किया और फिर तीन क़रार दे दीं। मुझे मालूम नहीं कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) के इस इक़रार के बावजूद कि ये राय उनकी है और अब से नाफ़िज़ुल अ़मल होगी, मौलाना मौदूदी के नज़दीक उनकी भी ख़बर ही रद्द होगी या उनका इज्तिहाद? वैसे तो ये बिल्कुल सहीह सनद से दी गई ख़बर ही है जिसे मानना बहुत गिराँ गुज़र रहा है।

तमाम सहीह और क़ाबिले ऐतमाद रिवायात को सामने रखा जाये तो ये हक़ीक़त सामने आती है कि जिस तरह हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और हज़रत उ़मर (रज़ि.) के अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर होता है कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) के हुक्म से पहले एक साथ दी गई तीन तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाता था। उन हज़रात में मौलाना मौदूदी भी शामिल हैं, कुछ अहादीस़ से एक साथ दी गई तीन तलाक़ों को तीन शुमार करने का इस्तिदलाल किया है उन्होंने या तो ज़ईफ़ अहादीस़ से इस्तिदलाल किया है या हदीस़ के अल्फ़ाज़ में 'एक साथ' का लाहिक़ा अपनी तरफ़ से शामिल कर दिया है। जैसे सुननुल कुबरा लिल्बैहक़ी : 7/330, सुनन दारे क़ुतनी : 4/20, 3929 और मअ़रिफ़तुस्सुनन वल्आस़ार : 11/36, 14664, 14665, में हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से रिवायत करदा अल्फ़ाज़, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं तीन तलाक़ें दे देता तो क्या मेरे लिये रुजूअ़ करना जाइज़ होता? आपने फ़रमाया, 'नहीं! वो तुमसे जुदा हो

जाती और (ये काम) गुनाह भी होता।' ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसके रावियों में शुऐब बिन रज़ीक़ गलतियों का इर्तिकाब करने वाला रावी है। जबकि अता ख़ुरासानी को इमाम बुख़ारी, शोबा और इब्ने हिब्बान (रह.) ने ज़ईफ़ कहा है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने उसे झूठा क़रार दिया है। इस हिस्से का बुख़ारी और मुस्लिम की सहीह रिवायत पर इज़ाफ़ा किया गया है। असल रिवायत में इस तरह के अल्फ़ाज़ ही मौजूद नहीं। इसके अलावा सवाल के इन अल्फ़ाज़, 'अगर मैं उसे तीन तलाक़ें दे चुका होता' में एक साथ तीन तलाक़ों का कोई ज़िक्र नहीं। इस्तिदलाल करने वालों ने 'एक साथ' के अल्फ़ाज़ अपनी तरफ़ से शामिल कर दिये हैं जो सराहतन ऐसा मनघड़त इज़ाफ़ा है जिससे अल्फ़ाज़ का मफ़्हूम बिल्कुल बदल जाता है।

इन हज़रात ने मुतअद्दिद (कई) ऐसी रिवायात से इस्तिदलाल करने की कोशिश की है जिनमें मुत्लक़न 'तलाक़ुल बत्तह' या 'सलासा' के अल्फ़ाज़ हैं जबकि ख़ुद इन्ही अहादीसे मुबारका के मुख़्तलिफ़ तुरुक़ से साबित है कि इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ तीसरी तलाक़ या अलग-अलग दी गई कुल तलाक़ों की तादाद के हवाले से इस्तेमाल किये जाते हैं। जैसे सहीह मुस्लिम में फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) के हवाले से ये अल्फ़ाज़ हैं कि अबू अम्र बिन हफ़्स ने उन्हें क़तई तलाक़ दे दी।' (सहीह मुस्लिम : 3697) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) ने इस बात को इस तरह भी बयान किया, 'मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीन तलाक़ें दीं।' (सहीह मुस्लिम : 3709) और फिर सहीह मुस्लिम ही में इन अल्फ़ाज़ की सराहत मौजूद है, 'उन्होंने (फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि.) को तीन में से आख़िरी तलाक़ दे दी।' (सहीह मुस्लिम : 3702)

हज़रत मौलाना सय्यद अनवर शाह कशमीरी (रह.) ने बुख़ारी में हज़रत उवैमिर अजलानी (रज़ि.) की लिआन वाली रिवायत के अल्फ़ाज़ 'तल्लक़हा सलासा' की वज़ाहत करते हुए लिखा है, किसी वाक़िये और उसके बयान के दरम्यान वाक़िया होने की कैफ़ियत और सिफ़त में मुताबिक़त ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है कि अजलानी (रज़ि.) ने बाहर तीन तलाक़ें अलग-अलग दी हों और बयान करने वाले ने हासिले कलाम को लेते हुए उन्हें (सिर्फ़) तीन कह दिया हो, इसमें कोई बुअ्द नहीं।' (फ़ैज़ुल बारी : 5259)

इन हज़रात का दूसरा इस्तिदलाल हज़रत उवैमिर अजलानी (रज़ि.) के इसी वाक़िये से है जिसे हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) ने रिवायत किया है। वाक़िया ये है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने उन्होंने और उनकी बीवी ने लिआन किया। लिआन के बाद तलाक़ के बग़ैर मियाँ-बीवी में हतमी जुदाई हो जाती है। हज़रत उवैमिर (रज़ि.) उस वक़्त शदीद ग़ुस्से के आलम में थे, इस सख़्त जज़्बाती तनाव के आलम में उन्होंने ग़ुस्से के इज़हार के लिये ये कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं इस औरत को अपने

पास रखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) का हुक्म आने से पहले ही उन्होंने उसे (बीवी को) तीन तलाक़ें दे दीं।

इस्तिदलाल करने वालों का ख़्याल है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को चाहिये था कि उनकी इस शदीद जज़्बाती कैफ़ियत के बावजूद उन्हें तफ़्सील से मसला समझाते और उनकी ग़लती को वाज़ेह फ़रमाते, चूंकि आपने ऐसा नहीं किया, लिहाज़ा एक साथ तीन तलाक़ें वाक़ेअ हो जाती हैं। ये हज़रात इतना भी ग़ौर नहीं करते कि एक साथ तीन तलाक़ों को रसूलुल्लाह(ﷺ) ग़लत क़रार दे चुके थे और ये सहीह सनद से मन्क़ूल है। आप ये भी नहीं कह सकते थे कि इन तीन से एक तलाक़ वाक़ेअ हुई, लिहाज़ा चाहो तो रुजूअ हो सकता है। क्योंकि लिआन के बाद शरअन अब वह दोनों किसी सूरत में यकजा नहीं हो सकते थे। दर हक़ीक़त ये मौक़ा तफ़्सील से समझाने का था ही नहीं। इमाम सर्ख़सी ने अल्मबसूत में लिखा है, 'रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस वक़्त उवेमिर अजलानी (रज़ि.) को नहीं टोका, ये बात शफ़क़त की बिना पर थी क्योंकि ग़ुस्से की शिद्दत की बिना पर शायद वो आपकी बात (फ़ौरी तौर पर) क़ुबूल न कर पाते और काफ़िर हो जाते। इसलिये आपने टोकने को दूसरे वक़्त के लिये मुअख़्ख़र कर दिया और इस हवाले से इतना फ़रमा दिया, 'अब तुम्हारा इस पर कोई इख़्तियार नहीं।' (अल्मबसूत, अत्तलाक़ पेज नं. 8, तबाअत दारे अहयाउत्तुरासुल अरबी) हक़ीक़त ये है कि आपका इतना फ़रमाना ही काफ़ी है कि 'अब तुम्हारा इस पर कोई इख़्तियार नहीं।' इस फ़रमान के होते हुए सारा ऐतराज़ और इस्तिदलाल बेकार है।

इन हज़रात ने हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से मरवी इस हदीस से भी इस्तिदलाल किया है कि उनके दादा ने अपनी बीवी को एक हज़ार तलाक़ें दे दीं। उसके बेटों ने जाकर रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल किया तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे बाप ने अल्लाह का ख़ौफ़ नहीं किया कि वो उसके लिये कोई निकलने की राह बनाता?' वो औरत ग़ैर मसनून तरीक़े पर तीन तलाक़ों के ज़रिये से उससे अलग हो गई और नौ सौ सत्तानवें (997) का गुनाह उसकी गर्दन पर बाक़ी रहा।' ये हदीस इन्तिहाई ज़ईफ़ है। इसका रावी उबैदुल्लाह बिन वलीद अल्वसाफ़ी इन्तिहाई ज़ईफ़ बल्कि मुन्करुल हदीस और मतरूक है। उसने जिस दाऊद बिन इब्राहीम का नाम लेकर उससे रिवायत की है, वो मज्हूल है। ये रिवायत एक और सनद से मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में भी है। इसके बारे में कौसरी साहब भी कहते हैं कि इसमें बहुत से 'इलल' हैं। असल मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है। इसके रावी तो वही इब्राहीम है जो मज्हूल हैं। इस सनद में उनसे नीचे यहया बिन अला है जो कज़्ज़ाब है। (तफ़्सील के लिये देखिये : सिलसिलतुल अहादीसिज़्ज़ईफ़ा : 3/354-356, नम्बर : 1211)

अफ़सोस इस बात पर है कि बड़े-बड़े नामवर उलमा इस बात को छिपाते हुए कि ये इन्तिहाई ज़ईफ़ रिवायात हैं, उन्हें इब्ने अब्बास (रज़ि.) की सहीह रिवायत को रद्द करने के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं।

दूसरी अहम हक़ीक़त जो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत और मोत्ता वग़ैरह में मरवी अलग-अलग सहाबा के आसार से सामने आती है ये है कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने सहाबा की तवज्जह इस बात की तरफ़ दिलाई कि तलाक़ का जो तरीक़ा रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तालीम फ़रमाया जिसमें 'तहम्मुल और आहिस्ता रवी' थी, उसको छोड़कर लोगों ने जल्दबाज़ी शुरू कर दी है, तो अक्सर सहाबा ने उनसे इत्तिफ़ाक़ किया। रसूलुल्लाह(ﷺ) के बताये हुए तरीक़े से फिरने को रोकने के लिये हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक साथ दी गई कई तलाक़ों को एक क़रार देने की जो सहूलत मौजूद थी उस पर अमल रद्द कर दिया और तलाक़ देने वालों के अपने अल्फ़ाज़ उनको उन पर नाफ़िज़ करना शुरू कर दिया। आपका मक़सद ये था कि इसके नतीजे में लोग वही तहम्मुल, आहिस्ता रवी और एहतियात इख़्तियार करने पर मजबूर हो जायेंगे जिसे वो छोड़ चुके हैं।

अक्सर सहाब-ए-किराम यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) जो रसूलुल्लाह(ﷺ) के तरीक़े पर अमल करते हुए एक मज्लिस की तीन तलाक़ों के एक होने का फ़तवा देते थे। हज़रत उमर (रज़ि.) के बुनियादी मक़सद से इत्तिफ़ाक़ करते थे। उन्होंने जहाँ बकमाले दयानत ये बात आगे पहुँचाई कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का तरीक़ा क्या था, वहीं तलाक़ पर ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाज़ी करने वाले लोगों पर (यानी एक साथ तीन तलाक देने वाले लोगों पर) हज़रत उमर (रज़ि.) के इज्तिहाद पर मबनी नया तअज़ीरी क़ानून नाफ़िज़ करने और उसके मुताबिक़ फ़तवा देने में हज़रत उमर (रज़ि.) का साथ दिया। जाहिली दौर में अनगिनत तलाक़ें दी जा सकतीं थीं, इस्लाम ने उनकी हद मुक़र्रर कर दी कि दोबारा रजई तलाक़ होगी और तीसरी और आख़िरी बार बायना तलाक़। जिस शख़्स ने इस्लाम की तालीमात से इस हद तक मुँह मोड़ा कि उसने आठ तलाक़ें दे दीं, तो उससे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने पूछा, तुम्हें क्या फ़तवा दिया गया है? उन्हें मालूम था कि फ़तवा देने वाले ज़्यादातर लोग अब हज़रत उमर (रज़ि.) के हुक्म के मुताबिक़ फ़तवा देते हैं, उसने बताया कि मुझसे कहा गया है कि तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो गई। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने इस फ़तवे की तस्दीक़ कर दी। (अल्मुअत्ता लिल्इमाम मालिक : 2/550)

एक और शख़्स ने आकर कहा कि मैंने अपनी बीवी को 99 तलाक़ें दे दी हैं, ये संगीन तरीन इन्हिराफ़ था। उन्होंने कहा, वो तीन के ज़रिये से तुमसे जुदा हो गई और बाक़ी सारी ज़ुल्म हैं, यानी उनका गुनाह अलग से होगा। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा : 4/63, 17792)

हज़रत उसमान (रज़ि.) से एक शख़्स ने आकर कहा कि उसने अपनी बीवी को हज़ार तलाक़ें दी हैं। उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) वाला फ़तवा उसे बता दिया। (फ़तहुल क़दीर लिल्कमाल बिन अल्हम्माम : 3/470)

हज़रत अ़ली (रज़ि.) के सामने ऐसा ही सवाल आया तो आपका जवाब था, तीन तलाक़ों से वो तुमसे जुदा हो गई बाक़ी सारी तलाक़ें अपनी बाक़ी बीवियों को बांट दे। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा : 4/63, 17796, 17804)

ये सराहतन उसी तअ़ज़ीर पर मबनी जवाबात हैं जिसका फ़ैसला हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने किया था। मोत्ता इमाम मालिक में है कि एक शख़्स ने अपनी बीवी को सौ तलाक़ें दीं, फिर इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मसला पूछा। उन्होंने जवाब दिया, तीन तलाक़ों के ज़रिये से वो तुमसे जुदा हो गई, बाक़ी 97 से तूने अल्लाह की आयतों को खेल बनाया। (अल्मुअत्ता लिल्इमाम मालिक : 2/550)

इसी तरह सुनन अबू दाऊद में मुजाहिद से मरवी एक वाक़िया है कि वो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे कि एक शख़्स आया और उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे बैठा हूँ। इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) सुनकर ख़ामोश रहे। मुजाहिद कहते हैं कि मैंने ख़्याल किया कि अब ये उसकी बीवी उसे पलटा देंगे (यही हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. का अपना मस्लक और फ़तवा भी था, लेकिन कुछ देर ख़ामोशी के बाद) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, तुममें से एक शख़्स पहले तलाक़ देने में बेवक़ूफ़ी से काम लेता है उसके बाद आकर कहता है, ऐ इब्ने अ़ब्बास! ऐ इब्ने अ़ब्बास! हालांकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि 'जो कोई अल्लाह तआ़ला से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह तआ़ला उसके लिये मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा' और तूने अल्लाह से तक़वा नहीं किया अब मेरे पास तेरे लिये कोई रास्ता नहीं। तूने अपने रब की नाफ़रमानी की और तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो गई। (सुनन अबू दाऊद : 2197)

इन तमाम रिवायात पर ग़ौर करें तो साफ़ नज़र आता है कि लोग रसूलुल्लाह(ﷺ) के सिखाये हुए तरीक़े से बहुत ज़्यादा मुँह मोड़ने वाले हुए थे। सहाबा (रज़ि.) हज़रत उ़मर (रज़ि.) के फ़ैसले के मुताबिक़ समझते थे कि उन पर तअ़ज़ीरी क़ानून का इतलाक़ होना चाहिये। आख़िरी वाक़िये पर अच्छी तरह ग़ौर करने से हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) जैसे सहाबी का तरीक़ेकार, उनके मक़ासिद और उनके पेशे नज़र जो हिक्मतें थीं उनको समझना आसान हो जाता है। ये शख़्स बीवी को तीन तलाक़ें देकर आया था। इसके सवाल पर हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कुछ देर ख़ामोश रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ख़ुदा-न-ख़्वास्ता जवाब मालूम न था, इस ख़ामोशी का एक ही मतलब हो सकता है कि वो इस बारे में फ़ैसला कर रहे थे कि उसकी तलाक़ को एक क़रार देकर रुजूअ़त (लौटाने) का फ़तवा दें या हज़रत उ़मर (रज़ि.) के तअ़ज़ीरी हुक्म के मुताबिक़ उन्हें तीन तलाक़ें शुमार करें। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) के शागिर्दे ख़ास मुजाहिद को उनके मुस्तक़िल मौक़िफ़ की बिना पर यही उम्मीद थी कि आप उसे रजई तलाक़ क़रार देंगे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) उस शख़्स के रवैये और उसके मामले पर ग़ौर करने के

बाद जिस नतीजे पर पहुँचे वो उनके अल्फ़ाज़ के मुताबिक़ ये था कि उस शख़्स ने अल्लाह का डर छोड़ते हुए एक साथ तीन तलाक़ें दीं। इसलिये वो इस हल (आसानी) का मुस्तहिक़ नहीं जो अल्लाह से डरने वाले के लिये है। मुश्किल से निकलने का रास्ता उन्हीं के लिये है जिन्होंने अल्लाह का तक़वा न छोड़ा हो, चुनाँचे उन्होंने उसे हज़रत उमर (रज़ि.) के तअ़ज़ीरी हुक्म के मुताबिक़ फ़तवा दिया। आपके अल्फ़ाज़ हैं, 'तुम पहले तलाक़ देने में बेवक़ूफ़ी से काम लेते इन्हिराफ़ करते हो, फिर उस मुश्किल से निकलने के लिये इब्ने अ़ब्बास के पास आ जाते हो और इब्ने अ़ब्बास! इब्ने अ़ब्बास कहना शुरू कर देते हो।' इसमें ये इशारा मौजूद है कि लोगों को यही उम्मीद होती थी कि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का फ़तवा उन्हें मुश्किल से निकाल देगा। जिनका दामन हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को तर्के तक़वा से पाक नज़र आता, इनके लिये वो तअ़ज़ीरी फ़तवा ग़ैर ज़रूरी समझते थे।

इस पर आख़िर में बात की जायेगी कि अहले इल्म ने हज़रत उमर (रज़ि.) के इज्तिहाद पर मबनी तअ़ज़ीरी फ़तवे को किस तरह समझा है, पहले इस बुनियादी अम्र की तरफ़ तवज्जह मबज़ूल करना ज़रूरी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के इक़्दाम का बुनियादी मक़सद क्या था। वो इसके अलावा और कोई न था कि लोगों को रसूलुल्लाह(ﷺ) के सिखाये हुए तरीक़े से इन्हिराफ़ न करने दिया जाये। उन्हें उसी तरीक़े का पाबंद बनाया जाये। अक्सर सहाबा ने जहाँ शदीद इन्हिराफ़ देखा वहाँ इसी तअ़ज़ीरी हुक्म के मुताबिक़ फ़तवा दिया। यक़ीनन उस वक़्त उमर (रज़ि.) के अलावा इब्ने अ़ब्बास, इब्ने मसऊद और दूसरे सहाबा को उम्मीद थी कि इस इक़्दाम के ज़रिये से लोगों की इस्लाह होगी और वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के सिखाये गये तरीक़े को इख़्तियार कर लेंगे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ख़ुद उमर (रज़ि.) ही के ज़माने में ये बात सामने आ गई थी कि इन्हिराफ़ में कमी नहीं आई। इसी वजह से हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस पर शर्मिन्दगी का इज़हार भी फ़रमाया कि उन्हें तलाक़ की तहरीम का हुक्म नहीं देना चाहिये था। (इग़ासतुल्लहफ़ान लिइब्नुल क़य्यिम : 1/476) मज़ीद कुछ वक़्त के बाद इन्हिराफ़ शदीदतर हो गया। लोगों ने जज़्बातियत की बिना पर एक ही वक़्त में कई तलाक़ों का सिलसिला तो न छोड़ा, अल्बत्ता उससे निकलने के लिये उसी हलाले को इख़्तियार कर लिया जिसके बारे में हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया था कि अगर कोई हलाला करने वाला मेरे पास लाया गया तो मैं उसे रजम की सज़ा दूँगा। गोया आप हलाले को 'ज़िना' क़रार देते थे। अब इन्हिराफ़ का ये सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अब कोई शख़्स एक तलाक़ देता ही नहीं, एक वक़्त में तीन तलाक़ें जिन्हें रोकना मक़सूद था, सिक्का राइजुल वक़्त है। हमारे मुआशरे में तो वुकला हज़रात (वकीलों) ने तलाक़ नामे का मसौदा ही वो बना रखा है जिसमें एक वक़्त में तीन तलाक़ें एक साथ दी जाती हैं। अब इस शदीद इन्हिराफ़ और साथ ही हलाले के नाम पर ज़िना की लानत से बचने के लिये ज़रूरी हो गया है कि

रसूलुल्लाह(ﷺ) का तरीक़ा फिर से अपना लिया जाये। ख़ैर (भलाई) तमाम की तमाम रसूलुल्लाह(ﷺ) के तरीक़े में है। वक़्त गुज़रने के साथ तअज़ीर के नुक़्त-ए-नज़र से ही सही, आप(ﷺ) के तरीक़े को बदलने के नतीजे हौलनाक हो गये हैं। अब आपके तरीक़े को छोड़ने की कोई गुंजाइश बाक़ी नहीं रही।

सहाबा के अलग-अलग फ़तावाजात और उनकी रिवायात की असल सूरते हाल यही है जो बयान की गई है। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) हो या अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) या कोई और सहाबी, न किसी की रिवायत करदा हदीस़ और उसके फ़तवे में तज़ाद (टकराव) है न उनमें से किसी के अपने फ़तवों में कोई इख़्तिलाफ़ है। तमाम बड़े-बड़े सहाबा ने रिवायत वही किया जो रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना या आपके बारे में जाना, फ़तवा भी उसी के मुताबिक़ दिया....। ता आँकि एक ख़लीफ़-ए-राशिद ने वक़्ती ज़रूरत के तहत, तलाक़ के मसनून तरीक़े से इन्हिराफ़ (मुँह मोड़ने) को रोकने के लिये, एक तअज़ीरी इक़्दाम किया। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की हदीस़ को बयान करना भी न छोड़ा, अपने फ़तवे पर भी क़ायम रहे। अल्बत्ता शदीद इन्हिराफ़ के वक़्त हज़रत उ़मर (रज़ि.) का तअज़ीरी हुक्म इख़्तियार कर लिया। इसमें रिवायत और फ़तवा के तज़ाद (टकराव) और मुतज़ाद (ओपोजिट) फ़तवे देने की कहानी ख़ुद साख़्ता और ख़िलाफ़े हक़ीक़त है। आज भी किसी साहिबे इल्म से कहा जाये कि आपका फ़तवा आप ही की रिवायत करदा हदीस़ के ख़िलाफ़ है या आप कभी एक फ़तवा देते हैं कभी उससे बिल्कुल उलट, तो वो साहिबे इल्म चिराग़ पा होंगे और उसे अपनी दयानत और स़क़ाहत पर शदीद हमला समझेंगे। मगर अफ़सोस कि बहुत से अहले इल्म सिर्फ़ फ़िक़्ही तअस्सुब का शिकार होकर हिबरुल उम्मत हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और साहिबे फ़िक़्ह व क़ुरआन हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़र्रा बराबर झिझक महसूस नहीं करते।

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق

19. तलाक़ का बयान

बाब 1 : हाइज़ा औरत को उसकी रज़ामन्दी के बग़ैर तलाक़ देना हराम है, अगर वो मुख़ालिफ़त करे तो देने की सूरत में वाक़ेअ हो जायेगी और ख़ाविन्द को रुजूअ करने का हुक्म दिया जायेगा

باب تَحْرِيمِ طَلاَقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

(3652) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में तलाक़ दे दी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसके बारे में पूछा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'उसे हुक्म दो कि वो उससे रुजूअ कर ले (औरत की तरफ़ मुराजिअत करे) फिर उसे छोड़ दे यहाँ तक कि वो पाक हो जाये (हैज़ बंद हो जाये) फिर उसे हैज़ आये, फिर पाक हो जाये,उस के बाद अगर चाहे तो रोक ले और चाहे तो उसके क़रीब जाने से पहले

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ

يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" .

तलाक़ दे दे, ये वो वक़्त है जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तलाक़ देने की इजाज़त दी है।' यानी अल्लाह तआला का हुक्म ये है कि तलाक़ तुहुर में दी जाये।

(सहीह बुख़ारी : 5251, अबू दाऊद : 2179, नसाई : 6/138)

मुफ़रदातुल हदीस : तलाक़ : अगर ये बाब (नसरा,करुमा) से हो तो मानी होगा औरत का अलग हो जाना या जुदा हो जाना और अगर बाब तफ़ईल से हो तो मानी होगा ख़ाविन्द का बीवी को बंधन से खोल देना।

फ़ायदा : यहूदियों के यहाँ तलाक़ सिर्फ़ तहरीरी दी जा सकती है और तलाक़ के बाद औरत किसी से भी शादी कर सकती है और आइन्दा कभी भी किसी सूरत में पहले ख़ाविन्द की बीवी नहीं बन सकती। ख़ाविन्द को तलाक़ देने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन अब कुछ पाबंदियाँ लग चुकी हैं। इसाइयों के असल दीन के मुताबिक़ मर्द किसी सूरत में औरत को तलाक़ नहीं दे सकता, लेकिन अब तलाक़ का मसला इसाइयों के यहाँ बच्चों का खिलौना बन चुका है, मर्द और औरत में हर एक-एक दूसरे को मामूली बात पर तलाक़ दे सकते हैं और हिन्दुस्तान के जुनूबी इलाक़े के अक्सर लोग तलाक़ के क़ाइल हो चुके हैं और शिमाली इलाक़े में भी आग़ाज़ हो चुका है और दीने इस्लाम की रू से नागुज़ेर हालात में ख़ाविन्द, उस तुहुर में जिसमें बीवी के क़रीब न गया हो एक तलाक़ दे सकता है, लेकिन बीवी को तलाक़ देने का इख़्तियार नहीं है। अगर ख़ाविन्द तलाक़ देना चाहता है तो तुहुर की हालत में सिर्फ़ एक तलाक़ दे फिर रुजूअ न करे तो औरत इद्दत (तीन हैज़ या वज़अे हमल या अगर हैज़ न आ रहा हो तो तीन माह) के बाद उससे जुदा हो जायेगी। कुछ लोग रुजूअ किये बग़ैर हर तुहुर में एक-एक तलाक़ देकर तीन तलाक़ें पूरी करते हैं ये क़ुरआन मजीद के हुक्म फ़इम्साकुम् बिमअ्रूफ़िन औ तसरीहुम बिइह्सान के ख़िलाफ़ है। एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक़ देना जाइज़ नहीं है। इस तरह हैज़ में तलाक़ देना जाइज़ नहीं है। अगर हैज़ की हालत में तलाक़ देगा तो इमाम मालिक, अहनाफ़ और दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक रुजूअ करना लाज़िम है और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक रुजूअ मुस्तहब है और हनाबिला का मुख़्तार क़ौल यही है। इसी तरह अगर ख़ाविन्द हर तुहुर में तलाक़ देता है तो जुम्हूर के नज़दीक ये तलाक़ हो जायेगी क्यों कि वो अभी तक ख़ाविन्द की क़ैद से मुकम्मल आज़ाद नहीं हुई।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهْىَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ‏.‏ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ ‏.‏ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ‏.‏

(3653) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं अल्फ़ाज़ यहया के हैं, हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में एक तलाक़ दी। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वो उससे रुजूअ करे फिर उसे तुहुर तक रोके रखे। फिर उसे उसके यहाँ दूसरा हैज़ शुरू हो जाये तो वो उसे उस हैज़ से पाक होने तक मोहलत दे। फिर अगर उसको तलाक़ देना चाहे, तो वो जब पाक हो जाये तो उसके क़रीब जाने से पहले उसे तलाक़ दे। ये वो इद्दत है जिसके बारे में अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है। इब्ने रुम्ह की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, जब अब्दुल्लाह (रज़ि.) से इस मसले के बारे में पूछा जाता तो वो सवाल करने वाले को कहते अगर तूने अपनी बीवी को एक या दो तलाक़ें दी हैं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे इसका (रुजूअ का) हुक्म दिया था और अगर तूने तीसरी तलाक़ दी है तो वो तुम पर उस वक़्त तक हराम हो चुकी है जब तक वो तेरे सिवा किसी और ख़ाविन्द से क़ुरबत न कर ले और बीवी को तलाक़ देने में जो अल्लाह तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है उसकी तूने नाफ़रमानी की है। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, इमाम लैस़ ने तत्लीक़तन वाहिदा एक तलाक़ के लफ़्ज़ को ख़ूब महफ़ूज़ रखा है।

(सहीह बुख़ारी : 5332, अबू दाऊद : 2180)

फ़ायदा : इमाम लैस़ के सिवा आम रावियों ने तलाक़ की मिक़्दार कि इब्ने उमर ने कितनी तलाक़ें दी थीं को नज़र अन्दाज़ कर दिया है और कुछ ने ग़लती से उसको तीन क़रार दिया है। लेकिन इमाम लैस़ ने नज़र अन्दाज़ भी नहीं किया और ग़लती भी नहीं की बल्कि सहीह तौर पर मिक़्दार को याद रखा और उसका तज़्किरा किया और आप(ﷺ) ने हैज़ के बाद वाले तुहुर में तलाक़ देने की इजाज़त नहीं दी ताकि ये न समझा जाये कि रुजूअ तलाक़ देने के लिये किया है और ये भी मुम्किन है कि एक अरसे तक पास रहने की वजह से शायद आपस में प्यार व मुहब्बत पैदा हो जाये और हालात साज़गार होने से तलाक़ की नौबत न आये और ये भी मुम्किन है ये हैज़ में तलाक़ देने के जुर्म व गुनाह की सज़ा के तौर पर हो, इसलिये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक उस हैज़ से मुत्तसिल तुहुर में तलाक़ देना जाइज़ नहीं है। लेकिन मालिकिया और हनाबिला के यहाँ ये बेहतर है लाज़िम नहीं है और इमाम तहावी का क़ौल भी यही है और जुम्हूर के नज़दीक उस तुहुर में तलाक़ देना जिसमें कुरबत की है जाइज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ قَالَ وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا .

(3654) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है कि मैंने अपनी बीवी को रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी, तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने उसका तज़्किरा रसूलुल्लाह(ﷺ) से कर दिया, आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे रुजूअ का हुक्म दो, फिर वो पाक होने तक उसे छोड़ दे, फिर उसे एक और हैज़ आने दे, फिर जब उस दूसरे हैज़ से पाक हो जाये तो उससे क़ुरबत से पहले, उसे तलाक़ दे दे या रोक ले (तलाक़ न दे) क्योंकि यही इद्दत है जिसमें अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।' उबैदुल्लाह कहते हैं, मैंने नाफ़ेअ से सवाल किया, उसका तलाक़ का क्या बना? उसने कहा, एक तलाक़ शुमार हुई।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ

(3655) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें उबैदुल्लाह के नाफ़ेअ से सवाल

اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ لِنَافِعٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلْيُرَاجِعْهَا .

का ज़िक्र नहीं करते। इब्ने मुसन्ना की रिवायत यरजिअ्हा है और अबू बक्र की रिवायत युराजिअ्हा है, मानी दोनों का रुजूअ करना है। (नसाई : 6/212, 213, इब्ने माजह : 2019)

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ . وَبَانَتْ مِنْكَ .

(3656) नाफ़ेअ से रिवायत है कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर ने नबी(ﷺ) से पूछा, आपने उसे हुक्म दिया कि वो रुजूअ करे, फिर उसे एक और हैज़ के आने तक मोहलत दे, फिर उसे हैज़ से पाक होने की मोहलत दे, फिर उसे सोहबत करने से पहले तलाक़ दे, ये वो इद्दत है जिसमें अल्लाह तआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है और जब इब्ने उमर (रज़ि.) से उस मर्द के बारे सवाल किया जाता, जिसने अपनी बीवी को हैज़ की हलात में तलाक़ दी है तो वो फ़रमाते, अगर तूने एक या दो तलाक़ें दी हैं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे रुजूअ का हुक्म दिया था। फिर ये कि उसे एक और हैज़ आने तक की मोहलत दूँ। फिर हैज़ से पाक होने की मोहलत दूँ, फिर क़ुरबत से पहले उसे तलाक़ दूँ और अगर तूने तीसरी तलाक़ दी है तो तूने अल्लाह तआला के इस हुक्म की मुख़ालिफ़त की है, जो उसने तुझे बीवी को तलाक़ देने के बारे में दिया था और वो तुझसे जुदा हो गई है। (नसाई : 6/213)

फ़ायदा : अगर तलाक़ पहली या दूसरी हैज़ की हालत में दी गई हो तो चूंकि उनके बाद रुजूअ हो सकता है, इसलिये ख़ाविन्द को रुजूअ करना होगा। लेकिन अगर तीसरी तलाक़ हैज़ में दी है, तो तीसरी

के बाद रुजूअ का इम्कान नहीं है इसलिये ये जुर्म और गुनाह तो है लेकिन रुजूअ नहीं कर सकेगा और उसकी बीवी इद्दत गुज़रने के बाद आगे शादी करेगी। इससे दोबारा शादी नहीं कर सकेगी।

حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ - عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ " . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3657) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ड़मर (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत ड़मर (रज़ि.) ने उसका ज़िक्र रसूलुल्लाह(ﷺ) से कर दिया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) नाराज़ हुए। फिर फ़रमाया, 'उसे रुजूअ का हुक्म दो यहाँ तक कि उसे नये सिरे से, पहले हैज़ के सिवा जिसमें तलाक़ दी है, दूसरा हैज़ आने लगे, फिर अगर वो चाहे तो उस हैज़ से पाक होने पर सोहबत करने से पहले उसे तलाक़ दे दे, ये तलाक़ उस इद्दत के मुताबिक़ है जिसका अल्लाह तआ़ला ने हुक्म दिया है।' और अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बीवी को एक तलाक़ दी थी, तो वो तलाक़ शुमार हुई और अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के हुक्म के मुताबिक़ रुजूअ कर लिया।

وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا .

(3658) यही रिवायत इमाम साहब एक और उस्ताद की सनद से ज़ोहरी की सनद के मुताबिक़ बयान करते हैं। मगर उसमें ये है इब्ने ड़मर (रज़ि.) ने कहा, मैंने बीवी से रुजूअ कर लिया और मैंने उस तलाक़ को जो उसे दी थी तलाक़ शुमार किया। (नसाई : 6/139)

फ़ायदा : हैज़ की हालत में तलाक़ देना तो जाइज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ये हरकत की तो अइम्म-ए-अरबआ़ के नज़दीक वो तलाक़ शुमार होगी, लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हज़म के नज़दीक ये

तलाक़ शुमार नहीं होगी और हाफ़िज़ इब्ने तैमिया और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) ने भी इसी क़ौल को तरजीह दी है कि तलाक़ नहीं होगी। लेकिन साहिबे वाक़िया इब्ने उमर (रज़ि.) के क़ौल का तक़ाज़ा यही है कि ये तलाक़ शुमार होगी। जैसाकि अगर कोई इंसान कुरबत व सोहबत के बाद तलाक़ देता है तो ये हरकत नाजाइज़ है, लेकिन तलाक़ शुमार होती है और हुज़ूर(ﷺ) की नाराज़ी से ये मालूम होता है कि जब हालते हैज़ मे ताल्लुक़ात क़ायम नहीं हो सकते तो इससे ये भी पता नहीं चल सकता कि वाक़ेई मियाँ-बीवी का निबाह नहीं हो सकता। इसका पता हालते तुहुर से चल सकता है जिसमें मियाँ-बीवी में कुरबत हो सकती है। इसलिये उसमें तलाक़ की इजाज़त का न होना वाज़ेह था। या कम से कम उसका तक़ाज़ा ये था कि वो रसूलुल्लाह(ﷺ) से मशवरा कर लेते।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ، نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً " .

(3659) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी, तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह(ﷺ) से किया आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे इससे रुजूअ करने का हुक्म दो, फिर वो उसे तुहुर या हमल की हालत में तलाक़ दे।'

(अबू दाऊद : 2181, तिर्मिज़ी : 1176, नसाई : 6/141, इब्ने माजह : 2023)

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि हमल की सूरत में ताल्लुक़ात के बाद भी तलाक़ देना जाइज़ है। इब्ने हम्माम हनफ़ी अबू इस्हाक़ शीराज़ी और इब्ने क़ुदामा हम्बली ने इसको इख़्तियार किया है, लेकिन कुछ मालिकिया के यहाँ हमल की हालत में तलाक़ देना जाइज़ नहीं है।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى

(3660) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इसके बारे में पूछा, तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे रुजूअ करने का हुक्म दो यहाँ तक कि वो पाक हो जाये, फिर उसे एक और हैज़ आये, फिर वो

تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ " .

पाक हो जाये, फिर बाद में तलाक़ दे दे या रोक ले।'

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ، سِيرِينَ قَالَ مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهْىَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لاَ أَتَّهِمُهُمْ وَلاَ أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلاَّبٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ . وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهْىَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا - قَالَ - قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ . أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

(3661) इमाम इब्ने सीरीन (रह.) बयान करते हैं कि मुझे बीस बरस तक एक क़ाबिले ऐतिमाद शख़्स ये बयान करता रहा कि इब्ने उमर ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तीन तलाक़ें दी थीं, तो उनहें रुजूअ करने का हुक्म दिया गया तो मैं उनको मुत्तहम क़रार नहीं देता था लेकिन मुझे हदीस के मानी व मफ़्हूम का पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि मेरी मुलाक़ात अबू ग़ल्लाब यूनुस बिन जुबैर बाहिली से हुई जो सिक़ह था तो उसने मुझे बताया कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में एक तलाक़ दी तो आपने रुजूअ का हुक्म दिया। अबू ग़ल्लाब ने पूछा, तो क्या वो शुमार हुई? उन्होंने कहा, ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं या शुमार क्यों नहीं होगी, अगर वो आजिज़ आ गया (और सहीह तरीक़े से तलाक़ न दे सका) और उसने बेवक़ूफ़ों वाला काम किया (और हालते हैज़ में तलाक़ दे दी)? या अगर वो आजिज़ आ गया (रुजूअ न किया) और दीवानों वाला काम किया (आपके हुक्म पर अमल न किया)? (तो क्या तलाक़ न होगी)।

(सहीह बुख़ारी : 5252, 5258, 5333, अबू दाऊद : 2183, 2184, तिर्मिज़ी : 11075, नसाई : 6/141, 142, इब्ने माजह : 2022)

(3662) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं, मगर उसमें ये है कि उमर (रज़ि.) ने नबी(ﷺ) से पूछा, तो आपने उसे हुक्म दिया।

وحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ .

(3663) इमाम साहब ने अपने एक और उस्ताद से अय्यूब की मज़्कूरा बाला सनद से बयान करते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी(ﷺ) से इस बारे में पूछा? तो आपने उसे रुजूअ करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वो उसे तुहुर में क़ुरबत किये बग़ैर तलाक़ दे और आपने फ़रमाया, 'वो उसे इद्दत के आग़ाज़ के लिये तलाक़ दे।' यानी इद्दत के शुरू में तलाक़ दे।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ " يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا " .

फ़ायदा : इमाम नववी और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इसी लफ़्ज़ से इस्तिदलाल किया है कि इद्दत तुहुर शुमार होंगे और क़ुरूअ से मुराद तुहुर है हैज़ नहीं। इमाम सर्ख़सी ने इसका ये जवाब दिया है कि इद्दतें दो हैं, मर्दों के ऐतिबार से इद्दते तत्लीक़ कि शौहर ऐसे तुहुर में तलाक़ दे जिसमें बीवी के क़रीब नहीं गया और इद्दते निसा कि वो हैज़ के ऐतिबार से तीन हैज़ इन्तिज़ार व तवक़्क़ुफ़ करें, इमाम तहावी ने भी इसको इख़्तियार किया है। सहीह बात यही है कि क़ुरूअ से यहाँ मुराद हैज़ है। अगरचे ये लुग़वी तौर पर तुहुर के लिये भी इस्तेमाल होता है।

(3664) यूनुस बिन जुबैर बयान करते हैं मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से सवाल किया, एक आदमी ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दी है। तो उन्होंने कहा, क्या अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से वाक़िफ़ हो? उसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। तो उमर (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ، سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله

عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

आपसे पूछा। तो आप(ﷺ) ने उसे रुजूअ करने का हुक्म दिया, फिर इद्दत का आग़ाज़ करके यानी उसी हैज़ से इद्दत शुमार न करे, बल्कि तुहुर में तलाक़ देकर इद्दत का आग़ाज़ करे, मैंने उनसे पूछा, अगर मर्द अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दे, तो क्या वो उस तलाक़ को शुमार कर लेगा? उन्होंने जवाब दिया, रुक जाओ! क्या अगर वो आजिज़ आ गया और हिमाक़त का काम किया? यानी उसकी बेबसी और हिमाक़त तलाक़ के शुमार में हाइल नहीं होगी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لِيُرَاجِعْهَا . فَإِذَا طَهَرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا". قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ. أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

(3665) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी तो उमर (रज़ि.) नबी(ﷺ) के पास आये और आपसे इसका ज़िक्र किया। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो रुजूअ कर ले। तो जब पाक हो जाये, तो चाहे तो तलाक़ दे दे।' यूनुस बिन जुबैर कहते हैं, मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, क्या आपने उस तलाक़ को शुमार किया था। उन्होंने जवाब दिया, उन्हें कौनसी चीज़ इससे रोकती थी। बताओ अगर वो आजिज़ आता और हिमाक़त से काम लेता तलाक़ शुमार न होती?

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ، سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي، طَلَّقَ

(3666) अनस बिन सीरीन बयान करते हैं, मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से उनकी उस बीवी के बारे में पूछा जिसे उन्होंने तलाक़ दी थी। तो उन्होंने कहा, मैंने उसको हैज़ की हालत में तलाक़ दी थी। उसका ज़िक्र उमर (रज़ि.) से किया गया तो उन्होंने उसका तज़्किरा

فَقَالَ طَلَّقْتُهَا وَهْىَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا " . قَالَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا . قُلْتُ فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهْىَ حَائِضٌ قَالَ مَا لِيَ لاَ أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ .

नबी(ﷺ) से किया, तो आपने फ़रमाया, 'उसे उससे रुजूअ करने का हुक्म दो, तो जब वो पाक हो जाये, तो वो तुहुर के आग़ाज़ में तलाक़ दे दे।' तो मैंने उससे रुजूअ कर लिया। फिर उसे तुहुर के शुरू में तलाक़ दे दी। मैंने पूछा, क्या जो तलाक़ आपने हैज़ की हालत में दी थी, आपने उसे शुमार किया? उन्होंने जवाब दिया, मैं उसको शुमार क्यों न करता? अगर मैं आजिज़ आ गया था और मैंने हिमाक़त से काम लिया था (उसे सहीह वक़्त की बजाय ग़लत वक़्त में तलाक़ दी)।

(सहीह बुख़ारी : 5253)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا ". قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ .

(3667) अनस बिन सीरीन से रिवायत है कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से कहते हुए सुना कि मैंने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी, तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी(ﷺ) के पास जाकर आप(ﷺ) को बता दिया, आपने फ़रमाया, 'उसे रुजूअ करने का हुक्म दो, फिर जब पाक हो जाये तो तलाक़ दे दे।' मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, क्या आप(ﷺ) ने उस तलाक़ को शुमार किया? उन्होंने कहा, तो और क्या किया?

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ، بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِهِمَا " لِيَرْجِعْهَا " . وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهْ

(3668) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो और उस्तादों से शोबा की मज़्कूरा सनद से बयान करते हैं, फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि उसमें युराजिअ्हा की जगह यरजिअ् है और ये कि मैंने उनसे पूछा, क्या आप उसको तलाक़ शुमार करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, तो और क्या होगा?

(3669) ताऊस से रिवायत है कि मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना, उनसे उस आदमी के बारे में सवाल किया गया, जिसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दी? उन्होंने कहा, क्या अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को पहचानते हो? उसने कहा, जी हाँ! तो उन्होंने कहा, उसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दी। तो उमर (रज़ि.) नबी(ﷺ) के पास गये और आपको इस वाक़िये की ख़बर दी, आपने उसे उससे रुजूअ करने का हुक्म दिया। इब्ने जुरैज कहते हैं, ताऊस ने अपने बेटे को इस क़द्र हदीस़ सुनाई या ताऊस का बेटा कहता है, मैंने अपने बाप से इससे ज़्यादा हदीस़ नहीं सुनी।

(नसाई : 6/213)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لأَبِيهِ.

(3670) अबू ज़ुबैर कहते हैं, मैंने अ़ज़्ज़ह के आज़ाद करदा ग़ुलाम, अ़ब्दुर्रहमान बिन ऐमन को सुना, वो इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछ रहे थे और मैं भी सुन रहा था, आपका उस आदमी के बारे में क्या ख़याल है जिसने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी? तो उन्होंने जवाब दिया, इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़माने में दी, तो उमर (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा? अ़र्ज़ किया, अ़ब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी है। तो नबी(ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया, 'वो उससे रुजूअ

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله

عليه وسلم " لِيُرَاجِعْهَا " . فَرَدَّهَا وَقَالَ " إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .

कर ले।' तो उसने लौटा लिया और फ़रमाया, 'जब पाक हो जाये, तलाक़ दे दे या रोक ले।' इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं आपने ये आयत पढ़ी, 'ऐ नबी! जब तुम अपनी औरतों को तलाक़ देना चाहो तो इद्दत का आग़ाज़ करने के लिये दो।' (सूरह तलाक़ : 1)

(अबू दाऊद : 2185, नसाई : 6/139)

फ़ायदा : इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (रज़ि.) लिइद्दतिहिन्न की तफ़्सीर व तौज़ीह के लिये शागिर्दों को क़ुबुले इद्दतिहिन्न बताते थे, इसलिये ये कलिमा तफ़्सीर के लिये है ये क़ुरआन का हिस्सा या जुज़ नहीं है। इसलिये इब्ने मसऊद तफ़्सीर के लिये इसको क़ुबुले तुहुरिहिन्न (तुहुर के शुरू में) पढ़ते।

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، . نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ .

(3671) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से यही वाक़िया बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ . قَالَ مُسْلِمٌ أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ .

(3672) इमाम साहब एक और उस्ताद से हज्जाज की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह हदीस़ बयान की है और उसमें कुछ इज़ाफ़ा है। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, रावी ने ग़लती से मौला उरवह कहा है हालांकि वो अज़्ज़ह का आज़ाद करदा ग़ुलाम है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में मज़्कूरा इज़ाफ़ा इमाम साहब ने अम्दन हज़फ़ कर दिया है, जिसको इमाम अबू दाऊद ने बयान करके फ़रमाया है, ये टुकड़ा तमाम अहादीस़ के मुख़ालिफ़ है, यानी फ़रद्दहा वलम यरहा शैआ आपने मेरी बीवी लौटा दी और उस तलाक़ को कोई अहमिय्यत नही दी।

बाब 2 : तीन तलाक़ें

باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ

(3673) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि तलाक़ रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में, अबू बक्र के ज़माने में और हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त में दो साल तक, तीन तलाक़ें (जो एक वक़्त में एक साथ दी गईं) एक शुमार होती थीं, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़रमाया, लोगों ने एक ऐसे काम में जल्दबाज़ी शुरू कर दी है जिसमें उनके लिये मोहलत और ढील थी। तो अगर हम उसको नाफ़िज़ कर दें (तो वो बाज़ आ जायें) तो उन्होंने उसको नाफ़िज़ कर दिया।
(अबू दाऊद : 2200, नसाई : 6/145)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ . فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

(3674) ताऊस बयान करते हैं कि अबू सहबा ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, क्या आपको इल्म है कि तीन तलाक़ों को नबी(ﷺ) और अबू बक्र के दौर में और तीन साल तक उमर की ख़िलाफ़त में एक ही क़रार दिया जाता था, तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जवाब दिया, हाँ!

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

(3675) ताऊस से रिवायत है कि अबू सहबा ने हज़रत इब्ने अब्बास से कहा, अपनी नई चीज़ों या अनोखी चीज़ों में से कोई चीज़ बतायें, क्या तीन तलाक़ें रसूलुल्लाह(ﷺ) और अबू बक्र के दौर में एक शुमार नहीं होती थीं? तो उन्होंने फ़रमाया, ऐसा ही था। तो जब हज़रत उमर का दौर आया तो लोगों ने मुसलसल तलाक़ें देना शुरू कर दिया तो उन्होंने उन्हें उन पर लागू कर दिया।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلاَقُ الثَّلاَثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ .

फ़वाइद : (1) इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक एक तुहुर में या एक मज्लिस में तीन तलाक़ें देना बिदअत है और हराम है और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। हज़रत उमर, अली, इब्ने अब्बास और इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल भी यही है। (तक्मिला, जिल्द 1, पेज नं. 152) और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक नाजाइज़ नहीं है लेकिन बेहतर यही है, एक तुहुर में तीन तलाक़ें न दे। और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है और हज़रत उमर भी इसको नाजाइज़ ख़याल करते थे। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द1, पेज नं. 152) और हज़रत उमर इस पर सज़ा भी देते थे। मज्मउल अन्हर पेज न. 382 पर लिखा है, इब्तिदाई दौर में हज़रत उमर (रज़ि.) के दौर तक जब कोई शख़्स एक साथ एक ही वक़्त में तीन तलाक़ें दे देता तो उन्हें एक क़रार दिया जाता, लेकिन जब लोगों में कसरत के साथ ये काम होने लगा, तो उन्होंने तहदीद यानी सरज़निश और तौबीख़ के लिये उनको तीन ही नाफ़िज़ कर दिया, इससे मालूम होता है हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये काम एक इन्तिज़ामी तदबीर की ख़ातिर किया था ताकि लोग इस हरकत से बाज़ आ जायें, ये कोई मुस्तक़िल और हमेशा के लिये फ़ैसला नहीं था और न ही वो इसके मजाज़ थे। इसलिये सहाबा किराम ने भी इसको एक आरिज़ी और वक़्ती हुक्म समझकर कुबूल कर लिया, जैसाकि हज्जे तमत्तोअ के सिलसिले में आम तौर पर उनके हुक्म को कुबूल कर लिया गया था और फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस पर नदामत का इज़हार भी किया था। (इग़ासतुल्लहफ़ान, पेज नं. 181-182) (2) एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक़ों के वुक़ूअ के बारे में तीन चार नज़रियात या अक़्वाल हैं (1) अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ये तीनों वाक़ेअ हो जायेंगी। अगरचे इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के एक क़ौल के

मुताबिक जाइज़ और लाज़िम है और इमाम अबू हनीफ़ा इमाम मालिक और इमाम अहमद के दूसरे कौल के मुताबिक़ हराम और वाक़ेअ है। (2) एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक़ें देना हराम है, लेकिन तलाक़ एक ही वाक़ेअ होगी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के कुछ अस्हाब का क़ौल यही है। कुछ सहाबा और ताबेईन से भी मन्क़ूल है। हाफ़िज़ इब्ने तैमिया और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने इसको तरजीह दी है और दलाइल से साबित किया है। (3) कुछ मोतज़िला और कुछ शीया का ये क़ौल है कि इससे कोई तलाक़ वाक़ेअ नहीं होगी और बक़ौल इमाम नववी, हज्जाज बिन अरतात, इब्ने मुक़ातिल और मुहम्मद बिन इस्हाक़ का क़ौल यही है। लेकिन अल्फ़ुरूअ मिनल काफ़ी जो शीया की मुस्तनद किताब है से मालूम होता है कि उनके यहाँ ये एक तलाक़ होगी। हाफ़िज़ इब्ने तैमिया ने जो अबू जअफ़र मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन और उनके बेटे जअफ़र से यही क़ौल नक़ल किया है। (मज्मूउल फ़तावा, जिल्द 33, पेज नं. 709) चौथा मौक़िफ़ ये है औरत अगर मदख़ूला है तो तीन तलाक़ें होंगी और अगर ग़ैर मदख़ूला है तो एक तलाक़ होगी। तफ़्सील के लिये देखें एक मज्लिस में तीन तलाक़ें और उसका शरई हल हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़।

बाब 3 : जो शख़्स अपनी बीवी को अपने लिये हराम क़रार देता है लेकिन तलाक़ की निय्यत नहीं करता, उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब होगा

باب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلاَقَ

(3676) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि बीवी को कहना तू मुझ पर हराम है, क़सम है। उस पर क़सम का कफ़्फ़ारा है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़िन्दगी में बेहतरीन नमूना है।

(सहीह बुख़ारी : 4911, 5266, इब्ने माजह : 2073)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ، -يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ - قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} .

फ़वाइद : (1) अगर कोई इंसान अपनी बीवी को कहता है तू मुझ पर हराम है, इसमें फ़ुक़्हा का बहुत इख़्तिलाफ़ है। (1) इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अगर उसने तलाक़ या ज़िहार की निय्यत की तो उसको निय्यत पर महमूल किया जायेगा और अगर तलाक़ या ज़िहार की निय्यत के बग़ैर उस औरत को हराम

क़रार दिया अगरचे क़सम नहीं है, लेकिन इस लफ़्ज़ पर क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना होगा, अगर कोई निय्यत ही नहीं की और ये लफ़्ज़ कहा, तो इमाम शाफ़ेई के सहीह क़ौल के मुताबिक़ उसे क़सम का कफ़्फ़ारा देना होगा। दूसरा क़ौल ये है कि ये लफ़्ज़ लग़्व है और इस पर कोई शरई हुक्म मुरत्तब (लागू) नहीं होगा। (2) इमाम मालिक का मशहूर क़ौल ये है कि इस लफ़्ज़ से तीन तलाक़ें वाक़ेअ हो जायेंगी। औरत मदख़ूला हो या ग़ैर मदख़ूला। लेकिन अगर उसने तीन से कम की निय्यत की है तो सिर्फ़ ग़ैर मदख़ूला के बारे में उसकी निय्यत का ऐतिबार होगा। हज़रत अली का भी यही क़ौल है। (3) हनाबिला के नज़दीक, एक क़ौल के मुताबिक़ ज़िहार है। दूसरे क़ौल के मुताबिक़ ये तीन तलाक़ें हैं। तीसरे क़ौल के मुताबिक़ अगर बग़ैर किसी निय्यत के कहा है तो क़सम है, अगर तलाक़ या ज़िहार की निय्यत की तो निय्यत के मुताबिक़ अमल होगा। (4) अहनाफ़ के नज़दीक उससे निय्यत के बारे में पूछा जायेगा, अगर निय्यत ईला या ज़िहार या एक बायना तलाक़ या तीन तलाक़ों की, तो निय्यत का ऐतिबार होगा। अगर कोई निय्यत न की, तो मुतक़द्दिमीन अहनाफ़ के नज़दीक ईला होगा और मुताख़्ख़िरीन के नज़दीक तलाक़े बायना होगी और इस पर फ़तवा है। अगर उसने कहा, मैंने ये लफ़्ज़ झूठ-मूट कहा था तो उसकी बात का ऐतिबार नहीं होगा। मुतक़द्दिमीन अहनाफ़ के नज़दीक ये ईला था और मुताख़्ख़िरीन इसको तलाक़े बायना क़रार देते हैं और अगर उसने दो तलाक़ों की निय्यत की तो ये एक बायना तलाक़ होगी लेकिन इमाम ज़ुफ़र के नज़दीक दोनों वाक़ेअ हो जायेंगी। (5) इमाम शअबी और इमाम मसरूक़ के नज़दीक ये कलाम इस तरह लग़्व है, जिस तरह इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई बल्कि जुम्हूर के नज़दीक ये कहना लग़्व है कि ये खाना मुझ पर हराम है या ये पानी या कपड़ा हराम है, इसका कोई असर नहीं है। इस तरह इमाम नववी ने, चौदह मज़ाहिब बयान किये हैं। चूंकि सूरह तहरीम की आयत हुरमते शहद के बारे में नाज़िल हुई और उसमें से क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम् तहिल्ल-त ऐमानिकुम 'बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये क़समों का कफ़्फ़ारा मुक़र्रर कर दिया है।' इससे हज़रत इब्ने अब्बास के मौक़िफ़ की ताईद होती है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ يَحْيَى، بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(3677) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते हैं, अगर इंसान अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम क़रार देता है, तो ये क़सम है। उसको कफ़्फ़ार-ए-क़सम अदा करना होगा और कहा, तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़िन्दगी में बेहतरीन नमूना है।

وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً قَالَتْ فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " . فَنَزَلَ } لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ{ إِلَى قَوْلِهِ { إِنْ تَتُوبَا} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ { وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ " بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً " .

(3678) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के पास ठहरते और वहाँ शहद पीते। तो मैंने और हफ़्सा ने एका (इत्तिफ़ाक़) किया कि हम में से जिसके यहाँ भी नबी(ﷺ) तशरीफ़ लायें वो कहे, मुझे आपसे मग़ाफ़ीर की बू महसूस होती है। या आपने मग़ाफ़ीर खाया है? तो हममें से एक के यहाँ तशरीफ़ लाये तो उसने आपसे ये बात कही, तो आपने फ़रमाया, 'बल्कि मैंने ज़ैनब बिन्ते जहश के यहाँ शहद पिया है और आइन्दा नहीं पियूँगा।' इस पर ये आयत उतरी, 'आप वो चीज़ें क्यों हराम ठहराते हैं जो अल्लाह ने आपके लिये हलाल क़रार दी है। इन ततूबा (आइशा व हफ़्सा) तक (सूरह तहरीम : 1-4) और जब नबी अपनी किसी बीवी से राज़ की बात कही कि मैंने शहद पिया है। (सूरह तहरीम : 3)
(सहीह बुख़ारी : 4912, 5267, 6691, अबू दाऊद : 3714, नसाई : 6/151, 152, 7/13)

मुफ़रदातुल हदीस : मग़ाफ़ीर : मग़फ़ूर की जमा है। ये उर्फ़ुत नामी बूटी का एक क़िस्म का फूल है जिससे बदबू फूटती है।

फ़ायदा : हज़रत आइशा और हज़रत हफ़्सा को चूंकि ये बात मालूम थी कि आप हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के यहाँ शहद पीते हैं और शहद की मक्खियाँ इलाक़े की जड़ी-बूटियों से रस-चूसकर शहद तैयार करती हैं और मदीना के इलाक़े में उर्फ़ुत बूटी थी, जिसके फूल से बदबू फूटती थी। इसलिये दोनों ने तोरिया व तअरीज़ से काम लेते हुए सवालिया अन्दाज़ में पूछा, क्या आपने मग़ाफ़ीर खाया है, ताकि रस की बदबू की तरफ़ इशारा किया जा सके और आप बू को नापसंद करते थे। इस तरह आप शहद पीने के लिये हज़रत ज़ैनब के यहाँ ज़्यादा क़ियाम नहीं करेंगे और उनका यही मक़सूद था और आयत में राज़ की बात कही, इसलिये फ़रमाया गया है कि बुख़ारी शरीफ़ में है, क़द हलफ़्तु मैंने क़सम उठाई है।

वला तुख़्बिरी बिज़ालिक अहदा तुम किसी को इसकी ख़बर न देना और एक रिवायत से ये मालूम होता है आप(ﷺ) ने हज़रत हफ़्सा की बारी के दिन हज़रत हफ़्सा के घर में हज़रत मारिया क़िब्तिया को बुला लिया था, क्योंकि हज़रत हफ़्सा आपसे इजाज़त लेकर अपने बाप के घर कुछ वक़्त के लिये चली गई थीं। वापसी पर उन्होंने जब रसूलुल्लाह(ﷺ) को गुस्ल किये हुए देखा तो ऐतिराज़ किया, तो आपने मारिया को अपने ऊपर हराम क़रार दे दिया और फ़रमाया, इसकी इत्तिलाअ किसी दूसरी बीवी को न देना। लेकिन हज़रत हफ़्सा ने दरम्यानी दीवार पर हाथ मारकर हज़रत आइशा को मुतवज्जह करके उन्हें बता दिया और इन दोनों वाक़ियात के बाद सूरह तहरीम की शुरूआती आयात का नुज़ूल हुआ और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के क़ौल की बुनियाद यही दूसरा वाक़िया है। क्योंकि क़ुरआन मजीद में इसको क़सम क़रार दिया गया है कि क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्ल-त ऐमानिकुम (सूरह तहरीम : 2) अल्लाह तआला ने तुम पर क़समों को खोल डालना लाज़िम ठहराया है।

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ ‏.‏ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ

(3679) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को शीरीनी और शहद पसंद था और आप जब अ़सर की नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो तमाम बीवियों के यहाँ चक्कर लगाते और उनके क़रीब बैठते। एक बार हज़रत हफ़्सा के यहाँ गये और आम मामूल से ज़्यादा उनके पास रुक गये। मैंने उसका सबब पूछा तो मुझे बताया गया, उनकी क़ौम की किसी औरत ने उन्हें शहद का एक कुप्पा हदिये के तौर पर दिया है। तो उन्होंने आपको वो पिलाया है तो मैंने दिल में कहा, हम अल्लाह की क़सम! इसके लिये कोई तदबीर इख़्तियार करेंगे। मैंने इसका तज़्किरा सौदा से किया और उन्हें कहा, जब वो आपके यहाँ आयेंगे तो आपके क़रीब बैठेंगे, तो उनसे कहना, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपने मग़ाफ़ीर खाया है? तो आप फ़ौरन फ़रमायेंगे, नहीं! तू उनसे कहना, ये बू कैसी है? और रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये बात इन्तिहाई नागवार थी कि आपसे बू आये। तो आप

لاَ ‏.‏ فَقُولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ - فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ‏.‏ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ ‏"‏ لاَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ قَالَ ‏"‏ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ‏.‏ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ ‏"‏ لاَ حَاجَةَ لِي بِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ‏.‏ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي ‏.‏

यक़ीनन ये फ़रमायेंगे, हफ़्सा ने मुझे कुछ शहद पिलाया है। तो तू उनसे कहना, उसकी मक्खी ने उ़र्फ़ुत का रस चूसा है और मैं भी आपसे यही कहूँगी और तू भी ऐ सफ़िय्या! यही कहना। तो जब आप सौदा के यहाँ आये, तो सौदा बयान करती हैं, उस ज़ात की क़सम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! क़रीब था कि मैं आपको बुलंद आवाज़ से वो बात कहूँ जो आपने (आइशा ने) मुझे कही थी। हालांकि आप अभी दरवाज़े पर थे, तेरे डर की ख़ातिर। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) क़रीब पहुँचे सौदा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने मग़ाफ़ीर खाया है? आपने फ़रमाया, 'नहीं।' उन्होंने कहा, ये बू कैसी है? आपने फ़रमाया, 'हफ़्सा ने थोड़ा सा शहद पिलाया है।' उन्होंने कहा, शहद की मक्खी ने उ़र्फ़ुत का रस चूसा है, जब आप मेरे पास तशरीफ़ लाये, तो मैंने भी आपको इसी तरह कहा, फिर सफ़िय्या के यहाँ गये। उन्होंने भी ऐसे ही कहा। तो जब हफ़्सा के यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपको इससे (शहद से) न पिलाऊँ? आपने फ़रमाया, 'मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, सौदा ने कहा, सुब्हानअल्लाह! हमने आपको इससे महरूम कर दिया है, तो मैंने उसे कहा, ख़ामोश रहो।

(सहीह बुख़ारी : 5431, 559, 5682, अबू दाऊद : 3715, तिर्मिज़ी : 1831, इब्ने माजह : 3323)

मुफ़रदातुल हदीस : उ़र्फ़ुत : एक कांटेदार दरख़्त है, जिसकी गूंद को मग़ाफ़ीर कहते हैं या ये एक बूटी है, जो कांटेदार है और ज़मीन पर फैल जाती है और उसे सफ़ेद फल भी लगता है।

फ़ायदा : औरतों के अंदर चूंकि ग़ैरत तबई तौर पर सोकन के ख़िलाफ़ ज़्यादा होती है। इसलिये वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकतीं कि ख़ाविन्द किसी सोकन के यहाँ उनसे ज़्यादा ठहरे, इसी तबई तक़ाज़े के तहत हज़रत आइशा (रज़ि.) ने तदबीर सोची और तोरिया के ज़रिये इस पर अमल किया और इसलिये आपने उसको गवारा फ़रमाया और किसी रद्दे अमल का इज़हार न फ़रमाया और शहद पीने का वाक़िया किसके यहाँ पेश आया। सहीहैन की रिवायात की रू से ये दो बीवियों के यहाँ पेश आया। हफ़्सा और ज़ैनब (रज़ि.)। हाफ़िज़ इब्ने हजर, अल्लामा औनी और इमाम किरमानी वग़ैरह के नज़दीक पहले आपने हज़रत हफ़्सा के यहाँ शहद पिया, तो आपने शहद पीना छोड़ दिया लेकिन हराम नहीं ठहराया। फिर आपने ज़ैनब के यहाँ पिया। ये समझकर ज़रूरी नहीं है हर शहद में उर्फ़ुत के फल या गूंद की आमेज़िश हो या उसका बू हो, क्योंकि अगर उसकी मिक़्दार (मात्रा) मामूली हो तो उसका असर नुमायाँ होगा। जब आपने ज़ैनब के यहाँ पिया और दोबारा पहले वाली सूरते हाल पेश आई। तो आपने समझ लिया, मदीना के हर शहद में उर्फ़ुत के फल या गूंद की बसान्द मौजूद है, इसलिये आपने उसको हराम ठहरा लिया। अपनी हद तक कि मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। वरना अल्लाह तआला की हलाल करदा चीज़ों को मुत्लक़न हराम क़रार नहीं दिया जा सकता। इसलिये उसके बारे में ये कहना कि मोमिन एक सूराख़ से दो मर्तबा नहीं डसा जाता, दुरुस्त नहीं है और इस बुनियाद पर मज़्कूरा तत्बीक़ पर ऐतिराज़ नहीं हो सकता, चूंकि हुरमत का बाइस ज़ैनब वाला वाक़िया बना है, जिसमें हज़रत आइशा और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने एका (इत्तिफ़ाक़) किया था। इसलिये क़ुरआन मजीद में उन दोनों की तरफ़ इशारा किया गया है लेकिन क़ाज़ी अयाज़ इमाम क़ुर्तुबी और इमाम नववी ने हज़रत ज़ैनब वाले वाक़िये को तरजीह दी है और उसके लिये कुछ वुजूहे तरजीह उलमा ने बयान की हैं, जिनका जवाब दिया जा सकता है।

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، بِهَذَا سَوَاءً وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3680) इमाम मुस्लिम की सहीह मुस्लिम के रावी अबू इस्हाक़ इब्राहीम मज़्कूरा बाला रिवायत इमाम साहब के हमपल्ला होकर अबू उसामा से एक वास्ते से बयान करते हैं और इमाम मुस्लिम अपने दूसरे उस्ताद से भी हिशाम बिन उरवह की ही सनद से बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 5431, 559, 5682, अबू दाऊद : 3715, तिर्मिज़ी : 1831, इब्ने माजह : 3323)

बाब 4 : निय्यत के बग़ैर सिर्फ़ बीवी को इख़्तियार देने से तलाक़ वाक़ेअ नहीं होगी

باب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا إِلاَّ بِالنِّيَّةِ

(3681) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं और ये अल्फ़ाज़ हरमला बिन यहया तुजीबी के हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं जब रसूलुल्लाह(ﷺ) को हुक्म दिया गया कि अपनी बीवियों को (दुनिया और आख़िरत में से एक के इन्तिख़ाब का) इख़्तियार दे दें, आपने इब्तिदा मुझसे की और फ़रमाया, 'मैं तुमसे एक मामले का ज़िक्र करने लगा हूँ, तुम पर कोई तंगी नहीं है अगर (उसके बारे में फ़ैसला करने में) जल्दबाज़ी से काम न लो। यहाँ तक कि अपने वालिदैन से सलाह व मशवरा कर लो।' वो बयान करती हैं, आपको ख़ूब मालूम था कि मेरे वालिदैन मुझे आपसे जुदा होने का मशवरा नहीं देंगे। फिर आपने फ़रमाया, अल्लाह तआला का इरशाद है, 'ऐ नबी! अपनी बीवियों से फ़रमा दीजिये, अगर तुम दुनिया की ज़िन्दगी और उसकी ज़ीनत की ख़्वाहाँ हो, तो आओ मैं तुम्हें दुनिया का साज़ो-सामान दूँ और बड़े अच्छे तरीक़े से तुम्हें रुख़सत करूँ और अगर तुम अल्लाह, उसके रसूल और आख़िरत के घर की ख़्वाहाँ हो तो अल्लाह तआला ने तुम ख़ूबकारों के लिये अज्रे अज़ीम तैयार कर रखा है।' (सूरह अहज़ाब : 28-29) तो मैंने अर्ज़ किया, इसमें कौनसी बात है जिसके लिये वालिदैन से

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ " إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ " . قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَىِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ . قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ

أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

मशवरा करूँ? क्योंकि मैं तो अल्लाह उसके रसूल और दारे आख़िरत की ख़्वाहाँ हूँ। वो बयान करती हैं फिर तमाम अज़्वाज ने वही फ़ैसला किया जो मैंने किया था।

(सहीह बुख़ारी : 4785, 4786, तिर्मिज़ी : 3204, नसाई : 6/55, 6/160)

फ़ायदा : हुज़ूर(ﷺ) अलग-अलग वजह की बिना पर अज़्वाजे मुतह्हरात से नाराज़ हुए, जो पे-दर-पे एक के बाद एक पेश आये, पहले शहद वाला वाक़िया पेश आया, उसके बाद मारिया क़िब्तिया का वाक़िया रूनुमा हुआ। फिर अज़्वाजे मुतह्हरात नान व नफ़्क़ा में इज़ाफ़ा के मुताल्बे पर मुत्तफ़िक़ हो गईं, इस तरह कुछ उमूर पेश आये, जो आगे आ रहे हैं जिनकी बिना पर आपने एक माह ईला करते हुए अज़्वाज (बीवियों) से अलग हो गये और ईला के ख़ातमे पर आयते तख़्ईर नाज़िल हुई। जिसकी बिना पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अज़्वाज को अपने पास रहने और जुदा होने का इख़्तियार दिया और आग़ाज़ हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महबूब थीं और चूंकि आप उनको अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे, इसलिये उनकी ख़ैरख़्वाही के पेशे नज़र, उनकी नौख़ेज़ी और नातजुर्बेकारी से ख़तरा महसूस करते हुए ये मशवरा भी दिया कि फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी से काम न लेना। पहले अपने वालिदैन से मशवरा कर लेना, जो आपके जानिसार थे और वो हज़रत आइशा से अलग होने को गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपनी कमाल ज़िहानत व फ़तानत और असाबते फ़िक्र (दुरुस्त सोच) की बिना पर, मशवरे की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और फ़ौरन आपके साथ ज़िन्दगी गुज़ारने को तरजीह दी, ये वाक़िया 9 हिजरी में पेश आया, जिससे मालूम होता है, उस वक़्त तक उनकी वालिदा उम्मे रोमान (रज़ि.) बाहयात थीं और बाक़ी अज़्वाज ने भी अल्लाह और उसके रसूल और दारे आख़िरत का इन्तिख़ाब किया और इसमें उलमा का इख़्तिलाफ़ है कि आपने उन्हें तलाक़ तफ़वीज़ की थी कि वो तलाक़ लेने का हक़ रखती हैं या आपने तलाक़ देने का वादा इस शर्त पर किया था, जब वो दुनिया को इख़्तियार कर लेगी, इमाम मुजाहिद और शअबी, तफ़वीज़ के क़ाइल हैं और इमाम हसन बसरी और क़तादा वादे के।

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(3682) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब हममें से किसी बीवी की बारी होती तो रसूलुल्लाह(ﷺ) हमसे इजाज़त लेकर दूसरी के पास जाते, हालांकि ये आयत

عليه وسلم يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ } تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ{ فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَأْذَنَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي .

नाज़िल हो चुकी थी, 'उनमें से जिसको चाहें अलग रखें और जिसको चाहें अपने पास जगह दें।' (सूरह अहज़ाब : 51) तो मुआज़ह (रह.) ने उनसे पूछा, तो आप जब रसूलुल्लाह(ﷺ) आपसे इजाज़त तलब करते थे। क्या जवाब देती थीं? उन्होंने जवाब दिया, मैं कहती थी, अगर ये मामला मेरे बस में है तो मैं किसी को अपने ऊपर तरजीह नहीं देती।

(सहीह बुख़ारी : 4789, अबू दाऊद : 2136)

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़सद ये था। आपकी वज़ाहत व मुआशिरत और आपकी ख़िदमत और आपसे इस्तिफ़ादा की जो बरकतें और ख़ैरात हैं उनसे महरूम होना नहीं चाहती।

وَحَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَهُ

(3683) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक दूसरे उस्ताद की सनद से आसिम ही से बयान करते हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاَقًا .

(3684) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें इख़्तियार दिया था (कि निकाह में रहें या न रहें) तो हमने इस इख़्तियार देने को तलाक़ शुमार नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 5263, तिर्मिजी : 1179, नसाई : 6, 56, 6/161)

फ़ायदा : अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन और फ़ुक़्हा के नज़दीक, बीवी को इख़्तियार देना, जबकि उसने ख़ाविन्द को इख़्तियार कर लिया है, तलाक़ नहीं है। हज़रत अली (रज़ि.) और हसन बसरी के नज़दीक सिर्फ़ इख़्तियार देने से तलाक़े रजई वाक़ेअ हो जायेगी और हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) और इमाम लैस़ के नज़दीक तलाक़े बायना जिससे रुजूअ नहीं हो सकता वाक़ेअ हो जायेगी और इमाम ख़त्ताबी ने ग़लत तौर पर इसकी निस्बत इमाम मालिक की तरफ़ भी की है, लेकिन क़ाज़ी अयाज़ मालिकी ने इससे इंकार किया है। सहीह अहादीस़ की रू से जुम्हूर का मौक़िफ़ दुरुस्त है।

(3685) इमाम मसरूक़ (रह.) बयान करते हैं, जब बीवी ने मुझे पसंद कर लिया था तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मैंने बीवी को एक इख़्तियार दिया था या सौ का या हज़ार का। मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछ चुका हूँ उन्होंने फ़रमाया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें इख़्तियार दिया था तो क्या ये तलाक़ थी?

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي، خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَكَانَ طَلاَقًا.

(3686) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी बीवियों को इख़्तियार दिया था तो ये तलाक़ नहीं थी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلاَقًا.

(3687) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें इख़्तियार दिया, हमने आपको इख़्तियार किया तो आपने उसको तलाक़ शुमार नहीं किया।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاَقًا

(3688) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें इख़्तियार दिया तो हमने आपको इख़्तियार किया, तो आपने इसको हमारे लिये कुछ शुमार नहीं किया।

(सहीह बुख़ारी : 5262, अबू दाऊद : 2203, तिर्मिज़ी : 1179, नसाई : 6/56, 6/161, इब्ने माजह : 2052)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ.

(3689) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद की सनद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ - قَالَ - فَأُذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا - قَالَ - فَقَالَ لأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا . فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ " . فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كِلاَهُمَا يَقُولُ تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(3690) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू बक्र आये और रसूलुल्लाह(ﷺ) से बारयाबी की इजाज़त तलब की और लोगों को देखा, वो आपके दरवाज़े पर बैठे हैं, उनमें से किसी को इजाज़त नहीं दी गई। हज़रत जाबिर कहते हैं, अबू बक्र को इजाज़त मिल गई तो वो अंदर चले गये। फिर हज़रत उमर आये और इजाज़त तलब की, उन्हें भी इजाज़त मिल गई। उन्होंने नबी(ﷺ) को बैठे हुए पाया। आपके गर्दो-पेश आपकी बीवियाँ थीं और आप ग़मज़दा ख़ामोश थे। तो हज़रत अबू बक्र ने दिल में सोचा मैं ऐसी बात कहूँगा जिससे हुज़ूर(ﷺ) को हँसी आ जायेगी तो कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! ऐ काश आप (मेरी बीवी) ख़ारिजह की बेटी की हालत देखते, उसने मुझसे नान व नफ़्क़ा का सवाल किया। तो मैंने खड़े होकर उसका गला दबोच लिया। इस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) हँस पड़े और फ़रमाया, 'ये मेरे पास हैं, जैसाकि देख रहे हो और मुझसे नफ़्क़े का सवाल कर रही हैं।' तो हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) उठकर आइशा (रज़ि.) के पास गये और उसका गला दबाना शुरू कर दिया और हज़रत उमर (रज़ि.) उठकर हफ़्सा (रज़ि.) के पास गये और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया

وسلم ما لَيْسَ عِنْدَهُ . فَقُلْنَ واللَّهِ لا نَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ} حَتَّى بَلَغَ {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ " يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ " . قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَتَلاَ عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَىَّ بَلْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ . قَالَ " لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا " .

दोनों कह रहे थे, रसूलुल्लाह(ﷺ) से ऐसी चीज़ माँग रही हो जो आपके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! ये आपसे कभी भी ऐसी चीज़ का सवाल नहीं करेंगी जो आप के पास नहीं होगी। फिर आप उनसे एक माह या उन्तीस दिन अलग-थलग रहे। फिर आप पर ये आयत नाज़िल हुई, 'ऐ नबी! अपनी बीवियों को फ़रमा दीजिये, अल्लाह तआला ने तुम ख़ूबकारों के लिये अज्रे अ़ज़ीम तैयार कर रखा है..... तक।' तो आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) से शुरूआत की और फ़रमाया, 'ऐ आइशा! मैं तुम्हारे सामने एक मामला पेश करना चाहता हूँ, मैं इस बात को पसंद करता हूँ, तुम उसमें जल्दबाज़ी से काम न लेना, यहाँ तक कि अपने वालिदैन से मशवरा कर लो।' आइशा (रज़ि.) ने पूछा, वो क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने उसे आयत सुनाई, उसने जवाब दिया, क्या आपके बारे में ऐ अल्लाह के रसूल! अपने वालिदैन से मशवरा लूँ? बल्कि मैं अल्लाह, उसके रसूल और दारे आख़िरत को इख़्तियार करती हूँ और आपसे दरख़्वास्त करती हूँ कि आप मेरी बात को अपनी किसी बीवी को न बतायें। आपने फ़रमाया, 'उनमें से जो भी पूछेगी, मैं उसको बता दूँगा। अल्लाह तआला ने मुझे दुश्वारी पैदा करने वाला और लग़्ज़िशों का ख़्वाहाँ बनाकर नहीं भेजा, लेकिन मुझे तालीम देने वाला और आसानी पैदा करने वाला बनाकर भेजा है।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) मुअन्नित : मशक़्क़त और दुश्वारी में डालने वाला। **(2) मुतअन्नित** : लग़्ज़िश और ग़लती का तालिब।

फ़ायदा : अल्लाह तआला ने तबई तौर पर औरतों के दिल में ज़ेवरात और बेहतरीन लिबास की ख़्वाहिश रखी है और जब फ़तहे ख़ैबर के बाद हालात बेहतर हो गये तो अज़्वाजे मुतह्हरात के दिल में भी उन चीज़ों की ख़्वाहिश पैदा हुई, लेकिन आप चाहते थे, आपके घर में सादगी और ज़ुहद व क़नाअत ही रहे और अज़्वाज के दिल में दुनिया की मुहब्बत पैदा न हो और हज़रत अबू बक्र और हज़रत उमर (रज़ि.) ने भी आपकी मुवाफ़िक़त की और अपनी-अपनी बेटी को दबोच लिया और हुज़ूर(ﷺ) ने उन्हें मारपीट से मना फ़रमा दिया और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने औरतों की तबई ग़ैरत के तहत कि आप ही की तरफ़ हुज़ूर(ﷺ) का रुख़ है, ये दरख़्वास्त की कि मेरी बात किसी और बीवी को न बतायें, मुम्किन है कोई आपसे फ़िराक़ को पसंद कर ले, लेकिन आपने उनकी दरख़्वास्त को क़ुबूल नहीं किया। क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उनमें कोई एक दुनिया की ज़ेबो-ज़ीनत की तरफ़ माइल हो। अगर कोई औरत तफ़वीज़े तलाक़ को इस्तेमाल करते हुए अलग होने को पसंद कर लेती तो इमाम मालिक और लैस़ के नज़दीक ये तीन होंगी। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक एक बायना तलाक़ होगी, ख़ाविन्द को हक़्क़े रुजूअ हासिल नहीं रहेगा और इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक एक रजई तलाक़ होगी। ख़ाविन्द को हक़्क़े रुजूअ हासिल होगा और तलाक़ शरीअत में दरअसल रजई ही है और अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक तख़्ईर (इख़्तियार) का ताल्लुक़ उसी मजलिस से है, जिसमें इख़्तियार दिया गया है, इल्ला ये कि ख़ाविन्द सोच-विचार के लिये कुछ मोहलत दे दे। हँसाने वाली बात कुछ रिवायात में हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ मन्सूब की गई है लेकिन हदीस़ में लौ रएतु बिन्त ख़ारिजह का लफ़्ज़ है। ये अबू बक्र की बीवी है, हज़रत उमर की कोई बीवी बिन्ते ख़ारिजह नहीं या बिन्ते ज़ैद नहीं है इसलिये सहीह यही है कि यहाँ अबू बक्र ही मुराद हैं इसलिये अबू बक्र ने ही उमर से पहले अपनी बेटी आइशा का गला दबोचा था।

बाब 5 : ईला और औरतों से अलग होकर उनको इख़्तियार देना और अल्लाह तआला का फ़रमान, 'अगर तुम दोनों उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाओगी'

باب فِي الإِيلاَءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ}

(3691) उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं कि जब अल्लाह के नबी(ﷺ) ने अपनी बीवियों से अलेहदगी (अलगाव) इख़्तियार की तो मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ और लोगों को

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ - قَالَ - دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ . قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُحِبُّكِ . وَلَوْلاَ أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ . فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى

देखा कि वो कंकरियों के साथ ज़मीन पर नुक्ते लगा रहे यानी ज़मीन खोद रहे हैं (ग़म और फ़िक्र की बिना पर) और कह रहे हैं और रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है और ये पर्दा की आयत उतरने से पहले की बात है। अभी उन्हें पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया था। उमर कहते हैं, मैंने दिल में कहा, आज इस मामले को जानकर रहूँगा। तो मैं आइशा (रज़ि.) के पास गया और पूछा, ऐ अबू बक्र की बेटी! क्या तेरी ये हालत हो गई कि तू रसूलुल्लाह(ﷺ) को अज़ियत पहुँचाये? तो उसने कहा, तेरा मुझसे क्या वास्ता? ऐ ख़त्ताब के बेटे! तुम अपनी गठरी (सामानदान) की ख़बर लो (अपनी बेटी से पूछो) तो मैं अपनी बेटी हफ़्सा (रज़ि.) के पास गया और उससे पूछा, ऐ हफ़्सा! क्या तुम इस हद तक पहुँच गई हो कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को दुख पहुँचाओ? अल्लाह की क़सम! तुझे ख़ूब मालूम है अल्लाह के रसूल तुझसे मुहब्बत नहीं रखते और अगर मेरा पास न होता तो रसूलुल्लाह(ﷺ) तुझे तलाक़ दे देते। तो वो ज़ोर व शोर से रोने लगीं। तो मैंने उससे पूछा, रसूलुल्लाह(ﷺ) कहाँ हैं? उसने कहा, वो अपने गोदाम में, अपने चबारे में हैं। मैं दाख़िल हुआ तो देखा आपके गुलाम रबाह बालाख़ाने की चोखट पर बैठे हैं और अपने दोनों पाँव खुदी हुई लकड़ी पर लटकाये हुए हैं और वो खजूर का तना था जिस पर रसूलुल्लाह(ﷺ) चढ़ते और उतरते थे यानी सीढ़ी थी। मैंने आवाज़ दी, ऐ रबाह! मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) से हाज़िर होने की इजाज़त ले

عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضَرْبِ عُنُقِهَا لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا . وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ - قَالَ - فَابْتَدَرَتْ عَيْنَاىَ قَالَ "

लो। तो रबाह ने बालाख़ाने की तरफ़ देखा, फिर मुझे देखा और कुछ न कहा। मैंने फिर (कुछ वक़्फ़े के बाद) कहा, ऐ रबाह! फिर मेरी तरफ़ देखा और कुछ न कहा। फिर मैंने अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए कहा, ऐ रबाह! मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास हाज़िरी की इजाज़त ले लो, क्योंकि मैं ये ख़्याल करता हूँ रसूलुल्लाह(ﷺ) का तसव्वुर ये है कि मैं हफ़्सा की ख़ातिर आया हूँ। अल्लाह की क़सम! अगर रसूलुल्लाह(ﷺ) मुझे उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दें तो मैं उसकी गर्दन मार दूँगा और मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसने मुझे इशारा किया, चढ़ आओ। तो मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचा और आप एक चटाई पर लेटे हुए थे, तो मैं बैठ गया और आपने अपनी तहबंद अपने ऊपर कर ली और आपके पास उसके सिवा कोई कपड़ा न था और चटाई ने आपके पहलू पर निशान डाल रखे थे, मैंने अपनी नज़र रसूलुल्लाह(ﷺ) के ख़ज़ाने (गोदाम) में दौड़ाई, तो मैंने चंद मुट्ठी जौ देखे जो एक साअ के बक़द्र थे और एक कोने में उतनी कीकर की छाल थी और एक कच्चा चमड़ा लटका हुआ था, तो मेरी आँखें बह पड़ीं, मुझे रोना आ गया। आपने फ़रमाया, 'क्यों रोते हो? ऐ ख़त्ताब के बेटे।' मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! मैं क्यों न रोऊँ, इस चटाई के आपके पहलू पर निशान बन गये हैं और ये आपका ख़ज़ाना है और इसमें वही कुछ है जो मैं देख रहा हूँ और वो क़ैसर और किसरा फलों और नहरों में ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल और उसके बरगुज़ीदा हैं

ما يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " . قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا لِي لاَ أَبْكِي وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ أَرَى فِيهَا إِلاَّ مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ . فَقَالَ " يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا " . قُلْتُ بَلَى - قَالَ - وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللَّهَ بِكَلاَمٍ إِلاَّ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ { عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ } { وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ } وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ " لاَ " . قُلْتُ يَا

और आपका ये ख़ज़ाना है। आपने फ़रमाया, 'ऐ ख़त्ताब के बेटे! क्या तुम इस पर मुत्मइन और राज़ी नहीं हो कि हमें आख़िरत मिले और उन्हें दुनिया?' मैंने अ़र्ज़ किया, क्यों नहीं। हज़रत उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, जब मैं आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो मैं आपके चेहरे पर गुस्से के आसार देख रहा था। तो मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपको बीवियों के मामले में क्या दुश्वारी है? अगर आपने उन्हें तलाक़ दे दी है तो अल्लाह तआ़ला आपके साथ है और उसके फ़रिश्ते और जिब्राईल और मीकाईल और मैं और अबू बक्र और मोमिन आपके साथ हैं और कम ही मैंने बातचीत की है मगर...... मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ ......। मैंने उम्मीद रखी कि अल्लाह मेरी इस बातचीत की जो मैंने की है तस्दीक़ फ़रमायेगा और आयत आयते तख़ईर (इख़्तियार) नाज़िल हुई, 'उम्मीद है उसका रब अगर वो तुम्हें तलाक़ दे दे तो वो उसे तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियाँ इनायत फ़रमायेगा और अगर तुम दोनों उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गईं, तो अल्लाह उसका (अपने नबी का) कारसाज़ है और जिब्राईल और नेक मोमिन और मज़ीद बरॉं उसके मुआ़विन हैं।' (सूरह तहरीम : 4) आ़इशा बिन्ते अबी बक्र (रज़ि.) और हफ़्सा ने तमाम नबी की बीवियों पर ज़ोर डाला था। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आपने उनको तलाक़ दे दी है? आपने फ़रमाया, 'नहीं।' मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ तो लोग (ग़म और फ़िक्र से) ज़मीन पर कंकरियों के साथ नुक्ते

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ " نَعَمْ إِنْ شِئْتَ " . فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ . قَالَ " إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ " . فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ . وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ

लगा रहे थे। कहते थे, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। क्या मैं उनके पास उतरकर उन्हें ख़बर दूँ कि आपने उन्हें तलाक़ नहीं दी? आपने फ़रमाया, 'हाँ! अगर तुम चाहो।' तो मैं आपसे बातचीत करता रहा यहाँ तक कि (आपके) चेहरे से गुस्सा ज़ाइल (ख़त्म) हो गया, यहाँ तक कि आपके दन्दाने मुबारक खुल गये और आप हँस पड़े और आपकी मुस्कुराहट सब लोगों से ज़्यादा हसीन थी। फिर नबी(ﷺ) उतरे और मैं भी उतरा, मैं खजूर के तने को पकड़े हुए उतरा और रसूलुल्लाह(ﷺ) उसको हाथ लगाये बग़ैर इस तरह उतरे गोया ज़मीन पर चल रहे हैं। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप बालाख़ाने में उन्तीस दिन रहे हैं? आपने फ़रमाया, 'महीना उन्तीस का भी होता है।' तो मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ नहीं दी और ये आयत उतरी, 'जब उनके पास अमन या जंग की कोई ख़बर पहुँचती है तो वो उसे फैला देते हैं और अगर वो उसे रसूल या अस्हाबे अम्र (सोच-विचार के अहल) के पास ले जाते तो उनमें से जो इस्तिम्बात की सलाहियत रखते हैं (बात की तह तक पहुँच सकते हैं) तो वो उसकी हक़ीक़त को जान लेते।' (सूरह निसा : 83) तो मैंने इस मामले की हक़ीक़त को निकाला और अल्लाह तआला ने आयते तख़ईर (इख़्तियार) नाज़िल फ़रमाई।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) **यन्कुतून बिल्हसा :** ज़मीन पर फ़िक्रमन्द और ग़मज़दा होकर कंकरियों के साथ नुक्ते लगा रहे थे। (2) **बिऔबतिक : औबति :** उस बर्तन या थैली को कहते हैं जिसमें इंसान

अपने बेहतरीन कपड़े और क़ीमती चीज़ों को महफ़ूज़ करता है, मुराद अपनी असल दिलचस्पी की चीज़ है यानी अपनी बेटी हफ़्सा को वअ़ज़ व नसीहत करो। **(3) लौ ला अना लतल्लक़कि रसूलुल्लाह :** मेरे लिहाज़ और रिआयत की ख़ातिर रसूलुल्लाह(ﷺ) तुम्हें तलाक़ नहीं दे रहे, क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक बार हज़रत हफ़्सा को तलाक़ दे दी थी, फिर हज़रत उ़मर (रज़ि.) की ख़ातिर और उनके रोज़ेदार और तहज्जुदगुज़ार होने की बिना पर, अल्लाह की तरफ़ से आपको रुजूअ़ का हुक्म मिला था। **(4) मशरुबह :** मशरूब ख़ाना, मशरबह, बालाख़ाना। **(5) उस्कुफ़्फ़ह :** चोखट, देहलीज़। **(6) क़रज़ :** कंकर के पत्ते, जिनसे कच्चे चमड़े रंगे जाते हैं। अफ़ीक़, वो चमड़ा जो अभी पूरी तरह रंगा न गया हो। **(7) वइन् तज़ाहरानि अ़लैहि :** ऐ आइशा व हफ़्सा! अगर तुम दोनों एक ऐसे काम पर एका और इत्तिफ़ाक़ कर लो जो नबी(ﷺ) के लिये तकलीफ़देह है और उसका राज़ ज़ाहिर कर दो, तो तुम हमारे नबी(ﷺ) का कुछ बिगाड़ नहीं सकतीं। क्योंकि अल्लाह तआ़ला, जिब्रईल, मोमिन और फ़रिश्ते हमारे नबी के मुआ़विन और मददगार हैं। **(8) तहस्सरल ग़ज़ब अ़न वजहिही :** आपके रुख़े अनवर से गुस्से के आसार मिट गये। **(9) कशर :** मुस्कुराहट से दाँत ज़ाहिर हो गये। **(10) अतशब्बसु बिल्जिज़्अ :** (मैं गिरने के ख़ौफ़ से) तने को पकड़कर उतर रहा था। **(11) मा यमस्सुहू बियदिही :** और आप इन्तिहाई ऐतिमाद व वुसूक़ से बिला ख़ौफ़ व ख़तर, बग़ैर सहारा लिये (हाथ लगाये) उतर रहे थे।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि अज़्वाजे मुतह्हरात को तख़ईर (इख़्तियार) देने का वाक़िया पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले पेश आया है। हालांकि वाक़िया तख़ईर के वक़्त हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और वो अपने वालिदैन के साथ फ़तहे मक्का 8 हिजरी के बाद मदीना मुनव्वरा आये हैं और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) भी आपके निकाह में आ चुकी थीं और पर्दे के अहकाम उन्हीं की शादी के मौक़े पर उनके वलीमे में 4 हिजरी या 5 हिजरी में नाज़िल हो चुके थे। इसलिये वाक़िय-ए-तख़ईर को पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले क़रार देना सिर्फ़ रावी का वहम है, जो उसे इसलिये पैदा हो गया कि हज़रत उ़मर हज़रत आ़इशा के पास गये और उनसे पूछा, हालांकि सवाल व जवाब पसे पर्दा हुआ था। नीज़ इस हदीस़ में ये बयान किया गया है कि आयत इज़ा जाअहुम अम्रुम् मिनल् अम्नि अविल् ख़ौफ़ि इज़ा अज़ाऊ बिही जब अमन या जंग की कोई बात उनके सामने आती है तो वो उसे फैला देते हैं, जबकि मशहूर ये है जैसाकि इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि इस आयत का नुज़ूल जंगी मामलात की तशहीर जो मुनाफ़िक़ ग़लत तरीक़े से मुसलमानों में बददिली फैलाने के लिये करते थे उस सिलसिले में हुआ है तो ये दोनों क़िस्म के वाक़ियात हालते अमन में ग़लत तौर पर तलाक़ देने की तशहीर और हालते जंग में झूठी जंगी ख़बरों

की तशहीर के सिलसिले में नाज़िल हुई या दोनों इसका मिस्दाक़ हैं। सहाबा किराम जिस वाक़िये पर कोई आयत चस्पाँ होती या उस पर सादिक़ आती, अगरचे वो नुज़ूल के बाद या पहले पेश आ चुका होता, तो कह देते नज़लत फ़ी कज़ा ये वाक़िया भी इसका मिस्दाक़ है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يُحَدِّثُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ، أَنْ أَسْأَلَ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ . قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ - قَالَ - وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ

(3692) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान फ़रमाते हैं कि मैं साल भर ये इरादा करता रहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) से एक आयत का मफ़्हूम पूछूँ, लेकिन उनकी हैबत की बिना पर उनसे पूछ न सका यहाँ तक कि वो हज के लिये निकले और मैं भी उनके साथ रवाना हुआ। जब वापस पलटे तो वो रास्ते के किसी हिस्से पर अपनी ज़रूरत (क़ज़ाए हाजत) के लिये पीलू के दरख़्त की तरफ़ हट गये (मुड़ गये) मैं भी उनकी फ़राग़त के इन्तिज़ार में ठहर गया। फिर उनके साथ चल पड़ा। तो मैंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! आपकी(ﷺ) बीवियों में से वो दो कौनसी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के ख़िलाफ़ एका या इत्तिहाद कर लिया था? तो उन्होंने जवाब दिया, वो हफ़्सा और आइशा (रज़ि.) हैं। तो मैंने उनसे कहा, अल्लाह की क़सम! एक साल से आपसे इसके बारे में पूछने का इरादा कर रहा था, लेकिन आपके रौब की बिना पर हिम्मत नहीं कर सका। उन्होंने कहा, ऐसा मत करो, जिस चीज़ के बारे में तुम ये समझो कि मुझे उसका इल्म है तो मुझसे पूछ लो, अगर मुझे इल्म होगा तो मैं तुम्हें बता दूँगा। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) कहने लगे, अल्लाह की क़सम! हम जाहिलिय्यत के दौर में औरत को किसी शुमार क़तार में नहीं

إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأْتَمِرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَا هُنَا وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ . قَالَ عُمَرُ فَآخُذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ . فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ . فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بُنَيَّةُ لاَ يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا . ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ

समझते थे (उन्हें कोई अहमिय्यत नहीं देते थे) यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनके बारे में जो उतारना चाहा, उतारा और उनको जो देना था, दिया (उनके हुक़ूक़ मुक़र्रर फ़रमाये) और उन्होंने बताया, इस दौरान में कि मैं एक मामले पर ग़ौर व फ़िक्र या सोच-विचार कर रहा था कि मेरी बीवी ने मुझे कह दिया, अगर आप ऐसा-ऐसा कर लें तो बेहतर है। तो मैंने उनसे कहा, तुझे मेरे मामले से क्या दिलचस्पी या ताल्लुक़ है? और जो काम मैं करना चाहता हूँ, तुझे उसमें दख़ल देने की क्या ज़रूरत है? तो उसने मुझसे कहा, तुम पर हैरत है ऐ ख़त्ताब के बेटे! आप आपस में बातचीत को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं, हालांकि तेरी बेटी रसूलुल्लाह(ﷺ) को जवाब दे लेती है, जिसकी बिना पर आप दिन भर नाराज़ रहते हैं। उमर कहते हैं, मैंने उसी वक़्त अपनी चादर उठाई और निकल खड़ा हुआ। यहाँ तक कि हफ़्सा के पास पहुँच गया और उससे पूछा, ऐ मेरी बेटी! तुम रसूलुल्लाह(ﷺ) को ऐसा जवाब देती हो जिससे आप दिन भर नाराज़ रहते हैं। तो हफ़्सा ने कहा, अल्लाह की क़सम! हम आपको जवाब दे लेती हैं। तो मैंने कहा, जान लो मैं तुम्हें अल्लाह की सज़ा और उसके रसूल की नाराज़ी से डराता हूँ। ऐ मेरी बेटी! तुम्हें ये (आइशा) जो अपने हुस्नो-जमाल पर नाज़ाँ है, धोखे में न डाल दे क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) उससे मुहब्बत करते हैं। फिर

قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ ‏.‏ قَالَ فَأَخَذَتْنِي أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غابَ كُنْتُ أَنَ آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَأَتَى صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ وَقَالَ افْتَحِ افْتَحْ ‏.‏ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ اعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَزْوَاجَهُ ‏.‏ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ‏.‏ ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ هَذَا عُمَرُ ‏.‏ فَأُذِنَ لِي ‏.‏ قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا

मैं उससे निकलकर हज़रत उम्मे सलमा के पास गया। क्योंकि वो मेरी क़राबतदार थीं और मैंने उनसे बातचीत की। तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने मुझसे कहा, तुझ पर तअज्जुब है ऐ ख़त्ताब के बेटे! तू हर चीज़ में दख़ल देता है, यहाँ तक कि ये भी चाहता है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) और आपकी बीवियों के दरम्यान दख़ल दे। हज़रत उमर कहते हैं, तो उसने मुझे इस तरह निशाना बनाया कि मैं दिल में जो पाता था उससे फेर दिया गया। मैंने इस सिलसिले में मज़ीद बातचीत न की और मैं उसके यहाँ से निकल गया और मेरा एक अन्सारी साथी था जब मैं आपकी मज्लिस से ग़ैर हाज़िर होता तो वो आकर मुझे (दिन भर की) बातें बताता और जब वो ग़ैर हाज़िर होता तो मैं उसे जाकर बातें बताता और हम उन दिनों एक ग़स्सानी बादशाह से ख़ौफ़ज़दा थे, हमें बताया गया था कि वो हम पर हमलावर होना चाहता है। इससे हमारे सीने ख़ौफ़ से लबरेज़ (भरे हुए) थे। तो मेरा अन्सारी साथी आया, दरवाज़े पर दस्तक दी और कहा, खोलो-खोलो। मैंने पूछा, क्या ग़स्सानियों ने हमला कर दिया है? तो उसने कहा, इससे भी संगीन वाक़िया रूनुमा हो गया है। रसूलुल्लाह(ﷺ) अपनी बीवियों से अलग-थलग हो गये हैं। तो मैंने कहा, हफ़्सा और आइशा का नाक ख़ाक आलूद हो, फिर मैंने अपने कपड़े लिये और निकल खड़ा हुआ यहाँ तक कि मैं आपके यहाँ पहुँच गया और

بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَضْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَكَيْتُ فَقَالَ " مَا يُبْكِيكَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الآخِرَةُ " .

रसूलुल्लाह(ﷺ) अपने बालाख़ाने में थे। जिस तक सीढ़ी से चढ़ा जाता था और रसूलुल्लाह(ﷺ) का स्याहफ़ाम गुलाम सीढ़ी के सर पर बैठा था। मैंने कहा, मैं उ़मर हूँ (इजाज़त चाहता हूँ) तो मुझे इजाज़त मिल गई। हज़रत उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मज़्कूरा बातचीत सुनाई तो जब मैं उम्मे सलमा (रज़ि.) की बात पर पहुँचा, रसूलुल्लाह(ﷺ) मुस्कुरा दिये और आप एक चटाई पर लेटे हुए थे उसके और आपके दरम्यान कोई बिछौना न था और आपके सर के नीचे एक चमड़े का तकिया था, जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और आपके पाँव के पास कीकर के पत्ते जमा थे और आपके सर के पास कच्चे चमड़े लटक रहे थे, तो मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के पहलू पर चटाई के निशान देखे और मैं रोने लगा। आपने पूछा, 'क्यों रोते हो?' तो मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये किसरा और क़ैसर किस तरह आराम व सहूलत में हैं और आप अल्लाह के रसूल हैं (और इस क़द्र तंगी) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि उन दोनों को दुनिया नसीब हो और तुम्हारे हिस्से में आख़िरत आये?'

(सहीह बुख़ारी : 4913, 4914, 4915, 5218, 5843, 7256, 7263)

(1) आतमिरूहु : मैं इसके बारे में सोच-विचार में मशग़ूल था। **(2) अन तुराजअ़ :** तेरी बात का जवाब दिया जाये। **(3) अख़ज़त्नी अख़ज़ा :** मुझे निशाना बनाया। **(4) कसरत्नी अ़न बअ़्ज़ि मा**

अजिदुः कुछ बातें जो मैं कहना चाहता था उनसे फेर दिया। उनके करने का मौक़ा और गुंजाइश न छोड़ी। **(5) अजलहः**सीढ़ी। **(6) उहुबन या अहबनः**अहाब की जमा है, वो चमड़ा जो रंगा नहीं गया।

(3693) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ (हज से) वापस आया, यहाँ तक कि जब हम मर्रुज़्ज़हरान नामी जगह पर पहुँचे, आगे मज़्कूरा बाला सुलैमान बिन बिलाल की तवील हदीस बयान की, हाँ ये फ़र्क़ है कि मैंने पूछा, दो औरतों का मामला क्या है? उमर (रज़ि.) ने कहा, हफ़्सा उम्मे सलमा (रज़ि.) और उसमें ये इज़ाफ़ा है, मैं (अज़्वाजे मुतह्हरात के) घरों के पास आया और हर घर में रोने की आवाज़ थी और ये भी इज़ाफ़ा, आपने उनसे एक माह का ईला किया था। तो जब उन्तीस दिन गुज़र गये आप उनके पास उतर आये।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ، سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ كَنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ ‏.‏ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ‏.‏ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ ‏.‏

मुफ़रदातुल हदीस : (1) हुजर : हुज्रे की जमा है, मुराद आपकी अज़्वाज के घर हैं। **(2) आला ईला :** क़सम उठाना।

फ़ायदा : फ़िक़्ही तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ईला ये है कि ख़ाविन्द ये क़सम उठाये कि मैं चार माह तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा। फिर अगर ख़ाविन्द ने अपनी क़सम की मुद्दत मुकम्मल कर ली और बीवी से सोहबत न की, तो उसकी बीवी को तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी और अगर उस मुद्दत के अंदर-अंदर सोहबत कर ली, तो क़सम टूट जायेगी और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करना होगा और इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और अहले ज़ाहिर के नज़दीक, चार माह गुज़र जाने के बाद ख़ाविन्द से कहा जायेगा, बीवी से ताल्लुक़ात क़ायम करो या तलाक़ दो, सिर्फ़ मुद्दत (चार माह) गुज़रने पर तलाक़ वाक़ेअ नहीं होगी और उन अइम्मा के नज़दीक ईला उसी सूरत में होगा, जब चार माह से ज़्यादा मुद्दत, सोहबत न करने की क़सम उठाई हो, चार माह से कम मुद्दत की सूरत में फ़िक़्ही ईला नहीं होगा, सिर्फ़ क़सम होगी। अगर पूरी कर ली तो कफ़्फ़ारा नहीं है और अगर क़सम तोड़ दी तो क़सम का कफ़्फ़ारा होगा और अगर बिला तअयीने मुद्दत क़सम उठाई या पाँच-छः माह की

मुद्दत मुक़र्रर की तो उसे चार माह गुज़रने के बाद सोहबत करनी होगी या तलाक़ देनी पड़ेगी, अगर एक माह की क़सम उठाई और महीने के पहले दिन खाई तो फिर उस माह का ऐतिबार होगा, उन्तीस का हो या तीस का, अगर दरम्यान में क़सम उठाई तो फिर तीस दिन शुमार करने होंगे।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ، - وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ - قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ، عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ فَمَا قَضَيْتُ كَلاَمِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ .

(3694) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, मैं हज़रत उमर (रज़ि.) से उन औरतों के बारे में पूछना चाहता था जिन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में (आपके ख़िलाफ़) एका और इत्तिहाद किया था। मुझे एक साल तक इसका मौक़ा व महल न मिल सका, यहाँ तक कि मैं उनके साथ मक्का रवाना हुआ (वापसी पर) जब हम मर्रुज़्ज़हरान जगह पर पहुँचे वो क़ज़ाए हाजत के लिये गये और कहा तुम पानी का लौटा लेकर मुझे मिलो, मैं उनके लिये पानी का लोटा लाया। जब वो हाजत से फ़ारिग़ होकर वापस आये तो मैं उन पर पानी डालने लगा और मुझे अपना सवाल याद आ गया तो मैंने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! वो कौनसी दो औरतें हैं? मैंने अभी अपनी बात भी मुकम्मल नहीं की थी, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया, आइशा और हफ़्सा (रज़ि.)। इमाम सुफ़ियान बिन उयय्ना ने उबैद बिन हुनैन को हज़रत अ़ब्बास का मोला क़रार दिया है हालांकि वो ज़ैद बिन ख़रकाब का मोला था।

फ़ायदा : हज़रत हफ़्सा और हज़रत आइशा (रज़ि.) का आपके ख़िलाफ़ एका और इत्तिहाद ये था कि आपने जो बात हज़रत हफ़्सा को इस हिदायत के साथ बताई थी कि तुम उसे आगे किसी को नहीं बताना, उन्होंने वो बात मुहब्बत व इख़्लास की बुनियाद पर, हज़रत आइशा (रज़ि.) को बता दी जब अल्लाह तआ़ला ने इस इफ़्शाए राज़ से रसूलुल्लाह(ﷺ) को आगाह फ़रमा दिया और आपने हज़रत

हफ़्सा (रज़ि.) से इस पर इस्तिफ़्सार फ़रमाया, तो उन्होंने तअ़ज्जुब से पूछा आप(ﷺ) को किसने बताया। आप(ﷺ) ने बता दिया कि मुझे अ़लीम व ख़बीर ज़ात ने इत्तिलाअ़ दी है और उन्हें इस हरकत पर तम्बीह की लेकिन उन्होंने उस तम्बीह को कोई ज़्यादा अहमिय्यत न दी कि मैंने ये बात आप ही की दूसरी मोतमद और महबूब बीवी को बताकर कोई संगीन जुर्म नहीं किया कि आप इस पर मेरी गिरफ़्त फ़रमायें, तो उन्होंने इस तदल्लुल व नाज़ और ऐतिमाद की बिना पर जो मियाँ-बीवी में आपस में मुहब्बत व प्यार की बिना पर होता है, आपसे ख़फ़गी और कुछ लाताल्लुक़ी का इज़हार किया और दूसरी बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी इस ख़फ़गी और नाराज़ी में हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का साथ दिया कि अगर उसने मुझे ये बात बता दी तो क्या हुआ, आख़िर मैं भी तो आपकी बीवी ही हूँ, कोई ग़ैर या अजनबी तो नहीं हूँ। तो फिर उस पर एताब क्यों, इसका मानी तो ये हुआ। कि आपने मुझे ग़ैर ख़याल किया है। इस तरह उन्होंने भी आपसे मुहब्बत के नाज़ और तदल्लुल की बिना पर नाराज़ी में हज़रत हफ़्सा का साथ दिया। तो उन्हें बता दिया गया अगर तुम रूठ जाओगी तो ये न समझो, इससे रसूलुल्लाह(ﷺ) की मज्लिस सूनी हो जायेगी, पैग़म्बर की दिलचस्पी और तवज्जह का असल मर्कज़ तो अल्लाह तआ़ला है जो उनका मोला और मरजअ़ है। फिर जिब्रईल अमीन आपके साथ हैं, जो आपके पास वह्य लाते हैं। फिर मोमिनीन सालेहीन हैं, जिनकी आप तर्बियत और तज़्किया फ़रमाते हैं। इस तरह अल्लाह तआ़ला के फ़रिश्ते, आपके हर मुश्किल में रफ़ीक़ और मुआविन व मददगार हैं। इसलिये अल्लाह का रसूल उनकी मुहब्बत व रिफ़ाक़त का मोहताज नहीं है बल्कि वो उसकी मुहब्बत और रिफ़ाक़त व मइय्यत की मोहताज हैं।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، -وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَيْنِ

(3695) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैं काफ़ी अ़रसे से ख़्वाहिशमन्द (आरज़ूमन्द) था कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) से नबी(ﷺ) की उन दो बीवियों के बारे में पूछूँ जिनके बारे में अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है, 'अगर तुम दोनों अल्लाह की तरफ़ रुजूअ़ करो तो मैं तुम्हारे लिये ज़ेबा हूँ, तुम्हारे दिल तो अल्लाह की तरफ़ माइल हो ही चुके हैं।' (सूरह तहरीम : 4) यहाँ तक कि हज़रत उ़मर हज के लिये निकले और मैं भी उनके साथ निकला, तो जब रास्ते के एक हिस्से पर पहुँचे, हज़रत उ़मर (रज़ि.) रास्ते से एक तरफ़ हटे और मैं भी पानी

قَالَ اللَّهُ تَعالَى }إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صغَتْ قُلُوبُكُما{ حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ معهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانِي فسكَبْتُ علَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِين من الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُما } إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا{ قَالَ عُمَرُ وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ - قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ . ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فطَفِقَ نِساؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ - قَالَ - وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي . فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ .

लेकर उनके साथ एक तरफ़ हो गया। उन्होंने क़ज़ाए हाजत की, फिर मेरे पास आ गये, तो मैंने उनके हाथों पर पानी डाला और उन्होंने वुज़ू किया। तो मैंने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! नबी(ﷺ) की वो दो कौनसी बीवियाँ हैं जिनके बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'अगर तुम अल्लाह की तरफ़ रुजूअ करो तो यही तुम्हारे शायाने शान है, तुम्हारे दिल तो माइल हो ही चुके हैं?' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, तुम पर तअज्जुब है ऐ इब्ने अब्बास! ज़ोहरी कहते हैं, अल्लाह की क़सम! उन्होंने सवाल को नापसंद किया और जवाब का कितमान नहीं किया (छिपाया नहीं)। कहा, वो हफ़्सा और आइशा (रज़ि.) हैं। फिर वाक़िया सुनाने लगे। कहा, हम क़ुरैश की जमाअत, ऐसे लोग थे जो औरतों पर ग़ालिब थे। तो जब हम मदीना पहुँचे हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जिन पर उनकी औरतें ग़ालिब थीं, तो हमारी औरतें भी उनकी औरतों से उनकी आदत सीखने लगीं (उनकी राह पर चल पड़ीं) और मेरा घर बालाई इलाक़ा बनू उमय्या बिन ज़ैद में था। एक दिन मैं अपनी बीवी से नाराज़ हुआ तो वो मुझे जवाब देने लगी, मैंने उसके जवाब देने को मअयूब (ऐबदार) समझा (उसको बुरा माना) तो उसने कहा, मेरे जवाब देने में कौनसी बुराई? अल्लाह की क़सम! नबी(ﷺ) की बीवियाँ आपको जवाब दे लेती हैं और उनमें से कुछ आपको रात तक छोड़ भी देती हैं (आपसे दूर हो जाती हैं)। तो मैं घर से चला और हफ़्सा के पास पहुँच गया और मैंने पूछा, क्या तुम रसूलुल्लाह(ﷺ) को जवाब देती हो?

فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ نَعَمْ . فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ . قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لاَ تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قَالَ وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْىِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ . قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لاَ بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ

उसने कहा, जी हाँ! मैंने पूछा, तुममें से कोई दिन से लेकर रात तक आपसे अलग भी हो जाती हैं? उसने कहा, जी हाँ! मैंने कहा, तुममें से जिसने ये हरकत की वो नामुराद और नाकाम हो गई (नुक़सान उठाया) क्या तुम इस बात से बेख़ौफ़ हो गई हो कि इस पर अल्लाह नाराज़ हो जाये क्योंकि उसका रसूल नाराज़ है। वो तो तबाह व बर्बाद हो गई। तू रसूलुल्लाह(ﷺ) को जवाब न देना और न आपसे कुछ माँगना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे माँग लेना, ये बात तुझे फ़रेब में न डाल दे कि तेरी सोकन यानी आइशा तुझसे ज़्यादा हसीनो-जमील और रसूलुल्लाह(ﷺ) को ज़्यादा महबूब है (इसलिये नाज़ व तदल्लुल में मुब्तला है) कहा, मेरा एक अन्सारी पड़ौसी था और हम बारी-बारी (अपने मुहल्ले से) उतरकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होते थे। एक दिन वो उतरता और दूसरे दिन मैं उतरता और वो मुझे आकर वह्य वग़ैरह की ख़बर देता और इस तरह मैं उसको आगाह करता और हम आपस में बातचीत करते थे कि ग़स्सानी घोड़ों की खुरियाँ लगवा रहे हैं (हमले की तैयारी कर रहे हैं) ताकि हम पर हमला करें। मेरा साथी उतरा, फिर शाम को मेरे यहाँ आया, मेरा दरवाज़ा खटखटाया, फिर मुझे आवाज़ दी। तो मैं निकलकर उसके पास आया। उसने कहा, एक इन्तिहाई नागवार वाक़िया पेश आ गया है। मैंने पूछा, कौनसा? क्या ग़स्सानी आ गये हैं? कहा, नहीं! बल्कि इससे संगीनतर और बड़ा, नबी(ﷺ) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। तो मैंने कहा, हफ़्सा नामुराद हो गई और

صلى الله عليه وسلم نِساءَهُ . فقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حفْصةُ وَخسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهْيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لاَ أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ . فَأَتَيْتُ غُلاَمًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فدخل ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ . فقال قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ " لاَ " . فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

नुक़सान से दोचार हुई। मैं समझता था कि ये काम होकर रहेगा यहाँ तक कि जब मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ ली तो अपने कपड़े पहन लिये, फिर उतरा और हफ़्सा के पास पहुँच गया और वो रो रही थी, तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तलाक़ दे दी है? उसने कहा, मुझे पता नहीं। आप इधर बालाख़ाने में अलग-थलग हो चुके हैं, तो मैं आपके स्याह फ़ाम ग़ुलाम के पास आया और कहा, उमर के लिये इजाज़त तलब करो। वो गया, फिर मेरी तरफ़ आ गया और बताया, मैंने आपका तज़्किरा आप(ﷺ) से किया तो आप ख़ामोश रहे। मैं वहाँ से चला यहाँ तक कि मिम्बर के पास जाकर बैठ गया, तो वहाँ मैंने एक गिरोह बैठा हुआ पाया, उनमें कुछ रो रहे थे, मैं कुछ देर बैठा रहा। फिर परेशानी ने ग़ल्बा किया, तो मैं ग़ुलाम के पास आया और कहा, उमर के लिये इजाज़त माँग, तो वो अंदर गया फिर मेरे पास आया और कहा, मैंने तेरा तज़्किरा आपसे किया तो आप चुप रहे हैं। तो मैं पुश्त फेरकर वापस लौट आया, तो अचानक ग़ुलाम मुझे आवाज़ देने लगा और कहा, दाख़िल हो जाइये आपको इजाज़त मिल गई है। तो मैंने दाख़िल होकर रसूलुल्लाह(ﷺ) को सलाम अर्ज़ किया और आपको देखा कि आप चटाई के बान पर आराम फ़रमा रहे थे, जिसने आपके पहलू पर निशान डाल दिये थे। तो मैंने पूछा, क्या आपने ऐ अल्लाह के रसूल! अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है? आपने अपना सर उठाकर मेरी तरफ़ देखा और फ़रमाया, 'नहीं!' तो मैंने (तअज्जुब व हैरत और

وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي . فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ . فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكِ . فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " نَعَمْ " . فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلاَّ أُهُبًا ثَلاَثَةً فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ

ख़ुशी से) कहा, अल्लाहु अकबर, अगर आप ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे हालात से आगाह हों और हम क़ुरैश का गिरोह या ख़ानदान ऐसे लोग हैं जो औरतों पर ग़ालिब थे। जब हम मदीना आये तो हमने ऐसे लोगों को पाया जिन पर उनकी औरतों का ग़ल्बा है। तो हमारी औरतें भी उनकी औरतों से उनकी आदात सीखने लगीं। मैं अपनी बीवी पर एक दिन नाराज़ हुआ तो उसने फ़ौरन ही मुझे जवाब दिया, मैंने उसे जवाब देने पर टोका। तो उसने कहा, मेरे जवाब देने में क्या बुराई पाते हो? अल्लाह की क़सम! नबी(ﷺ) की बीवियाँ भी आपको जवाब देती हैं और उनमें से कोई एक दिन भर शाम तक आपसे अलग हो जाती है। तो मैंने कहा, उनमें से जिसने ये हरकत की वो नामुराद हुई और नुक़सान उठाया। क्या उनमें से कोई इस बात से बेख़ौफ़ हो सकती है कि उस पर अल्लाह तआला नाराज़ हो जाये क्योंकि उसका रसूल नाराज़ हो गया है तो वो हलाक हो गई? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तबस्सुम फ़रमाया। तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हफ़्सा के पास गया और उससे कहा, तुम्हें ये चीज़ धोखे में मुब्तला न करे कि तेरी सौकन तुझसे ख़ूबसूरत है और रसूलुल्लाह(ﷺ) को ज़्यादा प्यारी है (इसलिये इस समरे की बिना पर वो ये काम कर लेती है) तो आप दोबारा मुस्कुराये। तो मैंने आपका दिल बहलाने के लिये कहा, (कुछ बातें अर्ज़ करूँ) ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'हाँ!' तो मैं बैठ गया और अपना सर (नज़र) घर में दौड़ाई, अल्लाह की क़सम! मैंने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी

عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ " أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا " . فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ . حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

जिस पर नज़र पड़े सिवाय तीन कच्चे चमड़ों के। तो मैंने कहा, अल्लाह से दुआ फ़रमाइये, ऐ अल्लाह के रसूल! कि वो आपकी उम्मत के लिये फ़रावानी फ़रमाये। उसने फ़ारसियों और रोमियों को कुशादगी इनायत फ़रमा रखी है, हालांकि वो अल्लाह के इबादतगुज़ार नहीं हैं। तो आप सीधे होकर बैठ गये फिर फ़रमाया, 'क्या तुम शक में मुब्तला हो? ऐ ख़त्ताब के बेटे! वो ऐसे लोग हैं उन्हें उम्दा चीज़ें जल्दी ही दुनियवी ज़िन्दगी में दे दी गई हैं।' मैंने कहा, मेरे लिये बख़्शिश तलब कीजिये ऐ अल्लाह के रसूल! और आपने क़सम उठाई थी उनसे इन्तिहाई नाराज़ी की बिना पर कि उनके पास एक माह तक नहीं जायेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने आप पर एताब फ़रमाया।

(सहीह बुख़ारी : 2468, 5191, 6218, तिर्मिज़ी : 2461, नसाई : 1/148, 4/137)

फ़ायदा : इमाम ज़ोहरी का ये कहना कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सवाल को नापसंद किया, मगर जवाब नहीं छिपाया दुरुस्त नहीं है। क्योंकि तअज्जुब का इज़हार सवाल की नापसन्दीदगी पर नहीं था, सवाल की तो तरग़ीब और हौसला अफ़ज़ाई की है जैसाकि पीछे गुज़र चुका है। तअज्जुब इस बात पर किया कि हज़रत उमर उन्हें इल्म व फ़ज़्ल में बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ समझते थे और इल्मे तफ़्सीर में वो बहुत शोहरत रखते थे। तो उन पर ये बात कैसे छिपी रह गई और आज तक उन्होंने क्यों न पूछा।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، -وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ، إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ،

(3696) इमाम ज़ोहरी बयान करते हैं, मुझे उरवह ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से बताया कि जब उन्तीस रातें गुज़र गईं (दिन समेत) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरे पास आये, इब्तिदा मुझसे की। तो मैंने पूछा, (आप कहीं भूल तो नहीं गये) ऐ अल्लाह के रसूल! आपने क़सम उठाई

قَالَتْ لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ - ثُمَّ قَالَ - يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَرَأَ عَلَىَّ الآيَةَ ‏}‏ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ‏{‏ حَتَّى بَلَغَ ‏}‏ أَجْرًا عَظِيمًا‏{‏ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَىَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ‏.‏ قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قَتَادَةُ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا مَالَتْ قُلُوبُكُمَا ‏.‏

थी कि आप(ﷺ) हमारे पास एक माह तक नहीं आयेंगे और आप उन्तीसवें दिन तशरीफ़ ले आये हैं। मैं इन्हें (बड़ी बेसब्री से) गिनती रही हूँ। आपने फ़रमाया, 'ये महीना उन्तीस का है।' फिर फ़रमाया, 'ऐ आइशा! मैं तुझे एक बात बताने लगा हूँ तुम पर कोई तंगी नहीं है, अगर उसके जवाब में जल्दबाज़ी न करो, यहाँ तक कि अपने वालिदैन से मशवरा कर लो।' फिर आपने मुझे आयत सुनाई, 'ऐ नबी! अपनी बीवियों को फ़रमा दीजिये..... से लेकर अज्रन अज़ीमा तक। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, आपको ख़ूब इल्म था.... अल्लाह की क़सम! कि मेरे वालिदैन मुझे आपसे जुदाई का मशवरा नहीं दे सकते। तो मैंने कहा, क्या इस मामले में अपने वालिदैन से मशवरा लूँ, मैं तो अल्लाह के रसूल और दारे आख़िरत की ख़्वाहाँ हूँ। मअमर कहते हैं, मुझे अय्यूब ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में ख़बर दी कि उसने कहा, अपनी बीवियों को न बताइये कि मैंने आप(ﷺ) को इख़्तियार किया है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'अल्लाह तआला ने मुझे पैग़ाम पहुँचाने वाला बनाकर भेजा है और लोगों की लग़्ज़िशों का तालिब बनाकर नहीं भेजा।' क़तादा कहते हैं, सग़त कुलूबुकुमा का मानी है, तुम्हारे दिल झुक चुके हैं।

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) अन्सारी की बात सुनने के बाद सुबह की नमाज़ के बाद हुज़ूर(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे बातचीत की। फिर उस दिन के बाद भी, वक़्तन-फ़वक़्तन (कभी-कभी) आपकी ख़िदमत में हाज़िरी देते रहे। जब उन्तीसवें दिन हाज़िर हुए तो हुज़ूर भी आप(ﷺ) के

साथ ही नीचे उतर आये। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, आप बालाख़ाने में उन्तीस दिन ठहरे हैं। आपने तो एक माह की क़सम उठाई थी और यही बात जब आप हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास गये उन्होंने अर्ज़ की और ये भी मुम्किन है कि हज़रत उमर (रज़ि.) को आपकी बीवियों से अलग होने का इल्म तो पहले ही हो, जैसाकि हदीस नम्बर 30 से मालूम होता है और अठाइसवें दिन अन्सारी ने तलाक़ देने की इत्तिलाअ दी हो, तो फिर हज़रत उमर (रज़ि.) उन्तीसवें दिन आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे तलाक़ देने के बारे में सवाल किया, यही बात अज़्वाज तक भी पहुँच चुकी थी, इसलिये हज़रत हफ़्सा रो रही थीं। आपने जब ये जवाब दिया, मैंने तलाक़ नहीं दी। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़ुशी से बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर, जिसको अज़्वाजे मुतह्हरात ने अपने घरों में सुना, तो उन्हें हज़रत उमर के सवाल और आपके जवाब का पता चल गया और फिर आप रसूलुल्लाह(ﷺ) हज़रत उमर के साथ नीचे उतरे, तो उन्होंने आपसे महीने के बारे में सवाल किया और शाम के बाद जब आइशा (रज़ि.) के पास गये तो उन्होंने भी आपसे यही सवाल किया कि कहीं आप भूल तो नहीं गये, आपने तो क़सम एक माह के लिये उठाई थी।

बाब 6 : जिसे तीन तलाक़ें मिल चुकी हों, उसको नान व नफ़्क़ा नहीं मिलेगा

باب الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا

(3697) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं कि अबू अम्र बिन हफ़्स (रज़ि.) ने उसे अलग करने वाली तलाक़ दे दी यानी तीसरी तलाक़ दे दी और वो ख़ुद ग़ैर हाज़िर था। इसलिये उसके वकील ने उसके पास जो कुछ भेजे जो उस (फ़ातिमा) ने पसंद न किये, तो वकील ने कहा, अल्लाह की क़सम! तेरा हमारे ज़िम्मे कोई हक़ नहीं है तो वो रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और इस बात का आपसे तज़्किरा किया। तो आपने फ़रमाया, 'तेरा नान व नफ़्क़ा ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं है।' और उसे फ़रमाया, 'अपनी इद्दत उम्मे शरीक के घर पूरी कर।' फिर फ़रमाया, 'वो एक ऐसी औरत है, जिसके पास

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ " تِلْكَ امْرَأَةٌ

يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " . قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " . فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ " انْكِحِي أُسَامَةَ " . فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

मेरे साथी जमा हो जाते हैं। इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) के यहाँ इद्दत गुज़ार ले क्योंकि वो नाबीना आदमी है, वहाँ (पर्दे के) कपड़े उतार सकोगी, तो जब इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे आगाह करना।' जब मेरी इद्दत पूरी हो गई, तो मैंने आपको बताया, मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और अबू जहम ने मुझे पैग़ाम भेजा है तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अबू जहम तो अपने कन्धे से अपनी लाठी नहीं उतारता और मुआविया तो फ़क़ीर (तंगदस्त) है। उसके पास माल नहीं है, तू उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर ले।' मैंने उसको नापसंद किया। आपने दोबारा फ़रमाया, 'उसामा से निकाह कर ले।' तो मैंने (आपके कहने पर) उससे निकाह कर लिया, अल्लाह तआला ने उसमें बहुत ख़ैर पैदा की और मुझ पर रश्क होने लगा।

(अबू दाऊद : 2284, 2285, 2286, 2287, 2289, नसाई : 6/74, 6/75, 6/145, 6/208)

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़ला यज़इ असाहु अन आतिक़िही : की तफ़्सीर व तशरीह दूसरी रिवायत कर रही है कि वो ज़र्राब (लिन्निसाइ) वो औरतों को बहुत मारता है या यज़्रिबुन्निसा वो औरतों को मारता है, इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो हर वक़्त सफ़र पर रहता है। सअ़लूक : फ़क़ीर व तंगदस्त (जबकि तुम माल की हरीस और ख़्वाहिशमन्द हो)।

फ़ायदा : अगर औरत को तलाक़े रजई मिली हो, यानी ख़ाविन्द रुजूअ कर सकता हो तो वो उसको नान व नफ़्क़ा और रिहाइश देने का पाबंद है, लेकिन अगर ख़ाविन्द रुजूअ नहीं कर सकता, तो फिर हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) की हदीस़ की रू से वो नान व नफ़्क़ा और मस्कन (रिहाइश) देने का पाबंद नहीं है। इल्ला (मगर) ये कि वो हामिला हो और क़ुरआन से भी इसकी ताईद होती है और अइम्मा का इसमें इख़्तिलाफ़ है, अहनाफ़ अइम्मा के नज़दीक मुतल्लक़ा सलास़ा और मबतूतह को हर सूरत में वो हामिला हो या ग़ैर हामिला नफ़्क़ा और मस्कन मिलेगा। हज़रत उमर और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का मौक़िफ़ भी यही था। इमाम मालिक और शाफ़ेई के नज़दीक सकन (रिहाइश) हर

सूरत में देना होगी और नफ़्क़ा इस सूरत में देना हो, जब हामिला हो। इमाम लैस़ और औज़ाई वग़ैरह का यही नज़रिया है, इमाम अहमद, इस्हाक़, और मुहद्दिसीन के नज़दीक नान व नफ़्क़ा और मस्कन सिर्फ़ हामिला होने की सूरत में मिलेगा। उसके बग़ैर नहीं, इमाम शोबा, हसन बसरी वग़ैरह का यही मस्लक है और यही दुरुस्त है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي، سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكْنَى " .

(3698) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) से रिवायत है कि उसके ख़ाविन्द ने उसे नबी(ﷺ) के दौर में तलाक़ दे दी और उसे कमतर नफ़्क़ा दिया, तो जब उसने ये मामला देखा तो कहा, अल्लाह की क़सम! मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) को बताऊँगी, अगर मेरे लिये नफ़्क़ा हुआ तो अपनी हैसियत के मुताबिक़ लूँगी और अगर मेरे लिये नफ़्क़ा न हुआ, तो कुछ न लूँगी। तो मैंने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह(ﷺ) से किया। आपने फ़रमाया, 'तेरे लिये नफ़्क़ा और मस्कन दोनों ही नहीं हैं।'

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ " .

(3699) अबू सलमा (रह.) बयान करते हैं, मैंने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) से पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मेरे मख़्ज़ूमी ख़ाविन्द ने मुझे तलाक़ दे दी और पूरा ख़र्च देने से इंकार कर दिया, तो मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप(ﷺ) को बताया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरे लिये नफ़्क़ा नहीं है, ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल हो जा और इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ चली जा और वहाँ रह, क्योंकि वो नाबीना आदमी है, तू वहाँ अपना पर्दे का कपड़ा उतार सकेगी।'

फ़ायदा : जिस क़द्र मर्द के लिये औरत को देखने की पाबंदी है, उसी क़द्र शिद्दत के साथ औरत पर पाबंदी नहीं है। इसलिये आपने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) के यहाँ इद्दत गुज़ारने की तल्क़ीन की। क्योंकि वो अन्धे होने की वजह से उसको देख नहीं सकेंगे। इसलिये वो वहाँ पर्दा उतार सकेगी और वो ख़ुद उनको नज़रे शहवत से न देखे और फ़ित्ना अंगेज़ नज़र न डाले।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ . فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " . وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا " أَنْ لاَ تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ " . وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا " أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ " . فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ

(3700) अबू सलमा बयान करते हैं कि हज़रत ज़हहाक बिन क़ैस (रज़ि.) की हमशीरह (बहन) फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) ने उसे बताया कि अबू हफ़्स इब्ने मुग़ीरह मख़ज़ूमी ने उसे तीसरी तलाक़ दे दी, फिर यमन चला गया और उसके घर वालों ने फ़ातिमा (रज़ि.) को कहा, तेरा नफ़क़ा हमारे ज़िम्मे लाज़िम नहीं है। ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) कुछ साथियों के साथ चला और वो रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास हज़रत मैमूना (रज़ि.) के घर आ गये और पूछा, अबू हफ़्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी हैं, तो क्या उसको ख़र्च मिलेगा? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसे ख़र्च नहीं मिलेगा और उसको इद्दत गुज़ारनी होगी।' और आपने फ़ातिमा को पैग़ाम भेजा, 'मुझे इत्तिलाअ दिये बग़ैर या मुझसे पूछने से पहले अपने बारे में (निकाह का) फ़ैसला न करना।' और उसे हज़रत उम्मे शरीक के घर मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया। फिर उसे पैग़ाम भेजा, 'उम्मे शरीक के यहाँ मुहाजिरीने अव्वलीन आ जाते हैं, इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना के यहाँ चली जाओ, क्योंकि तू वहाँ जब अपना दुपट्टा उतारेगी तो वो तुम्हें देख नहीं सकेगा।'

فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

वो उनके यहाँ चली गई और जब उसकी इद्दत गुज़र गई तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका निकाह उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा (रज़ि.) से कर दिया।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ . وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو " لاَ تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ " .

(3701) इमाम साहब अपने अलग-अलग उस्तादों की सनद से अबू सलमा से रिवायत करते हैं कि मैंने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस से बराहे रास्त सुनकर नविश्ता लिखा, उसने बताया मैं बनू मख़ज़ूम के एक फ़र्द की बीवी थी, उसने मुझे क़तई (अलग करने वाली) तलाक़ दे दी, मैंने उसके ख़ानदान वालों को नफ़्क़े के हुसूल के लिये पैग़ाम भेजा, आगे मज़्कूरा बाला हदीस है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि ला तस्बिक़ीनी की जगह ला तफ़ूतीना है (मक़सद दोनों का एक ही है)।

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ

(3702) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) ने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को बताया कि मैं अबू अम्र बिन हफ़्स बिन मुग़ीरह की बीवी थी, उसने तीन तलाक़ों की आख़िरी तलाक़ दे दी। तो वो बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में अपने ख़ाविन्द के घर से निकलने के बारे में पूछने के लिये हाज़िर हुई। तो आपने उसे इब्ने उम्मे

الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ.

मक्तूम (रज़ि.) नाबीना के यहाँ मुन्तक़िल होने का हुक्म दिया। मरवान ने मुतल्लक़ा (तलाक़शुदा) के ख़ाविन्द के घर से निकल जाने के बारे में (अबू सलमा) की तस्दीक़ करने से इंकार कर दिया और उरवह बयान करते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस की इस बात का इंकार किया (क्योंकि वो मस्कन की क़ाइल थी)।

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ .

(3703) इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस उरवह के क़ौल समेत बयान करते हैं।

फ़ायदा : अबू अम्र जिसको अबू हफ़्स भी कहते हैं और उसके बाप को हफ़्स बिन मुग़ीरह और अम्र बिन मुग़ीरह कहते हैं, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद का चाचाज़ाद भाई था। उसने अपनी बीवी को पहले दो तलाक़ें अलग-अलग देकर रुजूअ कर लिया था। फिर बाद में तीसरी भी दे दी जिसके बाद रुजूअ नहीं हो सकता, इसलिये कुछ रावियों ने इसको अल्बत्ता से ताबीर किया। कुछ ने तल्लक़ा कहा और कुछ ने तल्लक़हा सलासा कहा और दरहक़ीक़त ये आख़िरी तीसरी तलाक़ थी, जिसके बाद रुजूअ (लौटाने) की गुंजाइश नहीं रहती। जैसाकि मज़्कूरा बाला रिवायत में सराहत है कि ये तीन तलाक़ों में से आख़िरी तलाक़ थी।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ، الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

(3704) उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बयान करते हैं कि अम्र बिन हफ़्स बिन मुग़ीरह हज़रत अली (रज़ि.) के साथ यमन रवाना हुआ और अपनी बीवी फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को आख़िरी तलाक़ जो बाक़ी रह गई थी भेज दी और हारिस बिन हिशाम और अय्याश बिन अबी रबीआ को उसे नफ़्क़ा देने का कह दिया तो उन दोनों ने उसे कहा, अल्लाह की क़सम! तुझे सिर्फ़ हामिला होने की सूरत में

بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالاَ لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً ‏.‏ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لاَ نَفَقَةَ لَكِ ‏"‏ ‏.‏ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الاِنْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا ‏.‏ فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ‏"‏ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏"‏ ‏.‏ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلاَ يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ‏.‏ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ‏}‏ الآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَىُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعَلاَمَ تَحْبِسُونَهَا‏.‏

नफ़्क़ा मिलेगा। तो वो नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और उनकी बात आपको बताई। तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुझे ख़र्च नहीं मिलता।' तो उसने आपसे मुन्तक़िल होने की इजाज़त तलब की तो आप(ﷺ) ने उसे इजाज़त दे दी। उसने अ़र्ज़ किया, कहाँ? ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 'इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ।' वो नाबीना थे, वो वहाँ पर्दे के कपड़े उतार सकती थीं और वो उसे देख नहीं सकते थे, जब उसकी इद्दत पूरी हो गई, तो नबी(ﷺ) ने उसका निकाह उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) से कर दिया। मरवान ने उसके (फ़ातिमा) के) पास क़बीसा बिन ज़ुवैब को भेजा कि वो उससे इस वाक़िये के बारे में पूछे, उसने उसे ये वाक़िया सुना दिया। मरवान कहने लगा, हमने ये हदीस़ सिर्फ़ एक औरत से सुनी है और हम उस मौक़िफ़ को अपनायेंगे जिस पर हमने लोगों को पाया है। तो जब फ़ातिमा तक मरवान की बात पहुँची, उसने कहा, मेरे और तुम्हारे दरम्यान क़ुरआन मजीद फ़ैसल है। अल्लाह का फ़रमान है, 'उनको उनके घरों से न निकालो।' (सूरह तलाक़ : 1) कहने लगीं ये आयत उस औरत के बारे में है जिसका ख़ाविन्द रुजूअ का हक़ रखता है और तीसरी तलाक़ के बाद कौनसा मामला पेश आ सकता है? और तुम ये क्यों कहते हो, अगर वो हामिला नहीं है तो उसको नफ़्क़ा नहीं मिलेगा? इसे किस बिना पर रोकते हो?

(अबू दाऊद : 2290, नसाई : 6/62-63, 6/210, 211)

फ़ायदा : आम लोगों का नज़रिया ये था कि मुतल्लक़ा सलास़ा को सुक्ना मिलेगा और नफ़्क़ा नहीं

मिलेगा, इसलिये हज़रत फ़ातिमा ने कहा, उसको नफ़्क़ा नहीं मिलना है, तो फिर रोकने का सबब क्या है? और सुक्ना और नफ़्क़ा में फ़र्क़ करने की दलील कौनसी है? और आयत से इस्तिदलाल इस तरह है कि आयत का आख़िरी हिस्सा, घर में रोकने का सबब ये बयान करता है, मुम्किन है एक घर में रहने से रुजूअ की सूरत बन सके और तीसरी तलाक़ के बाद तो रुजूअ का इम्कान ही नहीं रहता, इसलिये सुक्ना उसको किस बुनियाद पर मिलेगा?

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ . فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ - قَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏.‏

(3705) इमाम शअबी (रह.) बयान करते हैं कि मैं हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उससे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दिया उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे फ़ैसलाकुन तलाक़ दे दी। तो मैं नफ़्क़ा और सुक्ना के बारे में उसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में ले गई। तो आपने मुझे न सुक्ना दिलवाया और न ही नफ़्क़ा और मुझे इद्दत इब्ने उम्मे मक्तूम के घर गुज़ारने का हुक्म दिया।

(अबू दाऊद : 2291, तिर्मिज़ी : 1180, नसाई : 6/144, 6/208, 209, इब्ने माजह : 2021)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَدَاوُدَ، وَمُغِيرَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَأَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ‏.‏ بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ‏.‏

(3706) इमाम शअबी से रिवायत है कि मैं हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ

(3707) इमाम शअबी (रह.) बयान करते हैं कि हम लोग हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) के यहाँ गये, तो उन्होंने इब्ने ताब नामी खजूरों से हमारी ज़ियाफ़त की और बेहतरीन

دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، ثَلاَثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلاَثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي .

जौ के सत्तूओं से हमारी तवाज़ोअ (मेहमान नवाज़ी) की तो मैंने उनसे पूछा, जिसे तीन तलाक़ें मिल चुकी हों वो इद्दत कहाँ गुज़ारे? उन्होंने जवाब दिया, मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीसरी तलाक़ दे दी। तो नबी(ﷺ) ने मुझे अपने ख़ानदान में इद्दत गुज़ारने की इजाज़त दे दी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا قَالَ " لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ " .

(3708) हज़तर फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) मुतल्लक़ा सलासा के बारे में नबी(ﷺ) से रिवायत करती हैं, आपने फ़रमाया, 'उसके लिये न सुक्ना है और न नफ़्क़ा है।'

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ، رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ " .

(3709) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीनों तलाक़ें दे दीं तो मैंने उसके यहाँ से मुन्तक़िल होना चाहा, इसलिये मैं नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो आपने फ़रमाया, 'अपने चाचाज़ाद अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ मुन्तक़िल हो जा और उसके यहाँ इद्दत गुज़ार।'

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي

(3710) अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि मैं (कूफ़ा की) बड़ी मस्जिद में अस्वद बिन यज़ीद के पास बैठा हुआ था और शअबी

إِسْحَاقَ، قَالَ كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ . فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} .

(रह.) भी हमारे साथ थे। तो शअबी ने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) की हदीस़ सुनाई कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसको रिहाइश और नफ़्क़ा न दिलवाया। तो अस्वद ने कंकरियों की मुट्ठी लेकर उस पर मारी और कहा, तुम पर अफ़सोस! तू ऐसी हदीस़ बयान करता है हज़रत उमर (रज़ि.) ने (ये हदीस़ सुनकर) कहा था। हम अल्लाह की किताब और अपने नबी(ﷺ) की सुन्नत एक औरत के कहने पर नहीं छोड़ेंगे। हमें मालूम नहीं है शायद उसने हदीस़ याद रखी है या भूल गई है उसके लिये रिहाइश और नफ़्क़ा है। अल्लाह तआला का फ़रमान है, 'उन्हें उनके घरों से न निकालो और न वो ख़ुद निकलें इल्ला (मगर) ये कि वो खुली-खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें।' (सूरह तलाक़ : 1)

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي، إِسْحَاقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، بِقِصَّتِهِ .

(3711) इमाम साहब मज़्कूरा रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।

फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) की राय की रू से किताबो-सुन्नत के मुताबिक़ चूंकि मुतल्लक़ा सलास़ा को नफ़्क़ा और सुक्ना मिलता है। इसलिये उन्होंने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) के बारे में फ़रमाया, शायद वो वाक़िये की पूरी तफ़्सील याद नहीं रख सकीं और उन्होंने यही बात हज़रत अम्मार के वाक़िये तयम्मुम के बारे में कही थी। जबकि असल बात ये है कि साहिबे वाक़िया का वाक़िया भूल जाना, बहुत शाज़ व नादिर है। इसलिये जिस तरह हज़रत अम्मार और तयम्मुम का वाक़िया बयान करते थे और मुहद्दिसीन ने उसको सहीह तस्लीम किया है। इस तरह हज़रत फ़ातिमा भी अपना वाक़िया पूरे यक़ीन के साथ बयान करती थीं और हज़रत उमर (रज़ि.) की पेश करदा आयत को अपने हक़ में दलील तसव्वुर करती थीं, जैसाकि ऊपर गुज़र चुका है।

(3712) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीसरी तलाक़ दे दी। तो मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सुक्ना और नफ़्क़ा न दिलवाया। वो बयान करती हैं, मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जब तेरी इद्दत गुज़र जाये तो मुझे इत्तिलाअ देना।' मैंने आपको इत्तिलाअ दी और मुझे मुआविया, अबू जहम और उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने निकाह का पैग़ाम भेजा। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुआविया तो फ़क़ीर आदमी है, लेकिन उसामा बिन ज़ैद ठीक है।' तो उसने हाथ के इशारे से कराहियत का इज़हार करते हुए कहा, उसामा! उसामा! (यानी वो कमतर हैसियत का मालिक है और मैं ख़ानदानी हूँ) तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत तेरे हक़ में बेहतर है।' वो बयान करती हैं आपके कहने पर मैंने उससे शादी कर ली और क़ाबिले रश्क बन गई।'
(तिर्मिज़ी : 1135, नसाई : 6/150, 6/210, इब्ने माजह : 2035)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي، الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " . فَآذَنْتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لاَ مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ " . فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا أُسَامَةُ أُسَامَةُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ " . قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَاغْتَبَطْتُ .

(3713) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द अबू अम्र बिन हफ़्स बिन मुग़ीरह ने अय्याश बिन रबीआ के ज़रिये मुझे तलाक़ भेजी और उसके हाथ पाँच साअ खजूर और पाँच साअ जौ भी भेजे। मैंने पूछा, क्या मुझे यही ख़र्च मिलेगा? और मैं तुम्हारे मकान में इद्दत नहीं गुज़ार

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ، أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَىَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلاَقِي

وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ فَقُلْتُ أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلاَّ هَذَا وَلاَ أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ قَالَ لاَ . قَالَتْ فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كَمْ طَلَّقَكِ " . قُلْتُ ثَلاَثًا . قَالَ " صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ . اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي " . قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ - أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا - وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ " .

सकूँगी। उसने जवाब दिया, नहीं! तो मैंने अपने कपड़े दुरुस्त किये और मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। तो आपने पूछा, 'उसने तुम्हें कितनी तलाक़ें दी हैं?' मैंने कहा, तीन। आपने फ़रमाया, 'उसने ठीक कहा तुझे नफ़्क़ा नहीं मिलेगा। अपने चाचाज़ाद इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ अपनी इद्दत गुज़ार, क्योंकि वो नाबीना है, तू वहाँ अपने पर्दे के कपड़े उतार सकेगी और जब तेरी इद्दत ख़त्म हो जाये तो मुझे इत्तिलाअ देना।' वो बयान करती हैं, मुझे पैग़ामे निकाह भेजने वालों ने पैग़ामे निकाह भेजा। उनमें मुआविया और अबू जहम भी थे। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'मुआविया तो फ़क़ीर और पतले हाल वाला है और अबू जहम औरतों से सख़्ती से पेश आता है या औरतों को मार-पीट या इस क़िस्म का काम करता है लेकिन तू उसामा बिन ज़ैद को क़ुबूल कर ले।'

फ़ायदा : इस हदीस़ से स़ाबित होता है ये बात मअ़रूफ़ थी कि मुतल्लक़ा सलास़ा के लिये नफ़्क़ा और सुक्ना नहीं है, इसलिये ये बात अ़य्याश बिन अबी रबीआ़ ने फ़ातिमा (रज़ि.) को कही और उसके मकान छोड़ने का इशारा करने पर वहाँ से मुन्तक़िल होना चाहा। इसलिये ये कहना वो तेज़ तबीअ़त की मालिक थी या ज़बानदराज़ थी या अपने देवरों को तंग करती थी, इसलिये आपने उसको रिहाइश छोड़ने का हुक्म दिया, दुरुस्त नहीं है। अगर ये सबब था तो फिर इस बात की शिकायत ख़ाविन्द के घर वालों को करनी चाहिये थी। इसके अ़लावा उसका मकान अलग था जैसाकि हदीस़ नम्बर 53 से महसूस होता है इसलिये ये सबब कैसे बन गया।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو

(3714) अबू बक्र बिन अबी जहम बयान करते हैं कि मैं और अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के पास गये

और उनसे सवाल किया। तो उसने जवाब दिया, मैं अबू अम्र बिन हफ़्स बिन मुग़ीरह के निकाह में थी और वो नजरान की लड़ाई में शिकरत के लिये चला गया और आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ बयान की और ये इज़ाफ़ा किया, तो मैंने उसामा से शादी कर ली, अल्लाह तआला ने मुझे अबू ज़ैद के ज़रिये मक़ामे शर्फ़ व मर्तबा बख़्शा और अल्लाह ने मुझे अबू ज़ैद के ज़रिये इज़्ज़त बख़्शी (अबू ज़ैद हज़रत उसामा की कुन्नियत है)।

بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِي اللَّهُ بِابْنِ زَيْدٍ .

(3715) अबू बक्र बयान करते हैं कि मैं और अबू सलमा, इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) के दौर में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के पास गये। तो उसने हमें बताया, उसके ख़ाविन्द ने उसे तलाक़े बत्ता (काटने वाली) दे दी। आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَاتًّا . بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ .

(3716) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं, मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीनों तलाक़ें दे दीं, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मेरे लिये रिहाइश और नफ़्क़ा मुक़र्रर न किया (कुछ भी न दिलवाया)।

وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً .

(3717) हज़रत हिशाम बयान करते हैं कि यहया बिन सईद बिन आस ने अब्दुर्रहमान बिन हकम की बेटी से शादी की और उसे तलाक़ देकर अपने यहाँ से निकाल दिया। हज़रत उरवह ने उन पर ऐतिराज़ किया। तो

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ

उन्होंने जवाब दिया कि फ़ातिमा (रज़ि.) अपने ख़ाविन्द के घर से चली गई थी। उ़रवह ने कहा, तो मैंने हज़रत आ़इशा (रज़ि.) को आकर ख़बर दी तो उन्होंने कहा, फ़ातिमा बिन्ते क़ैस के हक़ में इस वाक़िये को बयान करना अच्छा नहीं है (क्योंकि हज़रत आ़इशा के नज़दीक ये हज़रत फ़ातिमा के मख़्सूस हालात की बिना पर हुआ था)।

ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ . قَالَ عُرْوَةُ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ .

(3718) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीनों तलाक़ें दे दी हैं और मुझे ख़तरा है कि मुझ पर हुजूम किया जाये (कोई अचानक घुस आयेगा) तो आपने उसे मकान बदलने का हुक्म दिया।
(नसाई : 6/208, इब्ने माजह : 2033)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ، بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ . قَالَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ .

(3719) हज़रत आ़इशा (रज़ि.) बयान करती हैं, फ़ातिमा के लिये ये बयान करना कि उसके लिये न रिहाइश है और न नफ़्क़ा, बेहतर नहीं है।
(सहीह बुख़ारी : 5323, 5324)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا . قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ .

(3720) हज़रत आ़इशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, फ़ातिमा के हक़ में ये बात बयान करना बेहतर नहीं है, यानी (मुतल्लक़ा सलासा) के लिये न रिहाइश है और न ख़र्चा। हज़रत उ़रवह (रह.) ने हज़रत आ़इशा (रज़ि.) से पूछा, क्या आपको हकम की फ़लाँ की बेटी की

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَىْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَمَا

صَنَعَتْ . فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ .

हरकत का इल्म है? उसके ख़ाविन्द ने उसे तलाक़े बत्ता दे दी तो वो उसके घर से चली गई। तो उन्होंने कहा, बहुत बुरा काम किया। उरवह ने पूछा, क्या आपने फ़ातिमा (रज़ि.) की बात नहीं सुनी? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ! उसके हक़ में ये बयान करना बेहतर नहीं है (क्योंकि अगर मैं उसकी वजह बयान करूँगी तो उसे तकलीफ़ होगी)।

(सहीह बुख़ारी : 5324, 5326)

फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये था कि हज़रत फ़ातिमा को अपने ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल होने की इजाज़त ख़ास अस्बाब की बिना पर थी। इसलिये मख़सूस हालात की बात को आम नहीं किया जा सकता और अगर फ़ातिमा ये हदीस़ बयान करेंगी तो हमें उन हालात से पर्दा उठाना पड़ेगा जो उनके हक़ में बेहतर नहीं होगा। लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि हज़रत फ़ातिमा के अंदर कोई क़ाबिले ऐतिराज़ बात न थी। जैसाकि हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल मआद जिल्द 5 पेज नं. 538 तफ़्सील से लिखा है।

باب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

बाब 7 : तलाक़े बाइन की इद्दत और शौहर की वफ़ात की इद्दत में औरत ज़रूरत के तहत दिन को घर से निकल सकती है

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ

(3721) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ हारून बिन अब्दुल्लाह के हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं मेरी ख़ाला को तलाक़ मिल गई, तो उसने नख़्लिस्तान से अपनी खजूरें तोड़ने का इरादा किया। तो उसे एक आदमी ने घर से निकलने पर डांटा। वो नबी(ﷺ) के पास आई तो आप(ﷺ) ने

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا " .

फ़रमाया, 'क्यों नहीं अपनी खजूरें तोड़, क्योंकि हो सकता है तुम सदक़ा करो या कोई और नेकी करो।'

(अबू दाऊद : 2297, नसाई : 6/209, इब्ने माजह : 4/90,91)

फ़ायदा : इद्दते वफ़ात में अइम्म-ए-अरबआ और अक्सर उलमा के नज़दीक औरत दिन के वक़्त अपने घर से निकल सकती है और इद्दते तलाक़ में भी अइम्म-ए-सलासा मालिक, शाफ़ेई, अहमद और कुछ दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक औरत ज़रूरत के तहत घर से निकल सकती है। जैसाकि इस हदीस से साबित हो रहा है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नहीं निकल सकती क्योंकि क़ुरआन मजीद का हुक्म है, ला यख़रुज्न वो न निकलें, हालांकि यहाँ निकलने से मुराद ख़ाविन्द के घर से चले जाना है। इसके अलावा इद्दते वफ़ात में अहनाफ़ निकलने की इजाज़त इसलिये देते हैं कि बेवा का नान व नफ़्क़ा ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं है। इसलिये वो नफ़्क़े की तलाश में दिन को निकल सकती है। इसी तरह तलाक़े बाइन की सूरत में भी नफ़्क़ा ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं है, जैसाकि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की हदीस से साबित होता है और अइम्म-ए-सलासा का यही मौक़िफ़ है।

باب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

बाब 8 : हामिला की इद्दत, इद्दते वफ़ात हो या इद्दते तलाक़, वज़ओ हमल है

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(3722) उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसऊद बयान करते हैं कि उनके वालिद ने उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़म ज़ोहरी को लिखा कि सुबैअह बिन्ते हारिस अस्लमिय्या के पास जाकर, उनसे पूछो कि तुम्हारा वाक़िया क्या है और जब तूने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मसला पूछा था तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तुम्हें क्या जवाब दिया था। तो उमर बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन

الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ . قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

उतबा को इत्तिलाअ देते हुए लिखा कि सुबेअह अस्लमिय्या (रज़ि.) ने उसे बताया है कि वो सअद बिन ख़ौला जो बनू आमिर बिन लुवय्य के फ़र्द थे, की बीवी थी और वो बद्र में शरीक होने वालों में से थे। तो वो हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर जबकि वो हामिला थी, वफ़ात पा गये। उनकी वफ़ात के थोड़े अरसे के बाद ही उसने बच्चा जना और जब वो निफ़ास से निकली तो उसने मंगनी का पैग़ाम देने वालों की ख़ातिर बनाव-सिंघार किया। तो उसके पास बनू अब्दुद्दार के फ़र्द अबू सनाबिल बिन बअकक (रज़ि.) आये और उससे पूछा, क्या बात है मैं तुम्हें बनी-संवरी देख रहा हूँ? शायद तुम निकाह करना चाहती हो। यक़ीनन अल्लाह की क़सम! तू उस वक़्त तक निकाह नहीं कर सकती जब तक तुम पर चार माह और दस दिन न गुज़र जायें। सुबेअह (रज़ि.) कहती हैं, जब उसने मुझे ये बात कही तो मैंने शाम को अपने कपड़े ओढ़े और रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में इसके बारे में पूछने के लिये हाज़िर हुई? तो आप(ﷺ) ने मुझे बताया कि जब मैंने वज़अे हमल किया था, उस वक़्त से शादी के क़ाबिल हो चुकी हूँ और आप(ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि अगर मैं चाहूँ तो शादी कर सकती हूँ। इब्ने शिहाब (रह.) कहते हैं, मेरे नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वज़अे हमल के बाद औरत शादी कर ले। अगरचे अभी विलादत का ख़ून जारी हो। हाँ उसका

ख़ाविन्द जब तक वो ख़ून से पाक न हो जाये, उससे ताल्लुक़ात क़ायम न करे।

(सहीह बुख़ारी : 3991, 5319, अबू दाऊद : 2306, नसाई : 6/195, 196, इब्ने माजह : 2028)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) लम तन्शब : इस पर ज़्यादा मुद्दत न गुज़री, यानी थोड़े ही अ़रसे के बाद। **(2) फ़लम्मा तअ़ल्लत मिन्निफ़ासिहा :** जब वो विलादत के ख़ून से पाक हो गई, निफ़ास बंद हो गया।

फ़ायदा : हज़रत अबू सनाबिल (रज़ि.) ने हज़रत सुबेअ़ह अस्लमिय्या को मंगनी का पैग़ाम दिया था और उनके बाद अबू बिश्र बिन हारिस़ (रज़ि.) ने पैग़ाम दिया। जो हज़रत अबू सनाबिल के मुक़ाबले में जवान था। इसलिये उन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि वो उसकी तरफ़ माइल होगी और उसका वली भी मौजूद नहीं था। इसलिये वो समझते थे, वली मुझे तरजीह देगा। इसलिये कहने लगे, तुम अभी शादी नहीं कर सकती हो। लेकिन मसला ये है जिस पर अइम्म-ए-अरबआ का इत्तिफ़ाक़ है और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन का यही नज़रिया है कि जब औरत ख़ाविन्द की वफ़ात के वक़्त या तलाक़ के वक़्त हामिला हो, तो वज़अ़े हमल होते ही, उसकी इद्दत पूरी हो जायेगी। चाहे हमल चंद दिन के बाद वज़अ़ हो जाये या नौ दस माह के बाद लेकिन हज़रत अ़ली और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये था कि वज़अ़े हमल और चार माह दस दिन में से, जो भी बाद में हो उसका लिहाज़ रखना होगा। जैसे अगर वज़अ़े हमल पाँच माह के बाद हो तो उसका ऐतिबार होगा और अगर चार माह दस दिन से पहले वज़अ़े हमल हो जाये तो चार माह दस दिन का ऐतिबार होगा। इस तरह जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक बच्चा जनने के बाद, विलादत के ख़ून के दौरान ही औरत शादी कर सकती है, हाँ ख़ाविन्द सोहबत ख़ून से पाक होने के बाद कर सकेगा। लेकिन हसन बसरी, शअ़बी और इब्राहीम नख़ई के नज़दीक निफ़ास से पाक होने के बाद शादी कर सकेगी।

(3723) सुलैमान बिन यसार (रह.) बयान करते हैं कि अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान (रह.) और इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) दोनों हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के पास इकट्ठे बैठे हुए, उस औरत के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे जो अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के कुछ ही रातों बाद बच्चा जनती है। तो इब्ने

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ

الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ . فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ .

अब्बास (रज़ि.) ने कहा, इद्दते वफ़ात और इद्दते हमल में से जो बाद में आयेगी, वही उसकी इद्दत होगी और अबू सलमा (रह.) ने कहा, वो (वज़ऐ हमल से) इद्दत से गुज़र गई है। तो वो इसमें इख़्तिलाफ़ करने लगे तो अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, मैं अपने भतीजे यानी अबू सलमा का हमनवा हूँ। तो उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास के मौला कुरैब को हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में ये मसला पूछने के लिये भेजा, तो उसने आकर उन्हें बताया। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि सुबेअह अस्लमिय्या (रज़ि.) ने ख़ाविन्द की वफ़ात के चंद ही रातों बाद बच्चा जना और उसने उसका तज़्किरा रसूलुल्लाह(ﷺ) से किया। आपने उसे शादी करने की इजाज़त दे दी।

(सहीह बुख़ारी : 4909, तिर्मिज़ी : 1194, नसाई : 6/192-193, 3512, 3513, 3514, 3515)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو، النَّاقِدُ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا .

(3724) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने तीन और उस्तादों से बयान करते हैं, लेकिन लैस़ की रिवायत में भेजने वाले का नाम नहीं बयान किया गया कि वो कुरैब था।

फ़ायदा : किसी मसले में दलील की रोशनी में छोटा बड़े से इख़्तिलाफ़ कर सकता है। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ताबेई हैं और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) सहाबी से इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं। अगर दलील की रोशनी में सहाबी का क़ौल छोड़ा जा सकता है, तो किसी इमाम की मुख़ालिफ़त करना

क्योंकर जुर्म है। नीज़ यहाँ आपने सुबेअह (रज़ि.) को शादी की इजाज़त दी है, तो इसका ये मानी नहीं है कि औरत ख़ुद अपना निकाह कर सकती है या उसको वली की ज़रूरत नहीं है। निकाह तो अपने मअरूफ़ तरीक़े के मुताबिक़ ही करना होगा।

باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ

बाब 9 : इद्दते वफ़ात में सोग ज़रूरी है और उसके सिवा तीन दिन के सिवा नाजाइज़ है

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ، قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي

(3725) हुमैद बिन नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बयान करती हैं कि जब नबी(ﷺ) की बीवी उम्मे हबीबा (रज़ि.) के बाप अबू सुफ़ियान (रज़ि.) फ़ौत हुए तो मैं उनके पास गई। उम्मे हबीबा (रज़ि.) ने ज़र्द रंग की ख़ुश्बू मंगवाई, वो ख़लूक़ थी या कोई और और एक बच्ची को लगाई। फिर अपने रुख़सारों पर हाथ मल लिया। फिर फ़रमाया, 'अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ुश्बू इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, मगर बात ये है मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को मिम्बर पर फ़रमाते सुना है, 'जो औरत अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती है उसके लिये जाइज़ नहीं है कि किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, मगर ख़ाविन्द पर चार माह और दस दिन सोग करना होगा।'

हज़रत जैनब ने कहा फिर मैं जैनब बिन्तु जहश के पास दाख़िल हुआ जिस वक़्त उनके भाई का इन्तेक़ाल हुआ था तो उसने कुछ खुशबू मंगवाई उसे कुछ इस्तेमाल किया और कहा

بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " . قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ " . قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ .

मुझे खुशबू की कोई हाज़त नहीं है सिवाए इसके कि मैंने नबी(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है कि उस औरत के लिये जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखती है ये हलाल नहीं है कि वह मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाये सिवाय अपने शौहर के शौहर के लिये चार महीने दस दिन का सोग है। हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अपनी वालिदा उम्मे सलमा (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि एक औरत रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आई और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया है और उसकी आँखों में तकलीफ़ हो गई है, क्या हम उसे सुरमा डाल दें? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं।' दो या तीन मर्तबा फ़रमाया नहीं। फिर फ़रमाया, 'ये तो बस चार माह दस दिन हैं और तुममें से हर एक जाहिलिय्यत के दौर में साल गुज़रने पर मींगनी फेंका करती थीं।'

(सहीह बुख़ारी : 1280, 1281, 1282, 5335, 5338, 5706, अबू दाऊद : 2299, तिर्मिज़ी : 1195, 1196, 1197, नसाई : 6 188, 189)

(3726) हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बयान करती हैं, फिर जब हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के भाई फ़ौत हुए तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने ख़ुश्बू मंगवाकर मली। फिर फ़रमाया, अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ुश्बू की कोई ज़रूरत नहीं है मगर मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से मिम्बर पर फ़रमाते हुए सुना, 'किसी औरत के लिये जो अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती है, किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग जाइज़ नहीं है, मगर ख़ाविन्द पर चार माह और दस दिन सोग करना होगा।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

(3727) हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अपनी वालिदा उम्मे सलमा (रज़ि.) को ये कहते हुए सुना कि एक औरत रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आई और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया है और उसकी आँखों में तकलीफ़ हो गई है, क्या हम उसे सुरमा डाल दें? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं।' दो या तीन मर्तबा फ़रमाया नहीं। फिर फ़रमाया, 'ये तो बस चार माह दस दिन हैं और तुममें से हर एक जाहिलिय्यत के दौर में साल गुज़रने पर मींगनी फेंका करती थीं।'

قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ " .

(3728) हुमैद कहते हैं, मैंने हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) से पूछा, साल गुज़रने पर मींगनी फेंकने से क्या मुराद है? तो हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने बताया, जब औरत का शौहर फ़ौत

قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ

حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ .

हो जाता, तो वो एक कुटिया में दाख़िल हो जाती और अपने बदतरीन कपड़े पहन लेती और ख़ुश्बू या इस क़िस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल न करती। यहाँ तक कि उस पर साल गुज़र जाता। फिर उसके पास कोई जानदार, गधा या बकरी या परिन्दा लाया जाता और वो उसे अपनी शर्मगाह से मलती और जिस जानवर को भी मलती वो कम ही ज़िन्दा रहता, फिर वो कुटिया से निकलती, तो उसे एक मींगनी दी जाती और वो उसे फेंक देती (कि इतना हक़ भी अदा नहीं हुआ) उसके बाद जो ख़ुश्बू वग़ैरह इस्तेमाल करना चाहती, कर लेती।

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) तफ़्तज़्ज़ु : इद्दत को ख़त्म करती, जिसकी सूरत ये होती कि एक साल सफ़ाई और सुथराई न करने की बिना पर उसकी शक्ल व सूरत, ख़ौफ़नाक हो जाती और पानी इस्तेमाल न करने की वजह से जिस्म में ज़हरनाकी पैदा हो जाती, उसे कोई जानदार पेश किया जाता, जिसे वो अपने मख़सूस हिस्से के साथ मलती, तो वो जानवर मर जाता और ये उसके इद्दत के ख़ात्मे का ऐलान होता और वो उसके बाद फ़ौरन घर जाकर नहाती-धोती और एक मींगनी फेंककर उस तरफ़ इशारा करती कि ख़ाविन्द के सोग का कुछ हक़ भी अदा नहीं हो सका।

फ़वाइद : (1) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) का जो भाई रसूलुल्लाह(ﷺ) की ज़िन्दगी के बाद फ़ौत हुआ वो अबू अहमद था क्योंकि अब्दुल्लाह जंगे उहुद में शहीद हो गया था और उबैदुल्लाह बिन जहश जो हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) का ख़ाविन्द था, वो मुर्तद हो गया था और हब्शा में मर गया था। **(2)** सोग का मानी है कि औरत अपनी इद्दत में ज़ेबो-ज़ीनत और हार-सिंघार इस्तेमाल नहीं कर सकती, अपनी पूरी मुद्दत में इस तरह रहेगी कि ऐसी शक्ल व सूरत और लिबास व हैयत से उसकी बेवगी और ग़मज़दगी का इज़हार होगा। शोख़ व शनग और ख़ूबसूरत रंगीन कपड़े, जो ज़ेबो-ज़ीनत के लिये इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह ज़ेवरात, हार-सिंघार और बनाव-संवार मेकअप (ग़ाज़ा, पावडर वग़ैरह) का इस्तेमाल जाइज़ नहीं है और बग़ैर इन्तिहाई शदीद ज़रूरत के सुरमा इस्तेमाल करना भी जाइज़ नहीं है। शदीद ज़रूरत की सूरत में रात को सुरमा इस्तेमाल किया जायेगा और दिन को उसे साफ़ कर दिया जायेगा। जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है। लेकिन अहले ज़ाहिर के नज़दीक सुरमा लगाना भी जाइज़

नहीं है, क्योंकि ये ज़ीनत की चीज़ है। अगर दवा ऐसी हो जो ज़ीनत का बाइस नहीं है, तो फिर दुरुस्त है। (3) हर बेवा औरत पर सोग करना वाजिब है, चाहे वो मदख़ूला हो या ग़ैर मदख़ूला, छोटी हो या बड़ी, मुस्लिमा हो या अहले किताब से, आज़ाद हो या लौण्डी (जबकि निकाह में हो) जुम्हूर का यही नज़रिया है। लेकिन अहनाफ़ और कुछ मालिकिया के नज़दीक सोग मुसलमान बालिग़ा पर है। बच्ची ज़िम्मी औरत पर नहीं है मुतल्लक़ा सलासा के सोग में इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक और शाफ़ेई के नज़दीक उस पर सोग नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उस पर भी सोग है और शौहर के अलावा किसी दूसरे अज़ीज़ जैसे बाप, भाई या बेटा उसके इन्तिक़ाल पर अगर कोई औरत अपना दिली सदमा सोग की सूरत में ज़ाहिर करे तो उसकी सिर्फ़ तीन दिन तक के लिये इजाज़त है। इससे ज़्यादा सोग मनाना नाजाइज़ है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

(3729) हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) का कोई अज़ीज़ फ़ौत हो गया। तो उन्होंने ज़र्द रंग की ख़ुश्बू मंगवाई और उसे अपने बाज़ूओं पर मला और फ़रमाया, मैं ये इस लिये कर रही हूँ। क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 'जो औरत अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर यक़ीन रखती है उसके लिये जाइज़ नहीं है कि तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाये, मगर शौहर पर चार माह और दस दिन सोग करना होगा।'

وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّهَا، وَعَنْ زَيْنَبَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(3730) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा ने अपनी वालिदा और नबी(ﷺ) की बीवी ज़ैनब (रज़ि.) से या अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी बीवी से रिवायत सुनाई।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ،

(3731) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) ने अपनी वालिदा से रिवायत सुनाई कि एक औरत का ख़ाविन्द

قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا، أَنَّ امْرَأَةً، تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلاَسِهَا - أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي بَيْتِهَا - حَوْلاً فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

फ़ौत हो गया, तो उसके घर वालों को उसकी आँखों के बारे में ख़तरा महसूस हुआ, तो वो नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे सुरमा लगाने की इजाज़त तलब की। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से बदतरीन घर में टाट या झल पहनकर या बदतरीन कपड़ा पहनकर अपने घर में एक साल रहती थी और जब उसके सामने कुत्ता गुज़रता (एक साल के बाद) तो मींगनी फेंकर (कुटिया से) निकलती। तो क्या अब चार माह और दस दिन गुज़ारना मुश्किल है?' हलस अहलास, टाट, बिछौना जो फ़र्श पर बिछाया जाता है।

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبُ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ .

(3732) हुमेद बिन नाफ़ेअ दोनों हदीसें उम्मे सलमा की सुरमा लगाने वाली हदीस और उम्मे सलमा और नबी(ﷺ) की किसी दूसरी बीवी की हदीस सुनाई, लेकिन ज़ैनब का नाम नहीं लिया।

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है, सुरमा लगाने से गुरेज़ करना ही बेहतर है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(3733) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबू सलमा (रज़ि.) ने उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा (रज़ि.) से ये हदीस सुनाई कि एक औरत रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपको बताया, उसकी बेटी का ख़ाविन्द फ़ौत हो गया है और उसकी

الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهْىَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ " .

आँख दर्द करती है, तो वो चाहती है उसे सुरमा डाल दे, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुममें से एक साल गुज़रने पर, मींगनी फेंकती थी और अब तो सिर्फ़ चार माह और दस दिन हैं।'

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

(3734) हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं, जब हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) के पास हज़रत अबू सुफ़ियान (रज़ि.) की वफ़ात की ख़बर पहुँची तो उन्होंने तीसरे दिन ज़र्द रंग की ख़ुश्बू मंगवाई और उसे अपने बाज़ूओं और रुख़सारों पर मला और फ़रमाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ख़ाविन्द फ़ौत हो चुका है, जिसके लिये ज़ीनत करनी होती। मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 'जो औरत अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती है उसके लिये तीन दिन से ज़्यादा सोग करना जाइज़ नहीं है, मगर ख़ाविन्द पर वो चार माह दस दिन सोग करेगी।'

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ، بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ

(3735) नाफ़ेअ बयान करते हैं कि हज़रत सफ़िय्या बिन्ते अबी उबैद ने उसे हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) से या हज़रत आइशा (रज़ि.) से या दोनों से रिवायत सुनाई। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो औरत अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती है या अल्लाह और उसके रसूल को मानती है,

بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .

उसके लिये किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाना जाइज़ नहीं है मगर ख़ाविन्द पर सोग होगा।'

(नसाई : 6/189, इब्ने माजह : 2086)

وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ . مِثْلَ رِوَايَتِهِ .

(3736) इमाम साहब एक और उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ وَزَادَ " فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " .

(3737) सफ़िय्या बिन्ते अबी उबैद बयान करती हैं, मैंने हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर (रज़ि.) नबी(ﷺ) की बीवी से, नबी(ﷺ) से बयान करते हुए सुना, जिसमें ऊपर वाली हदीस में ये इज़ाफ़ा है, 'वो शौहर पर चार माह और दस दिन सोग करेगी।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ .

(3738) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत नबी(ﷺ) की किसी बीवी का नाम लिये बग़ैर अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं।

(3739) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जो औरत अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती है उसके लिये जाइज़ नहीं है कि वो मय्यित पर ख़ाविन्द के सिवा तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाये।'

(इब्ने माजह : 2085)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا " .

(3740) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'कोई औरत मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाये, मगर ख़ाविन्द पर चार माह और दस दिन (सोग मनाये) और न रंगा हुआ कपड़ा पहने इल्ला (मगर) ये कि उसका धागा ही रंगा गया हो और न सुरमा लगाये, और न किसी क़िस्म की ख़ुश्बू इस्तेमाल करे, मगर जब हैज़ से पाक हो तो कुछ क़ुस्त या अज़्फ़ार नामी ख़ुश्बू इस्तेमाल कर ले' (क्योंकि उनमें ख़ुश्बू नहीं होती)।

(सहीह बुख़ारी : 5342, अबू दाऊद : 2302, 2303, नसाई : 6/203)

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ " .

फ़ायदा : रंगदार कपड़े से मुराद वो कपड़ा है जिसके रंग में ख़ुश्बू की आमेज़िश होती है या शोख़ व शनग होने की बिना पर वो ज़ेबो-ज़ीनत का बाइस बनता है, पुराना रंगदार कपड़ा जिसमें ख़ूबसूरती और कशिश बाक़ी नहीं है और न ही वो आराइश व ज़ेबाइश के लिये होता है, उसके इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है।

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ " عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ " .

(3741) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत अपने दो और उस्तादों से बयान करते हैं, उसमें है, 'तुहुर के आग़ाज़ में थोड़ा सा कुस्त या अज़्फ़ार से पाकीज़गी हासिल कर ले।'

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلاَ نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

(3742) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि हमें किसी मय्यित पर तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाने से मना किया जाता था, मगर ख़ाविन्द पर चार माह और दस दिन का सोग था और न सुरमा लगायें और न ख़ुश्बू लगायें और न ही रंगा हुआ कपड़ा पहनें और औरत को हैज़ से पाक होते वक़्त रुख़्सत थी कि जब वो गुस्ले हैज़ करे तो थोड़ा सा कुस्त या अज़्फ़ार इस्तेमाल कर ले।
(सहीह बुख़ारी : 5341)

इस किताब की कुल 27 हदीसें हैं।

20

كتاب اللعان

किताबुल्लिआन
लिआन के बारे में

हदीस नम्बर 3743 से 3769 तक

तआरुफ़ किताल्लिआन

इस्लामी शरीअत से ज़्यादा मुअस्सिर, मुतवाज़िन और इंसाफ़ पर मबनी क़ानून बनाना मुम्किन नहीं। मुआशरे और ख़ानदान की पाकीज़गी और नस्ल की हिफ़ाज़त के लिये इस्लाम ने ज़िना को कबीरा गुनाह क़रार दिया है और इसकी हद (सज़ा) इन्तिहाई सख़्त रखी है। ये इतनी सख़्त है कि इसके सहीह निफ़ाज़ की सूरत में मुआशरा ज़िना की गन्दगी से बिल्कुल पाक हो जाता है। चूंकि ये सज़ा इन्तिहाई सख़्त है इसलिये किसी को ये सज़ा सिर्फ़ उसी वक़्त दी जा सकती है जब चार मुकम्मल तौर पर क़ाबिले ऐतमाद (अदूल) गवाह मौजूद हों। अगर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाला चार अदूल और सिक़ह गवाह पेश न कर सके तो वो ख़ुद हदे क़ज़फ़ का हक़दार हो जाता है। ये ऐसा क़ानून है जिसमें तरफ़ैन को पाबंदियों में जकड़ दिया गया है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़ैसला फ़रमाते हुए ख़ुद हमेशा हर पहलू से इस क़ानून के तक़ाज़े पूरे किये। एक औरत के बारे में आप(ﷺ) को मालूम था कि बज़ाहिर इस्लाम लाने के बावजूद ज़िना से नहीं रुकती लेकिन शहादतें मुयस्सर न आती थीं। उसके बारे में आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अगर मैं किसी को गवाहियों के बग़ैर रजम कराता तो इस औरत को रजम कराता।' (सहीह मुस्लिम : 3758)

जब ये क़ानून नाफ़िज़ हुआ तो एक बड़ा मसला ये सामने आया कि अगर कोई ख़ाविन्द अकेला घर में दाख़िल हो और अपनी बीवी को किसी के साथ मसरूफ़े गुनाह पाये तो क्या वो चार गवाहों का इन्तिज़ाम करने के लिये उन्हें उसी हालत में छोड़ कर बाहर चला जाये और जब वो इन्तिज़ाम करके आये फिर वो दोनों सम्भल चुके हों तो इस सूरत में बेग़ैरत बनकर अपने घर की इस गन्दगी पर ख़ामोश रहे। अगर वो ये बात खोले तो क़ज़फ़ की सज़ा में कोड़े खाये। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में सबसे पहले वही हदीसें बयान की हैं जो इस सूरते हाल को वाज़ेह करती हैं। उवैमिर अजलानी अन्सारी (रज़ि.) को अपने घर में इसी ख़राबी का शक हुआ। उन्होंने अपने क़रीबी अज़ीज़ आसिम बिन अदी अन्सारी (रज़ि.) से बात की कि वो रसूलुल्लाह(ﷺ) को इससे बाख़बर करें और आपसे रहनुमाई हासिल करें। जब आसिम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) को बताया तो आप(ﷺ) को किसी इंसान की तरफ़ से अपनी ही बीवी के बारे में ऐसी सोच इन्तिहाई नागवार गुज़री। आपने कोई हिदायत जारी न फ़रमाईं, मसला अपनी जगह मौजूद था। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि ख़ज़रज के सरदार हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने सूरह नूर की आयत, 'और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगायें, फिर चार गवाह न लायें तो उन्हें अस्सी (80) कोड़े लगाओ और उनकी

गवाही कभी कुबूल न करो।' (सूरह नूर 24 : 4) के हवाले से आकर इन अल्फ़ाज़ में सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये आयत इसी तरह उतरी है? आगे बीवी के हवाले से ख़ाविन्द की ग़ैरत का मसला उठाया। (मुस्नद अहमद : 1/238)

रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनके सवाल के जवाब में भी फ़रमाया कि वो चार गवाह लायें। लेकिन हज़रत सअ़द (रज़ि.) के रद्दे अ़मल को एक ग़य्यूर इंसान का रद्दे अ़मल क़रार दिया और अपनी और अल्लाह की ग़ैरत का भी हवाला दिया। इसकी कुछ तफ़्सील इसी किताब हदीस़ 3761 से 3765 में मौजूद है।

फिर इसी अ़रसे में ये हुआ कि एक बद्री सहाबी हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) हाज़िर हुए। उन्होंने आकर रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने अपनी बीवी पर एक शख़्स शरीक बिन सहमा के साथ मुलव्विस़ होने का इल्ज़ाम लगा दिया। (सहीह मुस्लिम : 3757) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि ये बात भी रसूलुल्लाह(ﷺ) पर बहुत ही गिराँ गुज़री। अन्सार डरे कि सअ़द बिन उ़बादा (रज़ि.) ने ये बात कह दी थी, अब उसके मुताबिक़ सूरते हाल पेश भी आ गई है। क़ुरआन का फ़ैसला मौजूद है, इसलिये चार गवाह न होंगे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) पर हद्दे क़ज़फ़ लगायेंगे। हिलाल (रज़ि.) कहने लगे, मुझे अल्लाह पर यक़ीन है वो मेरे लिये कोई रास्ता निकालेगा। उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अ़र्ज़ किया, मुझे नज़र आ रहा है कि ये बात आपके लिये बहुत गिराँ स़ाबित हुई है लेकिन अल्लाह जानता है मैं सच कह रहा हूँ। इतने में रसूलुल्लाह(ﷺ) पर वह्य नाज़िल होने लगी और ये आयत उतरी, 'और जो अपनी बीवियों को ऐब लगायें और उनके पास अपने सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी शख़्स की गवाही ये है कि अल्लाह के नाम की चार गवाहियाँ दे (4 मर्तबा क़सम खाये) कि वो सच्चा है और पाँचवीं (गवाही/क़सम) ये है कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो और औ़रत से मार (सज़ा) यूँ टलती है कि वो अल्लाह के नाम की चार गवाहियाँ दे (4 मर्तबा क़सम खाये) कि वो शख़्स झूठा है और पाँचवीं (गवाही/क़सम) ये कि वो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब आये अगर वो शख़्स सच्चा है।' (सूरह नूर 24 : 6-9) हिलाल (रज़ि.) ने बेसाख़्ता कहा, मुझे अपने रब से इसी की उम्मीद थी। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसकी बीवी को बुलवाया और दोनों मियाँ-बीवी को तल्क़ीन व नसीहत के बाद नाज़िल शुदा आयात के मुताबिक़ अलग-अलग क़समें खाने को कहा। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'बच्चा अगर शक्ल में हिलाल की बजाय दूसरे शख़्स पर जायेगा तो पता चल जायेगा कि वो हक़ीक़त में उसी का है।' यही हुआ। बच्चा शरीक बिन सहमा पर गया, लेकिन रसूलुल्लाह(ﷺ) ने सिर्फ़ इसी बुनियाद पर शरीक को सज़ा देने की कारवाई न फ़रमाई। पाँचवीं क़सम के अल्फ़ाज़ में लानत का ज़िक्र है इसलिये इस फ़ैसले की सारी कारवाई को लिआ़न का नाम दिया गया।

इसी दौरान उवेमिर अजलानी (रज़ि.) पर भी घर की सूरते हाल वाज़ेह हो गई। वो रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में अपना केस लेकर आये तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे क़ज़िये (मामले) के बारे में क़ुरआन की आयत नाज़िल हो चुकी है।' आपने उन दोनों मियाँ-बीवी के दरम्यान भी लिआन करवा कर उनका फ़ैसला कर दिया। उवेमिर (रज़ि.) ने ये कहकर उस औरत को क़तई तलाक़ दे दी कि अगर मैं इसे घर में रखूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर झूठ बोला था। ये फ़ितरी रद्दे अमल था। रसूलुल्लाह(ﷺ) को उससे ये बात कहनी न पड़ी। उस दिन ये तय हो गया कि लिआन के बाद दोनों मियाँ-बीवी में निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मर्द, औरत को दिया हुआ हक़्क़े महर वापस नहीं ले सकता। अगर लिआन के बाद बच्चा हो तो वो माँ की तरफ़ मन्सूब होगा। ये शरीअत के बेमिसाल तवाज़ुन और ऐतिदाल की एक मिसाल है कि तीसरा शख़्स जिस पर औरत से मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है, लिआन के फ़ैसले का उस पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि चार क़समों के बावजूद उसके हवाले से चार गवाह मौजूद नहीं। वो भी क़ज़फ़ का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता क्योंकि ये मियाँ-बीवी के दरम्यान का मामला था उन्ही के दरम्यान निपट गया। उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया।

अहादीस की तर्तीब अलग है लेकिन इस तआरुफ़ की रोशनी में अच्छी तरह समझ में आ सकती है।

★★★

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب اللعان

20. लिआन के बारे में

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(3743) हज़रत सहल बिन सअ़द साइदी (रज़ि.) बयान करते हैं कि उवेमिर अजलानी (रज़ि.) हज़रत आ़सिम बिन अ़दी अन्सारी (रज़ि.) के पास आये और उनसे पूछा, ऐ आ़सिम! आप मुझे बतायें अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे मर्द को पाये तो क्या उसे क़त्ल कर दे और तुम उसे (क़ातिल को) क़त्ल कर दो? या वो क्या करे? तो आप मेरी ख़ातिर रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछकर बतायें, ऐ आ़सिम! तो आ़सिम (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा, आपने ऐसे मसाइल (जो अभी पेश नहीं आये) के बारे में पूछना नापसंद किया और उसकी मज़म्मत की, यहाँ तक कि आ़सिम ने जो कराहत व नापसन्दीदगी रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी वो उस पर शाक़ गुज़री। तो जब आ़सिम के घर वापस उनके पास हज़रत उवेमिर आये और पूछा, ऐ आ़सिम! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने आपको क्या जवाब दिया ? हज़रत आ़सिम ने हज़रत उवेमिर से कहा, तू मेरे लिये ख़ैर का सबब नहीं बना, वो मसला जिसके

الله عليه وسلم قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا . فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا " . قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

बारे में मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सवाल किया आपने नापसंद फ़रमाया। हज़रत उवेमिर ने कहा, अल्लाह की क़सम! जब तक इस मसले के बारे में, मैं आप(ﷺ) से पूछ न लूँ, मैं बाज़ नहीं आऊँगा। तो हज़रत उवेमिर चले यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लोगों के दरम्यान में पहुँच गये और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आप बतायें एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी बीवी के पास पाता है तो क्या उसे क़त्ल कर दे तो आप उसे क़त्ल कर देंगे? या वो क्या करे? तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के बारे में हुक्म नाज़िल हो चुका है, तुम जाकर उसे ले आओ।' हज़रत सहल (रज़ि.) कहते हैं, तो उन दोनों ने लिआन किया और मैं भी लोगों के साथ आपकी मज्लिस में हाज़िर था। तो जब मियाँ-बीवी लिआन से फ़ारिग़ हो गये तो हज़रत उवेमिर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर अब मैं इसको अपने पास रखूँ, तो मैंने उसके बारे में झूठ बोला है, इसलिये इससे पहले कि आप इसे हुक्म देते उसने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी। इमाम इब्ने शिहाब कहते हैं, लिआन करने वालों में यही तरीक़ा जारी हो गया (कि लिआन से दोनों में तफ़रीक़ हो जाती है)।

(सहीह बुख़ारी : 5259, 5308, 5309, 423, 4748, 4746, 6854, 7165, 7304, अबू दाऊद : 2245, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, नसाई : 6/143, 144, इब्ने माजह : 2066)

मुफ़रदातुल हदीस़ : लिआन : मुलाअनह और तुलाउन का मानी होता है, ख़ाविन्द बीवी का एक दूसरे पर लानत भेजना और शरई तौर पर इसका मानी ये है कि एक मर्द अपनी बीवी पर ज़िना करने की

तोहमत लगाता है, लेकिन उसके पास चार गवाह नहीं हैं तो वो शरई क़ाज़ी के पास जाता है, तो क़ाज़ी दोनों को बुलाकर तल्क़ीन व नसीहत करता है, अगर दोनों अपनी-अपनी बात पर इसरार करें तो फिर वो उनसे गवाहियाँ लेता है और आग़ाज़ मर्द से करता है, वो चार बार कहता है, मैं अल्लाह तआला को इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि इसने फ़लाँ मर्द से ज़िना किया है और मैं इस बात में सच्चा हूँ और पाँचवीं बार कहेगा, अगर मैं इस बात में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की लानत हो, उसके बाद औरत चार बार अलग-अलग कहेगी, मैं अल्लाह को गवाह बनाती हूँ कि मेरा ख़ाविन्द मुझ पर तोहमत लगाने में झूठा है और पाँचवीं बार कहेगी, अगर मेरा ख़ाविन्द इस तोहमत लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। लिआन से वो औरत अपने ख़ाविन्द से जुदा हो जायेगी और अब उनमें किसी सूरत में भी निकाह की गुंजाइश नहीं रहेगी और अगर औरत हामिला हो तो बच्चा औरत की तरफ़ मन्सूब होगा, बाप का वारिस नहीं होगा और न उसकी तरफ़ मन्सूब होगा और चूंकि गवाहियों का आग़ाज़ मर्द करता है और उसकी हैसियत मज़बूत है, वही लिआन करता है और अपनी पाँचवीं गवाही में अपने लिये लानत की बद्दुआ करता है, इसलिये इस शहादत को लिआन का नाम दिया गया है और लिआन का ये वाक़िया पहली बार शअबान 10 हिजरी में पेश आया है। अइम्म-ए-अहनाफ़ के नज़दीक लिआन उन गवाहियों का नाम है जिनको अल्लाह की क़सम के ज़रिये मुअक्कद किया गया है जिनमें लानत है और अइम्म-ए-सलासा मालिक, शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक उन क़समों का नाम है जिनको शहादत के लफ़्ज़ से मुअक्कद किया गया है। इसलिये अहलिय्यते क़सम होने के सबब, मुसलमान और उसकी काफ़िर बीवी और काफ़िर मियाँ-बीवी में लिआन हो सकता है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक उसके लिये अहलिय्यते शहादत का होना ज़रूरी है और ये अहलिय्यत मुसलमान, बालिग़, आक़िल और उनके बक़ौल जिस पर हद्दे क़ज़्फ़ न लग चुकी हो, पाई जाती है। इसलिये सिर्फ़ मुसलमान मियाँ-बीवी में ही मज़्कूरा शर्तों की मौजूदगी में लिआन हो सकेगा।

फ़वाइद : (1) हज़रत आसिम बिन अदी, हज़रत उवैमिर के बाप के चाचाज़ाद थे और अजलान क़बीले के सरबराह थे और उवैमिर की बीवी हज़रत आसिम की बेटी या भतीजी थी, इसलिये उवैमिर ने सवाल के लिये उनका इन्तिख़ाब किया। (2) हुज़ूर(ﷺ) ने इस सवाल को इसलिये नापसंद फ़रमाया कि आप समझते थे ये वाक़िया पेश नहीं आया है, इसलिये ये सवाल बिला ज़रूरत और बिला महल है और बिला वजह किसी मुसलमान मर्द और औरत की जासूसी है और इससे बेहयाई की इशाअत का मौक़ा पैदा होता है। हाँ ऐसा सवाल जो किसी पेश आमदा वाक़िये के बारे में हो, सिर्फ़ तकल्लुफ़ और बाल की खाल उतारने के लिये न हो, तो वो पूछना चाहिये। इसलिये आप ऐसे सवालात के बिला तकल्लुफ़ जवाबात मरहमत फ़रमाते थे। इसलिये जब उवैमिर ने आप(ﷺ) को बता दिया कि हुज़ूर मैं इससे दोचार

हूँ तो ये आयात नाज़िल हुई और ये वाक़िया हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) के साथ भी पेश आ चुका था। इसलिये उसने भी आप(ﷺ) से सवाल किया जैसाकि आगे आ रहा है, उसके बाद इन आयात का नुज़ूल हुआ। तो जब दोबारा उवेमिर आये उस वक़्त आयात नाज़िल हो चुकी थीं, इसलिये ये आयात दोनों के वाक़िये पर चस्पाँ होती हैं। क्योंकि वो यकसाँ हैं, इसलिये दोनों को सबबे नुज़ूल ठहराना दुरुस्त है। **(3)** हज़रत उवेमिर का तसव्वुर ये था कि लिआन करने से मियाँ-बीवी में जुदाई नहीं होती, इसलिये उन्होंने तफ़रीक़ पैदा करने की ख़ातिर बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं और नबी(ﷺ) ने इस पर इंकार इसलिये न किया कि इसकी ज़रूरत न थी। इसलिये कुछ हज़रात का ये कहना कि लिआन से तफ़रीक़ नहीं होती, जब तक कि ख़ाविन्द तलाक़ न दे, दुरुस्त नहीं है। लिआन ही तफ़रीक़ का बाइस है। **(4)** लिआन का ये वाक़िया मस्जिदे नबवी में जुम्आ के दिन असर के बाद हुआ।

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الأَنْصَارِيَّ، مِنْ بَنِي الْعَجْلاَنِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ . وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ حَامِلاً فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ . ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا .

(3744) हज़रत सहल बिन सअद अन्सारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि उवेमिर अन्सारी (रज़ि.) जो बनू अजलान से ताल्लुक़ रखते थे आसिम बिन अदी (रज़ि.) के पास आये। आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ है, लेकिन यहाँ हदीस़ में ज़ोहरी का क़ौल कि उसका अपनी बीवी से अलग हो जाना, बाद में लिआन करने वालों में राइज हो गया, दाख़िल कर दिया गया है और इस हदीस़ में ये इज़ाफ़ा है वो औरत हामिला थी और उसका बेटा अपनी माँ ही की तरफ़ मन्सूब किया जाता था। फिर उस पर अमल जारी हो गया कि बेटा अपनी माँ का वारिस़ होगा और माँ को उससे वो हिस्सा मिलेगा, जो अल्लाह ने माँ के लिये मुक़र्रर किया है।

फ़ायदा : लिआन की सूरत में बच्चा माँ की तरफ़ मन्सूब होगा। अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन का यही नज़रिया है, इसलिये बाप की तरफ़ इसकी निस्बत नहीं होगी और विरासत सिर्फ़ माँ की तरफ़ से जारी होगी। यानी माँ की तरफ़ से बहन, भाई ही उसके वारिस़ होंगे। इसलिये अगर उसकी वारिस़ सिर्फ़ उसकी माँ है, तो उसको अस्हाबे फ़ुरूज़ की हैसियत से तिहाई हिस्सा लगेगा और बाक़ी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक बैतुल माल में चला जायेगा और एक क़ौल इमाम अहमद का

ये है कि बाक़ी, माँ के अस्बात को मिलेगा और दूसरा क़ौल ये है कि माँ ही उसकी असबा है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक बाक़ी माल भी माँ की तरफ़ लौटाया जायेगा।

(3745) इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मुझे इब्ने शिहाब ने लिआन करने वालों और उसके तरीक़े के बारे में हज़रत सहल बिन सअद, जो बनू साइदी के फ़र्द हैं, की हदीस की रोशनी में बताया कि एक अन्सारी आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये एक आदमी ने दूसरे मर्द को अपनी बीवी के साथ पाया है? और आगे मज़्कूरा वाक़िया बयान किया और इस हदीस में ये इज़ाफ़ा है तो दोनों ने मेरी मौजूदगी में मस्जिद में लिआन किया और हदीस में ये भी बयान किया। ख़ाविन्द ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के हुक्म से पहले ही अपने तौर पर, उसे तीन तलाक़ें दे दीं और नबी(ﷺ) की मज्लिस में ही उससे जुदाई इख़्तियार कर ली। तो नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'लिआन करने वालों के दरम्यान इस तरह जुदाई होगी।'

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَعَنِ السُّنَّةِ، فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ، سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ . وَزَادَ فِيهِ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ " .

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ मज्लिसे लिआन ही में, लिआन की बिना पर मियाँ-बीवी में तफ़रीक़ हो जायेगी इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई का यही नज़रिया है और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। अहनाफ़ के नज़दीक, तफ़रीक़, क़ाज़ी के हुक्म से होगी, हालांकि यहाँ आप(ﷺ) ने हुक्म नहीं दिया और अल्लामा तक़ी साहब लिखते हैं, हमारे नज़दीक तफ़रीक़, तलाक़ से होगी या हुक्मे हाकिम से। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 1, पेज नं. 240)

(3746) हज़रत सईद बिन जुबैर (रह.) बयान करते हैं कि मुझसे मुस्अब इब्ने ज़ुबैर के दौरे हुकूमत में लिआन करने वालों के बारे में पूछा गया कि क्या

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلاَمِ اسْتَأْذِنْ لِي . قَالَ إِنَّهُ قَائِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِي . قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلاَعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ . وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ

उनके दरम्यान तफ़रीक़ कर दी जायेगी? तो पता न चला कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, इसलिये मैं मक्का में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के घर की तरफ़ चला और (जाकर) गुलाम से कहा, मेरे लिये इजाज़त तलब करो। उसने कहा, वो क़ैलूला कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली। पूछा, इब्ने जुबैर हो? मैंने कहा, जी हाँ! कहा, आ जाओ। अल्लाह की क़सम! तुम इस वक़्त किसी ज़रूरत के तहत ही आये हो। तो मैं अंदर दाख़िल हो गया। तो वो एक आथर (चटाई) पर लेटे हुए थे और एक तकिये का सहारा लिया हुआ था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने पूछा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! क्या लिआन करने वालों में तफ़रीक़ पैदा कर दी जायेगी? उन्होंने (हैरत व तअज्जुब से) कहा, सुब्हानअल्लाह! हाँ सबसे पहले इस मसले के बारे में फ़लाँ बिन फ़लाँ ने पूछा था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये हममें से कोई अगर बीवी को बेहयाई का काम करते हुए पाये तो क्या करे? अगर वो किसी से कलाम करेगा तो इन्तिहाई नागवार बात करेगा और अगर ख़ामोशी इख़्तियार करेगा तो भी ऐसी ही सूरते हाल होगी। इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, तो नबी(ﷺ) चुप रहे और उसे कोई जवाब न दिया तो वो उसके बाद फिर आप(ﷺ) के पास आया और अर्ज़ की, जिस मसले के बारे में मैंने आपसे पूछा था, मैं उसमें मुब्तला हो चुका हूँ। तो अल्लाह तआला ने सूरह नूर की ये आयात उतारीं, 'और वो लोग जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं....।' (सूरह नूर : 6 से

بِهِ . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ{ فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ قَالَ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ . قَالَتْ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

लेकर 9 तक) आप(ﷺ) ने इनकी तिलावत फ़रमाई और उसे वअ़ज़ व नसीहत की और उसे बताया कि दुनिया का अ़ज़ाब (हद्दे क़ज़फ़, अस्सी कोड़े) आख़िरत के अ़ज़ाब के मुक़ाबले में बहुत हल्का है। उसने कहा, नहीं उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा! मैंने उस पर झूठ नहीं बांधा! फिर आपने उसकी बीवी को बुलाया और उसे नसीहत व तज़्कीर की और उसे बताया कि दुनिया का अ़ज़ाब (संगसार करना) आख़िरत के मुक़ाबले में हल्का है। औरत ने कहा, नहीं उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है वो (ख़ाविन्द) झूठा है। तो आपने मर्द से शुरूआत की। उसने चार मर्तबा गवाही दी अल्लाह की क़सम! मैं सच्चा हूँ और पाँचवीं बार गवाही दी अगर मैं झूठों में से हूँ, तो मुझ पर अल्लाह की फटकार। फिर दूसरी बार औरत को बुलाया, तो उसने अल्लाह की क़सम उठाकर चार गवाहियाँ दीं, मेरा ख़ाविन्द झूठा है और पाँचवीं शहादत ये दी अगर वो सच्चा हो तो उस पर (मुझ पर) अल्लाह का अ़ज़ाब नाज़िल हो। फिर आपने उनके दरम्यान तफ़रीक़ पैदा कर दी। हज़रत मुस्अ़ब बिन ज़ुबैर अपने भाई हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दौर में इराक़ के गवर्नर थे।

(तिर्मिज़ी : 1202, 3178, नसाई : 6/175-176)

وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ، أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ،

(3747) सईद बिन जुबैर बयान करते हैं, मुझसे मुस्अ़ब बिन ज़ुबैर के अ़हद में, लिआ़न करने वालों के बारे में पूछा गया, तो मुझे पता न चल सका कि मैं क्या जवाब दूँ। तो मैं अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर

قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और पूछा, बताइये क्या लिआन करने वालों में तफ़रीक़ की जायेगी आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की।
(तिर्मिज़ी : 1202, 3178, नसाई : 6/175-176)

फ़ायदा : मालिकिया के नज़दीक तफ़रीक़, औरत की गवाहियों के बाद होगी। शवाफ़ेअ और मालिकी के नज़दीक, ख़ाविन्द की शहादत के बाद ही हो जायेगी और अहनाफ़ के नज़दीक इमाम या क़ाज़ी तफ़रीक़ करेगा। हालांकि इस हदीस का मानी है कि लिआन के सबब आपने उनमें तफ़रीक़ कर दी, यानी उनको बता दिया कि लिआन ही से तुम्हारे दरम्यान तफ़रीक़ हो चुकी है।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ، جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ " حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ " لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا " . قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(3748) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं और अल्फ़ाज़ यहया के हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने लिआन करने वालों को फ़रमाया, 'तुम्हारा मुहासबा अल्लाह करेगा और तुममें से एक बहरहाल झूठा है, अब तुम्हारा इस औरत पर कोई हक़ नहीं है।' उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'तेरा कोई माल नहीं है, अगर तुमने उसके बारे में सच बोला है तो वो उसे मिलेगा क्योंकि तुमने उसकी शर्मगाह को अपने लिये रवा कर लिया है (उससे फ़ायदा उठा चुके हो) और अगर तुमने उस पर तोहमत बांधा है तो उसके सबब तुम उससे बहुत दूर हो चुके हो।' ज़ुहेर की रिवायत में अम्र के सईद से और सईद के इब्ने उमर (रज़ि.) से सिमाअ की तसरीह है, अन्अना नहीं है।
(सहीह बुख़ारी : 5311, 5312, 5349, अबू दाऊद : 2258, नसाई : 6/177)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि लिआन की सूरत में मर्द अपनी बीवी से मेहर वापस नहीं ले सकता। क्योंकि अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है तो वो उससे उसके ऐवज़ फ़ायदा उठा चुका है और

अगर इल्ज़ाम में झूठा है तो फिर तो मेहर के मुताल्बे का कोई हक़ ही नहीं है। अगर वो ग़ैर मदख़ूला है तो फिर जुम्हूर के नज़दीक मुतल्लक़ा की तरह आधा मेहर मिलेगा, अबू ज़िनाद, हम्माद और हकम के नज़दीक पूरा मेहर मिलेगा, इमाम ज़ोहरी और इमाम मालिक के नज़दीक कुछ नहीं मिलेगा।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ " اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ " .

(3749) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बनू अजलान के मियाँ और बीवी में तफ़रीक़ कर दी और फ़रमाया, 'अल्लाह जानता है तुममें से एक झूठा है, तो क्या तुममें से कोई तौबा करने के लिये तैयार है?'

(सहीह बुख़ारी : 5311, 5312, 5349, अबू दाऊद : 2258, नसाई : 6/177)

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आपने लिआन से फ़राग़त के बाद, दोबारा उन्हें तल्क़ीन की और तौबा की तरग़ीब दिलाई, अगर उनमें से कोई ऐतिराफ़ करेगा तो उस पर हद जारी होगी।

وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللِّعَانِ، . فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ

(3750) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि सईद बिन जुबैर कहते हैं, मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से लिआन के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मज़्कूरा बाला हदीस बयान की।

وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنِ الْمُثَنَّى - قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ . قَالَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِي الْعَجْلاَنِ.

(3751) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ मिस्मई और इब्ने मुसन्ना के हैं, सईद बिन जुबैर कहते हैं, मुस्अब ने लिआन करने वालों में तफ़रीक़ न की। सईद कहते हैं, इस बात का तज़्किरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, नबी(ﷺ) ने बनू अजलान के भाइयों यानी मियाँ-बीवी के दरम्यान तफ़रीक़ कर दी थी।

(नसाई : 6/176-177)

(3752) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के दौर में अपनी बीवी से लिआन किया, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उनमें जुदाई डाल दी और बच्चे को माँ के साथ मिलाया, इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से इस रिवायत के सिमाअ की तस्दीक़ की, इसलिये कहा, हाँ मैंने सुना है।
(सहीह बुख़ारी : 5315, 6748, अबू दाऊद : 2259, तिर्मिज़ी : 1203, नसाई : 6/178, इब्ने माजह : 2069)

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى، بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، لاَعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ قَالَ نَعَمْ .

(3753) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक अन्सारी मर्द और उसकी बीवी के दरम्यान लिआन करवाया और उनमें जुदाई डाल दी।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالاَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

(3754) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं।
(सहीह बुख़ारी : 5314)

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، -وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ

(3755) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ ज़ुहैर के हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि हम जुम्आ की रात मस्जिद में हाज़िर थे कि एक अन्सारी आदमी आया और उसने पूछा, अगर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे मर्द को देखे और उसके बारे में

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللَّهِ لأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ . فَقَالَ " اللَّهُمَّ افْتَحْ " . وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ } وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ{ هَذِهِ الآيَاتُ فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَلاَعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَهْ " . فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ " لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا " . فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا.

ज़बान खोले तो तुम उसे कोड़े लगाओगे और अगर क़त्ल कर दे तो तुम उसे क़त्ल कर दोगे और अगर कोई चुप रहे तो ग़ैज़ व ग़ज़ब के साथ चुप रहेगा। अल्लाह की क़सम मैं ये मसला रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछकर रहूँगा। तो जब अगला दिन हुआ वो रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप(ﷺ) से पूछा और कहा, अगर कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को पाये और उसके बारे में बातचीत करे तो आप(ﷺ) उसे कोड़े लगायेंगे और अगर क़त्ल कर दे, तो आप(ﷺ) उसे क़त्ल कर देंगे या ग़ैज़ व ग़ज़ब के साथ चुप रहे तो आप(ﷺ) ने दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! इस मसले का हुक्म वाज़ेह फ़रमा।' और दुआ फ़रमाने लगे, तो आयते लिआन उतरी, 'और जो ख़ाविन्द अपनी बीवी पर तोहमत लगाते हैं और उनके पास अपने सिवा कोई गवाह नहीं है...।' ये सारी आयात उतरीं और लोगों में वही इंसान इस मसले से दोचार हुआ तो वो और उसकी बीवी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और लिआन किया। मर्द ने अल्लाह के नाम की चार शहादतें दीं कि वो सच्चा है (सच्चों में से है) पाँचवीं बार लानत भेजी कि अगर वो झूठों में से हो (झूठा हो) तो उस पर अल्लाह की फटकार। वो औरत भी लिआन करने लगी तो आपने फ़रमाया, 'रुक जा, बाज़ रह।' उसने इंकार कर दिया और लिआन किया, तो जब मियाँ-बीवी पुश्त फेरकर चल दिये आपने फ़रमाया, 'शायद बच्चा स्याह फ़ाम गट्ठे जिस्म का पैदा होगा।' तो वो स्याह, गट्ठे जिस्म वाला पैदा हुआ।

(अबू दाऊद : 2253, इब्ने माजह : 2068)

फ़ायदा : मालूम होता है कि ये अन्सारी आदमी हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) थे, क्योंकि उसकी बीवी ने कुछ पसो-पेश करते हुए क़समें उठाई थीं। इसलिये आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस मर्द से उसने हरकत की है, उसके मुशाबेह बच्चा पैदा होगा।' और ऐसा ही पैदा हुआ जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा है। इस पर आप(ﷺ) ने फ़रमाया था, अगर लिआन के ज़ाब्ते के तहत उसको सज़ा मिल सकती होती तो फिर मैं उसका इन्तिज़ाम करता और उसको सबक़ सिखाता, लेकिन ये मुम्किन नहीं है।

وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ، أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3756) इमाम साहब दो और उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत करते हैं।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى، أَنَّ عِنْدَهُ، مِنْهُ عِلْمًا . فَقَالَ إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاَعَنَ فِي الإِسْلاَمِ - قَالَ - فَلاَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ " . قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ .

(3757) मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, क्योंकि मैं समझता था उन्हें इसका इल्म है, उन्होंने बताया, हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) ने अपनी बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ ग़लतकारी की तोहमत लगाई। जो बरा बिन मालिक का अख़याफ़ी (माँ की तरफ़ से) भाई था। ये पहले शख़्स थे जिन्होंने इस्लाम के दौर में लिआन किया। उसने बीवी से लिआन किया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'इस औरत पर नज़र रखना, अगर इसने बच्चा सफ़ेद और खुले बालों वाला और ख़राब आँखों वाला जना तो वो हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) का है और अगर बच्चा सुरमई आँखों वाला, घुंघरियाले बालों वाला, बारीक पिण्डलियों वाला जना तो वो शरीक बिन सहमा का होगा।' तो मुझे बताया गया कि उसने सुरमई आँखों वाला घुंघरियाले बालों वाला और पतली पिण्डलियों वाला बच्चा जना था।

(नसाई : 6/171, 6/172, 1461)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) जअ़द : गट्ठे और मज़बूत जिस्म वाला या घुंघरियाले बालों वाला या पस्त क़द, बख़ील। **(2) सबित :** खुले बालों वाला। **(3) तामल ख़लक़त :** पूरे जिस्म वाला। **(4) क़ज़िअल अ़ैनैन :** जिसकी आँखों में आँसूओं की कस़रत या सुर्ख़ी से ख़राबी और बिगाड़ हो। **(5) हम्शस्साक़ैन :** पतली पिण्डलियों वाला **(6) हमूशह :** बारीकी को कहते हैं।

(3758) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने लिआ़न का ज़िक्र छिड़ा तो आ़सिम ने उसके बारे में बातचीत की, फिर मज्लिस से चले गये। तो उनके पास उनकी क़ौम का एक आदमी ये शिकायत लेकर आया कि उसने अपनी बीवी के साथ एक मर्द को पाया है। तो आ़सिम ने कहा, मैं इस मामले से अपनी बात की बिना पर दोचार हुआ हूँ। तो वो उसे लेकर रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपको उसकी बीवी की सूरते हाल की ख़बर दी और वो आदमी (उ़वेमिर) ज़र्द और दुबला पतला और खुले बालों वाला था और जिस आदमी के बारे में दावा किया कि उसे अपनी बीवी के साथ पाया है, वो भरी पिण्डलियों वाला, गन्दुमी रंग वाला और बहुत मोटा ताज़ा था। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दुआ़ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! वाज़ेह फ़रमा।' तो उसने उस मर्द के मुशाबेह बच्चा जना, जिसके बारे में उसके ख़ाविन्द ने बताया था कि वो उस औ़रत के पास था। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने दोनों में लिआ़न करवाया तो मज्लिस में से एक आदमी ने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से पूछा, क्या उस औ़रत के बारे में आपने फ़रमाया था, 'अगर मैं किसी को गवाहों के बग़ैर रजम करता तो इसको रजम कर देता?' तो इब्ने अ़ब्बास ने जवाब दिया, नहीं। वो ऐसी औ़रत थी जो मुसलमान

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رُمْحٍ - قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلاً . فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ بَيِّنْ " . فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ". فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ

होकर बेहयाई के काम करती थी। यानी उसकी चाल-ढाल और हैयत से उसके फ़ाहिशा होने का पता चलता था। लेकिन उसके बारे में गवाह मौजूद नहीं थे।

(सहीह बुख़ारी : 5310, 5316, 6856, नसाई : 6/173, 6/174, 6/174, 6/175)

फ़वाइद : (1) इस हदीस से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि लिआन बच्चा जनने के बाद हुआ, लेकिन दूसरी रिवायात से ये साबित है कि लिआन पहले हुआ था। (2) किसी औरत को फ़हश बातचीत या हरकात से, ज़िना के सुबूत के बग़ैर रजम नहीं किया जा सकता। इसलिये आपने उस औरत पर सिर्फ़ क़राइन और तशहीर से हद नाफ़िज़ नहीं फ़रमाई। (3) हज़रत आसिम ने जब पहली मर्तबा हज़रत उवैमिर (रज़ि.) के पूछने पर आप(ﷺ) से मसला पूछा था उस वक़्त उनको वाक़िये का पता नहीं था। आयात के नुज़ूल के बाद उन्हें पता चला। क्योंकि उवैमिर ने बता दिया था और ये तीनों लोग उवैमिर, उनकी बीवी और जिससे उसने ज़िना किया था तीनों उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इसलिये कहा, मैं ये मसला पूछने पर इस वाक़िये से दोचार हुआ हूँ। मालूम होता है हिलाल बिन उमय्या और उवैमिर (रज़ि.) दोनों की बीवियों के साथ शरीक बिन सहमा ही मुलव्विस था। (फ़तहुल बारी, जिल्द 9, पेज नं. 555, मक्तबा दारुस्सलाम)

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا .

(3759) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने लिआन करने वालों का तज़्किरा किया गया, जैसाकि ऊपर की हदीस में गुज़रा। इस हदीस में कसीरल्लहम बहुत गोश्त वाला के बाद है, जअ़्दन क़ततन इन्तिहाई घुंघरियाले बालों वाला। क़तत : इन्तिहाई घुंघरियाले, हब्शियों की तरह।

(3760) अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बयान करते हैं, इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने लिआन करने वालों का तज़्किरा किया गया तो इब्ने शद्दाद ने पूछा, क्या ये वही दो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था, 'अगर मैं किसी को बग़ैर गवाहों के संगसार करता, तो इस औरत को रजम करता।' तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, नहीं। वो औरत खुल्लम-खुल्ला फ़हश हरकात करती थी। इब्ने अबी अम्र की रिवायत में क़ासिम बिन मुहम्मद, बराहे रास्त इब्ने अब्बास (रज़ि.) से सिमाअ की तसरीह करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 6855, 7238, इब्ने माजह : 2560)

وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا " . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

(3761) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि सअद बिन उबादा अन्सारी (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी बीवी के साथ पाता है क्या उसको क़त्ल कर दे? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'नहीं।' सअद (रज़ि.) ने कहा, क्यों नहीं? उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने सरदार की बात सुनो, वो क्या कहता है।'

(अबू दाऊद : 4532, इब्ने माजह : 2605)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ " . قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ".

फ़ायदा : हज़रत सअद (रज़ि.) ने बला क्यों नहीं का लफ़्ज़ आपकी बात का इंकार करने के लिये नहीं कहा था। उनका मक़सद ये था कि इसकी इजाज़त होनी चाहिये। कौन ग़ैरतमन्द, जवाँ हिम्मत ये कर सकता है कि उस वक़्त अपने आप पर क़ाबू पाये और गवाहों की तलाश में निकले, इसलिये आपने फ़रमाया, इस ग़ैरतमन्द की बात सुन रहे हो, इसमें किस क़द्र ग़ैरत व हमियत है। वो इस क़द्र ग़ैरतमन्द थे

कि बाकिरा दोशेज़ा ही से शादी करते थे और अगर किसी बीवी को तलाक़ दे देते थे तो उनकी ग़ैरत से ख़ौफ़ज़दा होकर कोई उससे शादी करने की जुरअत नहीं करता था।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ " نَعَمْ " .

(3762) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ देखूँ तो क्या उसे चार गवाहों के लाने तक, मोहलत दूँ? आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ।'
(अबू दाऊद : 4533)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " . قَالَ كَلاَّ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي " .

(3763) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा, हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं किसी को अपनी बीवी के साथ देखूँ तो मैं उसे उस वक़्त तक कुछ न कहूँ (हाथ न लगाऊँ) यहाँ तक कि चार गवाह ले आऊँ? रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'हाँ।' उसने कहा, मुम्किन नहीं है उस ज़ात की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! मैं तो यक़ीनन उसको इससे पहले ही तलवार का निशाना बनाऊँगा। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'अपने सरदार की बात पर कान धरो, वो बिला शुब्हा ग़ैरतमन्द है और मैं उससे ज़्यादा ग़ैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा ग़य्यूर है (उसके बावजूद उसका क़ानून यही है)।'

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ

(3764) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) ने कहा, अगर मैं किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ

- وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ عَنْهُ ‏.‏ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلاَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلاَ شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ‏"‏ ‏.‏

देखूँ तो बग़ैर इसके कि तलवार को चौड़ाई में करूँ या उससे दरगुज़र करूँ, उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। रसूलुल्लाह(ﷺ) तक उनका क़ौल पहुँचा, तो आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें सअद की ग़ैरत पर हैरत व तअज्जुब है? अल्लाह की क़सम! मैं उससे ज़्यादा ग़ैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा ग़ैरतमन्द है, अल्लाह ने ग़ैरत की बिना पर ही बेहयाई के कामों से मना फ़रमाया। बेहयाई खुली हो या छिपी और अल्लाह तआला से कोई शख़्स ज़्यादा ग़ैरतमन्द नहीं है और अल्लाह तआला से ज़्यादा किसी शख़्स को माजरत पसंद नहीं है, इसलिये उसने रसूलों को बशारत देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा है और अल्लाह तआला से ज़्यादा किसी शख़्स को तारीफ़ व मदह पसंद नहीं है। इसलिये अल्लाह ने जन्नत का वादा फ़रमाया है।'
(सहीह बुख़ारी : 6846, 7416)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ‏.‏ وَقَالَ غَيْرَ مُصْفِحٍ ‏.‏ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ ‏.‏

(3765) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें ग़ैर मुस्फ़िह के बाद अन्हु का लफ़्ज़ नहीं है।

मुफ़रदातुल हदीस़ : मुस्फ़िह : फ़ पर अगर ज़बर हो तो मानी होगा, तलवार की चौड़ाई से नहीं मारूँगा, बल्कि सीधी धार से गर्दन उड़ा दूँगा और अगर फ़ पर ज़ेर हो तो मानी होगा, मैं चश्मपोशी और दरगुज़र से काम नहीं लूँगा।

फ़वाइद : (1) अल्लाह तआला की सिफ़ात की कैफ़ियत व हक़ीक़त को अल्लाह तआला की ज़ात

की कैफ़ियत व हक़ीक़त ही की तरह जानना मुम्किन नहीं है। इसलिये हम सिफ़ते ग़ैरत और सिफ़ते हुब्ब से अल्लाह तआला को मुत्तसिफ़ मानेंगे, लेकिन उसकी हक़ीक़त और माहियत के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। अल्लाह तआला की ग़ैरत और हुब्ब उसकी शान ही के मुताबिक़ होगी। (2) अगर कोई इंसान किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ ज़िना करते देखता है और उसको क़त्ल कर देता है तो ये बात अल्लाह के यहाँ तो अगर ज़ानी शादीशुदा हो उज़्र मक़बूल होगा और आख़िरत में उस पर पकड़ नहीं होगी, लेकिन दुनियवी क़ानून और ज़ाबते की रू से जुम्हूर फ़ुक़हा के नज़दीक उसको क़त्ल कर दिया जायेगा। इल्ला ये कि वो ज़िना के सुबूत पर चार गवाह पेश कर दे या ज़ानी के वारिसीन इस बात का ऐतिराफ़ करें कि उसने ऐसी हरकत वाक़ेई की है और अगर गवाह दो पेश करे तो जुम्हूर के नज़दीक फिर भी उससे क़िसास लिया जायेगा। लेकिन इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक इस सूरत में क़िसास नहीं होगा और कुछ हज़रात के नज़दीक इमाम की इजाज़त के बग़ैर क़त्ल करने के बाइस हर सूरत में क़त्ल कर दिया जायेगा और कुछ के नज़दीक अगर क़राइन से उसका सच्चा होना साबित हो जाये, तो फिर तअज़ीर काफ़ी होगी, क़त्ल नहीं किया जायेगा। (3) ला शख़्स अहब्बु इलैहिल उज़्रु मिनल्लाह अल्लाह तआला को ये बात पसंद है कि किसी के पास उज़्र और बहाना या हुज्जत न हो, जिसकी बिना पर वो मअज़ूर क़रार पायेगा। इसलिये अम्बिया व रुसुल को भेजा है। अल्लाह तआला के शख़्स का इस्तेमाल, उसकी शान के मुताबिक़ है। जैसाकि इंसान की शख़्सियत उसकी शान के मुताबिक़ है।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ حُمْرٌ .

(3766) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से बयान करते हैं और अल्फ़ाज़ कुतैबा के हैं, हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि बनू फ़ज़ारह का एक आदमी नबी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, मेरी बीवी ने स्याह बच्चा जना है तो नबी(ﷺ) ने पूछा, 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा, जी हाँ! आप(ﷺ) ने पूछा, 'वो किस रंग के हैं?' उसने कहा, सुर्ख़ रंग के। आप(ﷺ) ने पूछा, 'क्या उनमें कोई ख़ाकिसतरी (मटियाला) भी है?' उसने कहा, उनमें ख़ाकिसतरी भी हैं। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो उनमें कहाँ से आ गये?' उसने कहा, हो सकता है कि किसी रग ने खींच लिया हो। आप(ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसको भी मुम्किन है किसी

قَالَ " هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ " . قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا . قَالَ " فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ " . قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " .

रग ने खींच लिया हो।'

(अबू दाऊद : 2260, नसाई : 6/178, इब्ने माजह : 2002)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) औरक़ जमअ वरक़ : ख़ाकिसतरी, मटियाला। **(2) इर्क़ :** जड़, असल, रग, मक़सूद ख़ानदानी निस्बत है।

फ़ायदा : बनू फ़ज़ारह के फ़र्द ज़मज़म बिन क़तादा ने अपनी रंगत का लिहाज़ करते हुए बेटे की स्याह रंगत पर नापसन्दीदगी और तअज्जुब का इज़हार किया और आपसे इसका तज़्किरा किया। आपने बात समझाने के लिये एक तश्बीह और तमसील पेश की थी कि बात ज़हन नशीन हो जाये। ये क़ियासे इस्तिलाही नहीं है कि उसको दलीले क़ियास बनाया जा सके, लेकिन बहरहाल इससे ये बात साबित होती है, सिर्फ़ इख़्तिलाफ़े रंगत से बच्चे का इंकार नहीं किया जा सकता और इस तरह बच्चे की रंगत पर तअज्जुब और नापसन्दीदगी का इज़हार इल्ज़ाम तराशी और तोहमत क़रार नहीं दिया जायेगा। या क़ज़फ़ में तअरीज़ व इशारे पर हद नहीं है तसरीह की सूरत में ही क़ज़फ़ शुमार होगा और जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ، أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلاَمًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ . وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ

(3767) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत चार और उस्तादों से बयान करते हैं, लेकिन मअमर ज़ोहरी से इस तरह बयान करते हैं, उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी ने स्याह बच्चा जना है और वो इस तरह उसके अपना होने की नफ़ी की तरफ़ इशारा और तअरीज़ कर रहा था और हदीस़ के आख़िर में है कि आप(ﷺ) ने उसे बच्चे की अपना होने की नफ़ी या इंकार की इजाज़त नहीं दी।

(अबू दाऊद : 2261, नसाई : 6/178, 179)

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ - قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " مَا أَلْوَانُهَا " . قَالَ حُمْرٌ . قَالَ " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَأَنَّى هُوَ " . قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ " .

(3768) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि एक बदवी रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी ने स्याहफ़ाम बच्चा जना है और मैं उसे अनोखा महसूस करता हूँ या मुझे इस पर हैरत व तअज्जुब है (मैं अजनबियत और बेगानगी महसूस करता हूँ) तो नबी(ﷺ) ने उससे पूछा, 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने कहा, जी हाँ! आप(ﷺ) ने पूछा, 'उनके रंग कैसे हैं?' उसने जवाब दिया, सुर्ख़ रंग हैं। आप(ﷺ) ने पूछा, 'क्या उनमें कोई मटियाला भी है?' उसने कहा, जी हाँ! रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा, 'वो कहाँ से आ गया?' उसने कहा, शायद वो ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी किसी असल ने उसे खींच लिया हो।' तो नबी(ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'उसको भी शायद उसके किसी असल (दादा, नाना) ने खींच लिया हो।'

(सहीह बुख़ारी : 7314, अबू दाऊद : 2262)

फ़ायदा : इन्नी अन्कर्तुहू मैं इससे इंकार करता हूँ, मानी करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये तो सरीह क़ज़फ़ (तोहमत) है। हालांकि आपने उसको क़ज़फ़ क़रार नहीं दिया।

हज़रत इब्राहीम ने जब फ़रिश्तों को देखा, तो नकिरहुम उनको अजनबी और बेगाना न पाया और हज़रत लूत (अलै.) के पास आये तो फ़रमाया, इन्नकुम क़ौमुम् मुन्करून तुम अजनबी और बेगाने लोग हो।

وَحدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(3769) इब्ने शिहाब से रिवायत है कि हमें अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत पहुँची है वो रसूलुल्लाह(ﷺ) से मज़्कूरा बाला रिवायत करते थे।

फ़ायदा : इमाम इब्ने शिहाब ये रिवायत ऊपर हज़रत सईद बिन मुसय्यब और हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान दोनों के वास्ते से हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान कर चुके हैं। किताबुल्लिआन के तहत कोई बाब क़ायम नहीं किया गया इसलिये हमने बाब का इज़ाफ़ा नहीं किया, पिछली किताब के बाब के नम्बर को ही दर्ज किया है, नम्बर बढ़ाया नहीं है। मौलाना सफ़ीउर्रहमान (रह.) ने यहाँ सतरह (17) बाब क़ायम किये हैं जिनकी रोशनी में अहादीस़ का अलग-अलग मफ़्हूम वाज़ेह हो जाता है।

★ ★ ★

इस किताब के कुल बाब 7 और 31 हदीसें हैं।

21

كتاب العتق

किताबुल इत्क़
आज़ादी और हुर्रियत

हदीस नम्बर 3730 से 3800 तक

तआरुफ़ किताबुल इत्क़

बिअ़सते नबवी (ﷺ) के वक़्त पूरी दुनिया में गुलामी मुरव्वज थी। मौजूदा इंसानी मालूमात के मुताबिक़ इस्लाम से पहले न किसी मज़हब ने इसके ख़ातमे की तरफ़ तवज्जह की, न गुलामों के इंसानी हुक़ूक़ के बारे में कोई हिदायात दीं।

इस्लाम ने सबसे पहले ये हुक्म जारी किया कि किसी भी आज़ाद को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उस वक़्त तक जंग में मग़लूब होने वालों को नये निज़ाम और नये मुआशरे में जज़्ब करने का यही तरीक़ा राइज था कि उनको गुलाम बना लिया जाये। इस्लाम के मुख़ालिफ़ीन ने इस्लाम के ख़िलाफ़ यक तरफ़ा तौर पर शदीद जारेहियत शुरू कर रखी थी और वो क़ैदियों को गुलाम बनाने के दस्तूर पर अमल पैरा थे, बल्कि सारी दुनिया इसी पर अमल पैरा थी। इसलिये इस्लाम, इस सूरते हाल को ख़त्म करने के लिये फ़ौरी तौर पर ये फ़ैसला नहीं कर सकता था कि मुसलमान जंगी क़ैदियों को गुलाम न बनायें और यक तरफ़ा मुसलमानों ही को गुलाम बनाया जाता रहे। मुसलमानों को इस बात का पाबंद किया गया कि सूरते हाल के मुताबिक़ हुकूमत इस बात का फ़ैसला करे कि किन मफ़्तूहीन को गुलाम बनाना है और किन को नहीं बनाना। उसके बाद इस्लाम ने गुलामों की आज़ादी की हर इम्कानी सूरत पैदा करने के लिये बहुत से गुनाहों के कफ़्फ़ारे इत्क़ (गुलामों की आज़ादी) की सूरत में मुक़र्रर किये, इस फ़ज़ीलत को इन्तिहाई नुमायाँ किया। गुलाम या कनीज़ मुकातबत करना चाहे, यानी कमाकर क़िस्तों में अपनी क़ीमत अदा कर के आज़ादी हासिल करना चाहे, तो मालिकों के लिये लाज़िमी क़रार दिया कि वो इस पेशकश को कुबूल करें। इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल इत्क़ की शुरूआत जिस हदीस से की है उसमें भी इसी बात का एहतिमाम नुमायाँ नज़र आता है कि जिस तरह भी मुम्किन हो इंसानों की गुलामी से आजादी की सबील निकाली जायें।

जो गुलाम को आज़ाद करता था, उसके साथ साबिक़ा गुलाम या कनीज़ का ख़ानदान जैसा एक ताल्लुक़ होता था, जिसे मवालाह कहा जाता था। इसके तहत साबिक़ा गुलाम को शनाख़्त (पहचान) भी मिलती थी और हिमायत और हिफ़ाज़त भी। वो भी ज़रूरत के वक़्त साबिक़ा मालिकों के साथ तआवुन करता था और उनके काम आता था। मवालात के ज़वाबित भी इस तरह मुक़र्रर किये गये कि आज़ादी का रास्ता पेचीदगियों से पाक और आसान हो जाये। यहाँ तक कि अगर किसी गुलाम की मुकातबत हो चुकी हो और कोई शख़्स यक मुश्त उसकी क़ीमत मालिकों को अदा करके उसे आज़ाद करना चाहे तो साबिक़ा मालिक अपने लिये मवालात का मुताल्बा करके आज़ादी का रास्ता नहीं रोक सकता।

कनीज़ अगर किसी गुलाम से ब्याही (शादीशुदा) हुई है और सिर्फ़ उसी को आज़ादी हासिल हो जाती है तो उसे एक आज़ाद इंसान की हैसियत से ज़िन्दगी गुज़ारने के तमाम हुक़ूक़ हासिल हो जायेंगे यहाँ तक कि गुलाम के साथ निकाह को बरक़रार रखना भी उसकी अपनी सवाबदी (सहूलत) पर मबनी होगा।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मानत दी है कि अल्लाह की रज़ा के लिये किसी को गुलामी के बन्धन से निकालकर आज़ाद करना एक मोमिन के लिये जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। मुख़्तसर सी किताबुल इत्क़ इन तमाम पहलुओं का अहाता करती है।

كتاب العتق

21. आज़ादी और हुर्रियत

باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

बाब 1 : जिसने किसी ग़ुलाम की मिल्कियत में से अपना हिस्सा आज़ाद किया

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ " .

(3770) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस शख़्स ने मुश्तरका ग़ुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया और उसके पास इतना माल है, जो ग़ुलाम (के बाक़ी हिस्से) की क़ीमत अदा कर सकता है, तो उसकी ख़ातिर मुन्सिफ़ाना क़ीमत लगाई जायेगी और वो अपने हिस्सेदारों को उनके हिस्से (की रक़म) अदा कर देगा और ग़ुलाम उसकी तरफ़ से आज़ाद हो जायेगा, अगर उसके पास क़ीमत न हो तो उसने जितना हिस्सा आज़ाद किया है उतना आज़ाद हो गया।'

(सहीह बुख़ारी : 2522, इब्ने माजह : 2528)

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) इत्क़ : इत्क़ का लफ़्ज़ अलग-अलग मानी के लिये इस्तेमाल होता है, करम, जमाल, शर्फ़ व निजाबत, आज़ादी और हुर्रियत और जब कहें अअ्तक़ल् अब्द फ़ुलानुन तो मानी होगा, उसने ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। **(2) शिरकुन :** हिस्सा।

फ़ायदा : इस्लाम ने जंगी क़ैदियों को पहले से मौजूद और रिवाज पज़ीर नज़रिये के मुताबिक़ उनकी बेहतरी और तालीम व तर्बियत की ख़ातिर उनको ग़ुलाम बनाने की इजाज़त दी है लेकिन उनकी यूनानियों, रोमियों और मग़रिबी अक़्वाम के दस्तूर के मुताबिक़ ढोरडंगरूँ की तरह नहीं रखा और उनको

शर्फ़े इंसानियत से महरूम नहीं किया। उनको शर्फ़े इंसानी बख़्शा और उनके हुक़ूक़ बयान किये, बल्कि उनको भाई क़रार दिया। उनसे हुस्ने सुलूक की तालीम दी। आपने फ़रमाया, 'अक्रिमूहुम करामत औलादिकुम उनको अपनी औलाद की तरह इज़्ज़त व शर्फ़ दो और फ़रमाया, 'कोई इंसान अ़ब्दी मेरा गुलाम अमती (मेरी लौण्डी) न कहे और मम्लूक अपने आक़ा को रब्बी न कहे और आप (ﷺ) ने ज़िन्दगी के आख़िरी साँस के वक़्त फ़रमाया, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानकुम नमाज़ और अपने मम्लूकों (गुलामों) का ध्यान रखना। इसलिये अलग-अलग तरीक़ों से उनको आज़ाद करने की तरग़ीब दिलाई। इस उसूल के मुताबिक़ अगर कोई मुश्तरका गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद करता है और उसको बाक़ी हिस्सा आज़ाद करने की तौफ़ीक़ हासिल है तो उसको यही हुक्म दिया कि वो बाक़ी हिस्सा भी आज़ाद करे।

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ.

(3771) इमाम साहब मज़्कूरा बाला हदीस़ अपने दस उस्तादों की सनद से नाफ़ेअ़ के वास्ते से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से बयान करते हैं।

(सहीह बुख़ारी : 2525, 4304)

बाब 2 : ग़ुलाम से मेहनत व मज़दूरी करवाना

باب ذِكْرِ سِعَايَةِ الْعَبْدِ

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ " يَضْمَنُ" .

(3772) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो ग़ुलाम जो दो आदमियों के दरम्यान मुश्तरक है और उनमें से एक अपना हिस्सा आज़ाद कर देता है तो वो दूसरे के हिस्से का ज़ामिन होगा।'
(सहीह बुख़ारी : 2491, 2504, 2526, 2527, अबू दाऊद : 3934, 3935)

وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .

(3773) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है नबी(ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो उसको आज़ाद उसके माल से किया जायेगा अगर वो मालदार है अगर उसके पास माल नहीं है, तो ग़ुलाम से मेहनत व मज़दूरी (कमाई) कराई जायेगी लेकिन उसको मशक़्क़त में नहीं डाला जायेगा।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : (1) शिक़सुन : हिस्सा, इसको शिक़ीस भी कहते हैं। **(2) उस्तुइय :** उससे मेहनत व मज़दूरी करवाई जायेगी, ताकि दूसरे हिस्सेदार के हिस्से की रक़म उसको अदा कर दी जाये। **(3) ग़ैर मशक़ूक़ अलैह :** बग़ैर इसके कि उसको मशक़्क़त और कुल्फ़त में डाला जाये, आसानी और सहूलत से वो कमाकर दे दे।

फ़ायदा : अगर एक ग़ुलाम में एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं और उनमें से एक अपना हिस्सा आज़ाद कर देता है, तो बाक़ी हिस्से के बारे में क्या होगा? इसके बारे में मशहूर अक़्वाल तीन हैं : (1) इमाम अबू

हनीफ़ा के नज़दीक अगर मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला मालदार है तो उसका हिस्सा आज़ाद हो गया और उसके शरीक को इख़्तियार है। चाहे तो अपना हिस्सा आज़ाद कर दे या गुलाम से मेहनत व मज़दूरी करवाकर अपने हिस्से की मुन्सिफ़ाना क़ीमत वसूल कर ले और गुलाम मुकातब के हुक्म में होगा और उन दोनों सूरतों में वला (निस्बत) हिस्सेदारों में मुश्तरक होगी या आज़ाद करने वाले को बाक़ी हिस्से का ज़ामिन ठहराया जायेगा और उससे आदिलाना क़ीमत वसूल कर ली जायेगी और वला सिर्फ़ आज़ाद करने वाले के लिये होगी, अगर आज़ाद करने वाला मालदार नहीं है तो मज़्कूरा पाँच सूरतों पर अमल होगा। इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद के नज़दीक अगर आज़ाद करने वाला मालदार है तो पूरा गुलाम आज़ाद हो जायेगा और वो दूसरे हिस्सेदार को आदिलाना क़ीमत अदा करने का ज़िम्मेदार होगा और अगर वो ग़रीब है तो रक़म गुलाम से मेहनत व मज़दूरी करवाकर अदा करेगा और दोनों सूरतों में वला का हक़दार वही होगा। (3) इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक अगर अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला मालदार है, तो गुलाम पूरा आज़ाद हो जायेगा और वो अपने शरीक को उसके हिस्से की मुन्सिफ़ाना क़ीमत देगा और अगर वो ग़रीब है तो गुलाम का इतना हिस्सा आज़ाद होगा, जितना उसने आज़ाद किया है। बाक़ी हिस्सा गुलाम है और शरीक उससे अपने हिस्से के बक़द्र ख़िदमत और काम ले सकेगा। इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी यही है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि उनके नज़दीक मालदार होने की सूरत में जब वो अपने हिस्सेदार को रक़म अदा कर देगा तो उसके बाद गुलाम मुकम्मल आज़ाद होगा, सिर्फ़ ज़मानत पर आज़ाद नहीं होगा।

وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ، أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ " إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ " .

(3774) इमाम साहब मज़्कूरा वाला रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें ये इज़ाफ़ा है अगर उसके पास माल न हो तो इस सूरत में गुलाम की मुन्सिफ़ाना क़ीमत लगाई जायेगी, फिर जिसने हिस्सा आज़ाद नहीं किया उसकी ख़ातिर मेहनत व मज़दूरी करवाई जायेगी, बग़ैर इसके कि उसको मशक़्क़त में डाला जाये।

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ.

(3775) इमाम साहब यही रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इसमें क़ुव्विम अलैहि के बाद अब्द का लफ़्ज़ नहीं है।

बाब 3 : वला आज़ादी देने वाले को मिलेगी

باب إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

(3776) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने एक लौण्डी आज़ाद करने के लिये ख़रीदने का इरादा किया। तो उसके मालिकों ने कहा, हम आपको इस शर्त पर बेचेंगे कि इसकी निस्बते आज़ादी हमारी तरफ़ होगी। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उनकी शर्त तुम्हें आज़ादी देने से न रोके, क्योंकि वला तो सिर्फ़ आज़ाद करने वाले का हक़ है।'
(सहीह बुख़ारी : 2169, 2562, 6757, अबू दाऊद : 2915, नसाई : 7/300)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

(3777) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, बरीरह उनके पास अपनी मुकातब की रक़म की अदायगी के सिलसिले में मदद लेने के लिये आई और उसने अपनी मुकातब की रक़म में से कुछ भी अदा नहीं किया था। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसे कहा, अपने मालिकों के पास जाओ, अगर वो चाहें तो मैं तुम्हारा तमाम बदले क़िताबत अदा कर देती हूँ और तेरी निस्बते आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, मैं रक़म दे देती हूँ। हज़रत बरीरह (रज़ि.) ने इसका तज़्किरा अपने मालिकों से किया, तो उन्होंने इससे इंकार कर दिया और कहा, अगर वो तुम्हें रक़म देकर सवाब लेना चाहती है तो वो सवाब कमाये (निस्बत उसकी तरफ़ नहीं

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي . فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي . فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ " .

होगी) निस्बते आज़ादी हमारी ही तरफ़ होगी। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया, 'उसे ख़रीद ले, निस्बत तो सिर्फ़ आज़ाद करने वाले का हक़ है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खड़े होकर फ़रमाया, 'लोगों को क्या हो गया है, वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जो अल्लाह के क़ानून, हुक्म की रू से दुरुस्त नहीं, जिसने ऐसी शर्त लगाई जो अल्लाह के हुक्म में रवा नहीं है तो वो उसका मुतालबा नहीं कर सकेगा, अगरचे सौ बार शर्त लगा ले, अल्लाह की शर्त ही सहीह है और मज़बूत है।'

(सहीह बुख़ारी : 2561, 2717, अबू दाऊद : 3929, तिर्मिज़ी : 2124, नसाई : 7/316, 7/305, 7/306)

फ़वाइद : **(1)** ऐसी शर्त जो शरई हुक्म के मुनाफ़ी हो और वो हुक्मे शरई वाज़ेह हो तो ऐसी शर्त लग़व होगी, उसका लगाना और न लगाना बराबर है और वो कल्अदम होगी, क्योंकि ऐसी शर्त का पूरा करना शरई तौर पर उनके बस में नहीं। **(2)** हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये कहना कि मैं तुम्हारा बदले किताबत अदा कर देती हूँ, इससे उनका असल मक़सद बरीरह को ख़रीद कर आज़ाद करना था। जैसाकि पहली रिवायत में अरादत अन तश्तरी जारियतन तअ्तिक़ुहा कि आज़ाद करने के इरादे से लौण्डी ख़रीदनी चाही, क्योंकि अगर मक़सूद सिर्फ़ बदले किताबत की अदायगी होता, तो ये तो सिर्फ़ एक नेकी और तबर्रुअ का काम होता और इस सूरत में निस्बते आज़ादी, मुकातब करने वाले मालिक की तरफ़ होती, इसलिये आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'ख़रीद कर आज़ाद करो।' **(3)** इस हदीस से मालूम होता है, मुकातब गुलाम या लौण्डी, अगर इस बात पर आमादा हो कि उसको दूसरा फ़र्द ख़रीदकर आज़ाद कर दे, तो उसको ख़रीदना जाइज़ है। इमाम अहमद, मालिक और इमाम अबू नख़ई का यही मौक़िफ़ है। इमाम शाफ़ेई और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुकातब गुलाम या लौण्डी को ख़रीदना जाइज़ नहीं है जब तक वो बदले किताबत की अदायगी से आजिज़ होकर दोबारा गुलाम न बन जाये। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक अगर गुलाम, बैअ पर आमादा हो तो फिर जाइज़ है वरना नहीं। **(4)** लैसा फ़ी किताबिल्लाह का मानी है, शर्त जो अल्लाह के क़ानून और हुक्म के मुनाफ़ी हो, वो हुक्मे क़ुरआनी से साबित हो या सुन्नत से या जिसका जवाज़ अल्लाह के हुक्म से साबित न हो।

(3778) नबी (ﷺ) की बीवी हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे पास बरीरह आई और कहने लगी, ऐ आइशा! मैंने अपने मालिकों से 9 औक़िया पर किताबत की, हर साल एक औक़िया (चालीस दिरहम) अदा करना होगा, आगे ऊपर वाली हदीस और उसमें ये इज़ाफ़ा है, 'उनका शर्त लगाना, तुम्हें ख़रीदने से न रोके, ख़रीद और आज़ाद कर दे।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों में ख़िताब के लिये खड़े हुए, अल्लाह तआला की हम्दो-सना बयान की फिर फ़रमाया, 'अम्मा बअ़्द!'
(सहीह बुख़ारी : 2560)

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَىَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ ‏.‏ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فَقَالَ ‏"‏ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ‏"‏. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ أَمَّا بَعْدُ ‏"‏ ‏.‏

(3779) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मेरे पास बरीरह (रज़ि.) आई और कहा, मेरे मालिकों ने मेरे साथ नौ साल के अरसे के लिये नौ औक़िया पर किताबत की है, हर साल एक औक़िया देना होगा, आप मेरा तआवुन फ़रमायें। तो मैंने उसे जवाब दिया, अगर तेरे मालिक चाहें तो मैं सारी रक़म एक साथ अदा करके तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ और निस्बते आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, तो मैं ऐसा कर देती हूँ। उसने इसका ज़िक्र अपने मालिकों से किया। उन्होंने वला अपने लिये, बग़ैर इससे इंकार कर दिया। तो उसने आकर मुझे बताया तो मैंने उसे डांटा और कहा, अल्लाह की क़सम! तब नहीं होगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी बात सुन ली और

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ، بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ ‏.‏ فَأَعِينِينِي ‏.‏ فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلاَءُ لِي فَعَلْتُ ‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لاَهَا اللَّهِ إِذًا قَالَتْ ‏.‏ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاَءَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . فَفَعَلْتُ - قَالَتْ - ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلاَنًا وَالْوَلاَءُ لِي إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया, आपने फ़रमाया, 'ख़रीद लो और इसे आज़ाद कर दो और उनकी वला की शर्त मान लो, वला तो उसको मिलनी है जिसने आज़ादी दी।' तो मैंने ऐसा किया। फिर शाम को आपने ख़िताब फ़रमाया, अल्लाह की हम्दो-सना बयान की जो उसकी शान के लायक़ है। फिर फ़रमाया, 'अम्मा बअ्द! लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी अल्लाह के हुक्म में गुंजाइश नहीं है? जो शर्त भी ऐसी होगी, जिसकी अल्लाह के क़ानून में गुंजाइश नहीं, तो वो बातिल है, अगरचे सौ शर्तें हों। अल्लाह का हुक्म ही सहीह है और अल्लाह की शर्त ही मुस्तहकम है, तुममें से कुछ मर्दों को क्या हो गया है, उनमें से कोई कहता है, तुम फ़लाँ को आज़ाद कर दो और निस्बते आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, वला तो बस आज़ाद करने वाले के लिये है।'

(सहीह बुख़ारी : 2563)

मुफ़रदातुल हदीस़ : कातिबूनी : किताबत मानी है कि गुलाम अपने आक़ा को कहता है, मैं आपको इतनी रक़म, इतनी क़िस्तों में इतने अ़रसे में अदा करूँगा और आप मुझे आज़ाद कर दें। क़िस्तों की मुकम्मल अदायगी के बाद गुलाम आज़ाद हो जायेगा, अगर आक़ा ने उसकी बात को मान लिया, आक़ा ख़ुद भी ये पेशकश कर सकता है।

फ़ायदा : आप किसी ग़लती और गुनाह पर तमाम के सामने रूबरू नाम लेकर आगाह नहीं करते थे, बल्कि नाम लिये बग़ैर उस काम से टोक देते थे और आपने हज़रत आ़इशा (रज़ि.) को शर्त के क़ुबूल कर लेने का हुक्म इसलिये दिया, ताकि इस तरह इससे रोकने और सबको आगाह करने की सूरत पैदा हो जाये और फिर वो ख़ुद बख़ुद ही उस शर्त से दस्तबरदार हो जायेंगे। उसका मुतालबा छोड़ देंगे और लोगों को पता चल जायेगा कि अल्लाह के हुक्म के मुनाफ़ी शुरूत कल्अ़दम (नथिंग) हैं, उनके लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है।

(3780) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों की इस्नाद से हिशाम बिन उरवह की सनद से ही मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। हिशाम के शागिर्द जरीर की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है और बरीरह का ख़ाविन्द ग़ुलाम था, इसलिये (बरीरह की आज़ादी पर) आपने उसे इख़्तियार दिया (कि वो उसके निकाह में रहे या न रहे) तो उसने अपने लिये अलग होने को पसंद किया और अगर वो (शौहर) आज़ाद होता तो आप उसे (बरीरह को) इख़्तियार न देते और उन हज़रात की रिवायत में (अम्मा बअ्द) का लफ़्ज़ नहीं है।
(इब्ने माजह : 2521, अबू दाऊद : 2233, तिर्मिज़ी : 1154, नसाई : 6/164-165)

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي، حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ " أَمَّا بَعْدُ " .

(3781) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, बरीरह के सिलसिले में तीन फ़ैसले हुए (तीन मुक़द्दमात बने) उसके मालिकों ने उसे बेचना चाहा और अपने लिये वला की शर्त के साथ। मैंने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया, तो आपने फ़रमाया, 'उसको ख़रीद ले और उसे आज़ाद कर दे, क्योंकि वला तो उसे ही मिलेगी जो आज़ाद करेगा।' और वो आज़ाद हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इख़्तियार दिया और उसने अपने नफ़्स को इख़्तियार किया (अपने ख़ाविन्द मुग़ीस से अलग होने को इख़्तियार किया) और लोग उसको सदक़ा देते थे और वो उसमें से हमें तोहफ़ा देती थी। मैंने इसका तज़्किरा नबी (ﷺ) से किया तो आपने फ़रमाया, 'वो उसके लिये

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا . قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله

सदक़ा है और तुम्हारे लिये हदिया है इसलिये उसे खा लो।'

(3782) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने बरीरह को अन्सारियों से ख़रीदा और उन्होंने वला की शर्त लगाई। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वला उसके लिये है जिसने एहसान किया है (आज़ादी दी है)' और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे इख़्तियार दिया और उसका शौहर ग़ुलाम था और उसने आइशा (रज़ि.) को बतौरे हदिया गोश्त दिया। तो ऐ काश! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'तु उस गोश्त से हमारे लिये सालन तैयार करतीं? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ये तो बरीरह को सदक़ा दिया गया है आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो हमारे लिये तोहफ़ा है।'

(3783) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं उसने बरीरह को आज़ाद करने के लिये ख़रीदना चाहा तो उन्होंने उसकी वला की शर्त लगाई। तो मैंने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उसको ख़रीद ले और उसको आज़ाद कर दे, वला तो उसे ही मिलेगी जो आज़ाद करेगा।' और रसूलुल्लाह (ﷺ) को हदिये में गोश्त पेश किया गया और उन्होंने नबी (ﷺ) को बताया ये बरीरह को सदक़े में दिया गया है। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो

عليه وسلم فَقَالَ " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ " .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، . أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ . وَاشْتَرَطُوا الْوَلاَءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْوَلاَءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ " . وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ " . قَالَتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ، الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ، بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ " . وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ . فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ " . وَخُيِّرَتْ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لاَ أَدْرِي .

उसके लिये सदक़ा है और हमारे लिये हदिया है।' और उसे इख़्तियार दिया गया और अब्दुर्रहमान ने कहा, उसका ख़ाविन्द आज़ाद था। शोबा कहते हैं, फिर मैंने उससे उसके ख़ाविन्द के बारे में पूछा? तो कहा, मुझे मालूम नहीं है।

फ़ायदा : बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि बरीरह का ख़ाविन्द जिसका नाम मुग़ीस़ था, वो उसके पीछे-पीछे रोता हुआ गर्दिश कर रहा था और उसके आँसू उसकी दाढ़ी पर रवाँ थे, मुझे ये मन्ज़र अब भी याद है तो नबी (ﷺ) ने कहा, ऐ अब्बास! क्या तुम्हें इस पर हैरत नहीं हो रही कि मुग़ीस़ को बरीरह से किस क़द्र प्यार है और बरीरह को मुग़ीस़ से किस क़द्र नफ़रत है? इससे स़ाबित होता है कि बरीरह को इख़्तियार देने का सबब, उसका गुलाम होना था। अगर वो आज़ाद होता तो बीवी को इख़्तियार न मिलता। अइम्म-ए-स़लास़ा इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और जुम्हूर उलमा का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, नख़ई और शाबी वग़ैरह के नज़दीक लौण्डी को आज़ाद होने पर हर हालत में इख़्तियार मिलेगा। ख़ाविन्द आज़ाद हो या गुलाम और अहले ज़ाहिर का मौक़िफ़ भी यही है और इसमें इख़्तिलाफ़ का असल सबब, मुग़ीस़ का आज़ाद या गुलाम होना है। अइम्म-ए-स़लास़ा इसके बरीरह की आज़ादी के वक़्त गुलाम होने को तरजीह देते है, अगरचे बाद में वो भी आज़ाद हो गया था और इस हदीस़ से ये भी स़ाबित हुआ जब किसी मोहताज और फ़क़ीर को कोई चीज़ सदक़े में मिले, तो वो उसका मालिक बनकर जो चाहे, उसमें तसर्रुफ़ कर सकता है और अब अगर वो दूसरे को तोहफ़ा देता है या बेचता है तो वो सदक़ा नहीं रहेगा और इस सूरत में उसको हाशमी और मालदार भी अगर वो खाने की चीज़ है, खा सकेगा। हज़रत बरीरह के इन तीनों वाक़ियात से उलमा ने चार सौ मसाइल का इस्तिम्बात किया है और कुछ अइम्मा ने इस हदीस़ पर मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं और सुनन दार क़ुतनी में एक चौथे फ़ैसले का ज़िक्र है कि आपने आज़ाद औरत वाली इद्दत पूरी करने का हुक्म दिया।

وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

(3784) शोबा ने पहली सनद से इस तरह रिवायत बयान की है।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ، وَأَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا .

(3785) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों की सनद से, हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस, उरवह के वास्ते से बयान करते हैं कि वो बयान करते हैं, बरीरह का ख़ाविन्द गुलाम था।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدُمٍ مِنْ أُدُمِ الْبَيْتِ فَقَالَ " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ " . فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ . فَقَالَ " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ " . وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا " إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

(3786) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि बरीरह के वाक़ियात से तीन रवैये (तर्ज़े अमल) मालूम हुए जब आज़ाद हुई तो उसे ख़ाविन्द के सिलसिले में इख़्तियार मिला और उसे गोश्त दिया गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ आये जबकि हण्डिया चूल्हे पर थी तो आप (ﷺ) ने खाना तलब किया, तो आप (ﷺ) को रोटी और घर में तैयार किया गया सालन पेश किया गया। तो आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या मुझे चूल्हे पर गोश्त वाली हण्डिया दिखाई नहीं दे रही?' आपको जवाब मिला, क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! वो गोश्त बरीरह को सदक़े में मिला है। इसलिये हमने आप (ﷺ) को उसमें खिलाना पसंद नहीं किया। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'वो उस पर सदक़ा है और उसकी तरफ़ से हमारे लिये तोहफ़ा है।' और नबी (ﷺ) ने उसके बारे में फ़रमाया, 'वला आज़ाद करने वाले के लिये ही है।'

(3787) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आज़ाद करने के लिये एक लौण्डी ख़रीदने का इरादा किया। तो लौण्डी के मालिकों ने वला अपने लिये होने के बग़ैर, इससे इंकार कर दिया। तो उसने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह (ﷺ) से किया। तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया, 'उनकी बेजा शर्त तुम्हें इस मक़सद से न रोके, क्योंकि वला उसको मिलनी है, जिसने आज़ाद किया है।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ، جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاَءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " .

बाब 4 : वला को बेचना और किसी को हिबा करना नाजाइज़ है

باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَهِبَتِهِ،

(3788) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वला को बेचने और उसके हिबा करने से मना फ़रमाया। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, इस हदीस के सिलसिले में तमाम लोग अब्दुल्लाह बिन दीनार के मोहताज हैं (उनके सिवा किसी से ये रिवायत मरवी नहीं है)।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . قَالَ مُسْلِمٌ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

मुफ़रदातुल हदीस : वला : वाव पर ज़बर है निस्बते आज़ादी, जिसकी बिना पर आज़ाद करने वाला जिसको आज़ाद करता है उसका वारिस बनता है, तो जिस तरह नसब (ख़ानदान) की तब्दीली किसी सूरत में मुम्किन नहीं है, यही हुक्म वला का है।

फ़ायदा : इस मसले पर अब उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि जाहिलिय्यत के रिवाज के मुताबिक़ या उस पर अमल करते हुए वला की ख़रीदो-फ़रोख़्त या हिबा करना जाइज़ नहीं है और कुछ सहाबा से जो इसके ख़िलाफ़ मन्क़ूल है, तो इसकी वजह ये है उन तक ये रिवायत नहीं पहुँची थी और ये रिवायत आम तौर पर

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से ही मरवी है। अगरचे सहीह इब्ने अवाना और सिक़ाते इब्ने हिब्बान में, अब्दुल्लाह बिन दीनार के साथ नाफ़ेअ को भी शरीक किया गया है।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، -يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ، دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلاَّ الْبَيْعُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْهِبَةَ

(3789) **इमाम साहब अपने नौ उस्तादों की सनदों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, लेकिन एक रावी अब्दुल्लाह बिन दीनार के शागिर्द उबैदुल्लाह से सिर्फ़ ख़रीदो-फ़रोख़्त का ज़िक्र करता है, हिबा का तज़्किरा नहीं करता।**

(तिर्मिज़ी : 1236, इब्ने माजह : 2747)

باب تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

बाब 5 : आज़ादशुदा ग़ुलाम के लिये ये जाइज़ नहीं कि वो अपने आज़ाद करने वाले के सिवा किसी और की तरफ़ अपनी निस्बत करे

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ

(3790) **हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं नबी (ﷺ) ने हर ख़ानदान पर दियत को लाज़िम ठहराया। फिर लिखा, 'किसी मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं है कि वो किसी मुसलमान के आज़ाद**

बَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ " أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ " . ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ .

करदा गुलाम से उसकी इजाज़त के बग़ैर दोस्ताना क़ायम करे।' फिर मुझे बताया गया कि आपने तहरीर में, ऐसा करने वाले पर लानत भेजी।

(नसाई : 8/52)

फ़ायदा : अगर तवाला से मुराद सिर्फ़ तआवुन व तनासुर (मदद) का ताल्लुक़ है तो फिर ये उसके आक़ा जिसने आज़ाद किया है, की इजाज़त से जाइज़ है और अगर मुराद, निस्बत है तो ये जाइज़ नहीं है। क्योंकि आपने मोला को वला के बेचने या हिबा करने से मना कर दिया है। इसलिये जब मफ़्हूमे मुख़ालिफ़, मन्तूक़ के मुख़ालिफ़ हो तो वो हुज्जत और दलील नहीं है। इसलिये हदीस़ से ये स़ाबित करना कि मफ़्हूमे मुख़ालिफ़ या दलीले ख़िताब, हुज्जत नहीं है, दुरुस्त नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा जुम्हूर फ़ुक़्हा (छः शुरूत के साथ) मफ़्हूमे मुख़ालिफ़ की तमाम अक़्साम सिवाय मफ़्हूमे लक़ब के मोतबर मानते हैं और हर ख़ानदान पर दियत लाज़िम ठहराने का मक़सद ये है कि क़त्ले ख़ता और शिब्हे अम्द में, क़ातिल के ख़ानदान के लोग दियत अदा करेंगे।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ " .

(3791) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अपने मवाला की इजाज़त के बग़ैर अपने आपको किसी की तरफ़ मन्सूब किया, तो उस पर अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की लानत बरसे, उसका फ़र्ज़ क़ुबूल होगा न नफ़ल।'

मुफ़रदातुल हदीस़ : अद्ल : माप, इस्तिक़ामत, बदला, फ़िद्या, ज़ामिन, सर्फ़, वज़न, क़ीमत, दियत सिफ़ारिश, रिश्वत।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا

(3792) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने अपने मवाला (आज़ाद करने वाले) की इजाज़त के बग़ैर किसी से अपनी निस्बत की तो उस पर अल्लाह, उसके फ़रिश्तों और

بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ " .

तमाम लोगों की लानत हो, क़यामत के दिन, उसके फ़र्ज़ क़ुबूल होंगे न नफ़ल।'

وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ " وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ " .

(3793) यही रिवायत इमाम साहब एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं जिसमें ये ये अल्फ़ाज़ हैं, 'जिसने अपने मवाला के सिवा किसी और की तरफ़ उनकी इजाज़त के बग़ैर निस्बत की।'

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا، شَيْئًا نَقْرَأُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ . فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى

(3794) इब्राहीम तैमी अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने हमें ख़िताब फ़रमाया जिसमें कहा, जिस शख़्स का गुमान ये है कि हमारे पास अल्लाह की किताब और इस नविश्ता (सहीफ़े) के सिवा कोई और पढ़ने की चीज़ है, तो वो झूठ बोलता है और नविश्ता उनकी तलवार की मियान के साथ लटक रहा था। उसमें ऊँटों की उम्रों का ज़िक्र है और ज़ख़्मों के बारे में कुछ चीज़ें हैं और उसमें ये भी है नबी (ﷺ) ने फ़रमाया, 'मदीना, ऐर से लेकर सौर तक हरम है, तो जिसने इसमें कोई हरकत की या नई चीज़ निकाली या मुजरिम और बिदअती को पनाह दी, उस पर अल्लाह की, उसके फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। क़यामत के दिन अल्लाह उसके फ़र्ज़ क़ुबूल करेगा और न नफ़ल, तमाम मुसलमान का अहद अमान बराबर है, उनका अदना (कम दर्जा फ़र्द) भी अमान दे सकता है और जिसने अपने बाप के सिवा किसी और की तरफ़

إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً " .

अपनी निस्बत की या मवाला के सिवा किसी तरफ़ मन्सूब हुआ उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके फ़र्ज़ क़ुबूल करेगा न नफ़ल।'

फ़ायदा : इस हदीस़ की तौज़ीह हदीस़ नम्बर 1370 के तहत किताबुल हज में गुज़र चुकी है।

باب فَضْلِ الْعِتْقِ

बाब 6 : आज़ाद करने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" .

(3795) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया, अल्लाह उसके हर अ़ज़्व (अंग) आज़ाद करने वाले का अ़ज़्व आग से आज़ाद कर देगा।'

(सहीह बुख़ारी : 2517, 6715, तिर्मिज़ी : 1541)

मुफ़रदातुल हदीस़ : इरब : जमा अराब, अ़ज़्व।

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि ये फ़ज़ीलत और आग से आज़ादी हासिल करने के लिये कामिलुल आज़ा मुसलमान गुलाम आज़ाद करना होगा, वरना ये फ़ज़ीलत हासिल न हो सकेगी।

وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ، الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ " .

(3796) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिसने गर्दन आज़ाद की, अल्लाह उसके हर अ़ज़्व के बदले में, उसके आज़ा हर में एक अ़ज़्व आग से आज़ाद फ़रमायेगा, यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह के ऐवज़ उसकी शर्मगाह आज़ाद करेगा।'

फ़ायदा : जो लोग इतनी बड़ी-बड़ी नेकियाँ करते हैं, यक़ीनन वो लोग अपने गुनाहों की बख़्शिश की दुआ भी करते रहते हैं, इसलिये ये इश्काल बेमहल है कि गुलाम आज़ाद करने से क्या, मुर्तकिबे कबीरा की भी बख़्शिश हो जाती है जबकि इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि गुनाहे कबीरा, बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ" .

(3797) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जो मुसलमान गर्दन (गुलाम) आज़ाद करेगा, अल्लाह तआला उसके हर अज़्व (अंग) के ऐवज़ एक अज़्व आग से आज़ाद करेगा, यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह के ऐवज़ उसकी शर्मगाह आज़ाद कर देगा।'

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ - حَدَّثَنَا وَاقِدٌ، - يَعْنِي أَخَاهُ - حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ، - صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ " . قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ .

(3798) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'जिस मुसलमान फ़र्द ने किसी मुसलमान आदमी को आज़ाद किया, अल्लाह तआला उसके हर अज़्व के ऐवज़ उसका एक-एक अज़्व आग से आज़ाद करेगा।' सईद बिन मरजानह (जो हज़रत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ हर वक़्त रहते थे) बयान करते हैं, मैंने ये हदीस़ हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से सुनकर चला और ये हदीस़ हज़रत अली बिन हुसैन (रह.) को बताई तो उन्होंने अपना वो गुलाम आज़ाद कर दिया जिसके अब्दुल्लाह बिन जअफ़र उन्हें दस हज़ार दिरहम या एक हज़ार दीनार देते थे।

फ़ायदा : इस हदीस़ से ये मालूम होता है मुज़क्कर गुलाम को आज़ाद करना बेहतर है और असल बात ये है इसका इन्हिसार इसकी अफ़ादियत और क़ीमत पर है, जो अपनी अफ़ादियत व मन्फ़अत में बढ़कर है और ज़्यादा क़ीमती है। उसका आज़ाद करना बेहतर है, गुलाम हो या लौण्डी क्योंकि रक़बा (गर्दन) का लफ़्ज़ आम है और हदीस़ का मख़रज एक ही है।

बाब 7 : अपने बाप को आज़ाद करने की फ़ज़ीलत

باب فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ " . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ " وَلَدٌ وَالِدَهُ " .

(3799) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया, 'बेटा बाप का हक़ अदा नहीं कर सकता, इल्ला (मगर) ये कि वो उसे किसी की मिल्कियत में पाये और उसे ख़रीदकर आज़ाद कर दे।' इब्ने अबी शैबा की रिवायत में है, वलदुन वालिदहू बेटा अपने बाप का हक़ अदा नहीं कर सकता।
(तिर्मिज़ी : 1906, इब्ने माजह : 3657)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا " وَلَدٌ وَالِدَهُ " .

(3800) इमाम साहब अपने तीन और उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान करते हैं, सबने वलदन वालदन की बजाय वलद वालिदुहू कहा है।
(अबू दाऊद : 2537)

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि बेटा, अपने बाप का जो उस पर हक़ है, उसको किसी सूरत में भी अदा नहीं कर सकता, क्योंकि आम तौर पर ये मुम्किन नहीं है कि किसी का बाप हो और वो किसी का गुलाम बन जाये, तो वो उसको ख़रीदकर आज़ाद कर दे। जुम्हूर के नज़दीक कभी अगर ऐसी सूरत पेश आ जाये, तो बाप बेटे के ख़रीदने से ही आज़ाद हो जायेगा, जबकि अहले ज़ाहिर के नज़दीक उसे आज़ाद करना होगा।